

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

रेलों की वार्षिक सांख्यिकी के संकलन के लिए सांख्यिकीय अनुदेशिका

(वाल्यूम–II)

(तृतीय प्रकाशन)

2003

MANUAL OF STATISTICAL INSTRUCTIONS
(VOLUME-II)
for the
Compilation of Annual Statistics of Railways

(Third Edition)

2003

प्रस्तावना

भारतीय रेलवे की अपने संपूर्ण कार्यक्षेत्र में व्यापक आंकड़े उत्पन्न करने की परंपरा रही है और इन आंकड़ों को हर वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय वार्षिक सांख्यिकीय विवरणों के रूप में निकाला जाता है. वर्ष-दर-वर्ष उसी फार्मेट में और उसी कार्यप्रणाली के साथ संकलित की गई जानकारी सभी स्तरों पर रेलकर्मियों को, रेल प्रणाली को चलाने तथा उत्पादकता बढ़ाने और चौमुखी सुधार लाने हेतु विभिन्न प्रबंधकीय तकनीकों का विश्लेषण करने, समझने और लागू करने में सहायता करती है. वार्षिक सांख्यिकीय विवरणों के लिए संपूर्ण प्रणाली पर विभिन्न आंकड़ों को एकसमान रूप में संकलन करने हेतु विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता करने के लिए 1959 में सांख्यिकीय अनुदेशिका वाल्यूम-II प्रकाशित की गई थी. देश में मीटरिक प्रणाली अपनाए जाने के फलस्वरूप उसके अगले वर्ष 1960 में इसका दूसरा संस्करण निकाला गया. पिछले चार दशकों के दौरान, प्रौद्योगिकी, कर्षण, रेलपथ, चल स्टॉक इत्यादि में आए बदलाव और कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आधुनिकीकरण के कारण अनुदेश और शुद्धि पर्चियां जारी कर अपेक्षित आंकड़े और संकलन की विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. द्विभाषिक रूप में निकाली गई सांख्यिकीय अनुदेशिका के तीसरे संस्करण में इन सभी परिवर्तनों को लाने का एक प्रयास किया गया है.

सांख्यिकीय अनुदेशिका वाल्यूम-II में अब तक की गई शुद्धियां शामिल की गई हैं. यह देखा जा सकता है कि सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम-II में मूल रूप से प्रकाशित 44 विवरणों में से 9 अब प्रचलन में नही रहे, 2 विवरण जोड़े गए हैं और बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक विवरणों को एक नया रूप, नई रचना दी गई है और संशोधित किया गया है.

आंकड़े संकलित करने और वार्षिक सांख्यिकीय विवरण के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को इस संशोधित सांख्यिकीय अनुदेशिका से भली-भांति परिचित होना चाहिए ताकि विभिन्न सांख्यिकी का सही-सही संकलन सुनिश्चित हो सके. इस अनुदेशिका में यथावश्यक परिवर्धनों एवं परिवर्तनों को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा और इस कार्य से जुड़े व्यक्तियों को स्वयं को इन परिवर्तनों से अद्यतन रखना होगा.

इस संस्करण में पाई जाने वाली त्रुटियां एवं भूल-चूक उचित माध्यम से कार्यपालक निदेशक (सांख्यिकी एवं अर्थ), रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाई जाए.

सांख्यिकीय अनुदेशिका का यह तीसरा संस्करण पिछले संस्करण का अधिक्रमण करता है.

(आर.आर. जारूहार)
सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली,
दिनांक 6 जून, 2003

Preface

Indian Railways has a tradition of generating very large data on its entire gamut of working and this is brought out annually in the form of Annual Statistical Statements around the Budget time. Information compiled year-after-year in same format and with same methodology help Railwaymen at all levels to analyse, understand and apply various managerial techniques to run the system and to improve productivity and to bring about all-around improvement. In order to help officers and staff at various levels to compile various data over the entire system in a uniform way for Annual Statistical Statements, a Manual of Statistical Instructions Vol. II was published in 1959. The 2nd Edition was brought out next year in 1960 in the aftermath of introduction of metric system in the country. During last four decades, owing to changes in technology, traction, track, rolling stock, etc., and modernization in various areas of working, considerable alterations in the data required and the manner of compilation have been made by issuing of instructions and correction slips. An effort has been made in this volume to bring all these into the 3rd Edition of Manual of Statistical Instructions which is also bilingual.

This Manual of Statistical Instructions, Vol. II incorporates all corrections made therein so far. It is seen that of the 44 Statements originally published in the M.S.I., Vol.-II, 9 have since been discontinued, 2 Statements have been added and a number of Statements have been recast, restructured and revised in view of changing circumstances.

All those connected with the compilation of data and publication of Annual Statistical Statements must be thorough with this revised Manual of Statistical Instructions to ensure correct compilation of various statistics. Additions and alteration to this Manual shall be notified from time to time, as may be necessary, and those connected with this area of working must keep themselves updated with these changes.

Omissions or errors, if any, which may be found in this edition may be brought to the notice of Executive Director (S&E), Railway Board, through proper channel.

This 3rd Edition of Manual of Statistical Instructions, supersedes the previous edition.

(R.R. Jaruhar)
Secretary, Railway Board.

New Delhi,
Date 6th June, 2003

परिचय

1. इस नियमावली में दिए गए आंकड़े वे आंकड़े हैं जो प्रमुखत: भारतीय रेलों के संबंध में रेलवे बोर्ड की वार्षिक सांख्यिकी विवरण के प्रकाशन के लिए रेलवे बोर्ड को अपेक्षित हैं. इनका उपयोग क्षेत्रीय रेलों के कार्य निष्पादन पर रेलवे बोर्ड को भेजी जाने वाली महाप्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा हेतु भी किया जाएगा. इनके अलावा रेलें अपने स्थानीय उपयोग के लिए अपने आंकड़े तैयार कर सकती हैं.

2. सांख्यिकीय अनुदेशिका–वाल्यूम–I में मासिक विवरणों की संगत मदों के संकलन के लिए दिए गए अनुदेश वार्षिक विवरणों के संकलन के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होते हैं. सिवाय वहां जहां पर विपरीत अभिव्यक्ति न की गई हो, वार्षिक आंकड़े वित्त वर्ष के अंतिम माह के लिए संगत मासिक विवरणों में दिए गए संचयी आंकड़ों से मेल खाने चाहिए यदि मासिक विवरणों की प्रस्तुति के बाद इन आंकड़ों को संशोधित न किया गया हो.

3. इन वार्षिक विवरणों के प्रयोजन के लिए वर्ष सदैव वित्त वर्ष रहेगा जो एक कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के मार्च के अंतिम दिन तक होगा.

4. इस प्रकाशन में दिए गए आंकड़े मीटरिक यूनिट में हैं.

5. क्षेत्रीय रेलें अनुदेशों में निर्धारित देय तिथि तक अद्यतन आंकड़ों सहित विभिन्न विवरण संकलित करके रेलवे बोर्ड को भेजेंगी.

6. विवरण 1, 2 (क) 2 (ख), 3,8,9 (क), 9 (ख), 26(ख), 30,38(क), 38(ख), 39(क), 39(ख), 41,43,44 एवं 45 को छोड़कर बाकी सभी विवरणों में पिछले और वर्तमान वर्ष के आंकड़े दिए जाने हैं.

Introduction

1. The Statistics prescribed in this Manual are those required by the Railway Board primarily for publication in Indian Railways Annual Statistical Statements. They will also be used for analysis of working in the General Manager's Annual Report to the Railway Board on the functioning of each Zonal Railway system, Besides these, Railways may prepare their own statistics for domestic use.

2. The instructions given in the Manual of Statistical Instructions—Volume-I for the compilation of the corresponding items in the monthly statements apply mutatis mutandis to the compilation of the annual statements. Except where it is stated to the contrary, the annual figures should agree with the cumulative figures reported in the corresponding monthly statements for the last month of the financial year, unless the same have had to be revised after the submission of the monthly statements.

3. For the purpose of these annual statements, the year shall always be the financial year beginning from the first day of April in one calendar year and ending with the last day of March of the following year.

4. Figures in this publication are given in metric units.

5. Zonal Railways shall compile and submit to the Railway Board different statements containing final figures by the respective due dates prescribed in the instructions for each of the statements.

6. In statements, except statement nos. 1, 2(A), 2(B), 3, 8, 9(A), 9(B), 26(B), 30, 38(A), 38(B), 39(A), 39(B), 41, 43, 44 & 45, the figures for the previous and the current years are to be given.

.....रेलवे/Railway

विवरण-1

Statement-1

31 मार्च को सरकारी रेलों के वित्तीय परिणाम

Financial Results of Government Railways as on 31st March.....

रेलवे Railway	संचालित लाइनों सहित प्रणाली के लिए सकल यातायात प्राप्तियां Gross Traffic Receipts for the system including worked lines			संचालित लाइनों सहित प्रणाली के लिए संचालन व्यय Working Expenses for the system including worked lines					
	सकल आय Gross Earnings	उचंत Suspense	सकल प्राप्तियां (कालम 2+3) Gross Receipts (Cols. 2+3)	कुल साधारण संचालन व्यय Total Ordinary Working Expenses	मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Pension Fund	संचालन व्यय (उचंत के अतिरिक्त) (कालम 5+6+7) Working Expenses (excluding suspense) (Cols. 5+6+7)	उचंत Suspense	कुल सकल व्यय (कालम 8+9) Total Gross Expenditure (Cols. 8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i) सरकारी रेलें Govt. Railways									
(ii) मैट्रो रेल, कोलकाता Metro Rly., Kolkata									
(iii) रेल विद्युतीकरण Rly. Electrification									
(iv) विविध Miscellaneous									
(v) जोड़/Total									

1001. विविध प्राप्तियों का ब्यौरा
Details of Miscellaneous Receipts

(1) आर्थिक सहायता प्राप्त कंम्पनियां
Subsidized companies

(2) भर्ती बोर्ड
Recruitment Board

(3) अन्य विविध प्राप्तियां
Other Miscellaneous Receipts

(4) यात्री किराये पर अधिप्रभार
Surcharge on passenger fare

(5) लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता
Subsidy from Central Government for dividend relief and other concessions.

जोड़
Total

विविध व्यय का ब्यौरा
Details of Miscellaneous Expenditure

3001. नीति निर्धारण, निर्देशन, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन
Policy Formulation, Direction, Research and other Miscellaneous Organisations

3001. पेंशन निधि में विनियोग
Appropriation to Pension Fund

3004. चालू लाइन निर्माण-राजस्व
Open Line Works Revenue

जोड़
Total

31 मार्च को सरकारी रेलों के वित्तीय परिणाम
Financial Results of Government Railways as on 31st March.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

शुद्ध यातायात प्राप्तियां (कालम 4–10)	साधारण संचालन व्यय तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि के विनियोग का सकल आय से प्रतिशत कालम 8 x 100 / कालम 2	शुद्ध विविध प्राप्तियां	शुद्ध राजस्व प्राप्तियां (कालम 11+13)	शुद्ध राजस्व प्राप्ति का ब्याज–देय पूंजी से प्रतिशत कालम 14 x 100 / विवरण 2(क) का कालम 13	सामान्य राजस्वों को भुगतान (सामान्य राजस्वों को लाभांश)	सरकार को शुद्ध लाभ या हानि Net Gain/Loss to Government		ब्याज–देय पूंजी पर लाभ या हानि का प्रतिशत Percentage of Gain/Loss on Capital-at-Charge	
						लाभ Gain	हानि Loss	लाभ Gain	हानि Loss
Net Traffic Receipts (Col. 4-10)	Percentage of Ordinary Working Expenses & Appropriation to D.R.F. & P.F. to Gross Earnings Col. 8 x 100 / Col. 2	Net Misc. Receipts	Net Revenue Receipts (Cols. 11+13)	Percentage of Net Revenue Receipts to Capital-at-Charge Col. 14 x 100 / Col. 13 of St. 2(a)	Payment to General Revenues (Dividend to General Revenues)				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					@				
					@@				

विविध प्राप्तियाँ
Miscellaneous Receipts

(-) विविध व्यय
Miscellaneous Expenditure

(=) शुद्ध विविध प्राप्तियां
Net Miscellaneous Receipts

@विविध लाभांशों का ब्यौरा -
Details of Miscellaneous Dividends-

चितरंजन रेल इंजन कारखाना
Chittaranjan Locomotive Works
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना
Diesel Loco Modernisation Works
डीजल रेल इंजन कारखाना
Diesel Locomotive Works
सवारी डिब्बा कारखाना
Integral Coach Factory
रेल सवारी डिब्बा कारखाना
Rail Coach Factory
रेल विद्युतीकरण
Railway Electrification
रेल पहिया कारखाना
Rail Wheel Factory
विविध
Miscellaneous
जोड़
Total

@@ यात्री किराया कर और संरक्षा कार्यों में वित्त पोषण के लिए राज्यों को सहायता के बदले सामान्य राजस्व में अंशदान के लिएहजार रु. शामिल हैं.
@@ Includes Rs. thousand on account of contribution to General Revenues in lieu of Passenger Fare Tax and assistance to States for financing safety works.

विवरण 1- सरकारी रेलों के वित्तीय परिणाम

अनुदेश

1. यह विवरण क्षेत्रीय रेलों, मेट्रो रेल, कोलकाता, रेल विद्युतीकरण, उत्पादन इकाइयों, रेलवे बोर्ड, अ .आ.मा.सं. एवम् अन्य इकाइयों द्वारा इस तरह से तैयार किया जाए ताकि यह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (लेखा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास पहुँच जाए. इसकी एक प्रतिलिपि सचिव (सांख्यिकी), रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाए जो उसी तारीख तक पहुंच जाये. यह विवरण रेलवे बोर्ड के लेखा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया जाएगा और सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को 10 सितम्बर तक उपलब्ध करवाया जाएगा.

2. विनिर्धारित प्रोफार्मा में दिया गया विवरण लेखा निदेशालय द्वारा इकाइयों से प्राप्त प्रतिफलों एवं मार्च के चालू खातों द्वारा संकलित किया जाएगा और आगामी वित्त वर्ष के 10 सितंबर तक सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को भेज दिया जाएगा.

3. वाणिज्यिक तथा सामरिक लाइनों से संबंधित आंकड़े अलग-अलग दिखाए जाएगें.

4. सकल यातायात आय (कालम 2) मे सार 'एक्स', 'वाई' एवं 'जैड' के अंतर्गत बुक किए गये यात्री, अन्य कोचिंग, माल एवं विविध आय को शामिल किया जाऐगा, चाहे वह वास्तव में वसूल की गई हो अथवा नहीं.

5. उचंत (कालम 3), वास्तविक आय, चाहे वास्तव में वसूल की गई है अथवा नहीं और किसी लेखागत अवधि के दौरान वास्तव में वसूल की गई आयों के बीच का अंतर होगा. (i) यातायात लेखे (ii) विदेशी रेलों तथा (iii) वसूलीय मांगों के अन्तर्गत जमा/नामे के अतिशेष और शुद्ध का ब्यौरा पाद-टिप्पणी में दिया जाएगा.

6. सकल यातायात प्राप्तियां (कालम 4) किसी लेखागत अवधि के दौरान वास्तव में वसूल की गई आय होगी और कालम 2 + कालम 3 के बराबर होगी.

7. कुल साधारण संचालन व्यय (कालम 5) में मांग सं 3 से 13 (सार क से ठ) के अन्तर्गत क्षेत्रीय रेल प्रशासन द्वारा सामान्य प्रशासन, परिचालन, मरम्मत और अनुरक्षण एवं अन्य विविध खर्चों पर उपगत राजस्व व्यय, चाहे वास्तव में वितरित किए गए हैं अथवा नहीं, शामिल होंगे.

8. मूल्यह्रास आरक्षित निधि के विनियोग (कालम 6) में सार ड (ड-100) के अंतर्गत मांग सं. 14 के अनुसार मूल्यह्रास आरक्षित निधि का विनियोग भी सम्मिलित किया जायेगा.

9. पेंशन निधि के विनियोग (कालम 7) में सार ड (ड-200) के अंतर्गत मांग सं. 14 के अनुसार पेंशन निधि में विनियोग भी सम्मिलित किया जायेगा.

10. कुल संचालन व्यय, उचंत को छोड़कर (कालम 8), कालम 5 + कालम 6 + कालम 7 के बराबर होगा.

Statement 1- Financial Results of Government Railways

Instructions

1. The statement shall be prepared by the Zonal Railways, Metro Railway, Kolkata, Railway Electrification, Production Units, Railway Board, RDSO and other units and sent so as to reach the Secretary (Accounts), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. A copy thereof may also be endorsed to the Secretary (Statistics), Railway Board so as to reach him by the same date. The statement in the prescribed proforma shall be prepared by the Accounts Directorate of the Railway Board and supplied to the Directorate of Statistics & Economics by 10th September.

2. The statement in the prescribed proforma shall be consolidated by the Accounts Directorate from the returns received from the Units and Accounts Current for March and supplied to the Directorate of Statistics and Economics by 10th September of the following financial year.

3. The figures relating to Commercial and Strategic lines shall be shown separately.

4. Gross traffic earnings (Col.2) shall include passenger, other coaching, goods and sundry earnings as booked under Abstracts 'X', 'Y' and 'Z', whether actually realised or not.

5. Suspense (Col. 3) shall be the difference between true earnings, whether or not actually realised and earnings actually realised during an accounting period. The break-up of credit/debit balance and net under (i) Traffic Accounts (ii) Foreign Railways and (iii) Demands Recoverable shall be given as a foot-note.

6. Gross traffic receipts (Col. 4) shall be the earnings actually realised during an accounting period and will be equal to Col. 2+ Col. 3.

7. Total ordinary working expenses (Col. 5) include revenue expenditure incurred on General Administration, Operation, Repairs and Maintenance and other miscellaneous expenses by the Zonal Railway Administrations under Demand Nos. 3 to 13 (Abstracts A to L), whether actually disbursed or not.

8. Appropriation to Depreciation Reserve Fund (Col. 6) shall include Appropriation to D.R.F. as per Demand No. 14 under Abstract M (M-100).

9. Appropriation to Pension Fund (Col. 7) will include Appropriation to the Pension Fund as per Demand No. 14 under Abstract M (M-200) .

10. Total working expenses excluding suspense (Col.8) shall be equal to (Col. 5 + Col. 6 + Col. 7).

11. उचंत (कालम 9), वास्तविक संचालन व्यय, चाहे वह वास्तव में वितरित किए गए हो या नहीं और वास्तव में वितरित किए गए संचालन व्यय का अन्तर होगा.

12. कुल सकल व्यय (कालम 10) = कालम 8 + कालम 9

13. शुद्ध यातायात प्राप्तियां (कालम 11) = कालम 4 – कालम 10

14. साधारण संचालन व्यय और मु. आ. नि. एवं पेंशन निधि के विनियोग का सकल आय पर प्रतिशत (कालम 12) = $\frac{\text{कालम 8 X 100}}{\text{कालम 2}}$

15. शुद्ध विविध प्राप्तियों (कालम 13) में विविध प्राप्तियां और विविध व्यय के बीच का अंतर समाविष्ट होगा. विविध प्राप्तियों में आर्थिक सहायता प्राप्त कम्पनियां, यात्री भाड़े पर अधिप्रभार, लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता और अन्य विविध प्राप्तियां समाविष्ट होगी. विविध व्यय में रेलवे बोर्ड तथा उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों पर उपगत व्यय, पेंशन निधि का विनियोग और चालू लाइन निर्माण राजस्व समाविष्ट होगा. लेखा निदेशालय, विवरण के परिशिष्ट के रूप में लगाए जाने वाली पाद-टिप्पणी में संक्षिप्त स्थिति देगा.

16. शुद्ध राजस्व प्राप्तियां (कालम 14) = कालम 11 + कालम 13.

17. शुद्ध राजस्व प्राप्तियों का ब्याज-देय पूंजी से प्रतिशत

$$\text{कालम 15} = \frac{\text{कालम 14 X 100}}{\text{विवरण 2 (क) का कालम 13}}$$

18. सामान्य राजस्व को भुगतान (कालम 16) में केन्द्र सरकार को प्रदत्त लाभांश शामिल होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परिकलित किया जाएगा और सरकार द्वारा स्वीकृत और रेल अभिसमय समिति द्वारा समय समय पर संस्तुत निश्चित राहतों और रियायतों के अध्यधीन होगा तथा सामान्य राजस्व में अन्य भुगतानों में यात्री किराया शुल्क के बदले में भुगतान तथा रेल संरक्षा निधि में जमा किया गया अंशदान शामिल होगा. विविध इकाइयों की सूचना, लेखा निदेशालय द्वारा पाद-टिप्पणी में प्रस्तुत की जाएगी.

19. सरकार को हुए शुद्ध लाभ या हानि (कालम 17 एवं 18) = कालम 14 – कालम 16. यदि परिणाम जमा में है, तो इसे कालम 17 में दर्शाया जाएगा और यदि घटा में है, तो इसे कालम 18 में दर्शाया जाएगा.

20. ब्याज-देय पूंजी में लाभ / हानि का प्रतिशत

$$\text{कालम 19} = \frac{\text{कालम 17} \times 100}{\text{विवरण 2 (क) का कालम 13}}$$

$$\text{कालम 20} = \frac{\text{कालम 18} \times 100}{\text{विवरण 2 (क) का कालम 13}}$$

11. Suspense (Col. 9) shall be the difference between true working expenses, whether or not actually disbursed and working expenses actually disbursed.

12. Total gross expenditure (Col.10) = Col. 8 + Col 9

13. Net traffic receipts (Col. 11) = Col.4 - Col. 10

14. Percentage of ordinary working expenses and Appropriation to D.R.F. and P.F. to gross earnings (Col. 12) = $\frac{\text{Col. 8 X 100}}{\text{Col. 2}}$

15. Net miscellaneous receipts (Col. 13) shall comprise the difference between Miscellaneous receipts and Miscellaneous expenditure. Miscellaneous receipts shall comprise receipts from subsidized companies, safety surcharge on passenger fares, subsidy from Central Government for dividend reliefs and other concessions and other miscellaneous receipts. Miscellaneous expenditure shall comprise expenditure incurred on the Railway Board and its attached and subordinate offices, Appropriation to Pension Fund and Open Line Works Revenue. Accounts Directorate shall give the summarised position in a foot-note to be appended to the statement.

16. Net revenue receipts (Col. 14) = Col. 11 + Col. 13

17. Percentage of net revenue receipts to capital-at-charge:

$$\text{Col. 15} = \frac{\text{Col. 14 X 100}}{\text{Col. 13 of St. 2(a)}}$$

18. Payment to general revenues (Col.16) shall include dividend paid to the Central Government calculated at the rates prescribed by the Government and subject to certain reliefs and concessions as recommended by the Railway Convention Committee from time to time and accepted by the Government and other payments to general revenues, viz. payment in lieu of Passenger Fare Tax and contribution to Railway Safety Fund. For miscellaneous units, the information shall be furnished in a foot-note by the Accounts Directorate.

19. Net gain or loss to the Government (Cols.17 & 18) = Col. 14 - Col. 16. If the result is plus, it shall be shown in Col. 17, and if it is minus, it shall be shown in Col. 18.

20. Percentage of gain/loss to capital-at-charge:

$$\text{Col. 19} = \frac{\text{Col. 17} \times 100}{\text{Col. 13 of St. 2(a)}}$$

$$\text{Col. 20} = \frac{\text{Col. 18} \times 100}{\text{Col. 13 of St. 2(a)}}$$

.....रेलवे/उत्पादन इकाई/स्वतंत्र परियोजना
.....Railway/Production Unit/Independent Project

विवरण-2(क)
Statement-2(a)

31 मार्च को सरकारी रेलों की ब्याज-देय पूंजी
Capital-at-Charge of Government Railways as on 31st March....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

रेलवे/इकाई/ परियोजना Railway/ Unit/ Project	वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा दी गई निधि से पूंजी परिव्यय Capital Outlay during the financial year from funds provided by the Government						वित्तीय वर्ष के अंत तक पूंजी परिव्यय Capital Outlay to end of the financial year					
	प्रारंभिक व्यय, भूमि आदि सहित निर्माण कार्य Works including preliminary expenditure, land etc.	चल स्टाक Rolling Stock	सामान्य विविध प्रभार General Misc. Charges	चल परिसंपत्तियां Floating Assets	अन्य परिसंपत्तियां आदि Other Assets etc.	जोड़ Total	प्रारंभिक व्यय, भूमि आदि सहित निर्माण कार्य Works including preliminary expenditure, land etc.	चल स्टाक Rolling Stock	सामान्य विविध प्रभार General Misc. Charges	चल परिसंपत्तियां Floating Assets	अन्य परि- संपत्तियां आदि Other Assets etc.	कुल ब्याजदेय पूंजी Total Capital-at-Charge
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I संचालित लाइनों तथा खरीदी गई रेलों को छोड़कर सरकारी रेलें – Govt. Railways excluding worked lines and purchased Railways –												
जोड़ - I Total-I												
II उत्पादन इकाइयां तथा स्वतंत्र परियोजनाएं Production Units and Independent Projects												
जोड़ - II Total-II												
III महानगर परिवहन परियोजनाएं (रेलें) - Metropolitan Transport Projects (Railways) –												
जोड़ - III Total - III												
कुल जोड़ - (I+II+III) Grand Total (I+II+III)												

.....रेलवे/उत्पादन इकाई/स्वतंत्र परियोजना
.....Railway/Production Unit/Independent Project

विवरण 2 (क) का अनुबंध/Annexure to Statement 2(a)
(अनुदेशों के पैरा 11 के अनुसार)/(Vide para 11 of the instructions)

..... तक खर्च की गई ब्याज-देय पूंजी का ब्यौरा
Break-up of Capital-at-Charge expended to the end of

ब्यौरा Description	आवासीय भवनों पर On residential buildings	वित्तीय प्रतिफल के आधार पर 31-3-1955 के बाद निर्माण के लिए शुरू की गई नई लाइनों पर (वर्ष..... के लिए वित्तीय परिणामों की समीक्षा के आधार पर) On new lines taken up for construction after 31-3-1955 on financial considerations (Based on review of financial results for the year.....)	अन्य परिसंपत्तियों पर On other assets	जोड़ Total
1. 31-3-80 तक ब्याज-देय पूंजी Capital-at-Charge upto 31-3-1980				
2. 1-4-1980 से 31-3- तक ब्याज-देय पूंजी Capital-at-Charge from 1-4-1980 to 31-3-				
3. जोड़ Total				

विवरण 2(क)- सरकारी रेलों की ब्याज-देय पूंजी

अनुदेश

1. यह विवरण क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, महानगर परिवहन परियोजनाओं (रेलों) और स्वतंत्र परियोजनाओं द्वारा इस तरह से तैयार किया जाए ताकि यह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (लेखा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास पहुँच जाए. इसकी एक प्रतिलिपि सचिव (सांख्यिकी), रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाए जो उसी तारीख तक पहुंच जाए. यह विवरण रेलवे बोर्ड के लेखा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया जाएगा और सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को 10 सितम्बर तक उपलब्ध करवाया जाएगा.
2. वाणिज्यिक तथा सामरिक लाइनों से संबंधित आंकड़े अलग से दर्शाए जाएं.
3. रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा. विवरण में जिन लेखा शीर्षों का प्रावधान नहीं है, उन्हें सचिव (लेखा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आदेशार्थ भेज दिया जाए.
4. भूमि आदि, निर्माण कार्यों सहित प्रारंभिक व्यय (कालम 2 तथा 8) में प्रारंभिक खर्च, भूमि के अधिग्रहण की लागत, इंजीनियरिंग कार्य की संरचना, उपस्कर तथा अन्य सभी मदें शामिल होंगी जो इन शीर्षों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं-चल-स्टाक, सामान्य प्रभार, चल संपत्ति तथा अन्य संपत्ति इत्यादि जिनके निरन्तरण का प्रावधान है.
5. चल स्टाक (कालम 3 और 9)-इसमें उप-शीर्ष 2180 तथा 2190 (सामान्य प्रभार-स्थापना तथा स्थापना के अलावा अन्य सामान्य प्रभार) को छोड़कर लेखा के पूंजी शीर्ष 2100 के अंतर्गत बुक किया गया खर्च शामिल है.
6. सामान्य विविध प्रभार (कालम 4 और 10)-इसमें 'पूंजी' व्यय तथा 'अन्य निर्माण कार्य' व्यय के विविध मुख्य शीर्ष के विभिन्न वर्गीकरण के उप-शीर्ष 80 तथा 90 के अंतर्गत बुक किया गया खर्च शामिल होगा.
7. चल संपत्ति (कालम 5 और 11) - इसमें लेखा के पूंजी शीर्ष 7100 (भंडार उचंत), 7200 (निर्माण उचंत) तथा 7300 (विविध अग्रिम) के अंतर्गत बुक किया गया खर्च शामिल होगा.
8. कालम 6 और 12 में उस राशि से अधिक पूंजी खर्च दिखाया जाएगा जो वास्तविक परिसंपत्ति के खर्च का द्योतक है जैसे खरीद पर भुगतान किया गया प्रीमियम, ब्याज और निर्माण के दौरान काम में हानि, विनिमय में घाटा/लाभ आदि.
9. कालम 7 के आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च के लेखों के अनुरूप होने चाहिए.
10. कालम 13 के अन्तर्गत आंकड़े, पिछले वर्ष के विवरण के कालम 13 के तदनुरूपी आंकड़ों जमा वित्तीय समायोजन किए बिना अंतरित राशि जमा रिपोर्टाधीन वर्ष के विवरण के कालम 7 के अन्तर्गत आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए. पाद-टिप्पणी के रूप में विवरण के नीचे वित्तीय समायोजन किए बिना हस्तांतरित की गई राशि का पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए.
11. कालम 13 में दिए गए अनुसार ब्याज-देय पूंजी का ब्यौरा इस विवरण के अनुबंध में दिया जाना चाहिए.

Statement 2(a)-Capital-at-Charge of Government Railways

Instructions

1. This statement shall be prepared by the Zonal Railways, Production Units, Metropolitan Transport Projects (Railways) and Independent Projects and sent so as to reach the Secretary (Accounts), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. A copy thereof may also be endorsed to the Secretary (Statistics), Railway Board so as to reach him by the same date. The statement in the prescribed proforma shall be prepared by the Accounts Directorate of the Railway Board and supplied to the Directorate of Statistics & Economics by 10th September.
2. The figures relating to commercial and strategic lines shall be shown separately.
3. No change shall be made in the statement without the prior sanction of the Railway Board. Heads of Accounts not provided for in the statement shall be referred to the Secretary (Accounts), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, for orders.
4. Works including preliminary expenses, land etc. (Cols 2 and 8) shall include preliminary expenses, cost of acquisition of land, structural engineering works, equipment and all other items which are not included under the heads: Rolling Stock, General Charges, Floating Assets and other Assets which have been separately provided for.
5. Rolling Stock (Cols. 3 and 9) shall include expenditure booked under Capital Head of Accounts 2100 except Sub-heads 2180 and 2190 (General Charges-Establishment and General Charges other than Establishment).
6. General Miscellaneous Charges (Cols. 4 and 10) shall include expenditure booked under Sub-heads 80 and 90 of various Main-Heads classification of 'Capital' and 'Other Works' expenditure.
7. Floating Assets (Cols. 5 and 11) shall include expenditure booked under Capital Head of Accounts-7100 (Stores Suspense), 7200 (Manufacturing Suspense) and 7300 (Miscellaneous Advances).
8. Columns 6 and 12 shall show the Capital expenditure in excess of the amount representing tangible assets, for instance, premium paid on purchase, interest and loss in working during construction, loss/gain in exchange etc.
9. The figures in column 7 shall agree with those exhibited in the Accounts for March of the year concerned.
10. The figures under column 13 shall agree with the corresponding figures under column 13 of the previous year's statement plus the amount on account of transfer without financial adjustments plus the figures under column 7 of the statement for the year under report. Full particulars of transfer without financial adjustment shall also be given at the bottom of the statement in the form of foot-notes.
11. The break-up of Capital-at-Charge as given in Column 13 shall be given in the Annexure to this statement.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 2(ख)
Statement-2(b)

वर्ष..... के अंत में सरकारी रेलों द्वारा संचालित शाखा लाइनों के पूंजीगत परिव्यय
Capital Outlay of Branch Lines worked by Government Railways to the end of the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

शाखा लाइन कंपनी रेलवे Branch Line Company Railway	आमान Gauge	पिछले वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय Capital outlay to end of the previous year					वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय Capital outlay during the year					वर्ष के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय Total capital outlay to end of the year					टिप्पणी Remarks
		निर्माण कार्य Works	चल स्टॉक Rolling Stock	सामान्य प्रभार (नौका सेवाओं सहित) General charges (including ferries)	भण्डार इत्यादि जो लेखे में अंतिम रूप से नहीं डाले गये हैं Stores etc. not finally charged off in the Accounts	कुल Total	निर्माण कार्य Works	चल स्टाक Rolling Stock	सामान्य प्रभार (नौका सेवाओं सहित) General charges (including ferries)	भण्डार इत्यादि जो लेखे में अंतिम रूप से नहीं डाले गए हैं Stores etc. not finally charged off in the Accounts	कुल Total	निर्माण कार्य (कालम 3+8) Works (Cols. 3+8)	चल स्टाक (कालम 4+9) Rolling Stock (Cols. 4+9)	सामान्य प्रभार(नौका सेवाओं सहित) (कालम 5 +10) General charges (including ferries) (Cols. 5+10)	भंडार इत्यादि जो लेखे में अंतिम रूप से नहीं डाले गए है (कालम 6+11) Stores etc. not finally charged off in the Accounts (Cols. 6+11)	कुल (कालम 7+12) Total (Cols. 7+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

विवरण 2 (ख) - सरकारी रेलों द्वारा संचालित शाखा लाइनों के पूंजीगत परिव्यय

अनुदेश

1. इस विवरण में अंतिम आंकड़े दिखाए जाएंगे तथा यह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को पहुँच जाए.

2. मुख्य लाइन द्वारा संचालित प्रणाली के अंतर्गत कंपनी रेलवे की प्रत्येक शाखा लाइन के लिए आंकड़े अलग-अलग दिखाए जाएंगे जो गांरटी शर्तों तथा छूट शर्तों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे. इसमें सरकार के स्वामित्वाधीन रेलों के ब्यौरों को नहीं रखा जाएगा.

3. चालू लाइनों तथा निर्माणाधीन लाइनों को अलग-अलग दिखाया जाएगा.

4. यदि आंशिक रूप से चालू लाइन के चालू न किए गए खण्ड के लिए अलग प्राकलन तैयार नहीं किए गए हैं तो सर्वोत्तम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुल परिव्यय को चालू तथा चालू न किए गए खंडों में विभाजित किया जाएगा.

5. उप-शीर्ष 'निर्माण' में वे सभी प्रारंभिक खर्चे, भूमि अधिग्रहण की लागत, संरचनात्मक इंजीनियरी कार्य, उपस्कर तथा अन्य सभी मदें शामिल होंगी, जिन्हें 'चल स्टॉक', 'सामान्य प्रभार' तथा 'भंडार' इत्यादि शीर्षकों में शामिल नहीं किया गया है और जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और अंतिम रूप से लेखे (अर्थात उचंत) में नहीं डाला गया है. पूंजीगत लेखों में प्राप्तियों की कटौती की जाएगी.

6. आंकड़ों का उस वर्ष के पूंजीगत लेखे से मिलान किया जाएगा और यदि कोई अन्तर हुआ तो उसका कारण स्पष्ट किया जाएगा.

7. कॉलम 17 में दिए गए आंकड़े ब्याज-देय पूंजी, राजस्व आय इत्यादि के विवरण 5 के कॉलम 4 में दर्शाए गए 'अन्य रेलों' के पूंजीगत परिव्यय के अनुरूप होंगे.

8. कॉलम 3 से 7 के आंकड़ों तथा पिछले वर्ष के विवरण के कॉलम 13 से 17 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों में कोई अन्तर होने पर उसे उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाए.

Statement 2(b) - Capital outlay of Branch Lines worked by Govt. Railways

Instructions

1. This statement shall show final figures and is to be sant so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. The figures shall be furnished separately for each individual Branch Line Company Railway in the system worked by the Main Line, grouped under guarantee terms and rebate terms. Particulars for Government-owned Railways shall be excluded.

3. Open lines and lines under construction shall be shown separately.

4. If separate estimates have not been framed for the unopened section of a partly open line, the total outlay shall be apportioned between the open and unopened sections on the basis of the best data available.

5. The sub-head 'works' shall include preliminary expenses, cost of acquisition of land, structural engineering works, equipment and all other items which are not included under the heads 'Rolling Stock', 'General charges' and 'Stores' etc. not finally charged off to the Accounts (i.e. Suspense), which have been separately provided for. Receipts on Capital Accounts shall be deducted.

6. The figures shall be reconciled with the Capital Accounts for the year and the differences, if any, explained.

7. The figures in column 17 shall agree with the capital outlay of 'Other Railways' shown in column 4 of the Statement of Capital-at-Charge, Revenue Earnings etc. furnished for the purpose of Statement 5.

8. Any difference between the figures of columns 3 to 7 and the corresponding figures shown in columns 13 to 17 of the statement for the previous year, shall be suitably explained.

.....रेलवे/Railway

विवरण-3
Statement-3

31 मार्च को विभिन्न स्त्रोतों से सरकारी रेलों (संचालित लाइनों को छोड़कर) पर कुल निवेश
Total Investment on Government Railways (excluding worked lines) from different sources as on 31st March.....

रेलवे Railway	वर्ष के दौरान निम्नलिखित निधियों से वित्तपोषित व्यय Expenditure financed during the year from								
	पूंजी (ऋण लेखा) Capital (loan account)	मूल्यह्रास आरक्षित निधि (प्रस्थापित परिसंपत्तियों में सुधार करने पर) Depreciation Reserve Fund (on improvement of assets replaced)	विकास निधि Development Fund	पूंजी निधि Capital Fund	रेलवे संरक्षा निधि Railway Safety Fund	विशेष रेलवे संरक्षा निधि Special Railway Safety Fund	राजस्व Revenue	विविध Miscellaneous	जोड़ (कॉलम 2 से 9) Total (Columns 2 to 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i) सरकारी रेलें (संचालित लाइनों को छोड़कर) Government Railways (excluding worked lines)									
जोड़/Total (i)									
(ii) उत्पादन इकाइयां तथा स्वतंत्र परियोजनाएं Production Units and Independent Projects.									
जोड़/Total (ii)									
(iii) विविध मदें Miscellaneous Items									
जोड़/Total (iii)									
(iv) कुल जोड़/Grand Total(i)+(ii)+(iii)									

31 मार्च को विभिन्न स्त्रोतों से सरकारी रेलों (संचालित लाइनों को छोड़कर) पर कुल निवेश
Total Investment on Government Railways (excluding worked lines) from different sources as on 31st March.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

निम्नलिखित निधियों से वर्ष के अंत तक वित्तपोषित व्यय Expenditure financed to end of the year from																	
पूंजी (ऋण लेखा) Capital (loan account)		मूल्यह्रास आरक्षित निधि (प्रस्थापित परिसंपत्तियों में सुधार होने पर) Depreciation Reserve Fund (on improvement of assets replaced)		विकास निधि Development Fund		पूंजी निधि Capital Fund		रेलवे संरक्षा निधि Railway Safety Fund		विशेष रेलवे संरक्षा निधि Special Railway Safety Fund		राजस्व Revenue		विविध Miscellaneous		जोड़ Total	
पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

विवरण 3 -विभिन्न स्त्रोतों से सरकारी रेलों (संचालित लाइनों को छोड़कर) पर कुल निवेश

अनुदेश

1. यह विवरण आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (लेखा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास पहुँच जाना चाहिए. इसकी एक प्रतिलिपि सचिव (सांख्यिकी), रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाए जो उसी तारीख तक पहुंच जाए. यह विवरण रेलवे बोर्ड के लेखा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया जाएगा और सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को 10 सितम्बर तक उपलब्ध करवाया जाएगा.

2. निम्नलिखित के संबंध में निवेश के आंकड़े दिए जाएंगे:-

 (i) चालू लाइनों को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की वाणिज्यिक तथा सामरिक लाइनों के लिए अलग-अलग.

 (ii) उत्पादन इकाइयों तथा स्वतंत्र परियोजनाओं के लिए जैसे कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना, सवारी डिब्बा कारखाना, रेल सवारी डिब्बा कारखाना, रेल विद्युतीकरण तथा रेल पहिया कारखाना और

 (iii) ऐसी विविध मदें जो उपर्युक्त मद(i) तथा (ii) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा मद 3 से बाहर है.

3. महानगर परिवहन परियोजना (रेलें), कोलकाता/मुंबई/चेन्नई/दिल्ली से संबंधित आंकड़े छोड़ दिए जाएंगे और एक पाद टिप्पणी के रूप में दर्शाए जाएंगे.

4. इस विवरण में दर्शाई गई राशि रेलवे उपक्रम की सभी भौतिक परिसंपत्तियों को दर्शाती है, चाहे उनके लिए वित्त की व्यवस्था ऋण पूंजी से की गई हो अथवा रेल के आंतरिक स्त्रोतों से. ये विवरण में विनिर्दिष्ट कालमों में अलग-अलग दर्शाई जाएगी. विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्शाई गई राशि नई परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित होगी अथवा बदली गई परिसंपत्तियों में सुधार से संबंधित होगी.

 पिछले तथा चालू वर्ष के आंकडे यथाविनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट किए जाएंगे.

5. **ब्याज-देय पूंजी (ऋण खाता)** (कालम 2 तथा 12)

 इसमें भूमि की लागत, सामरिक लाइनों सहित नई लाइनों के निर्माण और उपस्कर की लागत, भले ही लाभप्रद हो अथवा नहीं, आवासीय क्वार्टर, नई उत्पादन इकाइयां और अन्य लाभप्रद निर्माण कार्य आदि की व्यवस्था करने के लिए रेलवे उपक्रम में लगाई गई पूंजी शामिल है. (संदर्भ पैरा 703 - भारतीय रेल वित्त संहिता, वाल्यूम-I, 1982 संस्करण) कालम 12 = कालम 2 + कालम 11

Statement 3 - Total Investment on Government Railways (excluding worked lines) from different sources

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Accounts), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. A copy thereof may also be endorsed to the Secretary (Statistics), Railway Board so as to reach him by the same date. The statement in the prescribed proforma shall be prepared by the Accounts Directorate of the Railway Board and supplied to the Directorate of Statistics & Economics by 10th September.

2. The data on investments made shall be given in respect of:-

 (i) Each Zonal Railway excluding worked lines, separately for commercial and strategic lines.

 (ii) Production Units and independent projects such as Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Loco Modernisation Works, Diesel Locomotive Works, Integral Coach Factory, Rail Coach Factory, Railway Electrification, Rail Wheel Factory, and

 (iii) Other miscellaneous items, not included under (i) and (ii) above and excluded under item 3.

3. The figures pertaining to the Metropolitan Transport Projects (Railways), Kolkata/Mumbai/Chennai/Delhi shall be excluded and indicated as a foot-note.

4. The amount shown in this statement represents all the physical assets of the Railway undertaking whether financed from loan capital or Railway's internal resources, separately in the columns specified in the statement. The amount shown under various heads shall relate to creation of new assets or improvements in the assets replaced.

 The figures for previous and current years shall be incorporated as indicated.

5. **Capital-at-Charge (Loan account)** (Cols. 2 & 12).

 It shall include capital invested in the Railway undertaking to provide for cost of land, the cost of construction and equipment of new lines including strategic lines, whether remunerative or not, residential quarters, new production units and other remunerative works, etc. (Ref. Para 703 - Indian Railway Financial Code, Vol-I, 1982 Edition) Col. 12 = Col. 2 + Col. 11

6. **मूल्यह्रास आरक्षित निधि** (कालम 3 तथा 14)

इसमें बदली गई परिसंपत्तियों के सुधार पर मूल्यह्रास आरक्षित निधि से किया गया व्यय शामिल है. कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं–

(i) 72 यू. टी. एस. पटरियों के स्थान पर 90 यू.टी.एस. पटरियाँ.

(ii) लोअर क्वाड्रेंट सिगनल व्यवस्था के स्थान पर बहु संकेती अपर क्वाड्रेंट सिगनल व्यवस्था.

(iii) प्रथम श्रेणी सवारी डिब्बा के बदले वातानुकूलित स्लीपर सवारी डिब्बा.

(iv) परम्परागत (खुले तथा छतदार) स्टाक के बदले बेहतर दत्त भार–घड़ा भार अनुपात वाले बाक्स ''एन'' तथा बीसीएन मालडिब्बे.

(v) हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज के बदले स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज (संदर्भ पैरा 430–भारतीय रेल वित्त संहिता, वाल्यूम-I, 1982 संस्करण).

कालम 14 = कालम 3 + कालम 13

6. **Depreciation Reserve Fund** (Cols. 3 & 14)

It shall include the expenditure met from the Depreciation Reserve Fund on the improvement of assets replaced. Some examples are given below :-

(i) 90 U.T.S. rails for 72 U.T.S rails.

(ii) Multi Aspect Upper Quadrant Signalling (MAUQ) for lower quadrant signalling.

(iii) A.C. Sleeper Coach for First Class Coach.

(iv) Box 'N' and BCN wagons with a better pay load-tare ratio for conventional stock (open and covered).

(v) Automatic telephone exchange for manual telephone exchange (Refer Para 430-Indian Railway Financial Code, Vol-I, 1982 Edition)

Col 14 = Col. 3 + Col. 13.

7. **विकास निधि** (कालम 4 तथा 16)

इसमें (i) आर्थिक सीमा का ध्यान रखे बिना यात्रियों तथा अन्य रेल उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधाओं से संबंधित नए निर्माण कार्यों की लागत, (ii) अलग–अलग नए छोटे निर्माण कार्यों की सीमा से अधिक अनुमानित लागत के श्रमिक कल्याण के सभी नए निर्माण कार्यों की लागत, तथा (iii) निर्धारित सीमा से अधिक लागत के अलाभदायक परिचालन व्यय शामिल होंगे. (संदर्भ पैरा 711–भारतीय रेल वित्त संहिता, वाल्यूम-I, 1982 संस्करण).

कालम 16 = कालम 4 + कालम 15

7. **Development Fund** (Cols. 4 & 16)

It shall include (i) the cost of new works relating to amenities for passengers and other railway users irrespective of monetary limit, (ii) the cost of all new labour welfare works estimated to cost individually above new minor works limit, and (iii) unremunerative operating expenses costing above specified limits (Refer Para 711-Indian Railway Financial Code, Vol-I, 1982 Edition)

Col. 16 = Col. 4 + Col. 15.

8. **पूंजी निधि** (कालम 5 तथा 18)

इसमें नई लाइनों, रेलवे विद्युतीकरण, कर्मचारी क्वार्टरों, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर व्यय, अन्य योजना शीर्षों के तहत बाहरी सहायता द्वारा कवर की गई सभी विनिर्दिष्ट परियोजनाओं, ऋण पूँजी से वित्तीय पोषित अन्य कोई परियोजनाओं या अन्य योजना शीर्षों के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा पहचान की गई अन्य कोई मदों आदि पर व्यय के अतिरिक्त, अन्यथा पूँजी को प्रभार्य सभी व्यय शामिल किए जाएँगे.

कालम 18 = कालम 5 + कालम 17

8. **Capital Fund** (Cols. 5 & 18)

It shall include all expenditure, other than on new lines, railway electrification, staff quarters, expenditure on Northeast Frontier Railway, all specified projects under other plan-heads covered by external aid, any other project financed from loan capital or any other items identified by Planning Commission under other plan-heads etc. otherwise chargeable to Capital.

Col. 18 = Col. 5 + Col. 17

9. **रेल संरक्षा निधि** (कालम 6 और 20)

इसमें वे सभी खर्च शामिल होंगे जिन्हें सड़क संरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों– बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलना तथा समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुलों में बदलना – पर होने वाले खर्च को रेल संरक्षा निधि से पूरा किया जाना है.

कालम 20 = कालम 6 + कालम 19

9. **Railway Safety Fund** (Cols. 6 & 20)

It shall include all expenditure met from Railway Safety Fund incurred on road safety works – conversion of unmanned level crossings into manned level crossings and conversion of level crossings into road over/under bridges.

Col. 20 = Col. 6 + Col. 19

10. **विशेष रेल संरक्षा निधि** (कालम 7 और 22)

इसमें पुन:स्थापन तथा नवीकरण संबंधी निर्माण कार्यों पर होने वाले सभी खर्च शामिल होंगे जिनके लिए वित्त की व्यवस्था विशेष रेल संरक्षा निधि से की जानी है.

कालम 22 = कालम 7 + कालम 21

11. **राजस्व** (कालम 8 तथा 24)

इसमें नए लघु निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित सीमा तक अनुमानित लागत वाले नए निर्माण कार्यों या विद्यमान निर्माण कार्यों में परिवर्धन की लागत (यात्रियों और अन्य रेल उपभोक्ताओं के लिए सुविधा संबंधी निर्माण कार्यों और दुर्घटना क्षतिपूर्ति निधि को प्रभार्य निर्माण कार्यों से संबंधित नहीं) और समय-समय पर यथानिर्धारित सीमा तक की लागत वाले चालू लाइन निर्माण -राजस्व को प्रभार्य परिचालन कुशलता में सुधार लाने के लिए अलाभप्रद निर्माण कार्य की लागत शामिल होगी. (संदर्भ पैरा 707- भारतीय रेल वित्त संहिता, वाल्यूम-I, 1982 संस्करण).

कालम 24 = कालम 8 + कालम 23

12. **विविध निर्माण कार्य** (कालम 9 तथा 26)

इसमें उन परिसंपत्तियों की कीमत शामिल होगी जो बिना वित्तीय समायोजन अथवा कालम 2 से 9 में जो शामिल नहीं हैं, उन स्त्रोतों से रेलों को प्राप्त हुई हैं.

कालम 26 = कालम 9 + कालम 25

13. **जोड़** (कालम 10 तथा 28)

कालम 2 से 9 का जोड़ कालम 10 है, कालम 12+14+16+18+20+22+24+26 अथवा कालम 10+ कालम 27 का जोड़ कालम 28 है.

10. **Special Railway Safety Fund** (Cols. 7 & 22)

It shall include all expenditure on works of replacement and renewals to be funded from Special Railway Safety Fund.

Col. 22 = Col. 7 + Col. 21

11. **Revenue** (Cols. 8 & 24)

It shall include the cost of new works or additions to existing works (not relating to amenity works for passenger and other railway users and works chargeable to Accident Compensation Fund), estimated to cost upto the limits specified for new minor works and the cost of unremunerative works for improvement of operation efficiency chargeable to Open Line Works Revenue, costing upto the limits as specified from time to time (Refer para 707- Indian Railway Financial Code, Vol-I, 1982 Edition)

Col. 24 = Col. 8 + Col. 23

12. **Miscellaneous Works** (Cols. 9 & 26)

It shall include the the value of assets which have come to the Railways without financial adjustments or from sources not covered under Cols. 2 to 9.

Col. 26 = Col. 9 + Col. 25

13. **Total** (Cols. 10 & 28)

Col. 10 is the total of Cols. 2 to 9, Col. 28 is the total of Cols. 12+14+16+18+20+22+24+26 or Cols. 10 + 27.

.....रेलवे/Railway

विवरण-4
Statement-4

वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों के शीर्षों के अंतर्गत सरकारी रेलों के संचालन व्यय
Working Expenses of Government Railways by the Heads of Demands for Grants for the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

रेलवे Railway	वर्ष Year	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance				परिचालन व्यय Operating Expenses								कुल संचालन व्यय (उचंत को छोड़कर लेकिन मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि, में विनियोग सहित) Total Working Expenses (excluding suspense but including appropriation to D.R.F. and P.F.)	
		अनुदान सं. 3 सामान्य अधीक्षण तथा सेवाएं Grant No. 3 General Superintendence and Services	अनुदान सं. 4 रेलपथ और निर्माण कार्य Grant No. 4 Permanent Way and Works	अनुदान सं. 5 मोटिव पावर Grant No. 5 Motive Power	अनुदान सं. 6 सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे Grant No. 6 Carriage & Wagons	अनुदान सं. 7 संयंत्र तथा उपस्कर Grant No. 7 Plant and Equipment	अनुदान सं. 8 चल स्टाक तथा उपस्कर Grant No.8 Rolling Stock and Equipment	अनुदान सं. 9 यातायात Grant No.9 Traffic	अनुदान सं. 10 ईंधन Grant No.10 Fuel	अनुदान सं. 11 कर्मचारी कल्याण तथा सुविधाएं Grant No.11 Staff Welfare & Amenities	अनुदान सं. 12 विविध संचालन व्यय (उचंत को छोड़कर) Grant No.12 Misc. Working Expenses (excluding suspense)	अनुदान सं. 13 भविष्य निधि, पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ Grant No.13 Provident Fund, Pension & other retirement benefits	अनुदान सं. 14 Grant No. 14		
													मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Pension Fund	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. सरकारी रेलें Government Railways															
2. मैट्रो रेलवे, कोलकाता Metro Railway, Kolkata															
जोड़ /Total															

इस विवरण में पिछले और चालू वर्ष के आंकडे दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 4-अनुदानों की मांगों के शीर्षों के अंतर्गत सरकारी रेलों का संचालन व्यय

अनुदेश

1. यह विवरण क्षेत्रीय रेलों, मेट्रो रेल, कोलकाता द्वारा इस तरह से तैयार किया जाए ताकि यह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (लेखा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास पहुँच जाए. इसकी एक प्रतिलिपि सचिव (सांख्यिकी), रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाए जो उसी तारीख तक पहुंच जाए. यह विवरण रेलवे बोर्ड के लेखा निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया जाएगा और सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को 10 सितम्बर तक उपलब्ध करवाया जाएगा.
2. इस विवरण में, पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाने हैं.
3. विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्धारित व्यय में 'प्रस्तावित' एवं 'प्रभारित' राशि दोनों शामिल किये जायेंगे और यह जमा अथवा वसूलियों का शुद्ध होगा.
4. आंकड़ों को अगले निकटतम हजार रुपयों में पूर्णांकित किया जाये.

Statement 4 - Working Expenses of Government Railways by the Heads of Demands for Grants

Instructions

1. This statement shall be prepared by the Zonal Railways and Metro Railway, Kolkata and sent so as to reach the Secretary (Accounts), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. A copy thereof may also be endorsed to the Secretary (Statistics), Railway Board so as to reach him by the same date. The statement in the prescribed proforma shall be prepared by the Accounts Directorate of the Railway Board and supplied to the Directorate of Statistics & Economics by 10th September.
2. In this statement, the figures for previous and current years shall be given.
3. The expenditure booked under various Grants shall include both 'voted' and 'charged' amounts and shall be the net of credits or recoveries.
4. The figures shall be rounded off to the nearest thousand of rupees.

विवरण-5
Statement-5

वर्ष के लिए ब्याज-देय पूंजी, राजस्व आय तथा व्यय
Capital-at-Charge, Revenue Earnings and Expenses for the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

रेलवे Railway	आमान Gauge	वर्ष Year	कुल ब्याज-देय पूंजी Total Capital-at-Charge	सकल यातायात आय Gross Traffic Earnings	संचालन व्यय (उचंत तथा चालित लाइनों को किए गए भुगतान को छोड़ कर) Working Expenses (excluding Suspense and payments to Worked Lines)	शुद्ध आय (कॉलम 5-कॉलम 6) Net Earnings (Col. 5- Col.6)	सकल यातायात आय में संचालन व्यय का प्रतिशत कालम 6 x100 / कालम 5 Percentage of Working Expenses to Gross Traffic Earnings Col. 6x100 / Col. 5	कुल ब्याज-देय पूंजी में शुद्ध आय का प्रतिशत कालम 7x100 / कालम 4 Percentage of Net Earnings to total Capital-at-Charge Col. 7x100 / Col. 4	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वाणिज्यिक	बड़ी लाइन (1.676 मी)
Commercial	B.G. (1.676m)
सामरिक	मीटर लाइन (1.000 मी)
Strategic	M.G. (1.000 m)
जोड़	छोटी लाइन (0.762 मी, 0.610 मी)
Total	N.G. (0.762m, 0.610m)

इस विवरण में, पिछले तथा चालू वर्ष के आंकडे दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 5- ब्याज-देय पूंजी, राजस्व आय तथा व्यय

अनुदेश

1. यह विवरण सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास आगामी वित्त वर्ष में 31 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए.

2. कॉलम 1 में, वाणिज्यिक और सामरिक लाइनों के लिए अलग-अलग आंकड़े दिखाए जाएं.

3. कॉलम 2 में रेलों पर आमान का उल्लेख करते हुए चालू लाइनों सहित सभी आमानों के लिए सम्मिलित आंकड़े भेजे जाएं.

4. कॉलम 8 एवं 9 में प्रतिशतों को छोड़कर आंकड़े निकटतम हजार में पूर्णांकित किए जाएं. कॉलम 8 एवं 9 में प्रतिशत आंकड़े वास्तविकता के आधार पर तैयार किए जाएं जो दशमलव के दो स्थान तक सही हों.

5. कुल ब्याजदेय पूंजी विवरण 2(क) के कॉलम 13 तथा विवरण 2(ख) के कॉलम 17 के जोड़ से मेल खाए.

6. सकल यातायात प्राप्तियां (कॉलम 5), वास्तविक प्राप्तियां दर्शाए चाहे प्राप्तियां वास्तव में उगाही गयी है या नहीं. यह सभी सम्मिलित आमानों के लिए विवरण 6 के कॉलम 14 तथा विवरण 1 के कॉलम 2 से मेल खाए.

7. संचालन व्यय (कॉलम 6), वास्तविक खर्च दिखाए चाहे खर्चों की वास्तव में अदायगी की गयी है अथवा नहीं. सभी संयुक्त आमानों के लिए कॉलम 6, विवरण 7 के कॉलम 14 तथा विवरण 1 के कॉलम 8 से मेल खाने चाहिए. यह राशि प्राप्ति सार 'क' से 'ड' के तहत् बुक किए गए संचालन व्ययों का योग हो.

8. कॉलम 7 = कॉलम 5 - कॉलम 6

9. कॉलम 4, 5, 6 तथा 7 में दिखाए गए आंकड़े, वर्ष के पूंजी तथा प्राप्ति खातों में दिखाए गए आंकड़ों के अनुरूप हों.

10. सकल यातायात प्राप्तियों (कॉलम 8) पर संचालन व्ययों का प्रतिशत निम्नानुसार परिकलित किया जाए :-

$$\frac{\text{कॉलम 6} \times 100}{\text{कॉलम 5}}$$

यह विवरण 1 के कॉलम 12 से मेल खाए.

11. कुल ब्याजदेय पूंजी (कॉलम 9) पर शुद्ध प्राप्तियों का प्रतिशत निम्नानुसार परिकलित किया जाए :-

$$\frac{\text{कॉलम 7} \times 100}{\text{कॉलम 4}}$$

Statement 5 - Capital-at-Charge, Revenue Earnings and Expenses

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. Separate figures shall be shown for Commercial and Strategic lines in Column 1.

3. The figures shall be furnished for all gauges combined including worked lines, indicating the gauges on the Railway in Column 2.

4. The figures shall be rounded off to the nearest thousand except percentages in Columns 8 and 9, which shall be worked out on actuals and correct to two places of decimal.

5. Total Capital-at-Charge shall agree with the total of Column 13 of Statement 2(a) and Column 17 of Statement 2(b).

6. Gross Traffic Earnings (Column 5) shall represent the true earnings whether the earnings have been actually realised or not. It shall agree with Column 14 of Statement 6 for all the gauges combined and Column 2 of Statement 1.

7. Working Expenses (Column 6) shall represent the true expenses whether the expenses have been actually disbursed or not. Column 6 shall agree with Column 14 of Statement 7 for all the gauges combined and with Column 8 of Statement 1. This shall be the sum-total of working expenses booked under Revenue Abstracts A to M.

8. Column 7= Column 5 - Column 6.

9. The figures in Columns 4, 5, 6, and 7 shall agree with the corresponding figures shown in the Capital and Revenue Accounts of the year.

10. Percentage of working expenses to gross traffic earnings (Column 8) shall be worked out as under :-

$$\frac{\text{Column 6} \times 100}{\text{Column 5}}$$

It shall agree with Column 12 of Statement 1.

11. Percentage of net earnings to total Capital-at-Charge (Col.9) shall be worked out as under :-

$$\frac{\text{Column 7} \times 100}{\text{Column 4}}$$

.....रेलवे/Railway

विवरण-6
Statement-6

वर्ष के लिए सकल आय का ब्यौरा
Details of Gross Earnings for the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

रेलवे Railway	आमान Gauge	वर्ष Year	कोचिंग से आय Coaching earnings				माल से आय Goods earnings			विविध आय Miscellaneous earnings			कुल सकल आय (कॉलम 7+10+13)
			ढोए गए यात्रियों से आय Earnings from passengers carried	ढोए गए पार्सलों से आय Earnings from parcels carried	पार्सलों से आय को छोड़कर अन्य कोचिंग आय Other coaching earnings excluding parcel earnings	कुल कोचिंग आय Total coaching earnings	ढोए गए माल से आय Earnings from goods carried	अन्य माल आय Other goods earnings	माल से कुल आय Total goods earnings	खान-पान सेवाओं से आय Catering earnings	अन्य विविध आय Other misc. earnings	कुल विविध आय Total misc. earnings	Total gross earnings (Cols. 7+ 10+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्ष के आंकडे दिए जाएं.
In this statement, figures for previous and current years are to be given.

विवरण 6- सकल आय का ब्यौरा

अनुदेश

1. यह विवरण सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास आगामी वित्त वर्ष में 31 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए.

2. इस विवरण में आमानों के आंकड़े अलग-अलग भेजे जाएं. वाणिज्यिक और सामरिक लाइनों के लिए तथा उनके योग के लिए अलग-अलग आंकड़े दिखाए जाएं.

3. (i) कॉलम 7 के अंतर्गत कुल कोचिंग आय सार 'एक्स' के तहत बुक की गयी आय से मेल खाए.

 (ii) कॉलम 10 के अंतर्गत कुल माल आय सार 'वाई' के तहत बुक की गयी आय से मेल खाए.

 (iii) कॉलम 13 के अंतर्गत कुल विविध (नाना) आय, सार 'जेड' के तहत बुक की गयी आय से मेल खाए.

 (iv) कुल सकल आय (कॉलम 14), कॉलम 7+कॉलम 10+कॉलम 13 का जोड़ हों तथा विवरण 1 के कॉलम 2 के अंतर्गत दिखाए गए 'एक्स', 'वाई' और 'जेड़' सारों के तहत बुक की गयी सकल आय के योग से मेल खाए.

4. इस विवरण में दिखाए गए आंकड़ों का निम्नानुसार समाधान किया जाए तथा भिन्नताएं, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाए :

Statement 6 - Details of Gross Earnings

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. In this statement, figures shall be furnished separately by gauges. Separate figures shall also be shown for Commercial and Strategic lines and their total.

3. (i) Total Coaching Earnings under column 7 shall tally with earnings booked under Abstract X.

 (ii) Total Goods Earnings under column 10 shall tally with earnings booked under Abstract Y.

 (iii) Total Miscellaneous (Sundry) Earnings under column 13 shall tally with earnings booked under Abstract Z.

 (iv) Total Gross Earnings (Column 14), shall be the total of column 7+column 10+column 13 and would tally with the total of Gross Earnings booked under Abstracts X, Y and Z as shown under column 2 of Statement 1.

4. The figures in this statement shall be reconciled as follows and the differences, if any, explained:

विवरण सं. 6 के कालम Columns of Statement No. 6	वार्षिक विवरणों के तदनुरूपी मद Corresponding items of Annual Statements	टिप्पणी Remarks
कालम 4 Column 4	वार्षिक विवरण 12 की मद 12.07 Item 12.07 of Annual Statement 12	
कालम 5 Column 5	वार्षिक विवरण 12 की मद 12.10(i) Item 12.10(i) of Annual Statement 12	
कालम 6 Column 6	वार्षिक विवरण 12 की मद 12.10(ii) एवं (iii) Items 12.10(ii) & (iii) of Annual Statement 12	
कालम 8 Column 8	वार्षिक विवरण 13 के तदनुरूपी मद - अर्जन (ढोए गए माल से) के अंतर्गत दिखाए गए आंकड़े Corresponding figures shown under item - Earnings (from goods carried) appearing in Annual Statement 13	

विवरण-7
Statement-7

वर्ष के लिए संचालन व्यय
Working Expenses for the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

आमान तथा दूसरा ब्यौरा Gauge and other particulars	सामान्य अधीक्षण तथा सेवाएं General Superintendence and Services	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance				परिचालन व्यय Operating Expenses			कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं Staff Welfare and Amenities	विविध संचालन व्यय Misc. Working Expenses	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ Provident Fund, Pension & other retirement benefits	मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund & Pension Fund	कुल संचालन व्यय Total Working Expenses
		रेल पथ और निर्माण कार्य Permanent Way & Works	मोटिव पावर Motive Power	सवारी और माल डिब्बे Carriage & Wagons	संयंत्र और उपस्कर Plant and Equipment	चल स्टाक और उपस्कर Rolling Stock and Equipment	यातायात Traffic	ईंधन Fuel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. संचालन व्यय **Working Expenses**													
बड़ी लाइन (1.676मी.) Broad Gauge (1.676m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
मीटर लाइन (1.000मी.) Metre Gauge (1.000m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
छोटी लाइन (0.762मी.) Narrow Gauge (0.762m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
छोटी लाइन (0.610मी.) Narrow Gauge (0.610m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
रेलवे प्रणाली के लिए कुल Total for the system													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													

विवरण–7 *(जारी)*

Statement-7*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. सकल आय में संचालन व्यय का प्रतिशत **Percentage of Working Expenses to Gross Earnings**													
बड़ी लाइन (1.676मी.) Broad Gauge (1.676m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
मीटर लाइन (1.000मी.) Metre Gauge (1.000m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
छोटी लाइन (0.762मी.) Narrow Gauge (0.762m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
छोटी लाइन (0.610मी.) Narrow Gauge (0.610m)													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													
रेलवे प्रणाली के लिए कुल Total for the system													
वाणिज्यिक/Commercial													
सामरिक/Strategic													
जोड़/Total													

टिप्पणी 1. इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.

Note In this statement, figures for previous and current years are to be given.

2. इस विवरण में अन्य कालमों के अनुसार 'पेंशन निधि से प्राप्त राशि' का ब्यौरा यहां प्रस्तुत करें.

Details of "Amount met from Pension Fund" as for other columns of the statement shall be furnished here.

विवरण 7- संचालन व्यय

अनुदेश

1. यह विवरण सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली, को आगामी वित्त वर्ष की 30 सितम्बर तक पहुँच जाना चाहिए.

2. इस विवरण में आंकडे आमान-वार अलग-अलग दिए जाएंगे. वाणिज्यिक तथा सामरिक लाइनों के लिए भी आंकड़े अलग-अलग दिखाएं जाएं तथा उनके जोड़, वर्ष के वार्षिक विवरण 30 तथा पूंजी और राजस्व लेखों में दिए गए प्रत्येक सार के उन्हीं आंकडों से मेल खाने चाहिए.

3. प्रतिशतों को छोड़कर आंकड़ों को हजार रु. की निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा. प्रतिशत वाले आंकड़े वास्तविक रूप से (इकाई में) तथा दशमलव के दो अंकों तक शुद्ध रूप से तैयार किये जाएंगे.

4. कॉलम 13 में दिए गए आंकडों में क्रमश: सार ड 100 तथा ड 200 के अधीन बुक किए गए मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि में विनियोग को भी शामिल किया जाएगा.

5. कॉलम 14 में दिए गए आंकड़े वार्षिक विवरण 30 की सारणी 'क' से 'ड' तक के तदनुरूपी आंकड़ों तथा वार्षिक विवरण 5 के कॉलम 6 (संचालन व्यय) में रेलवे प्रणाली के लिए समग्र रूप से प्रस्तुत उन्हीं आंकड़ों से भी मेल खाते हों.

6. सकल आय में संचालन व्यय का प्रतिशत निकालते समय वार्षिक विवरण 6 (कालम 14) में प्रस्तुत सकल आय को ध्यान में रखा जाएगा.

Statement 7 - Working Expenses

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th September of the following financial year.

2. In this statement, the figures shall be furnished separately by gauges. Separate figures shall also be shown for Commercial & Strategic lines and their totals shall agree with similar figures for each Abstract as given in Annual Statement 30 and in Capital and Revenue Accounts of the year.

3. The figures shall be rounded off to the nearest thousand except percentages which shall be worked out on actuals (in units) and correct to two places of decimal.

4. The figures in column 13 shall include the Appropriation to Depreciation Reserve Fund and Pension Fund booked under Abstracts M-100 and M-200 respectively.

5. The figures in column 14 shall agree with the corresponding figures of Tables 'A' to 'M' of Annual Statement 30 and also with similar figures for the system as a whole as furnished in column 6 (Working Expenses) of Annual Statement 5.

6. Gross earnings as furnished in Annual Statement 6 (Col 14) shall be taken into account while working out the percentage of working expenses to gross earnings.

.....रेलवे/Railway

विवरण-8

Statement-8

वर्ष की किलोमीटर दूरी का विवरण
Kilometrage Statement for the year.....

ब्यौरा Description	आमान Gauge	31 मार्च को चालू मार्ग किलोमीटर दूरी Route Kilometrage open on 31st March				31 मार्च को चालू रेलपथ/समीकृत रेलपथ किलोमीटर दूरी Track/Equated Track Kilometrage open on 31st March									
		इकहरी लाइन Single line	दोहरी लाइन Double line	तिहरी लाइन आदि (जैसे टिप्पणी में दिया गया है) Triple lines etc. (as detailed in footnote)	कुल Total	चालू रेल पथ Running Track		साइडिंग/Sidings							
								परिवहन साइडिंग Transportation Sidings		मार्शलिंग यार्ड Marshalling Yards		रेल कारखाने तथा लोको शेड Rly. Workshops & Locosheds		वाणिज्यिक साइडिंग Commercial Sidings	
						कि.मी. Kms.	स.रे. कि.मी. ETKMs.	कि.मी. Kms	स.रे. कि.मी. ETKMs.	कि.मी. Kms	स.रे. कि.मी. ETKMs	कि.मी. Kms	स.रे. कि.मी. ETKMs	कि.मी. Kms	स.रे. कि.मी. ETKMs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(i) गैर विद्युतीकृत
Non-electrified

(ii) विद्युतीकृत
Electrified
(क) ए.सी.
(a) AC
(ख) डी.सी.
(b) DC
(ग) कुल
(c) Total

(iii) कुल (i)+(ii)
Total (i)+(ii)

स.रे. कि.मी. - समीकृत रेलपथ किलोमीटर
ETKMs - Equated Track Kilometres

वर्ष की किलोमीटर दूरी का विवरण
Kilometrage Statement for the year.....

31 मार्च को चालू रेलपथ/समीकृत रेलपथ किलोमीटर दूरी Track/Equated Track Kilometrage open on 31st March						वर्ष के दौरान खोली गई किलोमीटर दूरी Kilometrage opened during the year					31 मार्च को प्राधिकृत लेकिन यातायात के लिए न खोली गई मार्ग किलोमीटर दूरी Route Kilometrage authorised but not opened for traffic on 31st March							
कोचिंग यार्ड Coaching Yards		कुल Total		कुल जोड साइडिगों सहित Grand Total including sidings		खंड	कि.मी.दूरी	क्या खोली गयी कि.मी. दूरी इकहरी, दोहरी या तिहरी है	यातायात जिसके लिए खोली गई	खोले जाने की तारीख	स्वीकृत लेकिन खोली नहीं गई Sanctioned but not commenced		निर्माणाधीन Under construction			वर्गीकरण Classi-fication	अन्य रेलों पर तय की गई कि.मी. दूरी Kilometrage worked on other Railways	
कि.मी. Kms.	स.रे. कि.मी. ETKMs	कि.मी. Kms.	स.रे. कि.मी. ETKMs	कि.मी. Kms.	स.रे. कि.मी. ETKMs	Section	Kilome-trage	Whether the kilome-trage opened are single, double or triple etc.	Traffic for which opened	Date of open-ing	खंड Section	कि.मी. दूरी Kilome-trage	खंड Section	कि.मी दूरी Kilome-trage	31 मार्च को पूरे किए गए कार्य का भाग Proportion of work completed on 31st March		खंड Section	कि.मी दूरी Kilome-trage
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

विवरण 8-किलोमीटर दूरी का विवरण

अनुदेश

1. यह विवरण सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 जुलाई तक पहुँच जाए.

2 यह सूचना इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक रेलवे के लिए अलग-अलग भेजी जाएगी. इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाएगा :-

(क) संबंधित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रत्येक आमान के लिए अलग - अलग आंकडे दिखाए जाएंगे (कॉलम 33 के अनुदेश देखें).

(ख) उसी आमान की लाइनें लेकिन एक दूसरे से अलग (उदाहरणार्थ उत्तर रेलवे पर कालका - शिमला तथा कांगडा घाटी रेलें) तथा उसी वर्गीकरण लेकिन विभिन्न पक्षों के स्वामित्वाधीन लाइनें और साथ ही सामरिक लाइनें अलग-अलग दिखाई जाएंगी.

3. 'विद्युतीकृत' लाइनों की लंबाइयां अलग-अलग दिखाई जाएंगी, विद्युतीकृत लंबाइयों का प्रत्येक रेलवे पर नियोजित विद्युत प्रणाली के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा (सिंगल फेज करंट 50 साइकिल, प्रत्यक्ष करंट 1500 वोल्ट आदि). विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर तथा रेलपथ किलोमीटर के आंकड़ों का मिलान रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के रेलवे विद्युतीकरण निदेशालय को भेजे गए समरूप आंकडों से किया जाएगा, तथा अन्तर यदि कोई हो, तो उसे स्पष्ट किया जाएगा.

4. प्रत्येक मद के सामने किलोमीटर दूरी दशमलव के ठीक दो स्थान तक दिखाई जाएगी.

5. कॉलम 3 से 6 - मार्ग किलोमीटर-इन कॉलमों के आंकड़ों में चालित लाइनों सहित रेलवे के स्वामित्वाधीन रेलवे लाइनों की किलोमीटर दूरी शामिल की जाएगी अर्थात संपूर्ण रेल प्रणाली के लिए लेकिन प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अलग-अलग लाइनों की किलोमीटर दूरी विभिन्न आमानों के अनुसार अलग-अलग दिखाई जाएगी. दोहरी लाइनों तथा बहुलाइनों की केवल इकहरी किलोमीटर दूरी ही विवरण के कॉलम 4 तथा 5 में क्रमश: शामिल की जाएगी. स्टेशनों की क्रासिंग, साइडिंगों तथा टर्मिनल स्टेशन से मुख्य लाइन बफर रोक के अंत तक के रेलपथ को छोड़ दिया जाएगा. यदि लाइन के किसी खंड का संचालन पूर्णत: किसी दूसरी रेलवे द्वारा किया जाता है अथवा वह केवल माल यातायात के लिए खुला है यात्री यातायात के लिए नहीं, अथवा विलोमत: है तो उस खंड की किलोमीटर दूरी संबद्ध कॉलम में शामिल कर ली जाएगी तथा उपयुक्त टिप्पणियों सहित अलग से एक पाद-टिप्पणी में भी दिखाई जाएगी.

6. कॉलम 7-चालू रेलपथ किलोमीटर-इस कॉलम के आंकडों में कॉलम 6 के अनुसार मार्ग किलोमीटर तथा बहुएकक रेलपथ अर्थात-दोहरे, तिहरे रेलपथों आदि की अतिरिक्त किलोमीटर दूरी, यथास्थिति दो या तीन अथवा अधिक रेलपथों की दूरी मानी जाएगी. लेकिन इसमें साइडिगों, यार्डों तथा

Statement 8 - Kilometrage Statement

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st July of the following financial year.

2. Information shall be furnished separately for each individual railway comprised in the system. For this purpose, the following general principles shall be observed: –

(a) Separate figures shall be shown for each gauge under the classification concerned (see instructions for Col. 33)

(b) Lines of the same gauge but unconnected with each other (e.g., Kalka-Shimla and Kangra Valley Railways on Northern Railway) and lines falling under the same classification but owned by different parties and also strategic lines shall be shown separately.

3. Lengths of 'electrified' lines shall be shown separately, the electrified lengths being further classified according to the electric system employed on each railway (single phase current 50 cycles, direct current 1500 volts etc.). The figures of electrified route kilometres and track kilometres shall be reconciled with the similar data sent by the Railway to the Railway Electrification Directorate of the Railway Board and difference, if any, explained.

4. The kilometrage against each item shall be shown correct to two places of decimal.

5. Columns 3 to 6-Route kilometrage - The figures in these columns shall include the kilometrage of railway lines owned by a railway including its worked lines, i.e. for the system as a whole but the kilometrage for individual lines comprised in the system will be shown separately by different gauges. Only single kilometrage of double lines and multiple lines shall be included in columns 4 and 5 respectively of the statement. Crossings at stations and sidings as well as the track from the centre of a terminal station to the end of the main line buffer stop shall be excluded. If any section of the line is worked entirely by another railway or is open for goods traffic but not for passenger traffic or vice versa, the kilometrage of that section shall be included in the relevant column and also shown separately in a foot-note with suitable remarks.

6. Column 7- Running track kilometrage - The figures in this column shall include route kilometres as per column 6 and the extra kilometrage of multiple tracks, that is double, triple etc. shall be treated as two or three or more tracks as the case may be but shall exclude the track in the sidings, yards

स्टेशनों के समपारों के रेलपथ को शामिल नहीं किया जाएगा. यदि लाइन के किसी रेलपथ का प्रयोग माल यातायात के लिए किया जाता है लेकिन यात्री यातायात के लिए नहीं अथवा विलोमत: तो इस मद में किलोमीटर दूरी को शामिल किया जाएगा, तथा उपयुक्त टिप्पणियों सहित एक पाद-टिप्पणी में अलग से भी दर्शाया जाएगा.

and crossings at stations. If any tracks of the line are used for goods traffic, but not for passenger traffic or vice versa, the kilometrage thereof shall be included in this item, and also shown separately in a foot-note with suitable remarks.

7. कॉलम 9-परिवहन साइडिगों के अन्तर्गत समपार, स्टेशनों के लूप, कोयला क्षेत्रों की राहत साइडिगें (मार्शलिंग यार्डों, कोचिंग यार्डों, यांत्रिक कारखानों तथा लोकों शेडों के अतिरिक्त) जिन का उपयोग अन्य रूप से किसी कोयला खान विशेष के लिए न किया जा रहा हो, को दर्शाया जाए. परिवहन साइडिगों अर्थात समपारों, लूप तथा अन्य साइडिंगों की किलोमीटर दूरी निकालने के लिए दूसरे सिरे के स्विच के अगले भाग से लूप की लंबाई ली जाएगी. बंद साइडिंग के मामले में, यह समपार के स्विच के अगले भाग से बफर रोक तक होगी.

7. Column 9 - Transportation sidings are to show crossings, loops at stations, relief sidings in the coal fields not used solely for a particular colliery, etc. (other than those in the marshalling yards, coaching yards, mechanical workshops and loco sheds). For the purpose of working out the kilometrage of transportation sidings, i.e., crossings, loops and other sidings, the length of the loop from the toe of the switch to the other end shall be taken. In the case of dead-end sidings, it shall be from the toe of the switch of the crossing to the buffer stop.

8. कॉलम 13 तथा 14- रेल कारखानों तथा लोको शेडों में रेलपथ किलोमीटर तथा समीकृत रेलपथ किलोमीटर का ब्यौरा एक पाद-टिप्पणी में अलग से दिखाया जाएगा.

8. Columns 13 & 14 - The details of track kilometres and equated track kilometres in railway workshops and locosheds shall be shown separately in a foot-note.

9. कॉलम 15 तथा 16-वाणिज्यिक साइडिगों के अंतर्गत गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए बनाई गई सहायक साइडिगों, कोयला क्षेत्रों में किसी कोयला खान विशेष तक जाने वाली साइडिगों, टर्मिनल, यानांतरण तथा रिपैक संबंधी कार्रवाई इत्यादि के लिए स्थानीय वाणिज्य साइडिंग को दर्शाया जाए. टर्मिनल (माल), यानांतरण, रिपैकिंग पार्सलों, सहायक साइडिगों तथा अन्य के लिए वाणिज्यिक साइडिंग के रेलपथ किलोमीटर तथा समीकृत रेलपथ किलोमीटर का ब्यौरा एक पाद-टिप्पणी में अलग से दर्शाया जाएगा.

9. Columns 15 & 16 - Commercial sidings are to show assisted sidings built for private individuals, sidings in the coal-fields leading to a particular colliery, local commercial sidings for terminals, transhipment and repack operations etc. The details of track kilometres and equated track kilometres of commercial sidings shall be shown separately for terminal (goods), transhipment, repacking parcels, assisted sidings and others in a foot-note.

10. कॉलम 3 से 6, 7, 9, 11, 13, 15 तथा 17 के आंकड़े पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों तथा वर्ष के दौरान खोली गई किलोमीटर दूरी के अनुरूप होंगे तथा उखाड़ने, पुन: संरेखण, पुन: माप आदि करने के कारण यदि कोई अन्तर हो तो उसे अलग से स्पष्ट किया जाएगा.

10. The figures in columns 3 to 6, 7, 9, 11, 13, 15 & 17 shall agree with the corresponding figures of last year plus kilometrage opened during the year and the difference, if any, due to dismantlings, realignments, remeasurements etc., shall be explained separately.

11. कॉलम 17-कोचिंग यार्ड-इसमें अनन्य रूप से कोचिंग सेवा के लिए उपयोग की जाने वाली मार्शलिंग, स्थापन तथा वाशिंग लाइनें शामिल होगी.

11. Column 17 - Coaching yard will include marshalling, stabling and washing lines exclusively utilized for coaching service.

12. कॉलम 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तथा 22 में अनुबंध-I में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार परिकलित समीकृत रेलपथ किलोमीटर दूरी दर्शाई जाएगी.

12. Columns 8, 10, 12, 14, 16,18, 20 and 22 shall show equated track kilometrage calculated in accordance with the instructions given in Annexure - I

13. (i) कॉलम 23 तथा 24 - वर्ष के दौरान (क) कोचिंग (ख) माल तथा (ग) दोनों प्रकार के यातायात के लिए खोले गए नए खंड अलग से दिखाए जाएंगे. प्रत्येक नई लाइन के खोले जाने की तारीख कॉलम 27 में दर्शाई जाएगी.

13. (i) Columns 23 and 24 - New sections opened during the year for (a) coaching, (b) goods and (c) both kinds of traffic shall be shown separately. The date of opening of each new line shall be shown in column 27.

(ii) वर्ष के दौरान खोली गई किलोमीटर दूरी के आंकड़ों का रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निर्माण निदेशालय को भेजे गए तदनुरूपी आंकड़ों से मिलान किया जाएगा तथा कोई अंतर होने पर उसे स्पष्ट किया जाएगा.

(ii) The figures of kilometrage opened during the year shall be reconciled with the similar data sent by the Railway to the Works Directorate of the Railway Board and difference, if any, explained.

14. कॉलम 26 में यह दर्शाया जाएगा कि खोली गई किलोमीटर दूरी कोचिंग के लिए है या माल यातायात के लिए है अथवा दोनों प्रकार के यातायात के लिए है.

15. कॉलम 28 तथा 29 में वह मार्ग किलोमीटर दूरी दिखाई जाएगी जिसके निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन इस वर्ष के दौरान आरम्भ नहीं किया गया है. यदि निर्माण कार्य आस्थगित कर दिया गया तो इस तथ्य को एक पाद-टिप्पणी में स्पष्ट किया जाएगा.

16. कॉलम 30 तथा 31 में वह मार्ग किलोमीटर दूरी दिखाई जाएगी, जिसके निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है तथा वर्ष के दौरान निर्माणाधीन है. यदि किसी निर्माण कार्य को आस्थगित कर दिया गया तो इस तथ्य को एक पाद-टिप्पणी में स्पष्ट किया जाएगा.

17. कॉलम 33- इस समय रेलें निम्नलिखित वर्गीकरण के अन्तर्गत आती हैं तथा प्रत्येक शीर्ष से संबंधित आंकड़े अलग-अलग दर्शाए जाऐंगे (उपर्युक्त पैरा 2 (क) भी देखें).

(i) सरकारी रेलवे लाइन.

(ii) भारत सरकार के साथ गारंटी शर्तों के अधीन शाखा लाइन.

(iii) छूट की शर्तों के अधीन शाखा लाइन.

(iv) गारंटी तथा छूट की शर्तों के अधीन शाखा लाइन.

18. चालन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अथवा किसी अन्य करार के अन्तर्गत अन्य रेलों पर तय की गई किलोमीटर दूरी का ब्यौरा कॉलम 34 तथा 35 में दर्शाया जाएगा.

19. विभिन्न घनत्व वाले चालू रेल पथ कि.मी. का ब्यौरा बड़ी एवं मीटर लाइनों के लिए अलग-अलग दर्शाना चाहिए जैसा अनुबंध-II में दिया है.

14. Column 26 shall show whether the kilometrage opened is for coaching or goods traffic or for both kinds of traffic.

15. Columns 28 and 29 shall show the route kilometrage, the construction of which has been sanctioned but not undertaken during the year. If the construction has been held in abeyance, the fact shall be made clear in a foot-note.

16. Columns 30 and 31 shall show the route kilometrage, the construction of which has been sanctioned and is in progress during the year. If the work on any construction has been suspended, the fact shall be made clear in a foot-note.

17. Column 33 - Railways at present fall under the following classifications and the figures in connection with each head shall be shown separately (see also paragraph 2(a) above)

(i) Government Railway line.

(ii) Branch line under guarantee terms with Government of India.

(iii) Branch line under rebate terms.

(iv) Branch line under guarantee and rebate terms.

18. Columns 34 and 35 shall show particulars of the kilometrage worked on other Railways in exercise of running power or under some other agreement.

19. The break-up of running track kilometres under different density slabs shall be furnished as given in Annexure -II for Broad Gauge and Metre Gauge separately.

अनुबंध-I

पैरा 12 के अनुदेश के अनुसार विवरण 8 का अनुबंध

समीकृत रेलपथ किलोमीटर निम्नलिखित कार्यविधि के अनुसार निकाले जाएंगे –

8(i) चालू लाइनों के लिए (चालू लूप लाइनों सहित) समीकृत रेलपथ किलोमीटर निकालने के लिए निम्नलिखित फार्मूला होगा :

क्यू = एल x यू (1+ए+बी+सी)

जहाँ

क्यू = समीकृत रेलपथ किलोमीटर

एल = चालू रेलपथ किलोमीटर

यू = यातायात घनत्व गुणक

ए = निर्माण गुणक

बी = संरेखण गुणक

सी = वर्षा गुणक

विभिन्न गुणकों के लिए अपनाए जाने वाले मान

यू = यातायात घनत्व गुणक

बड़ी लाइन

(क) 60 में 1 ढाल तथा अधिक तीव्र ढाल वाले घाट खंडों पर अथवा अधिक भीड़भाड़ वाले उपनगरीय खंडों पर ...1.4

(ख) वे खंड, जहां वार्षिक यातायात घनत्व 20 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर तथा उससे अधिक है. ...1.4

(ग) वे खंड, जहां वार्षिक यातायात घनत्व 15 मिलियन और उससे अधिक सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर है लेकिन 20 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से कम है. ...1.3

(घ) वे खंड, जहां दैनिक गाड़ी घनत्व 30 तथा उससे अधिक है अथवा जहां वार्षिक यातायात घनत्व 10 मिलियन सकल टन किलोमीटर तथा उससे अधिक है लेकिन 15 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से कम है. ...1.2

(ङ) वे खंड, जहां दैनिक गाड़ी घनत्व 20 तथा उससे अधिक परन्तु 30 से कम है अथवा जहां वार्षिक यातायात घनत्व प्रति किलोमीटर 6 मिलियन सकल टन किलोमीटर तथा उससे अधिक है लेकिन 10 मिलियन सकल टन किलोमीटर से कम है. ...1.1

ANNEXURE -I

Annexure to Statement 8 vide Para 12 of the Instructions

The equated track kilometres shall be worked out according to the following procedure:

8(i) For running lines (including running loop lines), the formula for working out equated track kilometres shall be as given below:

Q=L x U (1+A+B+C)

where

Q = Equated track kilometres

L = Running track kilometres

U = Traffic density factor

A = Formation factor

B = Alignment factor

C = Rainfall factor

Values to be adopted for various factors

U = Traffic density factor

Broad Gauge

(a) Heavily worked suburban sections or ghat sections with gradients of 1 in 60 and steeper ...1.4

(b) Sections where the annual traffic density is 20 million GTKms per kilometre and over ...1.4

(c) Sections where the annual traffic density is 15 million GTKms and over per kilometre but less than 20 million GTKms per kilometre ...1.3

(d) Sections having a daily train density of 30 and over or where the annual traffic density is 10 million GTKms per kilometre and over but less than 15 million GTKms per kilometre ...1.2

(e) Sections having a daily train density of 20 and over but less than 30 or where the annual traffic density is 6 million GTKms per kilometre and over but less than 10 million GTKms per kilometre ...1.1

(च) अन्य प्राथमिक खंड जहां वार्षिक यातायात घनत्व 6 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से कम है. ...1.0

(छ) गौण अथवा तीसरी लाइनें ...0.8

मीटर लाइन

(क) उपनगरीय तथा 60 में 1 ढाल और अधिक तीव्र ढाल वाले घाट खंड ..1.2

(ख) प्राथमिक लाइनें जहां वार्षिक यातायात घनत्व 5 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से अधिक है. ..1.1

(ग) प्राथमिक लाइनें जहां दैनिक गाड़ी घनत्व 20 तथा उससे अधिक है अथवा जहां वार्षिक यातायात घनत्व प्रति किलोमीटर 2.5 मिलियन सकल टन किलोमीटर से अधिक लेकिन 5 मिलियन सकल टन किलोमीटर से कम है. ..1.0

(घ) 10-20 दैनिक गाड़ी घनत्व वाली गौण अथवा अन्य लाइनें ..0.8

(ङ) तीसरी लाइनें ..0.6

छोटी लाइन

(क) 10 तथा उससे अधिक दैनिक गाड़ी घनत्व वाले खंड ..0.8

(ख) अन्य सभी खंड ..0.6

टिप्पणी : (1) दोहरी अथवा बहु लाइनों में, लाइनों के औसत यातायात घनत्व के लिए यातायात घनत्व गुणक का निर्धारण करना चाहिए तथा उसे सभी लाइनों पर लागू करना चाहिए.

(2) बड़ी लाइन खंडों के लिए समीकृत रेलपथ किलोमीटर निकालने के लिए, जहां गाड़ियों को 105 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर चलाने के लिए रेलपथ का अनुरक्षण किया जाता है, वहां 'यू' के उपर्युक्त मान को 0.1 बढ़ा देना चाहिए.

ए - निर्माण गुणक

इस गुणक में किनारे की मिट्टी की प्रकृति शामिल है तथा इसके निम्नलिखित मान होंगें : -

मिट्टी की प्रकृति

(क) स्थिर मिट्टी0

(ख) साधारण अस्थिर मिट्टी0.1

(ग) संकुचनशील तथा दूषित काली मिट्टी0.2

(f) Other primary sections where the annual traffic density is less than 6 million GTKms per kilometre ...1.0

(g) Secondary or tertiary lines ...0.8

Metre Gauge

(a) Suburban and ghat sections with gradients of 1 in 60 and steeper ...1.2

(b) Primary lines where the annual traffic density is more than 5 million GTKms per kilometre ...1.1

(c) Primary lines having a daily train density of 20 and over or where the annual traffic density is over 2.5 million GTKms but less than 5 million GTKms per kilometre ...1.0

(d) Secondary lines or other lines with a train density of 10-20 per day ...0.8

(e) Tertiary lines ...0.6

Narrow Gauge

(a) Sections with daily train density of 10 and over ...0.8

(b) All other sections ...0.6

Note: (1) In double or multiple lines, the traffic density factor may be assessed for the average traffic density of the lines and applied to all the lines.

(2) For working out equated track kilometres for BG sections, where track is maintained to permit running of trains at a speed of over 105 kilometres per hour, the above values of 'U' should be increased by 0.1.

A – Formation factor

This factor covers the nature of soil in banks and will have the following values:

Nature of soil

(a) Stable soil ...0

(b) Ordinary unstable soil ...0.1

(c) Shrinkable soil and vicious black cotton soil ...0.2

बी – संरेखण गुणक

यह गुणक (i) बड़ी लाइन पर $1\frac{1}{2}$ डिग्री एवं उससे अधिक (ii) मीटर लाइन पर 3 डिग्री एवं उससे अधिक (iii) छोटी लाइन पर 5 डिग्री एवं उससे अधिक के मोड़ों पर लागू होता है और यदि खंड की पूरी लंबाई मोड़ों पर है तो इसका मान 0.25 होगा, तथा अन्य मामलों में यथानुपात होगा.

टिप्पणी: उपर्युक्त निर्माण गुणक 'ए' और संरेखण गुणक 'बी' कुल लम्बाई की तुलना में खराब मिट्टी वाली परिस्थितियों या वक्रों के अंतर्गत आने वाली वास्तविक लम्बाई के लिए यथानुपात आधार पर निर्धारित करना चाहिए.

निर्माण गुणक 'ए' के निर्धारण के लिए परिकलन का नमूना नीचे दिया गया है –

एक किलोमीटर लम्बाई में यदि 0.1 किमी. संकुचनशील मिट्टी (गुणक 0.2), 0.3 किलोमीटर साधारण अस्थिर मिट्टी (गुणक 0.1) है तथा शेष लम्बाई स्थिर मिट्टी (गुणक 0) की है, तब :

$$\text{गुणक ए} = \frac{0.1 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.6 \times 0}{1} = 0.05$$

संरेखण गुणक के निर्धारण के लिए भी ऐसी ही पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिए.

सी – वर्षा गुणक

गुणक 'सी' वर्षा की तीव्रता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए. जब वर्षा 200 सेमी. से कम हो तो शून्य का मान लागू होना चाहिए. 200 से.मी. की वार्षिक वर्षा के लिए 0.1 का मान लागू किया जायेगा, जिसमें वार्षिक वर्षा में प्रत्येक अतिरिक्त 10 से.मी. वृद्धि के लिए 0.01 मान बढ़ाकर लागू किया जायेगा, बशर्ते यह गुणक अधिकतम 0.2 हो.

8(ii) मार्शलिंग यार्डों तथा अन्य साइडिंगों के लिए समीकृत रेलपथ किलोमीटर निकालने का सूत्र निम्नलिखित होगा :

क्यू = एल × यू^{1}

जहां 'क्यू' तथा 'एल' का मान उपर्युक्त (i) की भांति है तथा यू^{1} का मान है : –

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
मार्शलिंग तथा अन्य व्यस्त साइडिंगें	0.7	0.5	0.3
अन्य सभी साइडिंगें	0.4	0.3	0.3

टिप्पणी : एक यार्ड में साइडिंगों/लाइनों को व्यस्त या अव्यस्त कोटियों में वर्गीकृत किया जाए तथा समीकृत रेलपथ किलोमीटर अलग से निकाला जाए.

B – Alignment factor

This factor is applicable to the curves of (i) $1\frac{1}{2}$ degree and more on the Broad Gauge (ii) 3 degrees and more on the Metre Gauge (iii) 5 degrees and more on the Narrow Gauge and will have a value of 0.25 if the full length of the section is on curves and pro-rata in other cases.

Note: The formation factor 'A' and alignment factor 'B' above should be assessed pro-rata for the actual length falling under bad soil conditions or curves compared to the total length.

A sample calculation for assessing formation factor 'A' is given below:

In a kilometre length, if 0.1 km is of shrinkable soil (factor 0.2), 0.3 km is of ordinary unstable soil (factor 0.1) and the rest of the length consists of stable soil (factor 0), then

$$\text{Factor 'A'} = \frac{0.1 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.6 \times 0}{1} = 0.05$$

A similar method should be adopted for assessing the alignment factor.

C – Rainfall factor

The factor 'C' should be controlled by the intensity of rainfall. A value of zero should be applied when the rainfall is less than 200 cm. An annual rainfall of 200 cm. would attract a value of 0.1 with an increase of 0.01 for every additional 10 cm. rise in the annual rainfall, subject to the maximum of 0.2 for the factor.

8(ii) For marshalling yards and other sidings, the formula for working out the equated track kilometres will be as below:

$Q = L \times U^1$

where Q and L have the same values as in (i) above and the value of 'U^1' is :

	B.G.	M.G.	N.G.
Marshalling and other busy sidings	0.7	0.5	0.3
All other sidings	0.4	0.3	0.3

Note: The sidings/lines in a yard may be classified as busy and non-busy and equated track kilometres worked out separately.

रेलपथ संयोजन तथा अभिन्यासों को निम्नलिखित मापकों के अनुसार 'सेट' माना जाना चाहिए, तथा ऐसे 10 सेटों को रेलपथ की एक किलोमीटर लम्बाई के बराबर समझा जाना चाहिए –

टर्न आउट	– 1 सेट
डायमंड	– 1 सेट
एकल स्लिप सहित डायमंड क्रासिंग	– $1\frac{1}{2}$ सेट
दोहरी स्लिप सहित डायमंड क्रासिंग	– 2 सेट
क्रास ओवर	– 2 सेट
थ्री–थ्रो	– 2 सेट
कैंचीनुमा क्रास ओवर	– 5 सेट
ट्रैप	– 1/5 सेट
दोहरा ट्रैप	– 2/5 सेट

इस प्रकार प्राप्त किलोमीटर दूरी को यथास्थिति उपर्युक्त 8(i) या 8(ii) में उल्लिखित सूत्र लागू करके समीकृत रेलपथ किलोमीटर में परिवर्तित कर देना चाहिए. समीकृत रेलपथ किलोमीटर परिकलित करने के लिए प्रयुक्त 8(i) अथवा 8(ii) के सूत्र और यू, यू^{1}, ए, बी एवं सी गुणकों के मान रेलपथ संयोजन/अभिन्यास से सम्बद्ध अधिक महत्वपूर्ण लाइनों के संदर्भ में होंगे.

टर्न आउटों, क्रास ओवरों, (साधारण तथा कैंचीनुमा) थ्री–थ्रो आदि के लिए थ्रू किलोमीटर दूरी मुख्य रेलपथ के साथ–साथ मापी जाएगी. साइडिंगों तथा लूप में रेलपथ की लम्बाई को क्रासिंग के एड़ी (निचले भाग) से नापना चाहिए, स्विच के अग्र भाग से नहीं. इसी तरह इकहरे अथवा दोहरे स्लिपों सहित डायमंड क्रासिंगों में स्लिप/स्लिपों की वक्र लीड को रेलपथ की लम्बाई में शामिल नहीं किया जाएगा.

टिप्पणी : प्रत्येक खंड के लिए प्रत्येक आमान पर समीकृत रेलपथ किलोमीटर, किलोमीटर के अनुसार अलग से निकाले जाएंगें तथा आमान के कुल जोड़ में मिला दिये जाएंगे. आगे, इनका निर्धारण प्रत्येक खंड के लिए पूरे वर्ष के दौरान खुली माध्य रेलपथ किलोमीटर दूरी के आधार पर किया जाएगा, वर्ष के अंत में खुली किलोमीटर दूरी के आधार पर नहीं.

Track connections and layouts should be treated as 'sets' on the following scale, and 10 such sets should be treated as equal to one kilometre length of track:

Turnout	1 set
Diamond	1 set
Diamond crossing with single slip	$1\frac{1}{2}$ set
Diamond crossing with double slips	2 sets
Cross-over	2 sets
Three-throw	2 sets
Scissors cross-over	5 sets
Trap	1/5th set
Double trap	2/5th set

The kilometrage, thus arrived at should be converted into equated track kilometres by applying the formulae mentioned in 8(i) or 8(ii) above, as the case may be. The formula 8(i) or 8(ii) and the value of factors U, U^1, A, B and C used for working out equated track kilometres would be with respect to the more important line connected by the track connection/layout.

For turn-outs, cross-overs(ordinary and scissors), three-throw etc., the through kilometrage will be measured along the main track and the length of the track in sidings and loops will be measured from the heel of the crossing and not from the toe of the switch. Similarly, in diamond crossings with single or double slips, the curved lead of the slip/slips will not be included in the length of the track.

Note: The equated track kilometres shall be worked out kilometre-wise for each section on each gauge separately and added to build up the gauge total. Further, these shall be based on the mean track kilometrage open for each section for the whole year and not on the kilometrage open at the end of the year.

अनुबंध–II/ANNEXURE -II

.....रेलवे/Railway

अनुदेशों के पैरा 19 के अनुसार विवरण 8 का अनुबंध

Annexure to Statement 8 vide Para 19 of the instructions

बड़ी लाइन/मीटर लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge

घनत्व (सकल टन किलोमीटर प्रति चालू रेलपथ किलोमीटर) (जी.एम.टी.) Density (GTKms per running track km.) (GMT)	चालू रेल पथ/Running Track Kms.			
	इकहरी लाइनें Single Lines		बहु लाइनें Multiple lines	
	विद्युतीकृत Electrified	गैर विद्युतीकृत Non-electrified	विद्युतीकृत Electrified	गैर विद्युतीकृत Non-electrified
1	2	3	4	5
5 जीएमटी से कम Less than 5 GMT				
5 या अधिक परंतु 10 जीएमटी से कम 5 or more but less than 10 GMT				
10 या अधिक परंतु 15 जीएमटी से कम 10 or more but less than 15 GMT				
15 या अधिक परंतु 20 जीएमटी से कम 15 or more but less than 20 GMT				
20 या अधिक परंतु 30 जीएमटी से कम 20 or more but less than 30 GMT				
30 जीएमटी से अधिक Over 30 GMT				

.....रेलवे/Railway

विवरण-9(क)
Statement-9(a)

वर्ष के लिए संचालित रेलवे का ब्यौरा
Description of Railway worked for the year.....

मद/Item	ब्यौरा/Description	आमान/Gauge		
		बड़ी लाइन Broad	मीटर लाइन Metre	छोटी लाइन Narrow
1	2	3	4	5
9(क).01	तय की गई माध्य मार्ग किलोमीटर दूरीकिलोमीटर			
9(a).01	Mean route kilometrage worked.....Kilometres			
9(क).02	तय की गई माध्य चालू रेलपथ किलोमीटर दूरीकिलोमीटर			
9(a).02	Mean running track kilometrage worked Kilometres			
9(क).03	निम्नलिखित प्रवणताओं की कुल लंबाई -			
9(a).03	Total length of the following gradients : -			
	(क) 1/50 तथा कम किलोमीटर			
	(a) 1/50 and less Kilometres			
	(ख) 1/51 से 1/80 किलोमीटर			
	(b) 1/51 to 1/80 Kilometres			
	(ग) 1/81 से 1/100 किलोमीटर			
	(c) 1/81 to 1/100..... Kilometres			
	(घ) 1/101 से 1/200 किलोमीटर			
	(d) 1/101 to 1/200..... Kilometres			
	(ङ) 1/201 से 1/300 किलोमीटर			
	(e) 1/201 to 1/300..... Kilometres			
	(च) कुल (क से ङ तक) किलोमीटर			
	(f) Total (a to e) Kilometres			
9(क).04	संचालित अधिकतम ढाल			
9(a).04	Steepest gradient worked : -			
	(क) लंबाई किलोमीटर			
	(a) Length Kilometres			
	(ख) झुकाव.....			
	(b) Inclination.....			
9(क).05	अधिकतम वक्रता तथा त्रिज्या			
9(a).05	Maximum amount of curvature and radius : -			
	(क) वक्रता की डिग्री (दशमलव के दो स्थान तक)			
	(a) Degree of curvature (upto two places of decimal).....			
	(ख) त्रिज्या मीटर में			
	(b) Radius in metres.....			
9(क).06	लाइन की कुल लंबाई में वक्र का अनुपात (प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है)			
9(a).06	Ratio of curve to total length of line (expressed as a percentage).....			
9(क).07	प्रति किलोमीटर औसत वक्र (दशमलव के दो स्थान तक) डिग्री			
9(a).07	Average amount of curvature per kilometre (upto two places of decimal)..... Degrees.			

विवरण 9(क)- संचालित रेलवे का ब्यौरा

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.

2. आंकड़े आमान-वार अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएंगें.

3. सभी परिणाम दशमलव के दो स्थानों तक निकाले जाएंगे.

4. मद 9(क).01 - तय की गई माध्य मार्ग किलोमीटर दूरी -चालन शक्तियों का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य करार के अधीन दूसरी रेलवे के खंडों पर तय की गई मार्ग किलोमीटर दूरी सहित कुल मार्ग किलोमीटर दूरी का औसत होगी जो विवरण 8 में संबंधित आमान के सामने कॉलम 6 में दर्शाई गई है. वर्ष के दौरान जब खंड खोले (या बंद किए) जाते हैं, तो तय की गई माध्य किलोमीटर दूरी इस प्रकार होगी : -

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान खंड कितने दिन खुला रहा} \times \text{खंड की लंबाई}}{\text{वर्ष के दिनों की संख्या}}$$

उदाहरणार्थ, यदि किसी रेलवे की मार्ग किलोमीटर दूरी (तय की गई मार्ग किलोमीटर दूरी सहित) पिछले वर्ष की 31 मार्च को 2000 थी तथा रिपोर्टाधीन वर्ष की 6 नवंबर से 50 किलोमीटर खंड और खोले गए, एक (गैर-लीप) वर्ष के दौरान तय की गई माध्य किलोमीटर दूरी इस प्रकार निकाली जाएगी : -

$$2000 + \frac{146\ (\text{दिन}) \times 50\ (\text{किलोमीटर})}{365\ (\text{दिन})} = 2020\ \text{कि.मी.}$$

चालन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अथवा किसी अन्य करार के अधीन दूसरी रेलवे के खंडों पर तय की गई माध्य मार्ग किलोमीटर दूरी भी पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी.

5. मद 9(क).02-तय की गई माध्य चालू रेलपथ किलोमीटर दूरी-चालन शक्तियों का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य करार के अधीन अन्य रेलवे के खंड़ों पर तय की गई चालू रेलपथ किलोमीटर दूरी सहित विवरण 8 के कालम 7 में संबंधित आमान के सामने यथा प्रदर्शित कुल चालू रेलपथ किलोमीटर दूरी होगी. जब वर्ष के दौरान खंड खोले जाते हैं (या बंद किए जाते हैं) तो तय की गई माध्य किलोमीटर दूरी उसी भांति निकाली जाएगी जैसे कि पिछले पैरा में दी गई माध्य मार्ग किलोमीटर दूरी निकाली जाती है.

Statement 9(a)-Description of the Railway worked

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.

2. The figures shall be furnished separately by gauges.

3. All results shall be worked out correct to two places of decimal.

4. Item 9(a).01 — Mean route kilometrage worked–shall be the mean of the total route kilometrage as exhibited in column 6 against the gauge concerned in Statement 8 together with the route kilometrage of sections on another Railway worked over in exercise of running powers or under some other agreement. When sections are opened (or closed) during the year, the mean kilometrage, worked shall be —

$$\frac{\text{Number of days the section was open during the year} \times \text{length of the section}}{\text{Number of days in the year}}$$

For example, if the route kilometrage of a Railway (including route kilometrage worked over) on 31st March of the previous year was 2000, and 50 kilometres were opened on and from the 6th November of the year under report, the mean kilometrage worked during the (non-leap) year would be —

$$2000 + \frac{146\ (\text{days}) \times 50(\text{kilometres})}{365\ (\text{days})} = 2020\ \text{Km.}$$

The mean route kilometrage of sections on another railway worked over in exercise of running powers or under some other agreement shall also be shown in a foot-note.

5. Item 9(a).02 — Mean running track kilometrage worked —shall be the total running track kilometrage as exhibited in column 7 against the gauge concerned in Statement 8 together with the running track kilometrage of sections on another railway worked over in exercise of running power or under some other agreement. When sections are opened (or closed) during the year, the mean kilometrage worked shall be arrived at in the same manner as for the mean route kilometrage given in the previous para.

चालन शक्तियों का प्रयोग करते हुए या किसी अन्य करार के अधीन अन्य रेलवे के खंडों पर तय की गई माध्य चालू रेलपथ किलोमीटर दूरी भी पाद-टिप्पणी में दर्शायी जायेगी.

The mean running track kilometrage of sections on another railway worked over in exercise of running powers or under some other agreement shall also be shown in a foot-note.

6. मद 9(क).03-इस मद के आंकड़े रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम दिन यथा विद्यमान प्रवणता के अलग-अलग रेंजों सहित मार्ग किलोमीटर दूरी से संबंधित होंगे.

6. Item 9(a).03 — The figures in this item shall relate to the route kilometrage with the respective ranges of gradients as obtaining on the last day of the year under report.

7. मद 9(क).04 - अधिकतम ढलान की महत्तम सतत मार्ग किलोमीटर दूरी ही अधिकतम ढलान की लंबाई होगी.

7. Item 9(a).04 — The length of the steepest gradient shall be the greatest continuous route kilometrage of the steepest gradient.

8. मद 9(क).05(क) - गोलाई की डिग्री वह कोण होगा, जो वक्र का 30.48 मीटर का भाग उस वृत्त के केंद्र पर बनाता है जिसका कि वह हिस्सा है.

8. Item 9(a).05(a) — The degree of curvature shall be the angle subtended by 30.48 metres of the curve at the centre of the circle of which the curve forms a part.

9. मद 9(क).05(ख) - त्रिज्या उस वृत्त की होगी जिसका कि वक्र एक भाग है.

9. Item 9(a).05(b) — The radius shall be that of the circle of which the curve forms a part.

10. मद 9(क).06 - इस मद में वह आंकड़ा दिया जाएगा जो लाइन की कुल मार्ग किलोमीटर दूरी पर मोड़ वाली मार्ग किलोमीटर दूरी का प्रतिशत है.

10. Item 9(a).06 — The figure against this item shall be the percentage of the total curved route kilometrage on the total route kilometrage of the gauge.

11. मद 9(क).07 - इस मद में वह आंकड़ा दिया जाएगा जो सभी वक्रों द्वारा संबंधित केन्द्रों पर बनाए गए कोणों के डिग्री में व्यक्त किए गए जोड़ को लाइन पर मोड़ वाली मार्ग किलोमीटर दूरी द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होता है.

11. Item 9(a).07 — The figure against this item shall be the total expressed in degrees of the angles subtended at the respective centres by all the curves divided by the curved route kilometrage on the gauge

टिप्पणी : मद 9(क).04 से 9(क).07 में दिये गये आंकड़े रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम दिन को प्राप्त आंकड़ों से संबंधित होंगें.

Note: The figures in items 9(a).04 to 9(a).07 shall relate to the figures as obtaining on the last day of the year under report.

.....रेलवे/Railway

विवरण-9(ख)
Statement-9(b)

वर्ष के लिए वर्गीकृत स्टेशनों की संख्या
Number of Stations classified for the year.....

मद/Item	ब्यौरा /Description	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
1	2	3	4	5
9(ख).01	**ब्लाक स्टेशन**			
9(b).01	**Block Stations**			
	(क) अंतर्पाशित स्टेशन			
	(a) Interlocked Stations			
	(i) मानक III Standard III			
	(ii) मानक II Standard II			
	(iii) मानक I Standard I			
	(iv) मानक I विशेष Standard I Special			
	(ख) गैर-अन्तर्पाशित स्टेशन			
	(b) Non-Interlocked Stations			
	(i) आशोधित गैर-अन्तर्पाशित स्टेशन Modified Non-interlocked Stations			
	(ii) अन्य गैर-अंतर्पाशित स्टेशन Other Non-interlocked Stations.			
	(ग) कुल ब्लाक स्टेशन			
	(c) Total Block Stations			
	(i) ब्लाक हट रहित Excluding Block Huts.			
	(ii) ब्लाक हट Block Huts.			
	(iii) ब्लाक हट सहित [मद 9(ख).01(क) + 9(ख).01(ख)] Including Block Huts [Item 9(b).01(a) +9(b).01(b)]			
	(घ) अन्तर्पाशित स्टेशनों का वर्गीकरण			
	(d) Classification of Interlocked Stations अन्तर्पाशन की प्रणाली द्वारा मद 9(ख).01(क) Item 9(b).01 (a) by systems of interlocking :			
	(i) रूट रिले — ठोस अवस्था Route relay - Solid State			
	(ii) रूट रिले — इलैक्ट्रो-यांत्रिक Route relay - Electro-mechanical			
	(iii) पैनल Panel			
	(iv) अन्य Others			

विवरण–9(ख)–*(जारी)*
Statement-9(b) – *(Contd.)*

1	2	3	4	5

(ङ) सिगनल प्रणाली द्वारा ब्लाक हट सहित ब्लाक स्टेशनों का वर्गीकरण

(e) Classification of Block Stations including Block Huts by Systems of Signalling

(i) बहु–संकेती रंगीन रोशनी वाले
Multi-aspect colour light

(ii) बहु–संकेती अपर क्वाड्रेंट सीमाफोर
Multi-aspect upper quadrant semaphore.

(iii) लोअर क्वाड्रेंट सीमाफोर
Lower quadrant semaphore.

(च) कार्य प्रणाली द्वारा ब्लाक हट सहित ब्लाक स्टेशनों का वर्गीकरण

(f) Classification of Block Stations including Block Huts by Systems of Working

(i) स्वचालित ब्लाक
Automatic Block.

(ii) संपूर्ण ब्लाक
Absolute Block :
(क) ब्लाक संचालन – टोकनरहित (इकहरी लाइन)
(a) Block Working - Tokenless (Single Line)
(ख) ब्लाक संचालन – टोकन/आगे बढ़ने के लिए अन्य कोई प्राधिकार
(b) Block Working - Token/other authority to proceed.
(ग) मोर्स टेलीग्राफ
(c) Morse Telegraph.

(iii) अन्य
Others

(छ) यातायात सेवा द्वारा ब्लाक हट सहित ब्लाक स्टेशनों का वर्गीकरण

(g) Classification of Block Stations including Block Huts by Traffic Service.

(i) केवल यात्री यातायात के लिए चालू तथा माल यातायात के लिए नहीं
Open only to Passenger traffic and not to Goods traffic.

(ii) केवल माल यातायात के लिए चालू तथा यात्री यातायात के लिए नहीं
Open only to Goods traffic and not to Passenger traffic.

(iii) यात्री तथा माल यातायात दोनों के लिए चालू
Open to both Passenger and Goods traffic.

(iv) यात्री तथा माल यातायात दोनों के लिए चालू नहीं
Not open to both Passenger and Goods traffic.

(v) (i) से (iv) तक की मदों का जोड़
Total of Items (i) to (iv)

9(ख).02 गैर–ब्लाक स्टेशन
9(b).02 Non-Block Stations

(क) फ्लैग स्टेशन

(a) Flag Stations :

(i) केवल यात्री यातायात के लिए चालू और माल यातायात के लिए नहीं
Open only to Passenger traffic and not to Goods traffic.

(ii) केवल माल यातायात के लिए चालू और यात्री यातायात के लिए नहीं
Open only to Goods traffic and not to Passenger traffic.

विवरण–9(ख)–*(समाप्त)*
Statement-9(b) – *(Concld.)*

1	2	3	4	5

(iii) यात्री तथा माल यातायात दोनों के लिए चालू
Open to both Passenger and Goods traffic.
(iv) (i) से (iii) तक की मदों का जोड़
Total of Items (i) to (iii)

(ख) हाल्ट स्टेशन
(b) Halt Stations :
(i) केवल यात्री यातायात के लिए चालू और माल यातायात के लिए नहीं
Open only to Passenger traffic and not to Goods traffic.
(ii) केवल माल यातायात के लिए चालू और यात्री यातायात के लिए नहीं
Open only to Goods traffic and not to Passenger traffic.
(iii) यात्री तथा माल यातायात दोनों के लिए चालू
Open to both Passenger and Goods traffic.
(iv) (i) से (iii) तक की मदों का जोड़
Total of Items (i) to (iii)

(ग) कुल गैर–ब्लाक स्टेशन
(c) Total Non-block Stations
(i) केवल यात्री यातायात के लिए चालू और माल यातायात के लिए नहीं
Open only to Passenger traffic and not to Goods traffic.
(ii) केवल माल यातायात के लिए चालू और यात्री यातायात के लिए नहीं
Open only to Goods traffic and not to Passenger traffic.
(iii) यात्री तथा माल यातायात दोनों के लिए चालू
Open to both Passenger and Goods traffic.
(iv) (i) से (iii) तक की मदों का जोड़
Total of Items (i) to (iii)

9(ख).03 अन्य बुकिंग केंद्र (प्वाइंट)
9(b).03 Other Booking Points
(i) शाखा बुकिंग कार्यालय
Branch Booking Offices.
(ii) आउट एजेंसी
Out Agencies.
(iii) शाखा पार्सल कार्यालय
Branch Parcel Offices.
(iv) (i) से (iii) तक की मदों का जोड़
Total of Items (i) to (iii)

9(ख).04 स्टेशनों की संख्या
9(b).04 Number of Stations
(i) ब्लाक हट सहित स्टेशनों की संख्या.
Number of Stations including Block Huts.
(ii) ब्लाक हट को छोड़कर स्टेशनों की संख्या
[मद 9(ख).04(i)–9(ख).01(ग)(ii)].
Number of Stations excluding Block Huts.
[Item 9(b).04(i)–9(b).01(c)(ii)].
(iii) ऐसे स्टेशनों की संख्या जहां पर पानी का स्थानीय स्त्रोत नहीं है और जहां गाड़ी द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है.
Number of Stations having no local source of water supply and where water is railed in.

विवरण 9(ख) - वर्गीकृत स्टेशनों की संख्या

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नयी दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुंच जाए.

2. रिर्पोटाधीन वर्ष के अंतिम दिन यथा विद्यमान सूचना आमानवार अलग से प्रस्तुत की जायेगी. वर्ष के आंकड़ों के बीच किसी अंतर को पाद-टिप्पणी के माध्यम से स्पष्ट किया जायेगा अर्थात् बंद किये गये/खोले गये अथवा एक कोटि से दूसरी कोटि में स्थानांतरित किये गये स्टेशनों की संख्या.

3. आंकड़े यूनिट में दर्शाये जायेंगे.

4. मद 9(ख).01(क) और (ख) में ब्लाक हट सहित लाइनों पर सभी स्थल शामिल होंगे जहां यातायात होता है अथवा जहां से कार्य संचालन की पद्धति के अंतर्गत आगे जाने का प्राधिकार दिया जाता है किंतु मद 9(ख).02(क) और (ख) के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाये गये फ्लैग और हाल्ट स्टेशन शामिल नहीं होंगे.

टिप्पणी : (i) किसी संयुक्त स्टेशन को कार्य संचालन रेलवे के एक स्टेशन के रूप में माना जायेगा और उसे संयुक्त स्टेशन पर मिलने वाली अन्य रेलों के स्टेशनों की संख्या से निकाल दिया जायेगा. इसी सिद्धांत के आधार पर भिन्न-भिन्न आमानों का एक संयुक्त स्टेशन उच्चतर आमान में केवल एक बार गिना जायेगा.

(ii) मानक III, II आदि अंतर्पाशित स्टेशनों की परिभाषाएं भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली (पुनर्मुद्रण-1984) के खंड थ, पैरा 170-174 (गति वर्गीकरण) में दी गई है.

5. मद 9(ख).01(ग) (i), (ii)और (iii) क्रमशः ब्लाक हट रहित स्टेशनों की संख्या, ब्लाक हट की संख्या एवं ब्लाक हट सहित स्टेशनों की संख्या के विवरण दर्शायेंगें. ब्लाक हट लाइन पर ऐसे स्थल हैं जहां से संचालन की पद्धति के अंतर्गत आगे जाने का प्राधिकार दिया जाता है किंतु गाड़ियां खड़ी होने के लिए बुक नहीं की जाती हैं. 9(ख).01(ग) (iii), मद 9(ख).01(क) और 9(ख).01(ख) के अंतर्गत मदों का जोड़ होगा.

6. मद 9(ख).01(घ), अंतर्पाशन की विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत मद 9(ख).01(क) में दिए गए अंतर्पाशित स्टेशनों का वर्गीकरण बताएगा अर्थात् रूट रिले, पैनल तथा अन्य.

रूट रिले अंतर्पाशन उस प्रणाली को कहते हैं जहां गाड़ी के संचालन के लिए समग्र रूट, एक स्विच या स्विचों के जोड़े के परिचालन के रूट के साथ-साथ सभी प्वाइंट को वांछित स्थिति तक फैंककर स्वचालित रूप से सेट किया जाता है. इलैक्ट्रोनिक माध्यम (सोलिड स्टेट) तथा विद्युत-यांत्रिक माध्यम से बनाये गये रूट रिले अंतर्पाशन अलग-अलग दर्शाये जाने हैं.

Statement 9(b) - Number of stations classified

Instructions

1. The statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi by 15th May of the following financial year.

2. Information as obtaining on the last day of the year under report shall be furnished separately by gauges. Any variation between the figures of the year, shall be explained by way of a foot-note i.e. No. of Stations opened/closed or transferred from one category to other.

3. The figures shall be shown in units.

4. Items 9(b).01(a) & (b) shall include all places on the lines including Block Huts, where traffic is dealt with or at which an authority to proceed is given under the system of working but shall exclude Flag and Halt Stations separately shown under Items 9(b).02(a) and (b) respectively.

Note: (i) A joint station shall be taken as one of the stations of the working Railway and shall be omitted from the number of stations of other Railways meeting at the joint station. On the same principle, a joint station of different gauges is to be counted only once on the higher gauge.

(ii) Definitions of Standard III, II etc. inter-locked stations are given in Section L, Paras 170-174 (Speed Classification) of Indian Railways Signal Engineering Manual (Reprint 1984).

5. 9(b).01 (c) (i), (ii) and (iii) shall give respectively the details of number of stations excluding Block Huts, number of Block Huts and number of Stations including Block Huts. Block Huts are places on line where authority to proceed is given under the system of working but no trains are booked to stop. 9(b).01(c) (iii) shall be the total of items under 9(b).01(a) and 9(b).01 (b).

6. 9(b).01 (d) shall give the classification of interlocked stations as per item 9(b).01(a) under the different systems of interlocking viz., Route Relay, Panel and Others.

Route Relay Interlocking (RRI) refers to the system where the entire route for the movement of train is set automatically by throwing all the points along the route to desired position by the operation of a switch or pair of switches. RRI achieved through electronic means (Solid State) and electro-mechanical means is to be shown separately.

पैनल अंतर्पाशन, अंतर्पाशन की उस प्रणाली को कहते हैं जहां सभी प्वांइट और सिगनल एक केंद्रीय स्थान से बिजली द्वारा अलग-अलग परिचालित किए जाते हैं और परिचालन स्विच एक पैनल पर लगाये जाते हैं जिस पर यार्ड के विन्यास का एक आरेख भी बना होता है.

Panel interlocking refers to a system of interlocking where all the points and signals are operated individually from a central location electrically and operating switches are mounted on a panel on which the diagram of the yard lay-out is also drawn.

7. 9(ख).01(ङ), ब्लाक हट सहित ब्लाक स्टेशनों का सिगनल की भिन्न-भिन्न प्रणालियों के माध्यम से वर्गीकरण बतायेगा अर्थात् बहुसंकेती रंगीन रोशनी, बहुसंकेती अपर क्वाड्रेंट, और बहुसंकेती लोअर क्वाड्रेंट सिगनल प्रणाली.

7. 9(b).01(e) shall give the classification of block stations including block huts by different systems of signalling viz., Multiple aspect colour light, Multiple aspect Upper Quadrant and Multiple aspect Lower Quadrant signalling.

8. 9(ख).01(च), संचालन की विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत हाल्ट स्टेशनों सहित ब्लाक स्टेशनों का वर्गीकरण बतायेगा. स्वचालित ब्लाक प्रणाली संचालन की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें गाड़ियों के बीच स्थान अंतराल सिगनलों के माध्यम से स्वचालित ढंग से सुनिश्चित किया जाता है जो गाड़ियों के गुजरने से बिजली द्वारा नियंत्रित होते हैं.

8. 9(b).01(f) shall give the classification of block stations including halt stations under various systems of working. Automatic block system refers to a system of working where the space interval between the trains is ensured automatically through signals which are controlled electrically by the passage of trains.

संपूर्ण ब्लाक पद्धति उस कार्य-प्रणाली को दर्शाती है जहाँ लाइन को अनेक सेक्शनों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें ब्लाक सेक्शन कहते हैं. ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों द्वारा मैनुअल एवं संयुक्त परिचालन के जरिए दो रेलगाड़ियों के बीच का अंतराल सुनिश्चित किया जाता है.

Absolute block system refers to a system of working where the line is divided into a number of sections called block sections. The space interval is ensured between two trains by manual and joint operations of the station masters at either end of the block section.

इकहरी लाइन पर टोकन रहित संचालन वाले स्टेशनों, इकहरी लाइन पर टोकन/बाल और दुहरी लाइन पर ब्लाक प्रणाली के परिचालन से अग्रिम स्टार्टर को लोअर करने जैसा आगे बढ़ने का निर्धारित प्राधिकार तथा मोर्स तार के माध्यम से अंतर्बदल की गई संयुक्त संप्रेषण के आधार पर लाइन क्लीयर कागज दिये जाने वाले स्टेशनों के संबंध में सूचना अलग-अलग दी जायेगी.

Information shall be separately given for stations with tokenless working on single line, token/ball on single line and prescribed authority to proceed such as lowering of Advance starter by operation of block system on double line and a paper line clear based on the joint communication exchanged through Morse telegraph.

संचालन की अन्य प्रणालियां स्वचालित ब्लाक और संपूर्ण ब्लाक से भिन्न प्रणालियों के संबंध में इंगित करती हैं और उसमें, 'केवल एक इंजन' प्रणाली जैसी प्रणालियां शामिल होंगी.

Other systems of working shall refer to systems other than Automatic block and Absolute block and shall include systems such as 'one engine only' system.

9. मद 9(ख).01(छ)(v), मद 9(ख).01(ग)(iii) के साथ मेल खायेगा.

9. Item 9(b).01(g)(v) shall tally with Item No. 9(b).01(c)(iii).

10. मद 9(ख).02 (क) और (ख) में फ्लैग स्टेशन और हाल्ट स्टेशन के अंतर्गत वर्गीकृत दो सतत ब्लाक स्टेशन के बीच स्थित सभी गैर- ब्लाक स्टेशन शामिल होंगे. फ्लैग स्टेशनों में ऐसे गैर-ब्लाक स्टेशन शामिल होंगे जहां यातायात संभालने के लिए रेलवे कर्मचारी तैनात किए जाते हैं. गाड़ी हाल्टों की संख्या में लाइन पर ऐसे सभी स्थान शामिल होंगे जहां सवारियों और/या माल को चढ़ाने व उतारने के प्रयोजन से गाड़ियां ठहरने के लिए बुक की जाती हैं किंतु उन पर गाड़ी परिचालन को संभालने, सवारी या माल की बुकिंग के लिए कोई रेल कर्मचारी तैनात नहीं किए जाते हैं.

10. Items 9(b).02(a) and (b) shall include all non-block stations situated between two consecutive block stations, classified under flag stations and halts. Flag stations shall include those non-block stations where Railway staff are posted to deal with the traffic. Number of train halts shall include all places on the line where trains are booked to stop to pick up and set down passengers and/or goods but at which no Railway staff are posted to deal with train operations, booking of passengers or goods.

11. मद 9(ख).04(i) — मद 9(ख).01(ग)(iii) और 9(ख).02(क)(iv) का जोड़ होगा.

11. Item 9(b).04(i) — shall be the total of items 9(b).01(c) (iii) and 9(b).02(a)(iv).

.....रेलवे/Railway

विवरण-10
Statement-10

31 मार्च, को काम में लाए जा रहे (स्वामित्व के आधार पर) चल स्टॉक
Rolling Stock in service (on ownership basis) as on 31st March.....

क-रेल इंजन, रेल कारें (आंतरिक दहन इंजन चालित) तथा बिजली मोटर गाड़ियां
A - Locomotives, Rail Cars / Rail Bus (Internal Combustion Engine propelled) and Electric Motor Coaches

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन (1.676 मी.) Broad gauge (1.676m)	मीटर लाइन (1.000 मी.) Metre gauge (1.000m)	छोटी लाइन (0.762 मी.) Narrow gauge (0.762m)	छोटी लाइन (0.610 मी.) Narrow gauge (0.610m)
1	2	3	4	5	6
I	**रेल इंजन** **Locomotives**				
	संख्या :- *Number:-*				
10क. 01	भाप				
10 A. 01	Steam				
(क)	टेंडर				
(a)	Tender				
(ख)	टंकी				
(b)	Tank				
(ग)	कुल				
(c)	Total				
10क. 02	डीजल बिजली				
10A. 02	Diesel Electric				
10क. 03	डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक				
10A. 03	Diesel Hydraulic and Mechanical				
10क. 04	बिजली ए.सी.				
10A. 04	Electric A.C.				
10क. 05	बिजली डी.सी.				
10A. 05	Electric D.C.				
10क. 06	कुल				
10A. 06	Total				
	कुल कर्षण बल (किलोग्राम में) *Total tractive effort (in kgs.)*				
10क. 07	भाप				
10A. 07	Steam				
10क. 08	डीजल बिजली				
10A. 08	Diesel Electric				
10क. 09	डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक				
10A. 09	Diesel Hydraulic and Mechanical				
10क. 10	बिजली ए.सी.				
10A. 10	Electric A.C.				
10क. 11	बिजली डी.सी.				
10A. 11	Electric D.C.				
10क. 12	कुल				
10A. 12	Total				

1	2	3	4	5	6

कुल अश्व शक्ति
Total Horse Power

10क. 13 डीजल बिजली
10A. 13 Diesel Electric
10क. 14 डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक
10A. 14 Diesel Hydraulic and Mechanical
10क. 15 बिजली ए.सी.
10A. 15 Electric A.C.
10क. 16 बिजली डी.सी.
10A. 16 Electric D.C.

प्रति रेल इंजन औसत कर्षण बल(किलोग्राम में)
Average tractive effort of a loco (in kgs.)

10क. 17 भाप
10A. 17 Steam
10क. 18 डीजल बिजली
10A. 18 Diesel Electric
10क. 19 डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक
10A. 19 Diesel Hydraulic and Mechanical
10क. 20 बिजली ए.सी.
10A. 20 Electric A.C.
10क. 21 बिजली डी.सी.
10A. 21 Electric D.C.
10क. 22 कुल
10A. 22 Total

औसत अश्व शक्ति
Average Horse Power

10क. 23 डीजल बिजली
10A. 23 Diesel Electric
10क. 24 डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक
10A. 24 Diesel Hydraulic and Mechanical
10क. 25 बिजली ए.सी.
10A. 25 Electric A.C.
10क. 26 बिजली डी.सी.
10A. 26 Electric D.C.

II
(क) रेल कारें (आंतरिक दहन इंजन चालित)
(a) Rail Cars (Internal Combustion Engine Propelled)

10क. 27 संख्या
10A. 27 Number
सीटें/Seats –
10क. 28 पहली श्रेणी
10A. 28 First Class
10क. 29 दूसरी श्रेणी
10A. 29 Second Class

(ख) रेल बस
(b) Rail Bus

10क. 30 संख्या/सीटें
10A. 30 Number/Seats

III बिजली मोटर गाड़ियां
Electric Motor Coaches

10क. 31 संख्या
10A. 31 Number

1	2	3	4	5	6
	सीटें/Seats –				
10क. 32	पहली श्रेणी				
10A. 32	First Class				
10क. 33	दूसरी श्रेणी				
10A. 33	Second Class				
	वजन/Weight –				
10क. 34	औसत वजन टनों में				
10A. 34	Average weight in tonnes.				
10क. 35	कुल कर्षण बल (किलोग्राम में)				
10A. 35	Total tractive effort (in kgs.)				
IV	**डी.ई.एम.यू.** **Diesel Electric Multiple Unit**				
10क. 36	ड्राइविंग पावर कार	संख्या सीटें : प्रथम श्रेणी दूसरी श्रेणी			
10A. 36	Driving Power Car	No. Seats : First Class Second Class			
10क. 37	कुल कर्षण बल (किलोग्राम में)				
10A. 37	Total tractive effort (in kgs.)				
V	**डी.एच.एम.यू.** **Diesel Hydraulic Multiple Unit**				
10क. 38	ड्राइविंग पावर कार	संख्या सीटें : प्रथम श्रेणी दूसरी श्रेणी			
10A. 38	Driving Power Car	No. Seats : First Class Second Class			
10क. 39	कुल कर्षण बल (किलोग्राम में)				
10A. 39	Total tractive effort (in kgs.)				

अनुबंध-I/ANNEXURE-I

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-क का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 7 के अनुसार)
Annexure to Statement 10A (vide para 7 of the instructions)

31 मार्च को काम में लाए जा रहे इंजनों (स्वामित्व के आधार पर) की किस्म-वार संख्या
No. of locomotives in service (on ownership basis) by types as on 31st March.....

डीजल बिजली (ब.ला) Diesel Electric (B.G.)	डब्ल्यू डी एम 1 WDM 1	डब्ल्यू डी एम 2 WDM 2	डब्ल्यू डी एम 4 WDM 4	डब्ल्यू डी एम 6 WDM 6	डब्ल्यू डी एम 7 WDM7	डब्ल्यू डी एस 1 WDS 1	डब्ल्यू डी एस 5 WDS 5	डब्ल्यू डी एस 6 WDS 6	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total
डीजल बिजली (मी.ला.) Diesel Electric (M.G.)	वाई डी एम 3 YDM3	वाई डी एम 4 तथा 4ए YDM 4 & 4A	वाई डी एम 5 YDM5	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total					
डीजल हाइड्रॉलिक (ब.ला) Diesel Hydraulic (B.G.)	डब्ल्यू डी एम 3 WDM 3	डब्ल्यू डी एस 2 WDS2	डब्ल्यू डी एस 4बी तथा 4डी WDS 4B &4D	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total					
डीजल हाइड्रॉलिक (मी.ला.) Diesel Hydraulic (M.G.)	वाई डी एम 1 YDM 1	वाई डी एम 2 YDM 2	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total						
बिजली/Electric										
ए.सी. (ब.ला.) A.C. (B.G.)	डब्ल्यू ए एम1 WAM1	डब्ल्यू ए एम2 तथा 3 WAM2 &3	डब्ल्यू ए एम4 WAM 4	डब्ल्यू ए जी1 WAG 1	डब्ल्यू ए जी2 WAG2	डब्ल्यू ए जी3 WAG3	डब्ल्यू ए जी4 WAG 4			
	डब्ल्यू ए जी5ए WAG5A	5 एच ए 5HA	5 एच बी 5HB	डब्ल्यू ए जी 5बी WAG5B	डब्ल्यू ए जी 5सी WAG5C	डब्ल्यू ए जी5डी WAG5D	डब्ल्यू ए जी 5ई WAG5E			
	डब्ल्यू ए जी 6ए WAG6A	डब्ल्यू ए जी 6बी WAG6B	डब्ल्यू ए जी 6सी WAG6C	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total					
ए.सी./डी.सी. (ब.ला) A.C./D.C. (B.G.)	डब्ल्यू सी ए एम1 WCAM1	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total							
डी.सी. (ब.ला) D.C. (B.G.)	डब्ल्यू सी एम1 WCM1	डब्ल्यू सी एम2 WCM 2	डब्ल्यू सी एम3 WCM 3	डब्ल्यू सी एम4 WCM 4	डब्ल्यू सी एम5 WCM 5					
	डब्ल्यू सी जी 1 WCG 1	डब्ल्यू सी जी 2 WCG 2	अन्य कोई प्रकार Any other type	कुल Total						

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-क का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 8 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-A (vide para 8 of the Instructions)

वर्ष के दौरान चल स्टॉक (रेल इंजनों) में शुद्ध परिवर्धन

Net Addition to Rolling Stock (Locomotives) during the year.....

कर्षण	आमान	प्रकार	परिवर्धन/Addition				हटाए गए/Deletion				शुद्ध (+) या (-) कॉलम (7-10-11)
			परिवर्धन के हिसाब से	बदलाव के हिसाब से	अंतरण सहित अन्य	कुल कॉलम 4+5+6	नाकारा घोषित /Condemned: गतायु	नाकारा घोषित /Condemned: निर्धारित समय से पहले	नाकारा घोषित /Condemned: कुल कॉलम (8+9)	अंतरण सहित अन्य	
Traction	Gauge	Type	Addition Account	Replacement Account	Others incl. transfers	Total Cols. 4+5+6	Overaged	Underaged	Total Cols. (8+9)	Others incl. transfers	Net (+) or (-) Cols. (7-10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण 10-काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)

क-रेल इंजन, रेल कारें / रेल बस (आंतरिक दहन इंजन चालित) तथा बिजली मोटर गाड़ियां

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक पहुँच जाए.

2. सूचना आमान वार अलग-अलग भेजी जाएगी.

3. काम में लाए जा रहे चल स्टॉक में (स्वामित्व के आधार पर) वह सभी स्टॉक शामिल है, जो वस्तुत: लाइन पर है, उस स्टॉक सहित जिसे बदल दिया गया है, लेकिन जो अभी भी चालन में है अथवा जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है. अत: इसमें वह चल स्टॉक शामिल नहीं होगा जिसके लिए आर्डर दिया गया है अथवा जो निर्माणाधीन है, परिवहन के लिए नहीं सौंपा गया है, बेचा गया स्टॉक अथवा नाकारा घोषित किया गया लेकिन प्राधिकृत सूची से नहीं हटाया गया स्टॉक भी शामिल नहीं किया जाएगा. अन्य रेलों, अन्य सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों को उधार दिया गया स्टॉक भी शामिल किया जाएगा. लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक को शामिल नहीं किया जाएगा. दोनों मामलों में, उधार दिए गए स्टॉक को एक पाद टिप्पणी में दर्शाया जाएगा.

4. डी.सी. प्रणाली के अन्तर्गत अनन्य रूप से चालन के लिए वर्गीकृत बिजली इंजनों की गणना 'डी.सी.' के अन्तर्गत तथा ए.सी. प्रणाली के अंतर्गत व दोहरी वोल्टता (एसी-डीसी) प्रणाली के अंतर्गत चालन के लिए वर्गीकृत इंजनों को 'एसी' के अंतर्गत लेखे में लिया जाएगा.

5. भाप इंजनों के कर्षण बल का परिकलन करने के लिए निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा :

$$\text{टी} = \frac{\text{डी}^2 \times \text{पी} \times \text{एल}}{\text{डब्ल्यू}}$$

जहां

टी = पटरियों पर कर्षण बल, किलोग्राम में

डी = सिलिंडर का व्यास सेंटीमीटर में

पी = सिलिंडरों में भाप का माध्य दबाव कि.ग्रा. में अतितप्त इंजनों के मामले में प्रतिवर्ग सेंटीमीटर अधिकतम बायलर दबाव के 85 प्रतिशत और संतृप्त (सैचुरेटेड) इंजनों के मामले में 75 प्रतिशत पर लिया जाए.

एल = स्ट्रोक की लंबाई मिलिमीटर में

डब्ल्यू = चालन पहिए का व्यास मिलिमीटर में.

किसी रेल इंजन का औसत कर्षण बल प्रत्येक प्रकार के रेल इंजन के सामने

Statement 10 – Rolling Stock in Service (on ownership basis)

A–Locomotives, Rail Cars/Rail Bus (Internal Combustion Engine Propelled) and Electric Motor Coaches

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.

2. Information shall be furnished separately by gauges.

3. The Rolling Stock in service (on ownership basis) shall include all stock actually on the line including that replaced but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the Rolling Stock ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from authorised list. Stock lent to other Railways, other Government Departments or Home Line construction shall be included but that hired from other Railways etc., shall be excluded. In both the cases, the number of stock lent shall be shown in a foot–note.

4. Electric locomotives classed for running exclusively under DC system shall be accounted for against 'DC' and locomotives classed for running on 'AC' system and under Dual Voltage (AC-DC) system shall be accounted for against 'AC' .

5. In calculating the tractive effort of steam locomotives, the formula,

$$T = \frac{D^2 \times P \times L}{W}$$ shall be used where :-

T = Tractive force on rails in kgs.

D = Diameter of cylinder in centimetres.

P = Mean pressure of steam in cylinders in kgs. per square centimetre taken at 85 per cent of the maximum boiler pressure in the case of superheated engines and 75 per cent of the maximum boiler pressure in the case of saturated engines.

L = Length of stroke in millimetres.

W = Diameter of driving wheel in millimetres.

Average tractive effort of a locomotive is to be worked out

दिखाए गए कुल कर्षण बल को संबद्ध प्रकार के इंजनों की संख्या से विभाजित करके निकाला जाऐगा.

by dividing the total tractive effort shown against each type of locomotives by the number of locomotives of respective types.

टिप्पणी : संयुक्त इंजनों के मामलों में इस समय, निम्नलिखित पर कर्षण बल प्राप्त करना उपयुक्त होगा – संतृप्त (सैचुरेटेड) संयुक्त रेल इंजनों के लिए, आसंजक वजन × 0.225 तथा अतितप्त संयुक्त रेल इंजनों के लिए, आसंजक वजन × 0.25.

Note : - In the case of compound engines it would, for the present, be suitable to take the tractive effort at - Adhesive weight × 0.225 for saturated compound locomotives, and Adhesive weight × 0.25 for super-heated compound locomotives.

6. डीजल/बिजली इंजनों के मामले में कर्षण बल अ.अ.मा.सं. द्वारा विभिन्न खाचों के लिए जारी कर्षण बल वक्रों के आधार पर होगा.

6. In the case of Diesel/Electric engines, the tractive effort shall be based on Tractive Effort Curves for various notches issued by R.D.S.O.

7. बड़ी लाइन और मीटर लाइन के लिए डीजल बिजली/बिजली रेल इंजनों के मामले में, रेल इंजनों का प्रकार वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिखाया जाएगा.

7. In the case of Diesel Electric/Electric locomotives for B.G. and M.G., type-wise details of locomotives shall be furnished in Annexure-I.

8. वर्ष के दौरान इंजनों में शुद्ध वृद्धि का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अनुबंध –II में आमान–वार/प्रकार–वार/कर्षण वार दिया जाएगा.

8. The details of net addition to locomotives during the year shall be furnished gauge-wise/type-wise/traction-wise in Annexure-II as per proforma enclosed.

9. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नाकारा घोषित किए जाने के आंकड़े बोर्ड कार्यालय के यांत्रिक/बिजली इंजीनियरी निदेशालय को भेजे गए आंकड़ों तथा महा प्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट के यांत्रिक इंजीनियरी/बिजली इंजीनियरी अध्याय में समाविष्ट आंकड़ों से मेल खाते हैं.

9. It shall be ensured that the figures of condemnation tally with those supplied to the Mechanical / Electrical Engineering Directorate of Board's office and also as incorporated in Mechanical Engineering / Electrical Engineering Chapter of General Manager's Annual Report.

10. विभिन्न कर्षणों तथा आमानों द्वारा चल स्टॉक के प्रतिस्थापन का ब्यौरा निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अनुबंध–II में भेजा जाएगा :

10. The details of replacement of rolling stock by various tractions and gauges shall be sent in Annexure-II in the following break-up :

क) दुर्घटनाओं के कारण अथवा अवस्था के आधार पर नाकारा घोषित और कोडल अवधि के समाप्त हो जाने से पहले बदला जाने वाला स्टॉक.

a) Stock condemned and to be replaced before the expiry of codal life on account of accidents or on condition basis.

ख) प्रतिस्थापन के आधार पर देय स्टाक.

b) Stock becoming due on replacement basis.

ग) प्रतिस्थापन का पिछला बकाया.

c) Past arrears of replacement.

घ) प्रतिस्थापित लेकिन अभी भी काम में लाया जा रहा स्टॉक.

d) Stock replaced but still in service.

11. बिजली मोटर गाड़ियों के मामले में बैठने के स्थान में खडे होने के स्थान को भी शामिल किया जाएगा, जिसे अलग से एक पाद टिप्पणी में भी दिखाया जाएगा.

11. In case of electric motor coaches, seating accomodation/ capacity shall include the standing accomodation which shall also be furnished separately in a foot-note.

12. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दर्शाया गया स्टॉक रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेते हुए पिछले वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक के अनुरूप है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में दर्शाया गया स्टॉक बोर्ड कार्यालय के यांत्रिक/ बिजली इंजीनियरी निदेशालय को प्रस्तुत आयु विवरण में दर्शाए गए स्टॉक से मेल खाता है.

12. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with that at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement reconciles with those reported in the age statement furnished to the Mechanical / Electrical Engineering Directorate of the Board.

13. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां आयु विवरण में दी गई वैसी ही मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

13. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the age statement shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण-10
Statement-10

31 मार्च को काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
Rolling Stock in service (on ownership basis) as on 31st March.....

ख-कोचिंग स्टाक (बड़ी लाइन/मीटर लाइन) /B-Coaching Stock (B.G./M.G.)

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन/B.G.		मीटर लाइन/M.G.	
		पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4	5	6
I.	**सवारी डिब्बे :** - **Passenger Carriages :**				
	(i) सवारी डिब्बे (एक समान श्रेणी के) (ई.एम.यू. को छोड़कर) Passenger Carriages (excluding EMUs) of uniform class				
	10ख.01 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	संख्या शायिकाएं			
	10B.01 Air-conditioned First Class	No. Berths			
	10ख.02 वातानुकूलित शयनयान	संख्या शायिकाएं			
	10B.02 Air-conditioned Sleeper	No. Berths			
	10ख.03 वातानुकूलित 3 टियर	संख्या शायिकाएं			
	10B.03 Air-conditioned 3-Tier	No. Berths			
	10ख.04 वातानुकूलित कुर्सीयान	संख्या सीटें			
	10B.04 Air-conditioned Chair Car	No. Seats			
	10ख.05 प्रथम श्रेणी	संख्या शायिकाएं सीटें			
	10B.05 First Class	No. Berths Seats			
	10ख.06 दूसरी श्रेणी 10B.06 Second Class				
	(क) शयनयान डिब्बे	संख्या शायिकाएं सीटें			
	(a) Sleeper Coaches	No. Berths Seats			
	(ख) अन्य डिब्बे	संख्या सीटें			
	(b) Other Coaches	No. Seats			

1	2	3	4	5	6
(ii)	10ख.07 सवारी डिब्बे (ई.एम.यू. को छोड़कर) – संयुक्त	संख्या			
	10B.07 Passenger Carriages (excl. EMUs)-Composites	No.			
	10ख.08 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	शायिकाएं			
	10B.08 Air-conditioned First Class	Berths			
	10ख.09 वातानुकूलित कुर्सीयान	सीटें			
	10B.09 Air-conditioned Chair Car	Seats			
	10ख.10 प्रथम श्रेणी	शायिकाएं			
		सीटें			
	10B.10 First Class	Berths			
		Seats			
	10ख.11 दूसरी श्रेणी	शायिकाएं			
		सीटें			
	10B.11 Second Class	Berths			
		Seats			
(iii)	10ख.12 ई.एम.यू. ट्रेलर कोच	संख्या			
	10B.12 E.M.U. Trailer Coaches	No.			
		ड्राइविंग			
		Driving			
		नान–ड्राइविंग			
		Non-driving			
		कुल			
		Total			
		सीटें : –			
		प्रथम श्रेणी			
		दूसरी श्रेणी			
		Seats : -			
		First Class			
		Second Class			
(iv)	डी. ई. एम. यू.				
	Diesel Electric Multiple Unit				
	10ख. 13 ड्राइवर्स ट्रेलर कार	संख्या			
		सीटें:			
		प्रथम श्रेणी			
		दूसरी श्रेणी			
	10B.13 Driver’s Trailer Car	No.			
		Seats : -			
		First Class			
		Second Class			
	10ख.14 ट्रेलर कार	संख्या			
		सीटें:			
		प्रथम श्रेणी			
		दूसरी श्रेणी			
	10B.14 Trailer Car	No.			
		Seats : -			
		First Class			
		Second Class			

1	2	3	4	5	6

(v) डी. एच. एम. यू.
Diesel Hydraulic Multiple Unit

	10ख.15 ड्राइवर्स ट्रेलर कार	संख्या सीटें: प्रथम श्रेणी दूसरी श्रेणी
	10B.15 Driver's Trailer Car	No. Seats : - First Class Second Class
	10ख.16 ट्रेलर कार	संख्या सीटें: प्रथम श्रेणी दूसरी श्रेणी
	10B.16 Trailer Car	No. Seats : - First Class Second Class
(vi)	10ख.17 कुल मदें (i) से (v)	संख्या
	10B.17 Total items (i) to (v)	No.
	10ख.18 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	शायिकाएं
	10B. 18 Air-conditioned First Class	Berths
	10ख.19 वातानुकूलित शयनयान	शायिकाएं
	10B.19 Air-conditioned Sleeper	Berths
	10ख.20 वातानुकूलित कुर्सीयान	सीटें
	10B.20 Air-conditioned Chair Car	Seats
	10ख.21 प्रथम श्रेणी	शायिकाएं सीटें
	10B.21 First Class	Berths Seats
	10ख.22 दूसरी श्रेणी	शायिकाएं सीटें
	10B.22 Second Class	Berths Seats
(vii)	10ख.23 भोजनयान	संख्या सीटें
	10B.23 Dining Cars	No. Seats
(viii)	10ख.24 पर्यटन तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य डिब्बे	संख्या शायिकाएं सीटें
	10B.24 Tourist and other Carriages for Public Use	No. Berths Seats

1	2	3	4	5	6
	(ix) 10ख.25 राज्य सैलूनों तथा सैनिक यानों सहित विविध यान	संख्या शायिकाएं सीटें			
	10B.25 Miscellaneous Cars including State Saloons & Military Cars	No. Berths Seats			
	(x) 10ख.26 कुल सवारी डिब्बे (कुल मदें 10ख.17 से 10ख.25)	संख्या शायिकाएं सीटें			
	10B.26 Total Passenger Carriages (Total items 10B.17 to 10B.25)	No. Berths Seats			
II	**अन्य कोचिंग डिब्बे :** – **Other Coaching Vehicles :-**				
	(i) 10ख.27 सामान एवं ब्रेकयान–संयुक्त	संख्या			
	10B.27 Luggage-cum-Brake Vans-Composites	No.			
	(ii) 10ख.28 डाकयान	संख्या			
	10B.28 Mail Vans	No.			
	(iii) 10ख.29 मोटर यान	संख्या			
	10B.29 Motor Vans	No.			
	(iv) 10ख.30 अश्व यान	संख्या स्टाल			
	10B.30 Horse Vans	No. Stalls			
	(v) 10ख.31 सामानयान	संख्या			
	10B.31 Luggage Vans	No.			
	(vi) 10ख.32 विभागीय को छोड़कर विविध	संख्या			
	10B.32 Miscellaneous excluding Departmental	No.			
	(vii) 10ख.33 कुल अन्य कोचिंग वाहन (कुल मदें 10ख.27 से 10ख.32)	संख्या			
	10B.33 Total Other Coaching Vehicles (Total items 10B.27 to 10B.32)	No.			
III	**10ख.34 केवल सवारी गाड़ियों के लिए प्रयुक्त ब्रेक यान** **10B.34 Brake Vans used exclusively on Passenger Services**	संख्या No.			
IV	**10ख.35 सार्वजनिक उपयोग के लिए कुल कोचिंग वाहन (कुल मदें 10ख.26+10ख.33+10ख.34)** **10B.35 Total Coaching Vehicles for Public Use (Total items 10B.26 + 10B.33+10B.34)**	संख्या No.			
V	**10ख.36 रेल सेवा वाहन (अधिकारियों के डिब्बों सहित)** **10B.36 Railway Service Vehicles (including Officers' Carriages)**	संख्या शायिकाएं No. Berths			

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं/In this statement, figures for previous and current years are to be given.

विवरण 10-ख का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 8 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-B (Vide Para 8 of the Instructions)

वर्ष..... के दौरान चल स्टॉक (सवारी डिब्बों) में शुद्ध परिवर्धन
Net Addition to Rolling Stock (Coaches) during the year.....

आमान Gauge	प्रकार Type	परिवर्धन Addition				हटाए गए Deletion				शुद्ध (+) या (–) कालम (6-9-10) Net (+) or (–) (Cols. 6-9-10)
		परिवर्धन के हिसाब से Addition Account	बदलाव के हिसाब से Replacement Account	अंतरण सहित अन्य Others including transfers	कुल Total	नाकारा घोषित Condemned			अंतरण सहित अन्य Others including transfers	
						गतायु Over-aged	निर्धारित समय से पूर्व नाकारा घोषित Under-aged	कुल Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

विवरण 10-काम में लाये जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)

ख-कोचिंग स्टॉक (बड़ी लाइन / मीटर लाइन)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को पहुँच जाए.
2. सूचना, बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए अलग-अलग भेजी जाएगी.
3. काम में लाए जा रहे कोचिंग स्टॉक में (स्वामित्व के आधार पर) वह सभी स्टॉक शामिल होगा, जो वस्तुत: लाइन पर है, उस बदले गये स्टॉक सहित जो अभी भी चालन में है या जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है. अत: इसमें वह चल स्टॉक शामिल नहीं होगा जिसके लिए आर्डर दिया गया है अथवा जो निर्माणाधीन है, परिवहन के लिए नहीं सौंपा गया है अथवा बेचा गया अथवा नाकारा घोषित किया गया लेकिन प्राधिकृत सूची से न हटाया गया स्टॉक भी शामिल नहीं होगा. अन्य रेलों, सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों के लिए दिया गया स्टॉक शामिल किया जाएगा, लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा. उधार पर दिए गए स्टॉक की संख्या एक पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी.
4. रेल कार ट्रेलर डिब्बे को साधारण सवारी डिब्बे समझा जाएगा. लेकिन बिजली ट्रेलर डिब्बों को मद 10ख.12 से 10ख.16 के सामने अलग से दिखाया जाएगा. ट्रेलर डिब्बे में सीटों की संख्या में खड़े होने का स्थान भी शामिल होगा जिसे पाद टिप्पणी में भी अलग से दर्शाया जाएगा.
5. मद 10ख.07 में ब्रेक वैन अथवा मेल वैन इत्यादि सहित सवारी/संयुक्त गाड़ियों को शामिल किया जाएगा. दूसरी श्रेणी में दर्शाई गई शायिकाओं की संख्या में ऐसे डिब्बों में दिये गये बैठने का स्थान भी शामिल होना चाहिये.
6. सैनिक कारों की संख्या मद 10ख.25 में शामिल की जाएगी.
7. अभ्युक्ति कॉलम में एक टिप्पणी दी जाएगी, जिसमें विविध मद (10ख.32) के अंतर्गत शामिल विद्युतरोधित तथा रेफ्रीजरेटर कारों की संख्या दर्शाई जाएगी.
8. वर्ष के दौरान सवारी डिब्बों में शुद्ध परिवर्धन का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार आमान-वार तथा प्रकार-वार दिया जाएगा.
9. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नाकारा घोषित किए जाने के आंकड़े बोर्ड कार्यालय के यांत्रिक/बिजली निदेशालय को दिए गए आंकड़ों तथा महा प्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट के यांत्रिक/बिजली इंजीनियरी अध्याय में शामिल आंकड़ों से मेल खाते हैं.

Statement 10 — Rolling Stock in Service (on ownership basis)

B-Coaching Stock (Broad Gauge / Metre Gauge)

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.
2. Information shall be furnished separately for the Broad and Metre Gauge.
3. The coaching stock in service (on ownership basis) shall include all stock actually on the line including that replaced but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the coaching stock ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from the authorised list. Stock lent to other Railways, other Government Departments or Home Line constructions shall be included, but that hired from other Railways etc., shall be excluded. The number of stock lent shall be shown in a foot-note.
4. Rail-car trailer coaches shall be treated as ordinary passenger carriages. Electric trailer coaches/Diesel trailer coaches shall, however be shown separately against item 10B.12 to 10B. 16. Number of seats in a trailer coach shall include the standing accommodation which shall also be shown separately in a foot-note.
5. Item 10B.07 shall include passenger/composite carriages including those with brake vans or mail vans etc. Number of berths shown under second class shall include the seating accommodation provided in such carriages.
6. The number of military cars shall be included against item 10B.25.
7. A note shall be given in the remarks column showing number of insulated and refrigerator cars included under Miscellaneous item 10B.32.
8. The details of net addition to coaches during the year shall be furnished gauge-wise and type-wise in Annexure as per proforma enclosed.
9. It shall be ensured that the figures of condemnation tally with those supplied to the Mechanical/Electrical Directorate of Board's office and also as incorporated in Mechanical/ Electrical Engineering chapter of General Manager's Annual Report.

10. विभिन्न प्रकार तथा आमान के चल स्टॉक के बदलाव का ब्यौरा नीचे लिखे गए अनुसार अनुबंध में भेजा जाएगा :

 क) दुर्घटनाओं के कारण अथवा अवस्था के आधार पर नाकारा घोषित और कोडल अवधि के समाप्त होने से पहले बदला जाने वाला स्टॉक.

 ख) बदलाव के आधार पर देय स्टाक.

 ग) बदलाव का पिछला बकाया.

 घ) बदला गया लेकिन अभी भी काम में लाया जा रहा स्टॉक.

11. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दिखाया गया स्टॉक रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेने के बाद पिछले वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक से मेल खाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में दर्शाया गया स्टॉक रेलवे बोर्ड के यांत्रिक /बिजली इंजीनियरी निदेशालय को भेजे गए आयु विवरण में दर्शाए गए स्टॉक से मेल खाता है.

12. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए है, वहां आयु विवरण में ऐसी मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

10. The details of replacement of rolling stock by various types and gauges shall be sent in Annexure in the following break-up :

 a) Stock condemned and to be replaced before the expiry of codal life on account of accidents or on condition basis.

 b) Stock becoming due on replacement basis.

 c) Past arrears of replacement.

 d) Stock replaced but still in service.

11. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with that at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement is reconciled with that reported in the Age Statement furnished to the Mechanical / Electrical Engineering Directorate of the Railway Board.

12. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the Age Statement shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण-10
Statement-10

31 मार्च, को काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
Rolling Stock in Service (on ownership basis) as on 31st March.....

ग-माल स्टाक (बड़ी लाइन/ मीटर लाइन) /C-Goods Stock (B.G./M.G.)

मद Item	ब्यौरा Description		बड़ी लाइन/B.G. पिछला वर्ष Previous Year	बड़ी लाइन/B.G. चालू वर्ष Current Year	मीटर लाइन/M.G. पिछला वर्ष Previous Year	मीटर लाइन/M.G. चालू वर्ष Current Year
1	2		3	4	5	6
I	**नीचे मद (IV) में दर्शाए गए मालडिब्बों को छोड़कर बंद मालडिब्बे :** - **Covered wagons excluding those shown in item (IV) below :-**					
10ग.01	सामान्य सेवा चौपहिए	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.01	General service four-wheelers	in vehicle units				
10ग.02	सामान्य सेवा बोगी माल डिब्बे	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.02	General service bogie wagons	in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.03	विशेष प्रकार के माल डिब्बे	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.03	Special type wagons	in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.04	कुल	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.04	Total	in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.05	कुल वहन क्षमता (टनों में) (10 ग. 04 में शामिल मालडिब्बों के लिए)					
10C.05	Total carrying capacity (in tonnes) (For wagons included in 10C.04)					
10ग.06	माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता (टनों में)					
10C.06	Average carrying capacity of a wagon (in tonnes)					
	10ग.05 / 10ग.04 — 10C.05 / 10C.04	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
II	**मद (III) तथा (IV) में दर्शाए गए माल डिब्बों को छोड़कर खुले माल डिब्बे :-** **Open wagons excluding those shown in items (III) and (IV) below :-**					
10ग.07	सामान्य सेवा चौपहिए	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.07	General service four-wheelers.	in vehicle units				
10ग.08	सामान्य सेवा बोगी मालडिब्बे	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.08	General service bogie wagons	in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.09	विशेष प्रकार के माल डिब्बे	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.09	Special type wagons	in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.10	कुल	(i) वाहन यूनिटों में				
10C.10	Total	in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.11	कुल वहन क्षमता (टनों में) (10 ग.10 में शामिल माल डिब्बों के लिए)					
10C.11	Total carrying capacity (in tonnes) (For wagons included in 10C.10)					

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन/B.G. पिछला वर्ष Previous Year	बड़ी लाइन/B.G. चालू वर्ष Current Year	मीटर लाइन/M.G. पिछला वर्ष Previous Year	मीटर लाइन/M.G. चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4	5	6
10ग.12 10C.12	माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता (टनों में) Average carrying capacity of a wagon (in tonnes)				
	10ग.11 / 10ग.10 — 10C.11 / 10C.10 (i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
III	**खुले माल डिब्बे (निम्न पार्श्व वाले)** **Open wagons (low sided):-**				
10ग.13 10C.13	सामान्य सेवा चौपहिए General service four-wheelers (i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
10ग.14 10C.14	सामान्य सेवा बोगी माल डिब्बे General service bogie wagons (i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.15 10C.15	विशेष प्रकार के माल डिब्बे Special type wagons (i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.16 10C.16	कुल Total (i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
10ग.17 10C.17	कुल वहन क्षमता (टनों में) (मद 10ग.16 में शामिल माल डिब्बों के लिए) Total carrying capacity (in tonnes) (For wagons included in item 10C.16)				
10ग.18 10C.18	माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता (टनों में) Average carrying capacity of a wagon (in tonnes) 10ग.17 / 10ग.16 — 10C.17 / 10C.16 (i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units				
IV	**अन्य माल स्टॉक** **Other goods stock :-**				
10ग.19 10C.19	पशुओं के लिए माल डिब्बे Live stock wagons (i) चौपहिए / Four-wheelers (ii) बोगियां: / Bogies: (क) वाहन यूनिटों में / (a) in vehicle units (ख) चौपहिया यूनिटों में / (b) in four-wheeler units				
10ग.20 10C.20	विस्फोटकों के लिए मालडिब्बे Wagons for explosives (i) चौपहिए / Four-wheelers (ii) बोगियां: / Bogies: (क) वाहन यूनिटों में / (a) in vehicle units (ख) चौपहिया यूनिटों में / (b) in four-wheeler units				
10ग.21	इमारती लकड़ी के लिए माल डिब्बे (i) चौपहिए (ii) बोगियां: (क) वाहन यूनिटों में (ख) चौपहिया यूनिटों में				

मद Item	ब्यौरा Description		बड़ी लाइन/B.G. पिछला वर्ष Previous Year	बड़ी लाइन/B.G. चालू वर्ष Current Year	मीटर लाइन/M.G. पिछला वर्ष Previous Year	मीटर लाइन/M.G. चालू वर्ष Current Year
1	2		3	4	5	6
10C.21	Timber wagons	(i) Four-wheelers				
		(ii) Bogies:				
		(a) in vehicle units				
		(b) in four-wheeler units				
10ग.22	रेल माल डिब्बे	(i) चौपहिए				
		(ii) बोगियां:				
		(क) वाहन यूनिटों में				
		(ख) चौपहिया यूनिटों में				
10C.22	Rail wagons	(i) Four-wheelers				
		(ii) Bogies:				
		(a) in vehicle units				
		(b) in four-wheeler units				
10ग.23	कूप माल डिब्बे	(i) चौपहिए				
		(ii) बोगियां:				
		(क) वाहन यूनिटों में				
		(ख) चौपहिया यूनिटों में				
10C.23	Well wagons	(i) Four-wheelers				
		(ii) Bogies:				
		(a) in vehicle units				
		(b) in four-wheeler units				
10ग.24	पेट्रोल टंकी माल डिब्बे	(i) चौपहिए				
		(ii) बोगियां:				
		(क) वाहन यूनिटों में				
		(ख) चौपहिया यूनिटों में				
10C.24	Petrol tank wagons	(i) Four-wheelers				
		(ii) Bogies:				
		(a) in vehicle units				
		(b) in four-wheeler units				
10ग.25	अन्य टंकी मालडिब्बे	(i) चौपहिए				
		(ii) बोगियां:				
		(क) वाहन यूनिटों में				
		(ख) चौपहिया यूनिटों में				
10C.25	Other tank wagons	(i) Four-wheelers				
		(ii) Bogies:				
		(a) in vehicle units				
		(b) in four-wheeler units				
10ग.26	विविध मालडिब्बे	(i) चौपहिए				
		(ii) बोगियां:				
		(क) वाहन यूनिटों में				
		(ख) चौपहिया यूनिटों में				
10C.26	Miscellaneous wagons	(i) Four-wheelers				
		(ii) Bogies:				
		(a) in vehicle units				
		(b) in four-wheeler units				
10ग.27	कुल (10ग.19 से 10ग.26)	(i) वाहन यूनिटों में				
		in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में				
10C.27	Total (10C.19 to 10C.26)	in four-wheeler units				
10ग.28	कुल वहन क्षमता (टनों में) (10 ग.27 में शामिल मालडिब्बों के लिए)					
10C.28	Total carrying capacity (in tonnes) (For wagons included in 10C.27)					
10ग.29	माल डिब्बों की औसत वहन क्षमता (टनों में)					
10C.29	Average carrying capacity of a wagon (in tonnes)					
	10ग.28 / 10ग.27 10C.28 / 10C.27	(i) वाहन यूनिटों में				
		in vehicle units				
		(ii) चौपहिया यूनिटों में				
		in four-wheeler units				

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन/B.G.		मीटर लाइन/M.G.	
		पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4	5	6

V सार्वजनिक उपयोग के लिए कुल माल स्टॉक
Total Goods Stock for public use :-

10ग.30	कुल मदें 10 ग.04 + 10ग.10 + 10ग.16 +10ग.27	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units
10C.30	Total items 10C.04 + 10C.10 + 10C.16 + 10C.27	(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units
10ग.31	मद 10ग.30 में शामिल माल डिब्बों के लिए कुल वहन क्षमता (टनों में)	
10C.31	Total carrying capacity (in tonnes) (For wagons included in item 10C.30)	
10ग.32	माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता	
10C.32	Average carrying capacity of a wagon (in tonnes)	
	10ग.31 / 10ग.30 — 10C.31 / 10C.30	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units

VI ब्रेकयान
Brake vans

10ग.33	यात्री, मिश्रित अथवा माल सेवाओं के लिए विभेद बिना उपयोग किए गए सभी ब्रेकयान (मद 10ख.34 के अंतर्गत सूचित किए गए ब्रेकयानों को छोड़कर)
10C.33	All brake vans used indiscriminately on passenger, mixed or goods services (excluding those reported under item 10B. 34).

VII कुल
Total

10ग.34	कुल मदें 10ग.30 + 10ग.33	
10C.34	Total of items 10C.30 + 10C.33	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units (ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units

VIII विभागीय स्टॉक
Departmental stock

10ग.35	रेल सेवा मालडिब्बे	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units
10C.35	Railway service wagons	(ii) चौपहिया यूनिटों में in four-wheeler units
10ग.36	चल क्रेनें तथा उनका डमी स्टॉक	
10C.36	Travelling cranes and their dummy stock	

IX सड़क वाहन
Road vehicles

10ग.37	सड़क मोटरें (मोटर कारों तथा मोटर यानों सहित)
10C.37	Road motors (including motor cars and motor vans)

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्षों के आकंड़े दिए जाएं.
In this statement, figures for previous and current years are to be given.

अनुबंध-I/ANNEXURE-I

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-ग का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 11 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-C (Vide para 11 of the Instructions)

31 मार्च को काम में लाए जा रहे माल डिब्बों (स्वामित्व के आधार पर) की प्रकार-वार संख्या
No. of Wagons in Service (on ownership basis) by types as on 31st March.....

माल डिब्बे (बड़ी लाइन) Wagon (Broad Gauge)	किस्म/प्रकार Types				
बंद मालडिब्बे **Covered**	बी.सी.एन. BCN	बी.सी.एक्स. BCX	सी.आर.टी. CRT	बी.सी.बी.जी. BCBG	अन्य कोई प्रकार Any other type
खुले उच्च पार्श्व वाले **Open high sided**	बी.ओ.एक्स. BOX	बी.ओ.एक्स. (एन) BOX (N)	अन्य कोई प्रकार Any other type		
हॉपर माल डिब्बे **Hopper**	बी.ओ.बी. BOB बी.ओ.बी.एक्स. BOBX	बी.ओ.बी.एस. BOBS बी.ओ.बी.आर. BOBR	बी.ओ.बी.वाई. BOBY अन्य कोई प्रकार Any other type	बी.ओ.बी.सी. BOBC	
निम्न पार्श्व वाले **Low sided**	बी.आर.एच. BRH बी.एफ.के.आई. BFKI	बी.आर.एन. BRN बी.ओ.वाई. BOY	बी.आर.एस./बी.आर.एस.टी. BRS/BRST अन्य कोई प्रकार Any other type	बी.एफ.के. BFK	
ब्रेकयान **Brake van**	बी.वी.जैड.सी. BVZC	बी.वी.जी. BVG	बी.वी.जी.टी. BVGT	अन्य कोई प्रकार Any other type	

अनुबंध-I *(जारी)*/**ANNEXURE-I***(Contd.)*

10-काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
10-Rolling Stock in Service (on ownership basis)

विभिन्न प्रकार के माल-डिब्बों की व्याख्या नीचे दी गयी है :
Explanation for various types are as follows:

बंद मालडिब्बे
Covered

बी.सी.एन.		वायु ब्रेक सहित बंद बोगी माल डिब्बे.
BCN	-	Covered bogie wagon with air brakes.
बी.सी.एक्स.		खाद्यानों तथा सीमेंट के लिए जलरोधी बंद बोगी माल डिब्बे.
BCX	-	Water-tight covered bogie wagon for foodgrains and cement.
सी.आर.टी.		रोलर बेयरिंग सहित बन्द चौपहिए माल डिब्बे.
CRT	-	Covered four-wheeled wagon with roller bearings
बी.सी.बी.जी.		खाद्यानों के लिए बंद बोगी हॉपर माल डिब्बे, नीचे से निस्सृत होने वाले, 'लाइन साइड' उपस्कर द्वारा वायु चलित दरवाजे.
BCBG	-	Covered bogie hopper wagon for grains, bottom discharge, doors pneumatically operated by the line side equipment.

खुले उच्च पार्श्व वाले
Open High sided

बी.ओ.एक्स.		कोयला तथा अन्य थोक यातायात के लिए उच्च पार्श्व वाला खुली बोगी माल डिब्बा.
BOX	-	High sided open bogie wagon for coal and other bulk traffic.
बी.ओ.एक्स.(एन)		वायु ब्रेक सहित उच्च पार्श्व वाला खुला बोगी माल डिब्बा, कम लंबाई, ढांचे की उँचाई और चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक तथा बढ़ी हुई वहन क्षमता.
BOX(N)	-	High sided open bogie wagon with air brakes, shorter length, higher body height & width and increased carrying capacity.

हॉपर
Hopper

बी.ओ.बी.		बोगी हॉपर मालडिब्बा पार्श्व से निस्सृत होने वाला हापर कोण 35º.
BOB	-	Bogie hopper wagon with side discharge, hopper angle 35º.
बी.ओ.बी.एस.		बोगी हॉपर मालडिब्बा पार्श्व से निस्सृत होने वाला, रोलर बेयरिंग के साथ फिट, हॉपर कोण 45º.
BOBS	-	Bogie hopper wagon with side discharge fitted with roller bearings, hopper angle 45º.
बी.ओ.बी.वाई.		बोगी हॉपर माल डिब्बा पार्श्व से निस्सृत होने वाला.
BOBY	-	Bogie hopper wagon with side discharge.
बी.ओ.बी.सी.		बोगी हॉपर माल डिब्बा, मध्य से निस्सृत होने वाला.
BOBC	-	Bogie hopper wagon with centre discharge.
बी.ओ.बी.एक्स.		बोगी हॉपर माल डिब्बा मध्य से तथा पार्श्व से निस्सृत होने वाला.
BOBX	-	Bogie hopper wagon with centre and side discharge.
बी.ओ.बी.आर.		बोगी खुला तुरंत निस्सृत होने वाला हॉपर माल डिब्बा, निकासी टर्मिनल पर स्थापित लाइन साइड उपस्कर द्वारा वैद्युत वायुचलित दरवाजा.
BOBR	-	Bogie open rapid discharge hopper wagon, door electro-pneumatically operated by the line side equipment installed at the un-loading terminal.

निम्न पार्श्व वाले
Low sided

बी.आर.एच.		पत्तियों (फ्लैट) तथा रेल छड़ों के लिए बोगी रेल भारी माल डिब्बा बोगी बाक्स टाइप, किनारे स्थिर या सिमटवा हों.
BRH	-	Bogie rail wagon heavy for flats and rail bars bogie BOX type, ends fixed or collapsible.
बी.आर.एन.		वायु ब्रेक द्वारा फिट बोगी रेल भारी माल डिब्बा.
BRN	-	Bogie rail wagon heavy fitted with air brakes
बी.आर.एस/बी.आर.एस.टी.		बोगी रेल माल डिब्बा, बोगी बाक्स टाइप किनारे सिमटवा.
BRS/BRST	-	Bogie rail wagon, bogie box type, ends collapsible.
बी.एफ.के.		बोगी कंटेनर चपटे - अर्ध स्वचालित तालों के साथ फिट किए गए, 5 टन वाला बड़ी लाइन/मीटर लाइन कंटेनर के वहन के लिये उपयुक्त.
BFK	-	Bogie container flat fitted with semi-automatic locks, suitable for transport of 5 tonnes BG/MG containers only.
बी.एफ.के.आई.		बोगी कंटेनर, चपटे, प्रत्याकर्मी जकड़ तालों से फिट, 5 टन बड़ी लाइन/मीटर लाइन घरेलू तथा आई एस ओ कंटेनर दोनों के परिवहन के लिए उपयुक्त.
BFKI.	-	Bogie container flat fitted with retractable anchorage locks, suitable for transport of both 5t BG/MG domestic and ISO containers
बी.ओ.वाई.		लौह अयस्क इत्यादि के वहन के लिए निम्न पार्श्व वाले खुले बोगी माल डिब्बे.
BOY	-	Low sided open bogie wagon to carry iron ore etc.

ब्रेकयान
Brake van

बी.वी.जैड.सी.		वायु ब्रेक के साथ फिट किए गए ब्रेकयान.
BVZC	-	Brake van fitted with air brakes.
बी.वी.जी.		ब्रेकयान.
BVG	-	Brake van.
बी.वी.जी.टी.		ट्रांजिट कपलिंग वाले ब्रेकयान.
BVGT	-	Brake van with transit coupling.

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-ग का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 12 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-C (vide para 12 of the Instructions)

वर्षके दौरान चल स्टॉक (माल डिब्बों) में शुद्ध परिवर्धन

Net addition to Rolling Stock (Wagons) during the year.....

आमान Gauge	प्रकार Type	परिवर्धन/Addition				हटाए गये /Deletion				शुद्ध (+) या (-) कॉलम (6-9-10) Net (+) or (-) Cols. (6-9-10)
		परिवर्धन के हिसाब से Addition account	बदलाव के हिसाब से Replacement account	अंतरण सहित अन्य Others including transfers	कुल Total	नाकारा घोषित/Condemned: गतायु Overaged	नाकारा घोषित/Condemned: निर्धारित समय से पूर्व नाकारा घोषित Underaged	नाकारा घोषित/Condemned: कुल Total	अंतरण सहित अन्य Others including transfers	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

विवरण 10-काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)

ग -माल स्टॉक (बड़ी लाइन/मीटर लाइन)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक पहुँच जाए.
2. बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए सूचना अलग-अलग भेजी जाएगी.
3. काम में लाए जा रहे माल स्टॉक में (स्वामित्व के आधार पर) वह सभी स्टॉक शामिल है, जो वस्तुत: लाइन पर है उस स्टॉक सहित जिसे बदल दिया गया है लेकिन जो अभी भी चालन में है अथवा जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है. अत: इसमें वह चल स्टॉक शामिल नहीं होगा जिसके लिए आर्डर दिया गया है या जो निर्माणाधीन है, परिवहन के लिए नहीं सौंपा गया है, अथवा बेचा गया या रद्द किया गया लेकिन प्राधिकृत सूची से नहीं हटाया गया. अन्य रेलों, अन्य सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों के लिए उधार दिए गए स्टॉक को शामिल किया जाएगा लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा. दोनों मामलों में, उधार दिए गए स्टॉक की संख्या एक पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी.
4. यदि किसी माल डिब्बे की बगलों से ऊपरी सिरे तक घन मीटरों में मापी गई और माल डिब्बे की, टनों में, वहन क्षमता से विभाजित की गई घन क्षमता 0.97 घन मीटर से अधिक निकलती है तो माल डिब्बे को उच्च पार्श्व वाला समझा जाएगा. यदि यह 0.97 अथवा इससे कम है तो उसे निम्न पार्श्व का समझा जाएगा.
5. मद 10ग.03 में बी सी एक्स, बी सी एन, बी सी बी जी तथा सी आर टी प्रकार के माल डिब्बे शामिल होंगे.
6. मद 10ग.09 में निम्नलिखित प्रकार के माल डिब्बे शामिल होगें : बी ओ बी एक्स, बी ओ बी एस, बी ओ एक्स, बी ओ एक्स एन, बी ओ बी, बी ओ बी सी, बी ओ वाई, बी डब्ल्यू एल, बी डब्ल्यू टी, बी डब्ल्यू एच तथा बी डब्ल्यू एस.
7. मद 10ग.15 में बी आर एस, बी आर एच तथा बी आर एन प्रकार के माल डिब्बे शामिल होंगे.
8. मद (I) से (III) के सामने दर्शाया गया माल स्टॉक मद (IV) -अन्य माल स्टॉक के अंतर्गत नहीं गिना गया है.
9. मद 10ग.06, 10ग.12, 10ग.18, 10ग.29 तथा 10ग.32 के लिए किसी माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता, मद 10ग.05, 10ग.11, 10ग.17, 10ग.28 तथा 10ग.31 के सामने दर्शाई गई कुल क्षमता (टनों में) को मद 10ग.04, 10ग.10, 10ग.16, 10ग.27 तथा 10ग.30 के अनुसार प्रत्येक प्रकार के माल डिब्बों की कुल संख्या से विभाजित करके निकाली जाएगी.

Statement 10-Rolling Stock in Service (on ownership basis)

C—Goods Stock (Broad Gauge/Metre Gauge)

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), by 30th June of the following financial year.
2. Information shall be furnished separately for Broad and Metre gauge.
3. Goods Stock in service (on ownership basis) shall include all stock actually on the line including that replaced but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the goods stock ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from the authorised list. Stock lent to other Railways, other Government Departments or Home Line construction shall be included but that hired from other Railways etc., shall be excluded. In both the cases, the number of stock lent shall be shown in a foot - note.
4. If the cubic capacity of a wagon in cubic metres measured to the top of the sides and divided by the carrying capacity of the wagon in tonnes works out to more than 0.97, the wagon shall be considered as high sided. If it works out to 0.97 or less, the wagon shall be considered as low sided.
5. Item 10C.03 shall include BCX, BCN, BCBG and CRT types of wagons.
6. Item 10C.09 shall include wagons of the following types : BOBX, BOBS, BOX, BOX 'N', BOB, BOBC, BOY, BWL, BWT, BWH and BWS.
7. Item 10C.15 shall include BRS, BRH and BRN types of wagons.
8. Goods stock shown against items (I) to (III) are exclusive of stock enumerated under item (IV) — other goods stock.
9. Average carrying capacity of a wagon for items 10C.06, 10C.12, 10C.18, 10C.29 and 10C.32 shall be worked out by dividing the total capacity (in tonnes) shown against items 10C.05, 10C.11, 10C.17, 10C.28 and 10C.31 by the total number of wagons of each type vide items 10C.04, 10C.10, 10C.16, 10C.27 and 10C.30.

$$\text{माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता (वाहन यूनिटों के हिसाब से)} = \frac{\text{कुल वहन क्षमता (टनों में)}}{\text{माल डिब्बों की कुल संख्या (वाहन यूनिटों में)}}$$

$$\text{माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से)} = \frac{\text{कुल वहन क्षमता (टनों में)}}{\text{माल डिब्बों की कुल संख्या (चौपहिया यूनिटों में)}}$$

10. विभिन्न प्रकार के स्टॉक को चौपहियों में बदलने के प्रयोजन के लिए सांख्यिकी अनुदेशिका, वाल्यूम–I, में सामान्य अनुदेशों के पैरा 48 में दिए गए परिवर्तन अनुपात को देखें.

11. बड़ी लाइन माल डिब्बों के मामले में विशिष्ट प्रकार के माल डिब्बों का प्रकार–वार ब्यौरा अनुबन्ध–I में दिया जाएगा.

12. वर्ष के दौरान माल स्टॉक में शुद्ध परिवर्धन का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अनुबंध–II में आमान–वार और प्रकार–वार दिया जाएगा.

13. स्टॉक को अनुपयोगी घोषित किए जाने संबंधी आंकड़ों का मिलान बड़ी लाइन मालडिब्बों के मामले में बोर्ड कार्यालय कम्प्यूटर सेल को रेलों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनके द्वारा निकाले गये आंकड़ों से तथा मीटर लाइन मालडिब्बों के संबंध में भारतीय रेल सम्मेलन द्वारा निकाले गए आंकड़ों से और छोटी लाइन के संबंध में रेलों द्वारा रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को सूचित किए गए आंकड़ों से किया जाएगा.

14. विभिन्न प्रकार के और आमानों के चल स्टॉक के बदलाव का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार अनुबंध–II में भेजा जाएगा :

 क) दुर्घटनाओं के कारण अथवा अवस्था के आधार पर नाकारा घोषित और कोडल अवधि समाप्त होने से पहले बदला जाने वाला स्टॉक.

 ख) बदलाव के आधार पर देय स्टॉक.

 ग) बदलाव का पिछला बकाया.

 घ) बदला गया लेकिन अभी भी काम में लाया जा रहा स्टॉक.

15. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दर्शाया गया स्टॉक रिपोर्टाधीन वर्ष के परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेते हुए पिछले वर्ष के अंत में दिए गए विवरण से मेल खाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में दर्शाया गया स्टॉक बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को भेजे गए आयु विवरण से मेल खाता है.

16. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां आयु विवरण में ऐसी मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

$$\text{Average carrying capacity of a wagon (in terms of vehicle units)} = \frac{\text{Total carrying capacity (in tonnes)}}{\text{Total number of wagons (in vehicle units)}}$$

$$\text{Average carrying capacity of a wagon (in terms of four-wheeler units)} = \frac{\text{Total carrying capacity (in tonnes)}}{\text{Total number of wagons (in 4-wheeler units)}}$$

10. For purposes of conversion of various types of stock in terms of four-wheelers, see conversion ratio given in para 48 of the General Instructions in the Manual of Statistical Instructions, Vol.- I.

11. In the case of B.G. wagons, type-wise details of specified type shall be given in Annexure-I.

12. The details of net addition to goods stock during the year shall be furnished gauge-wise and type-wise in Annexure-II as per proforma enclosed.

13. The figures of condemnation of stock shall tally with those worked out by Computer Cell of Board's Office on the basis of information supplied to them by the Railways in the case of BG Wagons and for MG Wagons as worked out by IRCA and for NG as reported by the Railways to the Mechanical Directorate of the Board's Office.

14. The details of replacement of rolling stock by various types and gauges shall be sent in Annexure-II in the following break-up :–

 a) Stock condemned and to be replaced before the expiry of codal life on account of accidents or on condition basis.

 b) Stock becoming due on replacement basis.

 c) Past arrears of replacement.

 d) Stock replaced but still in service.

15. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with those at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement is reconciled with those reported in the age statement furnished to the Mechanical Directorate of the Board's office.

16. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the age statement shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण–10
Statement-10

31 मार्च को काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
Rolling Stock in Service (on ownership basis) as on 31st March.....

घ –कोचिंग तथा माल स्टाक (छोटी लाइन) / D – Coaching and Goods Stock (Narrow Gauge)

मद Item	ब्यौरा Description	आमान/Gauge			
		0.762 मी./ m.		0.610 मी./m.	
		पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4	5	6

I कोचिंग वाहन - संख्या
Coaching Vehicles-Number

(i) 10घ.01 यात्री डिब्बे (जनता के उपयोग के लिए) (यूनिटों में)
10D.01 Passenger Carriages (for public use) (in units)

श्रेणीवार सीटें
Seats by classes

10घ.02 पहली श्रेणी
10D.02 First Class

10घ.03 दूसरी श्रेणी
10D.03 Second Class

(ii) 10घ.04 जनता के उपयोग के लिए ब्रेक यानों सहित अन्य कोचिंग वाहन (यूनिटों में)
10D.04 Other coaching vehicles including brake vans for public use (in units)

(iii) 10घ.05 कुल कोचिंग वाहन (यूनिटों में) (10घ.01+10घ.04)
10D.05 Total coaching vehicles (in units) (10D.01+10D.04)

(iv) 10घ.06 रेल सेवा वाहन (अधिकारियों के डिब्बों सहित) (यूनिटों में)
10D.06 Railway service vehicles (including officers' carriages) (in units)

(v) 10घ.07 जनता के उपयोग के लिए रेल कार अनुयान (ट्रेलर) (यूनिटों में)
10D.07 Rail car trailers for public use (in units)

मद Item	ब्यौरा Description		आमान/Gauge			
			0.762 मी./ m.		0.610 मी./m.	
			पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2		3	4	5	6
II	**माल वाहन - संख्या** **Goods vehicles — Number**					
(i)	10घ.08 बंद मालडिब्बे 10D.08 Covered wagons	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहियों में in four-wheelers				
(ii)	10घ.09 खुले मालडिब्बे 10D.09 Open wagons	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहियों में in four-wheelers				
(iii)	10घ.10 कुल (मदें 10घ.08+10घ.09) 10D.10 Total (items 10D.08+10D.09)	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहियों में in four-wheelers				
(iv)	10घ.11 ब्रेक यानों सहित विशेष माल डिब्बे 10D.11 Special wagons including brake vans	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहियों में in four-wheelers				
(v)	10घ.12 रेल सेवा मालडिब्बे 10D.12 Railway service wagons	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहियों में in four-wheelers				
III	**कुल वहन क्षमता (टनों में)** **Total carrying capacity (in tonnes)**					
(i)	10घ.13 बंद माल डिब्बे 10D.13 Covered wagons					
(ii)	10घ.14 खुले माल डिब्बे 10D.14 Open wagons					
(iii)	10घ.15 जोड़ 10D.15 Total					
(iv)	10घ.16 विशेष माल डिब्बे 10D.16 Special wagons					
(v)	10घ.17 रेल सेवा माल डिब्बे 10D.17 Railway service wagons					
IV	**माल डिब्बे की औसत वहन क्षमता (टनों में)** **Average carrying capacity of a wagon (in tonnes)**					
	10घ.18 सभी माल डिब्बे जनता के उपयोग के लिए 10D.18 All wagons for public use	(i) वाहन यूनिटों में in vehicle units				
		(ii) चौपहियों में in four-wheelers				

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, figures for previous and current years are to be given.

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-घ का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 6 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-D (Vide Para 6 of the Instructions)

वर्षके दौरान चल स्टॉक में (कोचिंग तथा माल डिब्बे) शुद्ध परिवर्धन
Net addition to Rolling Stock (Coaches & Wagons) during the year.....

चल स्टाक / Rolling Stock	आमान / Gauge	प्रकार / Type	परिवर्धन/Addition: परिवर्धन लेखा / Addition account	परिवर्धन/Addition: बदलाव लेखा / Replacement account	परिवर्धन/Addition: अंतरण सहित अन्य / Others including transfers	परिवर्धन/Addition: कुल / Total	हटाए गए/ Deletion: नाकारा घोषित/Condemned: गतायु / Over-aged	हटाए गए/ Deletion: नाकारा घोषित/Condemned: निर्धारित समय से पूर्व नाकारा घोषित / Under-aged	हटाए गए/ Deletion: नाकारा घोषित/Condemned: कुल / Total	हटाए गए/ Deletion: अंतरण सहित अन्य / Others including transfers	शुद्ध (+) या (-) कॉलम (7-10-11) / Net (+) or (-) Columns (7-10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सवारी डिब्बे Coaches	0.762 मी. 0.610 मी. 0.762 m. 0.610 m.										
माल डिब्बे Wagons	0.762 मी. 0.610 मी. 0.762 m. 0.610 m.										

विवरण 10-काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)

घ-कोचिंग तथा माल स्टॉक (छोटी लाइन)

Statement 10-Rolling Stock in Service (on ownership basis)

D—Coaching and Goods Stock (Narrow Gauge)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक पहुँच जाए.

2. यह विवरण 0.762 मी. तथा 0.610 मी. छोटी लाइनों के लिए अलग-अलग भेजा जाएगा.

3. स्वामित्व के आधार पर काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (डिब्बे तथा माल डिब्बे) में वह सभी स्टॉक शामिल होगा, जो वस्तुत: लाइन पर है, उस बदले गये स्टॉक सहित जो अभी भी चालन में है या जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है. अत: इसमें वे डिब्बे और मालडिब्बे शामिल नहीं होगें, जिसके लिए आर्डर दिए गए है अथवा निर्माणाधीन है, परिवहन के लिए नहीं सौंपे गए हैं अथवा बेचे गए या रद्द किये गये लेकिन प्राधिकृत सूची से नहीं हटाये गये हैं. अन्य रेलों, सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों के लिए दिए गए स्टॉक को शामिल किया जाएगा लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा. दोनों मामलों में, दिए गए स्टॉक की संख्या एक पाद-टिप्पणी में दर्शाई जाएगी.

4. मद 10घ.04 के अन्तर्गत ब्रेक यान, यात्री तथा मिश्रित गाड़ियों में अनन्य रूप से प्रयुक्त ब्रेक यान है तथा मद 10घ.11 में, मद 10घ.04 के अन्तर्गत शामिल यानों के अतिरिक्त ब्रेक यान है.

5. मद 10घ.18 में सार्वजनिक उपयोग के सभी माल डिब्बों की औसत वहन क्षमता दर्शाई जाएगी जो मद 10घ.15 +10घ.16 के अनुसार कुल वहन क्षमता को, मद 10घ.10 + मद 10घ.11 के अनुसार माल डिब्बों की संख्या ब्रेक यानों को छोड़कर, से विभाजित करके निकाली जाएगी.

6. वर्ष के दौरान डिब्बों तथा माल डिब्बों में शुद्ध परिवर्धन का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अनुबंध में प्रकार-वार दर्शाया जाएगा.

7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रद्द किए जाने के आंकड़े बोर्ड कार्यालय के यांत्रिक निदेशालय को भेजे गए आंकड़ों तथा महा प्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट के यांत्रिक इंजीनियरी अध्याय में शामिल आंकड़ों से मेल खाते हैं.

8. विभिन्न प्रकार के चल स्टॉक के बदलाव का ब्यौरा निम्नलिखित के अनुसार अनुबंध में भेजा जाएगा : -

 क) दुर्घटनाओं के कारण अथवा अवस्था के आधार पर नाकारा घोषित और कोडल अवधि समाप्त होने से पहले बदला जाने वाला स्टॉक.

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.

2. Information shall be furnished separately for 0.762 m. and 0.610 m. Narrow gauges.

3. The Rolling Stock in service (coaches and wagons) on ownership basis shall include all stock actually on the line including that replaced, but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the coaches and wagons ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from the authorised list. Stock lent to other Railways, Government Departments or Home Line construction shall be included but that hired from other Railways etc., shall be excluded. In both the cases, the number of stock lent shall be shown in a foot-note.

4. Brake vans under item 10D.04 shall relate to brake vans utilised exclusively on passenger and mixed trains and under item 10D.11 other than those included under item 10D.04.

5. Item 10D.18 shall show the average carrying capacity of all wagons in public use and shall be worked out by dividing total carrying capacity as per item 10D.15 plus item 10D.16 by number of wagons as per item 10D.10 and 10D.11 excluding the number of brake vans.

6. The details of net addition to coaches and wagons during the year shall be furnished type-wise in Annexure as per proforma enclosed.

7. It shall be ensured that the figures of condemnation tally with those supplied to the Mechanical Directorate of Board's office and also as incorporated in Mechanical Engineering chapter of General Manager's Annual Report.

8. The details of replacement of Rolling Stock by various types shall be sent in Annexure in the following break up :

 a) Stock condemned and to be replaced before the expiry of codal life on account of accidents or on condition basis.

ख) बदलाव के आधार पर देय स्टॉक.

ग) बदलाव का पिछला बकाया.

घ) बदला गया लेकिन अभी भी काम में लाया जा रहा स्टॉक.

9. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दिया गया स्टॉक रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेते हुए पिछले वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक से मेल खाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में रिपोर्ट किया गया स्टॉक रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को भेजे गए आयु विवरण में दर्शाए गए स्टॉक से मेल खाता है.

10. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए है, वहाँ आयु-विवरण में इस प्रकार की मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

b) Stock becoming due on replacement basis.

c) Past arrears of replacement.

d) Stock replaced but still in service.

9. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with that at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement is reconciled with those reported in the age statement furnished to the Mechanical Directorate of the Railway Board.

10. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the age statement shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण–10
Statement-10

31 मार्च..... को काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
Rolling Stock in Service (on ownership basis) as on 31st March.....
10 ङ–फैरी स्टॉक / E— Ferry Stock

मद Items	ब्यौरा Description	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4
I	**फैरी स्टॉक -** **Ferry stock –**		
	10ङ.01 स्टीमर		
	10E.01 Steamers		
	10ङ.02 नौकांए		
	10E.02 Boats		
II	**टन भार -** **Tonnage –**		
	10ङ.03 सकल		
	10E.03 Gross		
	10ङ.04 पंजीकृत		
	10E.04 Registered		
III	**अश्व शक्ति -** **Horse power –**		
	10ङ.05 सूचित		
	10E.05 Indicated		
	10ङ.06 सांकेतिक		
	10E.06 Nominal		

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, figures for previous and current years are to be given.

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-ङ का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 3 के अनुसार)

Annexure to Statement 10-E (Vide Para 3 of the Instructions)

31 मार्च को फैरी स्टॉक का विवरण

Details of Ferry Stock as on 31st March.....

फैरी सेवा का नाम	स्टीमर अथवा नौका का नाम	प्रकार	निर्माता का नाम तथा सप्लाई का वर्ष	मूल लागत	टन भार/Tonnage		अश्व शक्ति/Horse Power		समुद्री झीलो में गति	आयाम/Dimensions		डुबाव/Draught		किस काम के लिए लगाई गई	जिन स्थानों के बीच लगाई गई	अभ्युक्ति
					सकल	पंजीकृत	सूचित	सांकेतिक		लंबाई	चौड़ाई	अगला	पिछला			
Name of ferry service	Name of steamer or boat	Type	Name of builder and year in which supplied	Original cost	Gross	Registered	Indicated	Nominal	Speed (in knots)	Length	Breadth	Forward	Light Aft.	Service on which employed	Points between which employed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

टिप्पणी : पान्टूनों, रैंप स्पैनों तथा वाईडिंग इंजनों का आयाम, वजन, अश्व शक्ति इत्यादि बताते हुए उनकी सूची, जहां ऐसा स्टॉक उपयोग में है, एक पाद-टिप्पणी में दी जाए.

Note: A list of pontoons, ramp spans and winding engines giving dimensions, weight, horse power etc, may be given in a foot-note wherever such stock is in use.

	स्टीमर/Steamers	नौका/Boats
अथशेष Opening balance (पिछले वर्ष का इतिशेष) (Previous year's Closing balance)		
वर्ष के दौरान जोड़ा गया Added during the year		
वर्ष के दौरान घटाया गया Reduced during the year		
इतिशेष Closing Balance		

टिप्पणी :

1. कॉलम 1 -फैरी सेवा का नाम-फैरी का नाम दिया जाएगा, जैसे -

 (i) मनिहारी फैरी

 (ii) पालेजा फैरी, और इसी प्रकार.

2. कॉलम 2 - स्टीमर अथवा नौका का नाम -प्रत्येक फैरी के अधीन प्रत्येक स्टीमर अथवा नौका का विशिष्ट नाम, जहां हों, नौका सेवा के अंतर्गत दिया जाएगा. नामों की अनुपस्थिति में क्रम सं. का उपयोग किया जाएगा.

3. कॉलम 3 - प्रकार -इसमें नौका के निर्माण का प्रकार तथा प्रणोदन पद्धति दर्शायी जाएगी, अर्थात-

 (i) स्टर्न व्हीलर

 (ii) बगल में पैडल वाले स्टीमर

 (iii) लोहे के समतल पेंदे वाले

4. कॉलम 4 से 14 तक तथा 17 स्वत: स्पष्ट है.

5. कॉलम 15- 'जिस काम के लिए लगाया गया' के अंतर्गत यह दर्शाया जाएगा कि नौका अथवा स्टीमर का उपयोग माल अथवा यात्री सेवाओं के लिए किया गया है.

6. कॉलम 16- 'जिन स्थानों के बीच लगाया गया' के अंतर्गत प्रारंभिक तथा गंतव्य स्टेशन जिनके बीच नौका सेवा की व्यवस्था है, दर्शाए जाएंगे.

Notes :

1. Column 1 — Name of ferry service — The names of ferries shall be given, such as :

 (i) Manihari Ferry

 (ii) Paleza Ferry, and so on.

2. Column 2 — Names of Steamer or boat — The distinguishing names of individual steamers or boats shall be given, wherever they exist, under each ferry; in the absence of names, serial numbers shall be used.

3. Column 3 — Type — This shall indicate the type of construction of the boat and the method of propulsion, i.e. —

 (i) Stern-Wheeler

 (ii) Side Paddle Steamer

 (iii) Iron, Flat Bottom

4. Columns 4 to 14 and 17 are self-explanatory.

5. Column 15— Service on which employed shall indicate whether the boat or steamer is used on goods or passenger service.

6. Column 16 — Points between which employed — The starting and destination stations between which the ferry service is maintained.

विवरण 10-काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)

ङ-फैरी स्टॉक

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक पहुँच जाए.

2. स्वामित्व के आधार पर चल स्टॉक में वह सभी स्टॉक शामिल है, जो वस्तुत: लाइन पर है, उस स्टॉक सहित जिसे बदल दिया गया है लेकिन जो अभी भी चालन में है अथवा जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है.अत: इसमें वह चल स्टॉक शामिल नहीं होगा, जिसके लिए आर्डर दिया गया है अथवा निर्माणाधीन है तथा परिवहन के लिए नहीं सौंपा गया हैं. बेचा गया स्टॉक अथवा रद्द किया गया स्टॉक, लेकिन प्राधिकृत सूची से न हटाया गया स्टाक भी शामिल नहीं होगा. अन्य रेलों, अन्य सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों में लगे हुए स्टॉक को शामिल किया जाएगा, लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक इत्यादि को शामिल नहीं किया जाएगा. इन दोनों मामलों में दिए गए स्टॉक की संख्या एक पाद-टिप्पणी में दर्शायी जाएगी.

3. रिपोर्टाधीन वर्ष के अन्त में फैरी-स्टॉक का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अनुबंध में दर्शाया जाएगा.

4. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दिखाया गया स्टॉक रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेते हुए पिछले वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक से मेल खाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में रिपोर्ट किया गया स्टॉक बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को भेजे गए आयु विवरण में रिपोर्ट किए गए स्टॉक से मेल खाता है.

5. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां आयु विवरण में वैसी ही मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का पालन किया जाएगा.

Statement 10 —Rolling Stock in Service (on ownership basis)

E—Ferry Stock

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.

2. The Rolling Stock (on ownership basis) shall include all stock actually on the line including that replaced but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the Rolling Stock ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from authorised list, stock lent to other Railways, other Government Departments or Home Line construction shall be included but that hired from other Railways, etc. shall be excluded. In both the cases, the number of stock lent shall be shown in a foot-note.

3. The details of ferry-stock at the end of the year under report shall be shown in the Annexure as per proforma enclosed.

4. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with that at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement is reconciled with those reported in the age statement furnished to the Mechanical Directorate of the Board.

5. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the age statement shall be followed.

विवरण-12
Statement-12

वर्ष..... के लिए यात्री राजस्व सांख्यिकी
Passenger Revenue Statistics for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	वर्ष Year	बड़ी लाइन (1.676 मीटर) Broad Gauge (1.676m)								
			उपनगरीय Suburban			अनुपनगरीय Non-Suburban			जोड़ Total		
			सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.01	**होम लाइन पर प्रारंभिक यात्रियों की संख्या स्थानीय अथवा थ्रू (सैंकड़ों में) No of passengers originating on home line, whether local or through (In hundreds) -**										
	(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी A.C. First										
	(ii) वातानुकूलित शयनयान A.C. Sleeper										
	(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) First Class (Mail/Express)										
	(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण) First Class (Ordinary)										
	(v) वातानुकूलित 3-टीयर शयनयान A.C. 3 -tier Sleeper										
	(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान A.C. Chair Car										
	(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Sleeper Class (Mail/Express)										
	(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण) Sleeper Class (Ordinary))										
	(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)										
	(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण) Second Class (Ordinary)										
	(xi) सभी श्रेणियों का जोड़ Total all classes.										
12.02	**जारी किए गए सीजन टिकटों की संख्या No. of Season Tickets issued-**										
	(क) मासिक										
	(A) Monthly										
	(i) प्रथम श्रेणी First Class										
	(ii) द्वितीय श्रेणी Second Class										
	(iii) जोड़ Total										
	(ख) त्रैमासिक										
	(B) Quarterly :-										
	(i) प्रथम श्रेणी First Class										
	(ii) द्वितीय श्रेणी Second Class										
	(iii) जोड़ Total										

विवरण-12
Statement-12

वर्ष..... के लिए यात्री राजस्व सांख्यिकी
Passenger Revenue Statistics for the year.....

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

मीटर लाइन (1.000 मीटर) Metre Gauge (1.000m)									छोटी लाइन(0.762/0.610 मीटर) Narrow Gauge(0.762/0.610 metre)			सभी आमानो का जोड़ Total All Gauges		
उपनगरीय Suburban			अनुपनगरीय Non-Suburban			जोड़ Total								
सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	उपनगरीय Suburban	अनुपनगरीय Non-Suburban	जोड़ Total
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

विवरण-12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(ग) (क) + (ख) का जोड़

(C) Total (A) + (B) :-

(i) प्रथम श्रेणी
First Class

(ii) द्वितीय श्रेणी
Second Class

(iii) जोड़
Total

12.03 **प्राप्त यात्रियों की संख्या (सैकडों में)**

No. of passengers received (In hundreds) -

(क) गैर-सरकारी रेलों, फैरी अथवा स्टीमर और दूसरे देशों अर्थात पाकिस्तान/ श्रीलंका सरकार की रेलों से (जहाँ कहीं इन्हें प्रारंभिक यात्रियों की संख्या में शामिल नहीं किया गया है)

(A) From Non-Govt. Railways, ferries or steamers and Railways in foreign countries, e.g. Pakistan/Sri Lanka Govt. Railways (wherever these are not already included in the number of passengers originating)-

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First

(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper

(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)

(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)

(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper

(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car

(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)

(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)

(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)

(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)

(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

(ख) होम अथवा अन्य भारतीय सरकारी रेलों के आमान - भंग स्थलों पर अन्य लाइनों से :--

(B) From other gauges at break -of-gauge points with home or other Indian Government Railways-

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First

(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper

(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)

विवरण–12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

विवरण-12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car
(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)
(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

(ग) अन्य भारतीय सरकारी रेलों के जंक्शन स्टेशनों पर उसी आमान से –

(C) From the same gauge at junctions with other Indian Govt. Railways-

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First
(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper
(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)
(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car
(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)
(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

12.04 **वहित यात्रियों की संख्या (सैकड़ों में)**
No. of passengers carried (In hundreds) -

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First
(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper
(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)
(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car

विवरण–12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

विवरण-12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)
(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

12.05 **यात्री किलोमीटर (हजारों में)**
Passenger kilometres (In thousands) -

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First
(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper
(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)
(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car
(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)
(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

12.06 **प्रति यात्री द्वारा तय की गई औसत दूरी (कि.मी. में)**
Average number of kilometres a passenger was carried -

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First
(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper
(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)
(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car
(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)

विवरण–12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

विवरण–12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

12.07 **वहित यात्रियों से आमदनी (हजार रुपयों में)**
Earnings from passengers carried (Rs. in thousands) -

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First
(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper
(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)
(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car
(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)
(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

12.08 **प्रति यात्री प्रति किलोमीटर पर प्रभारित औसत दर (पैसों में)**
Average rate (in paise) charged per passenger per kilometre-

(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
A.C. First
(ii) वातानुकूलित शयनयान
A.C. Sleeper
(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
First Class (Mail/Express)
(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण)
First Class (Ordinary)
(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान
A.C. 3-tier Sleeper
(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान
A.C. Chair Car
(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Sleeper Class (Mail/Express)
(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण)
Sleeper Class (Ordinary)
(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस)
Second Class (Mail/Express)
(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण)
Second Class (Ordinary)
(xi) सभी श्रेणियों का जोड़
Total all classes.

विवरण-12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

विवरण-12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.09 **आरक्षण प्रभारों, अधिप्रभारों आदि का ब्यौरा (मद 12.07 में सम्मिलित) (हजार रुपयों में)**
Details of reservation charges, surcharge etc. (included in item 12.07) (Rs. in thousands)-

(i) सभी श्रेणियों के आरक्षण प्रभार (एक्स-141)
Reservation charges of all classes (X-141)

(ii) द्वितीय श्रेणी के शयन स्थान के अधिप्रभार, यदि कोई हो
Surcharge, if any, for Second Class sleeping accomodation in :
(क) मेल तथा एक्सप्रेस (एक्स -142)
(a) Mail & Express (X-142)
(ख) साधारण (एक्स -142)
(b) Ordinary (X-142)

(iii) सुपरफास्ट गाडियों में यात्रा के लिए अनुपूरक प्रभार (सभी श्रेणियां) (एक्स -143)
Supplementary charges for superfast trains (All Classes) (X-143)

12.10 **अन्य कोचिंग आमदनी (हजार रु. में)**
Other coaching earnings (Rs. in thousands)

(i) पार्सल आमदनी (एक्स -400)
Parcel earnings (X-400)

(ii) प्लेटफार्म आमदनी (एक्स -731)
Platform earnings (X-731)

(iii) अन्य विविध आमदनी
Other misc. earnings

(iv) कुल अन्य कोचिंग आमदनी {(i)+(ii)+(iii)}
Total other coaching earnings {(i)+(ii)+(iii)}

12.11 **कुल कोचिंग से आमदनी (हजार रु. में)**
{ मद 12.07 (xi)+12.10 (iv)}
Total coaching earnings (Rs. in thousands)
{Items 12.07 (xi) +12.10 (iv)}

विवरण–12 *(जारी)*

Statement-12*(Contd.)*

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

विवरण-12 *(जारी)*
Statement-12 *(Contd.)*

मद Item	ब्यौरा Description	वर्ष Year	वहित यात्रियों की संख्या No. of passengers carried			वहित यात्रियों से आमदनी Earnings from passengers carried		
			उपनगरीय Suburban	अनुपनगरीय Non-Suburban	जोड़ Total	उपनगरीय Suburban	अनुपनगरीय Non-Suburban	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.12	**इस प्रणाली पर वहित यात्रियों की संख्या तथा उनसे आमदनी - सभी आमान :** **No. of passengers and earnings from passengers carried on the system-All gauges.**							
	(क) पूरा किराया							
	(A) Full fares :-							
	(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी A.C. First							
	(ii) वातानुकूलित शयनयान A.C. Sleeper							
	(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) First Class (Mail/Express)							
	(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण) First Class (Ordinary)							
	(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान A.C. 3-tier Sleeper							
	(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान A.C. Chair Car							
	(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Sleeper Class (Mail/Express)							
	(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण) Sleeper Class (Ordinary)							
	(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)							
	(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण) Second Class (Ordinary)							
	(xi) सभी श्रेणियों का जोड़ Total all classes.							
	(ख) सीजन तथा क्षेत्रीय टिकट :-							
	(B) Season & Zone Tickets. :-							
	(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी A.C. First							
	(ii) वातानुकूलित शयनयान A.C. Sleeper							
	(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) First Class (Mail/Express)							
	(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण) First Class (Ordinary)							
	(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान A.C. 3-tier Sleeper							
	(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान A.C. Chair Car							
	(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Sleeper Class (Mail/Express)							
	(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण) Sleeper Class (Ordinary)							
	(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)							

विवरण-12 *(जारी)*
Statement-12*(Contd.)*

(संख्या या राशि)
(Number or Amount)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण) Second Class (Ordinary)							
	(xi) सभी श्रेणियों का जोड़ Total all classes.							
(ग)	पूरे किराए से कम पर वहन किया गया अन्य यातायात-							
(C)	Other traffic carried at less than full fare							
	(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी A.C. First							
	(ii) वातानुकूलित शयनयान A.C. Sleeper							
	(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) First Class (Mail/Express)							
	(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण) First Class (Ordinary)							
	(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान A.C. 3-tier Sleeper							
	(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान A.C. Chair Car							
	(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Sleeper Class (Mail/Express)							
	(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण) Sleeper Class (Ordinary)							
	(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)							
	(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण) Second Class (Ordinary)							
	(xi) सभी श्रेणियों का जोड़ Total all classes.							
(घ)	कुल यातायात :-							
(D)	Total Traffic -							
	(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी A.C. First							
	(ii) वातानुकूलित शयनयान A.C. Sleeper							
	(iii) प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) First Class (Mail/Express)							
	(iv) प्रथम श्रेणी (साधारण) First Class (Ordinary)							
	(v) वातानुकूलित 3- टीयर शयनयान A.C. 3-tier Sleeper							
	(vi) वातानुकूलित कुर्सीयान A.C. Chair Car							
	(vii) शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Sleeper Class (Mail/Express)							
	(viii) शयनयान श्रेणी (साधारण) Sleeper Class (Ordinary)							
	(ix) द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)							
	(x) द्वितीय श्रेणी (साधारण) Second Class (Ordinary)							
	(xi) सभी श्रेणियों का जोड़ Total all classes.							

सभी मदों यथा 12.01 से 12.12 के लिए चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.
Information is to be given for current year and previous year for all the items i.e. 12.01 to 12.12.

12.13–रेल प्रणाली पर प्रारंभिक यात्री यातायात और उनसे सीधी दूरी के लिए सभी भारतीय रेलों पर हुई क्षेत्रवार आमदनी (सैनिक यातायात, अतिरिक्त किराया वसूलियों और धन वापसी को छोड़कर)- सभी आमान

12.13–Passenger traffic originating on the system and earnings accrued for through distance over All Indian Railways by distance zones (excluding military traffic, excess fare collections and refunds)- Total All Gauges.

चालू वर्ष (Current year)

दूरी क्षेत्र (कि.मी. में)	यात्रियों की संख्या (हजारों में)	कुल का प्रतिशत	यात्री कि.मी. (हजारों में)	कुल का प्रतिशत	आमदनी (हजार रु. में)	कुल का प्रतिशत	औसत वहन दूरी (कि. मी.) (4÷2)	प्रति यात्री औसत आमदनी (6÷2)	कालम 8 के अनुसार औसत वहन दूरी के लिए आई. आर. सी. ए. किराया	कालम 9 का कालम 9(क) से प्रतिशत अंतर (+ या -)	कालम 9(ख) मे 10 प्रतिशत से अधिक (+या-) भिन्नता का औचित्य दर्शाने वाली टिप्पणी
Distance Zone (in Kms.)	No.of passengers (in thousands)	%age to total	Passenger kms. (in thousands)	%age to total	Earnings (Rs.in thousands)	%age to total	Average lead (kms.) (4÷2)	Average earning per passenger (6÷2)	IRCA fare for average lead vide col.8	%age variation (+ or -) of col.9 over col 9(a)	Remarks justifying more than 10%variation (+or-) in col. 9(b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9(क) (a)	9(ख)(b)	9(ग)(c)

पिछला वर्ष (Previous year)

यात्रियों की संख्या (हजारों में)	कुल का प्रतिशत	यात्री कि.मी. (हजारों में)	कुल का प्रतिशत	आमदनी (हजार रु. में)	कुल का प्रतिशत	औसत वहन दूरी (कि. मी.) (12÷10)	प्रति यात्री औसत आमदनी (14÷10)	कालम 16 के अनुसार औसत वहन दूरी के लिए आई. आर सी. ए. किराया	कालम 17 का कालम 17(क) से प्रतिशत अंतर (+ या -)	कालम 17(ख) में 10 प्रतिशत से अधिक (+या-) भिन्नता का औचित्य दर्शाने वाली टिप्पणी
No.of passengers (in thousands)	%age to total	Passenger kms. (in thousands)	%age to total	Earnings (Rs. in thousands)	%age to total	Average lead (kms.) (12÷10)	Average earning per passenger (14÷10)	IRCA fare for average lead vide col.16	%age variation (+ or -) of col.17 over col 17(a)	Remarks justifying more than 10%variation (+or-) in col. 17(b)
10	11	12	13	14	15	16	17	17(क)(a)	17(ख)(b)	17(ग)(c)

विवरण 12- यात्री राजस्व सांख्यिकी

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.

2. यात्री राजस्व सांख्यिकी में विभिन्न कर्षणों अर्थात भाप, डीजल तथा बिजली, ई.एम.यू., डी.ई.एम.यू., रेल बस और रेल कारों द्वारा वहन किया गया यातायात भी शामिल होगा.

3. इस विवरण की विभिन्न मदें अर्थात प्रारंभिक यात्रियों की संख्या, जारी किए गए सीजन टिकटों की संख्या, वहित यात्रियों की संख्या, यात्री कि. मी., वहित यात्रियों से आमदनी तथा प्रणाली पर वहित यात्रियों की संख्या व उनसे आमदनी के आंकडे संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण 6-क में दर्शाए गए तदनुरूपी संचयी आंकडों से मेल खाने चाहिए.

4. इस विवरण के तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण 6-क में दिए गए तदनुरूपी संचयी आंकडों में कोई अंतर होने पर उसे एक अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

5. 12.01 से 12.11 तक की मदों के मामले मे आंकड़े आमान-वार प्रस्तुत किए जाएंगे तथा 12.12 व 12.13 मदों के मामले मे संपूर्ण प्रणाली के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे.

6. मद 12.03 में किसी आमान पर प्राप्त यात्रियों की संख्या में, संबंधित आमान पर यात्रा समाप्त करने वाले अथवा संबंधित आमान को पार करके आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी शामिल है, चाहे उन्होंने होम लाइन से भिन्न किसी आमान पर यात्रा प्रारम्भ की हो अथवा किसी दूसरी रेलवे, फैरी, स्टीम बोट या अन्य देशों की रेलों पर.

7. संबंधित आमानों पर प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत वहित यात्रियों की संख्या से यात्री कि.मी. को भाग करके मद 12.06 को निकाला जाएगा. मद 12.03 की उप मद (क), (ख) तथा (ग) में दिया गया ब्यौरा निम्नलिखित के लिए अलग-अलग वहित यात्रियों की संख्या लेते हुए सही औसत यात्री यातायात दूरी निकालने के लिए हैं-

 (क) होम रेलवे अथवा अन्य रेलों, विदेशी रेलों, फैरी सेवा तथा स्टीमबोट इत्यादि से आमान पर प्राप्त यातायात सहित पृथक रेल प्रणालियों के विभिन्न आमान. {मद 12.01 + 12.03 (क) + (ख) + (ग)}

 (ख) अन्य रेलों, विदेशी रेलों, फैरी सेवाओं तथा स्टीमबोट से आमान पर प्राप्त यातायात सहित अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक आमान को एक अलग प्रणाली मानते हुए रेलों के विभिन्न आमान. {मद 12.01 + 12.03 (क) + (ख)}

Statement 12 - Passenger Revenue Statistics

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. Passenger revenue statistics shall include the traffic carried by different tractions, viz Steam, Diesel and Electric, Electric Multiple Units, Diesel Multiple Units, Rail Buses, Rail Cars etc.

3. The figures for the various items viz. number of passengers originating, number of season tickets issued, total number of passengers carried, passenger kilometres, earnings from passengers carried and number of and earnings from passengers carried on the system in this statement shall agree with the corresponding cumulative figures shown in the Monthly Statement 6-A for March of the year concerned.

4. Any difference between the figures of this statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statement 6-A for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

5. In the case of items 12.01 to 12.11, the figures shall be furnished by gauges and in the case of items 12.12 and 12.13, for the system as a whole.

6. Item 12.03 - No. of passengers received on a gauge comprises passengers terminating on or crossing over the gauge concerned whether they originated on a different gauge of the Home line or on another railway, ferries, steam boats or railways in foreign countries.

7. Item 12.06 shall be worked out by dividing the passenger kms. by the number of passengers carried under each class over respective gauges. The details in sub-items (A), (B) and (C) under item 12.03 are meant for working out correct average lead of passenger traffic by taking number of passengers carried separately for :-

 (a) the different gauges of individual railway systems, including traffic received on the gauge from the Home railway or other railways, railways in foreign countries, ferries and steam boats. {items 12.01+12.03(A) +(B) + (C)}

 (b) the different gauges of railways, taking each gauge on All India basis as a separate system by including traffic received on the gauge from other railways, railways in foreign countries, ferries and steam boats. {items 12.01+12.03 (A)+(B)}

(ग) विदेशी रेलों, फैरी सेवाओं तथा स्टीमबोट से प्राप्त यातायात सहित {मद 12.01 + 12.03 (क)} सभी रेलों तथा सभी आमानों को एक ही प्रणाली मानते हुए संपूर्ण भारतीय रेल प्रणाली.

8. मद 12.07 में धन वापसी को घटाने के बाद सार "एक्स"-100 के अन्तर्गत बुक किए गए यात्रियों को ढोने से प्राप्त आमदनी को दर्शाया जाएगा. इसमे फैरी और स्टीम बोटों से प्राप्त आमदनी भी शामिल है.

9. मद 12.08 का परिकलन, मद 12.07 (फैरी व स्टीमबोट से प्राप्त आमदनी को छोडकर) को यात्री किलोमीटर (मद 12.05) से विभाजित कर प्रत्येक श्रेणी एवं जोड़ के लिये अलग-अलग निकाला जाएगा. प्राप्त परिणाम दशमलव के दो स्थान तक पैसों में सही-सही दर्शाया जाएगा.

10. मद 12.10 (iii) में विविध कोचिंग आमदनी दर्शायी जायेगी, जो यात्रियों, पार्सलों तथा प्लेटफार्म टिकटों से हुई आमदनी में शामिल नहीं की गई है.

11. मद 12.13 होम लाइन से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों से संबद्ध होगी. प्राप्त कुल आमदनी का संबंध तय की गई सीधी दूरी से होगा तथा दूरी क्षेत्रों का निर्धारण भी उसी पर आधारित होगा, भले ही यात्रा कितनी ही रेलों पर क्यों न की गई हो. इन आंकडों में सैनिक यातायात, अतिरिक्त किराया वसूलियां तथा धन वापसियाँ जहां अनुमेय हो, शामिल नहीं की जाएंगी. एक से अधिक श्रेणी में संयुक्त टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों का लेखा-जोखा उसी श्रेणी मे रखा जाएगा, जिसमें यातायात आरम्भ होता है. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष के संबंध में नीचे सूची-बद्ध सम्मिलित दूरी क्षेत्रों के लिए, उपनगरीय तथा अनुपनगरीय यातायात के लिए सभी आमानों के श्रेणी-वार आंकडें "सीजन" और " साधारण" टिकटों के ब्यौरे सहित, प्रस्तुत किए जाएंगे -

(c) the entire Indian Railways system i.e. treating all Railways and all gauges thereof as a single system by including traffic received from foreign countries, ferries and steam boats. {items 12.01+12.03 (A)}

8. Item 12.07 shall show earnings from passengers carried as booked under Abstract 'X'-100 after subtracting refunds. It shall also include earnings from ferries/steam boats.

9. Item 12.08 shall be worked out by dividing item 12.07 (after excluding ferries and steam-boat earnings) by passenger kilometres (item 12.05) for each class and total separately. The results shall be expressed in paise correct to two places of decimal.

10. Item 12.10 (iii) shall show the miscellaneous coaching earnings not included in the earnings from passengers, parcels and platform tickets.

11. Item 12.13 shall relate to the passengers originating on the Home line. The total earnings accrued shall relate to, and the determination of the distance zones shall be based on, the through distance travelled, irrespective of the number of railways covered in a journey. The data shall exclude military traffic, excess fare collections and refunds, where allowed. The passengers travelling on combined tickets for more than one class, shall be accounted for only in the class in which the traffic originates. The Class-wise data for all gauges for combined distance zones listed below, in respect of the financial year under report vis-a-vis the preceding year, shall be furnished for Suburban and Non-suburban traffic, with break-up under 'Season' and 'Ordinary' tickets.

अनुपनगरीय द्वितीय श्रेणी साधारण (अर्थात दैनिक टिकट) Non-suburban Second Class Ordinary (i.e.daily tickets)			अनुपनगरीय अन्य श्रेणियां (प्रथम श्रेणी मेल/एक्सप्रेस एवं प्रथम श्रेणी साधारण सहित) Non-suburban other Classes (including First Class M/E and First Class Ordy.)			उपनगरीय सीजन/ साधारण (अर्थात दैनिक टिकट) तथा अनुपनगरीय (सीजन) - सभी श्रेणियाँ Suburban Season/Ordinary (i.e.Daily Tickets) & Non-suburban (Season) (All Classes)		
क्र.सं. S.No.	दूरी क्षेत्र (कि.मी.) Distance leg (kms)	दूरी कोड संख्या Distance Code No.	क्र.सं. S.No.	दूरी क्षेत्र (कि.मी.) Distance leg (kms)	दूरी कोड संख्या Distance Code No.	क्र.सं. S.No.	दूरी क्षेत्र (कि.मी.) Distance leg (kms)	दूरी कोड संख्या Distance Code No.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1 - 5	1	1.	1 - 50	1	1.	1 - 5	1
2.	6 -10	2	2.	51-100	2	2.	6 -10	2
3.	11-15	3	3.	101-150	3	3.	11-15	3
4.	16-20	4	4.	151-200	4	4.	16-20	4
5.	21-25	5	5.	201-300	5	5.	21-25	5
6.	26-30	6	6.	301-400	6	6.	26-30	6
7.	31-35	7	7.	401-500	7	7.	31-35	7
8.	36-40	8	8.	501-600	8	8.	36-40	8
9.	41-45	9	9.	601-750	9	9.	41-45	9
10.	46-50	10	10.	751-900	10	10.	46-50	10
11.	51-60	11	11.	901-1050	11	11.	51-60	11
12.	61-70	12	12.	1051-1200	12	12.	61-70	12
13.	71-80	13	13.	1201-1400	13	13.	71-80	13
14.	81-90	14	14.	1401-1600	14	14.	81-90	14
15.	91-100	15	15.	1601-1800	15	15.	91-100	15
16.	101-110	16	16.	1801-2000	16	16.	101-110	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	111-120	17	17.	2001-2500	17	17.	111-120	17
18.	121-130	18	18.	2501-3000	18	18.	121-130	18
19.	131-140	19	19.	3001---तथा उससे अधिक		19.	131-140	19
20.	141-150	20		& above	19	20.	141-तथा उससे अधिक	
21.	151-175	21					& above	20
22.	176-200	22						
23.	201-225	23						
24.	226-250	24						
25.	251-300	25						
26.	301-400	26						
27.	401-500	27						
28.	501- तथा उससे अधिक & above	28						

अनुपनगरीय द्वितीय श्रेणी साधारण (अर्थात दैनिक टिकट) के मामले में दूरी क्षेत्र 1 से 28 तक तथा अनुपनगरीय अन्य श्रेणियों (प्रथम श्रेणी मेल/एक्सप्रेस एवं प्रथम श्रेणी साधारण सहित) के लिए दूरी क्षेत्र 1 से 19 तक होंगे. उपनगरीय सीजन और साधारण (अर्थात् दैनिक टिकट) तथा अनुपनगरीय सीजन – सभी श्रेणियों के मामले में दूरी क्षेत्र 1 से 20 होंगे, जैसा अनुदेशों के पैरा 11 में दिया है.

टिप्पणी :

i. उपनगरीय (सीजन), उपनगरीय (साधारण), अनुपनगरीय (सीजन) तथा अनुपनगरीय (साधारण) के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग विवरण भेजे जाएंगे.

ii. प्रति यात्री औसत आमदनी तथा औसत वहन दूरी के लिए आई.आर.सी.ए. किराया रुपये तथा पैसे में दर्शाया जाएगा.

iii. कुल का प्रतिशत, दशमलव के दो अंकों तक दर्शाया जाएगा.

iv. 1-5 कि. मी. तथा 6-10 कि. मी. दूरी क्षेत्र के लिए औसत वहन दूरी दशमलव के ठीक दो अंकों तक तथा अन्य क्षेत्रों के लिए दशमलव के ठीक एक अंक तक दर्शाई जाऐगी.

v. प्रति यात्री औसत वहन दूरी तथा औसत आमदनी यूनिट मे दर्शाए मूलभूत आंकडों के आधार पर निकाले जाऐगें.

vi. औसत वहन दूरी के लिए आई.आर.सी.ए. किराया, विविध प्रकार के किरायों जैसे पूरे किरायों, रियायती किरायों, मासिक सीजन टिकट किरायों, त्रैमासिक सीजन टिकट किरायों इत्यादि के अन्तर्गत बुक किए गए यातायात के स्वरूप पर आधारित होगा.

12. ऊपर दी गई सारणियों के अतिरिक्त, संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध 'क') में तदनुरूपी फ्लापी/काम्पेक्ट डिस्क/चुम्बकीय टेप तथा टेप-डंप भी भेज दी जाऐ.

13. विनिर्दिष्ट शहरों के जिनमें नगर प्रतिपूरक भत्ता अनुज्ञेय हो, 150 कि.मी. में तथा आसपास के क्षेत्र में सीजन टिकट धारकों के उपनगरीय किस्म के यातायात, के आंकड़े अनुबंध 'ख' में दर्शाए गए प्रोफार्मा के अनुसार आंरभिक एवं सीधी (थ्रू) दूरी के आधार पर आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक भेज दिए जाने चाहिए.

Distance Zones in the case of Non-suburban Second Class Ordinary (i.e. daily tickets) will be from 1 to 28; in the case of Non-suburban other classes, (including First Class M/E & First Class Ordinary) these will be from 1 to 19. In the case of Suburban season tickets & ordinary (i.e. daily tickets) as well as for Non-suburban season tickets-all classes, distance zones will be from 1 to 20 as per para 11 of the instructions.

Note :

i. Separate statements shall be sent for each class under Suburban (Season), Suburban (Ordinary), Non-suburban (Season) and Non-suburban (Ordinary).

ii. Average earning per passenger and IRCA fare for average lead shall be shown in Rupees and paise.

iii. Percentage to total shall be given upto two decimal places.

iv. Average lead shall be shown correct to two decimal places for the distance zones 1-5 kms. & 6-10 kms. and to one decimal place for other zones.

v. Average lead and average earning per passenger shall be worked out on the basis of fundamental figures in units.

vi. IRCA fare for average lead shall be based on the pattern of traffic booked under various types of fares such as full fares, concessional fares, monthly season ticket fares, quarterly season ticket fares etc.

12. In addition to the above mentioned tabulations, the corresponding Floppy/Compact disk/magnetic tape in the enclosed format (Annexure 'A') as well as the tape-dumps, shall also be sent.

13. Suburban-like traffic of season ticket holders in and around 150 kilometres of specified cities, for which Compensatory City Allowance is admissible, shall be sent on originating and through distance basis as per proforma given in Annexure 'B' by 31st August of the following financial year.

अनुबंध 'क' /ANNEXURE 'A'

कॉलम Column	अवस्थितियों की संख्या No. of positions		विषय सूची Contents
1	1	रेलवे कोड Railway code	अर्थात 1 मध्य रेलवे के लिए , 2 पूर्व रेलवे के लिए आदि e.g.1 for C.R., 2 for E.R. etc.
2–3	2	श्रेणी कोड Class code	1 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए for A.C. First 2 वातानुकूलित शयनयान के लिए for A.C. Sleeper 3 प्रथम श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) के लिए for First Class (Mail/Express) 4 प्रथम श्रेणी (साधारण) के लिए for First Class (Ordinary) 5 वातानुकूलित 3 - टीयर शयनयान के लिए for A.C. 3-tier Sleeper 6 वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए for A.C. Chair Car 7 शयनयान श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) के लिए for Sleeper Class (Mail/Express) 8 शयनयान श्रेणी (साधारण) के लिए for Sleeper Class (Ordinary) 9 द्वितीय श्रेणी (मेल / एक्सप्रेस) के लिए for Second Class (Mail/Express) 10 द्वितीय श्रेणी (साधारण) के लिए for Second Class (Ordinary)
4–5	2	दूरी क्षेत्र कोड Distance leg code	01 थ्रू 28 या through 28 or 01 थ्रू 19 या through 19 or 01 थ्रू 20, जैसी भी स्थिति हो through 20, as the case may be
6	1	उपनगरीय/अनुपनगरीय Suburban/Non-suburban	1 उपनगरीय के लिए, 2 अनुपनगरीय के लिए 1 for Suburban, 2 for Non-suburban
7	1	सीजन / साधारण Season/Ordinary	1 सीजन के लिए, 2 साधारण के लिए 1 for Season, 2 for ordinary
8	1	आमान Gauge	1, 2 या 3 1, 2 or 3 ϕ यदि सभी आमानों के लिए सम्मिलित आँकडें देने हैं. ϕ If combined figures for all the gauges are to be given
9 – 10	2	रिक्त स्थान Blanks	

कॉलम Column	अवस्थितियों की संख्या No. of positions		विषय सूची Contents
11 - 17	7	यात्रियों की संख्या (हज़ारों में) No. of passengers (in thousands)	चालू वर्ष Current year
18 - 26	9	यात्री कि. मी. (हजारों में) Passenger kms. (in thousands)	
27 - 33	7	आमदनी (हजार रुपयों में) Earnings (Rupees in thousands)	
34 - 40	7	रिक्त स्थान Blanks	
41 -47	7	यात्रियों की संख्या (हजारों में) No. of passengers (in thousands)	पिछला वर्ष Previous year
48 -56	9	यात्री कि. मी. (हजारों में) Passenger kms. (in thousands)	
57 -63	7	आमदनी (हजार रुपयों में) Earnings (Rupees in thousands)	
64 -80	17	रिक्त स्थान Blanks	

टिप्पणी : कॉलम 11-17, 18-26, 27-33, 41-47, 48-56, 57-63 में क्षेत्रों के आँकडों का अगले शून्य के साथ दाहिने ओर समायोजन किया जाए.
Note : Figures for fields in columns 11-17, 18-26, 27-33, 41-47, 48-56, 57-63 should be right-adjusted with leading zeros.

अनुबंध 'ख'/ANNEXURE 'B'

वर्षकी तुलना में वर्षके लिए यात्री राजस्व सांख्यिकी
प्रमुख शहरों के 150 कि. मी. में तथा आसपास के सीजन टिकट धारकों का उपनगरीय किस्म का यातायात
Passenger Revenue Statistics for the yearcompared with.....
Suburban-like traffic of season ticket holders in and around 150 kms. of major cities.

शहर का नाम Name of city	यात्रा की श्रेणी Class of travel	पिछला वर्ष Previous year			चालू वर्ष Current year		
		प्रारंभिक यात्री Passengers Originating	यात्री कि. मी. Passenger kilometres	आमदनी Earnings	प्रारंभिक यात्री Passengers Originating	यात्री कि. मी. Passenger kilometres	आमदनी Earnings
1	2	3	4	5	6	7	8

विवरण -13
Statement - 13

वर्ष..... के लिए माल राजस्व सांख्यिकी
Goods Revenue Statistics for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

पण्य का नाम / Name of commodity	प्रारंभिक टन (000) Originating (000)		आमान-भंग यानान्तरण स्थलों पर प्राप्त टन Tonnes received at break of-gauge transhipment points		समाप्त टन (000) Tonnes terminating (000)		पारगामी यातायात के टन (000) Tonnes of cross traffic (000)		वहन किए गए टन (000) Tonnes carried (000)		शुद्ध टन किलोमीटर (000) Net tonne kilometres (000)		अर्जन (000) Earnings (Rs.000)		रेल प्रणाली पर ढोए गए टन मात्रा (000) Tonnes carried on the Rly. System (000)		औसत वहन दूरी (किलोमीटर) Avg. lead (Kms)		औसत दर (पैसे) Avg. rate (Paise)	
	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year

मासिक विवरण 7(ग) के संलग्नक ''क'' में दिए गए पण्यों के अनुसार

As per Commodities listed in Annexure 'A' to Monthly Statement 7(c)

.....रेलवे/Railway

वर्ष के लिए पण्य वार क्षेत्रीय सांख्यिकी

Commodity-wise Zonal Statistics for the year.....

पण्य कूट Commodity Code	दूरी क्षेत्र Distance Zone	माल डिब्बों की संख्या No of Wagons		माल भाड़ा (रुपयों में) Freight (in Rupees)				वजन (टनों में) Weight (in Tonnes)				टन किलोमीटर (हजार में) Tonne Kms. (in Thousands)			
		गाड़ी भार Train Loads	गाड़ी भार के अलावा मालडिब्बा भार Fulls other than Train loads	गाड़ी भार Train Loads	गाड़ी भार के अलावा मालडिब्बा भार Fulls other than Train Loads	फुटकर Smalls	कुल Total	गाड़ी भार Train Loads	गाड़ी भार के अतिरिक्त भार Fulls other than Train Loads	फुटकर Smalls	कुल Total	गाड़ी भार Train Loads	गाड़ी भार के अतिरिक्त मालडिब्बा भार अन्य Fulls other than Train Loads	फुटकर Smalls	कुल Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 13-वर्षके लिए माल राजस्व सांख्यिकी

अनुदेश

1. यह विवरण तदनुरूपी टेप/फ्लापी/सीडी सहित इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली को अगले वित्त वर्ष को 31 अगस्त तक मिल जाए. इसके अतिरिक्त, रेलें पैरा 8 में दी गई पण्यों की सूची के लिए मासिक विवरण सं. 7 (क) के अनुरूप योजना शीर्ष पण्यों के आमान वार आंकड़े विवरण 13 के फार्मेट व डिजाइन के अनुरूप तदनरुपी टेप/फ्लापी/सीडी सहित भेजे जायें.

2. मुख्य पण्यों/पण्य-समूहों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी-

प्रारंभिक टन संख्या में प्रत्येक आमान पर प्रारंभ होने वाले सभी यातायात के टन शामिल किए जाएंगे, चाहे वह यातायात उसी आमान पर अथवा अपनी लाइन के किसी अन्य आमान पर समाप्त हो अथवा अन्य रेलों पर.

यानान्तरित टन संख्या में किसी आमान पर भिन्न आमान से प्राप्त टन भार शामिल किया जाएगा, चाहे वह उसी आमान पर; जिसके आंकड़े दिए गए हैं समाप्त होता हो अथवा आमान के पार चला जाए.

समाप्त टन संख्या में संबंधित आमान पर समाप्त होने वाले सारे यातायात का टन भार शामिल होगा चाहे वह यातायात अपनी लाइन पर प्रारंभ हुआ हो अथवा अन्य रेलों पर.

पारगामी यातायात की टन संख्या में सभी माल यातायात की टन संख्या शामिल की जाएगी जो न तो अपनी लाइन पर प्रारंभ हो और न समाप्त बल्कि उससे होकर जाए.

ढोये गये टनों की कुल संख्या में अपनी लाइन के प्रत्येक आमान पर प्रारंभ होने वाले यातायात की टन संख्या शामिल होगी तथा उस आमान पर अन्य रेलों से फैरी तथा स्टीम बोट सेवाओं तथा विदेशी रेलों अथवा अपनी लाइन में भिन्न आमान से प्राप्त टन संख्या भी शामिल की जाएगी चाहे वह उसी आमान पर समाप्त हो अथवा उस आमान के पार जाये. सभी भारतीय रेलों के मामले में आमान पर ढोए गये टनों में प्रारंभिक टन आमान भंग, यानान्तरण स्थल तथा विदेशी रेलों से फैरी सेवाओं तथा स्टीम बोट से प्राप्त टन भी शामिल होंगे.

टिप्पणी : फैरी सेवा द्वारा स्थानीय रूप से ढोए गये टनों की संख्या अर्थात जिसकी ढुलाई रेल द्वारा बिलकुल न हुई हो, शामिल नहीं की जाएगी. लेकिन जिसकी ढुलाई फैरी और रेल दोनों द्वारा हुई हो, शामिल की जाएगी.

शुद्ध टन कि.मी. से माल और मिली जुली गाडियों (माल अंश) में ढोए गये माल के शुद्ध माल भाड़ा टन किलोमीटर दिये जाते हैं और विभागीय गाड़ियों में ढोये गये माल के शुद्ध टन कि०मी० भी उसमें शामिल होते हैं.

टिप्पणी : पेरषण द्वारा ये दूरी फैरी या स्टीम बोट सेवा में तय की जाएगी, उसके माल भाड़ा टन कि.मी. नहीं गिने जाएंगे.

Statement 13-Goods Revenue Statistics for the year.....

Instructions

1. This statement, along with the corresponding tape/floppy/ CD shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board) New Delhi by 31st August of the following financial year. In addition, the Railways shall also submit, by gauges, the data for Plan Head commodities corresponding to Monthly Statement No. 7(a) for commodities listed in Para-8 by 31st August of the following financial year, alongwith the corresponding tape/floppy/CD in the format and design of statement 13.

2. The coverage in respect of major commodities/commodity groups shall be as under-

Number of tonnes originating shall include tonnes of all traffic originating on each gauge, whether it terminates on gauge itself or on some other gauge of the Home Line, or on other Railways.

Number of tonnes transhipped–shall include the tonnage received on each gauge from different gauges, whether terminating on or crossing the gauge for which figures are reported.

Number of tonnes terminating–shall include tonnes of all traffic terminating on the gauge, whether it originated on the Home line or on other Railways.

Number of tonnes of cross traffic - shall include tonnes of all goods traffic which neither originates nor terminates on the Home Line, but passes over it.

Total number of tonnes carried - shall include tonnes originating on each gauge of the Home Line, as well as the number of tonnes received on the gauge from other railways, ferries & steam boats and railways in foreign countries or from different gauge of the Home Lines whether terminating or crossing the gauge. In case of All Indian Railways the tonnes carried on the gauge shall include tonnes orginating, tonnes received at break-of-gauge transhipment point and tonnes received from Railways in foreign countries, ferries and steam boats.

Note : The number of tonnes carried locally over the ferry service, i.e. not by rail at all, shall be excluded but those carried both on ferry and railway shall be included.

Net tonne kilometres - shall represent the net or freight tonne kilometres of freight carried in goods and mixed trains (goods proportion) including net tonne kilometres of freight carried in departmental trains.

Note : No freight tonne kilometres shall be calculated for distance travelled by consignments exclusively over ferry of steam boat service.

रेलवे द्वारा ढोए गये टन – इसमें सभी आमानों को एक ही रेल प्रणाली मानते हुए रेलों पर ढोये गये टनों के आंकड़े दिये जाऐंगे तथा केवल बड़ी लाइन से संबंधित विवरणों में ही विस्तृत ब्यौरे में दिया जाएगा.

इसमें इस प्रणाली पर प्रारंभिक टन तथा अन्य रेलों, विदेशी रेलों, स्टीम बोट तथा फैरी के इस प्रणाली पर प्राप्त टन चाहे वहां समाप्त होते हों अथवा आमान को पार करते हों भी शामिल होगा. सभी भारतीय रेलों के मामले में ढोये गये टन, प्रारंभिक टन जमा विदेशी रेलों, फैरी तथा स्टीम बोट से प्राप्त टन के बराबर होंगे.

Tonnes carried on the system-shall give the figures of tonnes carried on the railway, treating all the gauges as a single system, and the details shall be given only in statements for broad gauge.

This shall include tonnes originating on the system, as also tonnes received whether terminating or crossing the system from other railways and railways in foreign countries, steamboats and ferries. In case of All Indian Railways, tonnes carried shall be equal to tonnes originating plus tonnes received from Railways in foreign countries, ferries and steam-boats.

3. ''कोयला धुलाई कारखानों'', इस्पात संयंत्रों में तथा ''निर्मित'' ''अर्ध-निर्मित'' तथा ''कच्चा इस्पात'' पदों का ब्यौरा इस प्रकार होगा –

कोयला क्षेत्र – इसमें विभिन्न कोयला क्षेत्रों के लिए संचालित स्टेशनों तथा साइडिगों पर बुक किया गया कोयला शामिल होगा.

अन्य मुददे-इसमें अन्य कोयला क्षेत्रों जैसे गोदियों (डॉक), तटीय स्थलों, कोयले के ढेरों, कोयला धुलाई कारखानों, लोको शेडों इत्यादि के लिए संचालित स्टेशन अथवा साइडिंगों से बुक किया गया अथवा पुनः बुक किया गया कोयला शामिल होगा.

इस्पात संयंत्र – इसमें मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड; (टाटा नगर), इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, (बर्नकों, कुलटी, एस सी ओ बी साइडिगें तथा बर्नपुर एवं बिस्कों साइडिंग), मैसूर इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स (भद्रावती) तथा ऐसे अन्य इस्पात कारखाने शामिल होंगे, जिन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा इनमें शामिल करने के लिए समय समय पर प्राधिकृत किया जाएगा.

कोयला धुलाई – कारखानों में जामादोबा, करगली, दुगदा तथा समय समय पर प्रारंभ की गई ऐसे ही अन्य धुलाई कारखाने शामिल होंगे.

निर्मित, अर्ध-निर्मित तथा कच्चा इस्पात – इसमें कच्चे इस्पात की इंगाट तथा ढलाई की धातुएं शामिल हैं. अर्ध-निर्मित इस्पात में ब्लूम, बिलेट, सिल्लियां टीन की खड़े षीटवार, स्कैल्प, स्लीपर बार तथा हाक बार मिले हुए होतें हैं. निर्मित इस्पात में भारी तथा हल्की ढांचे, भारी रेल, फिश प्लेट, टिन प्लेट, काले एवं जस्तेदार चादरें, प्लेटें, छडें तथा सलाखें, तार तथा तार उत्पाद, पहिए टायर तथा धूरे इस्पात में ढली वस्तुएं स्प्रिंग इस्पात, टूल इस्पात बोल्ट, नट, रिवेत, कीलें, छल्ले, पट्टियां तथा स्लीपर शामिल हैं.

3. The coverage of the terms 'coal washeries', 'steel plants' and 'finished' 'semi-finished' and 'crude' steel shall be as follows –

Coal-fields – shall include coal booked from all stations and sidings serving the different coal-fields.

Other-points – shall include coal booked or rebooked from stations or sidings serving other than coal fields, such as docks, riverine points, coal dumps, coal washeries, loco sheds etc.

Steel plants – shall include steel works of M/s Hindustan Steel Ltd., Bhilai Steel plant, Rourkela Steel Plant, Durgapur Steel Plant, Tata Iron and Steel Co. Ltd., (Tatanagar), Indian Iron and Steel Co. Ltd., (Burnco, Kulti, SCOD sidings and Burnpore and BISCO sidings), Mysore Indian Iron and Steel Works (Bhadrawati) and such other steel works as may be authorized to be included by the Railway Board from time to time.

Coal washeries – shall include the coal washeries at Jamadoba, Kargali, Dugda, and such other washeries as may be commissioned from time to time.

'Finished', 'Semi-finished' and 'Crude' Steel - Crude steel ingots and metal for castings shall constitute crude steel. Semi-finished steel shall include blooms, billets and slabs, tin bars, sheetsbars, skelp, sleeper bars and hoc-bars. Finished steel shall include heavy and light structurals, heavy rails and fish-plates, tin plates, black and galvanized sheets, plates, bars and rods, wires and wire products, wheels, tyres and axles, steel castings, spring steel and tool steel, bolts, nuts, rivets, spikes, hoop and stripes and sleepers.

4. **ढोए गए राजस्व** – अर्जक माल से अर्जन – इसमें आमान के वे अर्जन दिखाएं जाएंगे जो सार वाई-माल से अर्जन के मुख्य शीर्ष 100 से 500 तक के अर्न्तगत दर्ज किए गए हों. फैरी व स्टीम बोट से होने वाले अर्जन भी शामिल किये जायेंगे.

4. Earnings from revenue-earning goods carried-shall show the earnings for the gauge booked under Main Heads 100 to 500 of Abstract Y-Goods Earnings less refund under Y 811. Ferry or steam-boat earnings shall be included.

5. अलग-अलग रेलों के मामले में, ''औसत गमन दूरी'' निकालने के लिए शुद्धटन किलोमीटर के ढोए गए टनों से विभाजित किया जाएगा. प्रत्येक आमान के लिए यह निकालने के लिए आमान, के शुद्धटन किलोमीटर को सभी रेलों के आमान पर ढोए गए टनों की कुल संख्या द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है. प्रत्येक रेलवे पर सभी आमानों की औसत गमन दूरी शुद्धटन किलोमीटरों को रेल प्रणाली पर ढोए गए टनों से विभाजित

5. 'Average lead' shall be worked out by dividing net-tonne-kilometres by the tonnes carried, in case of individual railways. For working out this result for each gauge, net tonne kilometres, for the gauge is to be divided by the total of tonnage carried on the gauge of all railways. The average lead for all gauges put together on each railway is to be worked out by dividing the net tonne kilometres by tonnes

करके निकाली जाएगी. सभी भारतीय रेलों के मामले में शुद्धटन किलोमीटरों को सभी आमानों के प्रारंभिक टनों की संख्या जमा विदेशी रेलों फैरी तथा स्टीम बोट से प्राप्त टनों से विभाजित करके औसत सभी भारतीय रेल गमन दूरी निकाली जाएगी.

6. औसत दर, ढोए गये माल से हुए अर्जन को स्टीम बोट तथा फैरी से हुए अर्जन को छोड़कर, तदनुरूपी शुद्धटन किलोमीटर से विभाजित करके निकाला जाएगा; परिणाम दशमलव के ठीक दो स्थानों तक 'पैसे' में निकाला जाएगा.

7. फैरी स्टीम बोट तथा विदेशी रेलों से प्राप्त यातायात को इस विवरण के अनुबंध–I के रूप में अलग से पण्यवार प्रस्तुत किया जाएगा. विवरण के लिए यथा निर्धारित फारमेट में.

8. सारणी के अतिरिक्ति निम्नलिखित रूप में टेप डम्प तथा टेप भी भेजा जाएगा —

ब्यौरा	अंकों की संख्या	फील्ड
रेलवे	1	1
रिक्त स्थान	1	2
आमान	1	3
पण्य	4	4-7
प्रारंभिक टन	7	8-14
यानांतरित टन	5	15-19
समाप्त टन	7	20-26
पारगामी टन	5	27-31
ढोए गए टन	7	32-38
शुद्ध टन किलोमीटर	10	39-48
अर्जन	8	49-56
प्रणाली पर ढोये गये टन	7	57-63
गमनदूरी	4	64-67
दर	5	68-72

योजना शीर्ष पण्यों के लिए निम्नलिखित कूट उपयोग में

छूट	पण्य
0001	इस्पात संयंत्रों के लिए कोयला
0002	धुलाई कारखानों के लिए कोयला
0003	ताप बिजलीघरों के लिए कोयला
0004	अन्य सार्वजनिक उपयोग कर्त्ताओं के लिए कोयला
0005	कुल कोयला
0006	इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल
0007	इस्पात संयंत्रों से कच्चा लोहा तथा तैयार लोहा
0008	निर्यात के लिए खनिज लोहा
0009	सीमेन्ट
0010	खाद्यान्न

carried on the system. In case of All Indian Railways, net tonne kms. shall be divided by the number of tonnes originating on all gauges plus tonnes received from railways in foreign countries, ferries and steam-boats, to arrive at the average All Railways lead.

6. Average rate shall be worked out by dividing the eanings from goods carried (excluding steam boat and ferries earnings) by the corresponding net tonne killometres. The results shall be expressed in 'Paise' correct to two places of decimal.

7. The traffic received from ferries, steam-boats and railways in foreign countries shall be furnished commodity-wise separately as Annexure-I to this statement in the same format as prescribed for the statement.

8. In addition to tabulation, tape dumps and tape in the following format shall be sent –

Description	No of digits	Field
Railway	1	1
Blank	1	2
Gauge	1	3
Commodity	4	4-7
Tonnes Originating	7	8-14
Tonnes Transhipped	5	15-19
Tonnes Terminating	7	20-26
Tonnes of Cross Traffic	5	27-31
Tonnes Carried	7	32-38
NTKMs	10	39-48
Earmings	8	49-56
Tonnes carried on the System	7	57-63
Lead	4	64-67
Rate	5	68-72

For Plan Head Commodities, the following codes will be used :

Code	Commodity
0001	Coal for Steel Plants
0002	Coal for Washeries
0003	Coal for Thermal Power Houses
0004	Coal for Other Public Users
0005	Total Coal
0006	Raw Material for Steel Plants
0007	Pig Iron and Finished Steel from Steel Plants
0008	Iron Ore for Export
0009	Cement
0010	Foodgrains

0011	उर्वरक
0012	खनिज तेल
0013	अन्य पण्य
0014	कुल राजस्व यातायात
0015	रेलवे कोयला
0016	रेलों के लिए डीजल तेल
0017	विभागीय माल-डिब्बों तथा गिट्टी गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों में रेलों के लिए ढ़ोया गया सामान्य भंडार तथा सामग्री
0018	विभागीय माल डिब्बों तथा गिट्टी गाड़ियों में रेलों के लिए ढोया गया रेल भंडार तथा सामग्री
0019	कुल अराजस्व यातायात
0020	कुल राजस्व एवं अराजस्व यातायात

ब्यौरेवार शीर्षों के अन्तर्गत, पण्यों को नीचे बताए गए अनुसार दर्शाया जाएगा —

कूट	पण्य
0101	धान
0604	शीरा
1001	अपनी रेलवे कि लिए सामान्य भंडार एल्फा कूट का उपयोग नहीं किया जाएगा.

आई.सी.आई. एम कम्प्यूटर का प्रयोग करने वाली रेल आंकड़े आई.सी.एल. टेप में भेजेगी जबकि टी डी सी-332 प्रणाली का प्रयोग करने वाली रेलें आंकड़े प्रणाली ई.बी.सी. डी.आई.सी. टेप में भेजेंगी. रिकार्ड लम्बाई = 80(लेबल रहित तथा ब्लाक रहित) टेप फारमेट का उपयोग किया जाएगा.

9. माल क्षेत्रीय सांख्यिकी का ब्यौरा संलग्नक-के अनुबंध के अनुसार निम्नलिखित दूरी के लिए स्टेटमेंट सहित अगले वित्तीय वर्ष के 31 अगस्त तक भेजा जाएगा : —

दूरी सं.	दूरी क्षेत्र (कि.मी.)
1.	1-50
2.	51-100
3.	101-150
4.	151-200
5.	201-250
6.	251-300
7.	301-400
8.	401-500
9.	501-750
10.	751-1000
11.	1001-1500
12.	1501-2000
13.	2001-2500
14.	2501-3000
15.	3001-3500
16.	3501 - तथा उससे अधिक

0011	Fertilisers
0012	Mineral Oils
0013	Other Commodities
0014	Total Revenue Earning Traffic
0015	Railway Coal
0016	Diesel Oil for Railways
0017	General Stores and Materials for Railways Carried in other than Departmental Wagons and Ballast Trains
0018	Railway Stores & Material for Railways Carried in Departmental Wagons and Ballast Trains
0019	Total Non-Revenue Traffic
0020	Total Revenue and Non-Revenue Traffic.

Under the Detailed Heads, commodities will be indicated in the manner given below —

Code	Commodity
0101	Rice in Husk
0604	Molases
1001	General Stores for Home Railways No Alfa code will be used.

Figures shall be right adjusted with leading zeros. Railway using ICIM Computer shall send the data in ICL format Tape, whereas those using TDC-332 system shall send the same in "EBC DIC" Tape format using Record length =80 (Unlabelled and unblocked).

9. The details of Goods Zonal Statistics shall be supplied as per 'Annexure' in the following distance zones, alongwith the statement, by 31st August of the following financial year-

Distance No.	Distance Zone (kms)
1.	1-50
2.	51-100
3.	101-150
4.	151-200
5.	201-250
6.	251-300
7.	301-400
8.	401-500
9.	501-750
10.	751-1000
11.	1001-1500
12.	1501-2000
13.	2001-2500
14.	2501-3000
15.	3001-3500
16.	3501 & above

(i) आंकड़े सारी प्रणाली को एक मानकर प्रदर्शित किए जाएंगे.
(ii) गाड़ी भार, पूर्ण माल डिब्बा भार तथा फुटकर के लिए आंकड़े अलग - अलग दिखाए जाएंगे.
(iii) पिछले तथा चालू वर्ष के लिए आंकड़े अलग से दिए जाऐं.
(iv) सारणी के अतिरिक्त, टेप तथा टेप डंप निम्नलिखित रूप में भेजा जाएगा —

क्र.सं.	कालम	अन्तर्वस्तु
1.	1-1	रेलवे कूट (1 से 9)
2.	2-2	आमान (1 से 3) क्योंकि फिलहाल आमान की आवश्यकता नहीं है. शून्य के कालम में '0' शून्य भरें.
3.	3-6	शून्य
4.	7-9	3 डिजिट पण्य कूट सूची (रेंज 011-952)
5.	10-11	महीना
6.	12-13	वर्ष
7.	14	1(चालू वर्ष के लिये) 2 (पिछले वर्ष के लिये)
8.	15-16	क्षेत्र अथवा दूरी चरण (01 से 16)
9.	17-22	माल डिब्बो की संख्या (फुल)
10.	23-28	माल डिब्बों की संख्या (गाड़ी भार)
11.	29-38	फुटकर-टन इकाइयों में
12.	39-48	फुटकर-अर्जन रुपयों में
13.	49-60	फुटकर-टन किलोमीटर हजार में
14.	61-70	माल डिब्बा भार टन इकाइयों में (फुल)
15.	71-80	माल डिब्बा भार-अर्जन रुपयों में (फुल)
16.	81-92	माल डिब्बा भार-टन किलोमीटर हजार में (फुल)
17.	93-102	गाड़ी-भार टन इकाइयों में
18.	103-112	गाड़ी-भार टन अर्जन रुपयों में
19.	113-124	गाड़ी-भार टन किलोमीटर हजार में
20.	125-125	''जैड़'' क्षेत्रीय विवरण कूट के लिए

1. टिप्पणी : क्रम सं. 8 से 19 तक के आंकड़े ठीक अगले शून्यों के साथ समायोजित किए जाएंगे.
2. टिप्पणी : रेलवे आई.सी.आई.एम. का प्रयोग कर रही है. कंप्यूटर प्रणाली आई.सी.एल-9 फारमेट में आर.ई.सी. लम्बाई=125 तथा ब्लॉक लम्बाई 2048 कैरेक्टर्स का उपयोग करेगी. अन्य रेलें आर.ई.सी. लम्बाई=125 कैरेक्टर्स (लेबल रहित तथा ब्लॉक रहित) एबोडिक टेपों का उपयोग करेंगी.

10. इस विवरण में दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिए मासिक विवरण 7(ख) की तदनुरूपी मदों के संबंध में दर्शाए गए संचयी आंकड़ों के साथ मेल खाएंगे, यदि इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिए मासिक विवरण 7(ख) के तदनुरूपी आंकड़ों के बीच कोई अंतर आता है तो उसे एक अलग ज्ञापन में समुचित रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

11. जहां किसी मद को परिकलित करने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए हैं, वहां साख्यिकी अनुदेशिका वाल्यूम -1 में दिए गए मासिक विवरण 7(ग) व 7(ख) की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों को अपनाया

(i) Data of the system as a whole shall be furnished.
(ii) The statistics for train loads, full wagon loads and smalls shall be given separately.
(iii) Data for previous and current years shall be given separately.
(iv) In addition to tabulation, tape and tape dump in the following format shall be sent —

Sl. No.	Columns	Contents
1.	1-1	Railway Code (1 Through 9)
2.	2-2	Gauge (I Through 3) Since Gauge is not required at present, enter '0' (Zero) in this column zeros
3.	3-6	Zeros
4.	7-9	3-digit commodity code (in the Range 011- 952)
5.	10-11	Month
6.	12-13	Year
7.	14	1 (for the current year) 2 (for the previous year)
8.	15-16	Zone of distance legs (01 to 16)
9.	17-22	No of wagons (fulls)
10.	23-28	No of wagons (Train loads)
11.	29-38	Smalls - Tonnes in units
12.	39-48	Smalls - Earnings in rupees
13.	49-60	Smalls-Tonnes kms in thousands
14.	61-70	Fulls-Tonnes in units
15.	71-80	Fulls-Earnings in rupees
16.	81-92	Fulls-Tonnes kms. in thousands
17.	93-102	Train load-Tonnes in units
18.	103-112	Train-load-Earnings in Rupees
19.	113-124	Train-load-Tonnes kms. in thousands
20.	125-125	"Z" for zonal statement code

1. Note :In the field at S. No. 8 to 19 figures shall be right adjusted with leading zeros.
2. Note : Railways using ICIM Computer System shall use REC Length = 125 and Block length = 2048 Characters in ICL-9 format. Others railways shall use REC–Length=125 characters (unlabelled and unblocked) ebodic tapes.

10. The figures reported in this statement shall agree with the cumulative figures shown against the corresponding items of monthly statement 7(b) for March of the year concerned. Any difference between the figures in this statement and the corresponding figures in the monthy statement 7(b) for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

11. Where no special instruction are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statement 7(c) and 7(b) in case of zone statistics as given in the Manual of Statistical Instructions-Volume I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण–15

Statement-15

वर्ष के सरकारी रेलों के संचालन के परिणाम

Results of working of Government Railways for the year

मद Item	ब्यौरा Description	रकम या प्रतिशत/Amount or percentage					
		बड़ी लाइन Broad Gauge		मीटर लाइन Metre Gauge		छोटी लाइन Narrow Gauge	
		पूंजी पर ब्याज को छोड़कर Excl. interest on capital	पूंजी पर ब्याज सहित Incl. interest on capital	पूंजी पर ब्याज को छोड़कर Excl. interest on capital	पूंजी पर ब्याज सहित Incl. interest on capital	पूंजी पर ब्याज को छोड़कर Excl. interest on capital	पूंजी पर ब्याज सहित Incl. interest on capital
1	2	3	4	5	6	7	8

15.01 कुल संचालन व्यय (000)..... रु.
Total working expenses (000)..... Rs.

15.02 कुल संचालन व्यय का कोचिंग अनुपात (000)..... रु.
Coaching proportion of total working expenses (000)..... Rs.

15.03 कुल संचालन व्यय का माल अनुपात (000)..... रु.
Goods proportion of total working expenses (000).....Rs.

15.04 कुल अर्जन (000)..... रु.
Total earnings (000)..... Rs.

15.05 कोचिंग अर्जन (000)..... रु.
Coaching earnings (000).....Rs.

15.06 माल अर्जन (000)..... रु.
Goods earnings (000)..... Rs.

कोचिंग यातायात

Coaching Traffic

15.07 प्रति रेलगाड़ी कि.मी. कोचिंग अर्जनरु.
Coaching earnings per train kilometre ...Rs.

15.08 एक सवारी गाड़ी को एक किलोमीटर कर्षित करने की लागत रु.
Cost of hauling a passenger train one kilometre ...Rs.

15.09 एक सवारी गाड़ी के एक किलोमीटर संचालन पर लाभ रु.
Profit on working a passenger train one kilometre ...Rs.

15.10 प्रति कोचिंग वाहन प्रति किलोमीटर अर्जन रु.
Earnings per coaching vehicle per kilometre ...Rs.

15.11 एक कोचिंग वाहन को एक किलोमीटर कर्षित करने की लागत रु.
Cost of hauling a coaching vehicle one kilometre ...Rs.

15.12 एक कोचिंग वाहन के एक किलोमीटर संचालन पर लाभ रु.
Profit on working a coaching vehicle one kilometre ...Rs.

विवरण–15– *(जारी)*

Statement-15-*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8
	माल यातायात **Goods Traffic**						
15.13	प्रति रेलगाड़ी किलोमीटर माल अर्जन रु. Goods earnings per train kilometre ...Rs.						
15.14	एक मालगाड़ी को एक किलोमीटर कर्षित करने की लागत रु. Cost of hauling a goods train one kilometre ...Rs.						
15.15	एक मालगाड़ी के एक किलोमीटर संचालन पर लाभ रु. Profit on working a goods train one kilometre ...Rs.						
15.16	प्रति मालडिब्बा प्रति किलोमीटर अर्जन (ब्रेक यानों को छोड़कर)..... रु. Earnings per goods wagon per kilometre (excl. brake vans) ...Rs.						
15.17	एक मालडिब्बे को एक किलोमीटर कर्षित करने की लागत रु. Cost of hauling a goods wagon one kilometre ...Rs.						
15.18	एक मालडिब्बे के एक किलोमीटर संचालन पर लाभ रु. Profit on working a goods wagon one kilometre ...Rs.						
15.19	प्रति माल यूनिट (अर्थात् एक टन) एक किलोमीटर अर्जन रु. Earnings per goods unit (viz. one tonne) one kilometre ...Rs.						
15.20	एक माल यूनिट (अर्थात् एक टन) को एक किलोमीटर कर्षित करने की लागत रु. Cost of hauling a goods unit (viz. one tonne) one kilometre ...Rs.						
15.21	एक माल यूनिट (अर्थात् एक टन) के एक किलोमीटर संचालन पर लाभ..... रु. Profit on working a goods unit (viz. one tonne) one kilometre ...Rs.						

इस विवरण में, पिछले और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 15 - सरकारी रेलों के संचालन के परिणाम

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष के 30 सिंतबर तक पहुँच जाए.

2. आंकड़े आमानवार अलग अलग भेजे जायेंगे.

3. मद 15.01 से 15.06 तक के आंकड़े हजार रुपयों में होंगे और निकटतम पूर्ण अंक तक पूर्णांकित किए जाएंगे. मद 15.07 से 15.21 तक के शेष मदों के लिए आंकड़े रुपयों में होंगे और दशमलव के ठीक दो अंकों तक पूर्णांकित किए जाएंगे.

4. **15.01 (क) ब्याज छोड़कर :**- इसमें उचंत, चालित लाइनों को भुगतान, घाट सेवाओं, स्टीमर, पत्तन सेवाओं और सड़क सेवाओं के अनुरक्षण और संचालन पर व्यय को छोड़कर कोचिंग और माल यातायात दोनों के संचालन व्यय शामिल होंगे. बहरहाल, ''कंटेनर सेवाओं'' के सड़क भाग से संबंधित व्यय शामिल किए जायेंगे.

5. **15.01 (ख) ब्याज सहित :**- मद 15.01 (क) के अलावा, 15.01 (ख) में ब्याज शामिल होंगे. ब्याज का परिकलन रेल अभिसमय समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा. पूंजी में चालू लाइनों पर तथा अंशत: खोली गई लाइनों पर खर्च की गई पूंजी शामिल है अर्थात राजस्व उपार्जक कि.मी. दूरी पर जिसमें अंतिम रूप से लेखे को प्रवृत न किया गया निर्माण, चल स्टाक, सामान्य प्रभार और भंडार आदि पर परिव्यय शामिल है. बहरहाल, घाट सेवाओं पर पूंजी परिव्यय छोड़ दिया जाता है. ब्याज के परिकलन के प्रयोजनार्थ वर्ष के दौरान आधी खर्च की गई पूंजी हिसाब में ली जाएगी.

6. मद 15.02 और 15.03-संचालन व्यय के कोचिंग और माल का अनुपात इस जिल्द के अंत में परिशिष्ट -III में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार निकाला जाएगा. मद 15.02 और 15.03 का जोड़, मद 15.01 के सामने दिए गए आंकड़े से मेल खाऐगा. मद 15.01, 15.02 और 15.03 के अंतर्गत कालम 4, 6 और 8 का ब्यौरा इस विवरण के अनुबंध 1 में संचालन व्यय, मू.आ.नि. और ब्याज के अंतर्गत दर्शाया जाएगा.

7. मद 15.04 = मद 15.05 + मद 15.06. यह विवरण 6 के कालम 14- भाप नौकाओं और घाट सेवाओं से अर्जन (000 में) से मेल खाऐगा.

8. मद 15.05, विवरण 6 के कालम 7 के अनुसार 'सभी आमानों से कुल अर्जन' में से 'भाप नौकाओं एवं घाट सेवाओं से अर्जन (हजार में)' को घटाकर तथा विविध अर्जन के कोचिंग अनुपात को जमा कर के निकाला जाएगा (परिशिष्ट-III के भाग-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार).

9. मद 15.06, विवरण संख्या 6 के कालम 10 के अनुसार 'सभी आमानों से कुल माल अर्जन' में से 'भाप नौकाओं और घाट सेवाओं से अर्जन (हजार में)' को घटाकर तथा विविध अर्जन के माल अनुपात को जमा कर के निकाला जाएगा, परिशिष्ट - III के भाग-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार.

Statement 15 – Results of working of Government Railways

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th September of the following financial year.

2. The figures shall be furnished separately by gauges.

3. Figures for items 15.01 to 15.06 shall be in thousands of rupees and rounded off to the nearest whole number. Figures for rest of the items from items 15.07 to 15.21 shall be in rupees and rounded off correct to two places of decimal.

4. **15. 01 (a) Excluding Interest :** - It shall include working expenses for both coaching and goods traffic excluding suspense, payment to worked lines and expenditure on the maintenance and working of ferries, steamers, harbours and road services. However, the expenses pertaining to road portion of container service shall be included.

5. **15.01 (b) Including Interest** : - In addition to item 15.01(a), 15.01(b) shall include interest. Interest shall be calculated at the rates prescribed by Railway Convention Committee from time to time. Capital will include capital expended on open lines and lines partly opened i.e. on the revenue earning kilometrage, which includes outlay on works, rolling stock, general charges and stores etc. not finally charged off in the accounts. Capital outlay on ferries is, however, excluded. The half of the capital expended during the year shall be taken for the purpose of calculation of interest.

6. Items 15.02 and 15.03 - The coaching and goods proportion of working expenses shall be worked out in accordance with the instructions contained in Appendix III. The total of items 15.02 and 15.03 shall agree with the figure against item 15.01. The break-up of columns 4, 6 and 8 under items 15.01, 15.02 and 15.03 shall be given under working expenses, DRF and interest in Annexure I to this statement.

7. Item 15.04 = Item 15.05 + item 15.06. It shall agree with col 14 of Statement 6 - earnings from steamboats and ferries (in 000)

8. Item 15.05 = Total earnings for the gauge as per col. 7 of Statement 6 - earnings from steam boats and ferries (in thousands) + coaching proportion of sundry earnings as per instructions given in Part II of Appendix-III.

9. Item 15.06 = Total goods earnings for the gauge as per col. 10 of Statement 6 - earnings from steam boats and ferries (in thousands) + Goods proportion of sundry earnings as per the instructions given in Part II of Appendix-III.

10. मद 15.07= $\frac{\text{मद 15.05}}{\text{[मद 17.04+32.23+32.25+}\frac{\text{33.03(क)}}{3}\text{+}\frac{\text{33.10(क)}}{3}\text{ का जोड] x 1000}}$

11. मद 15.08 = $\frac{\text{मद 15.02}}{\text{[मद 17.04+32.23+32.25+}\frac{\text{33.03(क)}}{3}\text{+}\frac{\text{33.10(क)}}{3}\text{ का जोड] x 1000}}$

12. मद 15.09 = मद 15.07 - मद 15.08

13. मद 15.10= $\frac{\text{मद 15.05}}{\text{[मद 19(क).03(iv)+32.30(ग)+32.31(ग)+2(33.03(ग))] x1000}}$

14. मद 15.11= $\frac{\text{मद 15.02}}{\text{[मद19(क).03(iv)+32.30(ग)+32.31(ग)+2(33.03(ग))] x 1000}}$

15. मद 15.12= मद 15.10 - मद 15.11

16. मद 15.13= $\frac{\text{मद 15.06}}{\text{वार्षिक विवरण 17 की मद 17.05}}$

17. मद 15.14= $\frac{\text{मद 15.03}}{\text{वार्षिक विवरण 17 की मद 17.05}}$

18. मद 15.15= मद 15.13 - मद 15.14

19. मद 15.16= $\frac{\text{मद 15.06}}{\text{वार्षिक विवरण 19 की मद 19(क).06(ii)}}$

20. मद 15.17= $\frac{\text{मद 15.03}}{\text{वार्षिक विवरण 19 की मद 19(क).06(ii)}}$

21. मद 15.18 = मद 15.16 - मद 15.17

22. मद 15.19 = $\frac{\text{मद 15.06}}{\text{राजस्व यातायात के शुद्ध टन किलोमीटर- (वार्षिक विवरण 13 के अनुसार सभी पण्य)}}$

23. मद 15.20= $\frac{\text{मद 15.03}}{\text{राजस्व यातायात के शुद्ध टन किलोमीटर- (वार्षिक विवरण 13 के अनुसार सभी पण्य)}}$

24. मद 15.21= मद 15.19 - मद 15.20

25. विभिन्न परिणाम निकालने के लिए मौलिक यूनिट इस विवरण के अनुबंध–II में दिए जाएंगे.

10. Item 15.07 = $\frac{\text{Item 15.05}}{\text{[Total of items 17.04+32.23+32.25+}\frac{\text{33.03(a)}}{3}\text{+}\frac{\text{33.10(a)}}{3}\text{] x1000}}$

11. Item 15.08 = $\frac{\text{Item 15.02}}{\text{[Total of items 17.04+32.23+32.25+}\frac{\text{33.03(a)}}{3}\text{+}\frac{\text{33.10(a)}}{3}\text{] x1000}}$

12. Item 15.09 = Item 15.07 - Item 15.08

13. Item 15.10 = $\frac{\text{Item 15.05}}{\text{[Items 19(a).03(iv)+32.30(c)+32.31(c)+2(33.03(c)] x1000}}$

14. Item 15.11= $\frac{\text{Item 15.02}}{\text{[Items19(a).03(iv)+32.30(c)+32.31(c)+2(33.03(c)] x1000}}$

15. Item 15.12= Item 15.10 - Item 15.11

16. Item 15.13= $\frac{\text{Item 15.06}}{\text{Item 17.05 of Annual Statement 17}}$

17. Item 15.14= $\frac{\text{Item 15.03}}{\text{Item 17.05 of Annual Statement 17}}$

18. Item 15.15= Item 15.13 - Item 15.14

19. Item 15.16= $\frac{\text{Item 15.06}}{\text{Item 19(a).06(ii) of Annual Statement 19}}$

20. Item 15.17= $\frac{\text{Item 15.03}}{\text{Item 19(a).06(ii) of Annual Statement 19}}$

21. Item 15.18= Item 15.16 - Item 15.17

22. Item 15.19= $\frac{\text{Item 15.06}}{\text{Net tonne kilometres of revenue traffic (All commodities as per Annual Statement 13)}}$

23. Item 15.20= $\frac{\text{Item 15.03}}{\text{Net tonne kilometres of revenue traffic (All commodities as per Annual Statement 13)}}$

24. Item 15.21= Item 15.19 - Item 15.20

25. The fundamental units for working out the various results shall be given in Annexure-II to this statement.

अनुबंध-I/ANNEXURE-I

अनुदेशों के पैरा 6 के अनुसार विवरण-15 का अनुबंध

बड़ी लाइन **कुल कोचिंग माल**

i) पेंशन निधि को विनियोग सहित संचालन व्यय (ठ-200)

ii) मू.आ.नि. को विनियोग (ठ-100)

iii) ब्याज

iv) जोड़

मीटर लाइन

i) पेंशन निधि को विनियोग सहित संचालन व्यय (ठ-200)

ii) मू.आ.नि. को विनियोग (ठ-100)

iii) ब्याज

iv) जोड़

छोटी लाइन

i) पेंशन निधि को विनियोग सहित संचालन व्यय (ठ-200)

ii) मू.आ.नि.को विनियोग (ठ-100)

iii) ब्याज

iv) जोड़

कुल

i) पेंशन निधि को विनियोग सहित संचालन व्यय (ठ-200)

ii) मू.आ.नि. को विनियोग (ठ-100)

iii) ब्याज

iv) जोड़

जोड़, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन के मामले में क्रमश: मद 15.01, 15.02 और 15.03 के कालम 4, 6, और 8 के साथ मेल खाएगा.

Annexure to Statement–15 vide para 6 of instructions

Broad Gauge **Total Coaching Goods**

i) Working expenses including Appropriation to Pension Fund (M200)

ii) Appropriation to DRF (M100)

iii) Interest

iv) Total

Metre Gauge

i) Working expenses including Appropriation to Pension Fund (M200)

ii) Appropriation to DRF (M100)

iii) Interest

iv) Total

Narrow Gauge

i) Working expenses including Appropriation to Pension Fund (M200)

ii) Appropriation to DRF (M100)

iii) Interest

iv) Total

TOTAL

i) Working expenses including Appropriation to Pension Fund (M200)

ii) Appropriation to DRF (M100)

iii) Interest

iv) Total

Total shall agree with columns 4, 6 and 8 against Items 15.01, 15.02 and 15.03 in case of B.G., M.G. and N.G. respectively.

अनुबंध-II/ANNEXURE-II

अनुदेशों के पैरा 25 के अनुसार विवरण-15 का अनुबंध

विवरण 15 के परिणाम निकालने में प्रयुक्त मौलिक यूनिट :

मद

15.07 = कोचिंग अर्जन / गाड़ी किलोमीटर (कोचिंग)

15.08 = कुल संचालन व्यय का कोचिंग अनुपात + व्यय की गई पूंजी पर ब्याज का कोचिंग अनुपात / गाड़ी किलोमीटर (कोचिंग)

15.10 = कोचिंग अर्जन / वाहन किलोमीटर (कोचिंग)

15.11 = कुल संचालन व्यय का कोचिंग अनुपात + व्यय की गई पूंजी पर ब्याज का कोचिंग अनुपात / वाहन किलोमीटर (कोचिंग)

15.13 = माल अर्जन / गाड़ी किलोमीटर (माल)

15.14 = कुल संचालन व्यय का माल अनुपात + व्यय की गई पूंजी पर ब्याज का माल अनुपात / गाड़ी किलोमीटर (माल)

15.16 = माल अर्जन / मालडिब्बा कि.मी. (माल)

15.17 = कुल संचालन व्यय का माल अनुपात + व्यय की गई पूंजी पर ब्याज का माल अनुपात / मालडिब्बा किलोमीटर (माल)

15.19 = माल अर्जन / मालभाड़ा टन किलोमीटर (माल) (राजस्व)

15.20 = कुल संचालन व्यय का माल अनुपात + व्यय की गई पूंजी पर ब्याज का माल अनुपात / माल भाड़ा टन किलोमीटर (माल) (राजस्व)

मौलिक यूनिटें ब्याज प्रभारों सहित परिणामों के लिए है. ब्याज प्रभारों रहित परिणामों के लिए कोचिंग/माल ब्याज का अनुपात छोड़ दिया जाएगा.

Annexure to Statement–15 vide para 25 of the instructions

Fundamental Units used in working out the results of Statement 15 :

Item

15.07 = Coaching Earnings. / Train Kilometres (Coaching)

15.08 = Coaching proportion of total working expenses + Coaching proportion of Interest on Capital expended / Train kilometres (Coaching)

15.10 = Coaching Earnings / Vehicle kilometres (Coaching)

15.11 = Coaching proportion of total working expenses + Coaching proportion of Interest on Capital expended / Vehicle kilometres (Coaching)

15.13 = Goods Earnings / Train kilometres (Goods)

15.14 = Goods proportion of total working expenses + Goods proportion of Interest on Capital expended / Train kilometres (Goods)

15.16 = Goods Earnings / Wagon kilometres (Goods)

15.17 = Goods proportion of total working expenses + Goods proportion of Interest on Capital expended / Wagon kilometres (Goods)

15.19 = Goods Earnings / Freight tonne kilometres (Goods) (Revenue)

15.20 = Goods proportion of total working expenses + Goods proportion of Interest on Capital expended / Freight tonne kilometres (Goods) (Revenue)

The fundamental units are for results inclusive of interest charges. For results exclusive of Interest charges, the proportion of interest on coaching/goods shall be omitted.

परिशिष्ट-II/APPENDIX-II

उन मंडलों से संबंधित ई.एम.यू. संचालन व्ययों का विश्लेषण जहां ई.एम.यू. गाड़ियां चलती हैं
Analysis of EMU Working Expenses relating to Divisions where EMU Services run.

राजस्व सार ''क''/Revenue Abstract 'A'
सामान्य अधीक्षण और सेवाएं
General Superintendence and Services

1.	क-100	सामान्य प्रबंध सेवाओं सहित सामान्य प्रबंध	सार क (क 100 से 400 तक छोड़कर), ख (ख-410 और 640 को छोड़कर), ग, घ, ङ (ङ-840, 850 और 960 को छोड़कर), च(च-610, 640 और 650 को छोड़कर), छ, ज और ट-400 के अंतर्गत कुल व्यय के ई.एम.यू. व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाये.
	A-100	General Management including General Management Services	To be divided in the ratio of EMU Expenses to Total Expenses under Abstracts A (excluding A-100 to 400), B (excluding B-410 & 640), C, D, E (excluding E-840, 850 and 960), F (excluding F-610, 640 and 650), G, H and K-400.
2.	क-200	वित्तीय प्रबंध	
	A-200	Financial Management	
3.	क-300	कार्मिक प्रबंध	
	A-300	Personnnel Management	
4.	क-400	सामग्री प्रबंध	
	A-400	Materials Management	
5.	क-500	रेलपथ और निर्माण प्रबंध	वैसे ही जैसे कि ख-100 के लिए
	A-500	Way and Works Management	Same as for B-100
6.	क-700	बिजली प्रबंध	वैसे ही जैसे कि ङ-410 के लिए
	A-700	Electrical Management	Same as for E-410
7.	क-800	सिगनल एवं दूर संचार प्रबंध	वैसे ही जैसे कि ङ-500 के लिए
	A-800	S&T Management	Same as for E-500
8.	क-900	यातायात प्रबंध	वैसे ही जैसे कि छ-100 के लिए
	A-900	Traffic Management	Same as for G-100
9.	कुल जोड़/Grand Total		

सार -ख/Abstract -B
रेलपथ की मरम्मत और अनुरक्षण
Repairs and Maintenance of Permanent Way

1.	ख-100	कार्यालयों में स्थापना	ख-200, ख-300, ख-420, ख-440, ख-630, ख-700 (ख-715, ख-725 और ख-730 को छोड़कर) के अंतर्गत कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए. To be divided in the ratio of total expenses under B-200, B-300, B-420, B-440, B-630, B-700 (except B-715, B-725 and B-730).
	B-100	Establishment in offices	
2.	ख-510	जल आपूर्ति	
	B-510	Water Supply	
3.	ख-520	स्वच्छता	
	B-520	Sanitation	
4.	ख-620	जल आपूर्ति प्रबंधों से भिन्न स्टेशन मशीनरी	
	B-620	Station Machinery other than water supply arrangements	
5.	ख-650	विविध व्यय	
	B-650	Miscellaneous Expenses	
6.	ख-731	रचनात्मक प्रतिपादन	
	B-731	Formation Treatment	
7.	ख-910	राजस्व निर्माणों से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा राशि	
	B-910	Credit for materials released from Revenue Works	

प्रत्यक्ष व्यय/Direct Expenses

8.	ख-200	रेल पथ का अनुरक्षण	संलग्न अनुबंध के अनुसार As per Annexure attached.
	B-200	Maintenance of Permanent Way	
9.	ख-711	दरार से संबंधित विशेष मरम्मत - मिट्टी का काम	
	B-711	Special repairs pertaining to Breaches – Earth Work	
10.	ख-713	दरार से संबंधित विशेष मरम्मत -रेलपथ	
	B-713	Special repairs pertaining to Breaches – Permanent Way	
11.	ख-714	दरार से संबंधित विशेष मरम्मत -गिट्टी	
	B-714	Special repairs pertaining to Breaches – Ballast	
12.	ख-721	दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष मरम्मत - मिट्टी का काम	
	B-721	Special repairs pertaining to Accidents –Earth Work	
13.	ख-723	दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष मरम्मत-रेल पथ	
	B-723	Special repairs pertaining to Accidents –Permanent Way	
14.	ख-724	दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष मरम्मत-गिट्टी	
	B-724	Special repairs pertaining to Accidents –Ballast	
15.	ख-310	पुल निर्माण का अनुरक्षण - गर्डर काठी	चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के मण्डल के इंजन और विभागीय के वजन सहित औसत सकल टन कि.मी. के अनुपात में विभाजित किया जाएगा. To be divided in the ratio of average GTKMs including weight of engine & departmental of the Division for the last three years including current year.
	B-310	Maintenance of Bridge Work– girder bridges	
16.	ख-320	पुल निर्माण का अनुरक्षण -अन्य पुल	
	B-320	Maintenance of Bridge Work – Other bridges	
17.	ख-712	पुलों की विशेष मरम्मत-दरार	
	B-712	Special repairs to Bridges–Breaches	
18.	ख-722	पुलों की विशेष मरम्मत-दुर्घटना	
	B-722	Special repairs to Bridges – Accidents	
19.	ख-330	सुरंगों का अनुरक्षण	संबंधित सेवाओं के विभागीय/ई.एम.यू. घंटों (जैसे गाड़ियां चलती हैं न कि यूनिट घंटों के हिसाब से)सहित कुल इंजन घंटों के अनुपात में विभाजित किया जाए To be divided in the ratio of total Engine Hours including departmental/EMU hours (as the trains are run and not as unit hours) of the respective services.
	B-330	Maintenance of Tunnels	
20.	ख-340	ऊपरी पैदल पुलों सहित ऊपरी/निचले सड़क पुलों का अनुरक्षण	
	B-340	Maintenance of Road over/under bridges including footover bridges.	
21.	ख-630	नदियों का संरक्षण	
	B-630	Conservancy of rivers	
22.	ख-640	वृक्षारोपण, नर्सरियां आदि	क-100 की भांति Same as for A-100
	B-640	Trees Plantation, Nurseries etc.	
23.	ख-715	विशेष मरम्मत-विविध दरारें	
	B-715	Special Repairs – Miscellaneous Breaches	
24.	ख-725	विशेष मरम्मत - दुर्घटनाएं	ख-100 की भांति Same as for B-100
	B-725	Special Repairs – Accidents	
25.	ख-730	अन्य	
	B-730	Others	

26.	ख–410	सेवा भवनों (कर्मचारी क्वार्टरों और कल्याण भवनों से भिन्न) कार्यालय भवनों का अनुरक्षण	
	B-410	Maintenance of service buildings (other than staff quarters and welfare buildings), office buildings.	
27.	ख–420	स्टेशन, माल शेड	मंडल के कुर्सी क्षेत्रफल को जो प्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञेय है, ई.एम.यू., कोचिंग (ई.एम.यू. से भिन्न) और माल गाड़ी के अंतर्गत अलग अलग किया जाएगा. सामान्य क्षेत्रफल का 15% उच्चतर अनुरक्षण के लिए कोचिंग (ई.एम.यू. से भिन्न) को आबंटित किया जाएगा और शेष सामान्य क्षेत्रफल को इंजन/ई.एम.यू. घंटे के अनुपात में (जैसे गाड़ियां चलती है न कि यूनिट घंटे) ई.एम.यू., कोचिंग (ई.एम.यू. से भिन्न) और मालगाड़ी के बीच में आबंटित किया जाएगा. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को मंडल के कुल कुर्सी क्षेत्रफल से ई.एम.यू. को आबंटनीय कुर्सी क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार वितरित किया जाएगा.
	B-420	Stations, Goods Sheds	Plinth area of the Division which is directly identifiable shall be segregated under EMU, Coaching (other than EMU) and Goods. 15% of the common area shall be allocated to Coaching (other than EMU) for higher maintenance and the remaining common area shall be allocated between EMU, Coaching (other than EMU) and Goods in the ratio of Engine/EMU hours (as the trains are run and not as unit hours). Expenditure under this head shall be distributed in the percentage of plinth area allocable to EMU to total plinth area of the division.
28.	ख–430	कारखाना और भंडार	ख–100 की भांति
	B-430	Workshop and Stores	Same as for B-100
29.	ख–440	अन्य सभी संरचनाएं	ख–330 की भांति
	B-440	All other structures	Same as for B-330
30.	ख–530	सेवा सड़कें और अन्य (विविध)	ख–100 की भांति
	B-530	Service roads and others (Misc.)	Same as for B-100
31.		कुल जोड़/Grand total	

अनुबंध-III/ANNEXURE-III

ई.एम.यू. सेवाओं के लिए रेलपथ की साधारण और विशेष मरम्मत और अनुरक्षण के अन्तर्गत व्यय का आबंटन
Allocation of expenses under ordinary and special repairs and maintenance of track to EMU Services

क. मंडल आंकड़े

A. Divisional Data

1. ख 200, ख 711, ख 713, ख 714, ख 723, ख 724 के अन्तर्गत मंडल का कुल व्यय रुपये
 Total expenditure of the Division under B 200, B 711, B 713, B 714, B 723, B 724 Rs
2. मंडल के कुल समीकृत रेल पथ किलोमीटर
 Total equated track kilometres of the Division.
3. प्रति समीकृत रेलपथ किलोमीटर लागत = (मद 1 ÷ मद 2) रुपये
 Cost per equated track kilometre = (ETKMs) = (Item 1 ÷ Item 2) Rs.....

ख. खंड के आंकड़े

B. Sectional Data

उन खण्डों पर जहां ई.एम.यू. चल रही है, की ई.एम.यू. सेवाओं का आबंटित समीकृत रेलपथ किलोमीटर का विश्लेषण
Analysis of equated track kilometres allocated to EMU Services of Sections where EMUs are running

ब्यौरा Description	ई.एम.यू. द्वारा अनन्य रूप से प्रयुक्त Exclusively used by EMUs	अन्य सेवाओं सहित सम्मिलित रूप से ई.एम.यू. द्वारा प्रयुक्त Used by EMUs in common with other services	
	समीकृत रेलपथ कि.मी. ETKMs	समीकृत रेल पथ कि.मी. ETKMs	ई.एम.यू. का अंश Share of EMU
1	2	3	4
i) कार शेडों में रेल पथ Track in Car Sheds			
ii) कोचिंग यार्ड में रेल पथ Track in Coaching yards			
iii) चालू रेल पथ Running track			
iv) परिवहन साइडिंग Transportation sidings			
v) कुल जोड़ Total			
vi) ई.एम.यू. के नामे कुल समीकृत रेलपथ कि.मी. (कालम 2 + कालम 4)= Total ETKMs attributable to EMU (Col 2 + Col 4) =			
vii) ई.एम.यू. के नामे लागत = मद ख (vi) x लागत प्रति समीकृत कि.मी. (क 3) Cost attributable to EMU = Item B(vi) x cost per ETKM (A3)			

ग. खंड के आंकड़ों के लिए निष्पादन पैरामीटर

C. Performance parameter for the Sectional Data

1. ई.एम.यू. के कुल सकल टन कि.मी.
 Total GTKMs of the EMUs service
2. घटा अनन्य रूप से ई.एम.यू. रेलपथ पर चालित ई.एम.यू. सेवा के सकल टन कि.मी.
 Less GTKMs of the EMUs service run exclusively on EMU track.

3. साधारण रेलपथ पर चालित ई.एम.यू. सेवाओं के सकल टन कि.मी. (मद 1–मद 2)
 GTKMs of the EMUs service run on common track. (Item 1 – Item 2)
4. ई.एम.यू. से भिन्न कोचिंग सेवाओं के सकल टन कि.मी.
 GTKMs of Coaching service other than EMU
5. माल गाड़ी सेवाओं के सकल टन कि.मी.
 GTKMs of Goods Service
6. साधारण रेलपथ पर कुल सकल टन कि.मी. (मद 3+4+5)
 Total GTKMs on common track (Items 3 + 4 + 5)
7. ई.एम.यू. का अंश/Share of EMU = $\frac{\text{मद/Item 3 x 100}}{\text{मद/Item 6}}$
8. ई.एम.यू. घंटे
 EMU hours
9. कोचिंग सेवाओं के इंजन घंटे
 Engine hours of Coaching Services
10. मद 8 और 9 का जोड़
 Total of items (8 + 9)
11. ई.एम.यू. का अंश/ Share of EMU= $\frac{\text{मद/Item 8 x 100}}{\text{मद/Item 10}}$

अनुदेश/INSTRUCTIONS

1. **कालम 2 :** कार शेडों में रेल पथ के समीकृत रेलपथ कि.मी. सम्पूर्ण रूप से ई.एम.यू. को आबंटित किए जाएंगे. कोचिंग यार्डों के रेलपथ, चालू रेलपथ और परिवहन साइडिंग जो अनन्य रूप से ई.एम.यू. के लिए प्रयुक्त होती है, उनके कालम के सामने दर्शाई जाएंगी. यह सूचना इंजीनियरी विभाग द्वारा दी जाएगी और वार्षिक विवरण 8 के संकलन के लिए बनाए गए उप ब्यौरों से मेल खानी चाहिए.

 Col. 2: ETKMs of track in Car Sheds shall be wholly allocated to EMU. Track in Coaching Yards, running tracks and transportation sidings which are exclusively utilised for EMU Services shall be shown against their column. The information shall be supplied by the engineering department and will tally with the sub-details maintained for the purpose of compiling Annual Statement 8.

2. **कालम 3 :** उन खंडों के जहां ई.एम.यू. चलती हैं, समीकृत रेल पथ किलोमीटर का ब्यौरा, जो ई.एम.यू. के साथ सम्मिलित रूप में है तथा ई.एम.यू. से भिन्न है, इंजीनियरी विभाग द्वारा सप्लाई किया जाएगा जैसा कि इस अनुबंध के भाग ख में वर्गीकृत किया गया है.

 Col 3: Details of ETKMs which are in common with EMU Services and other than EMU services on the sections where EMUs are running shall be supplied by the engineering department as classified under Part B of this annexure.

3. **कालम 4:** ई.एम.यू. सेवा का अंश नीचे दिए गए अनुसार निकाला जाएगा : -

 Col 4: Share of EMU Service shall be worked out as given below :–

 i) सम्मिलित रूप से कोचिंग यार्डों में ई.एम.यू. का अंश इस अनुबंध के भाग ग की मद 11 के अनुसार, ई.एम.यू. सहित कोचिंग सेवाओं के कुल इंजन घंटो में ई.एम.यू. के इंजन घंटों के अनुपात में निर्धारित किए जाएंगे.

 Share of EMUs in common Coaching Yards shall be determined in the ratio of engine hours of EMU to total engine hours of Coaching Services including EMUs as per item 11 of Part C of this Annexure.

ii) इस प्रयोजन के लिए सकल टन किलोमीटर चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों का औसत होगा.
GTKMs for this purpose shall be the average of last three years including the current year.

iii) ई.एम.यू. सेवा के कुल सकल टन किलोमीटरों में से चुनिंदा रेल पथ पर चलने वाली ई.एम.यू. सेवाओं के सकल टन किलोमीटर को घटा दिया जाएगा. इस अनुबंध के भाग ग की मद 2 के लिए चुनिंदा रेल पथों के सकल टन किलोमीटर वर्ष के दौरान लागू समय सारणियों के अनुसार चुनिंदा रेलपथों तथा समान रेलपथों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या और तय की गयी दूरी के आधार पर औसत गाड़ी किलोमीटर के अनुपात में निकाले जाएंगे.

From the total GTKMs of EMU Service, GTKMs of the EMU services running on exclusive track shall be deducted. The GTKMs of exclusive tracks for item 2 of Part C of this annexure shall be worked out in the ratio of average train kilometres based on the number of trains run and distance covered on exclusive tracks and common tracks as per time tables in force during the year.

iv) इस प्रकार ई.एम.यू. का अंश इस अनुबंध के भाग ग की मद 7 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

The share of EMU shall thus be determined as per item 7 of part C of this annexure.

4. ई.एम.यू. सेवाओं के नामे डाले जाने वाले कुल समीकृत रेलपथ कि.मी. कालम 2 और कालम 4 का जोड़ होगा.
Total ETKMs attributable to EMU services shall be the total of Col. 2 and Col. 4.

सार-घ/Abstract -D
सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण
Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons

	घ-140/D-140		
1.	घ-141	अधिकारी - कारखाना-ई.एम.यू.	प्रत्यक्ष
	D-141	Officers – Workshop-EMU	Direct
2.	घ-142	अधिकारी - चालू लाइन-ई.एम.यू.	-वही-
	D-142	Officers – Open line-EMU	-do-
3.	घ-145	अधिकारी - कार्यालय स्थापना - कारखाना-ई.एम.यू.	-वही-
	D-145	Officers – Office Establishment–workshop-EMU	-do-
4.	घ-146	कार्यालय स्थापना - चालू लाइन-ई.एम.यू.	-वही-
	D-146	Office Establishment–Open line-EMU	-do-
	घ-150/D-150		
5.	घ-151	पर्यवेक्षी कर्मचारी - कारखाना-ई.एम.यू.	-वही-
	D-151	Supervisory staff–Workshop-EMU	-do-
6.	घ-152	पर्यवेक्षी कर्मचारी - चालू लाइन-ई.एम.यू.	-वही-
	D-152	Supervisory staff– Open line-EMU	-do-
7.	घ-155	पर्यवेक्षी कर्मचारी - कार्यालय स्थापना - कारखाना-ई.एम.यू.	-वही-
	D-155	Supervisory staff– Office Establishment–Workshop-EMU	-do-
8.	घ-156	कार्यालय स्थापना - चालू लाइन-ई.एम.यू.	-वही-
	D-156	Office establishment–Open line-EMU	-do-
9.	घ-160	आनुषंगिक व्यय	घ-140 और घ-150 के अन्तर्गत ई.एम.यू. और ई.एम.यू. व्यय से भिन्न अनुपात में विभाजित किया जाए.
	D-160	Contingent Expenses	To be divided in the ratio of EMU and other than EMU expenses under D-140 and D-150
10.	घ-400	ई.एम.यू. सवारी डिब्बे	प्रत्यक्ष
	D-400	EMU Coaches	Direct
11.	घ-921	विखंडित प्रभार-ई.एम.यू.	प्रत्यक्ष
	D-921	Dismantling Charges –EMU	Direct
12.	घ-922	निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा	प्रत्यक्ष
	D-922	Credits for released materials	Direct
13.		कुल जोड़/Grand Total	

सार -ङ/Abstract -E
संयंत्र एवं उपस्कर की मरम्मत एवं अनुरक्षण
Repairs and Maintenance of Plant & Equipment

1.	ङ-110	अधिकारी एवं कार्यालय स्थापना	ङ-500 के आधार पर On the basis of E-500
	E-110	Officers and office establishment	
2.	ङ-120	पर्यवेक्षक और उनके कर्मचारी (सि.एवं दू.सं.)	
	E-120	Supervisors and their staff (S&T)	
3.	ङ-130	आनुषंगिक व्यय (सि.एवं दू.सं.)	
	E-130	Contingent Expenses (S&T)	
4.	ङ-140	अधिकारी एवं कार्यालय स्थापना (बिजली)	ङ-410 के आधार पर On the basis of E-410
	E-140	Officers & office establishment (Electrical)	
5.	ङ-150	पर्यवेक्षक और उनके कर्मचारी (बिजली)	
	E-150	Supervisors and their staff (Electrical)	
6.	ङ-160	आनुषंगिक व्यय (बिजली)	
	E-160	Contingent expenses (Electrical)	

7.	ङ–210	संयंत्र एवं उपस्कर–रेल पथ और निर्माण कार्य–फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर	
	E-210	Plant & Equipment –Way and Works-Furniture & Office Equipment	
8.	ङ–221	संयंत्र एवं उपस्कर–रेलपथ उपस्कर–निर्माण कार्य	इंजन के और विभागीय वज़न सेवाओं सहित सकल टन कि.मी. के अनुपात में
	E-221	Plant & Equipment–Way & Track equipments–Works	
9.	ङ–222	अन्य उपस्कर	In the ratio of GTKMs including weight of engine and departmental services
	E-222	Other equipments	
10.	ङ–410	बिजली कर्षण के लिए ऊपरी उपस्कर	
	E-410	Overhead Equipment for Electric Traction	
11.	ङ–420	कर्षण के लिए पावर सप्लाई उपस्कर	
	E-420	Power Supply Equipment for Traction	
12.	ङ–444	ई.एम.यू. कार शेड–संयंत्र एवं उपस्कर	प्रत्यक्ष
	E-444	EMU Car Shed–Plant & Equipment	Direct
13.	ङ–454	कारखाना–संयंत्र एवं उपस्कर (ई.एम.यू.)	प्रत्यक्ष
	E-454	Workshop–Plant & Equipment (EMU)	Direct
14.	ङ–460	दुर्घटना, विशेष समीक्षा संबंधी कार्यों सहित प्राकृतिक विपदाओं आदि से संबंधित विशेष मरम्मत	ङ–410 के अनुपात में
	E-460	Special Repairs pertaining to natural calamities etc. including accidents, special review works	In the ratio of E-410
15.	ङ–470	अन्य संयंत्र एवं उपस्कर–बिजली कर्षण वितरण (ङ–475 और ङ–476 को छोड़कर)	
	E-470	Other Plant & Equipments–Electrical traction distribution (Excluding E-475 and E-476)	
15क.	ङ–475	कार्यालय बिल्डिगों में अन्य संयंत्र एवं उपस्कर	बिजली सेवाओं के इंजन तथा विभागीय के भार सहित सकल टन कि.मी. के अनुपात में
15A.	E-475	Other plant and equipments in office buildings	
15ख.	ङ–476	अन्य संयंत्र एवं उपस्कर–स्टेशन व माल शेड	In the ratio of GTKMs including weight of engine and departmental of Electrical Services
15B.	E-476	Other plant and equipments–stations and goods sheds	
16.	ङ–520	बिजली ब्लॉक सिगनल व्यवस्था	
	E-520	Electrical block signalling	
17.	ङ–530	बिजली पावर सिगनल व्यवस्था	
	E-530	Electrical Power signalling	
18.	ङ–540	अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	
	E-540	Other repairs & maintenance	
19.	ङ–610	माइक्रोवेव मल्टीचैनल रेडियो रिले प्रणाली	
	E-610	Microwave multichannel radio relay system	
20.	ङ–620	रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज	
	E-620	Railway Telephone Exchange	गाड़ी कि.मी. के अनुपात में
21.	ङ–630	लाइन संचार प्रणाली	In the ratio of Train KMs.
	E-630	Line communication system	
22.	ङ–700	सिगनल एवं दूर संचार सर्किटों के लिए डाक एवं तार विभाग को किराया	
	E-700	Rental to P&T for Signalling & Telecommunication circuits	
23.	ङ–810	यातायात एवं सामान्य विभाग के उपस्कर	
	E-810	Equipment of traffic and General Department	
24.	ङ–830	अन्य मरम्मत एवं विविध व्यय	
	E-830	Other repairs and miscellaneous expenses	
25.	ङ–840	स्टाफ कारें	
	E-840	Staff Cars	क–100 की भांति
26.	ङ–850	अन्य उपस्कर और विविध व्यय	Same as for A-100
	E-850	Other equipments and miscellaneous expenses	

जमा एवं वसूलियां /Credits and recoveries

27.	ङ–900 E-900	(ङ–920 को छोड़कर) (except E-920)	सार ङ (ङ–900 को छोड़कर) के अधीन ई.एम.यू. और ई.एम.यू. व्ययों से भिन्न व्यय में विभाजित किया जाए. To be divided in the ratio of EMU and other than EMU expenses under Abstract E (except E-900)
28.	कुल जोड़/Grand Total		

सार–च/Abstract-F

1.	च–400 F-400	ई.एम.यू. सवारी डिब्बे EMU Coaches	प्रत्यक्ष Direct
2.	च–610 F-610	कर्षण (चल स्टाक से भिन्न) Traction (Other than Rolling Stock)	क–100 के अनुसार Same as for A-100
3.	च–640 F-640	कारखानों को पावर की सप्लाई Supply of power to Workshops	
4.	च–650 F-650	सेवा भवनों को पावर की सप्लाई Supply of power to service buildings	
5.	च–700 F-700	सिगनल एवं दूर संचार Signal & Telecommunication	सभी कर्षणों के वाहन (सवारी एवं ई.एम.यू. सेवाएं) और माल डिब्बा कि.मी. के अनुपात में विभाजित किया जाएगा. वाहन/माल डिब्बा कि.मी. चौपहिया के हिसाब से हो. To be divided in the ratio of Vehicle Kms. (Passenger and EMU services) and Wagon Kms of all tractions. Vehicle/Wagon Kms to be related in terms of 4-wheelers.
6.	कुल जोड़/Grand Total		

सार–छ/Abstract-G
परिचालन व्यय – यातायात
Operating Expenses – Traffic

1.	छ–100 G-100	कार्यालयों में स्थापना Establishment in offices	छ–200, 500 और 600 के अनुपात में In the ratio of G 200, 500 and 600
		प्रत्यक्ष व्यय/Direct Expenses	
2.	छ–210 G-210	यातायात एवं संचालन निरीक्षक Traffic & Movement Inspectors	गाड़ी किलोमीटर Train Kilometres
3.	छ–220 G-220	यात्री स्टेशन कर्मचारी Passenger Station staff	
4.	छ–250 G-250	गाड़ी गुजारने वाले और केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी Train passing & Central Office Staff	
5.	छ–270 G-270	टिकट Tickets	
6.	छ–290 G-290	स्टेशन की सफाई सहित अन्य व्यय Other expenses including station sanitation	
7.	छ–510 G-510	गार्ड और सहायक गार्ड Guards & Assistant Guards	अनुबंध में बताए गए अनुसार As explained in the Annexure
8.	छ–530 G-530	विशेष दल से भिन्न चल टिकट जांच दल Travelling Ticket Checking squads other than special squads	
9.	छ–540 G-540	विशेष टिकट जांच दल Special ticket checking squads	
10.	छ–600 G-600	संरक्षा Safety	गाड़ी कि.मी. Train Kilometres
11.	छ–785 G-785	पट्टे पर देने के प्रभारों का भुगतान–ई.एम.यू. Payment of leasing charges-EMU	प्रत्यक्ष Direct
12.	कुल जोड़/Grand Total		

सार 'छ' का अनुबंध/ANNEXURE TO ABSTRACT 'G'

उप शीर्ष छ-510, छ-530 और छ-540 के अधीन व्ययों के वितरण के लिए सार 'छ' का अनुबंध
Annexure to Abstract 'G' for distribution of expenses under sub-heads G-510, G-530 and G-540

1. यदि ई.एम.यू. पर नियुक्त गार्डों और टिकट जांच एवं विशेष टिकट जांच दलों के लिए अलग से बिल यूनिट हों तो छ-510, छ-530 और छ-540 के अधीन बुक किया गया व्यय वर्ष का कुल जोड़ होगा और ई.एम.यू. सेवाओं को आबंटित होगा. आंकड़े कार्यालय निदेशक यात्री विपणन के परामर्श से कार्मिक शाखा द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे.
 If there are separate bill units for Guards, ticket checking and special ticket checking squads deployed on EMU trains, the expenditure booked under G-510, G-530 and G-540 shall be aggregated for the year and allocated to the EMU Service. The data shall be furnished by the Personnel branch in consultation with EDPM.
2. यदि ई.एम.यू. पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अलग से बिल यूनिट न हों, तो छ-510, छ-530 और छ-540 में आबंटनीय डिवीजन के लिए 1 अक्तूबर को कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा और ई.एम.यू. सेवा को आवंटनीय व्यय का प्रतिशत प्रोफार्मा के कालम 9 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा : -
 If there are no separate bill units for staff deployed on EMU trains, the details of sanctioned strength of staff as on 1st October, for the Division allocable to G-510, G-530 and G-540 shall be classified as under and a percentage of expenditure allocable to EMU service determined as per Col. 9 of the proforma.

पद नाम Designation	वेतनमान Scale	औसत वेतन Mean Pay	1 अक्तूबर को कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या Sanctioned strength as on 1st October			रकम Amount		ई.एम.यू. का अंश EMU Share
			कुल Total	ई.एम.यू. EMU		कुल कालम 4 × कालम 3 Total Col. 4 × Col. 3	ई.एम.यू. (कालम 5+ कालम 6) × कालम 3 EMU (Col. 5+ Col. 6) × Col. 3	कालम 8 × 100 / कालम 7 Col. 8 × 100 / Col. 7
				पूर्णत: नियुक्त Wholly deployed	अंशत: नियुक्त Partly deployed			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
छ-510/G-510								
गार्ड ए/Guard A								
गार्ड बी/Guard B								
गार्ड सी/Guard C								
सहायक गार्ड /Assistant Guards								
कुल/Total								
छ-530/G-530								
विशेष दलों से भिन्न चल टिकट जांच दल Travelling ticket checking squads other than special squads								
————————								
————————								
————————								
कुल/Total								
छ-540/G-540								
विशेष टिकट जांच दल Special Ticket Checking squads								
————————								
————————								
————————								
कुल/Total								

अनुदेश/INSTRUCTIONS

(i) छ-510, छ-530 और छ-540 को आबंटनीय 1 अक्तूबर को कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या का वेतन-वार वर्गीकरण किया जाएगा.

Scale-wise classification of sanctioned strength of staff as on 1st October allocable to G-510, G-530 and G-540 shall be made.

(ii) ई.एम.यू. गाड़ियों पर पूर्णत: नियुक्त कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कालम 5 में निर्दिष्ट की जाएगी.

The sanctioned strength of staff wholly deployed on EMU trains shall be indicated in Col. 5.

(iii) ई.एम.यू. गाड़ियों पर अंशत: नियुक्त और गैर ई.एम.यू. गाड़ियों पर अंशत: नियुक्त कर्मचारियों के मामले में ई.एम.यू. गाड़ी सेवाओं को आबंटनीय संख्या का निर्धारण कार्य अनुसूचियो के आधार पर किया जाएगा और निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा और कालम 6 में दर्शाया जाएगा.

In the case of staff partly employed on EMU trains and partly on non-EMU trains, the number allocable to EMU services shall be determined based on a suitable percentage as per work schedules and rounded off to the nearest whole number and shown in Col. 6.

(iv) चूंकि ई.एम.यू. गाड़ियों पर कोई सहायक गार्ड नहीं होते, कालम 5 अथवा 6 के अधीन ई.एम.यू. गाड़ी सेवाओं के लिए कोई आबंटन नहीं होगा.

As there are no Assistant guards working on EMU trains, there shall be no allocation to EMU service under columns 5 or 6.

(v) ई.एम.यू. गाड़ियों का प्रतिशत जो कालम 9 के अनुसार प्रत्येक उपशीर्ष के अधीन जोड़ से निकाला जाता है, ई.एम.यू. गाड़ी सेवाओं के व्यय को निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा.

The percentage of EMUs as arrived at as per col. 9 from the total under each sub-head shall be used for working out the expenditure on EMU Services.

(vi) आंकड़े कार्मिक विभाग के परामर्श से वाणिज्य/परिचालन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे.

The data shall be provided by the commercial/operating department in consultation with Personnel Department.

3. रेलों के मामले में, जहां बिल यूनिट कुछ ई.एम.यू. गाड़ियों के अंश के लिए अलग से प्राप्त किए जाते हैं वहां प्रत्येक रेलवे पर प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त सार छ के अनुबंध के पैरा 1 और 2 में बताए गए अनुसार मिश्रित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा.

In the case of Railways, where bill units are separately available for part of the EMU trains, a combined methodology as explained in paras 1 and 2 above shall be followed as per the circumstances prevalent on each Railway.

सार-ज/Abstract-H

परिचालन व्यय-ईधन/Operating Expenses-Fuel

1.	ज-332 H-332	ई.एम.यू. गाड़ी के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा Energy supplied for EMU	प्रत्यक्ष Direct
2.	ज-333 H-333	सिगनल व्यवस्था आदि के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा Energy supplied for signalling etc.	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. (बिजली कर्षण) के अनुपात में कोचिंग, ई.एम.यू. और माल सेवाओं (मंडल की) के लिए क्रमश: गुणा 0.025, 0.040 और 0.012 In the ratio of GTKMs (electric traction) including weight of engine and departmental for Coaching, EMU and Goods Services (of the Division) x0.025, 0.040 and 0.012 respectively.
3.		कुल जोड़/Grand Total	

सार-ञ/Abstract-J

कर्मचारी कल्याण और सुख सुविधाएं/Staff Welfare & Amenities

1.	ञ-100 J-100	शैक्षिक सुविधाएं Educational facilities	
2.	ञ-200 J-200	चिकित्सा सेवाएं Medical Services	
3.	ञ-300 J-300	स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं Health & Welfare Services	
4.	ञ-400 J-400	कैंटीन और अन्य कर्मचारी सुख सुविधाएं Canteen & other staff amenities	
5.	ञ-600 J-600	विविध व्यय Miscellaneous expenses	क-100 की भांति Same as for A-100
6.	ञ-510 J-510	आवासीय भवन-सभी किस्मों के Residential Buildings – all types	
7.	ञ-550 J-550	कल्याण भवन Welfare Buildings	
8.	ञ-560 J-560	पानी की सप्लाई और सफाई Water supply & sanitation	
9.	ञ-570 J-570	रेलवे कालोनियों में सुधार Improvements in Railway colonies	
10.		कुल जोड़/Grand Total	

सार-ट/Abstract–K

विविध संचलन व्यय/Miscellaneous Working Expenses

1.	ट-100 K-100	सुरक्षा Security	
2.	ट-300 K-300	कर्मकार और अन्य क्षतिपूर्ति दावे Workmen & Other compensation claims	
3.	ट-500 K-500	कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत Cost of training of staff	क-100 की भांति Same as for A-100
4.	ट-600 K-600	अन्य व्यय Other expenses	
5.	ट-700 K-700	आतिथ्य सत्कार और मनोरंजन व्यय Hospitality and entertainment expenses	

6.	ट–400	खानपान	ई.एम.यू. का अंश, उपनगरीय सेवाओं के लिए खान पान स्थापनाओं के सर्वेक्षण अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाए.
	K-400	Catering	The share of EMU may be determined based on the survey ratio of catering establishments identified to the suburban services.
7.		कुल जोड़/Grand Total	

सार-ठ/Abstract–L

भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ/Provident Fund, Pension & Other Retirement Benefits

1.	ठ–710	पेंशन विकल्पधारियों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान	विभाजन आवश्यक नहीं है
	L-710	Leave encashment for pension optees	Division not necessary
2.	ठ–720	गैर–पेंशन विकल्पधारियों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान	
	L-720	Leave encashment for other than pension optees	
3.	ठ–800	उपदान और भविष्य निधि में अंशदान व विशेष अंशदान	
	L-800	Gratuities, contribution to Provident Fund and special contribution to Provident Fund	क–100 की भांति
4.	ठ–920 और 990	भविष्य निधि में जमा अथवा वसूलियां	Same as for A-100
	L-920 and 990	Credits or recoveries –P.F.	
5.		कुल जोड़/Grand Total	

सार-ड/Abstract–M

निधियों में विनियोग/Appropriation to Funds

1.	ड–200	पेंशन निधि में विनियोग	क–100 की भांति
	M-200	Appropriation to Pension Fund	Same as for A-100
		मुख्यालय के अंश	प्रत्येक सार के अधीन मुख्यालय के व्यय का अंश मुख्यालय के संचालन व्यय को छोड़कर, क्षेत्रीय रेलवे के संचालन व्यय में मुख्यालय संचालन व्यय का प्रतिशत अनुपात में होगा.
		Headquarter's Share	The share of expenditure of Headquarter's office under each abstract shall be in the percentage ratio of Headquarter's Office working expenses to Zonal Railway Working Expenses excluding those of Headquarters Office.
		ब्याज और मूल्यह्रास आरक्षित निधि	आबंटन, परिशिष्ट-III में दिए अनुसार कोचिंग और माल सेवाओं के बीच व्यय के विभाजन के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर किया जाए.
		Interest and Depreciation Reserve Fund	The allocation may be made on the basis of instructions issued in connection with the division of expenses between coaching and goods services as given in Appendix-III.

परिशिष्ट- III/APPENDIX - III

भाग-I कोचिंग और माल सेवाओं के बीच व्ययों के विभाजन के लिए अनुदेश.
Part-I Instructions for the division of expenses between Coaching & Goods Services.
भाग-II कोचिंग और माल सेवाओं के बीच आमदनी के आबंटन के लिए अनुदेश.
Part-II Instructions for the allocation of earnings between Coaching & Goods Services.

भाग-I/Part-I

कोचिंग और माल सेवाओं के बीच व्ययों के विभाजन के लिए अनुदेश
Instructions for the division of expenses between Coaching and Goods Services.

1. ब्याज प्रभारों और सार क से ड के अधीन व्यय को प्रत्येक सार के अधीन दर्शाए गए अनुसार कोचिंग और माल सेवाओं में आबंटित किया जाए.
The expenses under Abstracts A to M and interest charges should be allocated to coaching and goods services as shown against each Abstract.
2. फेरी और सड़क सेवाओं के संचालन से संबंधित व्यय इस विभाजन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि विश्लेषण केवल रेल द्वारा वहन किए जाने वाले यातायात के लिए किया जाना है. तथापि, कंटेनर सेवाओं के सड़क भाग से संबंधित व्ययों को हिसाब में लिया जाएगा और अलग से दर्शाया जाएगा.
Expenses relating to working of Ferry and Road Services will be excluded from this division as the analysis is to be made for rail-borne traffic only. However, the expenses pertaining to road portion of container services will have to be taken into account and shown separately.
3. सर्वप्रथम प्रत्येक सार के अधीन प्रत्येक लेखा शीर्ष में से सभी सारों (सार-ग को छोड़कर) के लिए परिशिष्ट -II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार निकाले गए ई.एम.यू. सेवाओं के व्यय के अंश को घटा दिया जाएगा. शेष को प्रत्येक सार के नीचे दिए गए अनुदेशों के अनुसार कोचिंग (ई.एम.यू. से भिन्न) और माल सेवाओं के बीच बांट दिया जाएगा.
The share of expenses for the EMU Services, as arrived at vide instructions in Appendix-II for all abstracts (except Abstract C) shall first be deducted from each head of account under each abstract. The balance shall be divided between Coaching (other than EMU) and Goods services as per instructions given under each abstract.

भाग-II/Part-II

कोचिंग और माल सेवाओं के बीच आमदनी के आबंटन के लिए अनुदेश
Instructions for the allocation of earnings between Coaching and Goods Services

फेरी और सड़क सेवाओं से संबंधित आमदनी को हटा दिया जाए
The earnings relating to ferry and road services should be excluded.

सार 'एक्स'	कोचिंग आमदनी	कोचिंग
Abstract X	Coaching Earnings	Coaching
सार 'वाई'	माल आमदनी	माल
Abstract Y	Goods Earnings	Goods

सार-जैड-पण्य और अन्य आमदनी
Abstract Z - Sundry & Other Earnings

जैड-100	विद्युत टेलीग्राफ आमदनी	कोचिंग
Z-100	Electric telegraph earnings	Coaching
जैड-300	खानपान विभाग से प्राप्तियाँ	कोचिंग
Z-300	Receipt from Catering Deptt.	Coaching
जैड-610	विज्ञापन शुल्क	कोचिंग
Z-610	Advertisement fees	Coaching
जैड-510	दावा रहित और क्षतिग्रस्त माल	माल
Z-510	Unclaimed and damaged goods	Goods
	सार जैड के अंतर्गत आने वाले शेष शीर्ष	उपर्युक्त सार एक्स, वाई तथा सार जैड के अंतर्गत आने वाले शीर्षो के अधीन सीधे आबंटित किए जाने वाली आमदनी को अनुपात में बांटा जाए.
	Remaining heads under Abstract Z	To be divided in the ratio of directly allocable earnings under Abstracts X, Y and the heads under Abstract Z indicated above

मांग सं. 3 सार-'क'/Demand No. 3-Abstract 'A'
सामान्य अधीक्षण और सेवाएं/General Superintendence and Services

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
क-100 A-100	सामान्य प्रबंधन General Management	सार क से ज (क-100 से क-400, क-670, ख-410, ख-640, ङ-840, ङ-850, ङ-960 को छोड़कर) ट-134, ट-200 (ट-250 को छोड़कर), ट-400, ट-690 और ट-920 के अधीन बुक किए गए व्ययों के अनुपात में विभाजित किए जाएंगे. To be divided in the ratio of expenses booked under Abstracts A to H (except A-100 to A-400, A-670, B-410, B-640, E-840, E-850, E-960), K-134, K-200 (except K-250), K-400, K-690 and K-920.
क-200 A-200	वित्तीय प्रबंधन Financial Management	
क-300 A-300	कार्मिक प्रबंधन Personnel Management	
क-400 A-400	सामग्री प्रबंधन Materials Management	
क-500 A-500	रेलपथ एवं निर्माण कार्य प्रबंधन Way and Works Management	ख-100 की भांति Same as for B-100
क-600 A-600	चल स्टाक प्रबंध Rolling Stock Management	
क-610 **A-610**	**ड्राइंग कार्यालय, योजना और उत्पादन सहित कारखाना शाखा** **Workshop branch including Drawing Office, Planning and Production**	
	चालन शक्ति के लिए **For Motive Power**	
क-611 A-611	अधिकारी Officers	
क-612 A-612	कार्यालय स्थापना Office Establishment.	ग-111 की भांति Same as for C-111
क-613 A-613	आनुषंगिक व्यय Contingent expenses.	
	सवारी एवं माल डिब्बों के लिए **For Carriage and Wagons**	
क-614 A-614	अधिकारी Officers.	
क-615 A-615	कार्यालय स्थापना Office Establishment.	घ-100 की भांति घ-100 की भांति
क-616 A-616	आनुषंगिक व्यय Contingent expenses.	

1	2	3
क-620 **A-620**	**लोको और सवारी एवं माल डिब्बा शाखा** **Loco and Carriage and Wagon Branch**	
	चालन शक्ति के लिए **For Motive Power**	
क-621	अधिकारी	
A-621	Officers.	
क-622	कार्यालय स्थापना	ग–111 की भांति
A-622	Office Establishment.	Same as for C-111
क-623	आनुषंगिक व्यय	
A-623	Contingent expenses.	
	सवारी एवं माल डिब्बों के लिए **For Carriage & Wagons**	
क-624	अधिकारी	
A-624	Officers.	
क-625	कार्यालय स्थापना	घ–100 के अनुसार
A-625	Office Establishment.	Same as for D-100
क-626	आनुषंगिक व्यय	
A-626	Contingent expenses.	
क-630	यांत्रिक परिचालन	च–100 और च–200 के अनुपात में
A-630	Mechanical Operating	In the ratio of F-100 and F-200
क-640	**अन्य**	
A-640	**Others**	
	घाट (फैरी) सेवाएं **Ferry Services**	
क-641	अधिकारी	
A-641	Officers.	
क-642	कार्यालय स्थापना	घाट सेवा होने के कारण छोड़ दिया गया
A-642	Office Establishment.	Excluded being ferry service.
क-643	आनुषंगिक व्यय	
A-643	Contingent expenses.	
	अन्य **Others**	
क-644	अधिकारी	
A-644	Officers.	
क-645	कार्यालय स्थापना	क–630 की भांति
A-645	Office Establishment.	Same as for A-630
क-646	आनुषंगिक व्यय	
A-646	Contingent Expenses.	
क-651	इलैक्ट्रानिक डाटा प्रोसैसिंग (इडीपी) के अधिकारी	
A-651	Officers -EDP	
क-652	ई डी पी की कार्यालय स्थापना	ग–200, ग–300, घ–200
A-652	Office Establishment–EDP	और घ–300 के समग्र अनुपात में
क-653	ई डी पी की लेखन सामग्री की लागत	In the overall ratio of C-200,
A-653	Cost of Stationery - EDP	C-300, D-200 and D-300
क-654	डिस्क और टेप	
A-654	Discs and tapes	
क-655	ई डी पी के संबंध में दिया गया किराया	
A-655	Rental - EDP	

1	2	3
क-656	ई डी पी के संबंध में कंप्यूटरों और मशीनों आदि की मरम्मतें और अनुरक्षण/आकस्मिकताएं	ग-200, ग-300, घ-200 और घ-300 के समग्र अनुपात में
A-656	Repairs and maintenance/contigencies - computers, machines etc. - EDP	In the overall ratio of C-200, C-300, D-200 and D-300
क-670	विविध व्यय	क-100 की भांति
A-670	Miscellaneous Expenses.	Same as for A-100
क-690	जमा अथवा वसूलियां	क-600(क-670 और क-690 को छोड़कर) के अधीन बुक किए गए व्यय के आधार पर आबंटित किया जाएगा.
A-690	Credits or recoveries.	To be allocated on the basis of expenses booked under A-600 (excluding A-670 and A-690)
क-700	**बिजली प्रबंध**	ग-500 की भांति
A-700	**(क-730 को छोड़कर)**	
	Electrical Management (except A-730)	Same as for C-500
क-730	बिजली सामान्य सेवाएं	कोचिंग
A-730	Electrical General Services.	Coaching
क-800	सिगनल और दूर संचार प्रबंध	ड॰ -110 की भांति
A-800	Signal and Telecommunication Management	Same as for E-110
क-900	यातायात प्रबंधन	छ-100 की भांति
A-900	Traffic Management.	Same as for G-100

मांग सं. 4-सार 'ख'/Demand No. 4-Abstract 'B'
रेलपथ एवं निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण/Repairs & Maintenance of Permanent Way and Works

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ख-100	कार्यालयों में स्थापना	ख-200, ख-300, ख-420, ख-440, ख-630 और ख-700 (ख-715, 725 और 730 को छोड़कर) के अधीन कुल व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाएगा.
B-100	Establishment in Offices	To be divided in the ratio of total expenses under B-200, B-300, B-420, B-440, B-630 and B-700 (except B-715, 725 and 730)
ख-200	**रेलपथ का अनुरक्षण**	
B-200	**Maintenance of Permanent Way**	
ख-711	विशेष मरम्मतें-दरारें-मिट्टी का काम	अनुबंध में दिए गए उदाहरण और कार्य प्रणाली के अनुसार As per example and methodology given in Annexure.
B-711	Special Repairs - Breaches - Earth work	
ख-713	विशेष मरम्मतें -दरारें-रेलपथ	
B-713	Special Repairs - Breaches - P. Way	
ख-714	विशेष मरम्मतें-दरारें-गिट्टी	
B-714	Special Repairs - Breaches - Ballast	
ख-721	विशेष मरम्मतें-दुर्घटना आदि-मिट्टी का काम	
B-721	Special Repairs - Accidents etc.-earth work	
ख-723	विशेष मरम्मतें-दुर्घटना-रेलपथ	
B-723	Special Repairs - Accidents - P. Way	
ख-724	विशेष मरम्मतें-दुर्घटना-गिट्टी	
B-724	Special Repairs - Accidents - Ballast	
ख-300	**ऊपरी/निचले, सड़क पुलों सहित पुल निर्माण कार्य और सुरंगों का अनुरक्षण**	
B-300	**Maintenance of Bridge Work and Tunnels including Road Over/ Under Bridges.**	
ख-310	गर्डर पुल	चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के इंजन और विभागीय के वजन सहित औसत सकल टन कि.मी. के अनुपात में आबंटित किया जाए. To be allocated in the ratio of average GTKMs including weight of engines and departmental for the past three years including the current year.
B-310	Girder Bridges	
ख-320	अन्य पुल	
B-320	Other Bridges	
ख-330	सुरंगें	संबंधित सेवाओं के विभागीय सहित कुल इंजन घंटों (सभी प्रकार के कर्षण) के अनुपात में विभाजित किया जाए To be divided in the ratio of Total Engine Hours (all tractions) including departmental of the respective services
B-330	Tunnels	
ख-340	ऊपरी/निचले सड़क पुल, जिसमें ऊपरी पैदल पुल शामिल हों	
B-340	Road Over/Under Bridges including foot over bridges	
ख-400	**सेवा भवनों (कर्मचारी क्वार्टरों और कल्याण भवनों से भिन्न) का अनुरक्षण**	
B-400	**Maintenance of Service Buildings (Other than Staff quarters and Welfare buildings)**	
ख-410	कार्यालय भवन	क-100 की भांति
B-410	Office Buildings	Same as for A-100

मांग सं. 4-सार 'ख' *(जारी)*/**Demand No. 4-Abstract 'B'** *(Contd.)*

1	2	3
ख-420	स्टेशन, माल शेड	नीचे दिए गए अनुसार कुर्सी (प्लिंथ) क्षेत्रफल के आधार पर आबंटित किया जाएगा :- परिशिष्ट-II में दिए गए अनुदेशों के अनुसार ई.एम.यू. सेवाओं के नामे डाले जाने वाले स्टेशनों और माल शेड़ों के कुर्सी क्षेत्रफल के आनुपातिक अंश को निकाल दिया जाएगा. शेष कुर्सी क्षेत्रफल निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा : i) अनन्य रूप से कोचिंग के लिए प्रयुक्त ii) अनन्य रूप से मालगाड़ी के लिए प्रयुक्त iii) कोचिंग और मालगाड़ी दोनों के लिए सर्व सामान्य कोचिंग और मालगाड़ी दोनों के लिए सर्व सामान्य कुर्सी क्षेत्रफल संबंधित सेवाओं के विभागीय सहित इंजन घंटों के आधार पर विभाजित किया जाएगा और (i) तथा (ii)में जोड़ दिया जाएगा. व्यय का 15% यात्री सेवाओं के उच्चस्तरीय अनुरक्षण के लिए कोचिंग को आबंटित किया जाएगा और शेष 85% उपर्युक्त के अनुसार निकाले गए कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर कोचिंग और माल गाड़ी के बीच बांटा जाऐगा.
B-420	Stations, Goods Sheds	To be allocated on plinth area basis as indicated below:– Proportionate share of plinth area of Stations & Goods Sheds attributable to EMU Services as per instructions in Appendix II shall be excluded. The remaining plinth area shall be classified as under :- i) Used for Coaching exclusively ii) Used for Goods exclusively iii) Common to both Coaching and Goods The plinth area common to both Coaching and Goods shall be divided on the basis of engine hours including departmental of respective services and added to (i) & (ii) 15% of the expenses shall be allocated to Coaching for higher standard of maintenance of passenger services and the balance 85% distributed between Coaching and Goods on the basis of plinth area derived as above.
ख-430	कारखाने और भंडार	ख-100 की भांति
B-430	Workshops and Stores	Same as for B-100
ख-440	अन्य सभी संरचनाएं	ख-330 की भांति
B-440	All Other Structures	Same as for B-330
ख-500	पानी की सप्लाई, सफाई और सड़कें (कालोनियों, कर्मचारी क्वार्टरों और कल्याण भवनों से भिन्न)	ख-100 की भांति
B-500	Water Supply, Sanitation and Roads (Other than Colonies, Staff Quarters and Welfare Buildings)	Same as for B-100
ख-600	**अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण**	
B-600	**Other Repairs & Maintenance**	
ख-610	फैरियों पर तट संयोजन	इसे निकाल दिया गया है क्योंकि ये फैरी सेवाओं से संबंधित हैं
B-610	Shore connections at ferries	It is excluded since they pertain to ferry services.

मांग सं. 4-सार 'ख' *(जारी)*/**Demand No. 4-Abstract 'B'** *(Contd.)*

1	2	3
ख-620	पानी की सप्लाई व्यवस्थाओं से भिन्न स्टेशन मशीनरी	ख-100 की भांति
B-620	Station Machinery other than water supply arrangements	Same as for B-100
ख-630	नदियों का संरक्षण	ख-330 की भांति
B-630	Conservancy of Rivers	Same as for B-330
ख-640	वृक्ष, वृक्षारोपण, नर्सरियां आदि	क-100 की भांति
B-640	Trees, Plantations, Nurseries etc.	Same as for A-100
ख-650	विविध व्यय	ख-100 की भांति
B-650	Miscellaneous Expenses	Same as for B-100
ख-700	**विशेष राजस्व निर्माण कार्यों आदि सहित दरारों, दुर्घटनाओं से संबंधित विशेष मरम्मत**	
B-700	**Special repairs pertaining to Breaches, Accidents including Special Revenue Works etc.**	
ख-712	दरार - पुल	ख-310 की भांति
B-712	Breaches - Bridges	Same as for B - 310
ख-715	दरार-विविध	ख-100 की भांति
B-715	Breaches - Miscellaneous	Same as for B-100
ख-720	**दुर्घटनाएं**	
B-720	**Accidents**	
ख-722	दुर्घटनाएं - पुल	ख-310 की भांति
B-722	Accidents - Bridges	Same as for B-310
ख-725	दुर्घटनाएं - विविध	ख-100 की भांति
B-725	Accidents - Miscellaneous	Same as for B-100
ख-731	रचनात्मक प्रतिपादन	ख-100 की भांति
B-731	Formation Treatments	Same as for B-100
ख-900	**जमा अथवा वसूलियां**	
B-900	**Credits or Recoveries**	
ख-910	राजस्व कार्यों से निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा	ख-100 की भांति
B-910	Credits for materials released from Revenue Works	Same as for B-100
ख-920	कोयले सहित रेल सामग्री पर भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश	सार ख(ख-410, ख-640 और ख-920 को छोड़कर) के अनुपात में विभाजित किया जाए.
B-920	Share of credits for freight charges on Railway material including coal.	To be divided in the ratio of Abstract B (except B-410, B-640 and B-920)
ख-930	पूंजी को प्रारम्भिक रूप से प्रभारित मिलट्री साइडिंग की लागत का प्रतिलेखन	ख-100 की भांति
B-930	Write back of cost of Military Sidings initially charged to Capital	Same as for B-100

अनुबंध/ANNEXURE

कोचिंग और माल सेवाओं के बीच साधारण और विशेष मरम्मतों तथा रेलपथ के अनुरक्षण के अधीन व्यय के आबंटन का नमूना उदाहरण

Specimen example of allocation of expenses under Ordinary and Special repairs and maintenance of track between Coaching and Goods Services.

1. समीकृत रेलपथ कि.मी. का ब्यौरा
Details of Equated Track KMs.

ब्यौरा Description	समीकृत रेलपथ कि.मी. Equated Track Kilometres					आधार Basis
	कुल Total	ई.एम.यू. E.M.U.	ई.एम.यू. से भिन्न Other than E.M.U.			
			कुल Total	कोचिंग Coaching	माल Goods	
1	2	3	4	5	6	7
चालू रेलपथ Running Track	10,000	500	9,500	2,850	6,650	कोचिंग 18बि. सकल टन कि.मी. 30% माल 42बि. सकल टन कि.मी. 70% Chg. 18b. GTKMs 30% Goods 42b. GTKMs 70%
परिवहन साइडिंग Transportation Sidings	2,500	200	2,300	690	1,610	कोचिंग 18बि. सकल टन कि.मी. 30% माल 42बि. सकल टन कि.मी. 70% Chg. 18b. GTKMs 30% Goods 42b. GTKMs 70%
शेडों में साइडिंग Sidings in Sheds	160	10	150	30	120	कोचिंग 1मि. इंजन घंटे 20% माल 4मि. इंजन घंटे 80% Chg. 1M Engine Hours 20% Goods 4M Engine Hours 80%
मार्शलिंग यार्ड Marshalling Yards	400	–	400	–	400	प्रत्यक्ष Direct
कोचिंग यार्ड Coaching Yards	50	5	45	45	–	प्रत्यक्ष Direct
वाणिज्यिक साइडिंग **Commercial Sidings**						
i) टर्मिनल (माल) Terminal (Goods)	300	–	300	–	300	प्रत्यक्ष Direct
ii) यानांतरण (माल) Transhipment (Goods)	20	–	20	–	20	प्रत्यक्ष Direct
iii) पुन: पैकिंग (माल) Repacking (Goods)	10	–	10	–	10	प्रत्यक्ष Direct
iv) पार्सल और पार्सल की पुन: पैकिंग (कोचिंग) Parcel & Repacking of Parcel (Coaching)	10	–	10	–	10	प्रत्यक्ष Direct
कुल/Total	13,450	715	12,735	3,615	9,120	
				28.39%	71.61%	

अनुदेश

1. (कालम 2) कारखाने के समीकृत रेलपथ कि.मी. को छोड़कर कुल समीकृत रेल पथ कि.मी. वार्षिक विवरण 8 के अनुसार लिए जाएंगे और चालू रेलपथ, परिवहन साइडिंगों, कोचिंग और मार्शलिंग यार्डों आदि के अधीन विश्लेषित किए जाएंगे.

2. (कालम 3) ई.एम.यू. सेवाओं के नामे डाले जाने वाले समीकृत रेलपथ कि.मी. विभिन्न कोटियों के अधीन इस कालम में ई.एम.यू. विश्लेषण के अनुसार दर्शाए जाएंगे.

3. (कालम 4) कालम 2- कालम 3.

4. प्रत्यक्ष रूप से अभिज्ञेय समीकृत रेलपथ कि.मी. यथास्थिति कोचिंग और माल को आबंटित किए जाएंगे. केवल सूचीबद्ध माशर्लिंग यार्डों में ही नहीं बल्कि अन्य उन यार्डों के रेलपथ भी जहां एकमात्र रूप से माल गाड़ियां चलती हैं, के समीकृत रेलपथ कि.मी. केवल माल सेवाओं को आबंटित किए जाएंगे. परिवहन साइडिंग में शंटिंग प्रयोजनों और अन्य मार्शलिंग प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत लाइनों को शामिल नहीं किया जाएगा और उन्हें यथास्थिति माल अथवा कोचिंग सेवाओं को आबंटित किया जाएगा. माल संचलन से संबंधित वाणिज्यिक साइडिंग केवल माल को ही आबंटित की जाएंगी.

5. उन चालू शेडों और परिवहन साइडिंगों को, जो सर्व सामान्य है, चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के औसत सकल टन कि.मी. (इंजन और विभागीय के वजन सहित) के अनुपात में कोचिंग और माल के बीच बांटा जाएगा.

6. शेडों में साइडिंगों के समीकृत टन कि.मी. विभिन्न सेवाओं के विभागीय सहित इंजन घंटों के अनुपात में कोचिंग और माल के बीच में बांटा जाएगा.

7. सार ख-200, 711, 713, 714, 721, 723 और 724 के अधीन कुल व्यय नमूना उदाहरण के कालम 5 और कालम 6 में निकाले गए अनुसार, कोचिंग और माल के समीकृत टन कि.मी. के अनुपात में कोचिंग और माल के बीच में बांटा जाएगा.

Instructions

1. (Col. 2) Total Equated Track KMs (ETKMs) excluding ETKMs in Workshop shall be taken as per Annual Statement 8 and analysed under Running track, Transportation Sidings, Coaching & Marshalling Yards etc.

2. (Col. 3) ETKMs attributable to EMU Services shall be shown as per EMU Analysis in this Column under various categories.

3. (Col. 4) Column 2 – Column 3.

4. The Equated Track KMs identifiable directly shall be allocated to Coaching and Goods, as the case may be. The Equated Track KMs of not only the listed Marshalling Yards but also track in other yards where goods trains are exclusively handled shall be allocated to Goods Services only. Transportation Sidings shall exclude all lines meant for shunting purposes and other marshalling purposes and shall be allocated to Goods or Coaching Services, as the case may be. Commercial Sidings pertaining to Goods movement shall be allocated to goods only.

5. In the case of Running Sheds and Transportation Sidings, which are common shall be distributed between Coaching and Goods in the ratio of average GTKMs (including the weight of engine and departmental) for the last three years including the current year.

6. The ETKMs of sidings in sheds shall be distributed between Coaching and Goods in the ratio of Engine Hours including departmental of various services.

7. The total expenditure under B-200, 711, 713, 714, 721, 723 and 724 shall be distributed between Coaching and Goods in the ratio of ETKMs of Coaching and Goods, as worked out in Column 5 and Column 6 of the specimen example.

मांग सं. 5 - सार 'ग'/Demand No. 5–Abstract 'C'
चालन शक्ति की मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance of Motive Power

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ग–200	भाप रेल इंजन	निम्नलिखित अनुपात में विभाजित किया जाए :– 1. संबंधित सेवाओं (भाप कर्षण) के कुल इंजन घंटों पर व्यय का 50% 2. संबंधित सेवाओं (भाप कर्षण) के कुल इंजन किलोमीटरों पर व्यय का 25% 3. संबंधित सेवाओं (भाप कर्षण) के उपयोग में लाए जा रहे रेल इंजनों की संख्या पर व्यय का 25% मिश्रित सेवा में प्रयुक्त इंजनों की संख्या को कोचिंग सेवा एवं माल सेवा में कोचिंग और माल वाहन कि.मी. (ब्रेकवेन को छोड़कर) के अनुपात में विभाजित की जाये तथा शंटिंग और विभागीय सेवाओं में प्रयुक्त इंजनों की संख्या को संबंधित सेवा के इंजन कि.मी. के आधार पर विभाजित की जाये.
C-200	Steam Locomotives	To be divided in the following ratio : 1. 50% of the expenses on total Engine Hours of the respective services (steam traction) 2. 25% of the expenses on total Engine kilometres of the respective services (steam traction). 3. 25% of the expenses on number of Locos in use on respective services (steam traction). Number of engines used on mixed service to be divided between coaching and goods in the ratio of Coaching and Goods Vehicle Kms excluding brake –vans and on shunting and departmental service on the basis of Engine kilometres of the respective service.
ग–300	डीजल रेल इंजन	निम्नलिखित के अनुपात में विभाजित किया जाए : - 1. संबंधित सेवाओं (डीजल कर्षण) के कुल इंजन कि.मी. के आधार पर व्यय का 25% 2. संबंधित सेवाओं (डीजल कर्षण) के कुल इंजन घंटों के आधार पर व्यय का 25% 3. संबंधित सेवाओं (डीजल कर्षण) के इस्तेमाल में लाए जा रहे इंजनों की संख्या पर व्यय का 50% मिश्रित सेवा में प्रयुक्त इंजनों की संख्या को कोचिंग सेवा एवं माल सेवा में कोचिंग और माल वाहन कि.मी. (ब्रेकवेन को छोड़कर) के अनुपात में विभाजित की जाये तथा शंटिंग और विभागीय सेवाओं में प्रयुक्त इंजनों की संख्या को संबंधित सेवा के इंजन कि.मी. के आधार पर विभाजित की जाये.
C-300	Diesel Locomotives	To be divided in the following ratio : – 1. 25% of expenses on the basis of total Engine Kms of the respective services (diesel traction) 2. 25% of the expenses on the basis of total Engine Hours of the respective services (diesel traction) and

मांग सं. 5-सार 'ग' *(जारी)*/**Demand No. 5-Abstract 'C'** *(Contd.)*

1	2	3
		3. 50% of the expenses on number of locos in use on respective services (diesel traction). Number of engines used on mixed service to be divided between coaching and goods in the ratio of Coaching and Goods Vehicle Kms excluding brake-vans and on shunting and departmental service on the basis of Engine kilometres of the respective service.
ग-500	बिजली इंजन	निम्नलिखित के अनुपात में विभाजित किया जाएगा : - 1. संबंधित सेवाओं (बिजली कर्षण) पर इस्तेमाल होने वाले इंजनों की संख्या पर व्यय का 50% मिश्रित सेवा में प्रयुक्त इंजनों की संख्या को कोचिंग सेवा एवं माल सेवा में कोचिंग और माल वाहन कि.मी. (ब्रेकवेन को छोड़कर) के अनुपात में विभाजित की जाये तथा शंटिंग और विभागीय सेवाओं में प्रयुक्त इंजनों की संख्या को संबंधित सेवा के इंजन कि.मी. के आधार पर विभाजित की जाये. 2. संबंधित सेवाओं (बिजली कर्षण) के कुल इंजन कि.मी. के आधार पर व्यय का 25% 3. संबंधित सेवाओं (बिजली कर्षण) के कुल इंजन घंटों के आधार पर व्यय का 25%
C-500	Electric Locomotives	To be divided in the ratio of: – 1. 50% of the expenses on the number of Locos in use on respective services (Electric traction). Number of engines used on mixed service to be divided between coaching and goods in the ratio of Coaching and Goods Vehicle Kms excluding brake-vans and on shunting and departmental service on the basis of Engine kilometres of the respective service. 2. 25% of expenses on the basis of total Engine Kms of respective services (Electric Traction). 3. 25% of expenses on the basis of total Engine Hours of respective services (Electric Traction)
ग-111	**कार्यालयों में स्थापना-यांत्रिक अधिकारी**	ग-200 (भाप इंजन) और ग-300 (डीजल इंजन) को समग्र अनुपात में विभाजित किया जाए
C-111	**Establishment in offices-Officers-Mechanical**	To be divided in the overall ratio of C-200 (Steam Locos) and C-300 (Diesel Locos)
ग-113,121,123	पर्यवेक्षी और कार्यालय कर्मचारी-भाप	ग-200 के अधीन व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाए
C-113, 121 & 123	Supervisory & office staff-Steam	To be divided in the ratio of expenses under C-200
ग-114,122 और 124	पर्यवेक्षी और कार्यालय कर्मचारी-डीजल	ग-300 के अधीन व्ययों के अनुपात में बांटा जाए
C-114, 122, & 124	Supervisory & office staff- Diesel	To be distributed in the ratio of expenses under C-300
ग-130		ग-111, 113, 114, 121, 122, 123 और 124 के अनुपात में विभाजित किया जाए.
C-130		To be divided in the ratio of C-111, 113, 114, 121, 122, 123 & 124

मांग सं. 5–सार 'ग' *(जारी)*/**Demand No. 5-Abstract 'C'** *(Contd.)*

1	2	3
ग–140, 150 और 160	अधिकारी और कार्यालय स्थापना और आनुषंगिक व्यय (बिजली)	ग–500 के अधीन व्ययों के अनुपात में बांटा जाए
C-140, 150 & 160	Officers, office establishment & contingent expenses (Electrical)	To be distributed in the ratio of expenses under C-500
ग–610	रेल कार	कोचिंग को आंबटित किया जाए.
C-610	Rail Cars	To be allocated to Coaching.
ग–650	**अन्य विविध व्यय**	ग–200 और ग–300 के अधीन व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए.
C-650	**Other Miscellaneous expenses**	To be divided in the ratio of expenses under C-200 and C-300
ग–670	अन्य विविध व्यय (बिजली)	ग–500 के अधीन व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए
C-670	Other Miscellaneous expenses (Electrical)	To be divided in the ratio of expenses under C-500
	भाप कर्षण/Steam Traction	
ग–911	प्रभार विखंडन	ग–200 को प्रभार्य मजदूरी से भिन्न व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाए.
C-911	Dismantling charges	
ग–912	निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा	To be divided in the ratio of expenses other than wages chargeable to C-200
C-912	Credit for released materials	
	डीजल कर्षण/Diesel traction	
ग–913, 914	ग–911 और ग–912 की भांति	ग–300 को प्रभार्य मजदूरी से भिन्न व्ययों के अनुपात में बांटा जाए.
C-913, 914	Same as for C-911 & C-912	To be divided in the ratio of expenses other than wages chargeable to C-300
ग–920	**राजस्व कार्यों (बिजली विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा**	
C-920	**Credits for material released from Revenue Works (Electrical Department)**	
	बिजली रेल इंजन/Electric Locomotives	
ग–921	विखंडन प्रभार	ग–500 को प्रभार्य मजदूरी से भिन्न व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाए.
C-921	Dismantling Charges	
ग–922	निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा	To be divided in the ratio of expenses other than wages chargeable to C-500
C-922	Credits for released materials	
ग–112, 115		फैरी प्रभार होने के कारण छोड़ दिया गया है
C-112, 115		Excluded being Ferry charges
ग–125, 126		
C-125, 126		
ग–630, 640		
C-630, 640		
ग–917, 918		
C-917, 918		
ग–930	कोयला सहित रेल सामग्री पर भाड़ा प्रभारों के जमा का अंश	सार 'ग' (ग–930 को छोड़ कर) के अधीन बुक किए गए व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाए.
C-930	Share of credits for freight charges on Railway material including coal.	To be divided in the ratio of expenses booked under Abstract 'C' (excluding C-930)

मांग सं. 6 - सार 'घ'/Demand No. 6–Abstract 'D'
सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
घ–100	कार्यालयों में स्थापना	
D-100	Establishment in Offices	
घ–110	**अधिकारी और कार्यालय स्थापना (यांत्रिक)**	
D-110	**Officers and Office Establishment (Mechanical)**	
घ–120	**पर्यवेक्षी कर्मचारी और उनके कार्यालय कर्मचारी (यांत्रिक)**	घ–200 और घ–300 के अनुपात में आबंटित किया जाएगा
D-120	**Supervisory staff and their office staff (Mechanical)**	To be allocated in the ratio of D-200 & D-300
घ–130	आनुषंगिक व्यय (यांत्रिक)	
D-130	Contingent expenses (Mechanical)	
घ–141/D-141		
घ–142/D-142		
घ–145/D-145	अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी और पर्यवेक्षक	निकाल दिया गया (ई.एम.यू. के अन्तर्गत अलग से निपटाया गया)
घ–146/D-146	{(ई.एम.यू.) कारखाना और चालू लाइन }	
घ–151/D-151	Officers, office staff and supervisors {(EMU)	Excluded (separately dealt with under EMU)
घ–152/D-152	workshop and open line}	
घ–155/D-155		
घ–156/D-156		
घ–143/D-143		
घ–144/D-144		
घ–147/D-147		
घ–148/D-148	अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी और पर्यवेक्षक	घ–200 और घ–300 के अधीन बुक किए गए व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए
घ–153/D-153	{कारखाना और चालू लाइन (बिजली)}	
घ–154/D-154	Officers, Office staff and supervisors {workshop	To be divided in the ratio of expenses booked under
घ–157/D-157	and open line (Electrical)}	D-200 & D-300
घ–158/D-158		
घ–160	आनुषंगिक व्यय (बिजली)	उपर्युक्त
D-160	Contingent expenses (Electrical)	-do-
घ–200	सवारी डिब्बा	कोचिंग
D-200	Carriages	Coaching
घ–300	माल डिब्बा	माल
D-300	Wagons	Goods
घ–400	ई.एम.यू. सवारी डिब्बा	निकाल दिया गया (ई.एम.यू. के अधीन अलग से निपटाया गया)
D-400	Electric Multiple Unit Coaches	Excluded (separately dealt with under EMU)
घ–500	**बिजली सामान्य सेवा गाड़ी की बिजली व्यवस्था, पंखे और वातानुकूलन**	
D-500	**Electric General Services–Train Lighting, fans and Air-conditioning**	

मांग सं. 6-सार 'घ' *(जारी)*/**Demand No. 6-Abstract 'D'** *(Contd.)*

1	2	3
घ-510	चालू मरम्मत और अनुरक्षण-पारम्परिक सवारी डिब्बे	
D-510	Running repairs and maintenance–Conventional Coaches	
घ-520	चालू मरम्मत और अनुरक्षण (वातानुकूलित सवारी डिब्बे)	सवारी डिब्बे
D-520	Running repairs and maintenance–Air-conditioned Coaches	Coaching
घ-530	चालू मरम्मत और अनुरक्षण-पावर कार	
D-530	Running repairs and maintenance–Power cars	
घ-540	चालू मरम्मत और अनुरक्षण-भाप इंजन के सामने की बत्ती के उपस्कर	
D-540	Running repairs and maintenance–Steam Locos headlight equipment	विभागीय सहित कुल भाप इंजन घंटों के अनुपात में
घ-580	कारखाना मरम्मत-भाप इंजन के सामने की बत्ती के उपस्कर	In the ratio of total steam engine hours including departmental
D-580	Workshop repairs–Steam Locos headlight equipment	
घ-550	कारखाना मरम्मत-पारम्परिक सवारी डिब्बे	
D-550	Workshop repairs–Conventional coaches	सवारी डिब्बे
घ-560	कारखाना मरम्मत-वातानुकूलित सवारी डिब्बे	Coaching
D-560	Workshop repairs–Air-Conditioned Coaches	
घ-570	कारखाना मरम्मत-पावर कार	घ-500 (घ-590 को छोड़कर) के अधीन बुक किए गए व्यय के अनुपात में
D-570	Workshop repairs–Power cars	
घ-590	विविध व्यय (बिजली)	In the ratio of expenses booked under D-500
D-590	Miscellaneous expenses (Electrical)	(excluding D-590)
घ-600	**विविध मरम्मत और अनुरक्षण**	
D-600	**Miscellaneous Repairs & Maintenance**	
घ-610	विविध व्यय (यांत्रिक विभाग)	
D-610	Miscellaneous expenses (Mechanical Department)	
घ-615	अन्तर्बदल किए गए स्टाक को नुकसान और कमियों के कारण विदेशी रेलों को भुगतान और उनसे प्राप्ति – गैर-बजट लाइनें	घ-200 और घ-300 माल के अधीन व्यय के अनुपात में
D-615	Payment to and receipt from Foreign Railways on account of damages and deficiencies in interchanged stock–Non-Budget Lines	In the ratio of expenses under D-200 & D-300-Goods
घ-620	विविध व्यय (बिजली विभाग)	घ-200 और घ-300 के अधीन बुक किए गए व्यय के अनुपात में
D-620	Miscellaneous expenses (Electrical Department)	In the ratio of expenses booked under D-200 &D-300
घ-900	जमा अथवा वसूलियां	
D-900	Credits or recoveries	
घ-910	राजस्व निर्माण कार्यों से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा (यांत्रिक विभाग)	
D-910	Credits for material released from Revenue Works (Mechanical Department)	
	कोचिंग स्टॉक के लिए/For Coaching Stock	
घ-911	विखण्डन प्रभार	
D-911	Dismantling charges	कोचिंग
घ-912	निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	Coaching
D-912	Credits for released material	
	माल स्टॉक के लिए/For Goods Stock	
घ-913	विखण्डन प्रभार	
D-913	Dismantling charges	माल
घ-914	निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	Goods
D-914	Credits for released material	
घ-920	**राजस्व निर्माण कार्यों से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा (बिजली विभाग)**	
D-920	**Credits for released materials from Revenue Works (Electrical Department)**	

मांग सं. 6-सार 'घ' *(जारी)*/**Demand No. 6-Abstract 'D'** *(Contd.)*

1	2	3
	ई.एम.यू. के लिए/For EMUs	
घ-921	विखण्डन प्रभार	छोड़ दिया गया (ई.एम.यू. के अधीन अलग से निपटाया गया)
D-921	Dismantling charges	Excluded (separately dealt with under EMU)
घ-922	निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा	छोड़ दिया गया (ई.एम.यू. के अधीन अलग से निपटाया गया)
D-922	Credits for released material	Excluded (separately dealt with under EMU)
	बिजली सामान्य सेवाओं के लिए/For Electrical General Services	
घ-923	विखण्डन प्रभार	घ-590 की भांति
D-923	Dismantling charges	Same as for D-590
घ-924	निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा	
D-924	Credits for released material	
घ-930	कोयला सहित रेल सामग्री पर माल भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश	सार घ (घ-930 को छोड़कर) के अधीन व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाए
D-930	Share of credits for freight charges on Railway material including coal	To be divided in the ratio of expenses under Abstract D (except D-930)

मांग सं. 7 - सार 'ङ'/Demand No. 7 – Abstract 'E'
मरम्मत एवं अनुरक्षण-संयंत्र एवं उपस्कर/Repairs and Maintenance – Plant and Equipment

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ङ-100	**कार्यालयों में स्थापना**	
E-100	**Establishment in offices.**	
ङ-110	अधिकारी एवं कार्यालय स्थापना (सि.एवं दू.सं.)	
E-110	Officers and Office Establishment (S&T)	
ङ-120	पर्यवेक्षी कर्मचारी और उनके कार्यालय के कर्मचारी	ङ-500 की भांति
E-120	Supervisory staff and their office staff.	Same as for E-500
ङ-130	आनुषंगिक व्यय (सि.एवं दू.सं.)	
E-130	Contingent Expenses (S&T)	
ङ-140	अधिकारी एवं कार्यालय स्थापना (बिजली)	
E-140	Officers and Office Establishment (Electrical)	
ङ-150	पर्यवेक्षी कर्मचारी और उनके कार्यालय के कर्मचारी (बिजली)	ङ-400 की भांति
E-150	Supervisory staff and their office staff (Electrical)	Same as for E-400
ङ-160	आनुषंगिक व्यय (बिजली)	
E-160	Contingent Expenses (Electrical)	
ङ-200	संयंत्र एवं उपस्कर-रेलपथ एवं निर्माण कार्य	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. के अनुपात में
E-200	Plant & Equipment–Way and Works	In the ratio of GTKMs. including weight of engine and departmental
ङ-300	**संयंत्र एवं उपस्कर - यांत्रिक**	
E-300	**Plant and Equipment–Mechanical**	
ङ-310	लोको शेड संयंत्र एवं उपस्कर (शेड में मरम्मत)	
E-310	Loco shed Plant and Equipment (Repairs in sheds).	
ङ-311	भाप कर्षण	शंटिंग और विभागीय (भाप) सहित इंजन किलोमीटर के अनुपात में
E-311	Steam Traction	In the ratio of Engine KMs including shunting & departmental (Steam)
ङ-312	डीजल कर्षण	-वही-(डीजल)
E-312	Diesel Traction	-do- (Diesel)
ङ-314	अन्य	ङ-311 और ङ-312 की भांति
E-314	Others	Same as for E-311 and E-312
ङ-320	**लोको शेड-संयंत्र और उपस्कर (कारखानों में मरम्मत)**	
E-320	**Loco Shed-Plant and Equipment (Repairs in Workshops)**	
ङ-321	भाप कर्षण	ङ-311 की भांति
E-321	Steam Traction	Same as for E-311
ङ-322	डीजल कर्षण	ङ-312 की भांति
E-322	Diesel Traction	Same as for E-312
ङ-324	अन्य	ङ-311 और ङ-312 की भांति
E-324	Others	Same as for E-311 and E-312
ङ-330	**मरम्मत लाइन - संयंत्र और उपस्कर (खराब लाइनों की मरम्मत)**	चौपहियों के हिसाब से वाहन कि.मी./माल डिब्बा कि.मी. (ब्रेकयान को छोड़कर) के अनुपात में
E-330	**Sick Line - Plant and Equipment (Repairs in sick lines)**	In the ratio of Vehicle KMs/Wagon KMs (excluding brake vans) in terms of 4-wheelers.

मांग सं. 7–सार 'ङ' *(जारी)*/**Demand No. 7-Abstract 'E'** *(Contd.)*

1	2	3
ङ-340	**मरम्मत लाइन – संयंत्र और उपस्कर (कारखानों में मरम्मत)**	चौपहियों के हिसाब से वाहन कि.मी./माल डिब्बा कि.मी. (ब्रेकयान को छोड़कर) के अनुपात में
E-340	**Sick Line - Plant and Equipment (Repairs in Workshops)**	In the ratio of Vehicle KMs/Wagon KMs (excluding brake vans) in terms of 4-wheelers.
ङ-350	**कारखाना–मशीनरी और औजार**	
E-350	**Workshop–Machinery and Tools**	
ङ-351	भाप कर्षण	ङ–311 की भांति
E-351	Steam Traction	Same as for E-311
ङ-352	डीजल हाइड्रॉलिक और यांत्रिक कर्षण	ङ–312 की भांति
E-352	Diesel Hydraulic and Mechanical Traction	Same as for E-312
ङ-353	अन्य (फेरी और रेलकार आदि)	ङ–311 और ङ–312 की भांति
E-353	Others (Ferry and Rail Cars etc).	Same as for E-311 & E-312
ङ-354	सवारी डिब्बा और माल डिब्बा	ङ–330 की भांति
E-354	Carriages & Wagons	Same as for E-330
ङ-360	**अन्य मरम्मत व्यय**	ङ–300 के अनुपात में (ङ–360 को छोड़कर)
E-360	**Other Repairs Expenses**	In the ratio of E-300 (except E-360)
ङ-400	संयंत्र एवं उपस्कर (ङ–444, ङ–454, ङ–475, ङ–476 और ङ–484 से ङ–487 को छोड़कर)	बिजली सेवाओं के इंजन और विभागीय के वजन सकल टन कि.मी. के अनुपात में
E-400	Plant and Equipment. (excluding E-444, E-454, E-475, E-476 and E-484 to E-487)	In the ratio of GTKMs including the weight of engine & departmental of Electrical Services.
ङ-444	ई.एम.यू. कार शेड–संयंत्र एवं उपस्कर	निकाल दिया गया
E-444	EMU car sheds–Plant and Equipment	Excluded
ङ-454	कारखाना– संयंत्र एवं उपस्कर (ई.एम.यू)	निकाल दिया गया
E-454	Workshop–Plant and Equipment (EMU)	Excluded
ङ-475	कार्यालय इमारतों में लगाए गए अन्य संयंत्र और उपस्कर	बिजली सेवाओं के इंजन के भार और विभागीय सहित सकल टन कि.मी के अनुपात में
E-475	Other plant and equipments in office buildings	In the ratio of GTKMs including weight of engine and departmental of Electrical Services
ङ-476	स्टेशनों और माल शेडों में लगाए गए अन्य संयंत्र और उपस्कर	
E-476	Other plant and equipments-stations and goods sheds	
ङ-484	अन्य कार्यालय एवं सेवा भवनों में लगाए गए बिजली के संयंत्र और उपस्कर	
E-484	Electrical plant & equipments in other offices and Service buildings	
ङ-485	बिजली की सामान्य सेवाओं के लिए फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर	
E-485	Furniture and office equipments for electrical general services	
ङ-486	सामान्य सेवा प्रदान करने वाले अनुरक्षण डिपुओं और कारखानों में संयंत्र एवं औज़ारों की मशीनरी	
E-486	Machinery, Plant and Tools in maintenance Depots and Workshops of general services.	
ङ-487	सर्विस मोटर कार और ट्रॉली	
E-487	Service motor car and trolley	
ङ-500	संयंत्र एवं उपस्कर–सिगनल व्यवस्था	गाड़ी कि.मी. के अनुपात में
E-500	Plant & Equipment–Signalling	In the ratio of Train KMs.
ङ-600	संयंत्र एवं उपस्कर–दूर संचार	गाड़ी कि०मी० के अनुपात में
E-600	Plant and Equipment–Telecommunication	In the ratio of Train KMs.

1	2	3
ङ-700	**सिगनल व्यवस्था एवं दूर संचार सर्किट के लिए डाक तार को किराया**	गाड़ी कि०मी० के अनुपात में
E-700	**Rental to P&T for Signalling and telecommunication circuits**	In the ratio of Train KMs.
	यातायात विभाग/Traffic Department	
ङ-800	**अन्य संयंत्र एवं उपस्कर–सामान्य एवं यातायात विभाग**	
E-800	**Other plant and equipment–general and traffic department**	
ङ-810	उपस्कर	गाड़ी कि.मी. के अनुपात में
E-810	Equipment	In the ratio of Train KMs
ङ-820	सड़क वाहन और सहायक उपस्कर	निकाल दिया गया
E-820	Road vehicle and ancillary equipment	Excluded
ङ-830	अन्य मरम्मत और विविध व्यय	ड.–810 की भांति
E-830	Other repairs and miscellaneous expenses	Same as for E-810
ङ-840	**स्टाफ कार**	क–100 की भांति
E-840	**Staff cars**	Same as for A-100
ङ-850	अन्य उपस्कर एवं विविध व्यय	क–100 की भांति
E-850	Other equipments and miscellaneous expenses	Same as for A-100
ङ-900	जमा अथवा वसूलियां	
E-900	Credits or recoveries	
ङ-910	राजस्व निर्माण कार्यों (सिविल इंजीनियरी विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	ङ –200 की भांति
E-910	Credits for material released from Revenue Works (Civil Engineering Department)	Same as for E-200
ङ-920	राजस्व निर्माण कार्यों (यांत्रिक विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	ङ –311 और ङ–312 के अनुपात में
E-920	Credits for material released from Revenue Works (Mechanical Department)	In the ratio of E-311 & E-312
ङ-930	राजस्व निर्माण कार्यों (बिजली विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	ङ –400 (ङ–444 और ङ–454 को छोड़कर) के अनुपात में
E-930	Credits for material released from Revenue Works (Electrical Department)	In the ratio of E-400 (excluding E-444 & E-454)
ङ-940	राजस्व निर्माण कार्यों (सि. एवं दू.सं. विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	ङ –500 के अनुपात में
E-940	Credits for material released from Revenue Works (S&T Department)	In the ratio of of E-500
ङ-950	राजस्व निर्माण कार्यों (यातायात विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	ङ–810 की भांति
E-950	Credits for material released from Revenue Works (Traffic Department)	Same as for E-810
ङ-960	राजस्व निर्माण कार्यों (सामान्य विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा	क–100 की भांति
E-960	Credits for material released from Revenue Works (General Department)	Same as for A-100
ङ-970	रेल कोयला सहित रेल सामग्री पर भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश	सार ङ (ङ–840, ङ–850, ङ–960 और ङ–970 को छोड़कर) के अनुपात में
E-970	Share of credits for freight charges on Railway material including Railway coal	In the ratio of Abstract E (except E-840, E-850, E-960 & E-970)

मांग सं. 8 - सार 'च'/Demand No. 8 – Abstract 'F'
परिचालन व्यय-चल स्टॉक उपस्कर/Operating Expenses - Rolling Stock Equipment

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
च-100	**भाप इंजन**	
F-100	**Steam Locomotives**	
च-110	**रनिंग कर्मचारी**	
F-110	**Running Staff**	
च-112	लोको कर्मी दल	1 अक्तूबर से स्वीकृत संवर्ग के अनुसार 'माल', 'यात्री' और 'शंटिग' सेवाओं के ग्रेड 'ए', 'बी' और 'सी' के ड्राइवरों, शंटर और फायरमैनों की मजूदरी और भत्ते को तीन संबंधित समूहों के लिए, संशोधित वेतनमानों के माध्य और प्रत्येक वर्ग के लिए लागू रनिंग भत्तों के औसत के आधार पर निकाला जाना चाहिए. च-112 के अधीन बुक किए कुल व्यय को व्युत्पन्न आंकड़ों के अनुपात में इन तीनों समूहों में विभाजित कर दिया जाएगा. शंटिग व्यय को साइडिंग और विभागीय सहित शंटिंग इंजन घंटों के आधार पर कोचिंग और माल सेवाओं के बीच विभाजित किया जाए.
F-112	Loco Crew	The wages and allowances of Drivers Grade 'A','B' & 'C', Shunters and Firemen according to sanctioned cadre on 1st Oct, for 'Goods' ,'Passenger' and 'Shunting' Services should be worked out for three respective groups, on the basis of mean of the revised scales and the average running allowances applicable to each class. Total expenses booked under F-112 should be divided in these three groups in the ratio of the derived figures. The shunting expenses being further divided between Coaching and Goods Services on the basis of Shunting Engine Hours including siding and departmental.
च-111	पर्यवेक्षी और कार्यालय कर्मचारी	च-112 और च-130 के अधीन कुल व्यय के अनुपात में.
F-111	Supervisory & Office Staff	In the ratio of total expenses under F-112 and F-130
च-130	शेड और यार्ड कर्मचारी इंजनों में तेल डालने के लिए नियुक्त शेड कर्मचारियों को छोड़ कर	सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम-II के वार्षिक विवरण 22 के अनुसार आकलित कोचिंग और माल के अंतर्गत उपयोग में आने वाले भाप इंजनों की समग्र संख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा. मिले-जुले इंजनों को कोचिंग और माल में वाहन कि.मी. के अनुपात में विभाजित किया जाए. साइडिंग समेत शंटिग और विभागीय इंजनों को संबंधित इंजन कि.मी. के आधार पर आबंटित किया जाए.
F-130	Shed and Yard Staff excluding Shed Staff engaged on fuelling of engines.	To be divided on the basis of overall number of steam locos in use under Coaching and Goods arrived at as per Annual Statement 22 of Manual of Statistical Instructions, Vol. II. Mixed locos should be allocated to Coaching and Goods in the ratio of Vehicle Kms., shunting including siding and departmental locos on the basis of the respective Engine Kms.
च-140	**जल, स्नेहक और उपभोग्य भंडार सहित अन्य परिचालन व्यय**	
F-140	**Other Operating Expenses including water, lubricants & consumable stores**	

1	2	3
च-141	जल	निम्नलिखित के अनुसार कोचिंग और माल के बीच इंजनों पर खपत हुए कोयले के समग्र अनुपात में विभाजित किया जाए:- *मद* — *ब्यौरे* — *वितरण का आधार* 27(ख).04 — यात्री — कोचिंग 27(ख).05 — मिली जुली — वाहन कि.मी.के अनुपात में 27(ख).08 — माल — माल 27(ख).11 — साइडिंग सहित शंटिग — इंजन कि.मी. के अनुपात में 27(ख).12 — विभागीय — -वही-
F-141	Water	To be divided in the overall ratio of coal consumed on engines between Coaching & Goods as under :- *Item* — *Particulars* — *Basis of distribution* 27(b).04 — Passengers — Coaching 27(b).05 — Mixed — In the ratio of Vehicle Kilometres 27(b).08 — Goods — Goods 27(b).11 — Shunting incl. Siding. — In the ratio of Engine Kilometres. 27(b).12 — Departmental — - do-
च-142	तेल, चरबी और कपड़ा आदि सहित अन्य भंडार	घरेलू सांख्यिकी में उपलब्ध ढांचे के अनुसार प्रति कि.मी. की औसत खपत एवं संबंधित सेवाओं के इंजन कि.मी. (विभागीय सहित) के गुणनफल के अनुपात में विभाजित किया जाना है.
F-142	Oil, tallow and other stores including clothing.	To be divided in the ratio of average consumption per km. on the pattern available in domestic statistics multiplied by Engine Kms. (including departmental) of respective services.
च-143	आनुषंगिक व्यय	च-111 की भांति
F-143	Contingent Expenses.	Same as for F-111
च-150	**विविध व्यय** **गैर सरकारी रेलों और अन्य निकायों को भुगतान**	च-100 (च-150 को छोड़कर) के अधीन आबंटित भाप कर्षण से संबंधित कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए.
F-150	**Miscellaneous Expenses** **Payment to Non-Government Railways and other bodies**	To be divided in the ratio of total expenses relating to steam traction allocated under F-100 (excluding F-150)
च-200	**डीजल रेल इंजन**	
F-200	**Diesel Locomotives**	
च-210	रनिंग कर्मचारी	
F-210	Running Staff	
च-211	पर्यवेक्षी और कार्यालय कर्मचारी	च-212 और च-230 के अधीन व्यय के अनुपात में
F-211	Supervisory and Office staff	In the ratio of expenses under F-212 and F-230
च-212	लोको कर्मी दल	च-112 के सामने दर्शाए गए अनुसार लेकिन डीजल कर्षण को छोड़कर
F-212	Loco Crew	As shown against F-112 but for diesel traction
च-230	शेड और यार्ड कर्मचारी जिसमें इंजनों के भरण में नियुक्त शेड कर्मचारी शामिल न हों	च-130 की भांति लेकिन डीजल कर्षण को छोड़कर
F-230	Shed and Yard staff excluding shed staff engaged in feeding of engines	Same as for F-130 but for diesel traction.

मांग सं. 8-सार 'च' *(जारी)*/**Demand No. 8-Abstract 'F'** *(Contd.)*

1	2	3
च-240	**स्नेहक और उपभोग्य भंडार सहित अन्य परिचालन व्यय**	
F-240	**Other Operating Expenses including lubricants and consumable stores**	
च-241	स्नेहक	च-142 के अनुसार, लेकिन डीजल कर्षण को छोड़कर
F-241	Lubricants.	On the same basis as for F-142 but for diesel traction.
च-242	कपड़ा आदि सहित अन्य भंडार	
F-242	Other stores including clothing.	
च-243	आनुषंगिक व्यय	च-211 की भांति
F-243	Contingent expenses	Same as for F-211.
च-290	विविध व्यय	च-200 (च-290 को छोड़कर) के अधीन आबंटित डीजल कर्षण से संबंधित कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा.
F-290	Miscellaneous expenses	To be divided in the ratio of total expenses relating to diesel traction allocated under F-200 (excluding F-290).
च-300	**बिजली रेल इंजन**	
F-300	**Electric Locomotives**	
च-310	**रनिंग कर्मचारी**	
F-310	**Running Staff**	
च-311	रनिंग कर्मचारी-पर्यवेक्षी और अन्य कर्मचारी	च-312 और च-320 के अधीन आबंटित व्यय के अनुपात में.
F-311	Running Staff-Supervisory and other staff	In the ratio of expenses allocated under F-312 and F-320
च-312	छुट-पुट मरम्मत-लोको कर्मीदल	च-112 के सामने दर्शाए गए अनुसार लेकिन बिजली कर्षण को छोड़कर
F-312	Running repairs-loco crew	As shown against F-112 but for electric traction.
च-320	शेड और यार्ड कर्मचारी	च-130 की भांति, लेकिन बिजली कर्षण को छोड़कर
F-320	Shed and Yard staff	Same as for F-130 but for electric traction.
च-330	**स्नेहक और उपभोग्य भंडार सहित अन्य परिचालन व्यय**	
F-330	**Other Operating Expenses including lubricants and consumable stores**	
च-331	**स्नेहक**	
F-331	**Lubricants**	
च-332	अन्य परिचालन भंडार कपड़े आदि सहित	च-142 की भांति लेकिन बिजली कर्षण को छोड़कर
F-332	Other operating stores including clothing	Same as for F-142 but for electric traction.
च-333	आनुषंगिक व्यय	च-311 की भांति
F-333	Contingent expenses	Same as for F-311
च-340	विविध व्यय	च-300 (च-340 को छोड़कर) के अधीन कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए.
F-340	Miscellaneous Expenses.	To be divided in the ratio of total expenses under F-300 (excluding F-340)
च-400	**ई.एम.यू. सवारी डिब्बे**	
F-400	**Electric Multiple Unit Coaches**	
च-410	**रनिंग कर्मचारी**	
F-410	**Running Staff**	
च-420	शेड और यार्ड कर्मचारी	निकाल दिया गया (ई.एम.यू. के अधीन अलग निपटाए गए)
F-420	Shed and Yard Staff	Excluded (separately dealt with under EMU.)
च-430	स्नेहक और उपभोग्य भंडार सहित अन्य परिचालन व्यय	
F-430	Other operating expenses including lubricants and consumable stores.	
च-440	**विविध व्यय**	
F-440	**Miscellaneous expenses.**	
च-500	**सवारी एवं माल डिब्बे**	
F-500	**Carriages & Wagons**	

मांग सं. 8-सार 'च' *(जारी)*/**Demand No. 8-Abstract 'F'** *(Contd.)*

1	2	3
च-510	अधीनस्थ पर्यवेक्षी कर्मचारी और उनके कार्यालय कर्मचारी (रनिंग)	च-521 के अधीन व्यय के अनुपात में
F-510	Subordinate Supervisory staff and their office staff (Running).	In the ratio of expenses under F-521.
च-520	**रनिंग वाहनों के लिए निरीक्षण कर्मचारी**	
F-520	**Inspection staff for Running Vehicles**	
च-521	रनिंग वाहनों के लिए निरीक्षण कर्मचारी	चौपहिया के हिसाब से वाहन कि०मी० और माल डिब्बा कि०मी० (ब्रेक यान को छोड़कर) के अनुपात में
F-521	Inspection staff for running vehicles	In the ratio of Vehicle KMs and Wagon KMs. (excluding brake vans) in terms of 4-wheelers
च-522	न्यूट्रल कंट्रोल व्यय का अंश	माल
F-522	Share of Neutral Control Expenditure	Goods
च-530	**अन्य परिचालन व्यय**	
F-530	**Other operating expenses**	
च-531	तेल, ग्रीज और अन्य भंडार	च-521 की भांति
F-531	Oil, Grease and other stores	Same as for F-521
च-532	**आनुषंगिक व्यय**	च-510 और च-520 के अधीन बुक किए गए व्यय के आधार पर विभाजित किया जाए
F-532	**Contingent Expenses**	To be divided on the basis of expenditure booked under F-510 and F-520
च-540	**अन्य विविध व्यय**	च-500 (च-540 को छोड़कर) के अधीन बुक किए गए व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए
F-540	**Other miscellaneous expenses**	To be divided in the ratio of expenses booked under F-500 (excluding F-540)
च-600	**कर्षण (चल स्टॉक और सामान्य बिजली सेवाओं से भिन्न)**	
F-600	**Traction (other than Rolling Stock and general electrical services)**	
च-610	**कर्षण (चल स्टॉक और बिजली ऊर्जा से भिन्न)**	
F-610	**Traction (other than Rolling Stock and Electrical energy)**	
च-611	परिचालन कर्मचारी	च-311 की भांति
F-611	Operating Staff	Same as for F-311
च-613	परिचालन भंडार	च-331 की भांति
F-613	Operating Stores.	Same as for F-331.
च-620	**सामान्य बिजली सेवाओं के लिए जनरेटिंग स्टेशन और उप-स्टेशन**	संबंधित सेवाओं के बिजली कर्षण के इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि०मी० के अनुपात में
F-620	**Generating stations and sub-stations for general electrical services**	In the ratio of GTKMs including weight of engine and departmental of electric traction of respective services
च-630	**सामान्य सेवाओं के लिए वितरण व्यवस्था**	-वही-
F-630	**Distribution arrangement for general services**	-do-
च-640	कारखानों, भवनों के लिए पावर की सप्लाई	-वही-
F-640	Supply of power to workshops, buildings	-do-
च-650	**सर्विस बिल्डिंग के लिए पावर की सप्लाई**	-वही-
F-650	**Supply of power to Service Buildings**	-do-
च-660	**गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था, पंखे और वातानुकूलन सेवाएं**	-कोचिंग
F-660	**Train lighting, fans and air-conditioning services in trains**	Coaching
च-670	**अन्य परिचालन-श्रम और भंडार**	
F-670	**Other Operating-Labour and Stores**	
च-671	अन्य परिचालन कर्मचारी	च-611 की भांति
F-671	Other Operating Staff	Same as for F-611

मांग सं. 8-सार 'च' *(जारी)*/**Demand No. 8-Abstract 'F'** *(Contd.)*

1	2	3
च-672	अन्य परिचालन भंडार	च-613 की भांति
F-672	Other Operating Stores.	Same as for F-613
च-680	**विविध व्यय**	च-600 (च-680 को छोड़कर) के अधीन व्यय के अनुपात में
F-680	**Miscellaneous expenses**	In the ratio of expenses under F-600 (excluding F-680)
च-700	सिगनल व्यवस्था एवं दूर संचार	गाड़ी कि०मी० के अनुपात में
F-700	Signalling and Telecommunication	In the ratio of Train KMs
च-800	**फैरी सेवाएं और रेल कार**	
F-800	**Ferry Services & Rail Cars**	
च-810	रनिंग कर्मचारी-फैरी सेवाएं	
F-810	Running Staff-Ferry Services	
च-820	अन्य व्यय-फैरी सेवाएं	फैरी सेवा के कारण निकाल दिया गया है
F-820	Other expenses-Ferry Services	Deleted being Ferry Services
च-830	विविध व्यय-फैरी सेवाएं	
F-830	Miscellaneous expenses - Ferry Services	
च-840	रनिंग कर्मचारी-रेल कार	
F-840	Running Staff-Rail Cars	
च-850	अन्य व्यय - रेल कार	कोचिंग
F-850	Other expenses-Rail Cars	Coaching
च-860	विविध व्यय - रेल कार	
F-860	Miscellaneous expenses-Rail Cars	
च-900	**जमा अथवा वसूलियां**	
F-900	**Credits or Recoveries.**	
च-910	**चल स्टॉक के किराए पर लेने से गैर सरकारी रेलों और अन्य निकायों से प्राप्ति**	
F-910	**Receipt from non-Government Railways and other Bodies for hire of rolling stock.**	
च-911	गाड़ियों का कर्षण	
F-911	Haulage of trains.	
च-912	संयुक्त स्टेशनों पर शंटिंग	
F-912	Shunting at joint stations.	च-150 की भांति
च-913	रेल इंजनों का किराया	Same as for F-150
F-913	Hire of Locomotives	
च-914	वाहनों का किराया	
F-914	Hire of Vehicles.	
च-920	**सप्लाई की गई बिजली ऊर्जा के लिए जमा**	
F-920	**Credits for electric energy supplied**	
च-921	कारखानों को सप्लाई की गई ऊर्जा के लिए जमा	
F-921	Credits for energy supplied to workshops	
च-922	क्लबों और संस्थानों को सप्लाई की गई ऊर्जा के लिए जमा	च-620 की भांति
F-922	Credits for energy supplied to clubs and institutions	Same as for F-620
च-923	सप्लाई की गई ऊर्जा के लिए जमा-सरकारी विभाग	
F-923	Credits for energy supplied - Govt. Departments	
च-924	सप्लाई की गई ऊर्जा के लिए जमा-बाहरी व्यक्ति	
F-924	Credits for energy supplied - outsiders	

1	2	3
च-930	**कोयला सहित रेल सामग्री पर माल भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश**	
F-930	**Share of credits for freight charges on Railway material including coal**	
च-931	रेल कोयले पर भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश	सार-च (च-930 को छोड़कर) के अधीन व्ययों के अनुपात में
F-931	Share of credits for freight charges on Railway coal	In the ratio of expenses under Abstract F (excluding F-930)
च-932	डीजल तेल पर भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश	
F-932	Share of credits for freight charges on diesel oil	
च-933	रेल भंडार और सामग्री पर भाड़ा प्रभारों के लिए जमा का अंश	
F-933	Share of credits for freight charges on Railway stores and material	

मांग सं. 9 -सार 'छ' /Demand No. 9-Abstract 'G'
परिचालन व्यय - यातायात/Operating Expenses - Traffic

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
छ-100	**कार्यालयों में स्थापना**	
G-100	**Establishment in Offices**	
छ-110	**परिचालन**	छ-200 से छ-700 के अधीन व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए
G-110	**Operating**	To be divided in the ratio of expenses under
छ-120	**वाणिज्य**	G-200 to G-700
G-120	**Commercial**	
छ-130	**संयुक्त स्थापनों सहित अन्य**	
G-130	**Others including Joint Establishment**	
छ-200	**स्टेशन परिचालन**	गाड़ी कि०मी० के अनुपात में विभाजित किया जाए
G-200	**Station Operations**	To be divided in the ratio of Train KMs
छ-210	यातायात और संचलन निरीक्षक आदि	
G-210	Traffic and Movement Inspectors etc.	
छ-220	यात्री स्टेशन कर्मचारी	कोचिंग
G-220	Passenger station staff	Coaching
छ-230	माल स्टेशन कर्मचारी	माल
G-230	Goods station staff	Goods
छ-240	सामान एवं पार्सल स्टेशन कर्मचारी	कोचिंग
G-240	Luggage and Parcel Station staff	Coaching
छ-250	गाड़ी नियंत्रण और पार कराने वाले कर्मचारी	संबंधित सेवाओं के गाड़ी कि० मी० के अनुपात में
G-250	Train control and passing staff	In the ratio of Train KMs. of respective services
छ-260	संयुक्त कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी	-वही-
G-260	Other staff including joint staff	-do-
छ-270	टिकटें	कोचिंग
G-270	Tickets	Coaching
छ-280	**माल की सम्भलाई, संग्रहण और परिदान**	
G-280	**Handling, Collection and delivery of goods**	
छ-281	लदान और उतराई प्रभार-कोचिंग सेवाएं	कोचिंग
G-281	Loading and unloading charges - Coaching services	Coaching
छ-282	लदान और उतराई प्रभार-माल सेवाएं	माल
G-282	Loading and unloading charges - Goods services	Goods.
छ-283	संग्रहण और सुपुर्दगी प्रभार-कोचिंग सेवाएं	कोचिंग
G-283	Collection and delivery charges - Coaching services	Coaching
छ-284	संग्रहण और सुपुर्दगी प्रभार-माल सेवाएं	माल
G-284	Collection and Delivery charges - Goods services	Goods
छ-285	तिरपालों और माल डिब्बों के ढक्कनों की लागत आदि	माल
G-285	Cost of tarpaulins and wagon covers etc	Goods
छ-290	स्टेशन की सफाई सहित अन्य व्यय (छ-296 को छोड़कर)	छ-200 (छ-290 को छोड़कर) के अनुपात में
G-290	Other expenses including station sanitation (Excluding G-296)	In the ratio of G-200 (excluding G-290)
छ-296	गाडियों में जल और सामान्य भंडार	कोचिंग
G-296	Water and general stores in trains	Coaching
छ-300	**यार्ड परिचालन**	
G-300	**Yard Operations**	
छ-310	कोचिंग यार्ड	कोचिंग
G-310	Coaching Yards	Coaching

मांग सं. 9–सार 'छ' *(जारी)*/**Demand No. 9-Abstract 'G'** *(Contd.)*

1	2	3
छ–320	माल यार्ड	माल
G-320	Goods Yards	Goods
छ–330	सामान्य यार्ड	कोचिंग और माल सेवाओं के शंटिंग इंजन घंटों के अनुपात में
G-330	Common Yards	In the ratio of shunting engine hours of coaching and goods services
छ–340	कोयला यार्ड	
G-340	Coal Yards.	
छ–350	यानांतरण यार्ड	माल
G-350	Transhipment Yards	Goods
छ–360	पुन: पैकिंग यार्ड	
G-360	Repacking Yards	
छ–370	माल टर्मिनल यार्ड	
G-370	Goods Terminal Yards	
छ–400	**यानांतरण और पुन: पैकिंग परिचालन**	
G-400	**Transhipment and Repacking operations**	
छ–410	यानांतरण–माल	माल
G-410	Transhipment-goods	Goods
छ–420	यानांतरण–पार्सल और सामान	कोचिंग
G-420	Transhipment-Parcels & Luggage.	Coaching
छ–430	संयुक्त यानांतरण व्यय	छ–410 और छ–420 के अनुपात में
G-430	Joint Transhipment expenses	In the ratio of G-410 and G-420
छ–440	पुन:पैकिंग – माल	माल
G-440	Repacking - Goods	Goods
छ–450	पुन:पैकिंग – कोचिंग	कोचिंग
G-450	Repacking - Coaching	Coaching
छ–460	संयुक्त पुन: पैकिंग व्यय	छ–440 और छ–450 के अनुपात में
G-460	Joint repacking expenses	In the ratio of G-440 and G-450
छ–500	**गाड़ी परिचालन**	
G-500	**Train Operations**	
छ–510	गार्ड और ब्रेकमैन	छ–112 के अनुसार लेकिन गार्ड और ब्रेकमैन को छोड़कर
G-510	Guards & Brakesmen	Same as for F-112 but for Guards & Brakesmen
छ–520	गाड़ियों से संबद्ध अन्य परिचालन कर्मचारी	कोचिंग
G-520	Other operating staff accompanying the trains.	Coaching
छ–530	विशेष दल से भिन्न चल टिकट जांच कर्मचारी	कोचिंग
G-530	Travelling ticket checking staff other than special squads	Coaching
छ–540	विशेष टिकट जांच दल	कोचिंग
G-540	Special ticket checking squads.	Coaching
छ–550	आरक्षित डिब्बों के लिए कंडक्टर, गार्ड और चल टिकट परीक्षक	कोचिंग
G-550	Conductors, Guards and TTEs for reserved compartments.	Coaching
छ–560	अन्य कर्मचारी और विविध व्यय	छ–500 (छ–560 को छोड़कर) के अनुपात में
G-560	Other staff and miscellaneous expenses.	In the ratio of G-500 (excluding G-560)
छ–600	**संरक्षा**	गाड़ी कि०मी० के अनुपात में
G-600	**Safety**	In the ratio of Train KMs.
छ–700	**अन्य विविध व्यय**	
G-700	**Other miscellaneous expenses**	
छ–710	**सड़क सेवाएं (केवल कंटेनर भाग)**	माल
G-710	**Road Services (Container portion only)**	Goods

मांग सं. 9–सार 'छ' *(जारी)*/**Demand No. 9-Abstract 'G'** *(Contd.)*

1	2	3
छ–720	**आउट एजेंसियों और तीर्थ यात्रा एवं भ्रमण के लिए विशेष गाड़ियों के संचालनकर्त्ताओं को भुगतान**	
G-720	**Payment to out agencies and other organisers of pilgrims and excursion specials etc.**	
छ–721	आउट एजेंसी–कोचिंग सेवाओं पर व्यय	कोचिंग
G-721	Expenses at out agencies-coaching services	Coaching
छ–722	आउट एजेंसी–माल सेवाओं पर व्यय	माल
G-722	Expenses at out agencies-goods services	Goods
छ–723	तीर्थ यात्रा और भ्रमण के लिए विशेष गाड़ियों के संचालनकर्ताओं को कमीशन	कोचिंग
G-723	Commission to organisers of pilgrims and excursion specials	Coaching
छ–730	अन्य रेलों को भुगतान–गैर बजट लाइन और अन्य निकायों जैसे पत्तन न्यास को भुगतान	माल
G-730	Payment to other Railways-Payment to non-budget lines and other bodies such as Port Trusts	Goods
छ–740	**अन्तर्बदल किए गए स्टॉक (प्रभार और प्राप्तियां) पर सम्मेलन किराया और जुर्माना**	
G-740	**Conference hire and penalty charges on inter-changed stock (charges & receipts)**	
छ–741	केवल भारतीय रेलों के अन्तर्बदल किए गए स्टॉक से संबंधित प्रभार प्राप्ति	लागत निर्धारण प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली जाने वाली छ–741 और छ–742 से सामने दर्शाई गई जमा/नामे की वास्तविक रकम को बोर्ड (लागत विश्लेषण शाखा) द्वारा आमान वार अलग से सूचित किया जाएगा. लेखाओं में दर्शाए गए व्यय को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए. मरम्मत और अनुरक्षण शीर्ष के अधीन इस प्रकार सूचित किए गए जमा/नामे घ–300 के माल अंश में से घटाए/उसमें जोड़े जाने चाहिए. उसी प्रकार सूचित किए गए मूल्यह्रास प्रभार सार ड–132 माल अंश में से घटाए/उसमें जोड़े जाने चाहिए.
G-741	Charges/Receipts relating to inter-changed stock of Indian Railways only	
छ–743	विदेशी रेलों (अर्थात् पाकिस्तान और बंगला देश रेलें) के साथ स्टॉक अन्तर्बदल करने से संबंधित प्रभार	
G-743	Charges relating to interchange of stock with Foreign Railways (e.g. Pakistan and Bangla Desh Railways)	The actual amounts of credit/debit against G-741 and G-742 to be taken into account for costing purposes will be separately advised by the Board (Cost Analysis Branch) every year gauge-wise. The expenses as reflected in accounts should not be taken into account. The credit/debit thus advised under the head repairs and maintenance should be deducted/added to goods share of D-300. Similarly the depreciation charges so advised should be deducted/added to Abstract M-132 - Goods share.
छ–750	**चल स्टॉक से संबंधित अन्तर्रेलवे वित्तीय समायोजन**	
G-750	**Inter-Railway financial adjustments relating to Rolling Stock**	
छ–751	रेल इंजनों का किराया प्रभार	इस शीर्ष के अधीन मरम्मत एवं अनुरक्षण के लेखे में जमा/नामे ग–200, ग–300 और ग–500) भाप इंजन, डीजल इंजन और बिजली इंजन के अधीन कोचिंग और माल के लिए आबंटित मरम्मत और अनुरक्षण व्यय में से घटाया/उसमें जोड़ा जाएगा. कोचिंग/माल से संबंधित अंश अन्तर्बदल किए गए रेल इंजनों द्वारा अर्जित इंजन कि०मी० के आधार पर निकाला जाएगा.
छ–752	(रेल इंजनों का मूल्यह्रास)	उसी प्रकार इस शीर्ष के अधीन मूल्यह्रास प्रभारों के लेखे में मूल्यह्रास प्रभार (जमा/नामे) उपर्युक्त आधार पर यथास्थिति कोचिंग अथवा

मांग सं. 9–सार 'छ' *(जारी)*/**Demand No. 9-Abstract 'G'** *(Contd.)*

1	2	3
		माल अंश सार ड–121/ड–122/ड–123 में से घटाये/जमा किये जाएंगे.
G-751	Hire charges of Locos	The credit/debit on account of repairs & maintenance
G-752	Loco Depreciation	under this head will be deducted /added from/to the allocated repairs and maintenance expenses for Coaching and Goods under C-200, C-300 and C-500 (Steam Locomotives, Diesel Locomotives and Electrical Locomotives). The relative share of coaching/goods may be worked out on the basis of Engine KMs. earned by the interchanged Locos. Similarly, the depreciation charges (credit/debit) on account of Depreciation charges under this head will be deducted/added to Abstract M-121/M-122/M-123 as the case may be from the Coaching or Goods share on the same basis as indicated above.
छ–753	कोचिंग स्टॉक	इस शीर्ष के अधीन अनुरक्षण के लेखे में जमा/नामे को घ–200
छ–754	का किराया प्रभार (मरम्मत व अनुरक्षण तथा मूल्यह्रास)	कोचिंग अंश में से घटाया/उसमें जोड़ा जाएगा. उसी प्रकार इस शीर्ष के अधीन मूल्यह्रास प्रभार ड–131 कोचिंग अंश में से घटाये/उसमें जोड़े जायंगे.
G-753	Hire Charges of	The credit/debit on account of maintenance under this
G-754	Coaching Stock (Repairs & Maintenance and Depreciation)	head will be deducted/added from/to D-200 Coaching share. Similarly Depreciation Charges under this head will be deducted/added from/to M-131 Coaching share.
छ–755	अन्य समायोजन	छ–750 (छ–755 को छोड़कर) के अनुपात में.
G-755	Other adjustments	In the ratio of G-750 (excluding G-755).
छ–760	**विविध प्रभार**	
G-760	**Miscellaneous charges**	
छ–761	राजस्व भंडारों का वहन	
G-761	Carriage of Revenue Stores	
छ–762	नकद की हानि	
G-762	Loss of cash	
छ–763	भंडारों की हानि–वास्तविक हानि	छ–700 (छ–760 को छोड़कर) के अधीन व्यय के अनुपात में
G-763	Loss of stores-Physical Loss	In the ratio of expenses under G-700 (except G-760)
छ–764	मूल्यह्रास/विकृति के कारण भंडारों की हानि	
G-764	Loss of stores due to depreciation/deterioration	
छ–765	परिवहन के दौरान अन्य विभागों की हानि	
G-765	Loss of other Departments occuring in transportation	
छ–766	गुमशुदा सम्पत्ति/लावारिस सामान की बिक्री पर कमीशन	
G-766	Commission on sale of lost property/unclaimed goods	
छ–767	लोको कोयला माल डिब्बों के लिए चूना छिड़कने संबंधी विभागीय कार्य की लागत	
G-767	Cost of departmental lime sprinkling operations for loco coal wagons	
छ–770	**भारतीय रेल वित्त नियम के अलावा अन्य को पट्टा प्रभारों का भुगतान**	
G-770	**Payment of leasing charges other than IRFC**	
छ–771	'अपने डिब्बे के मालिक बनो' योजना के अंतर्गत माल डिब्बा	घ–300 में स्थानांतरित
G-771	Wagon, under OYW scheme	To be transferred to D-300
छ–772	डीजल इंजन	ग–300 में स्थानांतरित किया जाए
G-772	Diesel Locomotives	To be transferred to C-300

मांग सं. 9–सार 'छ' *(जारी)*/**Demand No. 9-Abstract 'G'** *(Contd.)*

1	2	3
छ–773	बिजली इंजन	ग–500 में स्थानांतरित किया जाए
G-773	Electric Locomotives	To be transferred to C-500
छ–774	सवारी डिब्बे – यात्री वाहन	घ–200 (कोचिंग के भाग) में स्थानांतरित किया जाए
G-774	Carriages-Passenger Vehicles	To be transferred to D-200 (Coaching Share)
छ–775	सवारी डिब्बों के अलावा अन्य कोचिंग वाहन	–वही–
G-775	Carriages-Other Coaching Vehicles	-do-
छ–776	ई.एम.यू.	घ–400 में स्थानांतरित किया जाए
G-776	EMU Vehicles	To be transferred to D-400
छ–777	माल डिब्बे	घ–300 में स्थानांतरित किया जाए
G-777	Wagons	To be transferred to D-300
छ–778	रेलपथ मशीनें	ख–200 में स्थानांतरित किया जाए
G-778	Track machines	To be transferred to B-200
छ–780	**चल स्टॉक के लिए भारतीय रेल वित्त निगम को पट्टा प्रभारों का भुगतान**	
G-780	**Payment of leasing charges to Indian Railway Financial Corporation for Rolling Stock.**	
छ–781	डीजल रेल इंजन	ग–300 में स्थानांतरित किया जाए
G-781	Diesel Locos	To be transferred to C-300
छ–782	बिजली रेल इंजन	ग–500 में स्थानांतरित किया जाए
G-782	Electric Locos	To be transferred to C-500
छ–783	सवारी डिब्बे – पी.सी.वी.	
G-783	Carriages - PCV	घ–200 में स्थानांतरित किया जाए
छ–784	सवारी डिब्बे – ओ.सी.वी.	To be transferred to D-200
G-784	Carriages - OCV	
छ–785	ई.एम.यू.	घ–400 में स्थानांतरित किया जाए.
G-785	EMU	To be transferred to D-400
छ–786	माल डिब्बे	घ–300 में स्थानांतरित किया जाए
G-786	Wagons	To be transferred to D-300
छ–787	रेल पथ मशीनें	ख–200 में स्थानांतरित किया जाए
G-787	Track machines	To be transferred to B-200
छ–900	**जमा अथवा वसूलियां**	
G-900	**Credits or Recoveries**	
छ–910	**गैर सरकारी रेलों और अन्य निकायों जैसे पत्तन न्यास आदि से प्राप्ति**	माल
G-910	**Receipt from Non-Government Railways and other bodies such as Port Trust etc.**	Goods
छ–920	**कोयला सहित रेल सामग्री पर भाड़ा प्रभारों के जमा का अंश**	
G-920	**Share of credits of freight charges on Railway material including coal**	
छ–921	भाड़ा प्रभारों के जमा का अंश–रेलवे के कोयले पर	
G-921	Share of credits of freight charges on Railway coal	सार छ (छ–920 को छोड़कर) के अनुपात में
छ–922	भाड़ा प्रभारों के जमा का अंश–डीजल तेल पर	विभाजित किया जाए
G-922	Share of credits of freight charges on Diesel oil	To be divided in the ratio of Abstract G
छ–923	भाड़ा प्रभारों के जमा का अंश–रेल भंडार और सामग्री पर	(excluding G-920)
G-923	Share of credits of freight charges on Railway stores and materials	

मांग सं. 10 -सार 'ज' /Demand No. 10- Abstract 'H'
परिचालन व्यय - ईंधन /Operating Expenses - Fuel

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ज-111, 117, 211, 217	सवारी गाड़ियों और रेल कारों पर कोयले और डीजल की लागत	कोचिंग
H-111,117, 211, 217	Cost of coal & diesel oil on passenger trains and Rail Cars	Coaching
ज-112, 212	उपर्युक्त-माल गाड़ियां	माल
H-112, 212	-do- Goods trains	Goods
ज-113, 213	उपर्युक्त-मिली जुली गाड़ियां	ब्रेकयान को छोड़कर, संबंधित वाहन और माल डिब्बा कि.मी. के अनुपात में.
H-113, 213	-do- Mixed trains	In the ratio of respective Vehicle and Wagon Kms. excluding brake-vans.
ज-114, 115, 214, 215	शंटिंग और विभागीय सेवाएं	संबंधित इंजन किलोमीटर के अनुपात में
H-114, 115, 214, 215	Shunting and Departmental services	In the ratio of respective Engine Kilometres
ज-116, 216	फैरी	निकाल दिया गया है
H-116, 216	Ferry	Excluded
ज-118	ईंधन की हानि	कोचिंग और माल सेवाओं को आबंटित किए गए अनुसार ज-110 (ज-116 और ज-118 को छोड़कर) के परिणामी अनुपात में
H-118	Losses on fuel	In the resultant ratio of H-110 (excluding H-116 and H-118) as allocated to Coaching and Goods services
ज-121, 122	कोयले पर भाड़ा	बुक किए गए व्यय को रेलवे बोर्ड (स्टैट/सी ए) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से बढ़ा दिया जाएगा. उदाहरणार्थ - 1989-90 में, निर्धारित दर बुक किए गए व्यय से नौ गुणा है. इसे ज-110 (ज-116 को छोड़कर) के अधीन कोचिंग और माल सेवाओं को आंबटित किए गए अनुसार बुक किए गए व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा
H-121, 122	Freight on Coal	Expenses as booked shall be notionally increased as per rates notified by Railway Board (Stat/CA) from time to time e.g. in the case of 1989-90, the prescribed rate is nine times of the expenses booked. This shall be divided in the ratio of expenses booked under H-110 (excluding H-116) as allocated to coaching and goods services
ज-125	भूतल परिवहन प्रभार	कोचिंग और माल सेवाओं में आबंटित अनुसार ज-110 (ज-116 को छोड़कर) के व्यय के अनुपात में
H-125	Surface transport charges	In the ratio of expenditure on H-110 (excluding H-116) as allocated to Coaching and Goods services.
ज-123, 124, 130, 140, 150, 920, 940	भाड़ा एवं सम्भलाई प्रभार, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क आदि और ईंधन संगठन और निरीक्षण पर जमा	कोचिंग और माल सेवाओं में आबंटित अनुसार ज-110 (ज-116 को छोड़कर) पर व्यय के अनुपात में
H-123, 124, 130, 140, 150, 920, 940	Freight & handling charges, sales tax, excise duty etc & fuel organisation and credit on inspection	In the ratio of expenditure on H-110 (excluding H-116) as allocated to Coaching and Goods services

मांग सं. 10-सार 'ज' *(जारी)*/**Demand No. 10-Abstract 'H'** *(Contd.)*

1	2	3
ज-218	ईंधन की हानि	कोचिंग और माल सेवाओं में आबंटित अनुसार ज-210 (ज-216 और ज-218 को छोड़कर) के परिणामी अनुपात में
H-218	Losses on fuel	In the resultant ratio of H-210 (excluding H-216 and H-218) as allocated to coaching and goods services
ज-220, 230, 240	भाड़ा और सम्भलाई प्रभार, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि और संगठन	कोचिंग और माल सेवाओं में आबंटित किए गए अनुसार ज-210 (ज-216 को छोड़कर) के अधीन व्यय के अनुपात में
H-220, 230, 240	Freight & handling charges, Sales tax, Excise duty etc. & organisation.	In the ratio of expenses under H-210 (excluding H-216) as allocated to coaching and goods
ज-311, 318, 321, 322, 331, 333, 335, 336, 338, 930	बिजली कर्षण	बिजली कर्षण के संबंधित सेवाओं के इंजन और विभागीय के भार सहित सकल टन कि.मी. के अनुपात में वितरित किया जाए जो ई.एम.यू. से इतर मिश्रित के यात्री समानुपात के मामले में 0.025 से और मिश्रित के माल समानुपात के मामले में 0.012 से गुणा किया जाए
H-311, 318, 321, 322, 331, 333, 335, 336, 338, 930	Electric Traction	To be distributed in the ratio of GTKMs including weight of engines and departmental of electric traction of respective services multiplied by 0.025 in the case of passenger proportion of mixed other than EMU and 0.012 in the case of goods proportion of mixed
ज-332	ई.एम.यू. के लिए सप्लाई की गयी ऊर्जा	निकाल दिया गया है (ई.एम.यू. के अधीन अलग से निपटाए गए)
H-332	Energy supplied for EMU	Excluded (separately dealt with under EMU)
ज-910	रेल भंडारों पर जिसमें कोयला शामिल न हो, माल भाड़ा प्रभार	सार ज के अधीन बुक किए गए व्ययों के अनुपात में विभाजित किया जाएगा (ज-910 को छोड़कर)
H-910	Freight charges on Railway stores excluding coal	To be divided in the ratio of expenses booked under Abstract H (excluding H-910)

मांग सं. 11 -सार 'ञ'/Demand No. 11 –Abstract 'J'
कर्मचारी कल्याण और सुख सुविधाएं/Staff Welfare and Amenities

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ञ-100 J-100	शैक्षिक सुविधाएं Educational facilities	क-100 की भांति Same as for A-100
ञ-200 J-200	चिकित्सा सेवाएं Medical Services	-वही- -do-
ञ-300 J-300	स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं Health and Welfare Services	-वही- -do-
ञ-400 J-400	कैंटीन और अन्य कर्मचारी सुविधाएं Canteen and other staff amenities	-वही- -do-
ञ-500 J-500	आवासीय और कल्याण भवन-मरम्मत एवं अनुरक्षण Residential and Welfare Buildings-Repairs and maintenance	-वही- -do-
ञ-600 J-600	विविध व्यय Miscellaneous expenses	-वही- -do-
ञ-900 J-900	जमा अथवा वसूलियां Credits or recoveries	-वही- -do-

मांग सं. 12 -सार 'ट'/Demand No. 12 –Abstract 'K'
विविध संचालन व्यय/Miscellaneous Working Expenses

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ट-100	सुरक्षा (ट-134 को छोड़कर)	क-100 की भांति
K-100	Security (except K-134)	Same as for A-100
ट-134	न्यायालय, मजिस्ट्रेट, पुलिस पर व्यय और बिना टिकट यात्रा करने के अपराध निपटाने पर हुआ आनुषंगिक व्यय	कोचिंग
K-134	Expenditure on Courts, Magistrates, Police and incidental expenses to deal with crime of ticketless travel	Coaching
ट-200	**क्षतिपूर्ति दावे**	
K-200	**Compensation Claims**	
ट-210	**दावा निपटान/दावा निवारण संगठन**	ट-220 और ट-230 के अधीन व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाए
K-210	**Claims settlement/claim prevention organisation**	To be divided in the ratio of expenses under K-220 and K-230.
ट-220	**क्षतिपूर्ति-पार्सल और सामान**	कोचिंग
K-220	**Compensation-parcel and luggage**	Coaching
ट-230	क्षतिपूर्ति-माल	माल
K-230	Compensation-Goods	Goods
ट-240	विविध व्यय	ट-210 की भांति
K-240	Miscellaneous expenses	Same as for K-210
ट-251	यात्री बीमा योजना-बीमा किस्त	केवल कोचिंग
K-251	Passenger Insurance Scheme –Insurance premium	Coaching only
ट-252	बीमा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के अलावा अन्य भुगतान	
K-252	Payment other than under Insurance scheme	
ट-271	यात्री यातायात के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय	
K-271	Awards in respect of passenger traffic	
ट-253	दुर्घटना क्षतिपूर्ति	अपवर्जित किया जाना है
K-253	Accident compensation	To be excluded
ट-261	रेलवे इंजन के लिए कोयले के संबंध में समायोजन के कारण प्रतिपूर्ति	माल Goods
K-261	Compensation on account of adjustment in respect of Railway Loco Coal	
ट-262	रेलवे जन वहन के लिए कोयले के संबंध में समायोजन के कारण प्रतिपूर्ति	
K-262	Compensation on account of adjustment in respect of Railway Public Coal	
ट-263	अनाज एवं दालों के संबंध में समायोजन के कारण प्रतिपूर्ति	
K-263	Compensation on account of adjustment in respect of grains and pulses.	
ट-264	लौह व इस्पात के संबंध में समायोजन के कारण प्रतिपूर्ति	
K-264	Compensation on account of adjustment in respect of iron and steel	
ट-265	पेट्रोलियम-तेल-स्नेहक के संबंध में समायोजन के कारण प्रतिपूर्ति	
K-265	Compensation on account of adjustment in respect of POL	
ट-266	अन्य वस्तुओं के संबंध में समायोजन के कारण प्रतिपूर्ति	
K-266	Compensation on account of adjustment in respect of others	

मांग सं. 12–सार 'ट' *(जारी)*/**Demand No. 12-Abstract 'K'** *(Contd.)*

1	2	3
ट–273	पार्सल एवं सामान यातायात के संबंध में अधिनिर्णय	कोचिंग
K-273	Award in respect of parcel and luggage traffic	Coaching
ट–272	माल यातायात के संबंध में अधिनिर्णय	माल
K-272	Award in respect of goods traffic	Goods
ट–300	कर्मकारों के और अन्य क्षतिपूर्ति दावे	क–100 के अनुसार
K-300	Workmen's and other compensation claims	As for A-100
ट–400	खानपान	कोचिंग
K-400	Catering	Coaching
ट–500	कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत	क–100 की भांति
K-500	Cost of training of staff	Same as for A-100
ट–600	अन्य व्यय (ट–690 को छोड़कर)	क–100 की भांति
K-600	Other expenses (excluding K-690)	Same as for A-100
ट–690	व्यय विभागों से वसूल किया गया भाड़ा और अन्य जमा	माल
K-690	Freight recovered from Spending Departments and other credits	Goods
ट–700	**आतिथ्य सत्कार और मनोरंजन पर व्यय**	क–100 की भांति
K-700	**Hospitality and Entertainment Expenses**	Same as for A-100
ट–900	जमा अथवा वसूलियां	
K-900	Credits or recoveries	
ट–920	अन्य जमा	ट–210 के अधीन बुक किए गए कोचिंग और माल के लिए व्यय के अनुपात में आबंटित किए जाए.
K-920	Other credits	To be allocated in the ratio of expenses for Coaching and Goods booked under K-210

मांग सं. 13 -सार 'ठ'/Demand No. 13 – Abstract 'L'
भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ/Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ठ-100 से ठ-600	पेंशनयोग्य कर्मचारियों को पेंशन और उपदान	विभाजन आवश्यक नहीं है क्योंकि मुख्य शीर्ष सार ड-200 पेंशन निधि में विनियोग, के अधीन बुक किया गया व्यय, उस शीर्ष के सामने दर्शाए गए अनुदेशों के अनुसार कोचिंग और माल में विनियोजित किया जाएगा
L-100 to L-600	Pensions and Gratuities to pensionable staff	Division not necessary as the expenditure booked under the main head Abstract M-200-Appropriation to Pension Fund, will be apportioned between coaching and goods in accordance with the instructions shown against that head
ठ-710	पेंशन विकल्पधारियों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान	-वही-
L-710	Leave encashment for pension optees	-do-
ठ-720	गैर-पेंशन विकल्पधारियों के लिए छुट्टी के बदले नकद भुगतान	क-100 की भांति
L-720	Leave encashment for other than pension optees	Same as for A-100
ठ-800	उपदान और भविष्य निधि में अंशदान व विशेष अंशदान	क-100 की भांति
L-800	Gratuities, contribution to Provident Fund and Special contribution to Provident Fund	Same as for A-100
ठ-900	जमा अथवा वसूलियां	
L-900	Credits or recoveries	
ठ-910	पेंशन	ठ-100 से ठ-600 और ठ-710 की भांति
L-910	Pension	Same as for L-100 to L-600 & L-710
ठ-930	रेलवे पेंशन निधि से प्राप्त रकम	ठ-100 से ठ-600 और ठ-710 की भांति
L-930	Amount met from Railway Pension Fund	Same as for L-100 to L-600 & L-710
ठ-920	भविष्य निधि	इन मुख्य शीर्षो से संबंधित मदों के लिए ठ-700 और ठ-800 की भांति
L-920	Provident Fund	Same as for L-700 and L-800 for the items pertaining to these main heads

मांग सं. 14 -सार 'ड'/Demand No. 14 – Abstract 'M'
निधियों में विनियोग/Appropriation to Funds

ड-100 मूल्यह्रास आरक्षित निधियों का विनियोग

M-100 Appropriation to Depreciation Reserve Fund.

1. यदि रेलवे द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधियों का विनियोजन ब्यौरेवार शीर्षों के अधीन बुक किया जाता है, तो ई.एम.यू., कोचिंग और माल सेवाओं में उनका आबंटन निम्न प्रकार किया जाएगा :-

If the appropriation to Depreciation Reserve Fund is booked by the Railway under the detailed heads, their allocation to EMU, Coaching and Goods Services shall be done as indicated below :

लेखा शीर्ष Head of Account	ब्यौरे Particulars	वितरण का आधार Basis of distribution
1	2	3
ड-110	रेलपथ और निर्माण कार्य	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी.
M-110	Permanent Way and Works	GTKMs including weight of engine and departmental.
ड-120	**चालन शक्ति**	
M-120	**Motive Power**	
ड-121	भाप इंजन	इंजन घंटे (भाप)
M-121	Steam Locos	Engine Hours (Steam)
ड-122	डीजल इंजन	इंजन घंटे (डीज़ल)
M-122	Diesel Locos	Engine Hours (Diesel)
ड-123	बिजली इंजन	इंजन घंटे (बिजली)
M-123	Electric Locos	Engine Hours (Electric)
ड-124	i) रेल कार	कोचिंग
M-124	Rail Cars	Coaching
	ii) फैरी	छोड़ दिया गया
	Ferries	Omitted
ड-130	**सवारी एवं माल डिब्बे**	
M-130	**Carriage & Wagons**	
ड-131	सवारी डिब्बे	कोचिंग
M-131	Carriages	Coaching
ड-132	माल डिब्बे	माल
M-132	Wagons	Goods
ड-133	ई.एम.यू. डिब्बे	ई.एम.यू.
M-133	Electric Multiple Unit Coaches	E.M.U.
ड-134	बिजली सामान्य सेवाएं -गाड़ी में रोशनी की व्यवस्था, पंखे और वातानुकूलन	कोचिंग
M-134	Electric General Services - Train lighting, Fans and Air-conditioning	Coaching
ड-140	**संयंत्र एवं उपस्कर**	
M-140	**Plant and Equipment**	
ड-141	रेलपथ एवं निर्माण कार्य	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी.
M-141	Way and Works	GTKMs including weight of engine and departmental
ड-142	रेल इंजन विभाग	इंजन घंटे (भाप और डीज़ल)
M-142	Locomotive Department	Engine Hours (Steam & Diesel)
ड-143	सवारी एवं माल डिब्बा विभाग	चौपहिया के हिसाब से वाहन कि.मी./माल डिब्बा कि.मी.
M-143	Carriage & Wagon Department	Vehicle KMs/Wagon KMs in terms of four-wheelers.

1	2	3
ड–144	बिजली विभाग	इंजन घंटे (बिजली)
M-144	Electrical Department	Engine Hours (Electric)
ड–145	सिगनल व्यवस्था विभाग	गाड़ी किलोमीटर
M-145	Signalling Department	Train Kilometres
ड–146	दूर संचार विभाग	गाड़ी किलोमीटर
M-146	Telecommunication Department	Train Kilometres
ड–147	सामान्य और यातायात विभाग	गाड़ी किलोमीटर
M-147	General & Traffic Department	Train Kilometres
ड–150	**आवासीय और कल्याण भवन**	
M-150	**Residential & Welfare Buildings**	
ड–151	सिविल इंजीनियरी	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन किलोमीटर
M-151	Civil Engineering	Gross Tonne Kilometres including weight of engine
ड–152	बिजली इंजीनियरी	and departmental
M-152	Electrical Engineering	
ड–160	सिगनल और दूर संचार विभाग	गाड़ी किलोमीटर
M-160	Signal & Telecommunication Department	Train Kilometres

2. ड–110, ड–140 (ड–142 को छोड़कर) ड–150 और ड–160 के अधीन आबंटन संबंधित निष्पादन पहलुओं के आधार पर ई.एम.यू., ई.एम.यू. से भिन्न कोचिंग और माल सेवाओं में किया जाएगा. ड–120, ड–130 (ड–133 को छोड़कर) और ड–142 के अधीन आबंटन ई.एम.यू. में नहीं किया जाएगा.
The allocation under M-110, M-140 (except M-142), M-150 and M-160 shall be made to EMU, Coaching other than EMU and Goods Services based on the respective performance factors. No allocation under M-120, M-130 (except M-133) and M-142 shall be made to EMU Services.

3. यदि रेलवे द्वारा ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षों के अधीन मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग बुक नहीं किया जाता तो अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षित निधि को निकालने और विभिन्न सेवाओं अर्थात्, ई.एम.यू., ई.एम.यू. से भिन्न कोचिंग और माल में इसका वितरण करने की कार्य प्रणाली इस प्रकार होगी : –
If the appropriation to DRF is not booked by the Railway under the detailed heads mentioned in para 1 above, the methodology for working out the ADRF and its distribution to various services, viz, EMU, Coaching other than EMU and Goods is explained below : –
 क) पूंजी लेखा शीर्ष अनुबंध–1 में दिए गए अनुसार विभिन्न राजस्व सारों से सह–सम्बद्ध होंगे.
 a) The Capital Heads of Accounts shall be co-related to various revenue abstracts as given in Annexure-I.
 ख) आमानवार पृथक किए जाने के बाद रेलों में आबंटित मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग को विभिन्न ब्यौरेवार पूंजीगत शीर्षों में प्रभाजित किया जाएगा. जिस अनुपात के अनुसार इसका वितरण निकाला जाना है, वह अनुबंध–II में दिया गया है.
 b) The appropriation to Depreciation Reserve Fund allocated to the Railway after being segregated gauge-wise shall be apportioned to different detailed Capital heads. The ratio in which this distribution is to be worked out is as per proforma given in Annexure-II.

4. जिन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना है, वे इस प्रकार हैं : –
The main points to be taken note of are :–
 i) प्रारम्भिक व्यय और नष्ट न होने वाली परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और संरचनात्मक इंजीनियरी निमाणकार्य (निर्माण–मिट्टी का काम) के लिए ब्याज–देय पूंजी को शामिल नहीं किया जाएगा. सभी सारों के लिए समान ब्याज–देय पूंजी, समान और छोड़ी गई पूंजी निकाल कर कुल ब्याजदेय पूंजी में समान पूंजी के अनुपात के आधार पर सार के प्रत्येक शीर्ष को प्रभाजित की जाएगी.
 The Capital-at-charge for preliminary expenses and for non-wasting assets such as land and structural engineering works (formation–earth work) shall be excluded. Capital-at-charge, common to all abstracts shall be apportioned to each head of the abstract in the ratio as common capital bears to the total of the capital-at-charge excluding common and omitted capital.
 ii) अनुबंध–II के कालम 8 में दिए गए अनुसार परिसम्पत्तियों की प्रत्येक कोटि का जीवन, वार्षिक छीजन (मूल्यह्रास प्रभार) के मूल्यांकन के लिए लागू किया जाएगा.
 The average life of each category of assets as given in Column 8 of Annexure II shall be applied to assess the annual wastage (depreciation charge).
 iii) सीधी लाइन के आधार पर निकाले गए अनुसार, प्रत्येक सार के नीचे कालम 10 के अनुसार मूल्यह्रास का प्रतिशत प्रत्येक सार के नीचे मूल्यह्रास की रकम निकालने के लिए आमान–वार अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षित निधि पर लागू होगा और कालम 11 में दर्शाया जाएगा. लाइन 52 और 53

के लिए, जो किसी राजस्व सार से संबंधित नहीं है और लाइन 46 से 49 के लिए भी, जो सामान्य पूंजी से संबंधित है और पहले से ही अन्य शीर्षों में प्रभाजित की गई है, कोई मूल्यह्रास नहीं निकाला जाएगा.

Percentage of depreciation as per Column 10 under each Abstract as worked out on straight line basis shall be applied to gauge-wise ADRF to work out the amount of Depreciation under each Abstract and shown in Column 11. No depreciation is to be worked out for lines 52 and 53, which are not related to any revenue abstracts and also for lines 46 to 49 relating to common capital which is already apportioned to other heads.

iv) अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षित निधि की रकम कालम 15 में विनिर्दिष्ट वितरण कारकों के आधार पर विभिन्न सेवाओं अर्थात् ई.एम.यू., ई.एम.यू. से भिन्न कोचिंग और माल (कालम 12 से 14 तक) में वितरित की जाएगी. योजना शीर्ष 2150 (फैरी), 2170 (अन्य सड़क सेवाएं), 6100 (सड़क सेवाओं में निवेश) और 6200 (सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम में निवेश) शामिल नहीं किया जाएगा.

The amount of ADRF shall be distributed among various Services viz. EMU, Coaching other than EMU and Goods (Cols. 12 to 14) on the basis of distribution factors indicated in Col. 15. The amount worked out for Plan Head 2150 (ferries), 2170 (Others–Road Services), 6100 (Investment in Road Services) and 6200 (Investments in Public Undertakings) shall be excluded.

v) सार–वार मिलान दर्शाने वाला सारांश पत्र प्रोफार्मा के अन्त में दिया जाएगा. कुल ब्याज देय पूंजी मिलान पत्र के अन्त में दिए गए कुल जोड़ से मेल खाएगी.

Summary sheet showing abstract-wise tally shall be given at the end of the Proforma. Total Capital-at-charge shall agree with the grand total given at the end of tally sheet.

vi) ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षित निधि का माल/कोचिंग अंश निकाल लिए जाने पर छ–752, छ–754 और छ–742 के अधीन दर्शाए गए अनुसार नामे/जमा अंतिम आंकड़ों को निकालने के लिए ध्यान में रखा जाएगा.

After arriving at the Goods/Coaching share of ADRF as explained above, the debit/credit as reflected under G-752, G-754 and G-742 shall be taken cognisance of in arriving at the final figures.

ड–200 पेंशन निधि में विनियोग

M-200 Appropriation to Pension Fund

परिशिष्ट-II में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार ई.एम.यू. का हिस्सा निकाल दिया जाएगा. पेंशन निधि में शेष विनियोग, कोचिंग और माल सेवाओं के बीच परिशिष्ट-III में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार इन सेवाओं को यथा आबंटित सार क से ज, ञ, ट, ठ (700 से 800) के अंतर्गत मजदूरी के अनुपात में वितरित किया जाए.

Share of EMUs shall be excluded as per instructions contained in Appendix-II. The remaining appropriation to Pension Fund shall be distributed between Coaching and Goods Services in the ratio of wages under Abstracts A to H, J, K, L (700 to 800) as allocated to these Services as per instructions given in Appendix-III.

ड–300	**विकास निधि में विनियोग**	विभाजन अपेक्षित नहीं है
M-300	**Appropriation to Development Fund**	No division is required

सार 'ड' का अनुबंध-I/ANNEXURE-I TO ABSTRACT 'M'

पूंजी लेखा शीर्ष और राजस्व सारों के बीच सह-सम्बद्ध दर्शाने वाला विवरण
Statement Showing Co-relation Between Capital Head of Accounts and Revenue Abstracts

पूंजी लेखा शीर्ष Capital Heads of Accounts		ब्यौरे Particulars	राजस्व सार Revenue Abstract
1		2	3
योजना शीर्ष **Plan Heads**	**क्रियाकलाप** **Activities**		
11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32 33,34,35,36,42,51,53 और 64	10	प्रारम्भिक व्यय	ख
11,12,13,14,15,16,31,32 33,34,35,36,42,51,53 & 64	10	Preliminary Expenses	B
-वही-41,52	20	भूमि	ख
-Do-41, 52	20	Land	B
-वही-41,52	31	संरचनात्मक इंजीनियारी निर्माण कार्य-निर्माण मिट्टी का काम	ख
-Do-41, 52	31	Structural Engineering Works-Formation Earthwork	B
-वही-41,52	32	-वही-सुरंगे	ख
-Do-41, 52	32	-Do-Tunnels	B
-वही-41,52	40	-वही- रेलपथ	ख
-Do-41, 52	40	-Do-Permanent Way	B
-वही-41,52	50	-वही-पुल	ख
-Do-41, 52	50	-Do-Bridges	B
-वही-41,52	60 (65 और 66 को छोड़कर)	-वही-स्टेशन और भवन	ख
-Do-41, 52	60 (excluding 65 & 66)	-Do-Stations & Buildings	B
-वही-41,52	63	-वही-आवासीय भवन	ञ
-Do-41, 52	63	-Do-Residential Buildings	J
-वही-41,52	66	-वही-भवन और कर्मचारी कल्याण के संबंध में अन्य निर्माण कार्य	ञ
-Do-41, 52	66	-Do-Buildings and other works in connection with staff welfare	J
-वही-41	10	चिकित्सा और सफाई कार्य	ञ
-Do-41	10	Medical and Sanitation	J
-वही-52	10	चिकित्सा और सफाई कार्य	ञ
-Do-52	10	Medical and Sanitation	J
-वही-17	10	भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली	छ
-Do-17	10	Freight Operation Information System	G
-वही-17	20	यात्री आरक्षण प्रणाली	छ
-Do-17	20	Passenger Reservation System	G
-वही-17	30	अन्य कंप्यूटर और संबंधित उपस्कर	सभी सारों के लिए सर्व सामान्य
-Do-17	30	Other Computers and related equipments	Common to all abstracts
11,12,13,14,15,16,31,32,33, 34,35,36,41,42,51,52,53 और 64	70	उपस्कर, संयंत्र एवं मशीनरी	ङ
11, 12,13,14,15,16,31,32,33, 34,35,36,41,42,51,52,53 & 64	70	Equipment, Plant & Machinery	E
-वही-17	80	सामान्य प्रभार-स्थापना	सभी सारों के लिए सर्व सामान्य
-Do-17	80	General Charges - Establishment	Common to all abstracts

सार 'ड' का अनुबंध-I *(जारी)*/**Annexure-I to Abstract 'M'** *(Contd.)*

1		2	3
-वही-17	90	वही-स्थापना से भिन्न	सभी सारों के लिए सर्व सामान्य
-Do-17	90	Do-Other than Establishment	Common to all abstracts
	2000	**चल स्टॉक**	
	2000	**Rolling Stock**	
	2111	भाप इंजन	ग
	2111	Steam Locomotives	C
	2112	डीजल हाइड्रॉलिक और यांत्रिक इंजन	ग
	2112	Diesel Hydraulic & Mechanical Locomotives	C
	2113	डीजल बिजली इंजन	ग
	2113	Diesel Electric Locomotives	C
	2114	बिजली इंजन	ग
	2114	Electric Locomotives	C
	2115	रेल कार	ग
	2115	Rail Cars	C
	2116	कैपिटल स्पेयर्स -रेल इंजन	ग
	2116	Capital spares - Locos	C
	2117	कैपिटल स्पेयर्स -रेल कार	ग
	2117	Capital spares - Rail Cars	C
	2120	बॉयलर	ग
	2120	Boilers	C
	2130 (2133 छोड़कर)	सवारी डिब्बा	घ
	2130 (Except 2133)	Carriages	D
	2133	ई.एम.यू. डिब्बे	घ
	2133	EMU Coaches	D
	2117	कैपिटल स्पेयर्स-ई.एम.यू.	घ
	2117	Capital spares - EMU	D
	2140	माल डिब्बे	घ
	2140	Wagons	D
	2150	फैरी	ग (छोड़कर)
	2150	Ferries	C (excluded)
	2160	**रेल एवं सड़क सेवाएं**	
	2160	**Rail-cum-Road Services**	
	2161	कंटेनर	छ
	2161	Containers	G
	2162	कंटेनर फलैटस	छ
	2162	Container Flats	G
	2163	ट्रैक्टर	छ
	2163	Tractors	G
	2164	ट्रेलर	छ
	2164	Trailers	G
	2170	अन्य-सड़क मोटर कार और लारियां-जन यातायात के लिए	छ(निकाल दिया गया है)
	2170	Others-Road Motor Cars and Lorries - for Public Traffic	G (excluded)
	6100	सरकारी वाणिज्य उपक्रमों में निवेश-सड़क सेवाएं	छ(निकाल दिया गया है)
	6100	Investment in Government Commercial Undertakings-Road Services	G(excluded)
	6200	सरकारी वाणिज्य उपक्रमों में निवेश-सार्वजनिक उपक्रम	-वही-
	6200	Investment in Government Commercial Undertakings–Public undertakings	-do-

सार 'ड' का अनुबंध-I *(जारी)* **/ Annexure-I to Abstract 'M'** *(Contd.)*

1		2	3
	7100	भण्डार उचंत	सभी सारों के लिए सर्व सामान्य
	7100	Stores Suspense	Common to all Abstracts
	7200	विनिर्माण उचंत	–वही–
	7200	Manufacturing Suspense	-do-
	7300	विविध अग्रिम	–वही–
	7300	Miscellaneous Advances	-do-
	8000	महानगर परिवहन परियोजना	अलग लेखा बनाया जाएगा
	8000	Metropolitan Transport Project	Separate account is to be maintained

.....वर्ष
.....Year

.....आमान
.....Gauge

विभिन्न सेवाओं के मूल्यह्रास आरक्षित निधि के विनियोजन का अनुपयोग
Application of Appropriation to Depreciation Reserve Fund to Various Services

क्रम सं. Sl. No.	पूंजी व्यय के ब्यौरे Particulars of Capital Expenditure			ब्याज देय पूंजी Capital-at-Charge			परिसंपत्ति का औसत जीवन Average life of the Assets	सीधी लाइन पद्धति पर परिचालित मूल्यह्रास Depreciation worked out on straight line method		मूल्यह्रास आरक्षित निधि (कालम 10 के प्रतिशत के अनुसार पुनः कथित) में विनियोजन Appropriation to DRF restated as per % of Col.10	सेवाओं का आबंटन Allocation to Services			वितरण का आधार Basis of distribution
	योजना शीर्ष Plan Head	क्रियाकलाप Activity	ब्यौरा Description	सारों का आबंटन Allocation to the Abstracts	सामान्य पूंजी के शेयर Share of common Capital	कुल (5+6) Total (5+6)		रकम (कालम 7 ÷ कालम 8) Amount (Col 7÷ Col. 8)	कालम 9 के जोड़ प्रतिशत %age to total of Col 9		ईएमयू EMU	कोचिंग Chg.	माल Goods	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सार - ख **ABSTRACT– B**														
1.	11 से 16, 31 से 36, 42, 51, 53 और 64 11 to 16, 31 to 36, 42, 51, 53 and 64	10 10	प्रारम्भिक व्यय Preliminary expenses	छोड़ दिया जाए Omit										
2.	11 से 16, 31 से 36,41,42,51, 52, 53 और 64 11 to 16, 31 to 36, 41, 42 51, 52, 53 and 64	20 20	भूमि Land	छोड़ दिया जाए Omit										
3.	–वही– -do-	31 31	संरचनात्मक इंजीनियरी निर्माण कार्य, निर्माण-मिटटी का काम Structural Engineering works, formation-earth work	छोड़ दिया जाए Omit										
4.	–वही– -do-	32 32	–वही– सुरंगे -do- Tunnels				55 वर्ष 55 Yrs.							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs including weight of engine and departmental
5.	–वही– -do-	40 40	–वही– रेलपथ -do- Permanent Way				55 वर्ष 55 Yrs.							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs including weight of engine and departmental
6.	–वही– -do-	50 50	–वही– पुल -do- Bridges				55 वर्ष 55 Yrs.							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs including weight of engine and departmental

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	11 से 16, 31 से 36, 41, 42, 51, 53 और 64	60	–वही– स्टेशन और भवन				55 वर्ष							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी.
	11 to 16, 31 to 36, 41, 42, 51, 53 and 64	60	-do- Stations & Buildings (65 और 66 को छोड़कर) (excluding 65& 66)				55 Yrs.							GTKMs including weight of engine and departmental
8.	सार ख (मद 4 से 7) का जोड़ Total Abstract B (Items 4 to 7)													
सार - ग														
ABSTRACT– C														
9.	21	11	भाप इंजन				40 वर्ष							इंजन घंटे–भाप
	21	11	Steam Locos				40 Yrs							Engine Hours-Steam
10.	21	20	बॉयलर				20 वर्ष							इंजन घंटे–भाप
	21	20	Boilers				20 Yrs.							Engine Hours-Steam
11.	21	12	डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक इंजन				36 वर्ष							इंजन घंटे–डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक
	21	12	Diesel Hydraulic & Mechanical Locos				36 yrs.							Engine Hours-Diesel Hyd. & Mech.
12.	21	13	डीजल बिजली इंजन				36 वर्ष							इंजन घंटे–डीजल बिजली
	21	13	Diesel Electric Locos				36 Yrs.							Engine Hours-Diesel Electric
13.	21	14	बिजली इंजन				35 वर्ष							इंजन घंटे–बिजली
	21	14	Electric Locos				35 Yrs.							Engine Hours-Electric
14.	21	16	अतिरिक्त रेल इंजन				40 वर्ष							सभी कर्षणों के इंजन घंटे
	21	16	Spare-locos				40 Yrs.							Engine Hours of all tractions
15.	21	15	रेल कार				20 वर्ष							कोचिंग
	21	15	Rail Cars				20 Yrs.							Coaching
16.	21	17	कैपीटल स्पेयर्स–रेल कार				25 वर्ष							कोचिंग
	21	17	Capital Spares Rail Cars				25 Yrs.							Coaching
17.	सार ग (मद 9 से 16) का जोड़ Total Abstract C (Items 9 to 16)													
सार - घ														
ABSTRACT – D														
18.	21	30	सवारी डिब्बे (ई.एम.यू. को छोड़कर) (2133 को छोड़कर)				30 वर्ष							कोचिंग
	21	30	Carriages (except EMU) (Except 2133)				30 Yrs.							Coaching
19.	21	33	ई.एम.यू.				25 वर्ष							ई.एम.यू.
	21	33	EMUs				25 Yrs.							EMU
20.	21	17	कैपीटल स्पेयर्स–ई.एम.यू.				25 वर्ष							ई.एम.यू.
	21	17	Capital Spares-EMUs				25 Yrs							EMU
21.	21	40	माल डिब्बे				35 वर्ष							माल
	21	40	Wagons				35 Yrs.							Goods
22	सार घ (मद 18 से 21) का जोड़ Total Abstract D (Items 18 to 21)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सार-ङ														
ABSTRACT-E														
		70	**उपस्कर-संयंत्र एवं मशीनरी**											
		70	**Equipment-Plant & Machinery**											
23	11 से 16,31 से 36,41 42,51,52,53 और 64	71	ऊपरी पावर लाइन और कर्षण उपस्कर				40 वर्ष							गाड़ी किलोमीटर (बिजली)
	11 to 16, 31 to 36, 41, 42,51,52, 53 & 64	71	Overhead Power lines and traction equipment				40 Yrs.							Train Kms. (Elec.)
24.	-वही-	72	भूमिगत केबल				30 वर्ष							गाड़ी किलोमीटर
	-do-	72	Underground Cables				30 Yrs							Train Kms.
25.	-वही-	73	सभी सिगनल व्यवस्था और अन्तर्पाशन मशीनरी सहित बिजली टेलीग्राफ और गाड़ी नियंत्रण उपस्कर				25 वर्ष							गाड़ी किलोमीटर
	-do-	73	Electric telegraph and Train Control Equipment including all signalling and interlocking machinery				25 Yrs							Train Kms.
26.	-वही-	74	संयंत्र एवं उपस्कर-सिविल इंजीनियरी संयंत्र एवं उपस्कर-ट्रैक मशीन				55 वर्ष 15 वर्ष							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. -वही-
	-do-	74	Plant & equipment-Civil Engg. Plant & equipment-Track Machines				55 Yrs 15 Yrs							GTKMs incl. weight of engine & departmental -do-
27.	-वही-	75	संयंत्र एवं उपस्कर-(क) यांत्रिक इंजन				30 वर्ष							इंजन घंटे - भाप और डीजल
	-do-	75	Plant & equipment-(a) Mech. Locos				30 Yrs.							Engine Hours–Steam/Diesel
28.	-वही-	75	संयंत्र एवं उपस्कर-(ख) यांत्रिक सवारी एवं माल डिब्बा				30 वर्ष							वाहन कि.मी./माल डिब्बा कि.मी.चौपहिया में ब्रेक वैन को छोड़कर
	-do-	75	Plant & equipment-(b) Mech. C&W				30 Yrs.							VKMs/Wagon Kms. in 4-wheelers excl. brake vans
29.	-वही-	76	संयंत्र एवं उपस्कर-बिजली विभाग				25 वर्ष							गाड़ी किलोमीटर
	-do-	76	Plant & equipment-Elec. Department				25 Yrs.							Train Kms.
30.	-वही-	77	संयंत्र एवं उपस्कर-सिग. एवं दू.सं. विभाग				25 वर्ष							गाड़ी किमी०
	-do-	77	Plant & equipment-S&T Department				25 Yrs.							Train Kms.
31.	-वही-	78	संयंत्र एवं उपस्कर-विविध एवं कार्यालय उपस्कर				10 वर्ष							लाइन 23 से 30 के परिणामी अनुपात
	-do-	78	Plant & equipment-Misc. & Office Equipment				10 Yrs.							Resultant ratio of lines 23 to 30
32.	-वही-	79	संयंत्र एवं उपस्कर-रेलवे के सामान्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित मोटर वाहन और नावें लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं				10 वर्ष							लाइन 23 से 30 के परिणामी अनुपात Resultant ratio of lines 23 to 30
	-do-	79	Plant & equipment-Motor Vehicles & Boats required for general purpose of Rly but not for public				10 Yrs.							
33.	सार ङ· (मद 23 से 32) का जोड़ Total Abstract E (Items 23 to 32)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सार - छ														
ABSTRACT– G														
34.	17	10	माल भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली				20 वर्ष							माल
	17	10	Freight Operation Information System				20 Yrs.							Goods
35.	17	20	यात्री आरक्षण प्रणाली				20 वर्ष							कोचिंग
	17	20	Passenger Reservation System				20 Yrs.							Coaching
		60	रेल एवं सड़क सेवाएं											
		60	Rail and road Services											
36.	21	61	कंटेनर				35 वर्ष							माल
	21	61	Containers				35 Yrs							Goods
37.	21	62	कंटेनर, फ्लैट				35 वर्ष							माल
	21	62	Container flats				35 Yrs.							Goods
38.	21	63	ट्रैक्टर				10 वर्ष							माल
	21	63	Tractors				10 Yrs.							Goods
39.	21	64	ट्रेलर				10 वर्ष							माल
	21	64	Trailers				10 Yrs.							Goods
40.	सार छ (मद 34 से 39) का जोड़													
	Total Abstract G (Items 34 to 39)													
सार - ञ														
ABSTRACT– J														
41.	11 से 16, 31 से 36, 41, 42, 51 से 53 और 64	65	आवासीय भवन				55 वर्ष							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि०मी० GTKMs including weight of engine and Departmental
	11 to 16, 31 to 36, 41, 42, 51 to 53 and 64	65	Residential Buildings				55 Yrs							
42.	–वही–	66	कर्मचारी कल्याण के लिए भवन और अन्य निर्माण कार्य				55 वर्ष							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि०मी०
	-do -	66	Buildings & other works for staff welfare				55 Yrs.							GTKMs including weight of engine and Departmental
43.	41, 52	10	चिकित्सा एवं सफाई				10 वर्ष							इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि०मी०
	41, 52	10	Medical & Sanitation				10 Yrs.							GTKMs including weight of engine and Departmental
44.	सार ञ (मद 41 से 43 का जोड़)													
	Total Abstract 'J' (Items 41 to 43)													
45.	सार ख, ग,घ,ङ, छ और ञ के अन्तर्गत जोड (लाइनें 8+17+22+33+40+44)													
	Total under Abstracts B, C, D, E, G & J. (Lines 8+17+22+33+40+44)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		30	**सभी सारों के लिए सर्व सामान्य**											
		30	**Common to all Abstracts**											
46.	17	17	अन्य कंप्यूटर एवं संबंधित उपस्कर											
	17	17	Other Computer & related equipment											
47.	11 से 17, 31 से 36 41,42, 51 से 53 और 64	80व90	सामान्य प्रभार-स्थापना और अन्य											
	11 to 17, 31 to 36, 41, 42 51 to 53 and 64	80&90	General Charges-Estt. and others											
48	71, 72 और 73	सभी क्रियाकलाप	भंडार उचंत, विनिर्माण उचंत और विविध अग्रिम											
	71, 72 & 73	All activities	Stores suspense, Manufacturing suspense & Misc. Advances											
49.	सभी सारों (मद 46 से 48) का सर्व-सामान्य जोड़ **ब्याज देय पूंजी रहित** Total common to All Abstracts (Items 46 to 48) **Capital-at-Charge excluded**													
50.	21	50	फैरियां (सार ग)											
	21	50	Ferries (Abstract C)											
51.	21	70	अन्य-सड़क (सार छ)											
	21	70	Others-Road (Abstract G)											
52.	61	सभी क्रियाकलाप	सड़क सेवाओं में निवेश	किसी भी राजस्व सार से संबंधित नहीं										
	61	All activities	Investment in Road Services	Not related to any revenue abstract										
53.	62	सभी क्रियाकलाप	सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश											
	62	All activities	Investment in Public Undertakings											
54.	कुल (लाइन 50 से 53 तक) Total (Lines 50 to 53)													
55.	सकल जोड़ (लाइन 45+49+54) Grand Total (Lines 45+49+54)													

सार-वार मिलान तालिका का सारांश
Summary of Abstract-wise Tally Sheet

ब्याज-देय पूंजी	सर्व सामान्य पूंजी का हिस्सा	कुल ब्याज देय पूंजी	सीधी लाइन पद्धति पर मूल्यह्रास	कुल में प्रतिशत	अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षित निधि	ई.एम.यू.	ई.एम.यू. को छोड़कर कोचिंग	माल
Capital-at-charge	Share of Common Capital	Total Capital-at-charge	Depreciation on SLM	%age to total	ADRF	EMU	Coaching other than EMU	Goods
सार ख Abstract B								
सार ग Abstract C								
सार घ Abstract D								
सार ङ Abstract E								
सार छ Abstract G								
सार ञ Abstract J								
सभी सारों का जोड़ Total all abstracts								
छोड़े जाने वाले कुल मद Total excluded items								
कुल जोड़ Grand Total								

ब्याज-देय पूंजी पर ब्याज प्रभार

अनुदेश

1. विभिन्न शीर्षों के अधीन सामान्य राजस्वों को वार्षिक ब्याज के भुगतान का परिकलन करने के लिए ब्याज-देय पूंजी सार-ड से संलग्न अनुबंध-I में दर्शाए गए अनुसार राजस्व सारों से सह-संबद्ध होगी.
2. ब्याज का परिकलन करने के लिए कार्य पत्र सम्बद्ध अनुबंध के अनुसार बनाया जाएगा.
3. चालू वर्ष की ब्याज-देय पूंजी का आधा भाग ब्याज का परिकलन करने के लिए लिया जाएगा.
4. ब्याज की दर समय-समय पर रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी.
5. इस प्रकार परिकलित किया गया ब्याज सार ड के अनुबंध-II में अतिरिक्त मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अधीन रकम के आबंटन के लिए प्रयुक्त आधार पर विभिन्न सेवाओं अर्थात ई.एम.यू., ई.एम.यू. गाड़ियों से भिन्न कोचिंग और माल में आबंटित किया जाएगा.
6. लाइन 50 से 54 के लिए कोई दर परिकलित नहीं की जाएगी जो कि छोड़ी गई पूंजी है और लाइन 46 से 49 जो कि सामान्य पूंजी है और कालम 6, 9 और 11 के अधीन पहले से शामिल है.

Interest charges on Capital-at-charge

Instructions

1. The Capital-at-charge for the purpose of calculating annual interest payments to General Revenues under various heads shall be co-related to the Revenue Abstracts as shown in Annexure-I attached to Abstract M.
2. The working sheet for calculation of interest shall be made out as per Annexure attached.
3. Half of the Capital-at-charge for the current year shall be taken for the purpose of calculation of interest
4. The rate of interest shall be determined as per the recommendation of Railway Convention Committee from time to time.
5. The interest so calculated shall be allocated to various services viz. EMU, Coaching other than EMU and goods on the same basis as used for allocation of amount under ADRF in Annexure-II to Abstract M.
6. No interest shall be calculated for lines 50 to 54 which is the excluded Capital and lines 46 to 49 which is the common Capital and already included under columns 6, 9 and 11.

अनुदेशों के पैरा 2 के अनुसार अनुबंध

Annexure vide para 2 of the instructions

.....रेलवे/Railway

.....वर्ष

.....Year

.....आमान

.....Gauge

विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारित ब्याज के आबंटन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

Statement Showing Details of Allocation of Interest Charges to Various Services

पूंजी व्यय का ब्यौरा Particulars of Capital Expenditure				31-03-1980 तक ब्याजदेय पूंजी Capital-at-charge upto 31.03.1980			01-04-1980 के पश्चात् ब्याजदेय पूंजी Capital-at-charge after 1.4.1980								सेवा के आधार पर आबंटन Allocation to Service			वितरण का आधार Basis of distribution
				आबंटित	सामान्य पूंजी के शेयर सहित कुल पूंजी	ब्याज @	पिछले वर्ष तक Upto the previous year		चालू वर्ष के लिए For the current year		कॉलम 11 का 50%	चालू वर्ष तक कुल प्रभारित पूंजी (कॉलम 9+12)	कॉलम 13 का @.....दर से ब्याज	कुल ब्याज (कॉलम 7+14)				
							आबंटित	सामान्य पूंजी के शेयर सहित कुल पूंजी	आबंटित	सामान्य पूंजी के शेयर सहित कुल पूंजी					ई.एम.यू.	कोचिंग	माल	
क्रम सं. S. No.	योजना शीर्ष Plan Head	क्रियाकलाप Activity	विवरण Description	Allocated	Total incl. share of common capital	Interest @	Allocated	Total incl. share of common capital	Allocated	Total incl. share of common capital	50% of Col. 11	Total Capital at charge upto current year (Col. 9+12)	Interest @..... of Col. 13	Total interest (Cols. 7+14)	EMU	Coaching	Goods	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**सार - ख** **ABSTRACT–B**																	
	11 से 16, 31 से 36,42,51, 53 और 64 11 to 16, 31 to 36, 42, 51, 53 and 64	10	प्रारंभिक व्यय Preliminary expenses															
2.	11 से 16, 31 से 36, 41, 42,51,52,53 और 64 11 to 16, 31 to 36 41, 42, 51, 52, 53 & 64	20	भूमि Land															इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन किलोमीटर GTKMs including weight of engine and departmental
3.	-उपर्युक्त- -do-	31	संरचनात्मक इंजीनियरी निर्माण कार्य, निर्माण-मिट्टी का काम Structural Engineering Works, formation-Earth work															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

4.	–उपर्युक्त–	32	संरचनात्मक इंजीनियरी निर्माण कार्य- सुरंगे	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन किलोमीटर
	-do-	32	Structural Engineering Works-Tunnels	GTKMs including weight of engine and departmental
5.	–उपर्युक्त–	40	संरचनात्मक इंजीनियरी निर्माण कार्य- रेलपथ	
	-do-	40	Structural Engineering Works-Permanent way	
6.	–उपर्युक्त–	50	संरचनात्मक इंजीनियरी निर्माण कार्य-पुल	
	-do-	50	Structural Engineering Works-Bridges	
7.	–उपर्युक्त– (65 और 66 को छोड़कर)	60	संरचनात्मक इंजीनियरी निर्माण कार्य -स्टेशन और भवन	
	-do- (excl. 65 & 66)	60	Structural Engineering Works -Stations and Buildings	

8. **सार ख (मद 4 से 7) का जोड़**
Total Abstract B (items 4 to 7)

सार - ग
ABSTRACT – C

9.	21	11	भाप इंजन	इंजन घंटे-भाप
	21	11	Steam Locos	Engine Hours-Steam
10.	21	20	बॉयलर	इंजन घंटे-भाप
	21	20	Boilers	Engine Hours-Steam
11.	21	12	डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक इंजन	इंजन घंटे- डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक
	21	12	Diesel Hydraulic & Mech. locos	Engine Hours-Diesel Hyd. and Mech
12.	21	13	डीजल बिजली इंजन	इंजन घंटे-डीजल बिजली
	21	13	Diesel Electric Locos	Engine Hours-Diesel Electric
13.	21	14	बिजली इंजन	इंजन घंटे-बिजली
	21	14	Electric Locos	Engine Hours- Electric

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

14.	21	16	अतिरिक्त रेल इंजन	सभी कर्षणों के इंजन घण्टे
	21	16	Spare Locos	Engine Hours of all tractions
15.	21	15	रेल कार	कोचिंग
	21	15	Rail Cars	Coaching
16.	21	17	कैपिटल स्पेयर्स–रेल कार	कोचिंग
	21	17	Capital Spares–Rail Cars	Coaching

17. **सार ग (मद 9 से 16) का जोड़**
Total Abstract C (Items 9 to 16)

सार - घ
ABSTRACT– D

18.	21	30	सवारी डिब्बे (ई.एम.यू को छोड़कर) (2133 को छोड़कर)	कोचिंग Coaching
	21	30	Carriages (except EMU) (Except 2133)	
19.	21	33	ई.एम.यू.	ई.एम.यू.
	21	33	EMUs	EMU
20.	21	17	कैपीटल स्पेयर्स–ई.एम.यू.	ई.एम.यू.
	21	17	Capital Spares - EMUs	EMU
21.	21	40	माल डिब्बे	माल
	21	40	Wagons	Goods

22. **सार घ (मद 18 से 21) का जोड़**
Total Abstract D (Items 18 to 21)

सार - ङ
ABSTRACT– E

		70	**उपस्कर-संयंत्र एवं मशीनरी**	
		70	**Equipment-Plant & Machinery**	
23.	11 से 16, 31 से 36, 41,42,51,52, 53 और 64	71	ऊपरी पावर लाइनें और कर्षण उपस्कर	गाड़ी कि.मी. Train KMs.
	11 to 16, 31 to 36, 41, 42, 51, 52, 53 and 64	71	Overhead Power Lines & traction equipment	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	11 से 16,31 से 36, 41, 42,51, 52, 53 और 64 11 to 16, 31 to 36, 41,42, 51, 52,53 and 64		72 भूमिगत केबल 72 Underground cables															गाड़ी कि.मी. Train KMs.
25.	-उपर्युक्त- -do-		73 सभी सिगनल व्यवस्था और अन्तर्पाशन मशीनरी सहित बिजली टेलीग्राफ और गाड़ी नियंत्रण उपस्कर 73 Electric telegraph and Train Control equipment including all signalling and interlocking machinery.															गाड़ी कि०मी० Train KMs.
26.	-उपर्युक्त- -do-		74 संयंत्र एवं उपस्कर-सिविल इंजीनियरी 74 Plant & Equipment-Civil Engg.															इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs incl. weight of engine & departmental
27.	-उपर्युक्त- -do-		75 संयंत्र एवं उपस्कर-(क) यांत्रिक विभाग इंजन 75 Plant & Equipment-(a) Mech. Deptt. Locos															इंजन घण्टे-भाप और डीजल Engine Hours-Steam & Diesel
28.	-उपर्युक्त- -do-		75 संयंत्र एवं उपस्कर-(ख) यांत्रिक- सवारी एवं माल डिब्बा 75 Plant & Equipment-(b) Mech. - C&W															वाहन कि.मी./माल डिब्बा कि.मी. चौपहिया में, ब्रेक यान को छोड़कर VKMs/Wagon KMs in 4-wheelers excl. brake vans
29.	-उपर्युक्त- -do-		76 संयंत्र एवं उपस्कर-बिजली विभाग 76 Plant & Equipment-Elect. Department															इंजन घण्टे-बिजली Train Hours -Elect.
30.	-उपर्युक्त- -do-		77 संयंत्र एवं उपस्कर-सिगनल एवं दूरसंचार विभाग 77 Plant & Equipment-S&T Department															गाड़ी कि०मी० Train Kms.
31.	-उपर्युक्त- -do-		78 संयंत्र एवं उपस्कर-विविध एवं कार्यालय उपस्कर 78 Plant & Equipment-Misc & Office Equipment															लाइन 23 से 30 के परिणामी अनुपात Resultant ratio of lines 23 to 30
32.	-उपर्युक्त- -do-		79 संयंत्र एवं उपस्कर-रेलवे के सामान्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित मोटर वाहन और नावें लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं 79 Plant & Equipment-Motor Vehicles & Boats required for general purpose of Rly. but not for public															लाइन 23 से 30 के परिणामी अनुपात Resultant ratio of lines 23 to 30
33.	**सार ड (मद 23 से 32) का जोड़** **Total Abstract E (Items 23 to 32)**																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

सार -छ
ABSTRACT – G

34.	17	10	माल भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली	माल
	17	10	Freight operation information system	Goods
35.	17	20	यात्री आरक्षण प्रणाली	कोचिंग
	17	20	Passenger Reservation System	Coaching
		60	**रेल एवं सड़क सेवाएं**	
		60	**Rail and Road Services**	
36.	21	61	कंटेनर	माल
	21	61	Containers	Goods
37.	21	62	कंटेनर, फ्लैट	माल
	21	62	Container flats	Goods
38	21	63	ट्रैक्टर	माल
	21	63	Tractors	Goods
39.	21	64	ट्रेलर	माल
	21	64	Trailers	Goods

40. **सार छ (मद 34 से 39) का जोड़**
Total Abstract 'G' (Items 34 to 39)

सार - ञ
ABSTRACT– J

41.	11 से 16, 31 से 36,41,42 51, 52,53 और 64	65	आवासीय भवन	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs including weight of engine and departmental
	11 to 16, 31 to 36, 41,42, 51, 52, 53 & 64	65	Residential Buildings	
42.	-उपर्युक्त-	66	कर्मचारी कल्याण के लिए भवन और अन्य निर्माण कार्य	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs including weight of engine and departmental
	-do-	66	Buildings and other works for staff welfare	
43.	41,52	10	चिकित्सा एवं सफाई	इंजन और विभागीय के वजन सहित सकल टन कि.मी. GTKMs including weight of engine and departmental
	41, 52	10	Medical & Sanitation	

44. **सार ञ (मद 41 से 43 का जोड़)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Total Abstract 'J' (Items 41 to 43)

45. **सार ख,ग,घ,ङ,छ और ञ के अन्तर्गत जोड़**
(लाइने 8+17+22+33+40+44)
Total under Abstracts B, C, D, E, G & J
(lines 8+17+22+33+40+44)

30 **सभी सारों के लिए सर्व सामान्य**
30 **Common to all Abstracts**

46. 17 — अन्य कम्प्यूटर एवं संबंधित उपस्कर
17 — Other Computer & related equipments

47. 11 से 17,31 से 36,41,42 51 से 53 और 64 — 80 व 90 — सामान्य प्रभार–स्थापना और अन्य
11 to 17, 31 to 36, 41, 42 51 to 53 and 64 — 80&90 — General Charges-Estt. and others

48. 71,72 और 73 — सभी क्रियाकलाप — भंडार उचंत, विनिर्माण उचंत और विविध अग्रिम
71,72 & 73 — All activities — Stores suspense, Manufacturing suspense & Misc. Advances

49. सभी सारों (मद 46 से 48) का सर्व-सामान्य जोड़
Total common to All Abstracts (Items 46 to 48)
ब्याजदेय पूंजी रहित
Capital-at-Charge Excluded

50. 21 — 50 — फैरियां (सार ग)
21 — 50 — Ferries (Abstract C)

51. 21 — 70 — अन्य सड़क (सार छ)
21 — 70 — Others-Road (Abstract G)

52. 61 — सभी क्रियाकलाप — सड़क सेवाओं में निवेश — किसी भी राजस्व सार से संबंधित नहीं
61 — All activities — Investment in Road Services — Not related to any revenue abstract

53. 62 — सभी क्रियाकलाप — सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश
62 — All activites — Investment in Public Undertakings

54. कुल (लाइने 50 से 53 तक)
Total (Lines 50 to 53)

55. कुल जोड़ (लाइनें 45+49+54)
Grand Total (Lines 45+49+54)

टिप्पणी : कालम 7 व 14 में ब्याज का परिकलन रेल अभिसमय समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा.
Note : Cols 7 and 14 : Interest shall be calculated at the rates prescribed by the Railway Convention Committee from time to time.

सार-वार मिलान शीट का सारांश
Summary of Abstract-wise Tally Sheet

1980 से पूर्व Pre 1980		1980 के बाद Post 1980					जोड़ Total	ई०एम०यू० E.M.U.	कोचिंग Coaching	माल Goods
कॉलम Col. 6	कॉलम Col. 7	कॉलम Col. 9	कॉलम Col. 11	कॉलम Col. 12	कॉलम Col. 13	कॉलम Col. 14	कॉलम Col. 15	कॉलम Col. 16	कॉलम Col. 17	कॉलम Col. 18

सार - ख
Abstract – B
सार - ग
Abstract – C
सार - घ
Abstract – D
सार - ङ
Abstract – E
सार - छ
Abstract – G
सार - ञ
Abstract – J

सभी सारों का जोड़ :
Total all abstracts :
छोड़े जाने वाले कुल मद :
Total excluded items :
कुल जोड़ :
Grand Total :

.....रेलवे/Railway

विवरण - 16
Statement-16

वर्ष..... के लिए टन किलोमीटर
Tonne Kilometrage for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन (000 में आंकड़े)
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge
(Figures in 000s)

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/ Electric		सभी कर्षणों का जोड़ Total all tractions
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक एवं यांत्रिक Hyd. & Mech.	जोड़ Total	ए.सी. A.C.	डी.सी. D.C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.01	विभागीय मालडिब्बों तथा गिट्टी गाड़ियों में ढोए जा रहे यातायात को छोड़कर शुद्ध या भाड़ा टन किलोमीटर (माल तथा मिश्रित का अनुपात) Net or freight tonne kilometres (goods and proportion of mixed) excluding traffic carried in departmental wagons & ballast trains							
16.02	सकल टन किलोमीटर (विभागीय और इंजन के भार को छोड़कर) Gross tonne kilometres (excluding weight of engine and departmental) (i) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात Passenger and proportion of mixed (ii) माल तथा मिश्रित का अनुपात Goods and proportion of mixed							
16.03	सकल टन किलोमीटर (इंजन के भार को शामिल करके परंतु विभागीय को छोड़कर) Gross tonne kilometres (including weight of engine but excluding departmental) (i) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात Passenger and proportion of mixed (ii) माल तथा मिश्रित का अनुपात Goods and proportion of mixed							
16.04	सकल टन किलोमीटर (इंजन तथा विभागीय के भार को शामिल करके)- Gross tonne kilometres (including weight of engine and departmental) (i) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात Passenger and proportion of mixed (ii) माल तथा मिश्रित का अनुपात Goods and proportion of mixed							

इस विवरण में पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 16 - टन किलोमीटर विवरण

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष को 31 अगस्त तक पहुँच जाएं.
2. इस विवरण में पिछले और चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं. आंकड़े आमान-वार प्रस्तुत किए जाएं.
3. आंकड़े निकटतम हजार में पूर्णांकित किए जाएं.
4. विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों के लिए आंकड़े नीचे दिए अनुसार विभिन्न कॉलमों में अलग से दर्शाए जाएं -

भाप	डीजल			बिजली		सभी
	बिजली	हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक	जोड़	ए.सी.	डी.सी.	कर्षणों का जोड़

5. शुद्ध टन किलोमीटर के कर्षण-वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक दस्तावेजों के आधार पर परिकलित कुल आंकड़े मार्च के मासिक विवरण 3-क में यथा उपलब्ध संबंधित कर्षणों के लिए गाड़ी दस्तावेजों से प्राप्त संचयी आंकड़ों के अनुपात में भाप, डीजल और बिजली सेवाओं को संविभाजित किए जाएं.
6. उपनगरीय खंडों तथा अनुपनगरीय खंडों पर विद्युतीकृत बहुल इकाईयों (ई.एम.यू.) से संबंधित आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए जाएं. इन सेवाओं की किलोमीटर दूरी वार्षिक विवरण 32 में दिखाए जाएं। बहरहाल, उपनगरीय साथ ही साथ अनुपनगरीय खंडों पर पुश एवं पुल प्रणाली पर बिजली रेल इंजन द्वारा कर्षित गाड़ियों से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाएंगे और इन्हें फुट नोट में अलग से दिखाए जाएंगे. रेल कारों / बसों से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाएंगे.
7. मद 16.01 के आंकड़े विभागीय माल डिब्बे और गिट्टी गाड़ियों में ढोए गए शुद्ध टन किलोमीटर यातायात (मासिक विवरण 7-ग की मद 10.03+10.04+10.05 के संबंध में संचयी आंकड़े) को घटा कर राजस्व अर्जन और गैर-राजस्व यातायात के (संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिए मासिक विवरण 7-ग में मद 12.00 के संबंध में संचयी आंकड़े) शुद्ध टन किलोमीटर को दर्शाएंगे.
8. मद 16.02(i) - सार्वजनिक कोचिंग यातायात के शुद्ध टन किलोमीटर, सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम-1 की मासिक विवरण 3-क की मद 1.05 के अंतर्गत टिप्पणी (ii) के अनुसार प्राप्त आंकड़ों और वार्षिक विवरण 19(क) की मद 19 (क) .03(iv) के अंर्तगत शामिल किए गए वाहनों के टेयर टन किलोमीटरों और सार्वजनिक यातायात यात्री सेवा पर गाड़ियों या अकेले इंजनों के साथ चलाए गए ब्रेकयानों के टेयर टन किलोमीटरों तथा सार्वजनिक यातायात मिश्रित सेवा पर गाड़ियों या अकेले इंजनों के साथ चलाए गए ब्रेकयानों के यात्री अनुपात के टेयर टन किलोमीटरों और वार्षिक विवरण 33 के मद 33.03 (ग) में यथा

Statment-16 of Tonne Kilometrage

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.
2. In this statement, the figures for the previous and current years are to be given. The figures shall be furnished by gauges.
3. The figures shall be rounded off to the nearest thousand.
4. The figures for the various types of locomotives shall be shown separately in different columns as follows-

Steam	Diesel			Electric		Total all tractions
	Electric	Hyd. & Mech.	Total	A.C.	D.C.	

5. For arriving at traction-wise figures of net tonne kilometres, the total figures computed on the basis of the commercial documents shall be apportioned to steam, diesel and electric services in the ratio of the cumulative figures derived from train documents for the respective tractions as available in the Monthly Statement 3-A for March.
6. The figures relating to Electric Multiple Units trains irrespective of their running over suburban and non-suburban sections shall not be included in this statement. The kilometrage of these services shall be shown in Annual Statement 32. The figures relating to trains running over suburban as well as non-suburban sections and hauled by electric locomotives on Push and Pull system shall, however be included and also shown separately in a foot note. The figures relating to Rail Car/Rail Bus shall be included.
7. Item 16.01– The figures shall represent net tonne kilometres of revenue-earning and non-revenue traffic (cumulative figure against item 12.00 in the Monthly Statement 7-C for March of the year concerned) less net tonne kilometres of traffic carried in departmental wagons and ballast trains (cumulative figures against item 10.03 + 10.04+10.05 of Monthly Statement 7-C.
8. Item 16.02 (i) - Net tonne kilometres of public coaching traffic worked out in accordance with note (ii) under item 1.05 of the Monthly Statement 3-A in the Manual of Statistical Instructions, Volume-1+ tare tonne kilometres of vehicles included under item 19(a).03(iv) of Annual Statement 19(a) + tare tonne kilometres of brake vans run on public traffic passenger service, whether on trains or with light engines + tare tonne kilometres of passenger proportion of brake van kilometres run on public traffic mixed service,

सम्मिलित रेल कारों व ट्रेलर सवारी डिब्बों के टेयर टन किलोमीटरों को जोड़कर निकाले जाएंगे.

9. मद 16.02 (ii) – मद 16.01 और वार्षिक विवरण 19(क) की मद 19(क)0.6(ii) के अंतर्गत शामिल किए गए मालडिब्बों के टेयर टन किलोमीटरों और सार्वजनिक यातायात माल सेवा गाड़ियों या अकेले इंजनों के साथ चलाए गए ब्रेक यानों के टेयर टन किलोमीटरों और सार्वजनिक यातायात मिश्रित सेवा पर गाड़ियों या अकेले इंजनों के साथ चलाए गए ब्रेक यान के माल अनुपात के टेयर टन किलोमीटरों का जोड़ है.

10. मद 16.03(i) – मद 16.02 (i) तथा वार्षिक विवरण 17 की मद 17.04 और 17.09 (घ) के अतंर्गत शामिल किए गए तथा सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम–I के मासिक विवरण 3–क की मद 1.02 के अंतर्गत नोट–1 के अनुसार परिकलित इंजन किलोमीटरों से संबंधित टेयर टन किलोमीटरों का जोड़ है.

11. मद 16.03(ii) – मद 16.02(ii) तथा वार्षिक विवरण 17 की मद 17.05 और 17.09(ड),(च) एवं (छ) के अंतर्गत शामिल किए गए तथा सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम–I के मासिक विवरण 3–क की मद 1.02 के अंतर्गत नोट 1 के अनुसार परिकलित इंजन किलोमीटरों से संबंधित टेयर टन किलोमीटरों का जोड़ है.

12. मद 16.04(i) और 16.04 (ii) – इन मदों के आंकड़े, सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम–I में दिए गए मासिक विवरण 3–क की मदों क्रमश: 1.05 और 1.04 के लिए जारी अनुदेशों के अनुसार निकाले जाएंगे. इस विवरण के प्रयोजनार्थ वाणिज्यक प्राप्तियों पर आधारित शुद्ध टन किलोमीटरों को ही रखा जाएगा.

13. जहां किसी मद की गणना के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हों, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम–I में दिए गए मासिक विवरण की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

whether on trains or with light engines + tare tonne kilometres of rail cars and trailer coaches as included in item 33.03(c) of Annual Statement 33.

9. Item 16.02 (ii) - Item 16.01 + tare tonne kilometres of wagons included under item 19(a).06(ii) of Annual Statement 19(a) + tare tonne kilometres of brake vans run on public traffic goods service, whether on trains or with light engines + tare tonne kilometres of goods proportion of brake van kilometres run on public traffic mixed service, whether on trains or with light engines.

10. Item 16.03(i) - Item16.02(i) + tare tonne kilometres of engines relating to engine kilometres included under items 17.04 and 17.09(d) of Annual Statement 17 and calculated in accordance with note I under item 1.02 of the Monthly Statement 3-A in Manual of Statistical Instuctions, Volume-I.

11. Item 16.03(ii) - Item 16.02(ii) + tare tonne kilometres of engines relating to engine kilometres included under items 17.05 and 17.09 (e), (f) and (g) of Annual Statement 17 and calculated in accordance with note I under item 1.02 of Monthly Statement 3-A in Manual of Statistical Instructions, Volume-I.

12. Item 16.04(i) and 16.04 (ii) - The figures for these items shall be worked out in accordance with the instructions for items 1.05 and 1.04 respectively of Monthly Statement 3-A as given in Manual of Statistical Instructions, Volume-I. Net tonne kilometres based on commercial returns should be adopted for the purpose of this statement.

13. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of monthly statement, as given in Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

विवरण–17 **.....रेलवे/Railway**

Statement-17

वर्ष के लिए गाड़ी तथा इंजन किलोमीटर
Train and Engine Kilometrage for the Year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
BG/MG/NG
(आंकड़े हजारों में)
(Figures in thousands)

मद Item	व्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली /Electric		जोड़
			बिजली Electric	हाइड्रॉलिक तथा यांत्रिक Hydraulic and Mechanical	जोड़ Total	एसी A.C.	डीसी D.C.	सभी कर्षण Total all Tractions
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गाड़ी किलो मीटर –
Train Kilometres –

17.01 यात्री
Passenger

17.02 माल
Goods

17.03 मिश्रित –
Mixed –
क. यात्री अनुपात
a) Passenger proportion
ख. माल अनुपात
b) Goods proportion
ग. जोड़
c) Total

17.04 यात्री तथा मिश्रित का अनुपात
Passenger & proportion of mixed.

17.05 माल तथा मिश्रित का अनुपात
Goods and proportion of mixed

17.06 जोड़ (मद 17.04+17.05)
Total (Items 17.04+17.05)

17.07 विभागीय –
Departmental –
क. यात्री
(a) Passenger
ख. मिश्रित
(b) Mixed
(i) यात्री अनुपात
Passenger proportion
(ii) माल अनुपात
Good proportion
ग. माल
(c) Goods
घ. जोड़ (मद 17.07 (क) +17.07(ख)+17.07(ग))
(d) Total (Items 17.07(a)+17.07(b)+17.07(c))

विवरण–17 *(जारी)*
Statement-17 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17.08	शंटिंग किलोमीटर Shunting kilometres– यात्री तथा मिश्रित का अनुपात Passenger and proportion of mixed– क. शंटिंग इंजन (a) Shunting engines ख. गाड़ी इंजन (b) Train engines ग. जोड़ (c) Total माल तथा मिश्रित का अनुपात Goods and proportion of mixed– घ. शंटिंग इंजन (d) Shunting engines ङ. गाड़ी इंजन (e) Train engines च. जोड़ (f) Total								
17.09	अन्य इंजन किलोमीटर Other engine kilometres– यात्री तथा मिश्रित का अनुपात Passenger and proportion of mixed– क. अपेक्षित सहायता (a) Assisting required ख. अनपेक्षित सहायता (b) Assisting not required ग. खाली (c) Light घ. जोड़ (मद 17.09 (क) से 17.09 (ग) (d) Total [Items 17.09(a) to 17.09(c)] माल तथा मिश्रित का अनुपात– Goods and proportion of mixed– ङ. अपेक्षित सहायता (e) Assisting required च. अनपेक्षित सहायता (f) Assisting not required छ. खाली (g) Light ज. साइडिंग (h) Siding झ. जोड़ (मद 17.09 (ङ) से 17.09 (ज) (i) Total [Items 17.09(e) to 17.09(h)]								

विवरण–17 *(समाप्त)*

Statement-17 *(Concld.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9

17.10 विभागीय शंटिंग सहित–
Departmental (including shunting) –
क. यात्री
(a) Passenger
ख. मिश्रित
(b) Mixed
(i) यात्री अनुपात
Passenger proportion
(ii) माल अनुपात
Goods proportion
ग. माल इंजीनियरी
(c) Goods-Engineering
घ. कुल माल
(d) Total Goods

17.11 कुल इंजन किलोमीटर–
Total engine kilometres–
क. यातायात इंजन किलोमीटर
(a) Traffic engine kilometres–
(i) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात
Passenger and proportion of mixed.
(ii)माल तथा मिश्रित का अनुपात
Goods and proportion of mixed.
ख. विभागीय इंजन
किलोमीटर मद 17.07 (घ)+
17.10 (क), (ख) तथा (घ)
(b) Departmental engine
Kilometres [Items 17.07(d)+17.10(a), (b) and (d)]
ग. जोड़ (विभागीय सहित)
(c) Total (including departmental)
(मद 17.11 (क)(i)+17.11(क)(ii) 17.11(ख)
[Items 17.11(a) (i)+17.11(a)(ii)+ 17.11(b)]

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, figures for previous and current years are to be given.

अनुबंध/Annexure

.....रेलवे/Railway

विवरण सं. 17 का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 9 के तहत)
Annexure to Statement No. 17 (Vide para 9 of the instructions)

गाड़ी किलोमीटर (हजारों में)
Train Kilometres (in thousands)
वर्ष...../Year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन
BG/MG

मद सं. Item No.	ब्यौरा Description	भाप Steam	कर्षण/Traction					जोड़ सभी कर्षण Total all Tractions
			डीजल Diesel			बिजली Electric		
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक Hyd. & Mech	जोड़ Total	ए.सी. AC	डी.सी. DC	

(क) मेल एवं एक्सप्रेस
(a) Mail & Express

(ख) साधारण यात्री गाड़ियां
(b) Ordinary passenger trains

(ग) पार्सल गाड़ियां
(c) Parcel trains

(घ) उपनगरीय गाड़ियां
(d) Suburban trains

जोड़ (मद 17.01 के अनुसार)
Total (as per item 17.01)

विवरण 17- गाड़ी तथा इंजन किलोमीटर

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष 15 मई तक पहुँच जाए.

2. आंकड़े आमान-वार अलग-अलग दिखाए जाएं.

3. आंकड़े हजार के निकटतम पूर्णांकिंत कर दिए जाए.

4. विभिन्न प्रकार के इंजनों के लिए आंकड़े विभिन्न कालमों में निम्नलिखित प्रकार से अलग-अलग दिखाए जाएं।

भाप	डीजल			बिजली		
	बिजली	हाइड्रॉलिक जोड़ तथा यांत्रिक		ए.सी.	डी.सी.	जोड़ सभी कर्षण

5. बिजली गाड़ियों तथा रेल कारों मुख्य लाइन की बिजली गाड़ियों और डी एम यू/डी एच एम यू से सम्बन्धित आंकड़े इस विवरण में शामिल नहीं किए जाएं. लेकिन बिजली इंजनों द्वारा चलाई जाने वाली उपनगरीय गाड़ियों से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाएं तथा एक पाद टिप्पणी में अलग से भी दिखाए जाएं.

6. छोटी लाइन के आंकड़ों के लिए निम्नलिखित विशेष अनुदेश लागू होंगे : -

 (i) मद 17.07 - जोड़ आंकड़े केवल उप मद (घ) के सामने दिखाए जाएं.

 (ii) मद 17.08 के लिए यात्री माल तथा मिश्रित सेवाओं के लिए निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संयुक्त आंकड़े दिखाए जाएं -

 (क) शंटिंग इंजन
 (ख) रेल इंजन
 (ग) जोड़

 (iii) मद 17.09 तथा 17.10 के लिए यात्री, मिश्रित तथा माल सेवाओं के लिए संयुक्त आंकड़े दिखाए जाएं.

7. इस विवरण में विविध मदों के आंकड़े मासिक विवरण 1-ख, 2 तथा 9-भाग-1 के नीचे कालम 2 (क) तथा 2 (ख) में दी गई तदनुरूपी मदों के वार्षिक आंकड़े होंगे :

इस विवरण की मद	मासिक विवरण में तदनुरूपी मद: बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए	मासिक विवरण में तदनुरूपी मद: छोटी लाइन के लिए	टिप्पणी
1	2क	2ख	3
17.01	विवरण 1 ख का 1.01	विवरण 9 भाग-1 का 2.01	
17.02	विवरण 2 का 1.01	विवरण 9 भाग-1 का 2.03	
17.03 (क)	विवरण 1 ख का 1.02	विवरण 9 भाग-1 का 2.02 (क)	

Statement 17-Train and Engine Kilometrage

Instructions

1. This statement is to be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.
2. The figures are to be furnished separately by gauges.
3. The figures are to be rounded off to the nearest thousand.
4. The figures for the various types of locomotives are to be shown separately in different columns as follows :–

Steam	Diesel			Electric		Total all tractions
	Electric	Hyd. & Mech.	Total	AC.	DC.	

5. The figures relating to Electric Multiple Units, Rail Cars, Mainline EMUs and DMU/DHMUs are not to be included in this Statement. The figures relating to the suburban trains hauled by electric locomotives are however, to be included and also shown separately in a foot-note.

6. The following special instructions shall apply to figures for the Narrow Gauge.

 (i) Item 17.07 –The total figures only need to be shown against sub-item (d).

 (ii) For item 17.08 combined figures for passenger, goods and mixed services are to be shown under the heads : –
 (a) Shunting engines,
 (b) Train engines,
 (c) Total

 (iii) For items 17.09 and 17.10, combined figures for passenger, mixed and goods services are to be shown.

7. The figures for the various items in this Statement shall be the annual figures for the corresponding items of the Monthly Statements 1-B, 2 and 9-Part I given in col. 2 (a) and 2 (b) below : –

Item in this statement	Corresponding item in the monthly Statements: For BG & MG	Corresponding item in the monthly Statements: For NG	Remarks
1	2(a)	2(b)	3
17.01	1.01 of St. 1-B	2.01 of St. 9-Pt. 1	
17.02	1.01 of St. 2	2.03 of St. 9-Pt. 1	
17.03	(a) 1.02 of St. 1-B	2.02(a) of St. 9-Pt.1	

	(ख)विवरण 1 ख का 1.03	विवरण 9 भाग-1 का 2.02 (ख)
	(ग)विवरण 1 ख का 1.04	विवरण 9 भाग-1 का 2.02 (ग)
17.04	विवरण 1-ख का 1.05	विवरण 9 भाग-1 का 2.04 ग
17.05	विवरण 2 का 1.03	विवरण 9 भाग-1 का 2.05
17.06		फार्मूला विवरण में दिया गया है
17.07	(क) विवरण 1-ख का 1.06 +	अपेक्षित नहीं है
	(ख)	
	(ग) विवरण 2 का 1.04	
	(घ) विवरण 1-ख का 1.06+	विवरण 9 भाग-1 का 2.06
	विवरण 2 का 1.04	
17.08	(क) विवरण 1-ख का 2.01	क शंटिंग इंजन
		विवरण 9 भाग-1 का 3.01
	(ख) विवरण 1-ख का 2.02	ख गाड़ी इंजन
		विवरण 9 भाग-1 का 3.02
	(ग) विवरण 1-ख का 2.03	ग जोड विवरण 9 भाग-1 का 3.03
	(घ) विवरण 2 का 2.01	
	(ङ) विवरण 2 का 2.02	
	(च) विवरण 2 का 2.03	
17.09	(क) विवरण 1-ख का 3.01	
	(ख) विवरण 1-ख का 3.02	
	(ग) विवरण 1-ख का 3.03	यातायात सेवा विवरण 9-भाग-1 का 4.01
	(घ) विवरण 1-ख का 3.04	
	(ड) विवरण 2 का 3.01	
	(च) विवरण 2 का 3.02	
	(छ) विवरण 2 का 3.03	
	(ज) विवरण 2 का 3.04	
	(झ) विवरण 2 का 3.05	
17.10	(क) विवरण 1-ख का 3.05	विभागीय सेवा विवरण-9-भाग-1 का 4.02
	(ख)	
	(ग) विवरण 2 का 3.06	
	(घ) विवरण 2 का 3.07	
17.11	क (i) विवरण 1-ख का 4	
	(ii) विवरण 2-का 4	
	ख विवरण 1-ख का 1.06+	विवरण-9-भाग-1 का 2.06+
	विवरण 1-ख का 3.05+	विवरण-9-भाग-1 का 4.02
	विवरण 2 का 1.04+	
	विवरण 2 का 3.07	

8. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण सं. 1 ख, 2 और 9 भाग-1 के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों में कोई अन्तर होने पर उसे एक अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाए.

9. यात्री गाड़ी कि मी. का और ब्यौरा अनुबंध के अनुसार दिया जाए. जोड़ मद 17.01 से मेल खाए.

10. जहां किसी भी मद को निकालने के लिए विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका जिल्द-1 में दिए गए मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए.

	(b) 1.03 of St. 1-B	2.02(b) of St. 9-Pt.1
	(c) 1.04 of St. 1-B	2.02(c) of St. 9-Pt.1
17.04	1.05 of St. 1-B	2.04 of St. 9-Pt.1
17.05	1.03 of St. 2	2.05 of St. 9-Pt.1
17.06		Formula given in the Statement
17.07(a)	1.06 of St. 1-B	Not required
(b)		
(c)	1.04 of St. 2	
(d)	1.06 of St. 1-B	2.06 of St. 9-Pt.1
	+1.04 of St. 2	
17.08 (a)	2.01 of St. 1-B	(a) Shunting Engines 3.01
		of St. 9-Pt. 1
(b)	2.02 of St. 1-B	(b) Trains Engines 3.02
		of St. 9-Pt.1
(c)	2.03 of St. 1-B	(c) Total 3.03 of St. 9-Pt.1
(d)	2.01 of St. 2	
(e)	2.02 of St. 2	
(f)	2.03 of St. 2	
17.09 (a)	3.01 of St. 1-B	Traffic service 4.01 of St. 9-Pt.1
(b)	3.02 of St. 1-B	
(c)	3.03 of St. 1-B	
(d)	3.04 of St. 1-B	
(e)	3.01 of St. 2	
(f)	3.02 of St. 2	
(g)	3.03 of St. 2	
(h)	3.04 of St. 2	
(i)	3.05 of St. 2	
17.10 (a)	3.05 of St. 1-B	Departmental service 4.02 of St. 9-Pt.1
(b)		
(c)	3.06 of St. 2	
(d)	3.07 of St. 2	
17.11 (a)	(i) 4 of St. 1-B	
	(ii) 4 of St. 2	
(b)	1.06 of St. 1-B+3.05 of St. 1-B+1.04	2.06 of St. 9-Pt. 1
	of St. 2+3.07 of St. 2	+ 4.02 of St. 9-Pt.1

8. Any difference between the figures in this Statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statements 1-B, 2 and 9 Pt. 1 for March of the year concerned is to be suitably explained in a separate memorandum.

9. Further break-up of passenger train kilometres is to be given as per Annexure. Total shall tally with item 17.01.

10. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the Monthly Statements, as given in the Manual of Statistical Instructions-Volume-I, are to be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण-18
Statement-18

वर्ष के लिए इंजन घंटे
Engine Hours for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन (सैकड़ों में)
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge (In hundreds)

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल Diesel			बिजली Electric		जोड सभी कर्षण Total all tractions
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक Hydraulic and Mechanical	जोड Total	ए.सी. A.C.	डी.सी. D.C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.01	गाड़ी इंजन घंटे (यातायात सेवा) Train engine hours– (Traffic service)							
	(क) यात्री गाड़ियां (a) Passenger trains							
	(ख) मिश्रित गाड़ियां (b) Mixed trains–							
	(i) यात्री अनुपात Proportion of passenger							
	(ii) माल अनुपात Proportion of goods							
	(iii) जोड़ Total							
	(ग) माल गाड़ियां (c) Goods trains							
18.02	शटिंग इंजन घंटे- (यातायात सेवा) Shunting engine hours– (Traffic service)							
	(क) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात (a) Passenger & passenger proportion of mixed							
	(ख) माल तथा मिश्रित का अनुपात (b) Goods and goods proportion of mixed							
18.03	अन्य इंजन घंटे- (यातायात सेवा) Other engine hours– (Traffic service)							
	(क) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात - (a) Passenger & passenger proportion of mixed–							
	(i) अपेक्षित सहायक इंजन घंटे Assisting required engine hours							
	(ii) अन्य अवशिष्ट इंजन घंटे Residual other engine hours							
	(iii) जोड़ (i+ii) Total (i+ii)							
	(ख) माल तथा मिश्रित का अनुपात - (b) Goods and goods proportion of mixed–							
	(i) अपेक्षित सहायक इंजन घंटे Assisting required engine hours							

विवरण–18 *(जारी)*
Statement-18*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ii) अन्य अवशिष्ट इंजन घंटे
Residual other engine hours
(iii) जोड़ (i+ii)
Total (i+ii)
(ग) साईडिंग इंजन घंटे
(c) Siding engine hours

18.04 कुल इंजन घंटे–
(यातायात सेवा)
Total engine hours–
(Traffic service)
(क) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात –
(मद 18.01(क)+18.01(ख)(i)+18.02(क)+18.03(क)(iii))
(a) Passenger & passenger proportion of mixed
(Items 18.01(a)+18.01(b)(i)+18.02(a)+18.03(a)(iii))
(ख) माल तथा मिश्रित का अनुपात – (साइडिंग सहित)
(मद 18.01(ख)(ii)+18.01(ग)+18.02(ख)+18.03(ख)(iii)+ 18.03(ग))
(b) Goods and goods proportion of mixed (including siding)
(Items 18.01(b)(ii)+18.01(c)+18.02(b)+18.03(b)(iii)+ 18.03(c))

18.05 विभागीय इंजन घंटे–
Departmental engine hours–
(क) यात्री
(a) Passenger
(ख) मिश्रित –
(b) Mixed –
(i) यात्री अनुपात
Proportion of passenger
(ii) माल अनुपात
Proportion of goods
(ग) माल
(c) Goods
(घ) कुल मद 18.05(क) से (ग)
(d) Total item 18.05(a) to (c)

18.06 कुल इंजन घंटे
(मद 18.04(क) तथा (ख) +18.05(घ))
Total engine hours
(Items 18.04(a) & (b)+18.05(d))

18.07 कुल इंजन घंटों में गाड़ी तथा अपेक्षित सहायक इंजन घंटों का प्रतिशत –
Percentage of train and assisting required engine hours to total engine hours–
(क) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात
(a) Passenger and passenger proportion of mixed
(ख) माल तथा मिश्रित का अनुपात
(b) Goods and goods proportion of mixed

18.08 कुल इंजन घंटों में गाड़ी इंजन घंटों का प्रतिशत –
Percentage of train engine hours to total engine hours–
(क) यात्री तथा मिश्रित का अनुपात
(a) Passenger and passenger proportion of mixed
(ख) माल तथा मिश्रित का अनुपात
(b) Goods and goods proportion of mixed

इस विवरण में पिछले और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाए.
In this statement, figures for previous and current years shall be given.

अनुबंध/ANNEXURE

.....रेलवे/Railway

विवरण-18
Statement-18

अनुबंध/Annexure
(अनुदेशों के पैरा 13 के तहत)/(Vide para 13 of the Instructions)

मद 18.01, 18.02, 18.03, 18.04 तथा 18.06 में शामिल की गई अपनी रेलवे पर विदेशी रेल इंजनों के इंजन घंटों का विवरण
Statement of engine hours of Foreign Railway engines on Home Railway included in items 18.01, 18.02, 18.03, 18.04 and 18.06

(इकाइयों में)
(In units)

आमान Gauge	सेवा Service	रेलवे Railway	कर्षण Tractions	वर्ष Year	
				पिछला वर्ष Previous year	चालू वर्ष Current year

विवरण 18–वर्षके लिए इंजन घंटे

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान–वार अलग–अलग प्रस्तुत किए जाएं
3. आंकड़े सौ के निकटतम तक पूर्णांक में बदल दिए जाएं
4. विभिन्न प्रकार के इंजनों के आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से विभिन्न कालमों में अगल–अलग दिखाए जाएं :–

भाप	डीजल			बिजली		जोड़
	बिजली	हाइडॉलिक तथा यांत्रिक	जोड़	ए.सी.	डी.सी.	सभी कर्षण

5. इस विवरण में बिजली गाड़ियों, एम.ई.एम.यू., डी.ई.एम.यू. तथा डी.एच.एम.यू. से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाएंगे. इन सेवाओं से संबंधित आंकड़े वार्षिक विवरण संख्या 32 में शामिल किए जाएं. पुश एवं पुल प्रणाली पर बिजली इंजनों द्वारा कर्षित उपनगरीय गाड़ियों से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाएं तथा एक पाद–टिप्पणी में अलग से भी दिखाए जाएं.
6. छोटी लाइनों के लिए केवल निम्नलिखित सूचना अपेक्षित होगी –

कुल इंजन घंटे –

(क)	यात्री गाड़ियां	जैसा मासिक विवरण 9 भाग–1 में दिया गया है.
(ख)	मिश्रित गाड़ियां	
(ग)	माल गाड़ियां	
(घ)	शंटिंग	
(ड)	अन्य	
(च)	विभागीय	

कुल मद (क) से (च) तक

7. इस विवरण में विभिन्न मद के आंकड़े नीचे कालम 2(क) तथा 2 (ख) में दिए गए मासिक विवरण 1–ख, 2 तथा 9 भाग–1 की तदनुरूपी मद के वार्षिक आंकड़े होंगे :–

Statment 18-Engine Hours for the year.....

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.
2. The figures shall be furnished separately by gauges.
3. The figures shall be rounded off to the nearest hundred.
4. The figures for the various types of locomotives shall be shown separately in different columns as follows :–

Steam	Diesel			Electric		Total all tractions
	Electric	Hyd. & Mech.	Total	A.C.	D.C.	

5. This statement shall not include the figures for the EMU, MEMU, DEMU and DHMU train services. The figures relating to these services shall be shown in the Annual Statement No. 32. The figures relating to suburban trains hauled by electric locomotives on push and pull system shall however, be included and also shown separately in a foot-note.
6. Only the following information shall be required for the narrow gauges: –

Total engine hours–

(a)	Passenger trains	As in Monthly Statement 9, Part-I
(b)	Mixed trains	
(c)	Goods trains	
(d)	Shunting	
(e)	Other	
(f)	Departmental	

Total items (a) to (f)

7. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures for the corresponding items of Monthly Statements 1-B, 2 and 9-Part I given in columns 2(a) and 2(b) below : –

इस विवरण की मद / Item in this statement		मासिक विवरण की तदनुरूपी मद / Corresponding item in Monthly Statements		टिप्पणी / Remarks
		बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए / For BG & MG	छोटी लाइन के लिए / For NG	
1		2(a)(क)	2(b)(ख)	3
18.01	(क)	विवरण 1–ख का 5.01	विवरण 9 भाग–1 का 5.01	
18.01	(a)	5.01 of Statement 1-B	5.01 of Statement 9, Part-I	
	(ख)(i)	विवरण 1–ख का 5.02	अनपेक्षित	
	(b) (i)	5.02 of Statement 1-B	Not required	

1		2(a)(क)	2(b)(ख)	3
	(ii)	विवरण 1-ख का 5.03 5.03 of Statement 1-B	अनपेक्षित Not required	
	(iii)	विवरण 1-ख का 5.04 5.04 of Statement 1-B	विवरण 9 भाग-1 का 5.02 5.02 of Statement 9, Part-I	
	(ग) (c)	विवरण 2 का 5.01 5.01 of Statement 2	विवरण 9 भाग-1 का 5.03 5.03 of Statement 9, Part-I	
18.02	(क)	विवरण 1-ख का 5.05		
18.02	(a)	5.05 of Statement 1-B	विवरण 9 भाग-1 का 5.04	
	(ख') (b)	विवरण 2 का 5.02 5.02 of Statement 2	5.04 of Statement 9, Part-I	
18.03	(क)(i)	विवरण 1-ख का 5.06 (क)		
18.03	(a)	5.06(a) of Statement 1-B		
	(ii)	विवरण 1-ख का 5.06(ख) 5.06(b) of Statement 1-B		
	(iii)	विवरण 1-ख का 5.06 (ग) 5.06(c) of Statement 1-B	विवरण 9 भाग-1 का 5.05 (ग)	
	(ख)(i)	विवरण 2 का 5.03 (क)	5.05(c) of Statement 9, Part-I	
	(b)	5.03(a) of Statement 2		
	(ii)	विवरण 2 का 5.03 (ख) + 5.03(ग)+5.03(घ) 5.03(b)+5.03(c)+ 5.03(d) of Statement 2		
	(iii)	विवरण 2 का 5.03 (ङ) 5.03(e) of Statement 2		
	(ग)	5.04		
	(c)	5.04		
18.04	(क)	विवरण 1-ख का 5.07		फार्मुले विवरण में दिए गए है।
18.04	(a)	5.07 of Statement 1-B		Formulae are given in the
	(ख)	विवरण 2 का 5.05		Statement
	(b)	5.05 of Statement 2		
18.05	(क तथा ख)	विवरण 1-ख का 5.08	विवरण 9 भाग-1 का 5.06	
18.05	(a & b)	5.08 of Statement 1-B	5.06 of Statement 9. Part-I	
	(ग)	विवरण 2 का 5.06		
	(c)	5.06 of Statement 2		
18.06				फार्मुला विवरण में दिया गया है Formula is given in the Statement
18.07	(क)	विवरण 1-ख का 5.09 (क)		नीचे पैरा 8 के अनुसार
18.07	(a)	5.09(a) of Statement 1-B		Vide para 8 below
	(ख)	विवरण 2 का 5.07 (ख)		नीचे पैरा 9 के अनुसार
	(b)	5.07(b) of Statement 2		Vide para 9 below
18.08	(क)	विवरण 1-ख का 5.09(ख)		नीचे पैरा 10 के अनुसार
18.08	(a)	5.09(b) of Statement 1-B		Vide para 10 below
	(ख)	विवरण 2 का 5.07 (क)		नीचे पैरा 11 के अनुसार
	(b)	5.07(a) of Statement 2		Vide para 11 below

8. मद 18.07 (क) = (मद सं. 18.01(क)+18.01(ख)(i)+18.03(a)(i)) / (मद सं. 18.04(क)+18.05(क)+18.05(ख)(i)) x 100

Item 18.07 (a) = (Item No. 18.01(a)+18.01(b)(i)+18.03(a)(i)) / (Item No. 18.04(a)+18.05(a)+18.05(b)(i)) x 100

9. मद 18.07 (ख) = (मद सं. 18.01(ग)+18.01(ख)(ii)+18.03(ख)(i)) / (मद सं. 18.04(ख)+18.05(ख)(ii)+18.05(ग)) x 100

Item 18.07 (b) = (Item No. 18.01(c)+18.01(b)(ii)+18.03(b)(i)) / (Item No. 18.04(b)+18.05(b)(ii)+18.05(c)) x 100

10. मद 18.08 (क) = (मद सं. 18.01(क)+18.01(b)(i)) / (मद सं. 18.04(क)+18.05(क)+18.05(ख)(i)) x 100

Item 18.08 (a) = (Item No. 18.01(a)+18.01(b)(i)) / (Item No. 18.04(a)+18.05(a)+18.05(b)(i)) x 100

11. मद 18.08 (ख) = (मद सं. 18.01(ग)+18.01(ख)(ii)) / (मद सं. 18.04(ख)+18.05(ख)(ii)+18.05(ग)) x 100

Item 18.08 (b) = (Item No. 18.01(c)+18.01(b)(ii)) / (Item No. 18.04(b)+18.05(b)(ii)+18.05(c)) x 100

12. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण 1–ख, 2 तथा 9, भाग–I के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों में कोई अन्तर पाये जाने पर उसे अलग ज्ञापन में उचित रूप से स्पष्ट किया जाए.
Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in Monthly Statements 1-B, 2 and 9, Part-I for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

13. अपनी रेलवे पर विदेशी रेल इंजनों के इंजन घंटों का विस्तार अनुबंध में दिया जाए.
Details of engine hours worked by Foreign Railway engines on Home Railway shall be furnished in the Annexure.

14. जहां किसी भी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं वहां सांख्यिकी अनुदेशिका जिल्द–1 में दिए गए मासिक विवरणों की तदनुरूपी मद से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए.
Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements, as given in Manual of Statistical Instructions –Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण–19(क)

Statement -19(a)

वर्ष के लिए वाहन तथा मालडिब्बा किलोमीटर दूरी (चौपहियों में)

Vehicle and Wagon Kilometrage (in 4-wheelers) for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
(आंकड़े हजारों में)
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge
(Figures in thousands)

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/ Electric		सभी कर्षण का जोड़ Total all tractions
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक Hyd. & Mech.	जोड़ Total	ए.सी. A.C.	डी.सी. D.C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19(**क**).01	यात्री गाड़ियां–							
19(a).01	Passenger trains -							
	(i) यात्री वाहन Passenger vehicles							
	(ii) अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles							
	(iii) अन्य वाहन Other vehicles							
	(iv) जोड़ Total							
19(क).02	मिश्रित गाड़ियां– (केवल यात्री अनुपात)							
19(a).02	Mixed trains - (Proportion of passenger only)							
	(i) यात्री वाहन Passenger vehicles							
	(ii) अन्य कोचिंग वाहन Other coaching vehicles							
	(iii) अन्य वाहन Other vehicles							
	(iv) जोड़ Total							
19(क).03	कुल यात्री तथा मिली जुली गाड़ियों का यात्री अनुपात –							
19(a).03	Total passenger and passenger proportion of mixed -							
	(i) यात्री वाहन [मद 19(क). 01(i)+19(क).02(i)] Passenger vehicles [Items 19(a).01(i)+19(a).02 (i)]							
	(ii) अन्य कोचिंग वाहन [मद 19(क).01 (ii)+19(क).02(ii)] Other coaching vehicles [Items 19(a).01 (ii)+19(a).02 (ii)]							
	(iii) अन्य वाहन [मद 19(क).01 (iii)+19(क).02(iii)] Other vehicles [Items 19(a).01 (iii)+ 19(a).02 (iii)]							
	(iv) जोड़ [मद 19(क).03 (i) से (iii)] Total [Items 19(a).03 (i) to (iii)]							

विवरण–19(क)– *(जारी)*

Statement - 19(a)-*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9

19(क).04 माल गाड़ियां–

19 (a). 04 Goods trains -

(i) भारित माल डिब्बा किलोमीटर
Loaded wagon kilometres

(ii) कुल माल डिब्बा किलोमीटर
Total wagon kilometres

(iii) कुल माल डिब्बा किलोमीटर में भारित माल डिब्बा किलोमीटर का प्रतिशत
Percentage of loaded to total wagon kilometres

19(क).05 मिश्रित गाड़ियां (केवल माल का अनुपात)–

19 (a). 05 Mixed trains (proportion of goods only)-

(i) भारित माल डिब्बा किलोमीटर
Loaded wagon kilometres

(ii) कुल माल डिब्बा किलोमीटर
Total wagon kilometres

19(क).06 माल तथा मिश्रित गाड़ियों का माल अनुपात–

19 (a). 06 Goods and goods proportion of mixed-

(i) भारित माल डिब्बा किलोमीटर
[मद 19(क).04 (i)+19(क).05 (i)]
Loaded wagon kilometres
[Items 19(a).04 (i)+ 19(a).05 (i)]

(ii) कुल माल डिब्बा किलोमीटर
[मद 19(क).04(ii)+19(क).05 (ii)]
Total wagon killometres
[Items 19(a).04 (ii) + 19(a).05 (ii)]

(iii) कुल माल डिब्बा किलोमीटर के लदान का प्रतिशत
Percentage of loaded to total wagon kilometres

19(क).07 विभागीय वाहन/माल डिब्बा किलोमीटर–

19 (a). 07 Departmental vehicle/wagon kms.-

(i) यात्री गाड़ी
Passenger trains

(ii) मिश्रित गाड़ी
Mixed trains

(iii) माल गाड़ी
Goods trains

(iv) जोड़
Total

19(क).08 ब्रेक यान किलोमीटर (विभागीय ब्रेक यान किलोमीटर सहित)–

19 (a). 08 Brake van kms. (including departmental brake van kms.)–

(i) यात्री गाड़ी
Passenger trains

(ii) मिश्रित गाड़ी
Mixed trains

(iii) माल गाड़ी
Goods trains

(iv) जोड़
Total

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएंगे.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

.....रेलवे/Railway

विवरण सं. 19(क) के लिए अनुबंध
(अनुदेशों के पैरा 9 के तहत)
Annexure to Statement No. 19(a)
(Vide Para 9 of the Instructions)

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
(आंकड़े हजारों में)

वर्ष..... के लिए वाहन कि०मी०
Vehicle Kms. for the year

Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge
(Figures in 000s)

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/Electric			सभी कर्षण का जोड़ Total all tractions
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक एवं यांत्रिक Hyd. & Mech.	जोड़ Total	ए.सी. A.C.	डी.सी. D.C.	जोड़ Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां
Mail/Express Trains

(क) यात्री सेवाएं -
(a) Passenger Services-
(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
Air-Conditioned First Class
(ii) प्रथम श्रेणी
First Class
(iii) वातानुकूलित 2 टियर शयनयान
Air-Conditioned 2 Tier Sleeper
(iv) वातानुकूलित 3 टियर शयनयान
Air-Conditioned 3 Tier Sleeper
(v) वातानुकूलित कुर्सी कार
Air-Conditioned Chair Car
(vi) द्वितीय श्रेणी शयनयान
Second Class Sleeper
(vii) अन्य द्वितीय श्रेणी
Other Second Class
(viii) जन उपयोग के लिए पर्यटन कार एवं राज्य/सैलून
Tourist Car & State/Saloons for public use
(ix) (i) से (viii) का जोड़
Total (i) to (viii)

(ख) पार्सल यान
(b) Parcel Van
(ग) सामान यान
(c) Luggage Van
(घ) डाक यान
(d) Postal Van
(ड.) भोजन/पैंट्री कार
(e) Dining / Pantry Car
(च) विभागीय यान
(f) Departmental Van
(छ) (क) से (छ) का जोड़
(g) Total (a) to (f)

2. साधारण यात्री गाड़ियां
Ordinary Passenger Trains

(क) यात्री सेवाएं –
(a) Passenger Services –
(i) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
Air-Conditioned First Class
(ii) प्रथम श्रेणी
First Class
(iii) वातानुकूलित 2 टियर शयनयान
Air-Conditioned 2 Tier Sleeper
(iv) वातानुकूलित 3 टियर शयनयान
Air-Conditioned 3 Tier Sleeper
(v) वातानुकूलित कुर्सी कार
Air-Conditioned Chair Car
(vi) द्वितीय श्रेणी शयनयान
Second Class Sleeper
(vii) अन्य द्वितीय श्रेणी
Other Second Class
(viii) जन उपयोग के लिए पर्यटन कार एवं राज्य/सैलून
Tourist Car & State/Saloons for public use
(ix) (i) से (viii) का जोड़
Total (i) to (viii)

(ख) पार्सल यान
(b) Parcel Van
(ग) सामान यान
(c) Luggage Van
(घ) डाक यान
(d) Postal Van
(ड.) भोजन/पैंट्री कार
(e) Dining / Pantry Car
(च) विभागीय यान
(f) Departmental Van
(छ) (क) से (छ) का जोड़
(g) Total (a) to (f)

3. कुल जोड़ [1(छ) + 2(छ)]
Grand Total [1(g) + 2 (g)]

नोट : – वाहन कि०मी० को वर्तमान लागू समय–सारणी के अनुसार रेक रचना के आधार पर बाँटा जाएगा तथा कोचिंग वाहन निर्देश विवरणियों अर्थात् वास्तविक रूप से चली गाड़ियों की विवरणियों के आधार पर वास्तविक आंकड़ों को समायोजित किया जाएगा. संयुक्त कैरेजों को विभिन्न श्रेणियों यथा प्रथम/द्वितीय श्रेणी तथा विभिन्न समूहों यथा यात्री, सामान, पार्सल एवं डाक यान, यात्री एवं भोजन कार आदि के अंतर्गत घेरे जा रहे स्थान के आधार पर पृथक किया जाएगा.
इन आंकड़ों को सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा परिचालन विभागों के कर्मियों को विधिवत साथ लेते हुए परिकलित किया जाएगा.

Note : - Distribution of vehicle kms. may be done on the basis of rake composition as per time table in force and adjusted to actuals based on coaching vehicle guidance statements i.e., of actual trains run. The composite carriages may be segregated under different classes such as first/second class and groups such as passenger and luggage, parcel and postal vans, passenger and dining cars, etc. broadly on the basis of the space occupied.
These figures will be worked out by the Statistical Officers duly associating the personnel of Operating Departments.

विवरण 19 (क) - वाहन तथा माल डिब्बा किलोमीटर

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान वार दिखाए जाएंगे. छोटी लाइन के लिए आंकड़े नीचे पैरा 6 के अनुसार मासिक विवरण 9 भाग-1 की मद 6 के शीर्ष के अंतर्गत दिखाए जाएंगे.
3. आंकड़े हजार के निकटतम पूर्णांक में बदल दिए जाएंगे, केवल प्रतिशत को छोड़कर जिसे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निकाला जाऐगा तथा दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध किया जाएगा, लेकिन जो दस से कम है, उन्हें दशमलव के दो स्थानों तक निकाला जाएगा.
4. विभिन्न प्रकार के इंजनों के लिए आंकड़े विभिन्न कॉलमों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार से अलग अलग दिखाए जाएंगे-

भाप	डीजल			बिजली		सभी
	बिजली	हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक	जोड़	ए.सी.	डी.सी.	कर्षणों का जोड़

5. ई.एम.यू. उपनगरीय तथा अनुपनगरीय खंडों पर चलने वाली गाड़ियों तथा रेल कारों/रेल बसों से संबंधित आंकड़े इसमें शामिल नहीं किए जांएगे. इन सेवाओं की किलोमीटर दूरी क्रमश: वार्षिक विवरण 32 तथा 33 में क्रमानुसार दिखाए जाएंगे. लेकिन पुश एवं पुल पर बिजली इंजनों द्वारा कर्षित उपनगरीय तथा अनुपनगरीय गाड़ियों से संबंधित आंकड़े इसमे शामिल किए जांएगे और उन्हें पाद टिप्पणी में भी अलग से दिखाया जाऐगा.
6. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़े नीचे कॉलम 2 (क) तथा 2 (ख) में दिखाई गई मासिक विवरण 1-ख, 2 तथा 9 भाग-1 की तदनुरूपी मदों के वार्षिक आंकड़े होंगे -

Statement 19(a) - Vehicle and Wagon Kilometres

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.
2. The figures shall be furnished by gauges. The figures for the Narrow Gauge shall be furnished under the heads shown in item 6 of Monthly Statement 9, Part-I as explained under para 6 below.
3. The figures shall be rounded off to the nearest thousand except percentages which shall be worked out on actuals and correct to one place of decimal, but those which are less than ten, shall be worked out to two places of decimals.
4. The figures for the various types of locomotives shall be shown separately in different columns as follows :-

Steam	Diesel			Electric		Total all
	Electric	Hyd. & Mech.	Total	A.C.	D.C.	tractions

5. The figures relating to Electric Multiple Units trains irrespective of their running over suburban and non-suburban sections and all Rail Cars/Rail Bus shall not be included in this Statement. The kilometrage of these services shall be shown in Annual Statements 32 & 33 respectively. The figures relating to trains running over suburban as well as non-suburban sections and hauled by electric locomotives on Push and Pull sysem shall, however be included and also shown separately in a footnote.
6. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures for the corresponding items of the Monthly Statements 1-B, 2 and 9 Part-I, as shown in columns 2(a) and 2(b) below –

इस विवरण की मद Item in this Statement		मासिक विवरण की तदनुरूपी मदें/Corresponding item in the monthly statement		टिप्पणी
		बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए For BG & MG	छोटी लाइन के लिए For NG	Remarks
1		2(क)(a)	2(ख)(b)	3
19(क).01	(i)	विवरण 1-ख का 6.01(क)		
19(a).01		6.01(a) of Statement 1-B		
	(ii)	विवरण 1-ख का 6.01 (ख)	विवरण 9 भाग-1 का 6.01	
		6.01(b) of Statement 1-B	6.01 of Statement 9 Part-I	
	(iii)	विवरण 1-ख का 6.01(ग)		
		6.01(c) of Statement 1-B		
19(क).02	(i)	विवरण 1-ख का 6.02(क)	विवरण 9 भाग-1 का 6.02	
19(a).02		6.02(a) of Statement 1-B	6.02 of Statement 9 Part-I	

1	2(क)(a)	2(ख)(b)	3
(ii)	विवरण 1-ख का 6.02 (ख) 6.02(b) of Statement 1-B		
(iii)	विवरण 1-ख का 6.02 (ग) 6.02(c) of Statement 1-B		
19(क).03 (i) 19(a).03			फार्मूला विवरण में दिया गया है Formulae given in the Statement
(ii)			
(iii)			
19(क).04 (i) 19(a).04	विवरण 2 का 6.01 6.01 of Statement 2	विवरण 9 भाग-1 का 6.03 6.03 of Statement 9 Part-I	
(ii)	विवरण 2 का 6.02 6.02 of Statement 2	विवरण 9 भाग-1 का 6.04 6.04 of Statement 9 Part-I	
(iii)	विवरण 2 का 6.03 6.03 of Statement 2	विवरण 9 भाग-1 का 6.05 6.05 of Statement 9 Part-I	
19(क).05 (i) 19(a).05	विवरण 2 का 6.04 6.04 of Statement 2	विवरण 9 भाग-1 का 6.06 6.06 of Statement 9 Part-I	
(ii)	विवरण 2 का 6.05 6.05 of Statement 2	विवरण 9 भाग-1 का 6.07 6.07 of Statement 9 Part-I	
19(क).06 (i) 19(a).06	विवरण 2 का 6.06 6.06 of Statement 2		
(ii)	विवरण 2 का 6.07 6.07 of Statement 2		
(iii)	विवरण 2 का 6.08 6.08 of Statement 2		
19(क).07 (i) 19(a).07	विवरण 1-ख का 6.03 6.03 of Statement 1-B		
(ii)	विवरण 1-ख का 6.03 6.03 of Statement 1-B	विवरण 9 भाग-1 का 6.08 6.08 of Statement 9 Part-I	
(iii)	विवरण 2 का 6.09 6.09 of Statement 2		
19(क).08 (i) 19(a).08	विवरण 1-ख का 6.04 6.04 of Statement 1-B		
(ii)	विवरण 1-ख का 6.04 6.04 of Statement 1-B	विवरण 9 भाग-1 का 6.09 6.09 of Statement 9 Part-I	
(iii)	विवरण 2 का 6.10 6.10 of Statement 2		

7. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण-1-ख, 2 तथा 9 भाग-I के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों में कोई अन्तर होने पर इसे विवरण के साथ संलग्न एक अलग ज्ञापन में उपर्युक्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

8. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हों, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका, जिल्द-I में दिए गए मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

9. वाहन कि.मी. का और ब्यौरा अनुबंध के अनुसार दिया जाना चाहिए. उसमें मद 3 (1च+2च) का कुल जोड़ इस विवरण की मद 19(अ).01(iv) से मेल खाना चाहिए.

7. Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statements 1-B, 2 and 9 Part-I for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum attached to this statement.

8. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements, as given in Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

9. Further break-up of vehicle kms. shall be given as per Annexure. Grand total 3 (1f+2f) shall tally with item 19(a).01(iv).

विवरण -19(ख)
Statement-19(b) **.....रेलवे/Railway**

मालगाड़ियों का निष्पादन- वर्ष के दौरान थ्रू मालगाड़ियों और यान तथा शंटिंग माल गाड़ियों (माल और मिश्रित का अनुपात) के ब्यौरे वार आंकड़े
Goods Train Performance–Detailed Statistics of Through Goods and Van & Shunting Goods Trains (Goods and Proportion of Mixed) for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/ Electric		सभी कर्षण का जोड़ Total all tractions
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक Hyd. & Mech.	जोड़ Total	ए.सी. A.C.	डी.सी. D.C.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19(ख).01	गाड़ी किलोमीटर (हजारों में)							
19(b).01	Train kilometres (000)							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							
19(ख).02	गाड़ी इंजन घंटे (सैकड़ों में)							
19(b).02	Train engine hours (00)							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							
19(ख).03	माल डिब्बा किलोमीटर (4-पहिया) (हजारों में)							
19(b).03	Wagon kilometres (4-wheelers) (000)							
	(i) लदे हुए							
	Loaded –							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							
	(ii) कुल/Total –							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							

विवरण -19(ख) - (जारी)
Statement-19(b) - (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19(ख).04	शुद्ध टन किलोमीटर (हजारों में)							
19(b).04	Net tonne kilometres (000)							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							
19(ख).05	सकल टन किलोमीटर (इंजन तथा विभागीय के भार को छोड़कर) (हजारों में)							
19(b).05	Gross tonne kilometres (excl. weight of engine and departmental) (000)							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							
19(ख).06	सकल टन किलोमीटर (इंजन के भार सहित लेकिन विभागीय को छोड़कर) (हजारों में)-							
19(b).06	Gross tonne kilometres (incl. weight of engine but excl. departmental) (000)							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							
19(ख).07	सकल टन किलोमीटर (इंजन के भार और विभागीय सहित) (हजारों में)-							
19(b).07	Gross tonne kilometres (including weight of engine and departmental) (000)							
	(क) थ्रू मालगाड़ियां							
	(a) Through goods							
	(ख) यान तथा शंटिंग मालगाड़ियां							
	(b) Van & shunting goods							
	(ग) जोड़							
	(c) Total							

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 19 (ख) -माल गाड़ियों का निष्पादन

Statement 19(b) – Goods Train Performance

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.
2. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़े मासिक विवरण 3-ख तथा वार्षिक विवरण 16, 17, 18 तथा 19(क) की तदनुरूपी मदों के वार्षिक आंकड़े होंगे, जैसा कि नीचे कालम 2 और 3 में क्रमश: दिखाया गया है.

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.
2. The figures of various items in this statement shall be the annual figures of corresponding items of Monthly Statement 3–B and Annual Statements 16, 17, 18 and 19(a) as shown below in columns 2 and 3 respectively.

इस विवरण की मद Item in this statement	तदनुरूपी मदें/Corresponding item(s) in मासिक विवरण 3-ख Monthly Statement 3-B	वार्षिक विवरण 16, 17, 18 तथा 19(क) Annual Statements 16, 17, 18 & 19(a)	टिप्पणी Remarks
1	2	3	4
19(ख).01 (क)	1(क)	–	
19(b).01 (a)	1(a)	–	
19(ख).01 (ख)	1(ख)	–	
19(b).01 (b)	1(b)	–	
19(ख).01 (ग)	1(ग)	17 का 17.05	
19(b).01 (c)	1(c)	17.05 of 17	
19(ख).02 (क)	2(क)	–	
19(b).02 (a)	2(a)	–	
19(ख).02 (ख)	2(ख)	–	
19(b).02 (b)	2(b)	–	
19(ख).02 (ग)	2(ग)	18 का [18.01 (ख) (ii)+18.01(ग)]	
19(b).02 (c)	2(c)	[18.01(b)(ii)+18.01(c)] of 18	
19(ख).03(i) (क)	3(i)(क)	–	
19(b).03(i) (a)	3(i)(a)	–	
19(ख).03(i) (ख)	3(i)(ख)	–	
19(b).03(i) (b)	3(i)(b)	–	
19(ख).03(i) (ग)	3(i)(ग)	19(क) का 19(क).06(i)	
19(b).03(i) (c)	3(i)(c)	19(a).06(i) of 19(a)	
19(ख).03(ii) (क)	3(iii)(क)	–	
19(b).03(ii) (a)	3(iii)(a)	–	
19(ख).03(ii) (ख)	3(iii)(ख)	–	
19(b).03(ii) (b)	3(iii)(b)	–	
19(ख).03(ii) (ग)	3(iii)(ग)	19(क) का 19(क).06(ii)	
19(b).03(ii) (c)	3(iii)(c)	19(a).06(ii) of 19(a)	
19(ख).04 (क)	–	–	मासिक विवरण 3-ख की मद 4(क) तथा 4(ख) के संचयी आंकड़ो के अनुपात में 19(ख).04(ग) के आंकड़ों का विभाजन करके 19(ख).04(क) तथा 19(ख).04(ख) के आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे.
19(b).04 (a)	–	–	Figures for 19(b).04(a) and 19(b).04(b) shall be obtained by apportioning figures of 19(b).04(c)
19(ख).04 (ख)	–	–	
19(b).04 (b)	–	–	

1	2	3	4
19(ख).04 (ग) 19(b).04 (c)	– –	16 का 16.01 16.01 of 16	in the ratio of cumulative figures of items 4(a) & 4(b) of Monthly Statement 3-B.
19(ख).05 (क) 19(b).05 (a)	– –	– –	मासिक विवरण 3-ख की मद 5(क) तथा 5(ख) के संचयी आंकड़ों के अनुपात में 19(ख).05(ग) के आंकड़ो का विभाजन करके 19(ख).05(क) तथा 19(ख).05(ख) के आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे.
19(ख).05 (ख) 19(b).05 (b)	– –	– –	Figures for 19(b).05(a) and 19(b).05(b) shall be obtained by apportioning figures of 19(b).05(c) in the ratio of cumulative figures of items 5(a) & 5(b) of Monthly Statement 3-B.
19(ख).05 (ग) 19(b).05 (c)	– –	16 का 16.02 (ii) 16.02(ii) of 16	
19(ख).06 (क) 19(b).06 (a)	– –	– –	मासिक विवरण 3-ख की मद 6(क) तथा 6(ख) के संचयी आंकड़ों के अनुपात में 19(ख).06(ग) के आंकड़ों का विभाजन करके 19(ख).06(क) तथा 19(ख).06(ख) के आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे.
19(ख).06 (ख) 19(b).06 (b)	– –	– –	Figures for 19(b).06(a) and 19(b).06(b) shall be obtained by apportioning figures of 19(b).06(c) in the ratio of cumulative figures of items 6(a) & 6(b) of Monthly Statement 3-B.
19(ख).06 (ग) 19(b).06 (c)	– –	16 का 16.03 (ii) 16.03 (ii) of 16	
19(ख).07 (क) 19(b).07 (a)	– –	– –	मासिक विवरण 3-ख की मद 7(क) तथा 7(ख) के संचयी आंकड़ों के अनुपात में 19(ख).07(ग) के आंकड़ों का विभाजन करके 19(ख).07(क) तथा 19(ख).07(ख) के आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे.
19(ख).07 (ख) 19(b).07 (b)	– –	– –	Figures for 19(b).07(a) and 19(b).07(b) shall be obtained by apportioning figures of 19(b).07(c) in the ratio of cumulative figures of items 7(a) & 7(b) of Monthly Statement 3-B.
19(ख).07 (ग) 19(b).07 (c)	– –	16 का 16.03 (iii) 16.03 (iii) of 16	

3. केवल मद 19(ख).02 को छोड़कर, आंकड़े निकटतम हजार तक पूर्णांक में निकाले जाएंगे. 19(ख).02 मद के आंकड़े निकटतम सौ तक पूर्णांक में निकाले जाएंगे.
4. विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों के लिए आंकड़े निम्नलिखित प्रकार से अलग अलग दिखाए जाएंगे –

 (i) भाप (ii) डीजल बिजली (iii) डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक (iv)कुल डीजल (v) बिजली ए.सी. (vi) बिजली डी.सी. (vii) सभी कर्षणों का जोड़.
5. इस विवरण तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण 3-ख के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों में कोई अन्तर पाये जाने पर उसे एक अलग ज्ञापन में उपर्युक्त रूप से स्पष्ट किया जाए.
6. जहां किसी भी मद की गणना के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां सांख्यिकी अनुदेशिका, वाल्यूम-I में दिए गए मासिक विवरणों के तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए.

3. The figures shall be rounded off to the nearest thousand except in the case of item 19(b).02. The figures for item 19(b).02 shall be rounded off to the nearest hundred.
4. The figures for the various types of locomotives shall be shown separately as follows –

 (i) Steam (ii) Diesel Electric (iii) Diesel Hydraulic & Mechanical (iv) Total Diesel (v) Electric A.C. (vi) Electric D.C. (vii) Total All Tractions.
5. Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in Monthly Statement 3-B for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.
6. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of Monthly Statement 3-B, as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

विवरण - 20
Statement - 20

.....रेलवे/Railway

गाड़ियों का चालन तथा माल गाड़ियों की गति
Running of Trains and Speed of Goods Trains

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	20..... रेलवे पर छोड़े गए Termi nating on the Railway	20..... अन्य रेलवे को सौंपे गए Handed over to other Railway	20..... कुल Total	20..... रेलवे पर छोड़े गए Termi- nating on the Railway	20..... अन्य रेलवे को सौंपे गए Handed over to other Railway	20..... कुल Total
1	2	3	4	5	6	7	8
	यात्री तथा मिश्रित गाड़ियों का चालन (यातायात) –						
	Running of passenger and mixed trains (Traffic) –						
	(क) मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां –						
	(a) Mail & Express trains –						
20.01	गाड़ियों के चालन की कुल सं. Total number of trains run						
20.02	समय-सारणी के अनुसार बुक किए गए गाड़ी घंटे Booked train hours according to time table						
20.03	विलम्ब से न चलने वाली गाड़ियों की सं. (नियमित गाड़ियों की सं.) Number of trains not losing time						
20.04	गाड़ियों के चालन की कुल सं. पर विलम्ब से न चलने वाली गाड़ियों का प्रतिशत Percentage of trains not losing time to total number of trains run						
20.05	ठीक समय पर पहुंचने वाली गाड़ियां Trains arriving right time (i) संख्या Number (ii) गाड़ियों के चालन की कुल सं. का प्रतिशत Percentage to total number of trains run						
20.06	अपनी रेलवे के लेखे पर कुल नष्ट समय (घन्टे तथा मिनट) Total time lost on Home Railway's account (Hours and Minutes)						
20.07	कुल बुक किए गए घंटों में नष्ट समय पर प्रतिशत Percentage of time lost to total booked hours						
	(ख) उपनगरीय गाड़ियां –						
	(b) Suburban trains –						
20.08	गाड़ियों के चालन की कुल सं Total number of trains run	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.					
20.09	समय न नष्ट करने वाली गाड़ियों की सं. Number of trains not losing time	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.					

विवरण - 20 (जारी)
Statement - 20 (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8

20.10	चालित गाड़ियों की कुल संख्या से समय न नष्ट करने वाली गाड़ियों का प्रतिशत Percentage of trains not losing time to total number of trains run	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.
20.11	ठीक समय पर पहुंचने वाली गाड़ियां — Trains arriving right time –	
	(i) संख्या Number	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.
	(ii) चालित गाड़ियों की कुल संख्या से प्रतिशत Percentage to total number of trains run	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.

(ग) अन्य सवारी गाड़ियां (मिली जुली गाड़ियों, अनुपनगरीय ईएमयू गाड़ियों तथा रेलकारों सहित) -
(c) Other passenger trains (including mixed trains Non-suburban EMU trains and rail cars) –

20.12	चालित गाड़ियों की कुल संख्या — Total number of trains run —	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.
20.13	समय न खोने वाली गाड़ियों की संख्या — Number of trains not losing time —	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.
20.14	चालित गाड़ियों की कुल संख्या से समय न खोने वाली गाड़ियां का प्रतिशत — Percentage of trains not losing time to total number of trains run	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.
20.15	ठीक समय पर आने वाली गाड़ियां — Trains arriving right time —	
	(i) संख्या Number	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.
	(ii) चालित गाड़ियों की कुल संख्या से प्रतिशत Percentage to total number of trains run	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.

विवरण - 20 (जारी)
Statement - 20 (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(घ) सभी सवारी तथा मिली-जुली गाड़ियां (क) से (ग) — **(d) All passenger and mixed trains (a) to (c) —**							
20.16	चालित गाड़ियों की कुल संख्या — Total number of trains run —	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.						
20.17	समय न खोने वाली गाड़ियों की संख्या — Number of trains not losing time —	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.						
20.18	चालित गाड़ियों की कुल संख्या से समय न खोने वाली गाड़ियों का प्रतिशत — Percentage of trains not losing time to total number of trains run —	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.						
20.19	ठीक समय पर आने वाली गाड़ियां - Trains arriving right time — (i) संख्या Number	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.						
	(ii) चालित गाड़ियों की कुल संख्या से प्रतिशत Percentage to total number of trains run	अन्य ई.एम.यू. Others E.M.U.						
20.20	अपनी रेलवे के लेखे में खोया हुआ कुल समय (घंटे तथा मिनट) Total time lost on Home Railways account (Hours and Minutes)							
	मालगाड़ियों की औसत गति — (प्रति गाड़ी इंजन घंटा गाड़ी किलोमीटर) थ्रू माल गाड़ियां (यान माल तथा शंटिग को छोड़ कर) अथवा (पिक अप) गाड़ियां - Average speed of goods trains - (Train kilometres per train engine hour) Through goods trains (excluding van goods and shunting (or pick up) trains) –							
20.21	इकहरी लाइन Single line							
20.22	दोहरी/बहुल लाइनें Double/multiple lines							
20.23	कुल सभी माल गाड़ियां- Total All goods trains –							
20.24	इकहरी लाइन Single line							
20.25	दोहरी/बहुल लाइनें Double/multiple lines							
20.26	जोड़ Total							

विवरण - 20 (जारी)
Statement - 20 (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

20.27 चालित मालगाड़ियों की संख्या -
Number of goods trains run-
(i) थ्रू मालगाड़ियां
Through goods
(ii) यान तथा शंटिग गाड़ियां
Van & shunting
(iii) जोड़
Total

20.28 विशेष ''ब्लॉक'' गाड़ियों की संख्या -
Number of special "block" trains-

(1) Coal/कोयला :
क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(2) Foodgrains/खाद्यान्न :
क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख÷क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(3) Fertilizers/उर्वरक :
क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(4) Cement/सीमेंट :
क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(5) Mineral Oil/खनिज तेल :
क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

विवरण - 20 (जारी)
Statement - 20 (Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(6) Iron & Steel/लोहा तथा इस्पात :

क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(7) Ore traffic/अयस्क यातायात :

क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(8) Others/अन्य:

क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

(9) Total/जोड़:

क) गाड़ियों की संख्या
a) No. of trains
ख) मालडिब्बों की संख्या
b) No. of wagons
ग) प्रति गाड़ी औसत भार (ख ÷ क)
c) Average load per train (b ÷ a)

मालगाड़ियों की देर से रवानगी -
Late start to Goods trains -

(i) निर्धारित समय के 30 मिनट के भीतर रवाना होने वाली मालगाड़ियों की संख्या
No. of goods trains starting with in 30 minutes of their booked time

(ii) निर्धारित समय के 30 मिनट के बाद रवाना होने वाली मालगाड़ियों की संख्या
No. of goods trains starting after 30 minutes of their booked time

(iii) मद 20.29(ii) के अन्तर्गत देर से रवाना हुई मालगड़ियों का कुल चालित मालगाड़ियों से प्रतिशत
Percentage of goods trains under item 20.29 (ii) started late to total number of goods trains run

(iv) मद 20.29 (ii) में दर्शाए गए अनुसार सभी मालगाड़ियों की देर से रवानगी के कारण खोया औसत समय
Averge time lost owing to late start of all goods train run as shown under item 20.29(ii)

इस विवरण में पिछले एवं चालू वर्षों के आंकड़े दिये जाएंगे.
In this statement, figures for previous and current years shall be given.

विवरण 20 - मालगाड़ी की गति तथा गाड़ियों का परिचालन।

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली, को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान-वार अलग से भेजे जाएं.
3. सभी परिणाम दशमलव के ठीक एक स्थान तक परिकपित किए जाएंगे, किंतु जो 10 से कम हों, उन्हें दशमलव के ठीक दो स्थान तक परिकपित किया जाएगा.
4. अलग-अलग किस्म के रेल इंजनों यथा भाप, डीजल और बिजली इंजनों द्वारा कर्षित यात्री और मिली-जुली गाड़ियों (रेल कार सहित) तथा बिजली मल्टिपल यूनिटों का वजन मद 20.01 से 20.20 तक दिखाया जाना चाहिए. लेकिन बिजली मल्टिपल यूनिट सेवाओं में संबंधित आंकड़े ईएमयू के अंतर्गत अलग से दिखाये जाने चाहिएं और ''पुश और पुल'' पद्धति से बिजली इंजनों द्वारा कर्षित उपनगरीय गाड़ियों सहित अन्य कर्षण की सभी गाड़ियों और रेल कार से संबंधित आंकड़े ''अन्य'' के अंतर्गत दिखाए जाएंगे जैसे कि मद 20.08 से 20.19 के अंतर्गत उपलब्ध किए जाते हैं.
5. मद 20.21 से 20.27 तथा 20.29 के लिए विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों से संबंधित आंकड़े अलग से दर्शाए जाएं। मद 20.28 के लिए आंकड़े केवल कॉलम 9 में दर्शाए जाएं - कुल सभी कर्षण के अंतर्गत.
6. छोटी लाइन के मामले में आंकड़े केवल मद 20.16 से 20.18, 20.26 तथा 20.77 (iii) के लिए दिये जाएं.
7. रेलवे पर समाप्त होने वाली गाड़ियों तथा अन्य रेलों पर कर्षित गाड़ियों के लिए आंकड़े अलग से अपेक्षित हैं। जंक्शनो पर टर्मिनेट होने वाली अन्य रेलों द्वारा संचालित गाड़ियां उपयोगकर्ता रेलों द्वारा जिन पर गाड़ियां चली है दिखाई जाएंगी उदाहरणार्थ पश्चिम रेलवे पर चलने वाली गाड़ियों तथा रेवाड़ी में टर्मिनेट होने वाली गाड़ियों जो उत्तर रेलवे द्वारा संचालित संयुक्त जंक्शन है को उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अन्य टर्मिनेटिंग गाड़ियों के अंतर्गत लेखों में लिखा जाएगा.
8. इस विवरण में विभिन्न मदों के लिए आंकड़े अनुकूल मदों के लिए वार्षिक आंकड़े विवरण 1-क, 2 तथा 9 भाग-1 के मासिक विवरणों के कालम 2(क) और 2(ख) में दर्शाए जाएंगें.

Statment 20 – Running of Trains and Speed of Goods Trains

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 15th May of the following financial year.
2. The figures shall be furnished separately by gauges.
3. All results shall be worked out correct to one place of decimal, but those which are less than 10 shall be worked out correct to two places of decimal.
4. The running of passenger and mixed trains (including rail cars) hauled by different types of locomotives, viz. steam. Diesel and electric as well as electric multiple units is to be included in item 20.01 to 20.20. The figures relating to electric multiple unit services are however, to be exhibited separately against EMU and all other traction trains including the suburban trains hauled by electric locomotives on "push and pull" system rail and cars shall be shown against “others” as provided for in the items 20.08 to 20.19.
5. The figures for items 20.21 to 20.27 and 20.29 relating to the various types of locomotives shall be shown separately. The figures for item 20.28 shall be reported in Col. 9 only-under total all tractions.
6. In the case of Narrow Gauge figures shall be given only for item 20.16 to 20.18, 20.26 and 20.27 (iii)
7. The figures are required separately for trains terminating on the Railway and train handed over to other Railways. Trains terminating at junctions worked by other Railways will be shown by the using Railways on which the train has run, for example trains running over Western Railway and terminating at Rewari a joint junction worked by Northern Railway shall be accounted for other terminating trains by North Western Railway.
8. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures for the corresponding items given in columns 2(a) and 2(b) of the monthly statement I A, 2 and 9 Pt.-I.

विवरण की मद Item in this statement	मासिक विवरण में तदनुरूपी मद/Corresponding item in the Monthly Statement			टिप्पणी Remarks
	बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए For B.G. & M.G.		छोटी लाइन के लिए For N.G.	
1	2(a)(क)		2(b)(ख)	3
20.01	1.01	of St. 1A विवरण 1क का	Not required/अपेक्षित नहीं	
20.02	1.02	"	"	
20.03	1.03	"	"	
20.04	1.04	"	"	
20.05	1.05	"	"	
(i)	(i)	"	"	
(ii)	(ii)	"	"	
20.06	1.06	"	"	
20.07	1.07	"	"	
20.08	1.08	"	"	
20.09	1.09	"	"	
20.10	1.10	"	"	
20.11	1.11	"	"	
(i)	(i)	"	"	
(ii)	(ii)	"	"	
20.12	1.12	"	"	
20.13	1.13	"	"	
20.14	1.14	"	"	
20.15	1.15	"	"	
(i)	(i)	"	"	
(ii)	(ii)	"	"	
20.16	1.16	"	विवरण 9 भाग I का 1.01+1.04 1.01+1.04 of St. 9 Pt. I	
20.17	1.17	"	विवरण 9 भाग I का 1.02+1.05 1.02+1.05 of St. 9 Pt. I	
20.18	1.18	"	$\frac{\text{मद /Item 20.17}\times 100}{\text{मद /Item 20.16}}$	
20.19	1.19	"	Not required/अपेक्षित नहीं	
(i)	(i)	"	"	
(ii)	(ii)	"	"	
20.21	7.01	of St. 2/विवरण 2 का	"	
20.22	7.02	"	"	
20.23	7.03	"	"	
20.24	7.04	"	"	
20.25	7.05	"	"	
20.26	7.06	"	7 of St. 9 Pt. I /विवरण 9 भाग I का 7	

विवरण की मद Item in this statement	मासिक विवरण में तदनुरूपी मद/Corresponding item in the Monthly Statement		टिप्पणी Remarks
	बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए For B.G. & M.G.	छोटी लाइन के लिए For N.G.	
1	2(a)(क)	2(b)(ख)	3
20.27	7.07	"	7 of St 9 Part-I/विवरण 9 भाग-I का
(i)	4.01	"	Not required/अपेक्षित नहीं
(ii)	4.02	"	विवरण 9 भाग । का 1.07
(iii)	4.03	"	1.07 of Statement 9 Pt. I
20.28			
(a)	14.04(1) (i) of St. 2 विवरण 2 का		अपेक्षित नहीं Not required
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(b)	14.04(2) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(c)	14.04(3) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(d)	14.04(4) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(e)	14.04(5) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(f)	14.04(6) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(g)	14.04(7) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(h)	14.04(8) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
(i)	14.04(9) (i) of St. 2 विवरण 2 का		"
	(ii) of St. 2 विवरण 2 का		"
20.29			
(i)	15.01 of St. 2 विवरण 2 का		"
(ii)	15.02 of St. 2 विवरण 2 का		"
(iii)	15.03 of St. 2 विवरण 2 का		"
(iv)	15.04 of St. 2 विवरण 2 का		"

9. इस विवरण तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण 1 क, 2 तथा 9 भाग-I के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों में किसी अंतर को एक अलग ज्ञापन में उचित रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

10. जहां किन्हीं मदों को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां से इसकी अनुदेशिका वाल्यूम I में की गई मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

9. Any difference between the figures in this statement and the corresponding figures in the monthly Statements IA, 2 and 9 Pt. I for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

10. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the Monthly Statements as given in the Manual of Statistical instructions Volume I. Shall be followed.

11. मद 20.21 से 20.26 तक के परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त मौलिक यूनिट नीचे दिए गए संलग्नक के अनुसार भेजी जाएगी –

मद 20.21 : इकहरे लाइन खंडों पर थ्रू मालगाड़ियों के गाड़ी किलोमीटर

थ्रू मालगाड़ियों के गाड़ी इंजन घंटे+इकहरे लाइन खंडों पर चालन के दौरान गाड़ी इंजनों द्वारा तदनुरूपी शंटिंग इंजन घंटे.

मद 20.22 : दोहरे/बहुलाइन खंडों पर थ्रू मालगाड़ियों के गाड़ी किलोमीटर

थ्रू मालगाड़ियों के गाड़ी इंजन घंटे+दोहरे/बहुलाइन खंडों पर चालन के दौरान गाड़ी इंजनों द्वारा तदनुरूपी शंटिंग इंजन घंटे.

मद 20.23: मद 20.21+20.22 के लिए गाड़ी किलोमीटर

गाड़ी इंजन घंटे + मद 20.21 + 20.22 के लिए चालन के दौरान गाड़ी इंजनों द्वारा तदनुरूपी भी शंटिंग इंजन घंटे.

मद 20.24 : इकहरे लाइन खंड़ों पर यान मालगाड़ियों तथा शंटिंग (पिकआप) गाड़ियों की किलोमीटर दूरी सहित सभी मालगाड़ियों के गाड़ी किलोमीटर

सभी मालगाड़ियों के गाड़ी इंजन घंटे+इकहरे खंडों पर चालन के दौरान गाड़ी इंजनों द्वारा तदनुरूपी शंटिंग इंजन घंटे.

मद 20.25 : दोहरे/बहुलाइन खंडों पर यान मालगाड़ियों तथा शंटिग (पिक-अप) गाड़ियों की किलोमीटर दूरी सहित सभी मालगाड़ियों के गाड़ी किलोमीटर

सभी मालगाड़ियों के गाड़ी इंजन घंटे+दोहरे/बहुलाइन खंडों पर चालन के दौरान गाड़ी इंजनों द्वारा तदनुरूपी शंटिंग इंजन घंटे.

मद 20.26 : मद 20.24+20.25 के गाड़ी किलोमीटर

गाड़ी इंजन घंटे + मद 20.24+20.25 के लिए चालन के दौरान गाड़ी इंजनों द्वारा तदनुरूपी शंटिंग इंजन घंटे.

टिप्पणी : छोटी लाइन के संबंध में मूलभूत आंकड़े मद 20.26 के अंर्तगत दिखाए जाएंगे.

11. Fundamental units used in working out the results of items 20.21 to 20.26 shall be sent in the Annexure as given below—

Item 20.21 : Train kms of through goods trains on single line sections

Train engine hours of through goods trains+corresponding shunting engine hours by train engines during the run on single line sections.

Item 20.22 : Train kms of through goods trains on double/ multiple line sections.

Train engine hours of through goods trains + corresponding shunting engine hours by train engines during the run on double/multiple line sections.

Item 20.23 : Train kms items 20.21+20.22

Train engine hours+corresponding shunting engine hours by train engines during the run for items 20.21+20.22.

Item 20.24 : Train kms of all goods trains including kilometrage of van goods trains and shunting (pick up) trains on single line sections.

Train engine hours of all goods trains + corresponding shunting engine hours by train engines during the run on single line sections.

Item 20.25 : Train kms of all goods trains including kilometrage of van goods trains and shunting (pick up) trains on double/multiple line sections.

Train engine hours of all goods trains + corresponding shunting engine hours by train engines during the run on double/multiple line sections.

Item 20.26 : Train kms items 20.24 + 20.25

Train engine hours + corresponding shunting engine hours by train engines during the run for items 20.24+20.25.

Note : The fundamental figures in respect of Narrow Gauge shall be furnished only against item 20.26.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 21
Statement - 21

शंटिंग और खाली चालन
Shunting and Light Running

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	संख्या/Number						
		भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/Electric		कुल सभी कर्षण Total all traction
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक और यांत्रिक Hyd. & Mech.	कुल Total	ए.सी. AC	डी.सी. DC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केवल बड़ी लाइन और मीटर लाइन के लिए **For Broad Gauge and Metre Gauge only**							
	सवारी और मिली-जुली गाड़ियों का अनुपात (विभागीय गाड़ियों को छोड़कर)- Passenger & proportion of mixed (excluding departmental) –							
21.01	शंटिंग किलोमीटर प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर Shunting kilometres per 100 train kilometres							
21.02	खाली इंजन किलोमीटर प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर Light engine kilometres per 100 train kilometres							
21.03	खाली और अनपेक्षित सहायक इंजन किलोमीटर प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर माल गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का अनुपात (विभागीय को छोड़कर) Light and assisting not required engine kilometres per 100 train kilometres Goods and proportion of mixed (excluding departmental)							
21.04	शंटिंग इंजन किलोमीटर प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर Shunting engine kilometres per 100 train kilometres							
21.05	खाली इंजन किलोमीटर प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर Light engine kilometres per 100 train kilometres							
21.06	खाली और अनपेक्षित सहायक इंजन किलोमीटर प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर Light and assisting not required engine kilometres per 100 train kilometres							
	केवल छोटी लाइन के लिए **For Narrow Gauge only**							
21.07	अन्य इंजन किलोमीटर (शटिंग सहित, लेकिन विभागीय को छोड़कर) प्रति 100 गाड़ी किलोमीटर पर Other engine kilometres (including shunting, but excluding departmental) per 100 train kilometres							

इस विवरण में, पिछले और चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 21- शंटिंग और खाली चालन

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली, को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.
2. प्रत्येक लाइन और प्रत्येक कर्षण के लिए आंकड़े अलग से दिए जाएंगे केवल मद 21.01, 21.04 और 21.07 को छोड़कर जिनके लिए आंकड़े कुल सभी कर्षणों के अंतर्गत अपेक्षित होंगे.
3. इस विवरण में विद्युत बहु इकाई (ई.एम.यू.) गाड़ियों और रेल कारों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाएंगे. तथापि ''पुश और पुल'' प्रणाली पर बिजली रेल इंजनों द्वारा चलाई जा रही उपनगरीय गाड़ियों और गैर-उपनगरीय खंडों पर चलने वाली ईएमयू गाड़ियों से संबंधी आंकड़े शामिल किए जाएंगे.
4. सभी परिणाम दशमलव के ठीक एक स्थान तक निकाले जाएंगे, लेकिन जो दस से कम है, उन्हें दशमलव के ठीक दो स्थानों तक निकाला जाएगा.
5. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़े नीचे कालम 2 में दी गयी मदों के सामने संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरण 1-ख और 2 में दर्शाए गए संचयी आंकड़ों से मेल खाने चाहिएं.

इस विवरण की मद	मासिक विवरण की तदनुरूपी मद बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए	टिप्पणी
21.01	विवरण 1-ख का 8	
21.02	विवरण 1-ख का 9	
21.03	विवरण 1-ख का 10	
21.04	विवरण 2 का 11	
21.05	विवरण 2 का 12	
21.06	विवरण 2 का 13	

छोटी लाइन के लिए

6. $\text{मद } 21.07 = \frac{(\text{विवरण 17 की मद } 17.08+17.09) \times 100}{\text{मद } 17.06}$

7. अन्य इंजन किलोमीटर में शंटिंग, अपेक्षित सहायक, अनपेक्षित सहायक, खाली और साइडिंग इंजन किलोमीटर शामिल हैं लेकिन विभागीय नहीं.

8. इस विवरण के आंकड़ों और संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरणों 1-ख और 2 के तदनुरूपी संचयी आकड़ों के बीच किसी भी अंतर को उपयुक्त रूप से अलग ज्ञापन में स्पष्ट किया जाए.

9. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए जाते, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका -जिल्द-I में दिए गए मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधी अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

Statment 21– Shunting and Light Running

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 15th May of the following financial year.
2. The figures shall be furnished separately for each gauge and for each traction except for items 21.01, 21.04 & 21.07 for which figures shall be required under total all tractions.
3. The figures relating to electric multiple units and rail cars shall not be included in this statement. The figures relating to the suburban trains handled by electric locomotives on "push and pull" systems and EMU trains on non-suburban sections shall, however, be included.
4. All results shall be worked out correct to one place of decimal, but those which are less than ten, shall be worked out correct to two places of decimal.
5. The figures for the various items in this statement shall agree with cumulative figures shown in the Monthly Statements, 1-B and 2 for March of the year concerned, against items given in column 2 below:

Item in this statement	Corresponding item in the Monthly Statements for B.G. & M.G.	Remarks
21.01	8 of St. 1-B	
21.02	9 of St. 1-B	
21.03	10 of St. 1-B	
21.04	11 of St. 2	
21.05	12 of St. 2	
21.06	13 of St. 2	

For N.G.

6. $\text{Item } 21.07 = \frac{(\text{Items } 17.08+17.09 \text{ of St. } 17) \times 100}{\text{Item } 17.06}$

7. Other engine kilometres include shunting, assisting required, assisting not required, light and siding but not departmental.
8. Any difference between the figures of this statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statements, I-B & 2 for March of the year concerned, should be suitably explained in a separate memorandum.
9. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements as given in the Manual of Statistical Instructions-Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 22
Statement - 22

इंजनों का उपयोग
Engine Usage

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	संख्या/Number						
		भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/Electric		कुल
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक और यांत्रिक Hyd & Mech.	कुल Total	ए.सी. AC	डी.सी. DC	सभी कर्षण Total all traction
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	इंजनों की औसत संख्या -							
	Average number of engines –							
22.01	प्राधिकृत स्टॉक Authorised stock							
22.02	लाइन पर On line							
22.03	मरम्मताधीन या मरम्मत के लिए पड़े Under or awaiting repairs							
22.04	प्रभावी (उपयोग के लिए उपयुक्त) Effective (fit for use)							
22.05	छोटी-मोटी मरम्मत/निरीक्षण के लिए पड़े इंजन Under minor servicing inspection							
22.06	अच्छी तरह मरम्मत करके भंडार में रखे गए इंजनों की वास्तविक संख्या Actual number in good repair stored							
22.07	उपयोग के लिए उपलब्ध Available for use							
	निम्नलिखित के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध इंजनों की औसत संख्या -							
	Average number in use on –							
22.08	सवारी गाड़ी Passenger service							
22.09	मिली-जुली गाड़ी Mixed service							
22.10	माल गाड़ी Goods service							
22.11	शंटिंग, साइडिंग सहित Shunting including siding							
22.12	विभागीय सेवा Departmental service							
22.13	जोड़ Total							
22.14	अतिरिक्त इंजनों की औसत संख्या Average number spare							

विवरण - 22 *(जारी)*
Statement - 22 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9

निम्नलिखित के लिए उपयोग में इंजन किलोमीटर प्रति दिन प्रति इंजन –
Engine kilometres per day per engine in use on –

22.15 सवारी गाड़ी
Passenger service

22.16 मिली-जुली गाड़ी
Mixed service

22.17 माल गाड़ी
Goods service

22.18 सभी गाड़ियां
All services

निम्नलिखित के लिए लाइन पर प्रति दिन प्रति इंजन किलोमीटर –
Engine kilometres per day per engine on line on–

22.19 सवारी गाड़ी
Passenger service

22.20 मिली-जुली गाड़ी
Mixed service

22.21 माल गाड़ी
Goods service

22.22 सभी गाड़ियां
All services

खराब इंजनों की संख्या –
Number of engine failures –

22.23 सवारी गाड़ियों में
On passenger trains

22.24 मिली-जुली गाड़ियों में
On mixed trains

22.25 माल गाड़ियों में
On goods trains

22.26 जोड़
Total

प्रत्येक इंजन के खराब होने पर इंजन किलोमीटर –
Engine kilometres per engine failure –

22.27 सवारी गाड़ियों में
On passenger trains

22.28 मिली-जुली गाड़ियों में
On mixed trains

22.29 माल गाड़ियों में
On goods trains

22.30 औसत
Average

विवरण - 22 *(समाप्त)*
Statement - 22 *(Concld.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	शुद्ध टन किलोमीटर –							
	Net tonne kilometres –							
22.31	लाइन पर प्रति माल इंजन दिन Per goods locomotive day on line							
22.32	उपयोग में प्रति माल इंजन दिन Per goods locomotive day in use							
	घंटे चला –							
	Hours worked –							
22.33	उपयोग के लिए उपलब्ध प्रति इंजन प्रति दिन Per day per engine available for use							

इस विवरण, में पिछले और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 22 - इंजनों का उपयोग

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुंच जाए.
2. आंकड़े आमान वार अलग-अलग दर्शाए जाएंगे.
3. सभी परिणाम निकटतम पूर्णांक तक निकाले जाएंगे केवल मद 22.33 को छोड़कर जिसे दशमलव के केवल एक स्थान तक निकाला जाएगा लेकिन 10 से कम होने पर दशमलव के दो स्थानों तक निकाला जाएगा.
4. विभिन्न प्रकार के इंजनों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित के अनुसार विभिन्न कॉलमों में अलग-अलग दर्शाए जाएंगे -

भाप	डीजल			बिजली		जोड़
	बिजली	हाइड्रॉलिक तथा यांत्रिक	कुल डीजल	ए.सी.	डी.सी.	

5. ई.एम.यू. गाड़ियों से संबंधित आंकड़े इस विवरण में शामिल नहीं किए जाएंगे.
6. **लाइन पर इंजनों की औसत संख्या**- मद 22.02 में लाइन पर वस्तुत: चल रहे इंजनों की औसत संख्या शामिल की जाए, जिसमें प्रस्थापित किए जा चुकने के बावजूद चलाए जा रहे अथवा फालतू इंजन के तौर पर अलग रखे गए इंजन भी शामिल हैं. अन्य रेलों, अन्य विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों के लिए अन्य रेलों को उधार दिए गए इंजन, जब वे चालू लाइन पर काम न कर रहे हों और नकारे घोषित कर दिए गए हों अथवा यातायात से वापस ले लिए गए हों अथवा वे इंजन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के बाद जिनकी मरम्मत पैरा 239-एफ की शर्तों के अनुसार अलाभकर हों, भले ही नकारा घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त न हुई हो, शामिल नहीं किए जाएंगे, लेकिन दूसरी रेलों आदि से भाड़े पर लिए गए इंजन शामिल किए जाएंगे. अत: इनमें वे इंजन शामिल किए जाएंगे जो दुर्घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हों अथवा जिनकी भारी मरम्मत की जानी हो, यदि उन इंजनों को उपरोक्त पैरा 239-एफ की शर्तों के अनुसार मरम्मत के लिए अलाभकर घोषित नहीं कर दिया जाए. कारखानों के लिए पूर्णत: आबंटित इंजन, जिनमें प्रयुक्त ईधन का मूल्य विभागों के नाम प्रभारित किया जाता है तथा जिनकी किलोमीटर दूरी सांख्यिकी में शामिल नहीं की जाती, भी शामिल किए जाएंगे लेकिन उनकी संख्या पाद-टिप्पणी में दर्शाई जाएगी. (मासिक विवरण 4क की मद 2 के संकलन के अनुदेश भी देखें).
7. **मरम्मताधीन अथवा मरम्मत के लिए पड़े हुए इंजनों की औसत संख्या**-मद 22.03. इसमें कारखानों में मरम्मताधीन अथवा मरम्मत के लिए पड़े हुए, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए, तथा अत्यधिक मरम्मत के लिए पड़े इंजनों सहित कारखानों में मरम्मत के लिए शैड में पड़े इंजन, शैडों में मरम्मताधीन तथा यांत्रिक तथा बिजली पर शैडों/कारखानों से मार्गस्थ इंजन शामिल होगें. यह सूचना आबंटन के आधार पर संकलित की जाएगी. डीज़ल बिजली तथा बिजली इंजनों के मामले में, सूचना घंटों के आधार पर संकलित की जाएगी लेकिन पूरे कैलेंडर दिवस के लिए मरम्मताधीन

Statment 22 – Engine Usage

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 31st August of the following financial year.
2. The figures shall be furnished separately by gauges.
3. All the results shall be rounded off to the nearest whole number, except in respect of item 22.33, in which case this shall be worked out correct to one place of decimal, but if less than ten, shall be worked out correct to two places of decimal.
4. The figures for the various types of locomotives shall be shown separately in different columns as follows –

Steam	Diesel			Electric		Total
	Electric	Hyd. & Mech.	Total Diesel	AC.	DC.	

5. The figures relating to Electric Multiple Units shall not be included in this statement.
6. **Average number of engines on line**–Item 22.02 shall include the average number of engines actually on line, including those replaced but still running or laid aside as spare. Engines lent to other Railways, other departments or home line construction, when not working on open line as well as those condemned or withdrawn from traffic or those which, after inspection by proper authority, are declared to be uneconomic to repair in terms of para 239-F, irrespective of whether the sanction for condemnation of the competent authority has been received or not, shall be excluded, but those hired from other Railways are to be included. Thus it shall include the engines damaged due to accidents or requiring heavy repairs, unless declared uneconomic for repairs in terms of para 239-F quoted above. Engines exclusively allotted to workshops, the fuel used on which is charged to departments and the kilometrage of which is not included in statistics, are also to be included but their number shown in a foot-note. (Also see instructions for compiling item 2 of Monthly Statement 4A).
7. **Average number of engines under or awaiting repairs**–Item 22.03. It shall include: engines under or awaiting repairs in workshops, stabled in sheds awaiting workshop repairs including accident damaged and locos needing heavy repairs, under repairs in sheds and engines in transit to and from sheds/workshops on mechanical and electrical account. The information shall be compiled on allotment basis. In case of diesel electric and electric locos, the

अथवा मरम्मत के लिए पड़े हुए इंजनों को इस मद में शामिल किया जाएगा तथा एक कैलण्डर दिवस के भाग के लिए मरम्मताधीन अथवा मरम्मत के लिए पड़े इंजनों को मद 22.05-छोटी-मोटी मरम्मत/निरीक्षण के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा. (मासिक विवरण 4क की मद 3 को संकलित करने के लिए अनुदेश भी देंखें).

8. प्रभावी (उपयोग के लिए उपयुक्त) इंजनों की औसत संख्या-मद 22.04= मद 22.02-मद 22.03.

9. **अच्छी तरह मरम्मत करके भंडार में रखे गए इंजनों की औसत संख्या**- मद 22.06 में पूरे कैलेंडर माह के दौरान अच्छी तरह मरम्मत करके भंडार में रखे गए इंजनों की वास्तविक संख्या शामिल की जाएगी, अर्थात्, वे इंजन जिनकी यद्यपि अच्छी तरह मरम्मत की गई है लेकिन उनके पुर्जों में ग्रीस या सीसा लगे होने के कारण वे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है. इंजन जो दिन प्रतिदिन मात्र फालतू लेखों में हों, उन्हें मद 22.14 में शामिल किया जाएगा.

10. **उपयोग के लिए उपलब्ध इंजनों की औसत संख्या**- मद 22.07=मद 22.04 - मद 22.05- मद 22.06. भाप तथा डीज़ल हाइड्रॉलिक एवं यांत्रिक इंजनों के मामलों में मद 22.07 प्रत्येक रेलवे की मद 22.13 तथा मद 22.14 के कुल जोड़ से मेल खाएगी, लेकिन डीज़ल बिजली/बिजली (एसी+डीसी) इंजनों के मामले में, इंजन के उपयोग के आंकड़ों का संकलन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा, यह कुल मिलाकर भारतीय रेल आमान से मेल खाता होगा. अत: आंकड़ों के विनिमय द्वारा प्रत्येक रेलवे पर इंजनों के प्रयोग के आंकड़ों का समाधान करना आवश्यक होगा. इस विवरण के संलग्नक में सूचना का संकलन 10 जून तक कर लिया जाएगा, संबंधित रेलवे को प्रेषित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी. विभिन्न रेलों से रेलवे बोर्ड कार्यालय में यह सूचना प्राप्त होने पर, प्रत्येक रेलवे के आंकड़ों का अन्तर संबंधित रेलवे को बता दिया जाएगा. रेलें, बोर्ड को अंतिम विवरण भेजने की तारीख अर्थात 31 अगस्त से पहले एक दूसरे के साथ अंतर के संबंध में समाधान करेंगी ताकि सही आंकड़े भेजे जा सकें.

11. **विभिन्न गाड़ियों में प्रयुक्त इंजनों की औसत संख्या- मद 22.08 से 22.13**- भाप तथा डीजल हाइड्रॉलिक तथा यांत्रिक इंजनों के मामले में, उपयोग का लेखा-जोखा, कैलेडर दिवस तथा आबंटन के आधार पर लिया जाएगा. पूरे दिन या दिन के भाग के लिए उपयोग किए गए इंजनों को पूरे दिन के लिए उपयोग में माना जाएगा. डीजल बिजली तथा बिजली इंजनों के मामले में, इसका निर्धारण घंटों के आधार पर तथा क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा. (मासिक विवरण सं. 4-क की मद 6.01 से 6.06 तक के संकलन के लिए अनुदेश भी देखें).

12. **इंजनों (अतिरिक्त) की औसत संख्या**-मद 22.14-भाप/डीज़ल (हाइड्रॉलिक तथा यांत्रिक) इंजनों के मामले में, किसी इंजन को अतिरिक्त इंजन तभी मानना चाहिए यदि वह किसी भी दिन आधी रात से आधी रात तक 24 घंटे के लिए वास्तव में कार्यरत न रहा हो.

information shall be compiled on hourly basis, but engines under or awaiting repairs for full calendar day shall be included in this item and engines under or awaiting repairs for part of a calendar day shall be included under item 22.05–Minor Servicing/Inspection. (Also see instructions for compiling item 3 of Monthly Statement 4A).

8. Average number of engines effective (fit for use) – Item 22.04=Item 22.02–Item 22.03.

9. **Average number in good repair stored–**Item 22.06 shall include the actual number of engines stored in good repair for whole of the calendar month, that is, the number of engines which although in good repair, are not available for use owing to their parts having been greased or leaded. Engines, which are merely spare from day-to-day, shall be included in item 22.14.

10. **Average number of engines available for use–**Item 22.07= Item 22.04–Item 22.05–Item 22.06. In the case of Steam and Diesel Hydraulic & Mechanical engines, Item 22.07 shall tally with total of item 22.13 and item 22.14 on each Railway, but in the case of Diesel Electric/Electric (AC+DC) engines, the compilation of engine usage statistics which is based on territorial basis, shall tally with the Indian Railways gauge as a whole. It shall be, therefore, necessary to reconcile the figures of engine utilisation on each Railway by exchange of data. The information in the Annexure to this statement shall be compiled by 10th June, forwarded to the concerned Railway and a copy to the Railway Board. In the Railway Board's Office, on receipt of this information from various Railways, the difference in each Railway figures shall be pointed out to the Railways concerned. The Railways shall reconcile the difference with each other before the date of final submission of the statement to the Board i.e., 31st August so that the correct figures are reported.

11. **Average number in use on different services–**Items 22.08 to 22.13. In the case of Steam and Diesel Hydraulic & Mechanical engines, the accountal of the usage shall be based on calendar day basis and allotment basis. The engines in use for a day or part of a day shall be taken as engines in use for full day. In the case of Diesel Electric and Electric engines, it shall be based on hourly and territorial basis. (Also see instructions for compiling items 6.01 to 6.06 of Monthly Statement No. 4A).

12. **Average number of engines (spare)–**Item 22.14. In the case of Steam/Diesel (Hydraulic & Mechanical) engines, an engine is to be considered as 'spare' only if not actually working during the 24 hours of any one day from midnight to midnight.

डीजल बिजली/बिजली इंजनों के मामले में, संख्या का निर्धारण घंटों तथा क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा. परिवहन की आवश्यकताओं से फालतू लेकिन उपयोग के लिए उपयुक्त इंजन जो विशिष्ट शैडों/बाहरी स्थलों पर 12 घंटे या उससे अधिक समय के लिए लगातार शेडों में स्थाई रूप से खड़े रहते हैं उनकी गणना अतिरिक्त इंजनों के रूप में की जाएगी. (मासिक विवरण सं. 4क की मद 6.07 को संकलित करते समय अनुदेश भी देखें).

13. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण सं. 4क कॉलम 2 की मदों के सामने दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों के अनुरूप होंगे –

विवरणी मदें	मासिक विवरण की तदनुरूपी मद	टिप्पणी
1	2	3
22.01	विवरण 4क का 1	
22.02	विवरण 4क का 2	
22.03	विवरण 4क का 3.05	
22.04	विवरण 4क का 4	
22.05	विवरण 4क का 5क(iii)	
22.06	विवरण 4क का 5ख	
22.07	विवरण 4क का 5ग	
22.08	विवरण 4क का 6.01	
22.09	विवरण 4क का 6.02	
22.10	विवरण 4क का 6.03	
22.11	विवरण 4क का 6.04	
22.12	विवरण 4क का 6.05(iii)	
22.13	विवरण 4क का 6.06	
22.14	विवरण 4क का 6.07	
22.15	विवरण 4क का 9.01	
22.16	विवरण 4क का 9.02	
22.17	विवरण 4क का 9.03	
22.18	विवरण 4क का 11	
22.19	विवरण 4क का 10.01	
22.20	विवरण 4क का 10.02	
22.21	विवरण 4क का 10.03	
22.22	विवरण 4क का 12	
22.23	विवरण 4क का 13.01(क)	
22.24	विवरण 4क का 13.01(ख)	
22.25	विवरण 4क का 13.01(ग)	
22.26	विवरण 4क का 13.01(घ)	
22.27	विवरण 4क का 13.02(क)	
22.28	विवरण 4क का 13.02(ख)	
22.29	विवरण 4क का 13.02(ग)	
22.30	विवरण 4क का 13.02(घ)	

In the case of Diesel Electric/Electric engines, the number shall be based on hourly and territorial basis. Locomotives surplus to traffic requirements but fit for use which are stabled at specified Sheds/Out-station points for a consecutive period of 12 hours or more are to be reckoned as 'spare'. (Also see instructions for compilation of item 6.07 of Monthly Statement No. 4A).

13. The figures for the various items in this statement shall agree with cumulative figures shown in the Monthly Statements No. 4A for March of the year concerned against items given in column 2 below –

Item in this statement	Corresponding item in the Monthly Statement	Remarks
1	2	3
22.01	1 of Statement 4A	
22.02	2 of Statement 4A	
22.03	3.05 of Statement 4A	
22.04	4 of Statement 4A	
22.05	5A(iii) of Statement 4A	
22.06	5B of Statement 4A	
22.07	5C of Statement 4A	
22.08	6.01 of Statement 4A	
22.09	6.02 ”	
22.10	6.03 ”	
22.11	6.04 ”	
22.12	6.05(iii) ”	
22.13	6.06 ”	
22.14	6.07 ”	
22.15	9.01 ”	
22.16	9.02 ”	
22.17	9.03 ”	
22.18	11 ”	
22.19	10.01 ”	
22.20	10.02 ”	
22.21	10.03 ”	
22.22	12 ”	
22.23	13.01(a) ”	
22.24	13.01(b) ”	
22.25	13.01(c) ”	
22.26	13.01(d) ”	
22.27	13.02(a) ”	
22.28	13.02(b) ”	
22.29	13.02(c) ”	
22.30	13.02(d) ”	

14. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च के मासिक विवरण 4क के तदनुरूपी आंकड़ों के बीच किसी अंतर को एक अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

15. मासिक विवरण सं. 3क की मद 5 के लिए सांख्यिकी अनुदेशिका, जिल्द-I के पृष्ठ 63 पर किए गए अनुदेश मद 22.31 पर भी लागू होंगे सिवाय इसके कि बीजकों के आधार पर शुद्ध टन किलोमीटरों को इस वार्षिक विवरण के लिए भी अपनाया जाएगा.

16. **उपयोग में प्रति माल इंजन दिन शुद्ध टन किलोमीटर - मद 22.32.** भाप तथा डीजल हाइड्रॉलिक तथा यांत्रिक इंजनों के मामले में उपयोग में शुद्ध टन किलोमीटर/इंजन दिन के आंकड़ों का संकलन आबंटन के आधार पर किया जाएगा. डीजल बिजली/बिजली इंजन के मामलों में, आंकड़े क्षेत्रीय आधार पर संकलित किए जाएंगे. शुद्ध टन किलोमीटर वार्षिक विवरण सं. 16 की मद 16.01 के अनुसार होंगे. उपयोग में इंजन दिन निकालने के लिए मद 22.10 जमा मद 22.09 तथा 22.11 में शामिल उपयोग में इंजनों की औसत संख्या के माल अंश को लिया जाएगा. मिली-जुली गाड़ियों में प्रयुक्त इंजन-मद 22.09 की सवारी और माल गाड़ियों में, उन पर चालित किलोमीटर के अनुपात में कोचिंग वाहन किलोमीटर (ब्रेकयान सहित) तथा माल वाहन किलोमीटर में बांट दिया जाएगा.

शंटिंग सेवाओं पर प्रयुक्त इंजन-मद 22.11 को सवारी और माल सेवाओं के बीच सवारी और माल शंटिंग किलोमीटरों (साइडिंग सहित) के अनुपात में बांट दिया जाएगा.

17. मद 22.33 ——— इंजन घंटे जो विवरण 18 की मद 18.06 में दिए गए हैं+अन्य रेलों पर अपनी रेलवे के इंजनों के इंजन घंटे-अपनी रेलवे पर अन्य रेलों के इंजन के इंजन घंटे

———

प्रतिदिन उपलब्ध इंजन, जैसा कि मद 22.07 में × वर्ष में दिनों की संख्या

18. विवरण सं. 22 के परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त मौलिक इकाइयां अनुबंध-II में प्रस्तुत की जाएंगी.

19. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गये हैं, सांख्यिकी अनुदेशिका -जिल्द-I में दिए गए मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधी अनुदेशों का पालन किया जाएगा.

14. Any difference between the figures of this statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statement 4A for March of the year concerned, shall be suitably explained in a separate memorandum.

15. The instructions for item 5 of Monthly Statement 3A given on page 63 of the Manual of Statistical Instructions–Volume-I, apply to item 22.31 except that net tonne kilometres based on invoices shall be adopted for this annual statement.

16. **Net tonne kilometres per goods locomotive day in use–Item 22.32.** In the case of Steam and Diesel Hydraulic & Mechanical engines, the data of NTKMs/locomotive day in use shall be compiled on allotment basis. In the case of Diesel Electric/Electric engines, the data shall be compiled on territorial basis. Net tonne kilometres shall correspond to item 16.01 of Annual Statement 16. The locomotive days in use shall be worked out by taking item 22.10 plus goods proportion of average number of engines in use included in items 22.09 and 22.11–Engines used on mixed service–item 22.09 shall be divided between passenger and goods services in the proportion of coaching vehicle kilometres (including brake vans) and goods wagon kilometres run on them.

Engines used on shunting services–Item 22.11 shall be divided between passenger and goods services in the ratio of passenger and goods shunting kilometres (including siding).

17. Item 22.33——— Engine hours as in item 18.06 of St. 18+Engine hours of home Railway engines on other Railways–engine hours of other Railways' engine on home Railway.

———

Engines available per day as in item 22.07 x number of days in the year.

18. Fundamental units used in working out the results of Statement 22 shall be furnished in Annexure-II.

19. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements as given in the Manual of Statistical Instructions-Volume-I, shall be followed.

अनुबंध/Annexure-I

.....रेलवे/Railway

डीजल बिजली, बिजली ए.सी./डी.सी. इंजनों के लिए अलग से अनुदेशों के पैरा 10 के अनुसार विवरण सं. 22 का अनुबंध
Annexure to Statement No. 22 vide Para 10 of the instructions separately for Diesel Electric, Electric AC/DC Engines

आमान : बड़ी लाइन/मीटर लाइन
Gauge: BG/MG

	व्यौरा Description	डीजल बिजली Diesel Electric	बिजली/Electric	
			एसी AC	डीसी DC
1	2	3	4	5

क. उपयोग के लिए उपलब्ध इंजनों की औसत संख्या (मद सं. 22.07) (आंबटन के आधार पर)
A. Average number of engines available for use (Item No. 22.07)
(On allotment basis)

ख. सभी गाड़ियों में उपयोग में लाए जाने वाले इंजनों की औसत संख्या (मद सं. 22.13)
(क्षेत्रीय आधार पर)
B. Average number of engines in use on all services (Item No. 22.13)
(On territorial basis)

ग. इंजनों के अतिरिक्त पुर्जों की औसत संख्या (मद सं. 22.14) (क्षेत्रीय आधार पर)
C. Average number of engines spare (Item No. 22.14)
(On territorial basis)

घ. अपनी रेलवे पर इतर रेलवे इंजन, जो मद सं. 22.13 तथा 22.14 के आंकड़ों में शामिल हैं (क्षेत्रीय आधार पर)
D. Foreign Railway engines over Home Railway as included in figures against items 22.13 and 22.14 (On territorial basis)

..... रेलवे/Railway
..... रेलवे/Railway
..... रेलवे इत्यादि/Railway etc.
..... जोड़/Total

ङ इतर रेलवे पर प्रयुक्त अपनी रेलवे के इंजन (रेलवे-वार) (क्षेत्रीय आधार पर)
E. Home Railway engines used on Foreign Railways (Railway-wise)
(On territorial basis)

..... रेलवे/Railway
..... रेलवे/Railway
..... रेलवे इत्यादि/Railway etc.
..... जोड़/Total

टिप्पण : (i) बड़ी लाइन/मीटर लाइन डीजल बिजली/बिजली ए.सी. तथा डी.सी.- ख, ग तथा ङ का जोड़ घटा घ, क के सामने दर्शाई गई संख्या से मेल खाना चाहिए.

Note: (i) B.G./M.G. Diesel Electric/Electric AC & DC – sum of B, C & E minus D should tally with number shown against A above.

अनुबंध/Annexure-II

.....रेलवे/Railway

अनुदेशों के पैरा 18 के अनुसार विवरण सं. 22 का अनुबंध
Annexure to Statement No. 22 vide Para 18 of the Instructions

विवरण सं. 22 के परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त मूलभूत इकाइयां –
Fundamental Units used in working out the results of Statement 22 –

22.15सवारी इंजन किलोमीटर /प्रतिदिन प्रयुक्त सवारी इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Passenger engine kilometres / Passenger engine in use per day x No. of days in the year

22.16मिले-जुले इंजन किलोमीटर /प्रतिदिन प्रयुक्त मिले-जुले इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Mixed engine kilometres / Mixed engine in use per day x No. of days in the year

22.17माल इंजन किलोमीटर /प्रतिदिन प्रयुक्त माल इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Goods engine kilometres / Goods engine in use per day x No. of days in the year

22.18कुल इंजन किलोमीटर /प्रतिदिन प्रयुक्त कुल इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Total engine kilometres / Total engine in use per day x No. of days in the year

22.19सवारी इंजन किलोमीटर /प्रतिदिन लाइन पर सवारी इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Passenger engine kilometres / Passenger engine on line per day x No. of days in the year

22.20मिले-जुले इंजन किलोमीटर /प्रतिदिन लाइन पर मिले-जुले इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Mixed engine kilometres / Mixed engine on line per day x No. of days in the year

22.21माल इंजन किलोमीटर
.....प्रतिदिन लाइन पर माल इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Goods engine kilometres
Goods engine on line per day x No. of days in the year

22.22कुल इंजन किलोमीटर
.....प्रतिदिन लाइन पर कुल इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Total engine kilometres
Total engines on line per day x No. of days in the year

22.27आबंटन के आधार पर इंजन किलोमीटर (सवारी)
.....इंजनों में खराबी – मद 22.23

.....Engine kilometres on allotment basis (Passenger)
Engine failure – Item 22.23

22.28आबंटन के आधार पर इंजन किलोमीटर (मिली-जुली)
.....इंजनों में खराबी – मद 22.24

.....Engine kilometres on allotment basis (Mixed)
Engine failure – Item 22.24

22.29आबंटन के आधार पर इंजन किलोमीटर (माल गाड़ी)
.....इंजनों में खराबी – मद 22.25

.....Engine kilometres on allotment basis (Goods)
Engine failure – Item 22.25

22.30आबंटन के आधार पर इंजन किलोमीटर (सभी गाड़ियां)
.....इंजनों में खराबी – मद 22.26

.....Engine kilometres on allotment basis (All services)
Engine failure – Item 22.26

22.31शुद्ध टन किलोमीटर
.....प्रतिदिन लाइन पर माल इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Net tonne kilometres
Goods engine on line per day x No. of days in the year

22.32शुद्ध टन किलोमीटर
.....प्रतिदिन प्रयुक्त माल इंजन × वर्ष में दिनों की संख्या

.....Net tonne kilometres
Goods engine in use per day x No. of days in the year

.....रेलवे/Railway

विवरण–23
Statement-23

गाड़ी भार
Loads of Trains

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	संख्या/Number						
		भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/Electric		कुल
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक और यांत्रिक Hyd & Mech.	कुल Total	ए.सी. AC	डी.सी. DC	सभी कर्षण Total all traction
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	औसत गाड़ी भार (विभागीय गाड़ियों को छोड़कर)							
	Average train load (excluding departmental trains)							
	यात्री गाड़ियां –							
	Passenger Trains –							
23.01	प्रति गाड़ी वाहनों की संख्या (चौपहियों में) यात्री गाड़ियां मिली–जुली गाड़ियों के अनुपात सहित No. of vehicles per train (in terms of four-wheelers) Passenger trains including passengers proportion of mixed							
23.02	सकल वज़न (इंजन के वज़न सहित) (टनों में) Gross weight (including weight of engine) (In tonnes)							
23.03	प्रति गाड़ी ले जाए गए यात्रियों की औसत संख्या Average number of passengers carried per train							
	सभी माल गाड़ियां –							
	All Goods trains –							
23.04	प्रति गाड़ी लदे हुए माल डिब्बे (चौपहियों में) Loaded wagons per train (in terms of four-wheelers)							
23.05	प्रति गाड़ी कुल माल डिब्बे (चौपहियों में) Total wagons per train (in terms of four-wheelers)							
	मिली–जुली गाड़ियों के अनुपात सहित माल गाड़ी –							
	Goods trains including goods proportion of mixed –							
23.06	शुद्ध अथवा भाड़ा वज़न (टनों में) Net or freight weight (In tonnes)							
23.07	सकल वज़न (इंजन के वज़न सहित) (टनों में) Gross weight (including weight of engine) (In tonnes)							
23.08	सकल वज़न (इंजन के वज़न को छोड़कर) (टनों में) Gross weight (excluding weight of engine) (In tonnes)							

इस विवरण में, पिछले तथा चालू वर्षों के आकड़े दिए जाने हैं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 23–गाड़ी भार

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली, को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान वार प्रस्तुत किए जाएंगे.
3. सभी परिणाम दशमलव के ठीक एक स्थान तक निकाले जाएंगे, लेकिन जो दस से कम हैं, उन्हें दशमलव के ठीक दो स्थान तक निकाला जाएगा. भार के आंकड़े टनों में निकटतम पूर्णांक तक निकाले जाएंगें.
4. मद 23.01 से 23.05 तक के लिए छोटी लाइन के आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं.
5. मद 23.01 से 23.08 (23.03 को छोड़कर) विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों से संबंधित आंकड़े अलग से विभिन्न कालमों में निम्न प्रकार से दर्शाए जाएंगे

भाप	डीजल			बिजली		सभी
	बिजली	हाइड्रॉलिक और यांत्रिक	कुल	ए.सी.	डी.सी.	कर्षणों का जोड़

मद 23.03 के आंकड़े सभी कर्षणों के लिए इक्टठे लिए गए दर्शाए जाएंगे.

6. ई.एम.यू. उपनगरीय गाड़ियों से संबंधित आंकड़े इस विवरण में शामिल नहीं किए जाएंगे. लेकिन ''पुश एवं पुल'' प्रणाली पर बिजली रेल इंजनों द्वारा कर्षित उपनगरीय गाड़ियों तथा गैर–उपनगरीय खंड़ों पर चलने वाली ई.एम.यू. गाड़ियों से संबंधित आंकड़े शामिल किए जाएंगे तथा अलग से एक पाद टिप्पणी में दर्शाए जाएंगे. रेल के आंकड़े मद 23.01 में शामिल नहीं किए जाएंगे लेकिन मद 23.02 और 23.03 में शामिल किए जाएंगे.
7. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़ो नीचे कालम 2(क) और 2 (ख) में दर्शाए गए अनुसार मासिक विवरण 2, 3क और 9 भाग–II की तदनुरूपी मदों के वार्षिक आंकड़े होंगे :–

Statment 23 – Loads of Trains

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 31st August of the following financial year.
2. The figures shall be furnished by gauges.
3. All results shall be worked out correct to one place of decimal, but those which are less than ten shall be worked out to two places of decimal. The fiugres of weight in tonnes shall be rounded off to the nearest whole number.
4. The figures for items 23.01 to 23.05 are not required for the Narrow Gauge.
5. The figures for item 23.01 to 23.08 (excepting 23.03) relating to the various types of locomotives shall be shown separately in different columns as follows :-

Steam	Diesel			Electric		Total all
	Electric	Hyd. & Mech.	Total	AC	DC	tractions

The figures for item 23.03 shall be shown for all tractions taken together.

6. The figures relating to Electric Muliple Unit suburban trains shall not be included in this statement but, the figures relating to the suburban trains hauled by electric locomotives on "push and pull" systems and EMU trains on non-suburban sections shall however, be included and also show separately in a footnote. The data for rail cars shall be excluded for item 23.01 but included for items 23.02 and 23.03
7. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures for the corresponding items of the Monthly Statement 2, 3a and 9 Pt.-II as shown in columns 2(a) and 2 (b) below:

इस विवरण के मद Item in this Statement	मासिक विवरण की तदनुरूपी मद Corresponding item in the Monthly Statement		वार्षिक विवरणों से वार्षिक औसत के संकलन का आधार Basis for compilation of annual average from Annual Statements
	बड़ी लाइन और मीटर लाइन के लिए for BG & MG	छोटी लाइन के लिए for NG	
1	2(a)(क)	2(b)(ख)	3
23.01		अपेक्षित नहीं है Not required	विवरण 19(क) की मद 9 (क) .01 (iv) ÷ विवरण –17 की मद 17.01 Item 9 (a).01 (iv) of St. 19(a)÷item 17.01 of St. 17
23.02		"	विवरण 16 की मद 16.03(i) घटा मद 17.09 (ग) के अधीन दर्शाए गए खाली इंजनों के सकल टन किलोमीटर) ÷ (विवरण 17 की मद 17.4) ÷ विवरण 33 की 33.03 (क)

			Item 16.03(i) of St. 16 less gross tonne kilometres auributable to light engines shown under item 17.09(c) ÷ (Item 17.04 of St. 17) ÷ $\frac{\text{33.03 (a) of St. 33}}{3}$
23.03		अपेक्षित नहीं है	विवरण 12 की मद 12.05(v) विवरण 32 की मद 32.56÷ (विवरण 17 की मद 17.04+ विवरण 33 की मद $\frac{\text{33.03 (क)}}{3}$)
		Not required	Item 12.05(v) of St. 12 - Item 32.56 of St. 32÷ (Item 17.04 of St. 17 + $\frac{\text{33.03(a) of St. 33}}{3}$)
23.04	विवरण 2 की मद 8.01		विवरण 19(क) की मद 19 (क).04(i) ÷ विवरण 17 की मद 17.02.
	8.01 of St. 2	"	Item 19(a) .04(i) of St. 19(a) ÷ Item 17.02 of St. 17
23.05	विवरण 2 मी मद 8.02		विवरण 19(क) की मद 19(क).04(ii) ÷ विवरण 17 की मद 17.02
	8.02 of St. 2	"	Item 19(a).04 (ii) of St. 19(a) ÷ Item 17.02 of St. 17
23.06	विवरण 3क की मद 3.01	विवरण 9 भाग-II की मद 3.01	विवरण 16 की मद 16.01 ÷ विवरण 17 की मद 17.05
	3.01 of St. 3a	3.01 of St. 9 Pt.-II	Item 16.01 of St. 16 ÷Item 17.05 of St. 17
23.07	विवरण 3क की मद 3.02	विवरण 9 भाग-II की मद 3.02	विवरण 16 की मद 16.03(ii) घटा विवरण 17 की मद 17.09(छ) के सामने दर्शाए गए खाली इंजनों के सकल टन किलोमीटर ÷ विवरण 17 की मद 17.05
	3.02 of St. 3a	3.02 of St. 9 Pt.- II	Item 16.03 (ii) of St. 16 less gross tonne kilometres atributable to light engines shown aginst item 17.09 (g) of St. 17÷ item 17.05 of St.17.
23.08	विवरण 3 क की मद 3.03	विवरण 9 भाग-II की मद 3.03	विवरण 16 की मद 16.02(ii) ÷ विवरण 17 की मद 17.05
	3.03 of St. 3a	3.03 of St. 9 Pt.-II	Item 16.02 (ii) of St. 16 ÷ Item 17.05 of St. 17

8. मद 17.09 (ग) और 17.09(छ) के अधीन दर्शाए गए खाली इंजनों के सकल टन किलोमीटर के आंकड़े अलग से एक पाद टिप्पणी में दर्शाए जाएंगे.

9. इस विवरण के आंकड़ों और संबंधित वर्ष की मार्च की मासिक विवरणियों 2, 3क और 9 भाग -II के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों के बीच के अन्तर को एक अलग ज्ञापन में उचित रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

10. सांख्यकीय अनुदेशिका वाल्यूम-I का मासिक विवरण सं. 3क और 9 भाग-II की मद 3.01, 3.02 तथा 3.03 के अनुदेश इस वार्षिक विवरण की मद 23.06, 23.07 और 23.8 पर क्रमश: लागू होंगे. केवल वार्षिक विवरणियों पर आधारित शुद्ध टन किलोमीटरों को छोड़कर जो इस विवरण के लिए अपनाए जाएंगे.

11. यदि किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए जाते तो सांख्यकीय अनुदेशिका-वाल्यूम-I में दिए गए अनुसार मासिक विवरण की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

8. The figures of gross tonne kilometres attributable to light engines shown under item 17.09(c) and item 17.09(g) shall be shown separately in a foot-note.

9. Any difference between the figures for this statement and the corresponding cumulative figures in Monthly Statements No. 2, 3a and 9 Pt.-II for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

10. The instructions for item 3.01, 3.02 and 3.03 of the Monthly Statement No. 3a and No. 9 Pt-II in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, apply to item 23.06, 23.07 and 23.08 respectively of this Annual Statement except that the net tonne kilometres based on commercial returns shall be adopted for this Annual Statement.

11. Where no special instructions are given for working out any of the items the instructions relating to the corresponding items of the Monthly Statement as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 24

Statement - 24

वाहन एवं माल डिब्बे और उनका उपयोग
Vehicles and Wagons and their usage

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
1	2	3	4	5
	कोचिंग स्टॉक – **Coaching Stock –** प्राधिकृत औसत स्टॉक (इकाई में) - Average authorised stock (in units)-			
24.01	सवारी डिब्बे सं. Passenger carriagesNo.			
24.02	अन्य कोचिंग वाहन सं. Other coaching vehicles.....No. लाइन पर औसत संख्या - Average number on line – सवारी डिब्बे - Passenger carriages –			
24.03	इकाई में सं. In units..... No.			
24.04	चौपहियों में सं. In terms of four-wheelers No. अन्य कोचिंग वाहन – Other coaching vehicles –			
24.05	इकाई में सं. In Units..... No.			
24.06	चौपहियों में सं. In terms of four-wheelers..... No.			
24.07	प्रभावी स्टॉक की औसत संख्या (इकाई में) – Average number of effective stock (in units) – (i) सवारी डिब्बे... सं. Passenger carriagesNo. (ii) अन्य कोचिंग वाहन..... सं. Other coaching vehiclesNo.			
24.08	लाइन पर औसत संख्या के ऊपर प्रभावी स्टॉक का प्रतिशत – Percentage of effective stock to average number on line (in units) – (i) सवारी डिब्बे Passenger carriages (ii) अन्य कोचिंग वाहन..... Other coaching vehicles			
24.09	वाहन कि.मी. प्रति वाहन दिन (चौपहियों में) – Vehicle Kilometres per vehicle day (in terms of four wheelers) – (i) सवारी डिब्बे कि.मी. Passenger carriages.....Kms. (ii) अन्य कोचिंग वाहन कि.मी. Other coaching vehicles.....Kms.			

विवरण – 24 *(जारी)*

Statement - 24*(Contd.)*

1	2	3	4	5
	माल डिब्बा स्टॉक – **Goods Stock -**			
24.10	प्राधिकृत औसत स्टॉक (इकाई में) सं. Average authorised stock (in units).... No. स्वामित्व में मालडिब्बों की औसत संख्या – Average number of wagons owned -			
24.11	इकाई में सं. In units..... No.			
24.12	चौपहियों में सं. In terms of four-wheelers.....No.			
24.13	लाइन पर मालडिब्बों की औसत संख्या दैनिक 'पूल' किया हुआ और 'पूल न' किया हुआ चौपहियों में.....सं. Average number of wagons on the line daily 'pooled' and 'non pooled' (in terms of four-wheelers)			
24.14	प्रभावी मालडिब्बों की औसत संख्या सं. Average number of effective wagons..... No.			
24.15	लाइन पर माल डिब्बों की औसत के ऊपर प्रभावी मालडिब्बों की संख्या का प्रतिशत Percentage of effective wagon to average number of wagons on line			
24.16	चलने के दौरान औसत मालडिब्बा भार सभी यातायात (टन में) Average wagon load during the run - All traffic... (In tonnes)			
24.17	लाइन पर प्रति मालडिब्बा दिन मालडिब्बा कि०मी० (चौपहियों में) Wagon kilometres per wagon day on line (in terms of four-wheelers)			
24.18	प्रयोग में प्रति मालडिब्बा दिन मालडिब्बा कि०मी० (चौपहियों में) Wagon kilometres per wagon day in use (in terms of four wheelers) - (i) भारित मालडिब्बे Loaded wagons (ii) खाली मालडिब्बे Empty wagons (iii) समस्त Overall			
24.19	प्रति मालडिब्बा दिन शुद्ध टन कि०मी० (चौपहियों में) Net tonne kilometres per wagon day (in terms of four-wheelers)			

इस विवरण में पिछले और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 24 - वाहन तथा माल डिब्बे और उनका उपयोग

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बार्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान-वार अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएंगे.
3. ई.एम.यू. गाड़ियों से संबंधित आंकड़े इस विवरण में शामिल नहीं किए जाएंगे. उपनगरीय खंडों पर ''पुश एवं पुल'' प्रणाली के अंतर्गत बिजली इंजनों द्वारा चलाई जाने वाली बिजली ट्रेलर गाड़ियों की संख्या, जिन्हें इस विवरण की मदों 24.01, 24.03 24.04, 24.07(i) तथा 24.08(i) में शामिल नहीं किया गया है उन्हें एक पाद-टिप्पणी में अलग से दर्शाया जाएगा. इस विवरण की मद 24.09(i) में दर्शाए गए निष्पादन परिणामों में ट्रेलर गाड़ियों को शामिल किया जाएगा.
4. इस विवरण की विभिन्न मदों के आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरण सं. 1ख, 2, 3क, 4ख और 9 भाग-I के दर्शाए गए आंकड़ों से, जो नीचे कॉलम 2 (क) और 2(ख) में दिए गए हैं से, मेल खाने चाहिएं.

Statment 24 – Vehicles and wagons and their usage

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 31st August of the following financial year.
2. The figures shall be furnished separately by gauges.
3. The figures relating to Electric Multiple Units shall not be included in this statment. The number of electric trailer coaches hauled by electric locomotives on "push and pull" system on the suburban sections which are not included in this statement in items 24.01, 24.03, 24.07(i) and 24.08(i) shall be shown separately in a foot-note. The performance results shown herein in item 24.09(i) shall be inclusive of those for trailer coaches.
4. The figures for the various items in this statement shall agree with the cumulative figures shown in the Monthly Statements IB, 2, 3A, 4B and 9 Part-I, for March of the year concerned, against items given in columns 2(a) and 2(b) below -

इस विवरण की मद Item in this Statement	मासिक विवरण में तदनुरूपी मद Corresponding item in the Monthly Statement बड़ी लाइन और मीटर लाइन के लिए For BG & MG	 छोटी लाइन के लिए For NG	वार्षिक विवरणों से वार्षिक औसत के संकलन का आधार Basis for compilation of annual averages from Annual Statements
1	2(a)(क)	2(b)(ख)	3
24.01	विवरण 4ख का 1.01 1.01 of St. 4B	विवरण 4ख का 1.01 1.01 of St. 4B	
24.02	विवरण 4ख का 1.02 1.02 of St. 4B	विवरण 4ख का 1.02 1.02 of St. 4B	
24.03	विवरण 4ख का 2.01 2.01 of St. 4B	विवरण 4ख का 2.01 2.01 of St. 4B	
24.04	विवरण 4ख का 2.02 2.02 of St. 4-B	विवरण 4ख का 2.02 2.02 of St. 4B	
24.05	विवरण 4ख का 2.03 2.03 of St. 4B	विवरण 4ख का 2.03 2.03 of St. 4B	
24.06	विवरण 4ख का 2.04 2.04 of St. 4B	विवरण 4ख का 2.04 2.04 of St. 4B	
24.07(i)	विवरण 4ख का 4.01 4.01 of St. 4B	विवरण 4ख का 4.01 4.01 of St. 4B	
24.07(ii)	विवरण 4ख का 4.03 4.03 of St. 4B	विवरण 4ख का 4.03 4.03 of St. 4B	
24.08(i)	विवरण 4ख का 4.02 4.02 of St. 4B	विवरण 4ख का 4.02 4.02 of St. 4B	24.07 (i) x 100 ÷ 24.03
24.08(ii)	विवरण 4ख का 4.04 4.04 of St. 4B	विवरण 4ख का 4.04 4.04 of St. 4B	24.07 (ii) x 100 ÷ 24.05

1	2(a)(क)	2(b)(ख)	3
24.09(i)	विवरण–1ख का 7.02(क)	विवरण 9 भाग I का 8.02	विवरण 19(क) का 19(क).03(i)÷(विवरण 24 का 24.04×वर्ष में दिनों की संख्या)
	7.02(a) of St. 1B	8.02 of St. 9 Pt. I	19(a).03(i) of St. 19(a) ÷(24.04 of St. 24 × No. of days in the year)
24.09(ii)	विवरण–1ख का 7.02(ख)	विवरण 9 भाग I का 8.02	विवरण 19(क) का 19(क).03(ii)÷(विवरण 24 का 24.06×वर्ष में दिनों की संख्या)
	7.02(b) of St. 1B	8.02 of St. 9 Pt. I	19(a).03(ii) of St. 19(a) ÷(24.06 of St. 24 × No. of days in the year)
24.10	विवरण 4ख का 5	विवरण 4ख का 5	
	5 of St. 4B	5 of St. 4B	
24.11	विवरण 4ख का 6.01	विवरण 4ख का 6.01	
	6.01 of St. 4B	6.01 of St. 4B	
24.12	विवरण 4ख का 6.02	विवरण 4ख का 6.02	
	6.02 of St. 4B	6.02 of St. 4B	
24.13	विवरण 4ख का 7	विवरण 4ख का 7	
	7 of St. 4B	7 of St. 4B	
24.14	विवरण 4ख का 9.01(ख)	विवरण 4ख का 9.01(ख)	
	9.01(b) of St. 4B	9.01 (b) of St. 4B	
24.15	विवरण 4ख का 9.02(ख)	विवरण 4ख का 9.02(ख)	(विवरण 24 का 24.14 × 100) ÷ विवरण 24 का 24.13
	9.02 (b) of St. 4B	9.02(b) of St. 4B	(24.14 of St. 24 × 100) ÷ 24.13 of St. 24
24.16	विवरण 3क का 2	विवरण 9 भाग II का 2	विवरण 16 का 16.01÷ विवरण 19(क) का 19 (क).06(i)
	2 of St. 3A	2 of St. 9 Pt. II	16.01 of St. 16 ÷ 19(a).06 (i) of St. 19(a)
24.17	विवरण 2 का 10.02	विवरण 9 भाग I का 8.04	विवरण 19(क) का 19(क). 06(ii) निकाले गये आंकड़ों को घटा कर ÷ (विवरण 24 का 24.13 × उस वर्ष में दिनों की संख्या)
	10.02 of St. 2	8.04 of St. 9 Pt. I	19(a).06 (ii) of St. 19(a) less excluded figures ÷ (24.13 of St. 24 x No. of days in the year)
24.18(i)			विवरण 19(क) का 19(क).06(i) ÷ (विवरण 24 का 24.14 फालतू खाली एवं निश्चल खड़े मालडिब्बों को घटा कर) × उस वर्ष में दिनों की संख्या
	-	-	19(a).06 (i) of St. 19(a) ÷ (24.14 of St. 24 minus surplus empties & immobilised wagons) × No. of days in the year
24.18(ii)			[विवरण 19(क) का 19(क) .06(ii) निकाले गये आंकड़ों को घटा कर – 19(क).06(i)] ÷ (विवरण 24 का 24.14 फालतू खाली एवं निश्चल खड़े मालडिब्बों को घटा कर) × उस वर्ष में दिनों की संख्या
	-	-	[19(a).06 (ii) less excluded figures - 19(a).06 (i) of St. 19(a)] ÷ (24.14 of St. 24 minus surplus empties and immobilised wagons) × No. of days in the year.
24.18(iii)			24.18(i) + 24.18 (ii)
24.19	विवरण 3क का 4	विवरण 9 भाग II का 4	विवरण 16 का 16.01 ÷ (विवरण 24 का 24.13 × उस वर्ष में दिनों की संख्या)
	4 of St. 3A	4 of St. 9 Pt. II	16.01 of St. 16 ÷ (24.13 of St. 24 × No. of days in the year)

5. मद 24.03, 24.04, 24.07(i) तथा 24.08(i) में दर्शाए गए सवारी डिब्बों का ब्यौरा वातानुकूलित तथा गैर–वातानुकूलित डिब्बों के लिए एक पाद टिप्पणी में अलग–अलग दिया जाएगा.

6. वार्षिक विवरण सं. 4ख की मद 7 के अंतर्गत परिभाषित मालडिब्बों की 7 कोटियों की औसत संख्या को लाइन पर (मद 24.13) मालडिब्बों की औसत संख्या निकालने के समय छोड़ दिया जाएगा तथा औसत दैनिक पूल शेष को एक पाद टिप्पणी में दिया जाएगा.

5. The break-up of passenger coaches shown in items 24.03, 24.04, 24.07(i) and 24.08(i) shall be given separately for air-conditioned and non air-conditioned coaches in foot-note.

6. The average number of 7 categories of wagons, as defined under item 7 of Monthly Statement No. 4B excluded for working out average number of wagons on line (item 24.13) and average daily pool balance, shall be given in a foot-note.

7. मद 24.14 में दर्शाए गए प्रभावी (कारगर) मालडिब्बों का व्यौरा नकारा घोषित किए जाने के लिए की जाने वाली जांच के लिए प्रतीक्षारत माल-डिब्बों तथा अन्य मालडिब्बों को शामिल करते हुए/निकाल कर अलग से दर्शाया जाएगा जैसा कि मासिक विवरण सं. 4ख की मद 8.07 में एक पाद टिप्पणी में परिभाषित किया गया है.

8. निकाल दिए गए वाहनों के किलोमीटर, जैसा कि मद 24.17 तथा 24.18(ii) के अनुदेशों में दिया गया है, मासिक विवरण सं. 2 की मद 6.02 के अन्तर्गत टिप्पणी की उप मद (ख), (ग) तथा (घ) में दिए गए खाली वाहनों से संबंधित हैं.

9. मद 24.17 तथा 24.19 में दर्शाए गए अनुसार मालडिब्बों के आवागमन के उचित मूल्यांकन के लिए, यातायात की कमी के कारण लगातार 10 दिनों या अधिक दिनों की अवधि के लिए एक ही स्थान पर खड़े फालतू खाली मालडिब्बों की संख्या तथा बाढ़, आंधी तथा भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक कारणों से पड़ी भारी दरारों के कारण सीधा संपर्क न होने के कारण खड़े मालडिब्बों की संख्या संलग्नक -I में मालडिब्बों की विभिन्न किस्मों के अनुसार अलग-अलग दर्शाई जाएगी.

10. मद 24.18 के लिए प्रयुक्त मालडिब्बा दिन मद 24.14 के अनुसार लिए जाएंगे (अनुदेशों के पैरा 9 में परिभाषित किए गए अनुसार प्रभावी मालडिब्बों में से फालतू खाली तथा खड़े मालडिब्बों को घटा कर).

11. निम्नलिखित मदों का परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त मूलभूत यूनिटों को संलग्नक-II में दर्शाया जाएगा -

24.09(i) वाहन किलोमीटर (सवारी डिब्बे) / वाहन दिन (सवारी डिब्बे)

24.09(ii) वाहन किलोमीटर (अन्य कोचिंग वाहन) / वाहन दिन (अन्य कोचिंग वाहन)

24.17 कुल मालडिब्बा किलोमीटर, निकाले गए आंकड़ों को कम करके / लाइन पर मालडिब्बा दिन

24.18(i) लदे माल डिब्बा किलोमीटर / प्रयुक्त माल डिब्बा दिन

24.18(ii) खाली मालडिब्बा किलोमीटर, निकाले गए आंकड़ों को कम करके / प्रयुक्त माल डिब्बा दिन

24.19 शुद्ध टन किलोमीटर / लाइन पर मालडिब्बा दिन

12. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरण- 1ख, 2, 4ख, 9 भाग-I तथा 9 भाग-II के तदनुरूपी आंकड़ों में कोई अन्तर होने पर उसे एक अलग ज्ञापन द्वारा उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

7. The break-up of effective wagons as shown in item 24.14 shall be given separately by including/excluding un-serviceable wagons awaiting inspection for condemnation and others as defined in item 8.07 of Monthly Statement No. 4B in a foot-note.

8. The kilometres of excluded vehicles, as mentioned in the instructions for items 24.17 and 24.18(ii) shall pertain to empty vehicles referred to in sub-items (b), (c) and (d) to note under item 6.02 of Monthly Statement No. 2.

9. For proper appraisal of wagons mobility as shown in items 24.17 and 24.19, number of surplus empties stabled for want of traffic continuously for a period of 10 days or more at any one place and number of wagons immobilised due to interruption to through communication on account of natural causes such as heavy breaches caused by floods storms and earth quakes etc. shall be shown separately by various types of wagons in Annexure-I

10. Wagon days in use for the purpose of item 24.18 shall be taken as per item 24.14 (effective wagons minus surplus empties and immobilised wagons as defined in para 9 of the instructions).

11. Fundamental units used in working out the results for the following items shall be given in Annexure-II —

24.09(i) Vehicle kilometres (Passenger coaches) / Vehicle days (Passenger coaches)

24.09(ii) Vehicle kilometres (Other coaching vehicles) / Vehicle days (Other coaching vehicles)

24.17 Total wagon kilometres less excluded figures / Wagon days on line

24.18(i) Loaded wagon kms. / Wagon days in use

24.18(ii) Empty wagon kilometres less excluded figures / Wagon days in use

24.19 Net tonne kilometres / Wagon days on line

12. Any difference between the figures for this statement and corresponding figures in the Monthly Statements-1B, 2, 4 B, 9Pt.-I and 9Pt.-II for March of the year concerned, shall be suitably explained in a separate memorandum.

13. सांख्यिकीय अनुदेशिका, जिल्द-I, के मासिक विवरण सं. 3क, तथा 9भाग-II की मद 2 तथा 4 के अनुदेश इस वार्षिक विवरण की मद 24.16 तथा 24.19 पर क्रमानुसार लागू होंगे, सिवाय वाणिज्य विवरणियों पर आधारित शुद्ध टन किलोमीटरों के और जो वार्षिक विवरण सं. 16 की मद 16.01 के सामने दर्शाए गए हैं इस वार्षिक विवरण के लिए अपनाए जाएंगे.

14. जहां किसी भी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका जिल्द-I के मासिक विवरण में दी गई तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

13. The instructions for items 2 and 4 of the Monthly Statement No. 3A and 9 Pt.-II in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall apply to items 24.16 and 24.19 respectively of this annual statement except that net tonne kilometres based on commercial returns and as shown against item 16.01 of Annual Statement No. 16 shall be adopted for this annual statement.

14. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statement given in the Manual of Statistcal Instructions, Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 25
Statement - 25

वर्ष के लिए यातायात का घनत्व
Density of Traffic for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन Broad Gauge		मीटर लाइन Metre Gauge		छोटी लाइन Narrow Gauge	
		प्रतिचालू रेलपथ कि.मी. per running track km.	प्रति मार्ग कि.मी. per route km.	प्रतिचालू रेलपथ कि.मी. per running track km.	प्रति मार्ग कि.मी. per route km.	प्रतिचालू रेलपथ कि.मी. per running track km.	प्रति मार्ग कि.मी. per route km.
1	2	3	4	5	6	7	8
2 5.01	प्रति वर्ष यात्री किलोमीटर Passenger kilometres per annum.						
	प्रति वर्ष शुद्ध टन किलोमीटर Net tonne kilometres per annum						
25.02	विभागीय रेलगाड़ियों में ढोये गये वजन को छोड़कर Excluding weight carried in departmental trains.						
	प्रतिवर्ष सकल टन किलोमीटर - (सभी सेवाएं) Gross tonne kilometres per annum (All services)						
25.03	इंजन का वजन और विभागीय को छोड़कर Excluding weight of engine and departmental.						
25.04	इंजन के वजन सहित किंतु विभागीय को छोड़कर Including weight of engine but excluding departmental						
25.05	इंजनों के वजन और विभागीय सहित Including weight of engines and departmental						

	प्रति चालू रेलपथ कि.मी. Per running track Km.		
प्रति दिन रेलगाड़ी कि.मी. Train kilometres per day			
विभागीय गाड़ियों को छोड़कर Excluding departmental trains :	बड़ी लाइन BG	मीटर लाइन MG	छोटी लाइन NG
25.06 सवारी गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात Passenger and passenger proportion of mixed			
25.07 मालगाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का मालगाड़ी अनुपात Goods and goods proportion of mixed			
25.08 जोड़ Total			

विवरण – 25 *(जारी)*
Statement - 25 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8
	विभागीय गाड़ियों सहित Including departmental trains –						
25.09	सवारीगाड़ी और मिली–जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात Passenger and passenger proportion of mixed						
25.10	मालगाड़ी और मिली–जुली गाड़ियों का मालगाड़ी अनुपात Goods and goods proportion of mixed.						
25.11	जोड़ Total						
	इस विवरण में पिछले और चालू वर्ष के लिए आंकड़े दिए जाएं। In this statement, the figures for previous and current year are to be given.						

पाद–टिप्पणी
Foot-note
(अनुदेशों के पैरा 5 और 6 देखें)
(See paras 5 and 6 of the Instructions)

1. प्रति मार्ग/चालू रेलपथ किलोमीटर के लिए यात्री किलोमीटर का परिकलन करने में खंडों की किलोमीटर दूरी हिसाब में न ली जाए.
Kilometrage of sections not taken into account in calculating passenger kilometres per route/running track kilometre.

2. प्रति/मार्ग/चालू रेलपथ किलोमीटर के लिए शुद्ध टन किलोमीटर परिकलित करने में खंड़ों की किलोमीटर दूरी हिसाब में न ली जाए.
Kilometrage of sections not taken into account in calculating net tonne kms. per route/running track kilometre.

विवरण 25 - यातायात का घनत्व

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाय कि यह सचिव (साख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बार्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष के 31 अगस्त तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान-वार अलग-अलग भेजे जाएं.
3. मद 25.07 से 25.12 तक को छोड़कर, सभी परिणाम निकटतम पूर्ण संख्या तक पूणांकित कर दिए जाएं जो दशमलव के एक स्थान तक अथवा यदि यह दस से कम हो तो दशमलव के दो स्थानों तक सही-सही निकाले जाएं.
4. विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों तथा बिजली रेल गाड़ियों, रेल कारों और ट्रेलर कारों का संबंधित सकल टन किलोमीटर तथा रेलगाड़ी कि.मी. के आंकड़े मद 25.04 से 25.06 तक के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिए जाऐ. मद 25.07 और 25.10 के प्रयोजन के लिए रेलकार कि.मी. का 1/3, रेल गाड़ी कि.मी. निकालते समय हिसाब में लिए जाएं 1 चालन अधिकार प्राप्त सेक्शनों के मामले में, रेल गाड़ियां चलाने वाली रेलवे अपनी सांख्यिकी में संगत आंकड़े शामिल करे. सांख्यिकी अनुदेशिका जिल्द-1 के सामान्य अनुदेश का पैरा 11 और 13 देखें.
5. यदि लाइन के कतिपय सेक्शन केवल माल यातायात के लिए खुले हों या यदि कोई रेलवे अपना कुछ रेलपथ केवल माल यातायात के लिए इस्तेमाल करे तो रेलपथ के ऐसे सेक्शनों की कि.मी. दूरी यात्री यातायात से संबंधित घनत्व का परिकलन करने में छोड़ दी जाए अर्थात् मद 25.07 और 25.10 इस प्रकार के सेक्शनों की कि.मी. दूरी विवरण की एक पाद-टिप्पणी में अलग से दी जाए.
6. यदि लाइन के कतिपय सेक्शन केवल यात्री यातायात के लिए खुले हों या यदि कोई रेलवे अपना कुछ रेलपथ केवल यात्री यातायात के लिए इस्तेमाल करती हो, तो रेल पथ के ऐसे सेक्शनों की कि.मी. दूरी माल यातायात से संबंधित घनत्व का परिकलन करने में छोड़ दी जाए अर्थात् मद 25.02, 25.03, 25.08 और 25.11 ऐसे सेक्शनों की कि.मी. दूरी भी विवरण की एक पाद-टिप्पणी में अलग से दी जाए.
7. मद 25.01 $\frac{\text{वार्षिक विवरण सं. 12 की मद 12.05(xi) ×1000}}{\text{वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेल पथ/मार्ग कि.मी. दूरी}}$
8. मद 25.02 $\frac{\text{वार्षिक विवरण सं. 16 की मद 16.01 ×1000}}{\text{वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेल पथ/मार्ग कि.मी. दूरी}}$
9. मद 25.03 $\frac{\text{(वार्षिक विवरण सं. 16 की मद 16.02(i)+ 16.02(ii)+ विवरण सं. 32 की मद 32.55) ×10000}}{\text{वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेलपथ/मार्ग कि.मी. दूरी.}}$

Statment 25– Density of Traffic

Instructions

1. This Statement is to be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 31st August of the following financial year.
2. The figures are to be furnished separately by gauges.
3. All results are to be rounded off to the nearest whole number, with the exception of items 25.07 to 25.12 which is to be worked out correct to one place of decimal, or, if it is less than ten, correct to two places of decimal.
4. The figures of gross tonne kilometres and train kilometres relating to the various types of locomotives, as also the electric multiple unit trains, rail cars and trailer cars are to be taken into account for the purpose of items 25.04 to 25.06. For the purpose of items 25.07 and 25.10, 1/3rd of the rail car kilometres are to be taken into account while working out train kms. In case of running power sections, the working Railway will include the relevant data in its Statistics. (See paras 11 and 13 of General Instructions of Manual of Statistical Instructions, Vol. I).
5. If certain sections of the line are open for goods traffic only or if a Railway uses some of its track purely for goods traffic the kilometrage of such sections of track are to excluded in calculating density relating to passenger traffic, i. e. items 25.07 and 25.10. The kilometrage of such sections is also to be given separately in a footnote to the statement.
6. If certain sections of the line are open for passenger traffic only or if a Railway uses some of its track purely for passenger traffic, the kilometrage of such sections of track is to be excluded in calculating density relating to goods traffic, i.e. items 25.02, 25.03, 25.08 and 25.11. The kilometrage of such sections is also to be given separately in a foot- note to the statement.
7. Item 25.01 $\frac{\text{Item 12.05 (xi) of Annual Statement No. 12 × 1000}}{\text{Running track / Route kilometrage as per Annual Statement No. 8.}}$
8. Item 25.02 $\frac{\text{Item 16.01 of Annual Statement No. 16 × 1000}}{\text{Running track / Route kilometrage as per Annual Statement No. 8.}}$
9. Item 25.03 $\frac{\text{(Item 16.02 (i) +16.02 (ii) of Annual Statement No. 16 + Item 32.55 of Annual Statement No. 32) ×1000}}{\text{Running track/route kilometrage as per Annual Statement No. 8}}$

10.	मद 25.04	(वार्षिक विवरण सं. 16 की मद 16.03(i)+ 16.03(ii)+ वार्षिक विवरण सं. 32 की मद 32.55) ×1000 / वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेल पथ/मार्ग कि.मी. दूरी.	10. Item 25.04	(Item 16.03 (i) +16.03 (ii) of Annual Statement No. 16+ Item 32.55 of Annual Statement No. 32) ×1000 / Running track/Route kilometrage as per Annual Statement No. 8
11.	मद 25.05	(वार्षिक विवरण सं. 16 की मद 16.04(i)+ 16.04(ii)+ वार्षिक विवरण सं. 32 की मद 32.55) ×1000 / वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेलपथ/मार्ग कि.मी. दूरी.	11. Item 25.05	{Item 16.04 (i) +16.04 (ii) of Annual Statement No. 16 + Item 32.55 of Annual Statement No. 32) × 1000} / Running track/Route kilometrage as per Annual Statement No. 8
12.	मद 25.06	(वार्षिक विवरण सं. 17 की मद 17.04 + वार्षिक विवरण सं. 32 की मद 32.23) ×1000+ वार्षिक विवरण सं. 33 की मद 33.03(क) / 3 / वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेलपथ कि.मी. दूरी × वर्ष में दिनों की संख्या .	12. Item 25.06	{Item 17.04 of Annual Statement No. 17 + 32.23 of Annual Statement No. 32) +Item 33.03(a) of Annual Statement No. 33 × 1000} / 3 / Running track/Route kilometrage as per Annual Statement No. 8 × number of days in the year
13.	मद 25.07	वार्षिक विवरण सं. 17 की मद 17.05 ×1000 / वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेलपथ कि.मी. दूरी × वर्ष में दिनों की संख्या .	13. Item 25.07	Item 17.05 of Annual Statement No. 17 × 1000 / Running track kilometrage as per Annual Statement No. 8 ×Number of days in the year
14.	मद 25.08	मद 25.06 + मद 25.07	14. Item 25.08	Item 25.06 + Item 25.07
15.	मद 25.09	(वार्षिक विवरण सं. 17 की मद 17.04 + 17.07(क) + 17.07(ख)(i) + वार्षिक विवरण सं. 32 की मद सं. 32.23) ×1000+विवरण सं. 33 की मद 33.03(क) / 3 / वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेलपथ कि.मी. दूरी × वर्ष में दिनों की संख्या 1	15. Item 25.09	{Item 17.04 + 17.07(a) + 17.07(b) (i) of Annual Statement No. 17 + Item No. 32.23 of Annual Statement No. 32) +Item 33.03(a) of Annual Statement No.33 × 1000} / 3 / Running track kilometrage as per Annual Statement No. 8 × number of days in the year
16.	मद 25.10	(वार्षिक विवरण सं. 17 की मद 17.05 + 17.07 (ख) (ii) + 17.07(ग) ×1000 / वार्षिक विवरण सं. 8 के अनुसार चालू रेलपथ कि.मी. दूरी × वर्ष में दिनों की संख्या 1	16. Item 25.10	(Item 17.05+17 .07(b) (ii)+17.07(c) of Annual Statement No. 17) × 1000 / Running track kilometrage as per Annual Statement No. 8 × number of days in the year
17.	मद 25.11	मद 25.09 + 25.10	17. Item 25.11	Item 25.09 + Item 25.10
18.	जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हों, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका, जिल्द 1 में यथानिर्दिष्ट, मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाए.		18.	Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements, as given in the Manual of Statistical Instructions-Volume-I, are to be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 26(क)
Statement-26(a)

वर्ष में चल स्टॉक की मरम्मत
Repairs of Rolling Stock for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
1	2	3	4	5

Average number under or awaiting repairs-daily :
प्रतिदिन मरम्मत में या मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े इंजनों की औसत संख्या :

I.	**इंजन** **ENGINES**
क.	**यांत्रिक कारखानों में**
A.	**In Mechanical Workshops –**
26(क).01	संख्या
26(a).01	Number
26(क).02	लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).01 का प्रतिशत
26(a).02	Percentage of item 26(a).01 to average number on line
ख.	**मरम्मत की प्रतीक्षा में शेड़ में खड़ा**
B.	**Stabled in sheds, awaiting workshop repairs –**
26(क).03	संख्या
26(a).03	Number
26(क).04	लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).03 का प्रतिशत
26(a).04	Percentage of item 26(a).03 to average number on line
ग.	**शेडों में -**
C.	**In Sheds –**
26(क).05	संख्या
26(a).05	Number
26(क).06	लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).05 का प्रतिशत
26(a).06	Percentage of item 26(a).05 to average number on line
घ.	**यांत्रिक/बिजलीगत कारणों से शेड/कारखानों से/को आने/** **जाने वाले तथा शेड/कारखानों से/को मृत रूप में ले जाने वाले**
D.	**In transit to and from sheds/workshops and also when moved** **dead to and from sheds or workshops on Mechanical and Electrical account–**
26(क).07	संख्या
26(a).07	Number
26(क).08	लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).07 का प्रतिशत
26(a).08	Percentage of item 26(a).07 to average number on line
ङ	**जोड़ (क+ख+ग+घ)**
E.	**Total (A+B+C+D)**

विवरण - 26(क) *–(जारी)*
Statement-26(a) *– (Contd.)*

1	2	3	4	5
26(क).09	संख्या (26(क).01+26(क).03+26(क).05+26(क).07)			
26(a).09	Number (26(a).01+26(a).03+26(a).05+26(a).07)			
26(क).10	लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).09 का प्रतिशत			
26(a).10	Percentage of item 26(a).09 to average number on line			
II.	**कोचिंग स्टॉक** **COACHING STOCK** **सवारी डिब्बे-(यूनिट में)** **Passenger Carriages (In units)–**			
क.	**कारखानों में**			
A.	**In Workshops:**			
	(क) यांत्रिक मरम्मत			
	(a) Mechanical Repairs –			
26(क).11	(i) संख्या			
26(a).11	Number			
26(क).12	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).11 का प्रतिशत			
26(a).12	Percentage of item 26(a).11 to average number on line.			
	(ख) बिजली मरम्मत			
	(b) Electrical Repairs –			
26(क).13	(i) संख्या			
26(a).13	Number			
26(क).14	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).13 का प्रतिशत			
26(a).14	Percentage of item 26(a).13 to average number on line.			
	(ग) जोड़ (क)+(ख)			
	(c) Total (a) + (b)			
26(क).15	(i) संख्या			
26(a).15	Number			
26(क).16	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).15 का प्रतिशत			
26(a).16	Percentage of item 26(a).15 to average number on line.			
ख.	**मरम्मत लाइनों में**			
B.	**In Sicklines :**			
	(क) यांत्रिक मरम्मत			
	(a) Mechanical Repairs –			
26(क).17	(i) संख्या			
26(a).17	Number			
26(क).18	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).17 का प्रतिशत			
26(a).18	Percentage of item 26(a).17 to average number on line.			
	(ख) बिजली मरम्मत			
	(b) Electrical Repairs –			
26(क).19	(i) संख्या			
26(a).19	Number			

विवरण - 26(क) *–(जारी)*
Statement-26(a) *– (Contd.)*

1	2	3	4	5
26(क).20	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).19 का प्रतिशत			
26(a).20	Percentage of item 26(a).19 to average number on line.			
	(ग) जोड़ (क)+(ख)			
	(c) Total (a) + (b)			
26(क).21	(i) संख्या			
26(a).21	Number			
26(क).22	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).21 का प्रतिशत			
26(a).22	Percentage of item 26(a).21 to average number on line.			
ग.	**कारखानों में मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े**			
C.	**Stabled awaiting workshop repairs :**			
	(क) यांत्रिक मरम्मत			
	(a) Mechanical Repairs –			
26(क).23	(i) संख्या			
26(a).23	Number			
26(क).24	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).23 का प्रतिशत			
26(a).24	Percentage of item 26(a).23 to average number on line.			
	(ख) बिजली मरम्मत			
	(b) Electrical Repairs –			
26(क).25	(i) संख्या			
26(a).25	Number			
26(क).26	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).25 का प्रतिशत			
26(a).26	Percentage of item 26(a).25 to average number on line.			
	(ग) जोड़ (क)+(ख)			
	(c) Total (a) + (b)			
26(क).27	(i) संख्या			
26(a).27	Number			
26(क).28	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).27 का प्रतिशत			
26(a).28	Percentage of item 26(a).27 to average number on line.			
घ.	**परिवहन में**			
D.	**In Transit :**			
26(क).29	(i) संख्या			
26(a).29	Number			
26(क).30	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).29 का प्रतिशत			
26(a).30	Percentage of item 26(a).29 to average number on line.			
ङ:	**जोड़ (क + ख + ग+ घ)**			
E.	**Total (A + B + C + D)**			
26(क).31	(i) संख्या (मद 26(क).15 + .21 + .27 + .29)			
26(a).31	Number (26(a).15 +.21+.27+.29)			

विवरण - 26(क) *–(जारी)*
Statement-26(a) *– (Contd.)*

1	2	3	4	5
26(क).32	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).31 का प्रतिशत			
26(a).32	Percentage of item 26(a).31 to average number on line.			
III.	**अन्य कोचिंग वाहन (यूनिटों में)**			
	OTHER COACHING VEHICLES (In Units)			
क.	**कारखानों में**			
A.	**In Workshops:**			
	(क) यांत्रिक मरम्मत			
	(a) Mechanical Repairs-			
26(क).33	(i) संख्या			
26(a).33	Number			
26(क).34	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).33 का प्रतिशत			
26(a).34	Percentage of item 26(a).33 to average number on line.			
	(ख) बिजली मरम्मत			
	(b) Electrical Repairs –			
26(क).35	(i) संख्या			
26(a).35	Number			
26(क).36	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).35 का प्रतिशत			
26(a).36	Percentage of item 26(a).35 to average number on line.			
	(ग) जोड़ (क)+(ख)			
	(c) Total (a) + (b)			
26(क).37	(i) संख्या			
26(a).37	Number			
26(क).38	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).37 का प्रतिशत			
26(a).38	Percentage of item 26(a).37 to average number on line.			
ख.	**मरम्मत लाइनों में**			
B.	**In Sicklines :**			
	(क) यांत्रिक मरम्मत			
	(a) Mechanical Repairs –			
26(क).39	(i) संख्या			
26(a).39	Number			
26(क).40	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).39 का प्रतिशत			
26(a).40	Percentage of item 26(a).39 to average number on line.			
	(ख) बिजली मरम्मत			
	(b) Electrical Repairs –			
26(क).41	(i) संख्या			
26(a).41	Number			
26(क).42	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).41 का प्रतिशत			
26(a).42	Percentage of item 26(a).41 to average number on line.			

विवरण - 26(क) *–(जारी)*
Statement-26(a) *– (Contd.)*

1	2	3	4	5
	(ग) जोड़ (क)+(ख)			
	(c) Total (a) + (b)			
26(क).43	(i) संख्या			
26(a).43	Number			
26(क).44	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).43 का प्रतिशत			
26(a).44	Percentage of item 26(a).43 to average number on line.			
ग.	**कारखानों में मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े**			
C.	**Stabled awaiting workshop repairs :**			
	(क) यांत्रिक मरम्मत			
	(a) Mechanical Repairs –			
26(क).45	(i) संख्या			
26(a).45	Number			
26(क).46	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).45 का प्रतिशत			
26(a).46	Percentage of item 26(a).45 to average number on line.			
	(ख) बिजली मरम्मत			
	(b) Electrical Repairs –			
26(क).47	(i) संख्या			
26(a).47	Number			
26(क).48	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).47 का प्रतिशत			
26(a).48	Percentage of item 26(a).47 to average number on line.			
	(ग) जोड़ (क)+(ख)			
	(c) Total (a) + (b)			
26(क).49	(i) संख्या			
26(a).49	Number			
26(क).50	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).49 का प्रतिशत			
26(a).50	Percentage of item 26(a).49 to average number on line.			
घ.	**परिवहन में**			
D.	**In Transit :**			
26(क).51	(i) संख्या			
26(a).51	Number			
26(क).52	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).51 का प्रतिशत			
26(a).52	Percentage of item 26(a).51 to average number on line.			
ङ:	**जोड़ (क + ख + ग+ घ)**			
E.	**Total (A+ B + C + D)**			
26(क).53	(i) संख्या (मद 26(क).37 + .43 + .49 + .51)			
26(a).53	Number (26(a).37 +.43+.49+.51)			
26(क).54	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).53 का प्रतिशत			
26(a).54	Percentage of item 26(a).53 to average number on line.			

विवरण - 26(क) *–(जारी)*
Statement-26(a) *– (Contd.)*

1	2	3	4	5
IV.	**ई.एम.यू./एम.ई.एम.यू./डी.एच.एम.यू./डी.ई.एम.यू. स्टाक (यूनिटों में)** **EMU/MEMU/DHMU/DEMU STOCK (In Units)**			
26(क).55 26(a).55	(i) संख्या Number (क/a) ई.एम.यू./EMU (ख/b) एम.ई.एम.यू./MEMU (ग/c) डी.एच.एम.यू./DHMU (घ /d) डी.ई.एम.यू./DEMU			
26(क).56 26(a).56	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).55 का प्रतिशत Percentage of item 26(a).55 to average number on line. (क/a) ई.एम.यू./EMU (ख/b) एम.ई.एम.यू./MEMU (ग/c) डी.एच.एम.यू./DHMU (घ /d) डी.ई.एम.यू./DEMU			
V.	**माल डिब्बा स्टॉक** **GOODS STOCK – WAGONS** **प्रतिदिन मरम्मत में या मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े मालडिब्बों (चौपहियों में) की औसत संख्या** **Average number of wagons (in terms of four-wheelers) under or awaiting repairs daily :**			
क. **A.**	**यांत्रिक कारखानों में** **In Mechanical workshops –**			
26(क).57 26(a).57	(i) संख्या Number			
26(क).58 26(a).58	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).57 का प्रतिशत Percentage of item 26(a).57 to average number on line.			
ख. **B.**	**कारखानों में मरम्मत की प्रतीक्षा में खड़े -** **Stabled awaiting workshop repairs –**			
26(क).59 26(a).59	(i) संख्या Number			
26(क).60 26(a).60	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).59 का प्रतिशत Percentage of item 26(a).59 to average number on line.			
ग. **C.**	**मरम्मत लाइनों और परिवहन कारखानों में -** **In sick lines and transportation workshops –**			
26(क).61 26(a).61	(i) संख्या Number			
26(क).62 26(a).62	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).61 का प्रतिशत Percentage of item 26(a).61 to average number on line.			

विवरण - 26(क) *–(समाप्त)*
Statement-26(a) *– (Concld.)*

1	2	3	4	5
घ.	**नाकारा घोषित करने के लिए निरीक्षण हेतु खड़े सेवा अयोग्य माल डिब्बे एवं अन्य -**			
D.	**Unserviceable awaiting inspection for condemnation and others –**			
26(क).63	(i) संख्या			
26(a).63	Number			
26(क).64	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).63 का प्रतिशत			
26(a).64	Percentage of item 26(a).63 to average number on line.			
ङ:	**जोड़ (क + ख + ग+ घ)**			
E.	**Total (A+ B + C + D)**			
26(क).65	(i) संख्या (मद 26(क).57 + .59 + .61 + .63)			
26(a).65	Number (26(a).57 +.59+.61+.63)			
26(क).66	(ii) लाइन पर औसत संख्या से मद 26(क).65 का प्रतिशत			
26(a).66	Percentage of item 26(a).65 to average number on line.			
VI.	**हॉट बक्से** **HOT BOXES** **हॉट बक्सों की औसत संख्या (मासिक)** **Average number of Hot Boxes (Monthly) –**			
26(क).67	कोचिंग			
26(a).67	Coaching			
26(क).68	माल			
26(a).68	Goods			
26(क).69	प्रति 10,000,000 वाहन किलोमीटर के लिए कोचिंग हॉट बक्से			
26(a).69	Coaching hot boxes per 10,000,000 vehicle kilometres			
26(क).70	प्रति 1,000,000 माल डिब्बा किलोमीटर के लिए माल हॉट बक्से			
26(a).70	Goods hot boxes per 1,000,000 wagon kilometres			

इस विवरण में, पिछले और चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 26(क) - चल स्टॉक की मरम्मत

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.
2. आंकड़े आमान-वार अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएंगे.
3. विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों से संबंधित मदों 26(क).01 से 26(क).10 के आंकड़े प्रत्येक कर्षण के लिए अलग से नीचे बताए गए अनुसार दर्शाए जाएंगे : -

भाप	डीजल			बिजली		सभी
	बिजली	हाइड्रॉलिक और यांत्रिक	जोड़	डी.सी.	ए.सी.	कर्षण

4. सभी प्रतिशत दशमलव के ठीक एक स्थान तक निकाले जाएंगे लेकिन जो दस से कम हैं उन्हें दशमलव के ठीक दो स्थान तक निकाला जाएगा.
5. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरण 4-क, 4-ख और 8 में नीचे कालम 2 में दी गई मदों के सामने दर्शाए गए संचयी आंकड़ों से मेल खाते होंगे : -

Statement 26(a)– Repairs of Rolling Stock

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.
2. The figures shall be furnished separately by gauges.
3. The figures for items 26(a).01 to 26(a).10 relating to various types of locomotives shall be shown separately for each traction as under :–

Steam	Diesel			Electric		All
	Electric	Hyd. & Mech.	Total	D.C.	A.C.	Tractions

4. All percentages shall be worked out correct to one place of decimal but those which are less than ten, shall be worked out correct to two places of decimal.
5. The figures for the various items in this statement shall agree with the cumulative figures shown in the monthly Statements 4-A, 4-B and 8 for March of the year concerned against items given in column 2 below : –

इस विवरण में मद Item in this Statement	मासिक विवरण 4-क, 4-ख और 8 में तदनुरूपी मद Corresponding item in monthly Statement Nos. 4 -A, 4-B and 8	वार्षिक औसतों के परिकलन का आधार Basis for calculation of annual averages
1	2	3
26(क).01	विवरण 4-क की मद 3.01	
26(a).01	3.01 of St. 4-A	
26(क).02		विवरण 26(क) की मद 26(क).01×100÷विवरण 22 की मद 22.02
26(a).02		26(a).01 of St 26(a)×100÷22.02 of St. 22
26(क).03	विवरण 4-क की मद 3.02	
26(a).03	3.02 of St. 4-A	
26(क).04		विवरण 26(क) की मद 26(क).03×100÷विवरण 22 की मद 22.02
26(a).04		26(a).03 of St 26(a)×100÷22.02 of St. 22
26(क).05	विवरण 4-क की मद 3.03	
26(a).05	3.03 of St. 4-A	
26(क).06		विवरण 26(क) की मद 26(क).05×100÷विवरण 22 की मद 22.02
26(a).06		26(a).05 of St 26(a)×100÷22.02 of St. 22
26(क).07	विवरण 4-क की मद 3.04	
26(a).07	3.04 of St. 4-A	
26(क).08		विवरण 26(क) की मद 26(क).07×100÷विवरण 22 की मद 22.02
26(a).08		26(a).07 of St 26(a)×100÷22.02 of St. 22
26(क).09	विवरण 4-क की मद 3.05	
26(a).09	3.05 of St. 4-A	
26(क).10		विवरण 26(क) की मद 26(क).09×100÷विवरण 22 की मद 22.02
26(a).10		26(a).09 of St 26(a)×100÷22.02 of St. 22
26(क).11	विवरण 4-ख की मद 3.01	
26(a).11	3.01 of St. 4-B	

1	2	3
26(क).12	विवरण 4-ख की मद 3.02	विवरण 26(क) की मद 26(क).11×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).12	3.02 of St. 4-B	26(a).11 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).13	विवरण 4-ख की मद 3.05	
26(a).13	3.05 of St. 4-B	
26(क).14	विवरण 4-ख की मद 3.06	विवरण 26(क) की मद 26(क).13×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).14	3.06 of St. 4-B	26(a).13 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).15	विवरण 4-ख की मद 3.09	
26(a).15	3.09 of St. 4-B	
26(क).16	विवरण 4-ख की मद 3.10	विवरण 26(क) की मद 26(क).15×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).16	3.10 of St. 4-B	26(a).15 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).17	विवरण 4-ख की मद 3.13	
26(a).17	3.13 of St. 4-B	
26(क).18	विवरण 4-ख की मद 3.14	विवरण 26(क) की मद 26(क).17×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).18	3.14 of St. 4-B	26(a).17 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).19	विवरण 4-ख की मद 3.17	
26(a).19	3.17 of St. 4-B	
26(क).20	विवरण 4-ख की मद 3.18	विवरण 26(क) की मद 26(क).19×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).20	3.18 of St. 4-B	26(a).19 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).21	विवरण 4-ख की मद 3.21	
26(a).21	3.21 of St. 4-B	
26(क).22	विवरण 4-ख की मद 3.22	विवरण 26(क) की मद 26(क).21×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).22	3.22 of St. 4-B	26(a).21 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).23	विवरण 4-ख की मद 3.25	
26(a).23	3.25 of St. 4-B	
26(क).24	विवरण 4-ख की मद 3.26	विवरण 26(क) की मद 26(क).23×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).24	3.26 of St. 4-B	26(a).23 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).25	विवरण 4-ख की मद 3.29	
26(a).25	3.29 of St. 4-B	
26(क).26	विवरण 4-ख की मद 3.30	विवरण 26(क) की मद 26(क).25×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).26	3.30 of St. 4-B	26(a).25 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).27	विवरण 4-ख की मद 3.33	
26(a).27	3.33 of St. 4-B	
26(क).28	विवरण 4-ख की मद 3.34	विवरण 26(क) की मद 26(क).27×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).28	3.34 of St. 4-B	26(a).27 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).29	विवरण 4-ख की मद 3.37	
26(a).29	3.37 of St. 4-B	
26(क).30	विवरण 4-ख की मद 3.38	विवरण 26(क) की मद 26(क).29×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).30	3.38 of St. 4-B	26(a).29 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).31	विवरण 4-ख की मद 3.41	
26(a).31	3.41 of St. 4-B	
26(क).32	विवरण 4-ख की मद 3.42	विवरण 26(क) की मद 26(क).31×100÷विवरण 24 की मद 24.03
26(a).32	3.42 of St. 4-B	26(a).31 of St 26(a)×100÷24.03 of St. 24
26(क).33	विवरण 4-ख की मद 3.03	
26(a).33	3.03 of St. 4-B	
26(क).34	विवरण 4-ख की मद 3.04	विवरण 26(क) की मद 26(क).33×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).34	3.04 of St. 4-B	26(a).33 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).35	विवरण 4-ख की मद 3.07	
26(a).35	3.07 of St. 4-B	
26(क).36	विवरण 4-ख की मद 3.08	विवरण 26(क) की मद 26(क).35×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).36	3.08 of St. 4-B	26(a).35 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).37	विवरण 4-ख की मद 3.11	
26(a).37	3.11 of St. 4-B	
26(क).38	विवरण 4-ख की मद 3.12	विवरण 26(क) की मद 26(क).37×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).38	3.12 of St. 4-B	26(a).37 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).39	विवरण 4-ख की मद 3.15	
26(a).39	3.15 of St. 4-B	

1	2	3
26(क).40	विवरण 4-ख की मद 3.16	विवरण 26(क) की मद 26(क).39×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).40	3.16 of St. 4-B	26(a).39 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).41	विवरण 4-ख की मद 3.19	
26(a).41	3.19 of St. 4-B	
26(क).42	विवरण 4-ख की मद 3.20	विवरण 26(क) की मद 26(क).41×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).42	3.20 of St. 4-B	26(a).41 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).43	विवरण 4-ख की मद 3.23	
26(a).43	3.23 of St. 4-B	
26(क).44	विवरण 4-ख की मद 3.24	विवरण 26(क) की मद 26(क).43×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).44	3.24 of St. 4-B	26(a).43 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).45	विवरण 4-ख की मद 3.27	
26(a).45	3.27 of St. 4-B	
26(क).46	विवरण 4-ख की मद 3.28	विवरण 26(क) की मद 26(क).45×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).46	3.28 of St. 4-B	26(a).45 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).47	विवरण 4-ख की मद 3.31	
26(a).47	3.31 of St. 4-B	
26(क).48	विवरण 4-ख की मद 3.32	विवरण 26(क) की मद 26(क).47×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).48	3.32 of St. 4-B	26(a).47 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).49	विवरण 4-ख की मद 3.35	
26(a).49	3.35 of St. 4-B	
26(क).50	विवरण 4-ख की मद 3.36	विवरण 26(क) की मद 26(क).49×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).50	3.36 of St. 4-B	26(a).49 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).51	विवरण 4-ख की मद 3.39	
26(a).51	3.39 of St. 4-B	
26(क).52	विवरण 4-ख की मद 3.40	विवरण 26(क) की मद 26(क).51×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).52	3.40 of St. 4-B	26(a).51 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).53	विवरण 4-ख की मद 3.43	
26(a).53	3.43 of St. 4-B	
26(क).54	विवरण 4-ख की मद 3.44	विवरण 26(क) की मद 26(क).53×100÷विवरण 24 की मद 24.05
26(a).54	3.44 of St. 4-B	26(a).53 of St 26(a)×100÷24.05 of St. 24
26(क).55	विवरण 8 की मद 3.01+3.03	
26(a).55	3.01+3.03 of St. 8	
26(क).56		26(क).55×100÷(विवरण 32 की मद 32.09+32.10)
26(a).56		26(a).55 ×100 ÷ (32.09+32.10 of St 32)
26(क).57	विवरण 4-ख की मद 8.01	
26(a).57	8.01 of St. 4-B	
26(क).58	विवरण 4-ख की मद 8.02	विवरण 26(क) की मद 26(क).57×100÷विवरण 24 की मद 24.13
26(a).58	8.02 of St. 4-B	26(a).57 of St 26(a)×100÷24.13 of St. 24
26(क).59	विवरण 4-ख की मद 8.03	
26(a).59	8.03 of St. 4-B	
26(क).60	विवरण 4-ख की मद 8.04	विवरण 26(क) की मद 26(क).59×100÷विवरण 24 की मद 24.13
26(a).60	8.04 of St. 4-B	26(a).59 of St 26(a)×100÷24.13 of St. 24
26(क).61	विवरण 4-ख की मद 8.05	
26(a).61	8.05 of St. 4-B	
26(क).62	विवरण 4-ख की मद 8.06	विवरण 26(क) की मद 26(क).61×100÷विवरण 24 की मद 24.13
26(a).62	8.06 of St. 4-B	26(a).61 of St 26(a)×100÷24.13 of St. 24
26(क).63	विवरण 4-ख की मद 8.07	
26(a).63	8.07 of St. 4-B	
26(क).64	विवरण 4-ख की मद 8.08	विवरण 26(क) की मद 26(क).63×100÷विवरण 24 की मद 24.13
26(a).64	8.08 of St. 4-B	26(a).63 of St 26(a)×100÷24.13 of St. 24
26(क).65	विवरण 4-ख की मद 8.09(ख)	
26(a).65	8.09(b) of St. 4-B	
26(क).66	विवरण 4-ख की मद 8.10(ख)	विवरण 26(क) की मद 26(क).65×100÷विवरण 24 की मद 24.13
26(a).66	8.10(b) of St. 4-B	26(a).65 of St 26(a)×100÷24.13 of St. 24
26(क).67	विवरण 4-ख की मद 11.01	
26(a).67	11.01 of St. 4-B	

1	2	3
26(क).68 26(a).68	विवरण 4-ख की मद 11.02 11.02 of St. 4-B	
26(क).69	विवरण 4-ख की मद 11.03	$\frac{\text{26(क).67}\times 10{,}000{,}000}{\text{वार्षिक विवरण 19(क) का 19(क).01+19(क).02+19(क).07(i)+विभागीय मिश्रित गाड़ियों के सवारी अनुपात की वाहन किलोमीटर दूरी जो 19(क).07(ii) में शामिल है + विवरण 19(क) की मद 19(क).08(i) और (ii)}}$
26(a).69	11.03 of St. 4-B	$\frac{\text{26(a).67} \times 10{,}000{,}000}{\text{19(a).01+19(a).02+19(a).07(i)+Vehicle Kms. of passenger proportion of departmental mixed trains included in 19(a).07(ii)+Items 19(a).08(i) \& (ii) of Statement 19(a).}}$
26(क).70	विवरण 4-ख की मद 11.04	$\frac{\text{26(क).68}\times 1{,}000{,}000}{\text{वार्षिक विवरण 19(क) का 19(क).06(ii)+19(क).07(iii)+19(क).08(iii)+विभागीय मिश्रित गाड़ियों के माल अनुपात की माल डिब्बा किलोमीटर दूरी जो विवरण 19(क) की मद 19(क).07(ii) में शामिल है}}$
26(a).70	11.04 of St. 4-B	$\frac{\text{26(a).68} \times 1{,}000{,}000}{\text{19(a).06(ii)+19(a).07(iii)+19(a).08(iii)+Wagon Kms. of goods proportion of departmental mixed trains included in item 19(a).07(ii) of Statement 19(a).}}$

6. इस विवरण के आंकड़ों और संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरण सं. 4-क, 4-ख और 8 के आंकड़ों के बीच यदि कोई अन्तर हो तो उसे एक अलग ज्ञापन में उचित रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए.

7. मद सं. 26(क).11 से 26(क).32 तक दर्शाया गया सवारी डिब्बों का ब्यौरा वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों के लिए अलग से अनुबंध में दिया जाएगा.

8. मद 26(क).67 और 26(क).68 के अन्तर्गत हॉट बक्सों की संख्या परम्परागत और रोलर बेयरिंग वाहन/मालडिब्बों के लिए अलग से एक पाद टिप्पणी में दर्शायी जाएगी.

9. मद 26(क).69 और 26(क).70 के परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त मूल यूनिट निम्नलिखित फार्मेट में दिए जाएंगे : -

$$\text{26(क).69} \quad \frac{\text{सवारी डिब्बा हॉट बक्सों की सं.} \times 10{,}000{,}000}{\text{कुल कोचिंग वाहन किलोमीटर}}$$

$$\text{26(क).70} \quad \frac{\text{माल डिब्बा हॉट बक्सों की सं.} \times 1{,}000{,}000}{\text{कुल माल डिब्बा किलोमीटर}}$$

10. यदि किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए जाते तो सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम-I में दिए गए अनुसार मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

6. Any difference between the figures for this statement and the corresponding figures in the Monthly Statement Nos. 4-A, 4-B and 8 for March of the year concerned should be suitably explained in a separate memorandum.

7. The break-up of passenger coaches shown from item Nos. 26(a).11 to 26(a).32 shall be given separately for Air Conditioned and Non - Air conditioned coaches in an annexure.

8. The incidence of number of hot boxes under items 26(a).67 and 26(a).68 shall be given separately for Conventional and Roller Bearing Vehicle/Wagons in a foot-note.

9. Fundamental units used in working out the results of items 26(a).69 and 26(a).70 shall be given in the following format:

$$\text{26(a).69} \quad \frac{\text{No. of coaching hot boxes} \times 10{,}000{,}000}{\text{Total Coaching Vehicle Kilometres}}$$

$$\text{26(a).70} \quad \frac{\text{No. of goods wagons hot boxes} \times 1{,}000{,}000}{\text{Total Goods Wagon Kilometres}}$$

10. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements, as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 26(ख)
Statement -26(b)

वर्ष में चल स्टॉक की मरम्मत और अनुरक्षण की लागत
Cost of Repairs and Maintenance of Rolling Stock for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge
26(ख).01 **26(b).01**	**कुल समीकृत इंजन किलोमीटर** **Total equated engine kilometres :**		
	(क) भाप इंजन (a) Steam locomotives		
	(ख) डीजल बिजली इंजन (b) Diesel Electric locomotives		
	(ग) डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक इंजन (c) Diesel Hydraulic and Mechanical locomotives		
	(घ) जोड़ डीजल (ख+ग) (d) Total Diesel locomotives (b+c)		
	(ङ) बिजली इंजन–ए सी (e) Electric locomotives - AC		
	(च) बिजली इंजन – डी सी (f) Electric locomotives - DC		
	(छ) जोड़ बिजली इंजन (ए सी+डी सी) (ङ + च) (g) Electric locomotives - Total (AC+DC) (e+f)		
	(ज) कुल जोड़ (क)+(घ)+(छ) (h) Grand Total (a) + (d) + (g)		
26(ख).02 **26(b).02**	(क) ई.एम.यू./डी.ई.एम.यू./ डी.एच.एम.यू. को छोड़कर लाइन पर कोचिंग वाहन की औसत संख्या (चौपहियों में) (a) Average number of coaching vehicles (in terms of four - wheelers) on line other than EMU/DEMU/DHMU		
	(ख) लाइन पर ई.एम.यू./डी.ई.एम.यू./डी.एच.एम.यू. स्टॉक की औसत संख्या (यूनिटों में) (b) Average number of EMU/DEMU/DHMU stock on line (in units)		
	(i) ई.एम.यू./EMU		
	(ii) डी.ई.एम.यू./DEMU		
	(iii) डी.एच.एम.यू./DHMU		
26(ख).03 **26(b).03**	निजी माल डिब्बों (चौपहियों में) की औसत संख्या जिसमें विभागीय शामिल है Average number of wagons owned (in terms of four - wheelers) including departmental		

विवरण - 26(ख) *-(जारी)*
Statement -26(b) *-(Contd.)*

मद Item	ब्यौरा Description	यांत्रिक कारखानों में In Mechanical Workshops		शेडों/मरम्मत लाइनों पर In Sheds/ Sicklines		जोड़ Total	
		ब. ला. BG	मी. ला. MG	ब. ला. BG	मी. ला. MG	ब. ला. BG	मी. ला. MG
26(ख).04	**निम्नलिखित की मरम्मत और अनुरक्षण की कुल लागत (हज़ार रुपयों में)**						
26(b).04	**Total cost of repairs and maintenance of : (Rupees in thousands)**						
	(i) रेल इंजन						
	Locomotives -						
	(क) भाप						
	(a) Steam						
	(ख) डीजल बिजली						
	(b) Diesel Electric						
	(ग) डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक						
	(c) Diesel Hydraulic and Mechanical						
	(घ) जोड़ डीजल (ख+ग)						
	(d) Total Diesel (b+c)						
	(ङ) बिजली इंजन-ए सी						
	(e) Electric locomotives - AC						
	(च) बिजली इंजन - डी सी						
	(f) Electric locomotives - DC						
	(छ) जोड़ बिजली इंजन (ए सी+डी सी) (ङ+च)						
	(g) Electric locomotives - Total (AC+DC) (e+f)						
	(ज) कुल जोड़ (क)+(घ)+(छ)						
	(h) Grand Total (a) + (d) + (g)						
	(ii) कोचिंग वाहन -						
	Coaching Vehicles -						
	(क) कोचिंग वाहन, ई.एम.यू./डी.ई.एम.यू./ डी.एच.एम.यू. स्टॉक को छोड़कर						
	(a) Coaching Vehicles excluding EMU/DEMU/DHMU stock						
	(ख) ई.एम.यू. स्टॉक						
	(b) EMU stock						
	(ग) डी.ई.एम.यू. स्टॉक						
	(c) DEMU stock						
	(घ) डी.एच.एम.यू. स्टॉक						
	(e) DHMU stock						
	(iii) माल डिब्बे						
	Wagons						
26(ख).05	**रेल इंजन**						
26(b).05	**Locomotives:**						
	प्रति समीकृत इंजन किलोमीटर रेल इंजनों की साधारण मरम्मत और अनुरक्षण की लागत (रुपयों में)						
	Cost of ordinary repairs and maintenance of locomotives per equated engine kilometre : (In Rupees)						
	(क) भाप						
	(a) Steam						

विवरण - 26(ख) *-(समाप्त)*

Statement -26(b) *-(Concld.)*

मद Item	ब्यौरा Description	यांत्रिक कारखानों में In Mechanical Workshops		शेडों/मरम्मत लाइनों पर In Sheds/ Sicklines		जोड़ Total	
		ब. ला. BG	मी. ला. MG	ब. ला. BG	मी. ला. MG	ब. ला. BG	मी. ला. MG
	(ख) डीजल बिजली (b) Diesel Electric						
	(ग) डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक (c) Diesel Hydraulic and Mechanical						
	(घ) जोड़ डीजल (ख+ग) (d) Total Diesel (b+c)						
	(ङ) बिजली इंजन-ए सी (e) Electric locomotives - AC						
	(च) बिजली इंजन - डी सी (f) Electric locomotives - DC						
	(छ) जोड़ बिजली इंजन (ए सी+डी सी) (ङ + च) (g) Electric locomotives - Total (AC+DC) (e+f)						
	(ज) सभी रेल इंजनों की औसत (h) Average for all locomotives						
26(ख).06 **26(b).06**	**कोचिंग स्टॉक** **Coaching Stock :** (क) ई.एम.यू./डी.ई.एम.यू./ डी.एच.एम.यू. को छोड़कर प्रति कोचिंग वाहन (चौपहियों में) साधारण मरम्मत और अनुरक्षण की लागत (रूपयों में) (a) Cost of ordinary repairs and maintenance per coaching vehicle (in terms of four - wheelers) excluding EMUs/DEMUs/DHMUs (In Rupees)						
	(ख) प्रति ई.एम.यू. स्टॉक (यूनिटों में) की साधारण मरम्मत और अनुरक्षण की लागत (रुपयों में) (b) Cost of ordinary repairs and maintenance per EMU stock (in units) (In Rupees)						
	(ग) प्रति डी.ई.एम.यू. स्टॉक (यूनिटों में) की साधारण मरम्मत और अनुरक्षण की लागत (रुपयों में) (c) Cost of ordinary repairs and maintenance per DEMU stock (in units) (In Rupees)						
	(घ) प्रति डी.एच.एम.यू. स्टॉक (यूनिटों में) की साधारण मरम्मत और अनुरक्षण की लागत (रुपयों में) (d) Cost of ordinary repairs and maintenance per DHMU stock (in units) (In Rupees)						
26(ख).07 **26(b).07**	**माल डिब्बे :** **Wagons :** प्रति निजी माल डिब्बा (चौपहियों में) साधारण मरम्मत और अनुरक्षण की लागत (रुपयों में) Cost of ordinary repairs and maintenance per wagon owned (in terms of four - wheelers) (In Rupees)						

इस विवरण में, पिछले और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 26(ख)-चल स्टॉक की मरम्मत और अनुरक्षण की लागत

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.

2. बड़ी लाइनों और मीटर लाइनों के लिए आंकड़े अलग से दिए जाएं. छोटी लाइन के आंकड़े अपेक्षित नहीं हैं.

3. (i) 26(ख).05 से 26(ख).07 तक की मदों के परिणाम दशमलव के ठीक दो स्थानों तक रुपयों में निकाले जाएंगे.

 (ii) समीकृत इंजन किलोमीटर लागत = $\frac{\text{प्रति इंजन किलोमीटर लागत} \times 9072}{\text{औसत कर्षण बल}}$

4. रेल कार की मरम्मत पर हुए व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा.

5. मद 26(ख).01 = $\frac{\text{इंजन किलोमीटर} \times \text{लाइन पर प्रति इंजन औसत कर्षण बल}}{9072}$

 टिप्पणी (i) मासिक विवरण 12 की मद 1.01 के अनुदेशों में निर्धारित रीति के अनुसार इंजन किलोमीटर निकाले जाएंगे.

 टिप्पणी (ii) लाइन पर प्रति इंजन औसत कर्षण बल 12 महीने लाइन पर रहने वाले इंजनों के कुल कर्षण बल का 12 महीने लाइन पर रहने वाले इंजनों की संख्या से भाग करके निकाला जाएगा.

6. मद 26(ख).02(क) – इस मद के आंकड़े वर्ष के दौरान लाइन पर ई.एम.यू./डी.ई.एम.यू./डी.एच.एम.यू. को छोड़कर कोचिंग वाहनों (चौपहियों में) की औसत संख्या होंगे. ये आंकड़े वार्षिक विवरण 24 की मद 24.04 और 24.06 के जोड+वर्ष के अन्त में लाइन पर ब्रेक यान और विभागीय वाहनों के साथ मेल खाते हों.

7. मद 26(ख).02(ख)-इस मद के आंकड़े वर्ष के दौरान लाइन पर ई.एम.यू./डी.ई.एम.यू./डी.एच.एम.यू. स्टॉक (यूनिटों में) की औसत संख्या होंगे. यह संख्या वार्षिक विवरण 32 के मद 32.09 और 32.10 के जोड़ के बराबर होगी.

8. मद 26 (ख).03-इस मद के आंकड़े वर्ष के दौरान निजी माल डिब्बा (चौपहियों में) की औसत संख्या के बराबर होंगे. यह संख्या वार्षिक विवरण 24 की मद 24.12 जमा विभागीय माल डिब्बे घटा यातायात से हटाए गए वे माल डिब्बे जिन्हें प्राधिकारी द्वारा आगे यातायात के लिए उपयुक्त न रहने के कारण नाकारा ठहराया गया हो, के साथ मेल खाते होंगे.

9. मद 26(ख).04(i)-रेल इंजनः

(क) भाप इंजन : यांत्रिक कारखाने – शीर्ष सी 230, सी 240, सी 250, सी 271, सी 274 और डी 580 के अंतर्गत व्यय.

शेड-शीर्ष सी 210, सी 220, सी 260 और डी 540 के अंतर्गत व्यय.

Statement 26(b)-Cost of repairs and maintenance of rolling stock

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31 August of the following financial year.

2. Separate figures are required for Broad and Metre gauges. Narrow gauge figures are not required.

3. (i) The results for items 26(b).05 to 26(b).07 shall be worked out in rupees correct to two places of decimal.

 (ii) Cost per equated engine kilometre = $\frac{\text{Cost per engine kilometre} \times 9072}{\text{Average tractive effort}}$

4. Expenditure on the repairs of Rail Cars shall not be included.

5. Item 26 (b).01 = $\frac{\text{Engine Kms} \times \text{Average tractive effort per engine on line}}{9072}$

 Note (i) - Engine kilometres shall be worked out in the manner prescribed in the instructions for item 1.01 of monthly Statement 12

 Note (ii) - Average tractive effort per engine on line shall be obtained by dividing the total tractive effort of engines on line for 12 months by the number of engines on line for 12 months.

6. Item 26(b).02(a) - The figures against this item shall be the average number of coaching vehicles in terms of four - wheelers on line excluding EMUs/DEMUs/DHMUs during the year. This figure shall agree with the total of items 24.04 and 24.06 of Annual Statement 24 plus brake vans and departmental vehicles on line at the end of the year.

7. Item 26(b).02(b) - The figures against this item shall be the average number of EMU/DEMU/DHMU stock on line (in units) during the year. This figure shall agree with the total of items 32.09 and 32.10 of Annual Statement 32.

8. Item 26(b).03 - The figures against this item shall be the average number of wagons owned (in terms of four - wheelers) during the year. The figure shall agree with item 24.12 of Annual Statement 24 plus departmental wagons minus the average number of those wagons withdrawn from traffic which have been condemned by the competent authority as unfit for further traffic.

9. **Item 26(b).04(i) – Locomotives:**

(a) Steam Locomotives : Mechanical Workshops - Expenditure under heads C230, C240, C250, C271, C274 and D580

Sheds - Expenditure under heads C210, C220, C260 and D540

(ख) डीजल बिजली इंजन : यांत्रिक कारखाने – शीर्ष सी 331 से सी 334, सी 341 से सी 344, सी 351 से सी 354, सी 363, सी 364, सी 373 और सी 374 के अंतर्गत व्यय.

शेड – शीर्ष सी 311 से सी 314, सी 321 से सी 324, सी 361 और सी 362 के अंतर्गत व्यय.

(ग) डीजल हाइड्रोलिक और यांत्रिक इंजन – यांत्रिक कारखाने – शीर्ष सी 335 से सी 338, सी 345 से सी 348, सी 355 से सी 358, सी 367, सी 368, सी 377 और सी 378 के अंतर्गत व्यय.

शेड–शीर्ष सी 315 से सी 318, सी 325 से सी 328, सी 365 और सी 366 के अंतर्गत व्यय.

(घ) जोड़ डीजल रेल इंजन : यांत्रिक कारखाने और शेड – मद 26 (ख).04 (i) (ख) और 26(ख).04(i)(ग) के अंतर्गत व्यय को जोड़.

(ङ) बिजली रेल इंजन–ए सी–यांत्रिक कारखाने–शीर्ष सी 531 से सी 534, सी 541 से सी 544, सी 551 से सी 554, सी 563, सी 564, सी 573 और सी 574 के अंतर्गत व्यय.

शेड–शीर्ष सी 511 से सी 514, सी 521 से सी 524, सी 561 और सी 562 के अंतर्गत व्यय.

(च) बिजली रेल इंजन – डी सी – यांत्रिक कारखाने – शीर्ष सी 535 से सी 538, सी 545 से सी 548, सी 555 से सी 558, सी 567, सी 568, सी 577 और सी 578 के अंतर्गत व्यय.

शेड–शीर्ष सी 515 से सी 518, सी 525 से सी 528, सी 565 और सी 566 के अंतर्गत व्यय.

(छ) जोड़ बिजली रेल इंजन : यांत्रिक कारखाने और शेड मद 26 (ख).04 (i) (ङ) और 26 (ख).04 (i) (च) के अंतर्गत व्यय का जोड़.

(ज) सभी रेल इंजनों का जोड़ :

यांत्रिक कारखाने और शेड : मद 26 (ख).04(i)(क), 26(ख).04(i) (घ) और 26 (ख).04(i) (छ), के अंतर्गत व्यय का जोड़.

मद 26 (ख).04 (ii) – कोचिंग वाहन :

(क) ई.एम.यू./डी.एम.यू. स्टॉक को छोड़कर कोचिंग वाहन

यांत्रिक कारखाने– शीर्ष डी 230, डी 240, डी 275, डी 276, डी 277, डी 278, डी 550, डी 560, डी 570 और डी 590 के अन्तर्गत कारखाना मरम्मत से संबंधित व्यय.
मरम्मत लाइनें – शीर्ष डी 210 और डी 220, डी 260, डी 510, डी 520 और डी 530 के अंतर्गत व्यय जमा उप शीर्ष डी 615 के अंतर्गत बुक किए गए अन्तर्बदल कोचिंग स्टॉक में नुकसानियों और कमियों से संबंधित जमा/नामे.

(ख) ई.एम.यू./डी.एम.यू. स्टॉक

यांत्रिक कारखाने – शीर्ष डी 430, डी 440, डी 450, डी 463, डी 464, डी 473, डी 474, डी 730, डी 740, डी 750, डी 760, डी 771, डी 772, डी 773, डी 774 के अंतर्गत बुक किए गए कारखाना मरम्मतों से संबंधित व्यय.
मरम्मत लाइनें – शीर्ष डी 410, डी 420, डी 461, डी 462, डी 710, डी 720 के अंतर्गत व्यय.

(b) Diesel Electric Locomotives : Mechanical Workshops– Expenditure under heads C331 to C334, C341 to C344, C351 to C354, C363, C364, C373 and C374.

Sheds – Expenditure under heads C311 to C314, C321 to C324, C361 and C362.

(c) Diesel Hydraulic & Mechanical Locomotives-Mechanical Workshops - Expenditure under heads C335 to C338, C345 to C348, C355 to C358, C367, C368, C377 and C378.

Sheds - Expenditure under heads C315 to C318, C325 to C328, C365 and C366.

(d) Total Diesel Locomotives: Mechanical Workshops and Sheds —Sum of the expenditure under items 26(b).04(i)(b) and 26(b).04(i)(c).

(e) Electric Locomotives - AC- Mechanical Workshops - Expenditure under heads C531 to C534, C541 to C544, C551 to C554, C563, C564, C573 and C574.

Sheds - Expenditure under heads C511 to C514, C521 to C524, C561 and C562.

(f) Electric Locomotives –DC –Mechanical Workshops – Expenditure under heads C535 to C538 , C545 to C548, C555 to C558, C567, C568, C577 and C578.

Sheds : Expenditure under heads C515 to C518, C525 to C528, C565 and C566.

(g) Total Electric Locomotives : Mechanical Workshops and Sheds - sum of the expenditure under items 26(b).04 (i) (e) and 26(b).04 (i) (f).

(h) Total all Locomotives :

Mechanical Workshops and Sheds : Sum of the expenditure under items 26(b).04(i) (a), 26(b).04(i) (d) and 26(b).04(i) (g)

Item 26(b). 04(ii) –Coaching vehicles:

(a) Coaching vehicles excluding EMU/DMU stock

Mechanical Workshops : Expenditure relating to workshop repairs booked under heads D230, D240, D275, D276, D277, D278, D550, D560, D570 and D590.

Sick lines : Expenditure under heads D210 and D220, D260, D510, D520 and D530 plus credit/debit relating to damages to and deficiencies in interchanged coaching stock booked under Sub-head D615.

(b) EMU/DMUStock
Mechanical Workshops : Expenditure relating to workshop repairs booked under heads D430, D440, D450, D463, D464, D473, D474, D730, D740, D750, D760, D771, D772, D773, D774.

Sick lines : Expenditure under heads D410, D420, D461, D462, D710, D720

मद 26(ख).04(iii) - माल डिब्बे :

यांत्रिक कारखाने - शीर्ष डी 330, डी 340, डी 373 और डी 374 के अंतर्गत व्यय.

मरम्मत लाइनें - शीर्ष डी 310, डी 320, डी 360 के अंतर्गत व्यय जमा उप शीर्ष डी 615 के अंतर्गत बुक किए गए अंतर्बदल मालडिब्बा स्टाक में नुकसानियों और कमियों से संबंधित जमा/नामे.

टिप्पणी : - मद 26(ख).04(i) से 26 (ख).04 (iii) तक के आंकड़ों का परिकलन करते समय राजस्व को प्रवृत निर्माण से निर्मुक्त सामग्रियों के लिए जमा राशि ही ली जानी है.

10. **26(ख).05**

26(ख).05(क)	26(ख).04(i)(क) / 26(ख).01(क)
26(ख).05(ख)	26(ख).04(i)(ख) / 26(ख).01 (ख)
26(ख).05(ग)	26(ख).04(i)(ग) / 26(ख).01(ग)
26(ख).05(घ)	26(ख).04(i)(घ) / 26(ख).01(घ)
26(ख).05(ङ)	26(ख).04(i)(ङ) / 26(ख).01(ङ)
26(ख).05(च)	26(ख).04(i)(च) / 26(ख).01(च)
26(ख).05(छ)	26(ख).04(i)(छ) / 26(ख).01(छ)
26(ख).05(ज)	26(ख).04(i)(ज) / 26(ख).01(ज)

11. **26(ख).06**

26(ख).06(क)	26(ख).04(ii)(क) / 26(ख).02(क)
26(ख).06(ख)	26(ख).04(ii)(ख) / 26(ख).02(ख)(i)
26(ख).06(ग)	26(ख).04(ii)(ग) / 26(ख).02(ख)(ii)
26(ख).06(घ)	26(ख).04(ii)(घ) / 26(ख).02(ख)(iii)

12. **26(ख).07** 26(ख).04(iii) / 26(ख).03

13. यदि किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश न दिए गए हो तो सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम-I में दिए गए अनुसार मासिक विवरणों की तदनुरूपी मद से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

Item 26(b).04(iii) –Wagons :

Mechanical Workshops : Expenditure under heads D330, D340, D373 and D374.

Sick lines : Expenditure under heads D310, D320, D360 plus credits/debits relating to damages to and deficiencies in interchanged goods stock booked under Sub-head D615.

Note : Credits for materials released from works charged to revenue (ordinary repairs & maintenance) only are to be taken into account when calculating figures for items 26(b).04(i) to 26(b).04(iii).

10. **26(b).05**

26(b).05(a)	26(b).04(i)(a) / 26(b).01(a)
26(b).05(b)	26(b).04(i)(b) / 26(b).01(b)
26(b).05(c)	26(b).04(i)(c) / 26(b).01(c)
26(b).05(d)	26(b).04(i)(d) / 26(b).01(d)
26(b).05(e)	26(b).04(i)(e) / 26(b).01(e)
26(b).05(f)	26(b).04(i)(f) / 26(b).01(f)
26(b).05(g)	26(b).04(i)(g) / 26(b).01(g)
26(b).05(h)	26(b).04(i)(h) / 26(b).01(h)

11. **26(b).06**

26(b).06(a)	26(b).04(ii)(a) / 26(b).02(a)
26(b).06(b)	26(b).04(ii)(b) / 26(b).02(b)(i)
26(b).06(c)	26(b).04(ii)(c) / 26(b).02(b)(ii)
26(b).06(d)	26(b).04(ii)(d) / 26(b).02(b)(iii)

12. **26(b).07** 26(b).04(iii) / 26(b).03

13. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण – 27(क)
Statement - 27(a)

वर्ष..... में ईंधन की कोटि के अनुसार ईंधन की खपत
Fuel Consumption by Classes of Fuel for the year

मद Item	ब्यौरा Description		बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
1	2		3	4	5
	रेल इंजनों द्वारा ईंधन की खपत – **Fuel consumed by locomotives –**				
27(क).01	कोयला	टन			
27(a).01	Coal	Tonnes			
27(क).02	लकड़ी	टन			
27(a).02	Wood	Tonnes			
27(क).03	डीजल ईंधन –				
27(a).03	Diesel fuel -				
	(i) उच्च गति डीजल तेल	किलोलिटर			
	HSD Oil	Kilolitres			
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	किलोलिटर			
	Light Diesel Oil	Kilolitres			
27(क).04	पैट्रोल	किलोलिटर			
27(a).04	Petrol	Kilolitres			
27(क).05	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	किलोलिटर			
27(a).05	Kerosene & other fuel oils	Kilolitres			
27(क).06	कुल (कोयले के हिसाब से)	टन			
27(a).06	Total (in terms of coal)	Tonnes			
	पंपिंग इंजनों, कारखानों, स्टीमरों, बिजली उत्पादक स्टेशनों इत्यादि जैसे अन्य सभी प्रयोजनों के लिए ईंधन की खपत – **Fuel consumed for all other purposes such as for pumping engines, workshops, steamers, electric generating stations etc.–**				
27(क).07	कोयला	टन			
27(a).07	Coal	Tonnes			
27(क).08	लकड़ी	टन			
27(a).08	Wood	Tonnes			
27(क).09	डीजल ईंधन –				
27(a).09	Diesel Fuel -				
	(i) उच्च गति डीजल तेल	किलोलिटर			
	HSD Oil	Kilolitres			
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	किलोलिटर			
	Light Diesel Oil	Kilolitres			
27(क).10	पैट्रोल	किलोलिटर			
27(a).10	Petrol	Kilolitres			

विवरण - 27(क) -*(जारी)*
Statement - 27(a) -*(Contd.)*

1	2	3	4	5
27(क).11	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	किलोलिटर		
27(a).11	Kerosene & other fuel oils	Kilolitres		
27(क).12	कुल (कोयले के हिसाब से)	टन		
27(a).12	Total (in terms of coal)	Tonnes		
	कुल ईंधन की खपत -			
	Total fuel consumed –			
27(क).13	कोयला	टन		
27(a).13	Coal	Tonnes		
27(क).14	लकड़ी	टन		
27(a).14	Wood	Tonnes		
27(क).15	डीजल ईंधन -			
27(a).15	Diesel Fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	किलोलिटर		
	HSD Oil	Kilolitres		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	किलोलिटर		
	Light Diesel Oil	Kilolitres		
27(क).16	पैट्रोल	किलोलिटर		
27(a).16	Petrol	Kilolitres		
27(क).17	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	किलोलिटर		
27(a).17	Kerosene & other fuel oils	Kilolitres		
27(क).18	कुल (कोयले के हिसाब से)	टन		
27(a).18	Total (in terms of coal)	Tonnes		
	वर्ष के दौरान ईंधन की खपत की खान की मुहाने पर अथवा सप्लाई स्टेशन पर कुल लागत -			
	Total cost at pit's mouth or station of supply of fuel consumed during the year -			
27(क).19	कोयला	रुपए		
27(a).19	Coal	Rs.		
27(क).20	लकड़ी	रुपए		
27(a).20	Wood	Rs.		
27(क).21	डीजल ईंधन -			
27(a).21	Diesel Fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए		
	HSD Oil	Rs.		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए		
	Light Diesel Oil	Rs.		
27(क).22	पैट्रोल	रुपए		
27(a).22	Petrol	Rs.		
27(क).23	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए		
27(a).23	Kerosene and other fuel oils	Rs.		

विवरण - 27(क) *-(जारी)*
Statement - 27(a) *-(Contd.)*

1	2	3	4	5
	खान के मुहाने या सप्लाई के स्टेशन पर औसत लागत प्रति टन/कि.लि. - **Average cost per tonne/kilolitre at pit's mouth or station of supply–**			
27(क).24	कोयला	रुपए प्रति टन		
27(a).24	Coal	Rs. per tonne		
27(क).25	लकड़ी	रुपए प्रति टन		
27(a).25	Wood	Rs. per tonne		
27(क).26	डीजल ईंधन -			
27(a).26	Diesel fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए प्रति किलोलिटर		
	HSD Oil	Rs. per kilolitre		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए प्रति किलोलिटर		
	Light Diesel Oil	Rs. per kilolitre		
27(क).27	पैट्रोल	रुपए प्रति किलोलिटर		
27(a).27	Petrol	Rs. per kilolitre		
27(क).28	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए प्रति किलोलिटर		
27(a).28	Kerosene and other fuel oils	Rs. per kilolitre		
	खान के मुहाने या सप्लाई स्टेशन से इंजन शेडों आदि तक जहाँ से उसे रेल इंजनों के या गैर-इंजन प्रयोजनों के लिये जारी किया जाता है, रेल और समुद्र दोनों मार्गों से (वर्ष के दौरान समायोजित) ईंधन पर कुल भाड़ा- **Total freight charges on fuel (adjusted during the year), both rail and sea, from pit's mouth or station of supply to engine sheds etc. from where issued to locomotives or for non-locomotive purposes -**			
27(क).29	कोयला	रुपए		
27(a).29	Coal	Rs.		
27(क).30	लकड़ी	रुपए		
27(a).30	Wood	Rs.		
27(क).31	डीजल ईंधन -			
27(a).31	Diesel fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए		
	HSD Oil	Rs.		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए		
	Light Diesel Oil	Rs.		
27(क).32	पैट्रोल	रुपए		
27(a).32	Petrol	Rs.		
27(क).33	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए		
27(a).33	Kerosene and other fuel oils	Rs.		

विवरण - 27(क) *-(जारी)*
Statement - 27(a) *-(Contd.)*

1	2	3	4	5
	वर्ष के दौरान समायोजित ईंधन पर कुल संभलाई प्रभार - **Total handling charges on fuel adjusted during the year -**			
27(क).34	कोयला	रुपए		
27(a).34	Coal	Rs.		
27(क).35	लकड़ी	रुपए		
27(a).35	Wood	Rs.		
27(क).36	डीजल ईंधन -	रुपए		
27(a).36	Diesel fuel -	Rs.		
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए		
	HSD Oil	Rs.		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए		
	Light Diesel Oil	Rs.		
27(क).37	पैट्रोल	रुपए		
27(a).37	Petrol	Rs.		
27(क).38	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए		
27(a).38	Kerosene and other fuel oils	Rs.		
	वर्ष के दौरान समायोजित प्रासंगिक प्रभार, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा समुद्र द्वारा लाए गए कोयले के संबंध में लादान तथा गन्तव्य पत्तनों पर प्रासंगिक प्रभार - **Total incidental charges on fuel adjusted during the year, namely, sales tax, excise duty and cess, and in respect of sea-borne coal, incidental charges at loading and destination ports –**			
27(क).39	कोयला	रुपए		
27(a).39	Coal	Rs.		
27(क).40	लकड़ी	रुपए		
27(a).40	Wood	Rs.		
27(क).41	डीजल ईंधन -			
27(a).41	Diesel fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए		
	HSD Oil	Rs.		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए		
	Light Diesel Oil	Rs.		
27(क).42	पैट्रोल	रुपए		
27(a).42	Petrol	Rs.		
27(क).43	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए		
27(a).43	Kerosene and other fuel oils	Rs.		

विवरण - 27(क) *-(समाप्त)*
Statement - 27(a) *-(Concld.)*

1	2	3	4	5
	सभी माल भाड़े, संभलाई तथा प्रासंगिक प्रभारों सहित वर्ष के दौरान हुई ईंधन की खपत की कुल समग्र लागत - **Total overall cost of fuel consumed during the year including all freight, handling and incidental charges -**			
27(क).44	कोयला	रुपए		
27(a).44	Coal	Rs.		
27(क).45	लकड़ी	रुपए		
27(a).45	Wood	Rs.		
27(क).46	डीजल ईंधन -			
27(a).46	Diesel fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए		
	HSD Oil	Rs.		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए		
	Light Diesel Oil	Rs.		
27(क).47	पैट्रोल	रुपए		
27(a).47	Petrol	Rs.		
27(क).48	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए		
27(a).48	Kerosene and other fuel oils	Rs.		
	खान के मुहाने या सप्लाई स्टेशन से इंजन शेडों आदि तक जहाँ से उसे इंजन तथा गैर-इंजन प्रयोजनों के लिए जारी किया जाता है, रेल और समुद्र दोनों मार्गों के संभलाई, प्रासंगिक प्रभार तथा सभी भाडों सहित प्रति टन/कि०लि० ईंधन की कुल औसत लागत - **Overall average cost of fuel per tonne/kilolitre including handling, incidental charges and all freight, both rail and sea, from pit's mouth or station of supply to engine sheds etc, from where issued to locomotives and for non-locomotive purposes** –			
27(क).49	कोयला	रुपए प्रति टन		
27(a).49	Coal	Rs. per tonne		
27(क).50	लकड़ी	रुपए प्रति टन		
27(a).50	Wood	Rs. per tonne		
27(क).51	डीजल ईंधन -			
27(a).51	Diesel fuel -			
	(i) उच्च गति डीजल तेल	रुपए प्रति किलोलिटर		
	HSD Oil	Rs. per kilolitre		
	(ii) हल्की गति डीजल तेल	रुपए प्रति किलोलिटर		
	Light Diesel Oil	Rs. per kilolitre		
27(क).52	पैट्रोल	रुपए प्रति किलोलिटर		
27(a).52	Petrol	Rs. per kilolitre		
27(क).53	मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेल	रुपए प्रति किलोलिटर		
27(a).53	Kerosene and other fuel oils	Rs. per kilolitre		

इस विवरण में, पिछले तथा चालू वर्षों के आंकड़े दिए जाएं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 27(क) - ईंधन की कोटि के अनुसार ईंधन की खपत

अनुदेश

1. यह विवरण सभी भारतीय रेलों, रेलवे उत्पादन इकाईयों तथा स्वतंत्र निर्माण परियोजनाओं द्वारा इस प्रकार भेजा जाए कि वह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को पहुँच जाए. रेलवे उत्पादन इकाइयों तथा कोयला एवं अन्य प्रकार का ईधन प्राप्त करने वाली स्वतंत्र निर्माण परियोजनाएं इंजनों द्वारा प्रयुक्त ईधन से संबंधित मदों (27 (क).01 से 27 (क).06) तक के सामने कोई भी मात्रा प्रत्यक्ष रुप से नहीं दर्शाएगी. इन संगठनों मे प्रयुक्त ईधन की कुल मात्रा गैर रेल इंजन प्रयोजनों की भांति अन्य मदों अर्थात मद 27(क).07 से 27(क).18 तक की मदों के सामने दर्शायी जाएगी.

2. मद 27(क).01 से 27(क).23 तथा मद 27(क). 29 से 27(क).48 तक के सामने दिए गए आंकड़े निकटतम इकाई तक दिए जाएंगे. मद 27(क).24 से 27(क).28 तथा 27(क).49 से 27(क).53 तक की मदों के परिणाम दशमलव के एक स्थान तक निकाले जाएंगें तथा जो 10 से कम है वे दशमलव के दो स्थान तक निकाले जाएंगें.

3. आंकड़े आमानवार अलग-अलग दर्शाए जाएंगे.

4. कोयले के अतिरिक्त अन्य ईंधन को निम्नलिखित प्रकार से कोयले में परिवर्तित कर दिया जाएगा :-

एक टन अथवा 1.19775 किलोलिटर डीजल तेल	= 11 टन कोयला
एक टन अथवा 1.4094 किलोलिटर पैट्रोल	=7.5 टन कोयला
0.55 टन अथवा 0.620133 किलोलिटर भट्टी का तेल	= 1 टन कोयला
0.55 टन अथवा 0.70626 किलोलिटर मिट्टी का तेल	= 1 टन कोयला
2.50 टन जलाऊ लकड़ी	= 1 टन कोयला
1.25 टन कोक (सोफ्ट अथवा हार्ड)	= 1 टन कोयला

मद 27(क).05, 27(क).11 तथा 27(क).17 में शामिल भट्टी के तेल की मात्रा किलोलिटर में इस विवरण की एक पाद टिप्पणी में अलग से भी दिखाई जाएगी.

5. मद 27(क).06 तथा 27(क).12 में दिए गए आंकड़े वार्षिक विवरण 27(ख) के कॉलम 8 में क्रमश: मद 27(ख).15 तथा 27(ख).35 के सामने दिए गए आंकड़ों से मेल खायेंगे.

6. मद 27(क).19 से 27(क).23 - वर्ष के दौरान ईधन की खपत की खान के मुहाने तक (या सप्लाई के स्टेशन तक) कुल लागत-इन मदों में वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के ईधन की खपत की लागत दर्शाई जाएगी. (वह मात्रा नहीं दर्शाई जाएगी जो प्राप्त हुई है या जिसके लिए भुगतान किया गया है). वर्ष के दौरान खपत हुए कोयले के संबंध में खान के मुहाने तक की कुल लागत रिकार्ड (मासिक लेखा) के आधार पर निकाली जाएगी, जहाँ ग्रेडवार कोयले की वास्तविक मात्रा लोको तथा गैर-लोको प्रयोजनों के लिए प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई है, अर्थात् चयन 'क', चयन 'ख' ग्रेड-"I" तथा ग्रेड-"II" आदि और जिसे प्रत्येक उप भोगी डिपों में ग्रेडवार

Statement 27(a)- Fuel Consumption by Classes of fuel

Instructions

1. This statement shall be sent by all Government Railways, Railway Production Units and the Independent Construction Projects so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. The Railway Production Units and the Independent Construction Projects receiving coal and other kinds of fuel direct, will not show any quantity against items 27(a).01 to 27(a).06 relating to fuel consumed by locos. The total quantity of fuel consumed in these organisations will be shown against other items as for non-loco purposes, i.e. from items 27(a).07 to 27(a).18.

2. The figures against items 27(a).01 to 27(a).23 and from items 27(a).29 to 27(a).48 shall be given correct to the nearest unit. The results from items 27(a).24 to 27(a).28 and 27(a).49 to 27(a).53 shall be worked out correct to one place of decimal and those which are less than ten, correct to two places of decimal.

3. The figures shall be furnished separately by gauges.

4. Fuel other than coal is to be converted into coal as follows:-

1 tonne or 1.19775 kilolitres of HSD oil	= 11 tonnes of coal
1 tonne or 1.4094 kilolitres of petrol	= 7.5 tonnes of coal
0.55 tonne or 0.620133 kilolitres of furnace oil	= 1 tonne of coal
0.55 tonne or 0.70626 kilolitres of kerosene oil	= 1 tonne of coal
2.50 tonnes of firewood	= 1 tonne of coal
1.25 tonnes of coke (soft or hard)	= 1 tonne of coal

Quantity of Furnace Oil in kilolitres included in items 27(a).05, 27(a).11 and 27(a).17 shall also be shown separately in a foot-note to the statement.

5. The figures shown against items 27(a).06 and 27(a).12 shall agree with those shown against items 27(b).15 and 27(b).35 respectively in column 8 of Annual Statement 27(b).

6. Items 27(a).19 to 27(a).23 - Total cost at pit's mouth or station of supply of fuel consumed during the year - These items will show the cost of the various kinds of fuel consumed during the year (and not of the quantities received or paid for during the year). The total cost at pit's mouth in respect of coal consumed during the year is to be arrived at on the basis of the records (monthly accounts) of the actual quantity of gradewise coal issued to each Head of Account for loco and non-loco purposes viz., Selected 'A', Selected 'B', Grade 'I' and Grade 'II' etc., alongwith gradewise cost maintained in Price Ledger for each consuming depot. The aggregate of

लागत के साथ मूल्य खाते में संग्रहीत किया गया है. प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में इस प्रकार निकाली गई खान के मुहाने की मासिक लागत इस मद के सामने दिखाए गए कुल आंकडों के बराबर होगी. प्रत्यक्ष ईंधन, पैट्रोल, मिट्टी का तेल तथा अन्य ईंधन तेलों की लागत भी इन्हीं रिकार्डों के साथ मूल्य खातों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निकाली जाएगी. जलाऊ लकड़ी के संबंध में यह लागत भंडार विभाग द्वारा मूल्य खातों में रद्दी माल के लिए तय की गई दरों पर निकाली जाएगीं.

the monthly pit's mouth cost so worked out after the close of each financial year, shall represent the total figure to be shown against this item. The cost of direct fuel, petrol, kerosene and other fuel oils should also be worked out on the basis of the similar records and the information available in the Price Ledgers. In respect of firewood, it will be worked out at the rate fixed by the Stores Department in the Price Ledgers for scrap material.

मद 27(क).24 = मद 27(क).19 ÷ मद 27(क).13

Item 27(a).24 = Item 27(a).19 ÷ Item 27(a).13

मद 27(क).25 = मद 27(क).20 ÷ मद 27(क).14

Item 27(a).25 = Item 27(a).20 ÷ Item 27(a).14

मद 27(क).26 = मद 27(क).21 ÷ मद 27(क).15

(उच्च गति डीजल तेल तथा हल्की गति डीजल तेल के लिए अलग-अलग)

Item 27(a).26 = Item 27(a).21 ÷ Item 27(a).15 (Separately for High Speed Diesel Oil and Light Diesel Oil)

मद 27(क).27 = मद 27(क).22 ÷ मद 27(क).16

Item 27(a).27 = Item 27(a).22 ÷ Item 27(a).16

मद 27(क).28 = मद 27(क).23 ÷ मद 27(क).17

Item 27(a).28 = Item 27(a).23 ÷ Item 27(a).17

मद 27(क).29 से 27(क).33 – ईधन पर कुल मालभाड़ा प्रभार-इसमें वर्ष के दौरान ईधन पर, भाड़ा प्रभारों के कारण, रेल और समुद्र दोनों से, खान के मुहाने या सप्लाई के स्टेशन से इंजन शैडों इत्यादि तक जहां से ईधन को लोको या गैर-लोको प्रयोजनों के लिए जारी किया जाता है, समायोजित या भुगतान किए गए बिलों की कुल रकम शामिल होगी.

Items 27(a).29 to 27(a).33 - Total freight charges on fuel - shall include the total amount of bills adjusted or payments made during the year on account of freight charges, both rail and sea, on fuel from pit's mouth or stations of supply to engine sheds etc. from where the fuel is issued to locos or for non-loco purposes.

मद 27(क).34 से 27(क).38 – ईधन पर कुल संभलाई प्रभारों में प्रत्येक वित्त वर्ष में संभाले गए ईधन की मात्रा के लिए ठेकेदारों अथवा विभागीय मज़दूरों किए गए भुगतानों की कुल रकम शामिल होगी.

Items 27(a).34 to 27(a).38 - Total handling charges on fuel - shall include the total amount of payments made to the contractors or the departmental labour in each financial year on the quantity of fuel handled.

मद 27(क).39 से 27(क).43 – ईधन पर कुल प्रासंगिक प्रभार-इन मदों में वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क, ईधन पर बिक्री उपकर और समुद्र द्वारा लाए गए कोयले के संबंध में लदान तथा गन्तव्य पत्तनों पर प्रासंगिक प्रभारों की रकम शामिल होगी.

Items 27(a).39 to 27(a).43 - Total incidental charges on fuel–shall include the total amount of bills adjusted or payments made during the financial year on account of excise duty and cess, sales tax on fuel, and in respect of sea-borne coal, the amount of incidental charges at loading and destination ports.

मद 27(क).44 = मद 27(क).19 + 27(क).29 + 27(क).34 + 27(क).39

Item 27(a).44 = Items 27(a).19 + 27(a).29 + 27(a).34 + 27(a).39

मद 27(क).45 = मद 27(क).20 + 27(क).30 + 27(क).35 + 27(क).40

Item 27(a).45 = Items 27(a).20 + 27(a).30 + 27(a).35 + 27(a).40

मद 27(क).46 = मद 27(क).21 + 27(क).31 + 27(क).36 + 27(क).41

Item 27(a).46 = Items 27(a).21 + 27(a).31 + 27(a).36 + 27(a).41

मद 27(क).47 = मद 27(क).22 + 27(क).32 + 27(क).37 + 27(क).42

Item 27(a).47 = Items 27(a).22 + 27(a).32 + 27(a).37 + 27(a).42

मद 27(क).48 = मद 27(क).23 + 27(क).33 + 27(क).38 + 27(क).43

Item 27(a).48 = Items 27(a).23 + 27(a).33 + 27(a).38 + 27(a).43

मद 27(क).49 = मद 27(क).44 ÷ 27(क).13

Item 27(a).49 = Item 27(a).44 ÷ 27(a).13

मद 27(क).50 = मद 27(क).45 ÷ 27(क).14

Item 27(a).50 = Item 27(a).45 ÷ 27(a).14

मद 27(क).51 = मद 27(क).46 ÷ 27(क).15 (उच्च गति डीज़ल तेल तथा हल्की गति डीज़ल तेल के लिए अलग-अलग)

Item 27(a).51 = Item 27(a).46 ÷ 27(a).15 (Separately for HSD oil and Light diesel oil)

मद 27(क).52 = मद 27(क).47 ÷ 27(क).16

Item 27(a).52 = Item 27(a).47 ÷ 27(a).16

मद 27(क).53 = मद 27(क).48 ÷ 27(क).17

Item 27(a).53 = Item 27(a).48 ÷ 27(a).17

7. जहाँ किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नही दिए गए है, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम-I में दिए गए मासिक विवरण की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

7. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 27(ख)
Statement - 27(b)

वर्ष के लिए सेवाओं की श्रेणीवार ईंधन की खपत
Fuel Consumption by Classes of Services for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	कोयला Coal	डीजल ईंधन/Diesel Fuel: उच्च गति डीजल तेल High Speed Diesel Oil	डीजल ईंधन/Diesel Fuel: हल्की गति डीजल तेल Light Diesel Oil	पैट्रोल Petrol	मिट्टी का तेल एवं अन्य ईंधन तेल Kerosene & other fuel oils	जोड़ (कोयले के हिसाब से) Total(in terms of coal)
1	2	3	4	5	6	7	8
	निम्न सेवाओं पर रेल इंजनों द्वारा खपत की कुल मात्रा Total quantity consumed by locomotives on services -	टन Tonnes	कि.लि. Kilolitres	कि.लि. Kilolitres	कि.लि. Kilolitres	कि.लि. Kilolitres	टन Tonnes
27(ख).01	मेल और एक्सप्रेस						
27(b).01	Mail and Express						
27(ख).02	अन्य यात्री सेवाएँ						
27(b).02	Other passenger services						
27(ख).03	उपनगरीय						
27(b).03	Suburban						
27(ख).04	सभी यात्री गाड़ियां						
27(b).04	All passenger						
27(ख).05	मिली-जुली गाड़ियां						
27(b).05	Mixed						
27(ख).06	थ्रू माल गाडियां						
27(b).06	Through goods						
27(ख).07	वैन और शंटिंग माल गाड़ियां						
27(b).07	Van & shunting goods						
27(ख).08	सभी माल गाड़ियां						
27(b).08	All goods						
27(ख).09	सवारी गाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात						
27(b).09	Pass. & pass. proportion of mixed						
27(ख).10	मालगाड़ियों और मिली-जुली गाड़ियों का मालगाड़ी अनुपात						
27(b).10	Goods & goods proportion of mixed						
27(ख).11	साइडिंग सहित शंटिंग						
27(b).11	Shunting including siding						
27(ख).12	विभागीय						
27(b).12	Departmental						
27(ख).13	विविध सेवाएं						
27(b).13	Miscellaneous						

विवरण – 27(ख) – *(जारी)*

Statement - 27(b) -*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8
27(ख).14	रेल कार/रेल बस–आंतरिक दहन इंजन चालित						
27(b).14	Rail car/Rail bus-Internal combustion engine propelled						
27(ख).15	कुल सभी सेवाएं						
27(b).15	Total all services						
	प्रति इंजन किलोमीटर खपत –						
	Consumption per engine kilometre -						
		कि.ग्रा. Kilograms	लिटर Litres	लिटर Litres	लिटर Litres	लिटर Litres	कि.ग्रा. Kilograms
27(ख).16	सवारी गाड़ियां						
27(b).16	Passenger						
27(ख).17	मिली–जुली गाड़ियां						
27(b).17	Mixed						
27(ख).18	माल गाड़ियां						
27(b).18	Goods						
27(ख).19	साइडिंग सहित शंटिग						
27(b).19	Shunting including siding						
27(ख).20	विभागीय						
27(b).20	Departmental						
	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर खपत						
	Consumption per 1000 gross tonne kms.						
27(ख).21	मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां						
27(b).21	Mail and Express						
27(ख).22	अन्य सवारी गाड़ियां						
27(b).22	Other passenger						
27(ख).23	उपनगरीय गाड़ियां						
27(b).23	Suburban						
27(ख).24	सभी सवारी गाड़ियां						
27(b).24	All passenger						
27(ख).25	मिली–जुली गाड़ियां						
27(b).25	Mixed						
27(ख).26	थ्रू माल गाड़ियां						
27(b).26	Through Goods						
27(ख).27	वैन और शंटिग माल गाड़ियां						
27(b).27	Van & shunting goods						
27(ख).28	सभी माल गाड़ियां						
27(b).28	All goods						
27(ख).29	सवारी गाड़ियां और मिली–जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात						
27(b).29	Passenger & pass. proportion of mixed						
27(ख).30	माल गाड़ियां और मिली–जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात						
27(b).30	Goods & goods proportion of mixed.						

विवरण - 27(ख) *-(जारी)*

Statement - 27(b) *-(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8
		टन Tonnes	कि.लि. Kilolitres	कि.लि. Kilolitres	कि.लि. Kilolitres	कि.लि. Kilolitres	टन Tonnes
	रेल इंजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए खपत ईंधन की मात्रा **Quantity of fuel consumed for other than locomotive purposes -**						
27(ख).31	जल पम्पिंग स्टेशन						
27(b).31	Water pumping stations						
27(ख).32	बिजली जनित्र स्टेशन						
27(b).32	Electric generating stations						
27(ख).33	(i) यांत्रिक कारखाने और रनिंग शेड–						
27(b).33	Mechanical workshops & running sheds -						
	(क) ढलाई कारखाना						
	(a) Foundry works						
	(ख) लोहारगिरी और मरम्मत कर्मशाला						
	(b) Smithy & repair shops						
	(ग) अन्य कर्मशालाएं						
	(c) Other shops						
	(ii) पुल, इंजीनियरी और सिगनल कर्मशालाएं						
	Bridge, engineering & signal shops -						
	(क) मरम्मत और निर्माण कर्मशालाएं						
	(a) Repair & construction shops						
	(ख) अन्य कर्मशालाएं						
	(b) Other shops						
27(ख).34	विविध प्रयोजन						
27(b).34	Miscellaneous purposes						
27(ख).35	जोड़						
27(b).35	Total						
	क्षेत्रीय आधार पर खपत किया गया ईंधन **Fuel consumed on territorial basis–**						
	खपत किये गये ईंधन की मात्रा *Quantity of fuel consumed*						
27(ख).36	सवारी गाड़ियां तथा मिली–जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात						
27(b).36	Passenger & passenger proportion of mixed						
27(ख).37	मालगाड़ियां और मिली–जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात						
27(b).37	Goods & goods proportion of mixed						
	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर खपत ईंधन की मात्रा *Quantity of fuel consumed per 1000 gross tonne kms*						
		कि.ग्रा. Kgs.	लिटर Litres	लिटर Litres	लिटर Litres	लिटर Litres	कि.ग्रा. Kgs.
27(ख).38	सवारी गाड़ियां तथा मिली–जुली गाड़ियों का सवारीगाड़ी अनुपात						
27(b).38	Passenger & pass. proportion of mixed						
27(ख).39	माल गाड़ियां तथा मिली–जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात						
27(b).39	Goods & goods proportion of mixed						

इस विवरण में, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

अनुबंध-I/Annexure-I

.....रेलवे/Railway

विवरण 27(ख) के परिणाम निकालने में प्रयुक्त मौलिक इकाइयां (अनुदेशों के पैरा 9 के अनुसार)
Fundamental Units used in working out the results of St. 27(b) (as per para 9 of the Instructions)

27(ख).16 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (सवारी गाड़ी) / इंजन किलोमीटर (सवारीगाड़ी)

27(b).16 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Passenger) / Engine kilometres (Passenger)

27(ख).17 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (मिली-जुली गाड़ियां) / इंजन किलोमीटर (मिली-जुली गाड़ियां)

27(b).17 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Mixed) / Engine kilometres (Mixed)

27(ख).18 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (मालगाड़ियां) / इंजन किलोमीटर (मालगाड़ियां)

27(b).18 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Goods) / Engine kilometres (Goods)

27(ख).19 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (साइडिंग सहित शंटिंग) / इंजन किलोमीटर (साइडिंग सहित शंटिंग)

27(b).19 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Shunting including siding) / Engine kilometres (Shunting including siding)

27(ख).20 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (विभागीय) / इंजन किलोमीटर (विभागीय)

27(b).20 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Departmental) / Engine kilometres (Departmental)

27(ख).21 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (मेल और एक्सप्रेस)

27(b).21 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Mail and Express) x 1000 / Gross tonne kilometres (Mail and Express)

27(ख).22 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (अन्य सवारी गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (अन्य सवारी गाड़ियां)

27(b).22 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on other passenger x 1000 / Gross tonne kilometres (Other passenger)

27(ख).23 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (उपनगरीय गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (उपनगरीय गाड़ियां)

27(b).23 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on Suburban x 1000 / Gross tonne kilometres (Suburban)

27(ख).24 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (सभी सवारी गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (सभी सवारी गाड़ियां)

27(b).24 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on all passenger x 1000 / Gross tonne kilometres (All passenger)

27(ख).25 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (मिली-जुली गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (मिली-जुली गाड़ियां)

27(b).25 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres (Mixed services) x 1000 / Gross tonne kilometres (Mixed)

27(ख).26 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (थ्रू माल गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (थ्रू माल गाड़ियां)

27(b).26 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on through goods x 1000 / Gross tonne kilometres (Through goods)

27(ख).27 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (वैन और शंटिंग माल गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (वैन और शंटिंग माल गाड़ियां)

27(b).27 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on Van and shunting goods x 1000 / Gross tonne kilometres (Van and shunting goods)

27(ख).28 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (सभी माल गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (सभी माल गाड़ियां)

27(b).28 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on all goods x 1000 / Gross tonne kilometres (All goods)

27(ख).29 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (सवारी गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (सवारी गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात)

27(b).29 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on Passenger and passenger proportion of mixed x 1000 / Gross tonne kilometres (Passenger and pass. proportion of mixed)

27(ख).30 कोयले की खपत किलोग्राम में/तेल की खपत लिटर में (माल गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (माल गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का मालगाड़ी अनुपात)

27(b).30 Coal consumed in kilograms/oil consumed in litres on Goods & goods proportion of mixed x 1000 / Gross tonne kilometres (Goods & goods proportion of mixed)

अनुबंध-II/Annexure-II

.....रेलवे/Railway

अनुदेशों के पैरा 10 के अनुसार विवरण 27(ख) का अनुबंध
Annexure to Statement 27(b) vide para 10 of the Instructions

	खपत किए गए ईंधन की मात्रा Quantity of fuel consumed		सकल टन किलोमीटर Gross tonne kilometres	
	कोयला (टन) Coal (Tonnes)	डीजल (कि. लि.) Diesel (Kilolitres)	भाप Steam	डीजल Diesel
सवारी गाड़ी और मिली–जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात Passenger & passenger proportion of mixed–				
रेल इंजनों द्वारा स्वामित्व के आधार पर By locomotives on ownership basis				
अन्य रेलों के लिए किया गया काम घटाकर (नामों सहित) Less work done for other Railways (with names)				

जमा अपनी रेलवे पर अन्य रेलों के रेल इंजनों द्वारा किया गया काम (नामों सहित) Plus work done by other Railway locos on Home Railway (with names)				

क्षेत्र के आधार पर जोड़ Total on territorial basis				
माल गाड़ियों और मिली–जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात Goods and goods proportion of mixed–				
आबंटन के आधार पर रेल इंजनों द्वारा By locomotives on allotment basis				
अन्य रेलों के लिए किया गया काम घटाकर (नामों सहित) Less work done for other Railways (with names)				

जमा अपनी रेलवे पर अन्य रेलों के रेल इंजनों द्वारा किया गया काम (नामों सहित) Plus work done by other Railway locos on Home Railway (with names)				

क्षेत्र के आधार पर जोड़ Total on territorial basis				

विवरण 27(ख) - सेवाओं की श्रेणीवार ईंधन की खपत

अनुदेश

1. यह विवरण सभी सरकारी रेलों, रेलवे उत्पादन इकाइयोंऔर स्वतंत्र निर्माण परियोजनाओं द्वारा सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को इस प्रकार भेजा जाए कि वह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक उनको पहुँच जाए. रेलवे उत्पादन इकाइयां और स्वंत्रत निर्माण परियोजनाएं जो कोयला और अन्य किस्म का ईधन सीधे प्राप्त करती है, वर्ष के दौरान खपत किये गए ईधन की मात्राएं मद 27(ख).31 से 27(ख).35 के सामने दर्शाएंगी.

2. आंकड़े आमानवार अलग-अलग भेजे जायेंगे. 27(ख).01 से 27(ख).35 तक की मदों के लिए आंकड़े स्वामित्व के आधार पर भेजे जाएंगें अर्थात अपनी रेलवे के इंजनों द्वारा अपनी रेलवे पर तथा अन्य क्षेत्रीय रेलों पर की गई कोयला/तेल की खपत इंजन किलोमीटर और सकल टन किलोमीटरों के निष्पादन कारक भी रेलों के बीच अंतर्बदल की गई सूचना के आधार पर तदुनसार संकलित किए जाएंगे.

3. प्रत्येक मद के सामने माप के यूनिट इंगित करते हुए विभिन्न मदों के लिए कोयला, डीजल तेल और अन्य ईंधन से संबंधित आंकड़े अलग-अलग दर्शाये जाएंगे और जलाऊ लकड़ी तथा कोक को कोयले के हिसाब से परिवर्तन करके कोयले के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए कोयले से भिन्न ईंधन निम्न प्रकार से कोयले में परिवर्तित किया जाए:-

1 टन या 1.19775 किलोलिटर डीजल तेल	= 11 टन कोयला
1 टन या 1.4094 किलोलिटर पेट्रोल	= 7.5 टन कोयला
0.55 टन या 0.620133 किलोलिटर भट्टी का तेल	= 1 टन कोयला
0.55 टन या 0.70626 किलोलिटर मिट्टी का तेल	= 1 टन कोयला
2.50 टन जलाऊ लकड़ी	= 1 टन कोयला
1.25 टन कोक (सोफ्ट या हार्ड)	= 1 टन कोयला

विभिन्न सेवाओं के लिए प्रयुक्त जलाऊ लकड़ी और कोक टन में तथा भट्टी का तेल किलोलिटर में विवरण की पाद टिप्पणी में अलग से दर्शाया जाएगा.

4. मद 27(ख).01 से 27(ख).15 तक और 27(ख).31 से 27(ख).37 तक के समक्ष टनभार के आंकड़े निकटतम यूनिट तक सही-सही दर्शाये जायेगें. मद 27(ख).16 से 27(ख).30 तक और 27(ख).38 और 27(ख).39 के लिए परिणाम दशमलव के एक स्थान तक सही निकाले जायेगें और जो दस से कम हो तो दशमलव के दो स्थान तक सही निकाले जायेगें.

5. कालम 8 में मद 27(ख).15 और 27(ख).35 के समक्ष दर्शाये गये आंकड़े वार्षिक विवरण 27(क) के क्रमश: मद 27(क).06 और 27(क).12 के साथ मेल खायेगें.

Statement 27(b)- Fuel Consumption by Classes of Services

Instructions

1. This statement shall be sent by all Government Railways and Production Units and the independent Construction Projects to the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. The Production Units and the independent Construction Projects receiving coal and other kinds of fuel direct, shall show the quantities of fuel consumed during the year against items 27(b).31 to 27(b).35.

2. The figures shall be furnished separately by gauges. Figures for items 27(b).01 to 27(b).35 shall be furnished on ownership basis i.e. coal/oil consumed by Home Railway locomotives on Home Railway as well as on other Zonal Railways. The corresponding performance factors of engine kilometres and gross tonne kilometres shall also be accordingly compiled, based on the information exchanged amongst the Railways.

3. Statistics relating to the consumption of coal, diesel oil and other fuel are to be shown separately for different items in the units of measurement indicated against each, firewood and coke being included under coal after conversion in terms of coal. For this purpose, fuel other than coal is to be converted into coal as follows : —

1 tonne or 1.19775 kilolitres of HSD oil	= 11 tonnes of coal
1 tonne or 1.4094 kilolitres of petrol	= 7.5 tonnes of coal
0.55 tonne or 0.620133 kilolitres of furnace oil	= 1 tonne of coal
0.55 tonne or 0.70626 kilolitres of kerosene oil	= 1 tonne of coal
2.50 tonnes of firewood	= 1 tonne of coal
1.25 tonnes of coke (soft or hard)	= 1 tonne of coal.

Quantity of firewood and coke in tonnes and furnace oil in kilolitres used for the various services shall also be shown separately in a foot-note to the statement.

4. The figures of tonnage against items 27(b).01 to 27(b).15 and 27(b).31 to 27(b).37 shall be given correct to the nearest unit. The results for item Nos. 27(b).16 to 27(b).30, 27(b).38 and 27(b).39 shall be worked out correct to one place of decimal and those which are less than ten, correct to two places of decimal.

5. The figures shown against items 27(b).15 and 27(b).35 in column 8 shall agree with items 27(a).06 and 27(a).12 respectively of Annual Statement 27(a).

6. इस विवरण में विभिन्न मदों के लिए आंकड़े नीचे कालम 2 में दी गयी मदों से संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिए मासिक विवरण 5–क में दर्शाये गये संचयी आंकड़ों से मेल खायेंगे :–

6. The figures for the various items in this statement shall agree with the cumulative figures shown in the Monthly Statement 5-A for March of the year concerned against items given in column 2 below : –

इस विवरण में मद Item in this statement	मासिक विवरण संख्या 5–क में तदनुरूपी मद Corresponding item in the monthly Statement No. 5-A	अभ्युक्ति Remarks
1	2	3
27(ख).01 27(b).01	1.01 (i) 1.01 (i)	
27(ख).02 27(b).02	1.01 (ii) 1.01 (ii)	
27(ख).03 27(b).03	1.01 (iii) 1.01 (iii)	
27(ख).04 27(b).04	1.01 (iv) 1.01 (iv)	
27(ख).05 27(b).05	1.01 (v) + 1.02 (iv) 1.01 (v) + 1.02 (iv)	
27(ख).06 27(b).06	1.02 (i) 1.02 (i)	
27(ख).07 27(b).07	1.02 (ii) 1.02 (ii)	
27(ख).08 27(b).08	1.02 (iii) 1.02 (iii)	
27(ख).09 27(b).09	1.01 (vi) 1.01 (vi)	
27(ख).10 27(b).10	1.02 (v) 1.02 (v)	
27(ख).11 27(b).11	1.03 (क)+(ख) 1.03 (a)+(b)	
27(ख).12 27(b).12	1.04 1.04	
27(ख).13 27(b).13	1.05 1.05	
27(ख).14 27(b).14	1.06 1.06	
27(ख).15 27(b).15	1.07 1.07	
27(ख).16 27(b).16	2.01 (iv) 2.01 (iv)	
27(ख).17 27(b).17	2.01 (v) 2.01 (v)	
27(ख).18 27(b).18	2.02 (iii) 2.02 (iii)	
27(ख).19 27(b).19	2.03 2.03	
27(ख).20 27(b).20	2.04 2.04	
27(ख).21 27(b).21	4.01 (i) 4.01 (i)	

इस विवरण में मद Item in this statement	मासिक विवरण संख्या 5–क में तदनुरूपी मद Corresponding item in the monthly Statement No. 5-A	अभ्युक्ति Remarks
1	2	3
27(ख).22	4.01 (ii)	
27(b).22	4.01 (ii)	
27(ख).23	4.01 (iii)	
27(b).23	4.01 (iii)	
27(ख).24	4.01 (iv)	
27(b).24	4.01 (iv)	
27(ख).25	4.01 (v)	
27(b).25	4.01 (v)	
27(ख).26	4.02 (i)	
27(b).26	4.02 (i)	
27(ख).27	4.02 (ii)	
27(b).27	4.02 (ii)	
27(ख).28	4.02 (iii)	
27(b).28	4.02 (iii)	
27(ख).29	4.01 (vi)	
27(b).29	4.01 (vi)	
27(ख).30	4.02 (iv)	
27(b).30	4.02 (iv)	
27(ख).31	5.01	
27(b).31	5.01	
27(ख).32	5.02	
27(b).32	5.02	
27(ख).33	5.03 (i) और (ii)	
27(b).33	5.03 (i) and (ii)	
27(ख).34	5.04	
27(b).34	5.04	
27(ख).35	5.05	
27(b).35	5.05	
27(ख).36	6.01	
27(b).36	6.01	
27(ख).37	6.02	
27(b).37	6.02	
27(ख).38	6.03	
27(b).38	6.03	
27(ख).39	6.04	
27(b).39	6.04	

7. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिए मासिक विवरण 5–क में तदनुरूपी आंकड़ों के बीच किसी अंतर को एक अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जायेगा.

7. Any difference between the figures for this statement and the corresponding figures in the Monthly Statement 5-A for March of the year concerned, shall be suitably explained in a separate memorandum.

8. मासिक विवरण 5-क की मद 4.01 और 4.02 के लिए अनुदेश इस वार्षिक विवरण की मद 27(ख).21 से 27(ख).30 तक के लिए लागू होते है सिवाय इसके कि वाणिज्यिक दस्तावेजों के अनुसार शुद्ध टन किलोमीटर विभिन्न सेवाओं और कर्षणों के लिए उसी अनुपात में अंगीकृत और समायोजित कि ये जायेगें जैसे कि मार्च मास के लिए संचयी विवरण 5-क में गाड़ी दस्तावेजों से संकलित किए जाते है. मद 27(ख).29 और 27(ख).30 के लिए प्रयुक्त सकल टन किलोमीटर के आंकड़े अन्य रेलों पर अपनी रेलवे के इंजनों और अपनी रेलवे पर अन्य रेलवे इंजनों के संचालन के लिए समायोजन करने के बाद वार्षिक विवरण 16 के मद 16.03 (i) और 16.03 (ii) से मेल खायेगें.

9. मद 27(ख).16 से 27(ख).30 तक के लिए मूल आंकड़े अनुबंध-I में प्रस्तुत किए जायेगें.

10. प्रादेशिक ईंधन खपत

प्रादेशिक आधार पर किया गया काम और खपत हुए ईंधन की मात्रा निकालने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलें, एक रेलवे के दूसरी रेलवे पर कार्यरत रेल इंजनों के द्वारा खपत किये गये ईधन की मात्रा और निष्पादन दोनों के आंकड़ों की अदला-बदली करेंगी. दूसरी रेलवे पर कार्य करने में खपत किये गये ईधन की मात्रा अपनी रेलवे के इंजनों के प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर की दर पर आधारित होगी. खपत किये गये ईधन की मात्रा की मूल इकाई और सकल टन किलोमीटर विवरण के अनुबंध-II के रूप में भेजी जायेंगी. आबंटन के आधार पर रेल इंजनों द्वारा खपत किया गया ईधन सवारी गाड़ी और मिली- जुली गाड़ियों के सवारी गाड़ी अनुपात के मामले में विवरण के मद 27(ख).09 तथा माल गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों के माल गाड़ी अनुपात के मामले में विवरण के मद 27(ख).10 के साथ मेल खायेगा.

प्रादेशिक आधार पर खपत किया गया ईधन सवारी गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों के सवारी गाड़ी अनुपात के मामले में मद 27(ख).36 से तथा माल गाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों के माल गाड़ी अनुपात के मामले में मद 27(ख).37 से मेल खायेगा. अलग-अलग सेवाओं के लिए सकल टन किलोमीटर वार्षिक विवरण 16 के मद 16.03 (i) और 16.03 (ii) के साथ मेल खायेगा.

11. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका,वाल्यूम-I में यथा विनिर्दिष्ट मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का पालन किया जायेगा.

8. The instructions for items 4.01 and 4.02 of Monthly Statement 5-A apply to items from 27(b).21 to 27(b).30 of this annual statement except that net tonne kilometres as per commerical documents shall be adopted and adjusted to various services and tractions in the same ratio as compiled from train documents in the Cumulative Statement 5-A for the month of March. Figures of gross tonne kilometres used for items 27(b).29 and 27(b).30 shall agree with items 16.03(i) and 16.03(ii) of Annual Statement 16 after making adjustment for working of Home Railway engines on other Railways and other Railway engines on Home Railway.

9. Fundamental figures for items 27(b).16 to 27(b).30 shall be furnished in Annexure-I

10. Territorial fuel consumption

In order to work out the quantum of fuel consumed and work done on territorial basis, the Zonal Railways shall exchange data both of performance and quantum of fuel consumed by locomotives of one Railway working on other Railway. The quantum of fuel consumed for working on another Railway shall be based on the rate of fuel consumption per 1000 gross tonne kilometres of the Home Railway engines. The fundamental units of quantity of fuel consumed and gross tonne kilometres shall be sent as Annexure-II to the statement. Fuel consumed by locomotives on allotment basis shall agree with item 27(b).09 of the statement in case of passenger and passenger proportion of mixed and with item 27(b).10 in case of goods and goods proportion of mixed.

The fuel consumed on territorial basis shall agree with item 27(b).36 in case of passenger and passenger proportion of mixed and with item 27(b).37 in case of goods and goods proportion of mixed. The gross tonne kilometres for the respective services shall agree with items 16.03(i) and 16.03(ii) of Annual Statement 16.

11. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly Statements, as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 27(ग)
Statement - 27(c)

वर्ष के लिए सेवाओं की श्रेणीवार बिजली शक्ति की खपत (ई.एम.यू. पर खपत की गई शक्ति के अलावा)
Electric Power Consumption by Classes of Services (exclusive of power consumed on Electric Multiple Units) for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन B.G.	मीटर लाइन M.G.	छोटी लाइन N.G.
1	2	3	4	5
	निम्नलिखित सेवाओं पर रेल इंजनों द्वारा खपत बिजली की कुल मात्रा (किलोवाट घंटों में) - **Total quantity of power consumed (in kilowatt hours) by locomotives on the following services -**			
27(ग).01	मेल और एक्सप्रेस			
27(c).01	Mail and Express			
27(ग).02	अन्य सवारी गाड़ियां			
27(c).02	Other passenger			
27(ग).03	उपनगरीय गाड़ियां			
27(c).03	Suburban			
27(ग).04	सभी सवारी गाड़ियां			
27(c).04	All passenger			
27(ग).05	मिली-जुली गाड़ियां			
27(c).05	Mixed			
27(ग).06	थ्रू माल गाडियां			
27(c).06	Through goods			
27(ग).07	वैन और शंटिंग माल गाड़ियां			
27(c).07	Van & shunting goods			
27(ग).08	सभी माल गाड़ियां			
27(c).08	All goods			
27(ग).09	सवारी गाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात			
27(c).09	Passenger and passenger proportion of mixed			
27(ग).10	मालगाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात			
27(c).10	Goods & goods proportion of mixed			
27(ग).11	साइडिंग सहित शंटिंग			
27(c).11	Shunting including siding			
27(ग).12	विभागीय गाड़ियां			
27(c).12	Departmental			
27(ग).13	विविध सेवाएं			
27(c).13	Miscellaneous			
27(ग).14	जोड़ - सभी सेवाएं (मद 27(ग).04+27(ग).05+27(ग).08+27(ग).11+27(ग).12+27(ग).13)			
27(c).14	Total all services (Items 27(c).04+27(c).05+27(c).08+27(c).11+27(c).12+27(c).13)			
27(ग).15	**रेल इंजनों द्वारा खपत कुल बिजली की लागत** रुपए			
27(c).15	**Cost of total power consumed by locomotives** Rs.			
27(ग).16	**प्रति किलोवाट घंटा औसत लागत** पैसों में			
27(c).16	**Average cost per kilowatt hour** In paise			

विवरण – 27(ग) – *(जारी)*

Statement - 27(c) - *(Contd.)*

1	2	3	4	5
	प्रति इंजन किलोमीटर खपत (किलोवाट घंटों में)–			
	Consumption per engine kilometre (in kilowatt hours) -			
27(ग).17	सवारी गाड़ियां			
27(c).17	Passenger			
27(ग).18	मिली–जुली गाड़ियां			
27(c).18	Mixed			
27(ग).19	माल गाड़ियां			
27(c).19	Goods			
27(ग).20	साइडिंग सहित शंटिंग			
27(c).20	Shunting including siding			
27(ग).21	विभागीय गाड़ियां			
27(c).21	Departmental			
	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर खपत (किलोवाट घंटों में) –			
	Consumption per 1000 gross tonne kilometres (in kilowatt hours) -			
27(ग).22	मेल और एक्सप्रेस			
27(c).22	Mail and Express			
27(ग).23	अन्य सवारी गाड़ियां			
27(c).23	Other passenger			
27(ग).24	उपनगरीय गाड़ियां			
27(c).24	Suburban			
27(ग).25	सभी सवारी गाड़ियां			
27(c).25	All passenger			
27(ग).26	मिली–जुली गाड़ियां			
27(c).26	Mixed			
27(ग).27	थ्रू माल गाड़ियां			
27(c).27	Through Goods			
27(ग).28	वैन और शंटिंग माल गाड़ियां			
27(c).28	Van & Shunting goods			
27(ग).29	सभी माल गाड़ियां			
27(c).29	All goods			
27(ग).30	सवारी गाड़ियां और मिली–जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात			
27(c).30	Passenger & passenger proportion of mixed			
27(ग).31	माल गाड़ियां और मिली–जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात			
27(c).31	Goods & goods proportion of mixed.			
	रेल इंजन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए खपत बिजली की कुल मात्रा			
	Total quantity of power consumed on other than locomotive purposes -			
27(ग).32	सिगनल व्यवस्था के लिए आपूर्ति ऊर्जा			
27(c).32	Energy supplied for signalling			
27(ग).33	अन्य रेलों को आपूर्ति ऊर्जा			
27(c).33	Energy supplied to other Railways			
27(ग).34	अन्य विभागों को आपूर्ति ऊर्जा			
27(c).34	Energy supplied to other Departments			
27(ग).35	बाहरी व्यक्तियों को आपूर्ति ऊर्जा			
27(c).35	Energy supplied to outsiders			
27(ग).36	मद 27(ग).32 से मद 27(ग).35 का जोड़			
27(c).36	Total of items 27(c).32 to 27(c).35			

अनुबंध-I/ANNEXURE-I

.....रेलवे/Railway

विवरण 27(ग) के परिणाम निकालने में प्रयुक्त मौलिक यूनिट (अनुदेशों के पैरा 9 के अनुसार)
Fundamental Units used in working out the results of Statement 27(c) (As per para 9 of the Instructions)

27(ग).17 किलोवाट घंटो में खपत ऊर्जा (सवारी) / इंजन किलोमीटर (सवारी)

27(c).17 Energy consumed in kilowatt hours (Passenger) / Engine kilometres (Passenger)

27(ग).18 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (मिली-जुली गाड़ियां) / इंजन किलोमीटर (मिली-जुली गाड़ियां)

27(c).18 Energy consumed in kilowatt hours (Mixed) / Engine kilometres (Mixed)

27(ग).19 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (मालगाड़ी) / इंजन किलोमीटर (मालगाड़ी)

27(c).19 Energy consumed in kilowatt hours (Goods) / Engine kilometres (Goods)

27(ग).20 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (साइडिंग सहित शंटिंग) / इंजन किलोमीटर (साइडिंग सहित शंटिंग)

27(c).20 Energy consumed in kilowatt hours (Shunting including siding) / Engine kilometres (Shunting including siding)

27(ग).21 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (विभागीय) / इंजन किलोमीटर (विभागीय)

27(c).21 Energy consumed in kilowatt hours (Departmental) / Engine kilometres (Departmental)

27(ग).22 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (मेल और एक्सप्रेस) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (मेल और एक्सप्रेस)

27(c).22 Energy consumed in kilowatt hours (Mail and Express) x 1000 / Gross tonne kilometres (Mail and Express)

27(ग).23 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (अन्य सवारी गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (अन्य सवारी गाड़ियां)

27(c).23 Energy consumed in kilowatt hours (Other passenger) x 1000 / Gross tonne kilometres (Other passenger)

27(ग).24 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (उपनगरीय गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (उपनगरीय)

27(c).24 Energy consumed in kilowatt hours (Suburban) x 1000 / Gross tonne kilometres (Suburban)

27(ग).25 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (सभी सवारी गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (सभी सवारी गाड़ियां)

27(c).25 Energy consumed in kilowatt hours (All passenger) x 1000 / Gross tonne kilometres (All passenger)

27(ग).26 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (मिली-जुली गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (मिली-जुली गाड़ियां)

27(c).26 Energy consumed in kilowatt hours (Mixed) x 1000 / Gross tonne kilometres (Mixed)

27(ग).27 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (थ्रू माल गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (थ्रू माल गाड़ियां)

27(c).27 Energy consumed in kilowatt hours (Through goods) x 1000 / Gross tonne kilometres (Through goods)

27(ग).28 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (वैन और शंटिंग माल गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (वैन और शंटिंग माल गाड़ियां)

27(c).28 Energy consumed in kilowatt hours (Van and shunting goods) x 1000 / Gross tonne kilometres (Van and shunting goods)

27(ग).29 किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (सभी माल गाड़ियां) × 1000 / सकल टन किलोमीटर (सभी माल गाड़ियां)

27(c).29 Energy consumed in kilowatt hours (All goods) x 1000 / Gross tonne kilometres (All goods)

27(ग).30 $\frac{\text{किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (सवारीगाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात) × 1000}}{\text{सकल टन किलोमीटर (सवारी गाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का सवारी गाड़ी अनुपात)}}$

27(c).30 $\frac{\text{Energy consumed in kilowatt hours (Passenger \& pass. proportion of mixed) x 1000}}{\text{Gross tonne kilometres (Passenger and passenger proportion of mixed)}}$

27(ग).31 $\frac{\text{किलोवाट घंटों में खपत ऊर्जा (माल गाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात) × 1000}}{\text{सकल टन किलोमीटर (माल गाड़ियां और मिली-जुली गाड़ियों का माल गाड़ी अनुपात)}}$

27(c).31 $\frac{\text{Energy consumed in kilowatt hours (Goods \& goods propn. of mixed) x 1000}}{\text{Gross tonne kilometres (Goods \& goods proportion of mixed)}}$

विवरण 27(ग) - सेवाओं की श्रेणीवार बिजली शक्ति की खपत (ई.एम.यू. पर खपत की गई शक्ति के अलावा)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.

2. कर्षण प्रयोजनों के लिए खपत की गई बिजली की मात्रा का संकलन भूक्षेत्र के आधार पर किया जायेगा और अलग-अलग आमानवार भेजा जायेगा. इसमें ई.एम.यू. सेवाओं (उपनगरीय) और मुख्य लाइन ई.एम.यू. सेवाओं का निष्पादन शामिल नहीं होगा.

3. कर्षण प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए खपत की गई बिजली ऊर्जा के आंकड़ें, मद 27(ग).32 से 27(ग).36 के अंतर्गत दर्शाये जायेंगे.

4. रेल इंजनों द्वारा खपत की गई कुल ऊर्जा की लागत सार एच 331 के अंतर्गत बुक की गई तदनुरूपी राशि से मेल खायेगी. मद 27(ग).16 के अंतर्गत प्रति किलोवाट घंटा औसत लागत दशमलव के दो स्थान तक सही-सही निकाली जायेगी.

5. प्रति इंजन किलोमीटर/प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर ऊर्जा की खपत के मामले में परिणाम दशमलव के एक स्थान तक सही निकाले जायेंगे और 10 से कम के मामलों में दशमलव के दो स्थान तक सही निकाले जायेंगे.

6. मासिक विवरण 5-क की मद 4.01 और 4.02 के लिए अनुदेश इस वार्षिक विवरण के मद 27(ग).22 से 27(ग).31 तक को लागू होंगे केवल इस बात को छोड़कर कि वाणिज्यिक दस्तावेजों के अनुसार शुद्ध टन किलोमीटर बिजली कर्षण के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के लिए उसी अनुपात में अंगीकृत और समायोजित किए जायेंगे जैसे कि मार्च के महीने के लिए संचयी विवरण 5-क में गाड़ी दस्तावेजों से संकलित किए जाते है. मद 27(ग).30 और 27(ग).31 के लिए प्रयोग किए गए सकल टन किलोमीटर के आंकड़े वार्षिक विवरण 16 की मद 16.03(i) और 16.03 (ii) से मेल खायेंगे.

7. इंजनों पर ऊर्जा खपत मीटरों के प्रावधान के अभाव में, विभिन्न सेवाओं के खपत के मानदण्ड परीक्षणों के आधार पर अ.अ.मा.सं. द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और रेलों को सूचित किए जायेंगें. ये मानदण्ड गति, गाड़ीभार तथा यातायात के संचलन के स्वरूप में परिवर्तन के कारण प्रत्येक पांच वर्ष के बाद अद्यतन किए जायेंगे.

Statement 27(c)- Electric power consumption by classes of services (exclusive of power consumed on Electric Multiple Units)

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, by 31st August of the following financial year.

2. The quantity of power consumed for traction purposes shall be compiled on territorial basis and furnished separately by gauges. It shall exclude the power consumed by Electric Multiple Unit Services (Suburban) and by Main line EMU services.

3. The figures of electric power consumed for other than traction purposes shall be shown under items 27(c).32 to 27(c).36.

4. The cost of total power consumed by locomotives shall agree with the corresponding amount booked under Abstract H-331. The average cost per kilowatt hour under item 27(c).16 shall be worked out correct to two places of decimal.

5. In case of consumption of energy per engine kilometre per 1000 GTKMs, result shall be worked out correct to one place of decimal, and in case of those less than ten, correct to two places of decimal.

6. The instructions for items 4.01 and 4.02 of Monthly Statement 5-A apply to items 27(c).22 to 27(c).31 of this annual statement except that net tonne kilometres as per commercial documents will be adopted and adjusted to various services under electric traction in the same ratio as compiled from train documents in the Cumulative Statement 5-A for the month of March. Figures of gross tonne kilometres used for items 27(c) .30 and 27(c).31 shall agree with items 16.03(i) and 16.03(ii) of Annual Statement 16.

7. In the absence of energy consumption meters provided on engines, the norms of consumption for different services shall be fixed by the R.D.S.O. based on trials and advised to the Railways. These norms shall be updated every 5 years due to change in speed and loads of trains and pattern of movement of traffic.

8. इस विवरण में विभिन्न मदों के लिए आंकड़े नीचे कालम 2 में दी गई मदों के सामने संबंधित वर्ष की मार्च के लिए मासिक विवरण 5-क में दर्शाये गये संचयी आंकड़ों से मेल खायेंगे:-

8. The figures for the various items in this statement shall agree with the cumulative figures shown in Monthly Statement 5-A for March of the year concerned against items given in Column 2 below:

इस विवरण में मद Item in this statement	मासिक विवरण संख्या 5-क में तदनुरूपी मद Corresponding item(s) in the monthly Statement No. 5-A	अभ्युक्ति Remarks
1	2	3
27(ग).01	1.01 (i)	
27(c).01	1.01 (i)	
27(ग).02	1.01 (ii)	
27(c).02	1.01 (ii)	
27(ग).03	1.01 (iii)	
27(c).03	1.01 (iii)	
27(ग).04	1.01 (iv)	
27(c).04	1.01 (iv)	
27(ग).05	1.01 (v) + 1.02 (iv)	
27(c).05	1.01 (v) + 1.02 (iv)	
27(ग).06	1.02 (i)	
27(c).06	1.02 (i)	
27(ग).07	1.02 (ii)	
27(c).07	1.02 (ii)	
27(ग).08	1.02 (iii)	
27(c).08	1.02 (iii)	
27(ग).09	1.01 (vi)	
27(c).09	1.01 (vi)	
27(ग).10	1.02 (v)	
27(c).10	1.02 (v)	
27(ग).11	1.03 (क)+(ख)	
27(c).11	1.03 (a)+(b)	
27(ग).12	1.04	
27(c).12	1.04	
27(ग).13	1.05	
27(c).13	1.05	
27(ग).14	1.07	
27(c).14	1.07	
27(ग).17	2.01 (iv)	
27(c).17	2.01 (iv)	
27(ग).18	2.01 (v)	
27(c).18	2.01 (v)	
27(ग).19	2.02 (iii)	
27(c).19	2.02 (iii)	
27(ग).20	2.03	
27(c).20	2.03	
27(ग).21	2.04	
27(c).21	2.04	
27(ग).22	4.01 (i)	
27(c).22	4.01 (i)	
27(ग).23	4.01 (ii)	
27(c).23	4.01 (ii)	
27(ग).24	4.01 (iii)	
27(c).24	4.01 (iii)	
27(ग).25	4.01 (iv)	
27(c).25	4.01 (iv)	
27(ग).26	4.01 (v)	
27(c).26	4.01 (v)	
27(ग).27	4.02 (i)	
27(c).27	4.02 (i)	

इस विवरण में मद Item in this statement	मासिक विवरण संख्या 5–क में तदनुरूपी मद Corresponding item(s) in the monthly Statement No. 5-A	अभ्युक्ति Remarks
1	2	3
27(ग).28	4.02 (ii)	
27(c).28	4.02 (ii)	
27(ग).29	4.02 (iii)	
27(c).29	4.02 (iii)	
27(ग).30	4.01 (vi)	
27(c).30	4.01 (vi)	
27(ग).31	4.02 (iv)	
27(c).31	4.02 (iv)	

9. मद 27(ग).17 से 27(ग).31 के लिए मौलिक आंकड़े अनुबंध में प्रस्तुत किए जायेंगे.
10. इस विवरण के आंकड़ों और संबंधित वर्ष के मार्च के लिए मासिक विवरण 5–क से तदनुरूपी संचयी आंकड़ों के बीच किसी अन्तर को एक अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जायेगा.
11. जहां किसी भी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम–I में यथा निर्दिष्ट मासिक विवरणों की तदुनरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुसरण किया जाएगा.

9. Fundamental figures for items 27(c).17 to 27(c).31 shall be furnished in the Annexure.
10. Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in Monthly Statement 5-A for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.
11. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements, as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume -I, shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण -28
Statement -28

वर्ष के लिए कुशलता सांख्यिकी (मालगाड़ी और मिली-जुली गाड़ियों का मालगाड़ी अनुपात)
Efficiency Statements for the year..... (Goods and goods proportion of mixed)

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/ Electric		सभी प्रकार कर्षण Total all traction
			द्रवचलित					
			बिजली Electric	और यांत्रिक Hyd & Mechanical	कुल Total	ए.सी. AC	डी.सी. DC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मालडिब्बा फेरा (दिवस) — Wagon turn round (Days) -							
28.01	अतिरिक्त खाली माल डिब्बों सहित Including surplus empties							
28.02	अतिरिक्त खाली मालडिब्बों को छोड़कर Excluding surplus empties							
	विभागीय गाड़ियों में ढ़ोये गये वजन को छोड़कर Excluding weight carried in departmental trains							
28.03	शुद्ध टन किलोमीटर प्रति इंजन घंटा Net tonne kilometres per engine hour							
28.04	शुद्ध टन किलोमीटर प्रति रेलगाड़ी इंजन घंटा Net Tonne Kilometres per train engine hour							
28.05	सकल टन किलोमीटर इंजनों के वजन सहित (विभागीय गाड़ियों में ढोये गए वजन सहित) प्रति इंजन घंटा Gross tonne kilometres including weight of engines (including weight carried in departmental trains) per engine hour							
28.06	सकल टन किलोमीटर इंजनों के वजन सहित (विभागीय गाड़ियों में ढोये गए वजन को छोड़कर) रेलगाड़ी इंजन घंटा Gross tonne kilometres including weight of engines (excluding weight carried in departmental trains) per train engine hour							

इस विवरण में, पिछले और चालू वर्ष के लिए आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 28– वर्षके लिए कुशलता सांख्यिकी (मालगाड़ियों और मिली–जुली गाड़ियों का मालगाड़ी अनुपात)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.

2. आंकड़े अलग–अलग आमानवार भेजे जाएंगे.

3. सभी परिणाम निकटतम पूर्ण अंक तक पूर्णकिंत किए जाएंगे.

4. विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों के लिए आंकड़े भिन्न–भिन्न कालमों में निम्नप्रकार अलग–अलग दर्शाये जाएंगे सिवाय मद सं 28.01 और 28.02 को छोडकर जिनके लिए आंकड़े केवल सभी कर्षणों के लिए कालम 9 में भेजे जाएंगे.

भाप	डीजल			बिजली		सभी
	बिजली	द्रवचलित तथा यांत्रिक	कुल	ए.सी.	डी.सी.	कर्षणों का जोड़

5. मद 28.01 का परिकलन रेलवे की औसत प्रभावी मालडिब्बा धारिता (वार्षिक विवरण 24 की मद 24.14) को लदे हुए मालडिब्बों की दैनिक औसत संख्या से भाग देकर किया जाएगा.

6. मद 28.02 का परिकलन किसी एक स्थान पर लगातार 10 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए यातायात उपलब्ध न होने के कारण शैडों में खड़े अतिरिक्त मालडिब्बों और प्राकृतिक कारणों (जैसे कि बाढ़, तूफान तथा भूचाल आदि के कारण पटरियों की भारी टूटफूट) की वजह से थ्रू संचार में बाधा उत्पन्न हो जाने से क्षतिहीन हुए मालडिब्बों की संख्या का रेलवे की प्रभावी मालडिब्बा धारित की संख्या (वार्षिक विवरण 24 की मद 24.14 से घटाकर) और उसे लदे हुए मालडिब्बों की दैनिक औसत संख्या से भाग देकर किया जाएगा.

7. मद 28.01 और 28.02 के लिए सांख्यिकीय अनुदेशिका वाल्यूम-I के पण्य लदान के लिए अनुदेशों की टिप्पणी-I भी देखें.

8. इस विवरण में विभिन्न मदों के लिए आंकड़े मासिक विवरण 3क और 9 भाग-II की तदनुरूपी मदों के वार्षिक आंकड़े होंगे जैसा कि नीचे कालम 2(क) और 2(ख) में दर्शाया गया है.

Statment 28– Efficiency statistics for the year..... (Goods and goods proportion of mixed)

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. The figures shall be furnished separately by gauges.

3. All results shall be rounded off to the nearest whole number.

4. The figures for the various types of locos shall be shown separately in different columns as follows, except, for items 28.01 and 20.02 for which figures shall be furnished in column 9 for All Tractions only

Steam	Diesel			Electric		Total all tractions
	Electric	Hyd-raulic & Mech.	Total	AC.	DC.	

5. Item 28.01 is to be worked out by dividing the average effective wagon holding of the Railway (item 24.14 of Annual St. 24) by the daily average number of loaded wagons.

6. Item 28.02 is to be worked out by deducting number of surplus empties stabled for want of traffic continuously for a period of 10 days/or more at any one place and number of wagons immobilised due to interruption to through communication on account of natural causes (such as heavy breaches caused by floods, storms and earthquakes etc.) from the number of effective wagon holding of the Railway (item 24.14 of Annual St. 24) and dividing the same by the daily average number of loaded wagons.

7. For items 28.01 and 28.02, see also Note I of the Instructions for the Statement of Commodity Loadings of the Manual of Statistical Instructions Volume-I.

8. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures of corresponding items of Monthly Statement 3A and 9 Pt-II, as shown below in columns 2(a) & 2(b).

इस विवरण की मद Item in this statement	मासिक विवरण में तदनुरूपी मद Corresponding item in the Monthly Statement बड़ी लाइन और मीटर लाइन के लिए ** For BG & MG**	 छोटी लाइन के लिए** For NG**	अभ्युक्तियां Remarks
1	2(a)(क)	2(b)(ख)	3
28.03	3 क का 7	विवरण 9 भाग (II) का 7	वार्षिक विवरण 16 का 16.01 / वार्षिक विवरण 18 का 18.04 (ख) + 18.05 (ग)
28.03	7 of St. 3A	7 of St. 9 Pt-II	16.01 of Annual St. 16 / 18.04(b)+18.05(c) of Annual St. 18
28.04	3 क का 7	विवरण 9 भाग (II) का 7	वार्षिक विवरण 16 का 16.01 / वार्षिक विवरण 18 का 18.01(ख)(ii) + 18.01 (ग)
28.04	7 of St. 3A	7 of St. 9 Pt-II	16.01 of Annual St. 16 / 18.01(b)(ii)+18.01(c) of Annual St. 18
28.05	विवरण 3 क का 8	विवरण 9 भाग (II) का 8	वार्षिक विवरण 16 का 16.04(ii) / वार्षिक विवरण 18 का 18.04(ख) + 18.05(ख)(ii) +18.05(ग)
28.05	8 of St. 3A	8 of St. 9 Pt-II	16.0´4(ii) of Annual St. 16 / 18.04(b)+18.05(b)(ii) + 18.05(c) of Annual St. 18
28.06	विवरण 3क का 8	विवरण 9 भाग (II) का 8	वार्षिक विवरण 16 का 16.03(ii) / वार्षिक विवरण 18 का 18.04(ख)+ 18.05(ख)(ii) +18.05(ग)
28.06	8 of St. 3A	8 of St. 9 Pt-II	16.03(ii) of Annual St. 16 / 18.04(b)+18.05b(ii) + 18.05(c) of Annual St. 18

9. छोटी लाइन के लिए मौलिक आंकड़े अनुबंध में दिए जाएंगे.

10. इस विवरण के आंकड़ों तथा मासिक विवरण 3 क और संबंधित वर्ष के मार्च के लिए विवरण 9 भाग –II के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों के बीच किसी अंतर को एक अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किया जाएगा.

11. जब किसी मद के परिकलन के लिए कोई विशेष अनुदेश न दिए गए हों तो मासिक विवरणों की तदनुरूपी पदों से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा जैसा कि सांख्यिकीय अनुदेशिका, वाल्यूम–I में दिया गया है.

** इन मदों के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक विवरणियों पर आधारित शुद्ध टन कि.मी. अपनाये जाएंगे. विभिन्न प्रकार के कर्षणों के लिए अलग–अलग आंकड़ों का परिकलन करने के वाणिज्यिक दस्तावेजों के आधार पर परिकलित आंकड़े मार्च महीने के लिए रेलगाड़ी दस्तावेजों से प्राप्त संचयी आंकड़ों के अनुपात में मासिक विवरण सं. 3 क में विभिन्न कर्षणों के बीच संविभाजित कर दिये जाएंगे.

9. Fundamental figures for N.G. shall be given in the Annexure.

10. Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statements 3A and 9 Part-II for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

11. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the Monthly Statements, as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

** Net tonne kilometres based on commercial returns shall be adopted for the purpose of these items. For arriving at the separate figures for different type of tractions, the figures computed on the basis of commercial documents shall be apportioned to different tractions in the ratio of cumulative figures derived from train documents for the month of March in Monthly Statement 3-A.

अनुबंध/ANNEXURE

.....रेलवे/Railway

वर्ष के लिए छोटी लाइन के लिए परिणाम प्राप्त करने में प्रयुक्त मौलिक आंकड़े दर्शाने वाला विवरण
Statement showing fundamental figures used to work out the results of Narrow Gauge for the year

		पिछला वर्ष Previous year	चालू वर्ष Current year
28.01	प्रभावी मालडिब्बा दिवस–अतिरिक्त खाली मालडिब्बों सहित / लादे गये मालडिब्बे		
28.01	Effective wagon days–Including surplus empties / Wagons loaded		
28.02	यार्ड में खड़े अतिरिक्त खाली मालडिब्बों आदि को छोड़कर प्रभावी मालडिब्बा दिवस / लादे गये मालडिब्बे		
28.02	Effective wagon days–Excluding surplus stabled empties etc. / Wagons loaded		
28.03	शुद्ध टन किलोमीटर (विभागीय गाड़ियों में ढोये गये वजन को छोड़कर) / कुल इंजन घंटे (विभागीय को छोड़कर)		
28.03	Net tonne kilometres (excluding weight carried in departmental trains) / Total engine hours (excluding departmental)		
28.04	शुद्ध टन किलोमीटर (विभागीय और इंजन के वजन को छोड़कर) / रेलगाड़ी इंजन घंटे (विभागीय को छोड़कर)		
28.04	Net tonne kilometres (excluding weight of engine and departmental) / Train engine hours (excluding departmental)		
28.05	सकल टन किलोमीटर (विभागीय गाड़ियों में ढोये गये वजन सहित) / विभागीय सहित इंजन घंटे		
28.05	Gross tonne kilometres (including weight carried in departmental trains) / Engine hours including departmental		
28.06	सकल टन किलोमीटर (विभागीय और इंजन के वजन सहित) / इंजन घंटे (विभागीय सहित)		
28.06	Gross tonne kilometres (including weight of engine and departmental) / Engine hours (including departmental)		

विवरण 30- संचालन व्यय का विश्लेषण

सामान्य अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 30 सितंबर तक पहुँच जाए.

2. बड़ी लाइन, मीटर लाइन तथा छोटी लाइन के आंकड़े अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएंगें . व्यय को विभिन्न आमानों में वितरित करने से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं.

3. सारी धन-राशियां निकटतम हजार में पूर्णांकित करके रूपये मे दिखाई जाएंगी.

4. सभी परिणाम दशमलव के दो स्थान तक निकाले जाएंगे.

5. विवरण 7 के कॉलम 14 के अंतर्गत आमान के बुक किए गए कुल राजस्व व्यय के अनुसार, प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत संचालन व्यय का प्रतिशत निकाला जाएगा.

6. प्रति गाड़ी किलोमीटर, इंजन किलोमीटर, 1000 वाहन किलोमीटर, 1000 सकल टन किलोमीटर, समीकृत रेलपथ किलोमीटर, रेलपथ चालू करने का 100 रैखिक मीटर, फर्श के कुर्सी क्षेत्रफल का 100 वर्ग मीटर आदि के व्यय के परिणाम निकालने के लिए प्रयुक्त पैरामीटरों के आंकडे इस विवरण के अलग अनुबंध मे दिखाए जाएंगे.

7. प्रत्येक सार के लिए अलग-अलग पृष्ठ का प्रयोग किया जाएगा.

Statement 30 - Analysis of Working Expenses

General Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th September of the following financial year.

2. The figures shall be furnished separately for Broad Gauge, Metre Gauge and Narrow Gauge. The broad guidelines for distribution of expenditure among different gauges are given in Appendix-I.

3. All sums of money shall be stated in Rupees being rounded off to the nearest thousand.

4. All results shall be worked out to two places of decimal.

5. Percentage of Working Expenses under each head of account shall be worked out with reference to the total Revenue expenses of the gauge, as booked under Column 14 of Statement 7.

6. The figures of parameters used for working out results of expenses per Train Km, Engine Km,1000 Vehicle Kms., 1000 GTKMs, Equated Track Kms., 100 lineal metres of opening of tracks, 100 sq. metres of plinth area of floor etc. shall be furnished in a separate annexure to the statement.

7. Separate sheets shall be used for each Abstract.

विवरण - 30
Statement - 30

ब.ला/मी. ला./छो.ला. BG/MG/NG

.....रेलवे /Railway

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण

Analysis of Working Expenses for the year.....

सार ' क ' -सामान्य अधीक्षण तथा सेवाऐं

Abstract 'A' - General Superintendence and Services

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	कुल रकम Total Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत Percentage of Working expenses to gauge total	प्रति गाड़ी किलोमीटर Per Train Km.
1.	2.	3.	4.	5.
क - 100	सामान्य प्रबन्ध सेवाओं सहित सामान्य प्रबन्ध			
A - 100	General Management including General Management Services			
क - 200	वित्तीय प्रबन्ध			
A - 200	Financial Management			
क - 300	कार्मिक प्रबन्ध			
A - 300	Personnel Management			
क - 400	सामग्री प्रबन्ध			
A - 400	Materials Management			
क - 500	रेलपथ तथा निर्माण कार्य प्रबन्ध			
A - 500	Way & Works Management			
क - 600	चल स्टॉक प्रबन्ध			
A - 600	Rolling Stock Management			
क - 700	बिजली प्रबन्ध			
A - 700	Electrical Management			
क - 800	सिगनल तथा दूरसंचार प्रबन्ध			
A - 800	Signal and Telecommunication Management			
क - 900	यातायात प्रबन्ध			
A - 900	Traffic Management			
	कुल संचालन व्यय - सार 'क' Total Working Expenses - Abstract 'A'			

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'क ' – सामान्य अधीक्षण तथा सेवाऐं

अनुदेश

1. सार 'क ' के अंतर्गत लेखा के प्रत्येक लघु शीर्ष के अधीन संचालन व्यय का विश्लेषण किया जाएगा. कुल संचालन – व्यय विवरण 7 के कालम 2 के तदनुरूपी आंकडों से मेल खाएगा.

2. सार 'क ' के अंतर्गत लेखा के प्रत्येक लघु शीर्ष में संचालन व्यय को नीचे दिऐ गए के अनुसार कुल गाड़ी किलोमीटर (सभी कर्षण) से विभाजित किया जाएगा :–

 विवरण 17 की मद 17.06,17.07(घ) जमा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 जमा विवरण 33 की मद $\frac{33.03\ (क)}{3}$ और $\frac{33.10\ (क)}{3}$

Statement 30 - Analysis of Working Expenses Abstract 'A' - General Superintendence and Services.

Instructions

1. The expenses shall be analysed under each minor head of account under Abstract A. The total working expenses shall agree with the corresponding figures in Col. 2 of Statement 7.

2. The expenses under each minor head of account under Abstract A shall be divided by the total Train Kms (all tractions) as given below :-

 Item 17.06, 17.07 (d) of Statement 17 plus items 32.23 and 32.25 of Statement 32 plus items $\frac{33.03\ (a)}{3}$ and $\frac{33.10\ (a)}{3}$ of Statement 33.

.....रेलवे /Railway

विवरण – 30 ब.ला./मी.ला./छो.ला. BG/MG/NG

Statement - 30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण

Analysis of Working Expenses for the year.....

सार 'ख'- रेलपथ एवं निर्माण कार्य की मरम्मत एवं अनुरक्षण

Abstract 'B' - Repairs & Maintenance of Permanent Way and Works

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष	ब्यौरा	कुल रकम	आमान के जोड़ का प्रतिशत	प्रति गाड़ी किलो-मीटर	प्रति समीकृत रेलपथ किलोमीटर	परिचालन रेलपथ के प्रति 100 रैखिक मीटर	कुर्सी क्षेत्रफल का प्रति 100 वर्गमीटर
Minor/Sub/ Detailed Heads	Description	Total Amount	% of gauge total	Per Train Km.	Per Equated Track Km.	Per 100 lineal metres of opening of track	Per 100 sq. metres of plinth area
1	2	3	4	5	6	7	8
ख – 100	कार्यालयों में स्थापना						
B - 100	Establishment in Offices						
ख (211, 221,231,241, 251,261,271, 281,291)	**रेलपथ का अनुरक्षण-हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण**						
B (211, 221,231, 241,251,261, 271,281,291)	**Maintenance of Permanent Way-Manual Maintenance**						
ख – 211	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-समूह "ए" (ब.ला.)						
B - 211	Manual Maintenance-Group 'A' (BG)						
ख – 221	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-समूह "बी" (ब.ला.)						
B - 221	Manual Maintenance-Group 'B' (BG)						
ख – 231	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-समूह "सी" (ब.ला.)						
B - 231	Manual Maintenance-Group 'C' (BG)						
ख – 241	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-समूह "डी" (ब.ला.)						
B - 241	Manual Maintenance-Group 'D' (BG)						
ख – 251	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-समूह "ई" (ब.ला.)						
B - 251	Manual Maintenance-Group 'E' (BG)						
ख – 261	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-ट्रंक मार्ग तथा मुख्य लाइन (मी.ला.)						
B - 261	Manual Maintenance-Trunk routes and main-line (MG)						
ख – 271	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-शाखा लाइन (मी.ला.)						
B - 271	Manual Maintenance-Branch Line (MG)						

विवरण-30 *(जारी)* **/Statement-30** *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8

ख - 281	हाथ से किया जाने वाला अनुरक्षण-यार्ड तथा साइडिंग (मी.ला.)
B - 281	Manual Maintenance-Yards and Sidings (MG)
ख - 291	अनुरक्षण (छोटी लाइन)
B - 291	Maintenance (Narrow Gauge)
	कुल/Total

ख (212,222, रेलपथ का अनुरक्षण
232,242,252, मशीन द्वारा अनुरक्षण
262,272,282)

B (212,222, Maintenance of Permanent Way-
232,242,252, Maintenance by Machine.
262,272,282)

ख - 212	मशीन द्वारा अनुरक्षण-समूह "ए" (ब.ला.)
B - 212	Maintenance by machine-Group 'A' (BG)
ख - 222	मशीन द्वारा अनुरक्षण-समूह "बी" (ब.ला.)
B - 222	Maintenance by machine-Group 'B' (BG)
ख - 232	मशीन द्वारा अनुरक्षण-समूह "सी" (ब.ला.)
B - 232	Maintenance by machine-Group 'C' (BG)
ख - 242	मशीन द्वारा अनुरक्षण-समूह "डी" (ब.ला.)
B - 242	Maintenance by machine-Group 'D' (BG)
ख - 252	मशीन द्वारा अनुरक्षण-समूह "ई" (ब.ला.)
B - 252	Maintenance by machine-Group 'E' (BG)
ख - 262	मशीन द्वारा अनुरक्षण-ट्रंक मार्ग तथा मुख्य लाइन (मी.ला.)
B - 262	Maintenance by machine-Trunk route and main line (MG)
ख - 272	मशीन द्वारा अनुरक्षण-शाखा लाइन (मी.ला.)
B - 272	Maintenance by machine - Branch line (MG)
ख - 282	यार्ड तथा साइडिग (मी.ला.)
B - 282	Yards and Sidings (MG)
	कुल
	Total

ख (213,223, रेलपथ का अनुरक्षण-
233,243, 253, गिट्टी डालना
263,273,283,
293)

B (213,223, Maintenance of Permanent Way-
233,243,253, Ballasting
263,273,283,293)

ख - 213	गिट्टी डालना-समूह "ए"(ब.ला.)
B - 213	Ballasting - Group 'A' (BG)
ख - 223	गिट्टी डालना-समूह "बी"(ब.ला.)
B - 223	Ballasting - Group 'B' (BG)

विवरण-30 *(जारी)* **/Statement-30** *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8
ख - 233	गिट्टी डालना-समूह सी"(ब.ला.)						
B - 233	Ballasting - Group 'C' (BG)						
ख - 243	गिट्टी डालना-समूह डी"(ब.ला.)						
B - 243	Ballasting - Group 'D' (BG)						
ख - 253	गिट्टी डालना-समूह "ई"(ब.ला.)						
B - 253	Ballasting - Group 'E' (BG)						
ख - 263	गिट्टी डालना-ट्रंक मार्ग तथा मुख्य लाइन (मी.ला.)						
B - 263	Ballasting - Trunk route and main line (MG)						
ख - 273	गिट्टी डालना-शाखा लाइन (मी.ला.)						
B - 273	Ballasting - Branch line (MG)						
ख - 283	गिट्टी डालना-यार्ड तथा साइडिंग (मी.ला.)						
B - 283	Ballasting - Yards and Sidings (MG)						
ख - 293	गिट्टी डालना-छोटी लाइन						
B - 293	Ballasting - Narrow Gauge						
	कुल						
	Total						
	कुल सार ख -200-रेल पथ का अनुरक्षण						
	Abstract 'B' 200-Maintenance of Permanent Way						
ख-300	ऊपरी/निचले सड़क पुलों सहित पुल निर्माण कार्य तथा सुरंगों का अनुरक्षण						
B-300	Maintenance of Bridge Work and Tunnels including Road over/under bridges.						
ख-400	सेवा भवनों का अनुरक्षण (कर्मचारी क्वार्टरों तथा कल्याण इमारतों के अतिरिक्त)						
B-400	Maintenance of service buildings (other than staff quarters and welfare buildings).						
ख-500	जल आपूर्ति, सफाई का प्रबन्ध तथा सड़कें (कालोनियों, कर्मचारी क्वार्टरों तथा कल्याण इमारतों के अतिरिक्त)						
B-500	Water supply, sanitation and roads (other than colonies, staff quarters and welfare buildings)						
ख-600	अन्य मरम्मतें तथा अनुरक्षण						
B-600	Other repairs and maintenance.						
ख-700	विशेष राजस्व निर्माण कार्यो सहित दरारों, दुर्घटनाओं इत्यादि से संबंधित विशेष मरम्मतें						
B-700	Special repairs pertaining to Breaches, Accidents etc. including Special Revenue Works						
ख-900	जमा अथवा वसूलियां						
B-900	Credits or recoveries.						
	कुल सार ' ख '						
	Total Abstract 'B'						

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार ' ख ' – रेलपथ की मरम्मत तथा अनुरक्षण

अनुदेश

1. प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार, इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का विश्लेषण किया जाएगा . कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 3 के तदनुरूपी आंकडों से मेल खाएंगे.

2. इस सार के अधीन प्रत्येक विशेष लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को सार 'क' के अनुदेशों के पैरा 2 में दिए गए अनुसार कुल गाड़ी किलोमीटर (सभी कर्षण) द्वारा विभाजित किया जाएगा.

3. **साधारण मरम्मतें तथा अनुरक्षण :** ऐसे कार्यो से संबंधित है, जो सामान्यत: वर्षानुवर्ष संपत्ति के उचित अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए किया जाता है. यथा रेलपथों का अनुरक्षण, सामान्य मरम्मतें, पुलों, इमारतों तथा अन्य संरचनाओं की वार्षिक मरम्मतें, गर्डरों पर रंग-रोगन इत्यादि.

4. **विशेष मरम्मतें तथा अनुरक्षण :** ऐसे कार्यो से संबंधित है जो विशेष कारणों से आवश्यक समझे जाते हैं तथा प्राय: अनुमानों पर आधारित होते हैं, अर्थात ऐसे कार्य जो वर्षानुवर्ष परिवर्तित होते रहते है तथा सामान्यत: लगातार नहीं होते जैसे बाढ़, मॉनसून अथवा भूचाल से हुए नुकसान की मरम्मत, रेलपथ के संरेखण, जल टैकों तथा सिगनल केबिनों का बदलना, संरचनाओं की असामान्य मरम्मतें, अस्थायी कार्य आदि. एक वर्ष से दूसरे वर्ष के लिए बकाया रखी गई मरम्मतों पर होने वाले खर्च का अनावर्ती प्रभार की प्रकृति का होने के कारण विशेष माना जाएगा.

5. ख-200 के अन्तर्गत होने वाले व्यय को हाथ से किए जाने वाले अनुरक्षण, मशीनों द्वारा किए जाने वाले अनुरक्षण तथा गिट्टी डालने के अन्तर्गत प्रत्येक ब्यौरेवार लेखा शीर्ष द्वारा अलग-अलग वर्गीकृत किया जाएगा. संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणी "क" के अनुसार. उपर्युक्त 3 कोटियों के अंतर्गत कुल खर्चों के लिए प्रति समीकृत रेलपथ किलोमीटर के अनुसार परिणाम निकाला जाएगा.

6. ख-300 के अन्तर्गत बुक किया गया व्यय उपनगरीय तथा अनुपनगरीय खंड के लिए रैखिक मीटरों (सैकडों में)में विभाजित किया जाएगा . किसी पुल में, प्रति चालू रेलपथ रैखिक जल मार्ग, पुल के वास्तविक जलमार्ग को पुल द्वारा ले जाए गए रेलपथों की संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाएगा.

7. ख-400 के अन्तर्गत बुक किया गया व्यय, सेवा-भवनों (स्टाफ क्वार्टरों और कल्याण भवनों को छोड़कर) उपनगरीय और अनुपनगरीय दोनों के कुर्सी क्षेत्रफल (सैकडों में) द्वारा विभाजित किया जाएगा. सेवा क्षेत्रफल निकालते समय, प्लेटफार्मों खुले या बंद, का क्षेत्रफल छोड़ दिया जाएगा. एक से अधिक मंजिल के मामले में, दीवारों (बरामदों के मामले मे खम्भे) के बाहरी भाग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल भूमि से ऊपर प्रत्येक मंजिल के लिए गिना जाएगा और भूमितल पर कुर्सी क्षेत्रफल में जोड़ दिया जाएगा. बहरहाल,प्लेटफार्मों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की लागत कुल व्यय में से नहीं निकाली जाएगी.

8. ख-700 के अन्तर्गत किया गया व्यय ख-200 की भांति समीकृत रेलपथ किलोमीटर से सहसंबद्ध होगा.

Statement 30- Analysis of Working Expenses Abstract 'B' - Repairs and Maintenance of Permanent Way

Instructions

1. The expenses under each head of account in this Abstract shall be analysed, as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with corresponding figures in Col. 3 of Statement 7.

2. The expenses under each special head of account under this abstract shall be divided by the total Train Kms. (all tractions) as given in para 2 of instructions for Abstract A.

3. **Ordinary repairs and maintenance :** relate to such works as are normally carried out from year to year for the maintenance and proper upkeep of the property, such as, maintenance of tracks, ordinary repairs, annual repairs of bridges, buildings and other structures, painting of girders, etc.

4. **Special repairs and maintenance :** relate to such works as are considered to be necessary for special causes and are usually based on estimates i.e. works which vary from year to year and are not ordinarily recurring, such as, repairing flood, monsoon or earthquake damages, alignment of track, shifting of water tanks and signal cabins, abnormal repairs to structures, temporary work etc. Expenditure on arrears of repairs put off from one year to another, being in the nature of non-recurring charge, shall be treated as Special.

5. The expenses under B-200 shall be classified separately by each detailed head of accounts under manual maintenance, maintenance by machine and ballasting. The result per Equated Track Km. shall be worked out for the total expenses under the three categories as mentioned above as per explanatory note A attached.

6. The expenses booked under B-300 shall be divided by lineal metres (in hundreds) for both suburban and non-suburban sections. The lineal water way per running track in a bridge shall be obtained by multiplying the actual waterway of the bridge by the number of tracks carried by it.

7. The expenses booked under B-400 shall be divided by plinth area (in hundreds) of Service Buildings (other than staff quarters and welfare buildings), both suburban and non-suburban. While working out the service area, the area of platforms whether opened or covered shall be excluded. In the case of more than one floor, the area bounded by external faces of walls (or pillars in case of varandahs) at floor level shall be taken for each floor above the ground and added to the plinth area at ground level. The cost of repairs and maintenance of platforms shall not however be excluded from the total expenses.

8. Expenses under B-700 shall be correlated with Equated Track Kms. as for B-200.

व्याख्यात्मक टिप्पणी-(क)- सार 'ख' के अनुदेशों के पैरा 5 में संदर्भित

समीकृत रेलपथ किलोमीटर निम्नलिखित कार्यविधि के अनुसार निकाले जाएंगें:

5(i) **चालू लाइनों के लिए** (चालू लूप लाइनों सहित) समीकृत रेलपथ किलोमीटर निकालने के लिए निम्नलिखित फार्मूला होगा :-

क्यू = एल × यू (1+ए+बी+सी),
जहाँ
क्यू = समीकृत रेलपथ किलोमीटर
एल = चालू रेलपथ किलोमीटर
यू = यातायात घनत्व गुणक
ए = निर्माण गुणक
बी = संरेखण गुणक
सी = वर्षा गुणक

विभिन्न गुणकों के लिए अपनाए जाने वाले मान

यू - यातायात घनत्व गुणक

बड़ी लाइन

(क) 60 में 1 ढाल तथा अधिक तीव्र ढाल वाले घाट खंडो पर अथवा भीड़-भाड़ वाले उपनगरीय खंडों पर 1.4

(ख) वे खंड, जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व 20 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर तथा उससे अधिक है. 1.4

(ग) वे खंड, जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व 15 मिलियन और उससे अधिक सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर है लेकिन 20 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से कम है. 1.3

(घ) वे खंड, जहाँ दैनिक गाड़ी घनत्व 30 तथा उससे अधिक है अथवा जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व 10 मिलियन सकल टन किलोमीटर तथा उससे अधिक है लेकिन 15 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से कम है. 1.2

(ड.) वे खंड, जहाँ दैनिक गाडी घनत्व 20 तथा उससे अधिक है परन्तु 30 से कम है अथवा जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व प्रति किलोमीटर 6 मिलियन सकल टन किलोमीटर तथा उससे अधिक लेकिन 10 मिलियन सकल टन किलोमीटर से कम हैं. 1.1

(च) अन्य प्राथमिक खंड जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व 6 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से कम है. 1.0

(छ) गौण अथवा तीसरी लाइनें 0.8

मीटर लाइन

(क) उपनगरीय तथा 60 में 1 ढाल और अधिक तीव्र ढाल वाले घाट खंड 1.2

(ख) प्राथमिक लाइनें जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व 5 मिलियन सकल टन किलोमीटर प्रति किलोमीटर से अधिक है. 1.1

Explanatory Note (A) as referred to in para 5 of instructions to Abstract 'B'

The equated track kilometres shall be worked out according to the following procedure :-

5(i) **For running lines** (including running loop lines), the formula for working out equated track kilometres shall be as given below :

Q = L × U (1+A+B+C)
where
Q = Equated track kilometres
L = Running track kilometres
U = Traffic density factor
A = Formation factor
B = Alignment factor
C = Rainfall factor

Values to be adopted for various factors

U - Traffic density factor

Broad Gauge

(a) Heavily worked suburban sections or ghat sections with gradients of 1 in 60 and steeper. 1.4

(b) Sections where the annual traffic density is 20 million GTKMs per kilometre and over. 1.4

(c) Sections where the annual traffic density is 15 million GTKMs and over per kilometre but less than 20 million GTKMs per kilometre 1.3

(d) Sections having a daily train density of 30 and over or where the annual traffic density is 10 million GTKMs per kilometre and over but less than 15 million GTKMs per Km. 1.2

(e) Sections having a daily train density of 20 and over but less than 30 or where the annual traffic density is 6 million GTKMs per kilometre and over but less than 10 million GTKMs per kilometre 1.1

(f) Other primary sections where the annual traffic density is less than 6 million GTKMs per kilometre 1.0

(g) Secondary or tertiary lines 0.8

Metre Gauge

(a) Suburban and ghat sections with gradients of 1 in 60 and steeper 1.2

(b) Primary lines where the annual traffic density is more than 5 million GTKMs per kilometre 1.1

(ग) प्राथमिक लाइनें जहाँ दैनिक गाड़ी घनत्व 20 तथा उससे अधिक है अथवा जहाँ वार्षिक यातायात घनत्व प्रति किलोमीटर 2.5 मिलियन सकल टन किलोमीटर से अधिक लेकिन 5 मिलियन सकल टन किलोमीटर से कम है. 1.0

(घ) 10-20 दैनिक गाड़ी घनत्व वाली गौण अथवा अन्य लाइनें. 0.8

(ङ.) तीसरी लाइनें. 0.6

छोटी लाइन

(क) 10 तथा उससे अधिक दैनिक गाड़ी घनत्व वाले खंड 0.8

(ख) अन्य सभी खंड. 0.6

टिप्पणी :-

(1) दोहरी अथवा बहु लाइनों में, लाइनों के औसत यातायात घनत्व के लिए यातायात घनत्व गुणक का निर्धारण करना चाहिए तथा उसे सभी लाइनों पर लागू करना चाहिए.

(2) बडी लाइन खंडों के लिए समीकृत रेलपथ किलोमीटर निकालने के लिए, जहाँ गाडियों को 105 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर चलाने के लिए रेलपथ का अनुरक्षण किया जाता है, वहाँ "यू" के उपर्युक्त मान को 0.1 बढ़ा देना चाहिए .

ए - निर्माण गुणक

इस गुणक में किनारे की मिट्टी की प्रकृति शामिल है तथा इसके निम्नलिखित मान होगें :-

	मिट्टी की प्रकृति	**गुणक**
(क)	स्थिर मिट्टी	0
(ख)	साधारण अस्थिर मिट्टी	0.1
(ग)	संकुचनशील तथा दूषित काली मिट्टी	0.2

बी - संरेखण गुणक

यह गुणक (i) बड़ी लाइन पर $1^1/_2$ डिग्री एवं उससे अधिक (ii) मीटर लाइन पर 3 डिग्री एवं उससे अधिक (iii) छोटी लाइन पर 5 डिग्री एवं उससे अधिक के मोडों पर लागू होता है और यदि खंड की पूरी लंबाई मोडों पर है तो इसका मान 0.25 होगा, तथा अन्य मामलों में यथानुपात होगा.

टिप्पणी :-उपर्युक्त निर्माण गुणक 'ए' और संरेखण गुणक 'बी' कुल लंबाई की तुलना में खराब मिट्टी वाली स्थितियों या वक्रों के अन्तर्गत आने वाली वास्तविक लंबाई के लिए यथानुपात आधार पर निर्धारित करना चाहिए.

निर्माण गुणक 'ए' के निर्धारण के लिए परिकलन का नमूना नीचे दिया गया है :-

एक किलोमीटर लंबाई में यदि 0.1 कि. मी. संकुचनशील मिट्टी (गुणक 0.2), 0.3 कि. मी. साधारण अस्थिर मिट्टी (गुणक 0.1) हैं तथा शेष लंबाई स्थिर मिट्टी (गुणक 0) की है,

तब

$$\text{गुणक 'ए'} = \frac{0.1 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.6 \times 0}{1} = 0.05$$

संरेखण गुणक के निर्धारण के लिए भी ऐसी ही पद्धति का अनुसरण किया जाना चाहिए.

(c) Primary lines having a daily train density of 20 and over or where the annual traffic density is over 2.5 million GTKMs but less than 5 million GTKMs per kilometre 1.0

(d) Secondary lines or other lines with a train density of 10-20 per day 0.8

(e) Tertiary lines 0.6

Narrow Gauge

(a) Sections with daily train density of 10 and over 0.8

(b) All other sections 0.6

Note:

(1) In double or multiple lines, the traffic density factor may be assessed for the average traffic density of the lines and applied to all the lines.

(2) For working out equated track kilometres for BG sections, where track is maintained to permit running of trains at a speed of over 105 kilometres per hour, the above values of 'U' should be increased by 0.1.

A – Formation factor

This factor covers the nature of soil in banks and will have the following values :-

	Nature of soil	**Factor**
(a)	Stable soil	0
(b)	Ordinary unstable soil	0.1
(c)	Shrinkable soil and vicious black cotton soil	0.2

B – Alignment factor

This factor is applicable to the curves of (i) $1^1/_2$ degree and more on the Broad Gauge (ii) 3 degrees and more on the Metre Gauge (iii) 5 degrees and more on the Narrow Gauge and will have a value of 0.25 if the full length of the section is on curves and pro-rata in other cases.

Note:-(i) The formation factor 'A' and alignment factor 'B' above should be assessed pro-rata for the actual length falling under bad soil conditions or curves compared to the total length.

A sample calculation for assessing formation factor 'A' is given below :-

In a kilometre length, if 0.1 km is of shrinkable soil (factor 0.2), 0.3 km. is of ordinary unstable soil (factor 0.1) and the rest of the length consists of stable soil (factor 0), then,

$$\text{Factor 'A'} = \frac{0.1 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 + 0.6 \times 0}{1} = 0.05$$

A similar method should be adopted for assessing the alignment factor.

सी- वर्षा गुणक

गुणक 'सी' वर्षा की तीव्रता द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए. जब वर्षा 200 से. मी. से कम हो तो शून्य का मान लागू होना चाहिए. 200 से. मी. की वार्षिक वर्षा के लिए 0.1 का मान लागू किया जाएगा, जिसमें वार्षिक वर्षा में प्रत्येक अतिरिक्त 10 से. मी.वृद्धि के लिए 0.01 मान बढ़ाकर लागू किया जाएगा, बशर्ते यह गुणक अधिकतम 0.2 हो.

5(ii) मार्शलिग यार्डों तथा अन्य साइडिगों के लिए समीकृत रेलपथ किलोमीटर निकालने का सूत्र निम्नलिखित होगा :-

क्यू = एल x यू ^{1}

जहाँ

क्यू तथा एल का मान उपर्युक्त (i) की भांति है तथा ' यू^{1}' का मान है :-

	बडी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
मार्शलिंग तथा अन्य व्यस्त साइडिंगें	0.7	0.5	0.3
अन्य सभी साइडिंगें	0.4	0.3	0.3

टिप्पणी : एक यार्ड में साइडिगों/लाइनों को व्यस्त या अव्यस्त कोटियों में वर्गीकृत किया जाए तथा समीकृत रेलपथ किलोमीटर अलग से निकाले जाऐं.

रेलपथ संयोजन तथा अभिन्यासों को निम्नलिखित मापकों के अनुसार 'सैट' माना जाना चाहिए, तथा ऐसे 10 सैटों को रेलपथ की एक किलोमीटर लंबाई के बराबर समझा जाना चाहिए :-

टर्नआउट	1 सैट
डायमंड	1 सैट
एकल स्लिप सहित डायमंड क्रासिंग	$1^{1}/_{2}$ सैट
दोहरी स्लिप सहित डायमंड क्रासिंग	2 सैट
क्रास ओवर	2 सैट
थ्री-थ्रो	2 सैट
कैंचीनुमा क्रास ओवर	5 सैट
ट्रैप	1/5 सैट
दोहरा ट्रैप	2/5 सैट

इस प्रकार प्राप्त किलोमीटर दूरी को यथास्थिति उपर्युक्त 5(i) या 5(ii) में उल्लिखित सूत्र लागू करके समीकृत रेलपथ किलोमीटर में परिवर्तित कर देना चाहिए. समीकृत रेलपथ किलोमीटर परिकलित करने के लिए प्रयुक्त 5(i) अथवा 5(ii) के सूत्र और 'यू', 'यू ^{1}', 'ए', 'बी' एवं 'सी' गुणकों के मान रेलपथ संयोजन/अभिन्यास से संबद्ध अधिक महत्वपूर्ण लाइनों के संदर्भ में होंगे.

टर्नआउट, क्रास ओवर (साधारण तथा कैंचीनुमा), थ्री-थ्रो आदि के लिए थ्रू किलोमीटर दूरी मुख्य रेलपथ के साथ-साथ मापी जाएगी. साइडिगों तथा लूप में रेलपथ की लंबाई को क्रासिंग की एड़ी (निचले भाग) से नापना चाहिए, स्विच के अग्र भाग से नहीं. इसी भांति इकहरे अथवा दोहरे स्लिपों सहित डायमंड क्रासिंगों में, स्लिप/स्लिपों की वक्र लीड को रेलपथ की लंबाई में शामिल नहीं किया जाएगा.

टिप्पणी : प्रत्येक खंड के लिए प्रत्येक आमान पर समीकृत रेलपथ किलोमीटर, किलोमीटर के अनुसार अलग से निकाले जाएंगे तथा आमान के कुल जोड़ में मिला दिए जाएगें. आगे, इनका निर्धारण प्रत्येक खंड के लिए पूरे वर्ष के दौरान खुली माध्य रेलपथ किलोमीटर दूरी के आधार पर किया जाएगा, वर्ष के अन्त में खुली किलोमीटर दूरी के आधार पर नहीं.

C – Rainfall factor

The factor 'C' should be controlled by the intensity of rainfall. A value of zero should be applied when the rainfall is less than 200 cm. An annual rainfall of 200 cm, would attract a value of 0.1 with an increase of 0.01 for every additional 10 cm. rise in the annual rainfall, subject to the maximum of 0.2 for the factor.

5(ii) **For marshalling yards and other sidings,** the formula for working out the equated track kilometres will be as below :

$Q = L \times U^{1}$

where

Q and L have the same values as in (i) above and the value of 'U^{1}' is :-

	B.G.	M.G.	N.G.
Marshalling and other busy sidings	0.7	0.5	0.3
All other sidings	0.4	0.3	0.3

Note :- The sidings/lines in a yard may be classified as busy and non-busy and equated track kilometres worked out separately.

Track connections and layouts should be treated as 'sets' on the following scale, and ten such sets should be treated as equal to one kilometre length of track :-

Turnout	1 set
Diamond	1 set
Diamond crossing with single slip	$1^{1}/_{2}$ sets
Diamond crossing with double slip	2 sets
Cross over	2 sets
Three-throw	2 sets
Scissors cross-over	5 sets
Trap	$1/5^{th}$ set
Double trap	$2/5^{th}$ set

The kilometrage thus arrived at should be converted into equated track kilometres by applying the formulae mentioned in 5(i) or 5(ii) above, as the case may be. The formulae 5(i) or 5(ii) and the value of factors U, U ^{1}, A, B and C used for working out equated track kilometres would be with respect to the more important line connected by the track connection/layout.

For turn-outs, cross-overs (ordinary and scissors), three-throw, etc., the through kilometrage will be measured along the main track and the length of the track in sidings and loops will be measured from the heel of the crossing and not from the toe of the switch. Similary, in diamond crossings with single or double slips, the curved lead of the slip/slips will not be included in the length of the track.

Note :- The equated track kilometres shall be worked out kilometrewise for each section on each gauge separately and added to build up the gauge total. Further, these shall be based on the mean track kilometrage open for each section for the whole year and not on the kilometrage open at the end of the year.

.....रेलवे/Railway

विवरण 30
Statement 30

वर्षमें संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year.....
सार 'ग' - मोटिव पावर की मरम्मत तथा अनुरक्षण
Abstract 'C'- Repairs and Maintenance of Motive Power

गौण/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description		कुल राशि Total Amount	आमान के जोड़ का प्रतिशत % of gauge total	प्रति गाड़ी किलोमीटर Per Train Km.	प्रति इंजन किलोमीटर Per Engine Km.	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर Per 1000 Gross Tonne Kilometres
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
ग (110,120, 130) (112, 115,125 तथा 126 को छोड़कर) C (110,120, 130)(excluding 112,115, 125 and 126)	**कार्यालयों में स्थापना (यांत्रिक)** **Establishment in offices (Mechanical)**						
	ग - 110 (112,115 को छोड़कर) C-110 (excluding 112,115)	अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना Officers & office establishment.					
	ग - 120 (125 तथा 126 को छोड़कर) C-120 (excluding 125 and 126)	पर्यवेक्षी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी Supervisory staff and their office staff					
	ग - 130 C-130	आनुषंगिक तथा प्रयोगशाला के खर्च Contingent and Laboratory Expenses					
		कुल Total					
ग (112,115, 125 तथा 126) C (112,115, 125 and 126)	**कार्यालयों में स्थापना (फैरी)** **Establishment in offices (Ferry)**						
	ग - 112 C-112	कार्यालय - फैरी सेवाएं Offices - Ferry Services					
	ग - 115 C-115	प्रशासनिक अधिकारी स्थापना-फैरी सेवाएं Admn. Officer Establishment-Ferry Services					
	ग - 125 C-125	अधीनस्थ पर्यवेक्षण कर्मचारी - फैरी सेवाएं Subordinate supervisory staff - Ferry Services					
	ग - 126 C-126	कार्यालय कर्मचारी - फैरी सेवाएं Office Staff - Ferry Services					

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
		कुल Total					
ग (140,150, 160)	**कार्यालयों में स्थापना (बिजली)**						
	Establishment in offices (Electrical)						
C (140,150, 160)	ग - 140	अधिकारी तथा कार्यालय कर्मचारी					
	C-140	Officers and office staff					
	ग - 150	पर्यवेक्षी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी					
	C-150	Supervisory staff & their office staff					
	ग - 160	आनुषंगिक व्यय					
	C-160	Contingent Expenses					
		कुल Total					
		कुल सार ग - 100 (कार्यालयों में स्थापना) Total Abstract C-100 (Establishment in offices)					
ग - 211	भाप इंजन - शेडो में चालू मरम्मतें (यांत्रिक)						
C-211	Steam Locomotives - running repairs in sheds (Mechanical)						
ग - 215	भाप इंजन - शेडो में चालू मरम्मतें (बिजली)						
C-215	Steam Locomotives - running repairs in sheds (Electrical)						
ग - 221	भाप इंजन - शेडो के लिए कारखानों में चालू मरम्मतें (यांत्रिक)						
C-221	Steam Locomotives - running repairs in workshops for sheds (Mechanical)						
ग - 225	भाप इंजन - शेडो के लिए कारखानों में चालू मरम्मतें (बिजली)						
C-225	Steam Locomotives - running repairs in workshops for sheds (Electrical)						
ग (231,241, 251,261,270)	**भाप इंजन - कारखाना मरम्मतें (यांत्रिक)**						
C (231,241, 251,261,270)	**Steam Locomotives - Workshop Repairs (Mechanical)**						
	ग - 231	आवधिक ओवरहाल					
	C-231	Periodical overhauls					
	ग - 241	मध्यवर्ती ओवरहाल					
	C-241	Intermediate overhauls					
	ग - 251	विशेष मरम्मतें					
	C-251	Special repairs					
	ग - 261	अन्य मरम्मतें					
	C-261	Other repairs					
	ग - 270	विविध					
	C-270	Miscellaneous					
		कुल Total					
ग (235,245, 255,265)	**भाप इंजन - कारखाना मरम्मतें (बिजली)**						
C (235,245, 255,265)	**Steam Locomotives - Workshop Repairs (Electrical)**						
	ग - 235	आवधिक ओवरहाल					
	C-235	Periodical overhauls					
	ग - 245	मध्यवर्ती ओवरहाल					
	C-245	Intermediate overhauls					
	ग - 255	विशेष मरम्मतें					
	C-255	Special repairs					

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ग - 265 अन्य मरम्मतें					
	C-265 Other repairs					
	कुल					
	Total					
	कुल ग - 200					
	Total C - 200					
ग (311 से 314)	**डीजल रेल इंजन - शैडों में चालू मरम्मतें (डीजल बिजली इंजन)**					
C (311 to 314)	**Diesel Locomotives - Running repairs in sheds (Diesel Electric locos)**					
	ग - 311 ढांचा, बोगी तथा ब्रेक रिगिंग					
	C-311 Body, bogie and brake rigging					
	ग - 312 कर्षण मोटरें तथा अन्य विद्युत घूर्णन मशीनें					
	C-312 Traction motors and other electrical rotating machines.					
	ग - 313 इंजन					
	C-313 Engine					
	ग - 314 कम्प्रैसर तथा एक्सौह्स्टर					
	C-314 Compressors and exhausters					
	कुल					
	Total					
ग (315 से 318)	**डीजल रेल इंजन - शैडों में चालू मरम्मतें (डीजल हाइड्रोलिक रेल इंजन)**					
C (315 to 318)	**Diesel Locomotives - Running repairs in sheds (Diesel Hydraulic locomotives)**					
	ग - 315 ढांचा, बोगी तथा ब्रेक रिगिंग					
	C - 315 Body,bogie and brake rigging					
	ग - 316 पारेषण उपस्कर					
	C - 316 Transmission equipment					
	ग - 317 इंजन					
	C - 317 Engine					
	ग - 318 कम्प्रैसर तथा एक्सौह्स्टर					
	C - 318 Compressors and exhausters					
	कुल					
	Total					
ग (321 से 324)	**डीजल रेल इंजन - शैडों के लिए कारखानों में चालू मरम्मतें (डीजल बिजली रेल इंजन)**					
C (321 to 324)	**Diesel Locomotives - Running repairs in workshops for sheds - (Diesel electric locos)**					
	ग - 321 ढांचा, बोगी तथा ब्रेक रिगिंग					
	C-321 Body, bogie and brake rigging					
	ग - 322 कर्षण मोटरें तथा अन्य विद्युत घूर्णन मशीनें					
	C-322 Traction motors & other electrical rotating machines					
	ग - 323 इंजन					
	C-323 Engine					
	ग - 324 कम्प्रैसर तथा एक्सौह्स्टर					
	C-324 Compressors and exhausters					
	कुल					
	Total					
ग (325 से 328)	**डीजल रेल इंजन - शैडों के लिए कारखानों में चालू मरम्मतें (डीजल हाइड्रोलिक रेल इंजन)**					
C (325 to 328)	**Diesel locomotives - Running repairs in workshops for sheds (Diesel Hydraulic locos)**					

विवरण–30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
	ग – 325	ढांचा, बोगी तथा ब्रेक रिगिंग					
	C-325	Body, bogie and brake rigging					
	ग – 326	पारेषण उपस्कर					
	C-326	Transmission equipment					
	ग – 327	इंजन					
	C-327	Engine					
	ग – 328	कम्प्रैसर तथा एक्सौह्स्टर					
	C-328	Compressors and exhausters.					
	कुल						
	Total						
ग (331 से 334,	**डीजल रेल इंजन – कारखाना मरम्मतें**						
341 से 344,	**(डीजल बिजली इंजन)**						
351 से 354,	**Diesel locomotives-Workshop repairs**						
361 से 364,	**(Diesel electric locos)**						
371 से 374)	ग – 331 से 334 – आवधिक ओवरहाल						
C (331 to 334,	(ग–331 से 334 जैसा ग–311 से 314 में है)						
341 to 344,	C-331 to 334 - Periodical overhauls						
351 to 354,	(C 331 to 334 as in C 311 to 314)						
361 to 364,	ग – 341 से 344 – मध्यवर्ती ओवरहाल						
371 to 374)	(ग 341 से 344 जैसा ग–311 से 314 में है)						
	C-341 to 344 - Intermediate overhauls						
	(C 341 to 344 as in C-311 to 314)						
	ग 351 से 354 – विशेष मरम्मतें						
	(ग 351 से 354 जैसा ग–311 से 314 में है)						
	C-351 to 354 - Special repairs						
	(C 351 to 354 as in C-311 to 314)						
	ग 361 से 364 – अन्य मरम्मतें						
	(ग 361 से 364 जैसा ग–311 से 314 में है)						
	C-361 to 364 - Other repairs						
	(C 361 to 364 as in C-311 to 314)						
	ग 371 से 374 – विविध						
	C-371 to 374 - Miscellaneous						
	कुल						
	Total						
ग (335 से 338,	**डीजल रेल इंजन – कारखाना मरम्मतें**						
345 से 348,	**(डीजल हाइड्रोलिक इंजन)**						
355 से 358,	**Diesel locomotives - Workshop repairs**						
365 से 368,	**(Diesel Hydraulic locos)**						
375 से 378)	ग – 330 – आवधिक ओवरहाल						
C (335 to 338,	(ग – 335 से 338 जैसा ग – 315 से 318 में है)						
345 to 348,	C - 330 - Periodical overhauls						
355 to 358,	(C-335 to 338 as in C-315 to 318)						

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
365 to 368, 375 to 378)	ग - 340 - मध्यवर्ती ओवरहाल (ग -345 से 348 जैसा ग - 315 से 318 में है) C - 340 - Intermediate overhauls (C - 345 to 348 as in C-315 to 318) ग - 350 - विशेष मरम्मतें (ग 355 से 358 जैसा ग - 315 से 318 में है) C - 350 - Special repairs (C 355 to 358 as in C-315 to 318) ग - 360 - अन्य मरम्मतें (ग -365 से 368 जैसा ग - 361 से 364 में है) C - 360 - Other repairs (C 365 to 368 as in C-361 to 364) ग - 375 से 378 - विविध C -375 to 378 - Miscellaneous कुल Total कुल सार ग - 300 Total Abstract C - 300					
ग (511 से 514)	**बिजली रेल इंजन - शेडों में चालू मरम्मतें - (बिजली इंजन ए.सी.)**					
C (511 to 514)	**Electric locomotives - Running repairs in sheds - (Electric locos A.C.)**					
	ग-511 ढाँचा, बोगी तथा ब्रेक रिगिंग					
	C - 511 Body, bogie and brake rigging					
	ग-512 कर्षण मोटरें तथा अन्य विद्युत घूर्णन मशीनें					
	C - 512 Traction motors and other electrical rotating machines					
	ग-513 ट्रांसफार्मर तथा अन्य परिवर्तन उपस्कर					
	C - 513 Transformers and other converting equipments					
	ग-514 कम्प्रैसर तथा एक्सौह्स्टर आदि					
	C - 514 Compressors and exhausters etc.					
	कुल Total					
ग (515 से 518)	**बिजली रेल इंजन - शेडों में चालू मरम्मतें - (बिजली इंजन डी.सी.)**					
C (515 to 518)	**Electric locomotives - Running repairs in sheds - (Electric locos D.C.)**					
	ग - 515 से 518 तक ग - 511 से 514 की भांति C - 515 to 518 same as in C-511 to 514 कुल Total					

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ग (521 से 524)	**बिजली रेल इंजन - शेडों के लिए कारखानो में चालू मरम्मतें - (बिजली इंजन ए.सी.)**					
C (521 to 524)	**Electric locomotives - Running repairs in workshops for sheds - (Electric locos A.C.)**					
	ग - 521 से 524 तक ग 511 से 514 की भांति					
	C - 521 to 524 same as in C 511 to 514					
	कुल					
	Total					
ग (525 से 528)	**बिजली रेल इंजन - शेडों के लिए कारखानो में चालू मरम्मतें - (बिजली इंजन डी.सी.)**					
C (525 to 528)	**Electric locomotives - Running repairs in workshops for sheds - (Electric locos D.C.)**					
	ग - 525 से 528 तक ग 511 से 514 की भांति					
	C - 525 to 528 same as in C - 511 to 514					
	कुल					
	Total					
ग (531 से 534,	**बिजली रेल इंजन कारखाना मरम्मतें (बिजली इंजन ए.सी.)**					
541 से 544,	**Electric locomotives - workshop repairs- Electric locos A.C.**					
551 से 554,	ग - 531 से 534 - ग-511 से 514 की भांति					
561 से 564,	C - 531 to 534 - Same as in C-511 to 514					
571 से 574)	ग - 541 से 544 - ग-511 से 514 की भांति					
C (531 to 534,	C - 541 to 544 - Same as in C-511 to 514					
541 to 544,	ग - 551 से 554 - ग-511 से 514 की भांति					
551 to 554,	C - 551 to 554 - Same as in C-511 to 514					
561 to 564,	ग - 561 नियन्त्रण केबलें तथा अन्य चालू मरम्मतें					
571 to 574)	C - 561 Control cables and other running repairs					
	ग - 562 नियन्त्रण केबलें तथा शैडों के लिए कारखानों में की गईं चालू मरम्मतें					
	C - 562 Control Cables and other running repairs done in Workshops for sheds					
	ग - 563 नियन्त्रण केबलें तथा अन्य मरम्मतें-आवधिक मरम्मतें					
	C - 563 Control Cables and other repairs-Periodical overhauls					
	ग - 564 नियन्त्रण केबलें तथा अन्य मरम्मतें-मध्यवर्ती मरम्मतें					
	C - 564 Control Cables and other repairs-Intermediate overhauls.					
	ग - 571 से 574 - विविध					
	C - 571 to 574 - Miscellaneous					
	कुल					
	Total					

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ग (535 से 538,	**बिजली रेल इंजन कारखाना मरम्मतें**					
545 से 548,	**(बिजली इंजन डी.सी.)**					
555 से 558,	**Electric locomotives - workshop repairs -**					
565 से 568,	**Electric locos D.C.**					
575 से 578)	ग - 535 से 538 - ग-511 से 514 की भांति					
C (535 to 538,	C - 535 to 538 same as in C-511 to 514					
545 to 548,	ग - 545 से 548 - ग-511 से 514 की भांति					
555 to 558,	C - 545 to 548 same as in C-511 to 514					
565 to 568,	ग - 555 से 558 - ग-511 से 514 की भांति					
575 to 578)	C - 555 to 558 same as in C-511 to 514					
	ग - 565 से 568 - 561 से 564 की भांति					
	C - 565 to 568 same as in C-561 to 564					
	ग - 575 से 578 - विविध					
	C - 575 to 578 - Miscellaneous					
	कुल					
	Total					
	कुल सार ग - 500					
	Total Abstract C - 500					
ग - 611	चालू मरम्मतें - रेल कारें					
C - 611	Running repairs - Rail Cars					
ग - (612, 615)	रेल कारें - आवधिक ओवरहाल तथा अन्य मरम्मतें					
C-(612, 615)	Rail Cars - Periodical overhauls and other repairs					
ग-(630, 640)	फैरी स्टीमर, बजरे, छोटे जलयान तथा बंदरगाह					
C-(630,640)	Ferry steamers, barges, minor crafts and harbour					
	कुल ग - 600					
	Total C -600					
ग -900	जमा अथवा वसूलियां					
C -900	Credits or recoveries					
	कुल सार - ग					
	Total Abstract - C					

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'ग'– मोटिव पावर की मरम्मत तथा अनुरक्षण

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत मरम्मतों का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा . कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कालम 4 के तदनुरूपी आँकड़ों से मेल खाएंगे.

2. ग – 110 (ग – 112 तथा 115 को छोड़कर), ग – 120 (ग – 125 तथा 126 को छोड़कर) तथा ग – 130 के अन्तर्गत बुक किया गया कुल व्यय प्रति गाड़ी किलोमीटर, प्रति इंजन किलोमीटर तथा प्रति 1000 सकल टन कि.मी. व्यय के परिणामों को निकालने के लिए भाप तथा डीजल रेल इंजनों के संचालन के संयुक्त निष्पादन से संबद्ध होगा.

3. उप समूह (ग – 140, 150, 160) के अन्तर्गत कार्यालयों में स्थापना (बिजली) से संबंधित कुल व्यय बिजली कर्षण (ए. सी. तथा डी. सी.), के निष्पादन गुणक से संबंधित होगा.

4. फैरी सेवाओं से संबंधित मदों के लिए कोई परिणाम नहीं निकाला जाएगा.

5. रेल कारों से संबंधित ग – 611,612 तथा 615 के अन्तर्गत बुक किए गए व्यय विवरण 33 की मद $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$ के अनुसार गाड़ी किलोमीटर से संबंधित होंगे. इंजन किलोमीटर तथा सकल टन किलोमीटर से संबद्ध परिणाम निकालने की आवश्यकता नहीं है. ग–600 के परिणाम निकालने की भी आवश्यकता नहीं है.

6. ग – 900 अर्थात जमा अथवा वसूलियों के लिए प्रति गाड़ी कि.मी. प्रति इंजन किलोमीटर तथा प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर व्यय के परिणाम नहीं निकाले जाएंगे.

7. विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत व्यय अगले पृष्ठ पर सारणी में दिए गए ब्यौरे के अनुसार गाड़ी किलोमीटर, इंजन किलोमीटर तथा सकल टन किलोमीटर जैसे विभिन्न निष्पादन गुणकों से सहसंबद्ध होंगें.

Statement 30 - Analysis of Working Expenses Abstract 'C' - Repairs and Maintenance of Motive Power

Instructions

1. The repairs under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with corresponding figures in Col.4 of Statement 7.

2. The total expenses booked under C-110 (excluding C-112 and 115), C-120 (excluding C-125 and 126) and C-130 shall be related to the combined performance of Steam and Diesel locomotives for working out the result of expenses per Train Km., per Engine Km.and per 1000 GTKMs.

3. The total expenses under sub-group (C-140,150,160) pertaining to establishment in offices (Electrical) shall be related to the performance factor of Electrical traction (both A.C. and D.C.).

4. No result shall be worked out for items relating to ferry services.

5. Expenses booked under C-611,612 and 615 pertaining to rail cars shall be related to Train Kms. as per items $\frac{33.03(a)}{3}$ & $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33. The relevant results for Engine Kms. and GTKMs need not be worked out. The result for C-600 also need not be worked out.

6. The result of expenses per Train Km., per Engine Km., and per 1000 GTKMs shall not be worked out for C-900 i.e. credits or recoveries.

7. Expenses under various heads of account shall be correlated to various performance factors such as, Train Km., Engine Km. and Gross Tonne Km. as per the details given in the table overleaf.

सारणी/Table
सार – 'ग'/Abstract - 'C'

क्रम सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	निष्पादन गुणक Performance Factors		
			गाड़ी कि.मी. (वार्षिक विवरण 17 और 33 के अनुसार) Train Km. (As per Annual Statements 17 and 33)	इंजन कि.मी. (वार्षिक विवरण 17 और 33 के अनुसार) Engine Km. (As per Annual Statements 17 and 33)	सकल टन कि. मी. (वार्षिक विवरण 16 के अनुसार) GTKMs. (As per Annual Statement 16)
1	2	3	4	5	6
1.	ग – 110,120, 130 (ग –112,115,125 तथा 126 को छोड़कर)	भाप तथा डीजल (हाइड्रोलिक तथा बिजली)	17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 3 और कॉलम 6	17.11 (ग) का कॉलम 3 और कॉलम 6	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 3 और कॉलम 6
	C - 110, 120, 130 (excluding C-112, 115, 125 and 126)	Steam and Diesel (Hydraulic and Elec.)	Cols. 3 and 6 of 17.06 and 17.07 (d)	Cols. 3 and 6 of 17.11 (c)	Cols. 3 and 6 of 16.04 (i) + (ii)
2.	ग – 140,150, 160	बिजली (ए सी तथा डी सी)	17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 7 और कॉलम 8	17.11 (ग) का कॉलम 7 और कॉलम 8	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 7 और कॉलम 8
	C - 140, 150, 160	Electric (AC and DC)	Cols. 7 and 8 of 17.06 and 17.07 (d)	Cols. 7 and 8 of 17.11 (c)	Cols. 7 and 8 of 16.04 (i) +(ii)
3.	ग – 100	सभी कर्षण	17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9	17.11 (ग) का कॉलम 9	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 9
	C - 100	All tractions	Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d)	Col. 9 of 17.11 (c)	Col. 9 of 16.04 (i) + (ii)
4.	ग – 200	भाप	17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 3	17.11 (ग) का कॉलम 3	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 3
	C - 200	Steam	Col. 3 of 17.06 and 17.07 (d)	Col. 3 of 17.11 (c)	Col. 3 of 16.04 (i) + (ii)

सारणी *(जारी)*/**Table***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6
5.	ग – C 311से 314, 321 से 324, 331 से 334, 341 से 344, 351 से 354, 361 से 364, 371 से 374.	डीजल बिजली	17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 4	17.11 (ग) का कॉलम 4	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 4
	311 to 314, 321 to 324, 331 to 334, 341 to 344, 351 to 354, 361 to 364, 371 to 374.	Diesel Electric	Col. 4 of 17.06 and 17.07 (d)	Col. 4 of 17.11 (c)	Col.4 of 16.04 (i) + (ii)
6.	ग – C 315 से 318, 325 से 328, 335 से 338, 345 से 348, 355 से 358, 365 से 368, 375 से 378.	डीजल हाइड्रोलिक तथा यांत्रिक	17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 5	17.11 (ग) का कॉलम 5	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 5
	315 to 318, 325 to 328, 335 to 338, 345 to 348, 355 to 358, 365 to 368, 375 to 378.	Diesel Hydraulic and Mechanical	Col. 5 of 17.06 and 17.07 (d)	Col. 5 of 17.11 (c)	Col. 5 of 16.04 (i) + (ii)
7.	ग – 300 C – 300	कुल डीजल Total Diesel	17.06 तथा 17.07(घ) का कॉलम 6 Col. 6 of 17.06 and 17.07 (d)	17.11 (ग) का कॉलम 6 Col. 6 of 17.11 (c)	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 6 Col. 6 of 16.04 (i) + (ii)
8.	ग – C 511 से 514, 521 से 524, 531 से 534, 541 से 544, 551 से 554, 561 से 564, 571 से 574.	बिजली (ए.सी.)	17.06 तथा 17.07(घ) का कॉलम 7	17.11 (ग) का कॉलम 7	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 7
	511 to 514, 521 to 524, 531 to 534, 541 to 544, 551 to 554, 561 to 564, 571 to 574.	Electric (A.C.)	Col. 7 of 17.06 and 17.07 (d)	Col. 7 of 17.11 (c)	Col. 7 of 16.04 (i) + (ii)

सारणी *(जारी)*/**Table***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6
9.	ग – C 515 से 518, 525 से 528, 535 से 538, 545 से 548, 555 से 558, 565 से 568, 575 से 578.	बिजली (डी.सी.)	17.06 तथा 17.07(घ) का कॉलम 8	17.11 (ग) का कॉलम 8	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 8
	515 to 518, 525 to 528, 535 to 538, 545 to 548, 555 to 558, 565 to 568, 575 to 578.	Electric (D.C.)	Col. 8 of 17.06 and 17.07 (d)	Col. 8 of 17.11 (c)	Col. 8 of 16.04 (i) + (ii)
10.	ग – 500	कुल बिजली	17.06 तथा 17.07(घ) का कॉलम 7 तथा कॉलम 8	17.11 (ग) का कॉलम 7 तथा कॉलम 8	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 7 तथा कॉलम 8
	C - 500	Total Electric	Cols.7 and 8 of 17.06 and 17.07 (d)	Cols. 7 and 8 of 17.11 (c)	Cols. 7 and 8 of 16.04 (i) + (ii)
11.	कुल	सभी कर्षण	17.06 तथा 17.07(घ) का कॉलम 9 + विवरण 33 की मद $\frac{33.03\ (क)}{3}$ और $\frac{33.10\ (क)}{3}$	17.11 (ग) का कॉलम 9 तथा विवरण 33 की मद 33.03 (क) और 33.10(क)	16.04 (i) +(ii) का कॉलम 9
	Total	All Tractions	Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) + items $\frac{33.03(a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33	Col. 9 of 17.11 (c) and items 33.03 (a) and 33.10(a) of Statement 33	Col. 9 of 16.04 (i) + (ii)

..... रेलवे/Railway

विवरण-30
Statement-30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year....
सार 'घ' - सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण
Abstract 'D' - Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	कुल रकम Total Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत % of working expenses to gauge total	प्रति गाड़ी किलो-मीटर Per Train Km.	अपने तथा अन्य रेलवे वाहनों द्वारा चालित प्रति 1000 वाहन किलोमीटर Per 1000 Vehicle Kms. run by home and other Railway vehicles
1	2	3	4	5	6
घ - 110 से 130 D-110 to 130	**कार्यालयों में स्थापना-आनुषंगिक व्यय सहित अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग (यांत्रिक)** **Establishment in offices - officers and staff including contingent expenses (Mechanical)** घ - 110 - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना (यांत्रिक)-सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे D - 110- Officers and office establishment (Mechanical)-Carriages and Wagons घ - 120 - पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी(यांत्रिक)-सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे D - 120- Supervisory staff and their office staff (Mechanical)-Carriages and Wagons घ - 130 - आनुषंगिक व्यय (यांत्रिक) D - 130- Contingent Expenses (Mechanical) कुल Total				
घ -(141,142, 145,146, 151,152, 155,156) D -(141, 142, 145, 146, 151, 152, 155, 156)	**कार्यालयों में स्थापना - अधिकारी तथा कर्मचारी बिजली (ई एम यू)** **Establishment in offices - Officers and staff - Electrical (EMU)** घ - 141 - अधिकारी - कारखाना - ई एम यू D - 141 - Officers - Workshop - EMU घ - 142 - अधिकारी - चालू लाइन - ई एम यू D - 142 - Officers - Open Line - EMU घ - 145 - अधिकारी - कार्यालय स्थापना - कारखाना - ई एम यू D - 145 - Officers - Office Establishment - Workshop- EMU				

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6
	घ - 146 - अधिकारी - कार्यालय स्थापना-चालू लाइन-ई एम यू				
	D - 146 - Officers - Office Establishment - Open Line- EMU				
	घ - 151 - पर्यवेक्षी कर्मचारी- कारखाना -ई एम यू				
	D - 151 - Supervisory staff - Workshop-EMU				
	घ - 152 - पर्यवेक्षी कर्मचारी-चालू लाइन-ई एम यू				
	D - 152 - Supervisory Staff-Open Line- EMU				
	घ - 155 - कार्यालय स्थापना-कारखाना-ई एम यू				
	D - 155 - Office Establishment - Workshop- EMU				
	घ - 156 - कार्यालय स्थापना -चालू लाइन-ई एम यू				
	D - 156 - Office Establishment - Open Line- EMU				
	कुल				
	Total				
घ- (143,144,	**कार्यालयों में स्थापना - बिजली**				
147,148,153,	**(ई एम यू के अतिरिक्त)**				
154,157,158,	**Establishment in offices - Electrical**				
160)	**(other than EMU)**				
D- (143,144,	घ - 143 - अधिकारी - कारखाना - सामान्य सेवाऐं				
147,148,153,					
154,157,158,	D - 143 - Officers - Workshop - General Services				
160)					
	घ - 144 - अधिकारी - चालू लाइन -सामान्य सेवाऐं				
	D - 144 - Officers - Open Line - General Services				
	घ - 147 - कार्यालय स्थापना -कारखाना- सामान्य सेवाऐं				
	D - 147 - Office Establishment -Workshop - General Services				
	घ - 148 - कार्यालय स्थापना-चालू लाइन- सामान्य सेवाऐं				
	D - 148 - Office Establishment - Open Line - General Services				
	घ - 153 - पर्यवेक्षी कर्मचारी-कारखाना-सामान्य सेवाऐं				
	D - 153 - Supervisory staff - Workshop – General Services				
	घ - 154 - पर्यवेक्षी कर्मचारी-चालू लाइन- सामान्य सेवाऐं				
	D - 154 - Supervisory staff - Open Line – General Services				
	घ - 157 - कार्यालय स्थापना -कारखाना-सामान्य सेवाऐं				
	D - 157 - Office Establishment - Workshop- General Services				
	घ - 158 - कार्यालय स्थापना -चालू लाइन-सामान्य सेवाऐं				
	D - 158 - Office Establishment -Open Line – General Services				
	घ - 160 - आनुषंगिक व्यय (बिजली)				
	D - 160 - Contingent Expenses (Electrical)				
	कुल				
	Total				
	कुल घ-100				
	Total D-100				

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6
घ - 211 -	सवारी डिब्बे - मरम्मत लाइन में चालू मरम्मतें - यात्री कोचिंग वाहन				
D - 211 -	Carriages - Running repairs in Sick lines - PCVs				
घ - 212 -	सवारी डिब्बे - मरम्मत लाइन में चालू मरम्मतें - अन्य कोचिंग वाहन				
D - 212 -	Carriages - Running repairs in Sick lines - OCVs				
घ - 221 -	सवारी डिब्बे - मरम्मत लाइन के लिए कारखाने में चालू मरम्मतें-यात्री कोचिंग वाहन				
D - 221 -	Carriages - Running repairs in Workshop for Sick Lines - PCVs				
घ - 222 -	सवारी डिब्बे - मरम्मत लाइन के लिए कारखाने में चालू मरम्मतें-अन्य कोचिंग वाहन				
D - 222 -	Carriages - Running Repairs in Workshop for Sick Lines -OCVs				
घ - (231,232, 241,261,271, 273,275,277) D - (231,232, 241,261,271, 273,275,277)	**सवारी डिब्बे - आवधिक मरम्मतें, विशेष तथा अन्य मरम्मतें - यात्री कोचिंग वाहन** **Carriages - Periodical Overhauls, special and other repairs - PCVs**				
	घ - 231 - सवारी डिब्बे - आवधिक ओवरहाल-यात्री कोचिंग वाहनों का सामान्य आवधिक ओवरहाल				
	D - 231 - Carriages - Periodical Overhauls –PCVs-Normal Periodical overhauls				
	घ - 232 - सवारी डिब्बे - आवधिक ओवरहाल-यात्री कोचिंग वाहनों की संक्षारण मरम्मतों सहित आवधिक ओवरहाल				
	D - 232 - Carriages - Periodical Overhauls –PCVs-Periodical overhauls involving corrosion repairs				
	घ - 241 - सवारी डिब्बे - विशेष मरम्मतें-यात्री कोचिंग वाहन				
	D - 241 - Carriages - Special repairs – PCVs				
	घ - 261 - सवारी डिब्बे - अन्य मरम्मतें-यात्री कोचिंग वाहन				
	D - 261 - Carriages - Other repairs - PCVs				
	घ - 271, 273, 275 तथा 277 - विविध व्यय तथा समायोजन				
	D - 271, 273, 275 and 277 – Miscellaneous expenses and adjustment				
	कुल Total				
घ -(233,234, 242, 262,272, 274,276, 278) D - (233, 234, 242, 262,272, 274, 276,278)	**सवारी डिब्बे - आवधिक ओवरहाल, विशेष तथा अन्य मरम्मतें-अन्य कोचिंग वाहन** **Carriages - Periodical overhauls, special and other repairs - OCVs**				
	घ - 233 - सवारी डिब्बे-अन्य कोचिंग वाहन-सामान्य आवधिक ओवरहाल				
	D - 233 - Carriages - OCVs-Normal Periodical overhauls				
	घ - 234 - सवारी डिब्बे-अन्य कोचिंग वाहन - संक्षारण मरम्मतों सहित आवधिक ओवरहाल				
	D - 234 - Carriages - OCVs-Periodical overhauls involving corrosion repairs.				
	घ - 242 - सवारी डिब्बे -विशेष मरम्मतें-अन्य कोचिंग वाहन				
	D - 242 - Carriages - Special repairs-OCVs				
	घ - 262 - सवारी डिब्बे -अन्य मरम्मतें-अन्य कोचिंग वाहन				
	D - 262 - Carriages - Other repairs-OCVs				

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6
	घ-272,274, 276 तथा 278 – विविध व्यय तथा समायोजन				
	D-272,274, 276 and 278 - Miscellaneous expenses and adjustment				
	कुल				
	Total				
	कुल घ – 200				
	Total D- 200				
घ – 310	माल डिब्बे – मरम्मत लाइन में चालू मरम्मतें				
D - 310	Wagons - Running repairs in sick lines				
घ – 320	माल डिब्बे – मरम्मत लाइन के लिए कारखानों में चालू मरम्मतें				
D - 320	Wagons - Running repairs in Workshops for sick lines				
घ – (330,340, 360 और 370)	**माल डिब्बे – आवधिक ओवरहाल, विशेष तथा अन्य मरम्मतें**				
D - (330, 340, 360 and 370)	**Wagons - Periodical overhauls, special and other repairs.**				
	घ – 330 – माल डिब्बे – आवधिक ओवरहाल				
	D - 330 - Wagons -Periodical overhauls				
	घ – 340 – माल डिब्बे – विशेष मरम्मतें				
	D - 340 - Wagons - Special repairs				
	घ – 360 – माल डिब्बे – अन्य मरम्मतें				
	D - 360 - Wagons - Other repairs				
	घ – 370 – विविध व्यय तथा समायोजन				
	D - 370 - Miscellaneous expenses and adjustment.				
	कुल				
	Total				
	कुल घ – 300				
	Total D - 300				
घ – 410 –	ई.एम.यू. डिब्बे – मरम्मत लाइन में चालू मरम्मतें				
D - 410 –	EMU Coaches - Running repairs in Sick lines				
घ – 420 –	ई.एम.यू. डिब्बे – मरम्मत लाइन के लिए कारखानो में चालू मरम्मतें				
D - 420 –	EMU Coaches - Running repairs in Workshops for Sick lines				
घ – (430,440, 450, 460 तथा 470)	**ई.एम.यू. डिब्बे – आवधिक ओवरहाल, मध्यवर्ती ओवरहाल, विशेष मरम्मते, अन्य मरम्मतें तथा विविध व्यय**				
D - (430,440, 450 , 460 and 470)	**EMU Coaches - Periodical overhauls, Intermediate overhauls, special repairs, other repairs and miscellaneous expenses**				
	घ – 430 – ई.एम.यू. – आवधिक ओवरहाल				
	D - 430 - EMU - Periodical overhauls				
	घ – 440 – ई.एम.यू. – मध्यवर्ती ओवरहाल				
	D - 440 - EMU - Intermediate overhauls				
	घ – 450 – ई.एम.यू. – विशेष मरम्मतें				
	D - 450 - EMU - Special repairs				

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6
	घ – 460 – ई.एम.यू. – अन्य मरम्मतें D - 460 - EMU - Other repairs घ – 470 – ई.एम.यू. – विविध व्यय तथा समायोजन D - 470 - EMU - Miscellaneous expenses and adjustment. कुल/Total कुल घ – 400 Total D - 400				
घ – (540 तथा 580) D - (540 and 580)	भाप इंजन मुख्य बत्ती उपस्कर की चालू कारखाना मरम्मतें Running Workshop repairs of Steam loco headlight equipment				
घ – 500 (घ–540 तथा 580 को छोड़कर) D - 500 (excluding D-540 and 580)	बिजली सामान्य सेवाऐं – गाड़ी मे बिजली की व्यवस्था, पंखें तथा – वातानुकूलन (भाप इंजन मुख्य बत्ती उपस्कर को छोड़कर) Electrical General Services - Train lighting, fans and Air-conditioning (except steam loco headlight equipments) कुल घ – 500 Total D - 500				
घ – 600 – D - 600	विविध मरम्मतें तथा विविध व्यय Miscellaneous repairs and miscellaneous expenses				
घ – 900 – D - 900	जमा अथवा वसूलियाँ Credits or recoveries कुल सार “ घ ” Total Abstract “D”				

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'घ' - सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा मे विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कालम 5 के तदनुरूपी आँकडों के अनुरूप होगा.

2 शीर्ष घ – 200 तथा घ–500 के अन्तर्गत कुल व्यय सवारी डिब्बा सेवाओं, ई.एम.यू. को छोडकर, के संबंध में विभिन्न मदों से संबद्ध होगें. घ – 400 केवल ई.एम.यू. के लिए तथा घ – 300 माल सेवाओं के लिए होगा. घ – 100 के अन्तर्गत अन्य शीर्ष, सारणी में दिए गए विभिन्न सेवाओं के साथ भली – भांति संबद्ध किए गए हैं.

3. घ – 600 तथा घ–900 के अन्तर्गत व्यय को निष्पादन कारकों के साथ संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है.

4. सार घ के अन्तर्गत कुल व्यय, कोचिंग (ई.एम.यू. तथा अन्य) और माल सेवाओं के निष्पादन कारकों से संबद्ध होगें जैसा कि ऊपर पैरा 2 मे उल्लिखित है.

Statement 30 - Analysis of Working Expenses Abstract 'D' - Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with corresponding figures of Col. 5 of Statement 7.

2. Total expenses under head D - 200 and D-500 shall relate to various items in respect of Coaching Services, other than EMU, D - 400 for EMU only, D - 300 for Goods Services. The other heads under D - 100 have also been suitably correlated to various services as given in the Table overleaf.

3. The expenses under D - 600 and D-900 need not be related to performance factors.

4. The total expenses under Abstract 'D' shall be related to the performance factors of Coaching (EMU and others) & Goods Services as indicated in the table referred to in para 2 supra.

सारणी
Table

क्रम सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी किलोमीटर Train Km.	वाहन किलोमीटर Vehicle Km.
1	2	3	4	5
1.	घ - 110 से 130	सभी कर्षण	विवरण 17 के 17.06 +17.07(घ) का कालम 9	विवरण 19 (क) के 19 (क) .03 (iv) +19(क).06(ii)+19(क) .07(iv) का कालम 9
	D - 110 to 130	All tractions	Col. 9 of 17.06 +17.07(d) of Statement 17	Col. 9 of 19 (a).03 (iv) + 19 (a). 06(ii) + 19(a) .07(iv) of Statement 19 (a)
2.	घ - 141,142,145,146, 151, 152,155, 156	ई. एम. यू.	विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25	विवरण 32 का [32.30(ग)+ 32.31(ग)] x 2
	D - 141, 142, 145,146, 151, 152,155,156.	EMU	Items 32.23 and 32.25 of Statement 32	[32.30(c) + 32.31(c)] x 2 of Statement 32
3.	घ - 140 से 160 (क्रम सं. 2 की मदों के अतिरिक्त)	सभी कर्षण	विवरण 17 के 17.04 तथा 17.07(क)+(ख) का कालम 9	विवरण 19 (क) के 19 (क).03(iv) +19 (क).07 (i)+(ii) का कालम 9
	D - 140 to 160 (except items of S.No.2)	All tractions	Col. 9 of 17.04 and 17.07(a) + (b) of Statement 17	Col. 9 of 19 (a) .03 (iv) plus 19 (a) . 07(i) + (ii) of Statement 19 (a)
4.	घ - 100		विवरण 17 के 17.06 और 17.07(घ) का कालम 9 जमा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25	विवरण 19 (क) के 19 (क).03 (iv) +19(क).06 (ii)+19(क).07(iv) का कालम 9
	D - 100		Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 plus items 32.23 and 32.25 of Statement 32	Col. 9 of 19 (a) .03 (iv) +19 (a).06 (ii) + 19(a).07 (iv) of Statement 19 (a)
5.	घ - 211,221,231, 232, 241,261,271,273,275 तथा 277(यात्री कोचिंग वाहन)		उपर्युक्त मद 3 की भांति	विवरण 19 (क) के 19(क).03 (ii) का कालम 9
	D - 211, 221,231, 232, 241, 261,271,273,275 and 277 (PCVs)		As item 3 above	Col. 9 of 19(a).03 (ii) of Statement 19 (a)
6.	घ - 212,222,233, 234,242,262, 272,274,276 तथा 278 (अन्य कोचिंग वाहन)		उपर्युक्त मद 3 की भांति	विवरण 19(क) के 19(क).03 (ii)+(iii) का कालम 9
	D - 212, 222,233, 234, 242, 262, 272,274,276 and 278 (OCVs)		As item 3 above	Col. 9 of 19 (a).03 (ii) + (iii) of Statement 19(a)
7.	घ - 200		उपर्युक्त मद 3 की भांति	उपर्युक्त मद 3 के अनुसार
	D - 200		As item 3 above	As per item 3 above

सारणी *(जारी)*/**Table***(Contd.)*

क्रम सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी किलोमीटर Train Km.	वाहन किलोमीटर Vehicle Km.
1	2	3	4	5
8.	घ – 310 से 370 तथा घ –300 D - 310 to 370 and D - 300		विवरण 17 की मद 17.05 जमा 17.07 (ग) का कालम 9 Col.9 of 17.05 plus 17.07 (c) of Statement 17	विवरण 19 (क) के 19 (क) .06 (ii) जमा 19(क).07(iii) का कालम 9 Col. 9 of 19 (a) .06 (ii) + 19 (a).07(iii) of Statement 19 (a)
9.	घ – 410 से 470 तथा घ – 400 D - 410 to 470 and D - 400	ई.एम.यू EMU	मद 2 के अनुसार As per item 2	मद 2 के अनुसार As per item 2
10.	घ – 500 D - 500	सभी कर्षण All tractions	मद 3 के अनुसार As per item 3	मद 3 के अनुसार As per item 3
11.	घ – 600 तथा घ–900 D - 600 and D-900		अपेक्षित नहीं Not required	अपेक्षित नहीं Not required
12.	सार – घ Abstract -D		उपर्युक्त मद 1+2 के अनुसार As per items 1 +2 above	उपर्युक्त मद 1+2 के अनुसार As per items 1 +2 above

..... रेलवे /Railway

विवरण–30
Statement-30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year
सार 'ङ' - मरम्मतें तथा अनुरक्षण - संयंत्र तथा उपस्कर
Abstract 'E' - Repairs and Maintenance - Plant and Equipment

लघु/उप/व्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ detailed heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत % of Working Expenses to gauge total	प्रति गाड़ी किलोमीटर Per Train Km.	प्रति समीकृत रेलपथ किलोमीटर Per ETKMs	प्रति इंजन किलोमीटर Per Engine Km.	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर Per 1000 GTKMs	प्रति 1000 वाहन किलोमीटर Per 1000 VKMs
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ङ–(110,120, 130)	**कार्यालयों में स्थापना (सिग. एवं दूर संचार विभाग)**							
E-(110, 120, 130)	**Establishment in offices (S & T Department)**							
	ङ–110– अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना (सिग. एवं दूर संचार विभाग)							
	E -110 - Officers and office establishment (S&T)							
	ङ–120– पर्यवेक्षी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी (सिग. एवं दूर संचार विभाग)							
	E -120- Supervisory and their office staff (S &T)							
	ङ–130– आनुषंगिक प्रभार (सिग. एंव दूर संचार विभाग)							
	E -130- Contingent Expenses (S&T)							
	कुल Total							
ङ–(140,150, 160)	**कार्यालयों में स्थापना (बिजली)**							
E -(140,150, 160)	**Establishment in offices (Electrical)**							
	ङ–140– अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना (बिजली)							
	E -140- Officers and office establishment (Electrical)							
	ङ–150– पर्यवेक्षी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी (बिजली)							
	E -150- Supervisory and their office staff (Electrical)							
	ङ–160– आनुषंगिक व्यय (बिजली)							
	E -160- Contingent Expenses (Electrical)							
	कुल Total							
	कुल ङ – 100 Total E - 100							

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ङ - 200	संयंत्र तथा उपस्कर - रेलपथ एवं निर्माण कार्य							
E - 200	Plant and Equipment, Permanent Way and Works.							
ङ- (311, 321, 351)	**लोको, संयंत्र तथा उपस्कर - शेडों तथा कारखानों में मरम्मतें - भाप कर्षण**							
E - (311, 321, 351)	**Loco, Plant and Equipment- repairs in sheds and workshops - Steam traction**							
	ङ - 311 - शेड में मरम्मतें							
	E - 311- Repairs in sheds							
	ङ - 321 - कारखाने में मरम्मतें							
	E -321- Repairs in Workshops							
	ङ - 351 - कारखाना मरम्मतें							
	E -351- Workshop repairs							
	कुल							
	Total							
ङ-(312,322,352)	**संयंत्र तथा उपस्कर (लोको) - डीजल कर्षण**							
E - (312,322,352)	**Plant and Equipment (Loco) - Diesel Traction**							
	ङ - 312 - शेड में मरम्मतें							
	E -312- Repairs in sheds							
	ङ - 322 - कारखाने में मरम्मतें							
	E -322- Repairs in Workshops							
	ङ - 352 - कारखाना मरम्मतें							
	E -352- Workshop repairs							
	कुल							
	Total							
ङ- (330,340, 354)	**संयंत्र तथा उपस्कर (यांत्रिक) - सवारी डिब्बे तथा मालडिब्बे**							
E - (330,340, 354)	**Plant and Equipment - (Mechanical)-Carriages and Wagons.**							
	ङ - 330 - सवारी डिब्बे तथा मालडिब्बे-साइड लाइन में मरम्मतें							
	E -330- Carriage and Wagon -Repairs in Side line.							
	ङ - 340 - सवारी डिब्बे तथा मालडिब्बे-कारखाने में मरम्मतें							
	E -340- Carriage and Wagon -Repairs in Workshops							
	ङ - 354 - सवारी डिब्बे तथा मालडिब्बे - कारखाना मशीनरी तथा औजार							
	E -354- Carriage and Wagon–Workshop Machinery and Tools							
	कुल							
	Total							
	कुल ङ - 300 - संयंत्र तथा उपस्कर (यांत्रिक)							
	Total E - 300 - P & E (Mechanical)							
ङ - 400	संयंत्र तथा उपस्कर (बिजली)							
E-400	Plant and Equipment (Electrical)							

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ङ -410 (400 में शामिल)	संयंत्र तथा उपस्कर (विद्युत कर्षण के लिए शिरोपरि उपस्कर							
E-410 (included in E-400)	Plant & Equipment (OHE for electrical traction)							
ङ - 500	संयंत्र तथा उपस्कर (सिगनल व्यवस्था)							
E-500	Plant and Equipment (Signalling)							
ङ - 600	संयंत्र तथा उपस्कर (दूर संचार)							
E-600	Plant and Equipment (Telecommunication)							
ङ -700	सिगनल तथा दूरसंचार परिपथों के लिए सिगनल एवं दूरसंचार को किराया							
E-700	Rental to S & T for Signalling and Telecommunication circuits.							
ङ-(810,820, 830)	**अन्य संयंत्र तथा उपस्कर - यातायात विभाग**							
E-(810, 820, 830)	**Other Plant and Equipment - Traffic Department**							
	ङ - 810 - उपस्कर							
	E - 810 - Equipment							
	ङ - 820 - सड़क वाहन - अनुषंगी उपस्कर							
	E - 820 - Road vehicles - Ancilliary equipment							
	ङ - 830 - अन्य मरम्मतें तथा विविध व्यय							
	E - 830 - Other repairs and miscellaneous expenses							
	कुल Total							
	कुल - ङ - 800 Total E - 800							
ङ-900	जमा अथवा वसूलियाँ							
E - 900	Credits or recoveries							
	कुल सार ङ Total Abstract E							

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'ङ' - संयंत्र तथा उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण

Statement 30 - Analysis of Working Expenses Abstract 'E' - Repairs and Maintenance - Plant and Equipment

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत संचालन व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 6 के तदनुरूपी आंकडों से मेल खाएंगे.

2. विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत संचालन व्यय नीचे दिए गए गाड़ी किलोमीटर से सहसंबद्ध होगे :-

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col.6 of Statement 7.

2. The expenses under various heads of account shall be correlated to Train Kms. as given below :-

क्र.सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी किलोमीटर Train Km.
(i)	ङ –311,321,351 E - 311, 321, 351	भाप Steam	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 3 Col. 3 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17.
(ii)	ङ – 312,322,352 E - 312, 322, 352	डीजल Diesel	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 6 Col. 6 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17.
(iii)	ङ– 300	सभी कर्षण	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03\ (क)}{3}$ और $\frac{33.10\ (क)}{3}$
	E - 300	All tractions	Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items $\frac{33.03\ (a)}{3}$ and $\frac{33.10\ (a)}{3}$ of Statement 33.
(iv)	ङ– 400	बिजली तथा ई एम यू	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 7 तथा 8 जमा विवरण 32 की मद 32.23 + 32.25
	E - 400	Electric and EMU	Cols. 7 and 8 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 plus items 32.23 + 32.25 of Statement 32.
(v)	ङ– 100, 200, 500, 600, 700, 800 E - 100, 200, 500, 600,700, 800	सभी कर्षण तथा ई एम यू All tractions and EMU	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 + 32.25 Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32
(vi)	कुल सार – ङ	सभी कर्षण तथा ई एम यू	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 + 32.25 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03\ (क)}{3}$ और $\frac{33.10\ (क)}{3}$
	Total Abstract E	All tractions and EMU	Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32 and items $\frac{33.03\ (a)}{3}$ and $\frac{33.10\ (a)}{3}$ of Statement 33.

3. ङ–200 के अन्तर्गत बुक किए गए खर्च विवरण 8 के कॉलम 20 में दिए गए समीकृत रेलपथ किलोमीटर से सहसंबद्ध होंगे.

3. The expenses booked under E - 200 shall be correlated to Equated Track Kms as given in Col. 20 of Statement 8.

4. संयंत्र तथा उपस्कर, रेल इंजनों तथा माल डिब्बों के विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत बुक किए गए व्यय अगले पृष्ठ पर दिए गए संबंधित निष्पादन यूनिट से सहसंबद्ध होंगे.

4. The expenses booked under various heads in Plant and Equipment, locomotives and carriages and wagons shall be correlated to concerned performance units as given over-leaf.

	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	इंजन किलोमीटर Engine Km.	1000 सकल टन कि.मी. 1000 GTKMs	1000 वा. कि.मी. 1000 VKMs
(i)	ङ - 311, 321, 351	भाप	विवरण 17 के 17.11 (ग) का कॉलम 3	विवरण 16 के 16.04 (i)+ (ii) का कॉलम 3	अपेक्षित नहीं
	E - 311, 321, 351	Steam	Col. 3 of 17.11 (c) of Statement 17	Col. 3 of 16.04 (i) + (ii) of Statement 16	Not required
(ii)	ङ - 312, 322, 352	डीजल	विवरण 17 के 17.11 (ग) का कॉलम 6	विवरण 16 के 16.04 (i)+ (ii) का कॉलम 6	अपेक्षित नहीं
	E - 312, 322, 352	Diesel	Col. 6 of 17.11 (c) of Statement 17	Col. 6 of 16.04 (i) + (ii) of Statement 16	Not required
(iii)	ङ- 330, 340, 354	सभी कर्षण	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं	विवरण 19(क) का 19(क).03(iv)+ 19(क).06(ii)+ 19(क).07(iv)का कालम 9
	E - 330,340, 354	All tractions	Not required	Not required	Col. 9 of 19(a).03(iv) +19(a).06(ii) +19(a).07(iv) of Statement 19(a).
(iv)	ङ- 400	बिजली तथा ई एम यू	विवरण 17 के 17.11(ग) का कॉलम 7 तथा विवरण 32 की मद 32.23+32.25	विवरण 16 के 16.04(i)+ (ii)का कॉलम 7 तथा विवरण 32 की मद 32.55	विवरण 19(क) के 19क .03(iv)+ 19(क) .06 (ii) +19 क .07(iv) के कालम 7 तथा 8 तथा विवरण 32 की मद [32.30 (ग)+32.31(ग)] x 2
	E - 400	Electric and EMU	Col. 7 of 17.11 (c) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32	Col. 7 of 16.04 (i)+(ii) of Statement 16 and item 32.55 of Statement 32.	Cols. 7 and 8 of 19 (a) .03 (iv) +19(a). 06(ii) +19(a).07 (iv) of Statement 19(a) and item [32.30 (c) + 32.31 (c)] x 2 of Statement 32

5. ङ - 900 के अन्तर्गत होने वाले व्यय को किसी भी निष्पादन गुणक के साथ नहीं जोड़े जाने चाहिए.

5. The expenses under E - 900 need not be related to any performance factor.

..... रेलवे /Railway

विवरण-30
Statement-30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year.....
सार 'च' - परिचालन व्यय - चल स्टॉक तथा उपस्कर
Abstract 'F' - Operating Expenses - Rolling Stock and Equipment

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ detailed heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत %age of working expenses to gauge total	प्रति गाड़ी किलोमीटर Per Train Kilometre
1	2	3	4	5
च-110	**भाप इंजन - रनिंग स्टाफ**			
F-110	**Steam locomotives - Running staff**			
	कुल च - 100			
	Total F - 100			
च-210	**डीजल इंजन - रनिंग स्टाफ**			
F-210	**Diesel locomotives - Running staff**			
	कुल च - 200			
	Total F - 200			
च-310	**बिजली इंजन - रनिंग स्टाफ**			
F-310	**Electric locomotives - Running staff**			
	कुल च - 300			
	Total F - 300			
च-410	**ई. एम. यू. गाडियां- रनिंग स्टाफ**			
F-410	**EMU Coaches - Running staff**			
	कुल च - 400			
	Total F - 400			
च-500	**सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे - अधीनस्थ तथा पर्यवेक्षण कर्मचारी और कार्यालय कर्मचारी**			
F- 500	**Carriages and Wagons - Subordinate & Supervisory staff and office staff**			
च-610	**कर्षण (चल स्टॉक के अतिरिक्त) तथा सामान्य बिजली सेवा - परिचालन कर्मचारी**			
F-610	**Traction (other than Rolling Stock) and General Electrical Services-Operating staff**			
	कुल च - 600			
	Total F - 600			
च-700	**सिगनल तथा दूर - संचार व्यवस्था**			
F-700	**Signalling and Telecommunication**			

विवरण–30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5
च – (810, 820,830)	**परिचालन व्यय – फैरी सेवाएं**			
F-(810, 820,830)	**Operating Expenses - Ferry Services**			
च–810	रनिंग कर्मचारी – फैरी सेवाएं			
F-810	Running staff - Ferry			
च–820	अन्य व्यय – फैरी सेवाएं			
F-820	Other Expenses - Ferry			
च–830	विविध व्यय			
F-830	Miscellaneous Expenses			
	कुल			
	Total			
च – (840, 850, 860)	**परिचालन व्यय – रेल कारें**			
F-(840, 850,860)	**Operating Expenses - Rail Cars**			
च–840	रनिंग कर्मचारी – रेल कारें			
F-840	Running staff - Rail Cars			
च–850	अन्य व्यय – रेल कारें			
F-850	Other expenses - Rail Cars			
च–860	विविध व्यय – रेल कारें			
F-860	Miscellaneous expenses -Rail Cars			
	कुल			
	Total			
	कुल च – 800			
	Total F - 800			
	कुल च – 900			
	Total F - 900			
	कुल सार च			
	Total Abstract F.			

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'च' – परिचालन व्यय – चल स्टॉक तथा उपस्कर

Statement -30 - Analysis of Working Expenses Abstract 'F' - Operating Expenses - Rolling Stock and Equipment

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार किया जायेगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 7 के तदनुरूपी आंकडों से मेल खाएगा.

2. विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत संचालन व्यय नीचे दिए गए गाड़ी किलोमीटर से सहसंबद्ध होगा :–

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col. 7 of Statement 7.

2. The expenses under various heads of accounts shall be correlated to Train Kms. as given below :-

क्रम सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी किलोमीटर Train Km.
(i)	च – 110,100 F – 110,100	भाप Steam	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 3 Col. 3 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17.
(ii)	च – 210,200 F – 210,200	डीजल Diesel	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 6 Col. 6 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17.
(iii)	च – 310,300 F – 310,300	बिजली Electric	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 7 तथा 8 Cols. 7 and 8 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17.
(iv)	च – 410,400 F – 410,400	ई एम यू EMU	विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 Items 32.23 and 32.25 of Statement 32
(v)	च – 500 F – 500	सभी कर्षण All tractions	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17.
(vi)	च – 610,600 F – 610,600	बिजली तथा ई एम यू Electric and EMU	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) के कॉलम 7 तथा 8 तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 Cols. 7 and 8 of of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32.
(vii)	च – 700 F – 700	सभी कर्षण तथा ई एम यू All tractions and EMU	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32.
(viii)	सार च Abstract F	सभी कर्षण तथा ई एम यू All tractions and EMU	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) के कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 जमा 32.25 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$ Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32 and items $\frac{33.03(a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33.

3. च – 800 तथा च – 900 के अन्तर्गत होने वाले व्यय को निष्पादन गुणक अर्थात् गाड़ी किलोमीटर से संबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है.

3. The expenses under F - 800 and F - 900 need not be related to performance factor, viz. Train Km.

..... रेलवे/Railway

विवरण-30
Statement-30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year.....
सार 'छ' - परिचालन व्यय - यातायात
Abstract 'G' - Operating Expenses - Traffic

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत %age of working expenses to gauge total	प्रति गाड़ी किलोमीटर Per Train Kilometre
1	2	3	4	5
छ - 110	**कार्यालयों में स्थापना - परिचालन**			
G - 110	**Establishment in offices - Operating**			
छ - 120	**कार्यालयों में स्थापना - वाणिज्य**			
G - 120	**Establishment in offices -Commercial**			
	कुल छ - 100			
	Total G - 100			
छ -(210 से 260)	**स्टेशन परिचालन से संबंधित कर्मचारी**			
G - (210 to 260)	**Staff dealing with station operations**			
	छ -210 - यातायात तथा संचलन निरीक्षक आदि			
	G - 210 – Traffic &Movement Inspectors etc.			
	छ -220 - यात्री स्टेशन कर्मचारी			
	G - 220 – Passenger Station Staff			
	छ -230 - माल स्टेशन कर्मचारी			
	G - 230 – Goods Station Staff			
	छ -240 - सामान तथा पार्सल स्टेशन कर्मचारी			
	G - 240 – Luggage & Parcel Station Staff			
	छ -250 - गाड़ी को पास करने वाले तथा नियंत्रण कर्मचारी			
	G - 250 – Train passing & Control Staff			
	छ -260 - संयुक्त कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारी			
	G - 260 – Other staff including joint staff.			
	कुल			
	Total			
छ - 270	**स्टेशन परिचालन - टिकटें**			
G - 270	**Station Operations - Tickets**			
	कुल छ -200			
	Total G - 200			
छ - 300	**यार्ड परिचालनों से संबंधित कर्मचारी**			
G - 300	**Staff dealing with Yard Operations**			
छ - 400	**यानान्तरण तथा रिपैकिंग परिचालनो से संबंधित कर्मचारी**			
G - 400	**Staff dealing with Transhipment & Repacking operations**			

विवरण-30 *(जारी)*/**Statement-30***(Contd.)*

1	2	3	4	5
छ - 500	**गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारी**			
G - 500	**Staff dealing with Train operations**			
छ - 600	**सुरक्षा**			
G - 600	**Safety**			
छ - 770	**भारतीय रेल वित्त निगम के अलावा अन्य को पट्टा प्रभारों का भुगतान**			
G - 770	**Payment of lease charges other than to IRFC**			
छ - 771	'अपने डिब्बे के मालिक बनो' योजना के अंतर्गत माल डिब्बा			
G - 771	Wagon under OYW Scheme			
छ - 772	डीजल इंजन			
G - 772	Diesel Locomotives			
छ - 773	बिजली इंजन			
G - 773	Electric Locomotives			
छ - 774	सवारी डिब्बे - यात्री वाहन			
G - 774	Carriages - Passenger Vehicles			
छ - 775	सवारी डिब्बों के अलावा अन्य कोचिंग वाहन			
G - 775	Carriages other then coaching vehicles			
छ - 776	ई एम यू			
G - 776	EMU Vehicles			
छ - 777	माल डिब्बे			
G - 777	Wagons			
छ - 778	रेलपथ मशीनें			
G - 778	Track machines			
छ - 780	**चल स्टॉक के लिए भारतीय रेल वित्त निगम को पट्टा प्रभार का भुगतान**			
G - 780	**Payment of lease charges to Indian Railway Finance Corporation for Rolling Stock**			
	कुल छ -700			
	Total G - 700			
छ - 900	जमा अथवा वसूलियां			
G - 900	Credits or recoveries			
	कुल सार छ			
	Total Abstract - G			

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार ' छ' – परिचालन व्यय – यातायात

Statement 30 - Analysis of Working Expenses Abstract 'G' - Operating Expenses - Traffic

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 8 के तदनुरूपी आंकडों से मेल खाता होगा.

2. विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत व्यय नीचे दिए गए गाड़ी किलोमीटर से सहसंबद्ध होगा :–

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col.8 of Statement 7.

2. The expenses under various heads of account shall be related to Train Kms. as given below :-

क्र.सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी किलोमीटर Train Km.
(i)	छ – 110,120,100	सभी सेवाएँ (ई एम यू सहित)	विवरण 17 के 17.06 और 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 और 32.25 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$
	G - 110, 120, 100	All Services (including EMU)	Col. 9 of 17.06 & 17.07 (d) of St. 17 and Items 32.23 & 32.25 of St. 32 and items $\frac{33.03(a)}{3}$ & $\frac{33.10(a)}{3}$ of St. 33.
(ii)	छ – 210,250,260,200,300,500,600 * 780 तथा 700	–– उपर्युक्त ––	–– उपर्युक्त ––
	G - 210,250,260,200,300,500,600 * 780 & 700	-- do --	-- do --
(iii)	छ – 220,240,270	यात्री सेवाऐं	विवरण 17 के 17.04 तथा 17.07 (क) व (ख) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$
	G - 220,240,270	Passenger Services	Col. 9 of 17.04 & 17.07 (a) & (b) of Statement 17 and items 32.23 & 32.25 of St. 32 and items $\frac{33.03(a)}{3}$ & $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33.
(iv)	छ – 230,400	माल सेवाऐं	विवरण 17 के 17.05 तथा 17.07 (ग) का कॉलम 9
	G - 230, 400	Goods Services	Col. 9 of 17.05 & 17.07 (c) of Statement 17
(v)	सार – छ	ई एम यू सहित सभी सेवाऐं	ऊपर दी गई मद 1 के अनुसार
	Abstract G	All Services including EMU	As in item 1 above

3. छ – 900 के अन्तर्गत होने वाले खर्च को निष्पादक गुणक अर्थात गाड़ी किलोमीटर से सहसंबद्ध करने की आवश्यकता नहीं हैं.

3. The expenditure under the head G - 900 need not be correlated to performance factor, viz. Train Km.

नोट :– *छ – 780 का ब्यौरा नीचे दिया गया है :		रकम	Note :- *Break up of G - 780 is as under :		Amount
छ – 781	डीजल इंजन	रु.	G - 781	Diesel Locomotives	Rs.
छ – 782	बिजली इंजन	रु.	G - 782	Electric Locomotives	Rs.
छ – 783	सवारी डिब्बे – यात्री वाहन	रु.	G - 783	Carriages-Passenger Vehicles	Rs.
छ – 784	सवारी डिब्बे – अन्य कोचिंग वाहन	रु.	G - 784	Carriages-Other CoachingVehicles	Rs.
छ – 785	ई. एम. यू. वाहन	रु.	G - 785	EMU Vehicles	Rs.
छ – 786	माल डिब्बे	रु.	G - 786	Wagons	Rs.
छ – 787	पटरी मशीन	रु.	G - 787	Track Machines	Rs.

विवरण-30
Statement -30

वर्षमे संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year.....
सार 'ज'- परिचालन व्यय-ईंधन
Abstract 'H' - Operating Expenses -Fuel

लघु/उप/ ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत %age of Working Expenses to gauge total	प्रति गाड़ी कि.मी. Per Train Km.	प्रति इंजन कि.मी. Per Engine Km.	प्रति 1000 सकल टन कि. मी. Per 1000 GTKMs
1	2	3	4	5	6	7
ज - 100	ईधन - भाप कर्षण					
H - 100	Fuel - Steam Traction					
ज - 200	ईधन - डीजल कर्षण					
H - 200	Fuel - Diesel Traction					
ज - 331	ईधन - इंजनों के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा					
H - 331	Fuel - Energy supplied for locos					
ज - 332	ईधन - ई एम यू के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा					
H - 332	Fuel - Energy supplied for EMUs					
ज - 333	ईधन - सिगनल व्यवस्था के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा					
H - 333	Fuel - Energy supplied for Signalling etc.					
	कुल ज - 300 Total H - 300					
ज - 900	जमा अथवा वसूलियाँ					
H - 900	Credits or recoveries					
	कुल सार -ज Total Abstract - H					

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण
सार 'ज' – परिचालन व्यय-ईंधन

Statement 30 - Analysis of Working Expenses
Abstract 'H' - Operating Expenses - Fuel

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत परिचालन व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 9 के तदनुरूपी आंकड़ों से मेल खाएगा.

2. विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत व्यय नीचे दिए गए विभिन्न निष्पादन कारकों से सहसम्बद्ध होंगें :-

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col. 9 of Statement 7.

2. The expenses under various heads of accounts shall be correlated to different performance factors as given below :-

क्र.सं. S. No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी कि. मी. Train Km.	इंजन कि. मी. Engine Km.	सकल टन कि. मी. GTKMs
(i)	ज – 100	भाप	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 3	विवरण 17 के 17.11 (ग) का कॉलम 3	विवरण 16 के 16.04 (i) तथा (ii) कॉलम 3
	H - 100	Steam	Col.3 of 17.06 & 17.07 (d) of St. 17	Col. 3 of 17.11(c) of St. 17	Col.3 of 16.04 (i) & (ii) of St. 16
(ii)	ज – 200	डीजल	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07(घ) का कॉलम 6 तथा विवरण 33 का $\frac{33.03(क)}{3} + \frac{33.10(क)}{3}$	विवरण 17 के 17.11 (ग) का कॉलम 6 तथा विवरण 33 की मद 33.03(क) + 33.10(क)	विवरण 16 के 16.04 (i) तथा (ii) कॉलम 6
	H - 200	Diesel	Col.6 of 17.06 & 17.07(d) of St. 17 and $\frac{33.03(a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33	Col. 6 of 17.11(c) of St. 17 & items 33.03 (a) and 33.10(a) of St. 33	Col.6 of 16.04 (i) & (ii) of St. 16
(iii)	ज – 331	बिजली	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 7 तथा 8 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$	विवरण 17 के 17.11 (ग) का कॉलम 7 तथा 8 तथा विवरण 33 की मद 33.03(क) और 33.10(क)	विवरण 16 के 16.04 (i) तथा (ii) के कॉलम 7 तथा 8
	H - 331	Electric	Cols.7 and 8 of 17.06 & 17.07 (d) of St.17 & items $\frac{33.03(a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of St. 33	Cols. 7 and 8 of 17.11(c) of St. 17 and items 33.03(a) & 33.10(a) of St. 33	Cols.7 and 8 of 16.04 (i) & (ii) of St. 16.

क्र.सं. S. No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी कि. मी. Train Km.	इंजन कि. मी. Engine Km.	सकल टन कि. मी. GTKMs
(iv)	ज - 332	ई एम यू	विवरण 32 की मद 32.23 + 32.25	विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25	विवरण 32 की मद 32.55
	H - 332	EMU	Items 32.23 +32.25 of St. 32	Items 32.23 +32.25 of St. 32	Item 32.55 of St. 32
(v)	ज - 333	सभी कर्षण (ई एम यू सहित)	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03\ (क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$	17.11 (ग)का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 तथा विवरण 33 की मद 33.03(क) और 33.10(क)	विवरण 16 के 16.04 (i) तथा (ii) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.55
	H - 333	All tractions (including EMU)	Col. 9 of 17.06 & 17.07 (d) of St.17 & items 32.23 and 32.25 of St. 32 and items $\frac{33.03(a)}{3}$ & $\frac{33.10(a)}{3}$ of St. 33	Col.9 of 17.11 (c) and items 32.23 & 32.25 of St. 32 and items 33.03(a) & 33.10(a) of St. 33	Col.9 of 16.04 (i) & (ii) of St. 16 and item 32.55 of St. 32
(vi)	ज - 300 तथा सार ज H - 300 & Abstract - H	उपर्युक्त --do--	उपर्युक्त --do--	उपर्युक्त --do--	उपर्युक्त --do--

3. ज - 900 के अंतर्गत व्यय को किसी भी निष्पादन गुणक के साथ सहसम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए.
The expenses under H - 900 need not be correlated to any performance factor.

विवरण-30
Statement-30

वर्षमे संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year.....
सार 'ञ'- कर्मचारी कल्याण तथा सुविधाएं
Abstract 'J' - Staff Welfare & Amenities

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत %age of Working Expenses to gauge total	प्रति गाड़ी कि.मी. Per Train Km.	प्रति मंजिल कुर्सी क्षेत्रफल का प्रति 100 वर्ग मीटर Per 100 sq.m. of plinth area per floor
1	2	3	4	5	6
ञ -100	शैक्षिक सुविधाऐं				
J - 100	Educational Facilities				
ञ -200	चिकित्सा सुविधाऐं				
J - 200	Medical Services				
ञ -300	स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं				
J - 300	Health and Welfare Services				
ञ -400	कैंटीन तथा अन्य कर्मचारी सुविधाऐं				
J - 400	Canteen and other Staff Amenities				
ञ -500	आवासीय और कल्याण इमारतों की मरम्मतें और अनुरक्षण				
J - 500	Repairs & Maintenance of Residential and Welfare Buildings				
ञ -600	विविध व्यय				
J - 600	Miscellaneous Expenses				
ञ -900	जमा अथवा वसूलियां				
J - 900	Credits or recoveries				
	कुल सार ञ				
	Total Abstract J				

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'ज'-कर्मचारी कल्याण तथा सुविधाऐं

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 10 के तदनुरूपी आंकडों से मेल खाएगा.

2. इस सार में ज – 600 तथा ज –900 के अतिरिक्त सभी शीर्ष गाड़ी किलोमीटर से सहसंबद्ध होगें, जो विवरण 17 की मद 17.06 तथा 17.07 (घ) के कॉलम 9 से तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 से तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$ से लिए जाएंगे.

3. शीर्ष ज – 500 के अंतर्गत व्यय आवास तथा कल्याण इमारतों के प्रति मंजिल कुर्सी क्षेत्रफल के प्रति 100 वर्ग मीटर से सहसम्बद्ध होगा. खुले छज्जों, आंगन के फर्शदार हिस्से या आंगन की दीवारों के कुर्सी क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाएगा. बहरहाल ऐसे छोड़ दिए गए क्षेत्र की मरम्मत तथा अनुरक्षण की लागत को कुल व्यय में से निकाला नहीं जाएगा.

4. शीर्ष ज –600 तथा ज –900 के अंतर्गत होने वाले व्यय को किसी भी निष्पादन गुणक से सहसम्बद्ध नहीं किया जाएगा.

Statement 30- Analysis of Working Expenses Abstract 'J' - Staff Welfare & Amenities

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figure of Col. 10 of Statement 7.

2. All the heads except J - 600 & J-900 in this abstract shall be correlated to Train KMs, which shall be taken from Col. 9 of items 17.06 & 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 and 32.25 of Statement 32 and items $\frac{33.03(a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33.

3. The expenses under the head J - 500 shall be correlated to 100 sq. metre of plinth area per floor of residential and welfare buildings. The plinth area of open terraces, paved portion of Court Yards or Court Yard walls shall be excluded. The cost of repairs & maintenance of such excluded area shall, however, not be excluded from the total expenses.

4. The expenses under the head J - 600 & J-900 shall not be correlated to any performance factor.

.....रेलवे/Railway

विवरण - 30

Statement -30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण

Analysis of Working Expenses for the year.....

सार 'ट'- विविध संचालन व्यय

Abstract 'K'- Miscellaneous Working Expenses

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत Percentage of Working Expenses to gauge total	प्रति गाड़ी कि.मी. Per Train Kilometre
1	2	3	4	5
ट-110,120	**सुरक्षा - रे.सु.ब. तथा रे.सु.वि.ब.**			
K-110, 120	**Security- R.P.F. and R.P.S.F.**			
	ट-110- रेलवे सुरक्षा बल			
	K - 110 - Railway Protection Force			
	ट-120- रेलवे सुरक्षा विशेष बल			
	K - 120 - Railway Protection Special Force			
	कुल Total			
	कुल ट-100-सुरक्षा Total K -100 - Security			
ट-230	**प्रतिपूरक माल**			
K-230	**Compensation Goods**			
	कुल ट - 200-प्रतिपूर्ति दावे Total K - 200 -Compensation Claims			
ट-300	**कर्मकारों के तथा अन्य प्रतिपूर्ति दावे**			
K-300	**Workmen's and other compensation claims**			
ट-400	**खानपान**			
K-400	**Catering**			
ट-500	**कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत**			
K-500	**Cost of training of staff**			
ट-600	**अन्य व्यय**			
K-600	**Other Expenses**			
ट-700	**आतिथ्य तथा मनोरंजन व्यय**			
K-700	**Hospitality and Entertainment Expenses**			
ट-900	जमा अथवा वसूलियां			
K-900	Credits or recoveries			
	कुल सार ट Total Abstract K			

विवरण 30–संचालन व्यय का विश्लेषण सार 'ट' – विविध संचालन व्यय

Statement 30-Analysis of Working Expenses Abstract 'K' - Miscellaneous Working Expenses

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 11 के तदनुरूपी आंकड़ों से मेल खाएगा.
2. विभिन्न लेखा शीर्षो के अन्तर्गत व्यय नीचे दिए गए गाड़ी किलोमीटर से सहसम्बद्ध होगा :–

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col.11 of Statement 7.
2. The expenses under various heads of accounts shall be correlated to Train Kms as given below :-

क्र.सं. S.No.	लेखा शीर्ष Head of Account	आधार Basis	गाड़ी किलोमीटर Train Km.
(i)	ट – 110, 120,100, 200, 300,500, 700	सभी सेवाऐं	विवरण 17 के 17.06 तथा 17.07 (घ) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 + 32.25 तथा विवरण 33 की $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$
	K - 110, 120,100, 200, 300, 500, 700	All Services	Col.9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 + 32.25 of Statement 32 and items $\frac{33.03 (a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33.
(ii)	ट – 230 K - 230	माल Goods	विवरण 17 के 17.05 तथा 17.07 (ग) का कॉलम 9 Col.9 of 17.05 and 17.07 (c) of Statement 17
(iii)	ट – 400	ई. एम. यू. सहित यात्री गाड़ियां	विवरण 17 के 17.04 तथा 17.07 (क+ख) का कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 + 32.25 तथा विवरण 33 की $\frac{33.03(क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$
	K - 400	Passenger including EMU	Col.9 of 17.04 and 17.07 (a+b) of Statement 17and items 32.23 + 32.25 of Statement 32 and items $\frac{33.03 (a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33.
(iv)	सार – ट Abstract - K	सभी सेवाऐं All Services	उपर्युक्त मद 1 की भांति As in item 1 above.

3. शीर्ष ट–600 तथा ट–900 के अन्तर्गत होने वाले व्यय को किसी भी निष्पादन गुणक से सहसम्बद्ध नही किए जाने चाहिए.

3. The expenses under the heads K - 600 and K-900 need not be correlated to any performance factor.

.....रेलवे/Railway

विवरण–30
Statement-30

वर्ष में संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year
सार 'ठ' – भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
Abstract 'L' - Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत Percentage of Working Expenses to gauge total	प्रति गाड़ी कि.मी. Per Train Kilometre
1	2	3	4	5

कुल सार ठ – भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
Total Abstract L - Provident Fund, Pension and other Retirement benefits.

विवरण 30 – संचालन व्यय का विश्लेषण
सार 'ठ' – भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 12 के तदनुरूपी आंकड़ों से मेल खाएगा.

2. सार ठ के अन्तर्गत व्यय, विवरण 17 की मद 17.06 तथा 17.07 (घ) के कॉलम 9, विवरण 32 की मद 32.23 और 32.25 तथा विवरण 33 की मद $\frac{33.03\ (क)}{3}$ और $\frac{33.10(क)}{3}$ से लिए गए गाड़ी किलोमीटर से सहसम्बद्ध होगा.

Statement 30 -Analysis of Working Expenses Abstract 'L' - Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col.12 of Statement 7.

2. The expenses under Abstract L shall be correlated to Train Kms. which shall be taken from Col.9 of 17.06 and 17.07(d) of Statement 17 and items 32.23 and 32.25 of Statement 32 and items $\frac{33.03(a)}{3}$ and $\frac{33.10(a)}{3}$ of Statement 33.

.....रेलवे/Railway

विवरण- 30

Statement - 30

वर्षमें संचालन व्यय का विश्लेषण
Analysis of Working Expenses for the year
सार 'ड' - अनुदानों में विनियोजन
Abstract 'M' - Appropriation to Funds

लघु/उप/ब्यौरेवार शीर्ष Minor/Sub/ Detailed Heads	ब्यौरा Description	रकम Amount	आमान के जोड़ से संचालन व्यय का प्रतिशत Percentage of Working Expenses to gauge total	प्रति गाड़ी कि.मी. Per Train Kilometre
1	2	3	4	5

ड - 100 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग

M - 100 Appropriation to Depreciation Reserve Fund.

ड - 200 पेंशन निधि में विनियोग

M - 200 Appropriation to Pension Fund.

कुल (ड - 100 + ड - 200)

Total (M - 100 + M - 200)

विवरण 30 - संचालन व्यय का विश्लेषण
सार 'ड' - अनुदानों में विनियोजन

अनुदेश

1. इस सार में प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विश्लेषण प्रोफार्मा में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार किया जाएगा. कुल संचालन व्यय विवरण 7 के कॉलम 13 के तदनुरूपी आंकड़ों से मेल खाएगा.

2. सार ड -100 तथा ड-200 के अंतर्गत संचालन व्यय तथा उनका जोड़ गाड़ी किलोमीटर से सहसम्बद्ध होगा, जो विवरण 17 की मद 17.06 तथा 17.07 (घ) के कॉलम 9 तथा विवरण 32 की मद 32.23 तथा 32.25 तथा विवरण 33 की मद 33.03 (क)/3 और 33.10(क)/3 से लिया जाएगा.

Statement 30-Analysis of Working Expenses
Abstract 'M' - Appropriation to Funds

Instructions

1. The expenses under each head of account in this abstract shall be analysed as per details specified in the Proforma. The total working expenses shall agree with the corresponding figures of Col. 13 of Statement 7.

2. The expenses under M - 100 and M-200 and their total shall be correlated to Train Kms. which shall be taken from Col. 9 of 17.06 and 17.07 (d) of Statement 17 and items 32.23 and 32.25 of Statement 32 and items 33.03(a)/3 and 33.10(a)/3 of Statement 33.

परिशिष्ट - I

संचालन व्यय को विभिन्न लाइनों अर्थात् बड़ी लाइन, मीटर लाइन तथा छोटी लाइन में वितरित करने के लिए अनुदेश

सामान्य

बोर्ड के दिनांक 29-9-1958 के पत्र सं. 57 ए सी - II/3/9 में समाविष्ट मौजूदा अनुदेशों के अनुसार जिनके पश्चात सांख्यिकी अनुदेशिका वाल्यूम - II, दूसरा संस्करण (अनंतिम अंक 1960) सं. 25 दिनांक 30-10-1963, में शुद्धियां की गई थीं, किसी आमान विशेष को सीधे आबंटित की जाने वाली व्यय की मदें अलग कर दी जाती हैं तथा उस आमान को आबंटित कर दी जाती है, तथा संयुक्त लागतें जो किसी आमान विशेष के लिए बुक नहीं की जा सकतीं, विभिन्न आमानों इत्यादि के लिए सीधे आबंटित किए जाने वाले कुल व्यय के अनुपात में विभाजित कर दी जाती है. 1-4-1979 से लागू संशोधित लेखा वर्गीकरण के परिणामस्वरूप, विभिन्न संशोधित सारों के अन्तर्गत प्रत्येक आमान द्वारा सीधे तथा संयुक्त व्यय की बुकिंग के लिए निम्नलिखित विस्तृत अनुदेश बोर्ड के दिनांक 5-5-1980 के पत्र सं. 80/सी ए (स्टैट) /एन सी/156 के अनुसार सर्व सम्बन्धित की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए जारी किए गये थे.

सार - ' क '

सामान्य अधीक्षण तथा सेवाऐं

1) **'क' - 500 (रेलपथ तथा निर्माण व्यवस्था)**

(i) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय कार्यालयों से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा उसे नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संबंधित रेलवे के प्रत्येक आमान पर संबंधित सारों (मुख्यालयों के भाग को छोड़कर) के अंतर्गत कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा :-

सार 'ख', ञ-500 (ञ - 580 को छोड़कर), ङ-200 तथा ङ- 910

(ii) इसी भांति, मंडलों अथवा अन्य लेखा यूनिटों से संबंधित व्यय को भी संयुंक्त व्यय समझा जाए तथा (i) में ऊपर उल्लिखित मंडलों अथवा अन्य लेखा इकाइयों से संबद्ध सार तथा लेखा शीर्षो के अन्तर्गत विभिन्न आमानों को सीधे आबंटित किए जाने वाले कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए.

2) **क - 611,612,613** चल स्टॉक प्रबंध-चालन शक्ति, ड्राइंग कार्यालय, योजना तथा उत्पादन सहित कारखाना शाखा के लिए

क - 621,622,623 चल स्टॉक प्रबंध-चालन शक्ति के लिए (लोको शाखा)

क - 630,644,645, 646,690 यांत्रिक परिचालन, अन्य तथा जमा अथवा वसूलियां

(i) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय कार्यालयों से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा संबंधित रेलवे के प्रत्येक आमान पर (मुख्यालयों के भाग के अतिरिक्त) निम्नलिखित लेखा शीर्षो के अंतर्गत कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा :-

Appendix - I

Instructions for distribution of Working Expenses over different gauges viz. Broad Gauge, Metre Gauge and Narrow Gauge.

General

According to the existing instructions contained in Board's letter No. 57 AC - II/3/9 dated 29-9-1958 followed by corrections to the Manual of Statistical Instructions - Vol-II, Second Edition (Provisional Issue 1960) No. 25 dated 30-10-1963, the items of expenses which are directly allocable to a particular gauge are segregated and allocated to that gauge, and the joint costs which cannot be booked to any particular gauge, are divided in the ratio of total expenses directly allocable to different gauges etc. Consequent upon the introduction of Revised Classification of Accounts with effect from 1-4-1979, the following detailed instructions for booking of direct and joint expenditure by each gauge under different revised Abstracts were issued for information and guidance of all concerned vide Board's letter No. 80/CA (Stat)/ NC/156 dated 5-5-1980.

Abstract - 'A'

General Superintendence and Services

1) **A - 500 (Way and Works Management)**

(i) The expenditure relating to Headquarter's offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure under concerned Abstracts (other than Headquarter's portion) on each gauge of the Railway concerned as detailed below :-

Abstract B, J - 500 (excluding J - 580), E -200 and E -910

(ii) Similarly, the expenditure relating to Divisions or other Accounting Units may also be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenses directly allocable to different gauges under the Abstract and Heads of Accounts as referred to at (i) above relating to the Division or other accounting units.

2) **A - 611, 612, 613.** Rolling Stock Management - For Motive Power, Workshop Branch including Drawing Office, Planning and Production.

A - 621, 622, 623. Rolling Stock Management - For Motive Power (Loco Branch).

A - 630, 644, 645, 646, 690. Mechanical Operating, others & Credits or Recoveries.

(i) The expenditure relating to Headquarter's Offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure under the following Heads of Accounts (other than Headquarter's portion) on each gauge of the Railway concerned :-

ग - 110,120,130
ग - 200,300,650
ग - 910 (ग - 917, ग-918 को छोड़कर)
ड. - 310, 320, 351, 352
ड. - 920
च - 100, 200, 910
ज - 100 (ज-117 को छोड़कर), ज-200 (ज-217 को छोड़कर)
ज - 920, 940

(ii) इसी भांति, मंडल तथा कारखाना अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते इत्यादि जहां संभव हो, सीधे संबंधित आमान को आबंटित किए जाएंगें . जिन मामलों में एक मंडल के अंतर्गत एक से अधिक आमान हैं, मंडल कार्यालय से संबद्ध व्यय को मंडल अथवा अन्य लेखा इकाइयों से संबद्ध उपर्युक्त (i) में विभिन्न लेखा शीर्षो के अंतर्गत सीधे आबंटित व्यय के आधार पर वितरित किया जाएगा.

3) **क - 614,615,616** (चल स्टॉक प्रबंध-सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों के लिए) (ड्राइंग कार्यालय, योजना तथा उत्पादन सहित कारखाना शाखा)

क - 624,625,626 (चल स्टॉक प्रबंध-चालन शक्ति के लिए) (सवारी डिब्बा तथा माल डिब्बा शाखा)

(i) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय कार्यालयों से संबद्ध व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा संबद्ध रेलवे के प्रत्येक आमान के लिए निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अंतर्गत (मुख्यालय के भाग को छोड़कर) कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा :-

ग - 610
घ - 110, 120, 130, 200, 300, 610, 910
ड. - 330, 340, 353, 354
च - 500, 840, 850, 860
ज - 117, 217

(ii) इसी भांति मंडल, कारखाना अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते इत्यादि यथासंभव संबंधित आमान को सीधे आबंटित किए जाएंगें . जिन मामलों में एक मंडल के अन्तर्गत एक से अधिक आमान हैं, मंडल कार्यालय में संबद्ध व्यय मंडल अथवा अन्य लेखा इकाइयों से संबद्ध उपर्युक्त (i) में उल्लिखित लेखा शीर्षो के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से आबंटित व्यय के आधार पर आबंटित किया जाएगा.

4) **क - 641- 643 (चल स्टॉक प्रबंध-फैरी सेवाएं)**

(i) इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय को उस आमान के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है, जिस के लिए सेवा संयोजन प्रदान किए गए है.

C - 110, 120,130
C - 200, 300, 650
C - 910 (excluding C - 917, C-918)
E - 310, 320, 351, 352
E - 920
F - 100, 200, 910.
H - 100 (excluding H - 117), H - 200 (excluding H - 217)
H - 920, 940.

(ii) Similarly, the pay and allowances etc. of the Divisional and Workshop Officers and their staff shall be allocated directly to the gauge concerned where possible. In cases where there are more than one gauge under a Division, the expenditure relating to the Divisional Office shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure under the Heads of Accounts as mentioned at (i) above relating to the Division or other accounting units.

3) **A - 614, 615, 616** (Rolling Stock Management -For Carriages and Wagons) (Workshop Branch including Drawing Office, Planning and Production)

A - 624, 625, 626 (Rolling Stock Management - For Motive Power) (Carriage and Wagon Branch)

(i) The expenditure relating to Headquarters' Offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure (other than Headquarters' portion) under the following Heads of Accounts for each gauge of the Railway concerned :-
C - 610
D - 110, 120, 130, 200, 300, 610, 910
E - 330, 340, 353, 354
F - 500, 840, 850, 860
H - 117, 217

(ii) Similarly, the pay and allowances etc. of the Divisional and Workshop Officers and their staff shall be allocated directly to the gauge concerned where possible. In cases where there are more than one gauge under a Division, the expenditure relating to the Divisional Office shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure under the Heads of Accounts as mentioned at (i) above relating to the Division or other accounting units.

4) **A - 641 - 643 (Rolling Stock Management - Ferry Services)**

(i) The expenditure under these heads can be easily linked with the gauge concerned for which service connections are provided.

(ii) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय कार्यालयों से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा संबंधित रेलवे के प्रत्येक आमान पर (मुख्यालयों के भाग के अतिरिक्त) निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा.

ग - 630, 640, 917, 918
च - 810, 820, 830

(iii) इसी भांति मंडल तथा कारखाना अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते इत्यादि का आबंटन यथासंभव संबद्ध आमान को सीधे आबंटित किया जाएगा. जिन मामलों में एक मंडल के अन्तर्गत एक से अधिक आमान हैं, मंडल कार्यालय से संबद्ध व्यय का वितरण मंडल अथवा अन्य लेखा इकाइयों से संबद्ध ऊपर (ii) में उल्लिखित लेखा शीर्षो के अन्तर्गत सीधे आबंटित व्यय के आधार पर किया जाएगा.

5) **क - 700 (बिजली प्रबंध)**

(i) प्रत्येक मुख्यालय कार्यालय से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा उसे संबंधित रेलवे के प्रत्येक आमान के निम्नलिखित लेखा शीर्षो के अंतर्गत (मुख्यालय के भाग के अतिरिक्त) कुल व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा.

ग - 140, 150, 160, 500, 670, 920
घ - 140, 150, 160, 400, 500, 620, 920
ङ - 140, 150, 160, 400, 930
च - 300, 400, 600, 920
ज - 300, 930
ञ - 580

(ii) इसी भांति, मंडल तथा कारखाना अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते इत्यादि का आबंटन यथासंभव सीधे आमान को ही किया जाएगा. जिन मामलों में एक प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत एक से अधिक आमान हैं, प्रशासनिक कार्यालय से संबंधित व्यय का विवरण उस यूनिट के ऊपर (i) में उल्लिखित लेखा शीर्षों के अंतर्गत सीधे आबंटित व्यय के आधार पर किया जाएगा.

6) **क - 800 (सिगनल तथा दूर संचार प्रबंध)**

(i) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय कार्यालय से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा उसे निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत (मुख्यालय के भाग को छोड़कर) प्रत्येक आमान के आबंटन के अनुसार कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा.

ङ - 110, 120, 130, 500, 600, 700, 940
च - 700

(ii) एक से अधिक आमान वाले मंडल कार्यालयों के व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा उपर्युक्त (i) में उल्लिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत सीधे आंबटित व्यय के आधार पर विभिन्न आमानों में विभाजित किया जाएगा.

(ii) The expenditure relating to Headquarter's Offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure under the following Heads of Accounts (other than Headquarter's portion) on each gauge of the Railway concerned :-
C - 630, 640, 917, 918
F - 810, 820, 830

(iii) Similarly, the pay and allowances etc. of the Divisional and Workshop Officers and their staff shall be allocated directly to the gauge concerned where possible. In cases where there are more than one gauge under a Division, the expenditure relating to Divisional Office shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure under the Heads of Accounts as mentioned at (ii) above relating to the Divisional or other Accounting Units.

5) **A - 700 (Electrical Management)**

(i) Expenditure relating to Headquarter's Offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure (other than Headquarter's portion) under the following Heads of Accounts of each gauge of the Railway concerned :-
C - 140, 150, 160, 500, 670, 920
D - 140, 150, 160, 400, 500, 620, 920
E - 140, 150, 160, 400, 930
F - 300, 400, 600, 920
H - 300, 930
J - 580

(ii) Similarly, the pay and allowances etc. of the Divisional and Workshop Officers and their staff shall be allocated directly to the gauge concerned where possible. In cases where there are more than one gauge under an Administrative Unit, the expenditure relating to the Administrative Office shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure under the Heads of Accounts as mentioned at (i) above of that Unit.

6) **A - 800 (Signal and Telecommunication Management).**

(i) The expenditure relating to Headquarter's Offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure (other than Headquarter's portion) as allocated to each gauge under the following Heads of Accounts :-
E - 110, 120, 130, 500, 600, 700, 940
F - 700

(ii) The expenditure in divisional offices which have more than one gauge shall be treated as joint expenditure and divided to different gauges on the basis of directly allocable expenditure under the Heads of Accounts as mentioned at (i) above.

7) **क - 900 (यातायात प्रबंध)**

(i) प्रत्येक रेलवे के मुख्यालय कार्यालयों से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा संबंधित रेलवे के प्रत्येक आमान पर निम्नलिखित लेखा शीर्षो के अन्तर्गत (मुख्यालय के भाग को छोड़कर) कुल व्यय के अनुपात में विभाजित किया जाएगा :-

ड. - 810, 820, 830, 950
छ - 100, 200, 300, 400, 500, 700, 910
ट - 200

(ii) इसी भांति एक से अधिक आमान वाले मंडलों अथवा अन्य लेखा इकाइयों से संबंधित व्यय को संयुक्त व्यय समझा जाएगा तथा संबंधित मंडलों के विभिन्न आमानों की सीधे आबंटित लेखा शीर्षो के अन्तर्गत उपर्युक्त (i) की भांति कुल व्यय के अनुपात में बांटा जाएगा.

7) **A - 900 (Traffic Management)**

(i) Expenditure relating to Headquarter's Offices of each Railway shall be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure (other than Headquarter's portion) under the following Heads of Accounts of each gauge of the Railway concerned :-
E - 810, 820, 830, 950
G - 100, 200, 300, 400, 500, 700, 910
K - 200.

(ii) Similarly, the expenditure relating to Division or other Accounting Units, which have more than one gauge shall also be treated as joint expenditure and divided in the ratio of total expenditure under the Heads of Accounts as mentioned at (i) above directly allocable to different gauges on the Divisions concerned.

सार - ' ख '
रेलपथ तथा निर्माण कार्यो की मरम्मतें तथा अनुरक्षण

इस शीर्ष के अन्तर्गत सभी व्ययों को संबंधित आमान को सीधे आबंटित किया जाएगा तथा जहाँ एक से अधिक आमानों में परिवर्तन लाना हो उन्हें प्रत्येक गौण लेखा शीर्ष के लिए इकाई विशेष के लिए उपयुक्त प्रतिशत के अनुसार आनुपातिक रूप से आबंटित किया जाएगा.
इस प्रयोजन के लिए एक अंतर्विभाजन को एक यूनिट माना जाएगा.

Abstract - ' B '
Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works

All expenses under this Head shall be directly allocated to gauge concerned and where the charges relate to more than one gauge, they shall be allocated proportionately for each Minor Head of Account on the percentage suitable to the particular unit. A sub-division may be adopted as a unit for this purpose.

सार - ' ग '
मोटिव पावर की मरम्मतें तथा अनुरक्षण

ग - 110, 120, 130	कार्यालयों में स्थापना - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना, पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय के कर्मचारी तथा आनुषंगिक तथा प्रयोगशाला व्यय (यांत्रिक) .
ग - 200, 300, 650	भाप इंजन, डीजल इंजन तथा अन्य विविध व्यय (फैरी सेवाओं सहित यांत्रिक विभाग)
ग - 910(ग-917, 918 को छोड़कर) ग-930	राजस्व निर्माण कार्यो (यांत्रिक विभाग) से भाप तथा डीजल कर्षणों के लिए जारी की गई सामग्री के लिए जमा.

चूंकि प्रत्येक आमान के चल स्टाक के लिए सामान्यत: अलग कारखाना तथा शेड उपलब्ध कराए जाते है, अत: संबंधित आमान के व्यय को अलग-अलग आमानों को सीधे आबंटित किया जाएगा. जिन मामलों में एक से अधिक आमानों के लिए कोई शेड/कारखाना संयुक्त रूप से कार्य कर रहे है, उन मामलों में प्रारंभिक चरण पर प्रत्येक आमान के चल स्टॉक की संख्या के आधार पर व्यय को एक उचित अनुपात में बांटा जाएगा तथा उसे तदनुसार लेखे में दर्ज किया जाएगा.

Abstract - ' C '
Repairs and Maintenance of Motive Power

C - 110, 120, 130	Establishment in Offices - Officers and office establishment, Supervisory staff and their office staff and contingent and laboratory expenses (Mechanical).
C - 200, 300, 650	Steam Locomotives, Diesel Locomotives and other miscellaneous expenses (Mechanical Department including Ferry Services).
C - 910 (excluding C - 917 & 918), 930	Credits for materials released from Revenue Works (Mechanical Department) for Steam and Diesel Traction.

Since generally separate workshops and sheds are provided for Rolling Stock of each gauge, the expenditure relating to the gauge concerned may be directly allocated to the respective gauges. In case there are any sheds/ workshops catering jointly for more than one gauge, the expenditure shall be divided in a suitable ratio, on the basis of number of Rolling Stock of each gauge allotted at the initial stage and recorded in accounts accordingly.

ग-610 रेल कारें

व्यय प्रत्येक आमान को सीधे आबंटित किया जाएगा लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामलों में उनकी लागत पिछले वर्ष में प्रत्येक आमान पर सेवा मे लगाए गए सवारी डिब्बों तथा वाहनों की औसत संख्या के आधार पर प्रत्येक आमान को आबंटित की जाएगी.

ग - 630, 640 फैरी स्टीमर, बजरे, छोटे जलयान तथा बंदरगाह.

ग - 917, 918 राजस्व निर्माण कार्यों (यांत्रिक विभाग) फैरी सेवाओं तथा अन्य से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा.

इसे संबंधित आमान के साथ सरलता से जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए सेवा संयोजन प्रदान किए गए है.

ग - 140,150,160 कार्यालयों मे स्थापना - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना, पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी तथा आनुषंगिक प्रभार (बिजली).

ग - 500,670,920 बिजली रेल इंजन, अन्य विविध व्यय (बिजली विभाग) तथा राजस्व निर्माण कार्यों (बिजली विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा.

व्यय सीधे प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामलों में उनकी लागत प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित उपयुक्त अनुपात में प्रत्येक आमान को आबंटित की जाएगी.

सार - 'घ'

सवारी डिब्बों तथा मालडिब्बों की मरम्मतें तथा अनुरक्षण

घ - 110, 120, 130 कार्यालयों में स्थापना - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना, पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय के कर्मचारी तथा आनुषंगिक प्रभार (यांत्रिक).

घ - 200, 300 सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे

घ - 610, 910 विविध व्यय (यांत्रिक विभाग), राजस्व निर्माण कार्यों (यांत्रिक विभाग) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा.

व्यय प्रत्येक आमान को सीधे आबंटित किया जाएगा लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामलों में उनकी लागत पिछले वर्ष में प्रत्येक आमान पर सेवा मे लगाए गए सवारी डिब्बों तथा वाहनों की औसत संख्या के आधार पर प्रत्येक आमान को आबंटित की जाएगी.

घ - 140,150,160 कार्यालयों मे स्थापना - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना, पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय कर्मचारी तथा आनुषंगिक प्रभार (बिजली).

C - 610 Rail Cars

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in the case of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge on the basis of average number of coaches and vehicles for respective gauges attended to in the preceding year.

C - 630, 640 Ferry Steamers, barges, minor crafts and harbours.

C - 917, 918 Credits for materials released from Revenue Works (Mechanical Department) Ferry Services and others.

This can be easily linked with the gauge concerned for which service connections are provided.

C - 140,150, 160 Establishment in Offices - Officers and Office Establishment, Supervisory staff and their office staff and contingent expenses (Electrical).

C - 500,670, 920 Electrical Locomotives, other miscellanous expenses (Electrical Department) and credits for materials released from Revenue Works (Electrical Department).

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge in a suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

Abstract - 'D'

Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons

D - 110, 120, 130 Establishment in Offices - Officers and office establishment, Supervisory staff and their office staff and contingent expenses (Mechanical).

D - 200, 300 Carriages and Wagons

D - 610, 910 Miscellaneous Expenses (Mechanical Department), Credits for materials released from Revenue Works (Mechanical Department).

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in case of joint staff working at a particular point their cost shall be allocated to each gauge on the basis of average number of coaches and vehicles for respective gauges attended to in the preceding year.

D - 140, 150, 160 Establisment in Offices - Officers and office establishment, Supervisory staff and their office staff and contingent expenses (Electrical).

घ - 400,500,620, 920 तथा 930 ई. एम. यू. गाड़ियां, बिजली सामान्य सेवाऐं गाड़ी में बिजली व्यवस्था, पंखे तथा वातानुकूलन, विविध व्यय (बिजली विभाग) राजस्व निर्माण कार्यो से जारी की गई सामग्री के लिए जमा (बिजली विभाग)

व्यय सीधा प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामलों में उनकी लागत का आबंटन प्रत्येक स्थल के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित उपयुक्त अनुपात में किया जाएगा.

सार - 'ड.'

मरम्मतें तथा अनुरक्षण - संयंत्र तथा उपस्कर

ङ - 200, 910 संयंत्र तथा उपस्कर-रेलपथ तथा निर्माण कार्य राजस्व निर्माण कार्यो (सिविल इंजीनियरी) से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा.

इन शीर्षो के अंतर्गत सभी व्ययों को संबंधित आमान को सीधे आबंटित किया जाएगा तथा जहां ये प्रभार एक से अधिक आमानों से संबंधित हो, वहां प्रत्येक लघु लेखा शीर्ष के लिए उसका आबंटन यूनिट विशेष के लिए उपयुक्त प्रतिशत के अनुसार समानुपातिक रूप से किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए एक अंतर्विभाजन को यूनिट के रूप में माना जाए.

ड. - 310,320,351, 352 तथा 360 संयंत्र उपस्कर - यांत्रिक लोको शेड(शेडों तथा कारखानों में मरम्मतें). मरम्मत लाइन संयंत्र तथा उपस्कर (कारखानों में मरम्मतें), कारखाना मशीनरी तथा औजार तथा अन्य मरम्मत संबंधी व्यय.

ङ - 920 राजस्व निर्माण कार्यो से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा (यांत्रिक विभाग)

चूंकि प्रत्येक आमान के चल स्टॉक के लिए सामान्यत: अलग कारखाना तथा शैड उपलब्ध कराए जाते है, अत: संबंधित आमान के व्यय को संबंधित आमानों को आबंटित किया जाएगा. यदि कोई शैड/कारखाना एक से अधिक आमानों को संयुक्त रूप से निपटा रहा है,तो व्यय को प्रत्येक आमान पर प्रारंभिक चरण पर आबंटित चल स्टॉक की संख्या के आधार पर उपयुक्त अनुपात में विभाजित किया जाएगा तथा तदनुसार लेखों में दर्ज किया जाएगा.

ङ - 330, 340, 353 तथा 354 मरम्मत लाइन संयंत्र तथा उपस्कर (मरम्मत लाइनों में मरम्मतें).

व्यय सीधा प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामलों में उनकी लागत का आबंटन प्रत्येक आमान पर पिछले वर्ष में सेवा में लगाए गए सवारी डिब्बों तथा वाहनों की औसत संख्या के आधार पर किया जाएगा.

D - 400, 500, 620,920 & 930 E.M.U. Coaches, Electrical General Services - Train Lighting, fans and Air-conditioning, Miscellaneous expenses (Electrical Deptt.),Credits for released materials from Revenue Works (Electrical Department)

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge in a suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

Abstract - 'E'

Repairs and Maintenance - Plant and Equipment

E - 200, 910 Plant and Equipment - permanent way and works, credits for materials released from Revenue Works (Civil Engineering).

All expenses under these heads shall be directly allocated to the gauge concerned and where the charges relate to more than one gauge, they should be allocated proportionately for each Minor Head of account on a percentage suitable to the particular unit. A sub-division may be adopted as a unit for this purpose.

E - 310, 320, 351, 352 and 360 Plant and Equipment - Mechanical Loco Sheds (Repairs in sheds and workshops) Sick Line Plant and Equipment (Repairs in Workshops), Workshop Machinery and Tools and Other Repairs Expenses.

E - 920 Credits for materials released from Revenue Works (Mechanical Department).

Since generally separate workshops and sheds are provided for rolling stock of each gauge, the expenditure relating to the gauge concerned shall be directly allocated to the respective gauges. In case, there are any sheds/workshops catering jointly for more than one gauge, the expenditure shall be divided in a suitable ratio, on the basis of the number of rolling stock of each gauge allotted at the initial stage and recorded in accounts accordingly.

E - 330, 340, 353 and 354 Sick Line Plant and Equipment (Repairs in sick lines).

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in the case of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge on the basis of average number of coaches and vehicles for respective gauges attended to in the preceding year.

ङ - 810, 820, 830	यातायात विभाग उपस्कर, सड़क वाहन तथा आनुषंगिक उपस्कर, अन्य मरम्मतें तथा विविध व्यय.
ङ - 950	राजस्व निर्माण कार्यों से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा (यातायात विभाग)

व्यय सीधा प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा. संयुक्त व्यय, यदि कोई हो, के मामले में इस व्यय को प्रत्येक लेखा यूनिट में विभिन्न आमानों से संबंधित सीधे आबंटित किए जाने वाले व्यय के आधार पर वितरित किया जाएगा.

ङ - 140, 150, 160	कार्यालयो में स्थापना - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना, पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय के कर्मचारी तथा आनुषंगिक व्यय (बिजली)
ङ - 400	संयंत्र तथा उपस्कर - बिजली
ङ - 930	राजस्व निर्माण कार्यों से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा (बिजली विभाग)

व्यय सीधा प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा. लेकिन किसी विशेष स्थल पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में उनकी लागत का आबंटन ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित उपयुक्त अनुपात में प्रत्येक आमान को किया जाएगा.

ङ - 110,120,130	कार्यालयों मे स्थापना - अधिकारी तथा कार्यालय स्थापना, पर्यवेक्षी कर्मचारी तथा उनके कार्यालय के कर्मचारी तथा आनुषंगिक व्यय (सि. एवं. दू. सं.)
ङ - 500,600,700	सिगनल व्यवस्था, दूर संचार, सिगनल व्यवस्था तथा दूर संचार परिपथों के लिए डाक एवं तार को किराया.
ङ - 940	राजस्व निर्माण कार्यों से निर्मुक्त सामग्री के लिए जमा (सि. एवं. दू. सं. विभाग)

व्यय सीधा प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा. लेकिन किसी विशेष स्थल पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में उनकी लागत का आबंटन ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित उपयुक्त अनुपात में प्रत्येक आमान को किया जाएगा.

E - 810,820, 830	Traffic Department Equipment, Road vehicles and Ancillary equipment, other repairs and miscellaneous expenses.
E - 950	Credits for materials released from Revenue Works (Traffic Department).

The expenditure shall be allocated directly to each gauge. In case of joint expenditure, if any, the same shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure relating to various gauges in each Accounting Unit.

E - 140,150, 160	Establishment in Offices - Officers and Office establishment, supervisory staff and their office staff and contingent expenses (Electrical)
E - 400	Plant and Equipment - Electrical
E - 930	Credits for materials released from Revenue Works (Electrical Department).

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point their cost shall be allocated to each gauge in the suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

E - 110, 120, 130	Establishment in Offices - Officers and Office Establishment, Supervisory staff and their office staff and contingent expenses (S &T).
E - 500,600, 700	Signalling & Telecommunication, Rental to P & T for Signalling and Telecommunication Circuits.
E - 940	Credits for materials released from Revenue Works (S & T Department)

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point their cost shall be allocated to each gauge in the suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

सार - 'च'
परिचालन व्यय - चल स्टॉक तथा उपस्कर

च - 700 सिगनल व्यवस्था तथा दूरसंचार

व्यय सीधा प्रत्येक आमान को आबंटित किया जाएगा. लेकिन किसी विशेष स्थल पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में उनकी लागत का आबंटन, ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त अनुपात में, प्रत्येक आमान को किया जाएगा.

च - 100, 200, 910 तथा 930 भाप इंजन, डीजल इंजन, गैर-सरकारी रेलों तथा अन्य निकायों से चल स्टॉक के किराए के लिए प्राप्ति.

चूंकि प्रत्येक आमान के चल स्टॉक के लिए सामान्यत: अलग कारखाना तथा शैड उपलब्ध कराए जाते है, अत: संबंधित आमान के व्यय को संबंधित आमान को आंबटित किया जाएगा. जिन मामलों में कोई शैड/कारखाने एक से अधिक आमानों के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहे है, वहाँ प्रत्येक आमान पर प्रारंभिक स्तर पर आबंटित चल-स्टॉक के आधार पर व्यय का आबंटन उचित अनुपात मे किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखे में दर्ज किया जाएगा.

च - 500, 840, 850, 860 सवारी डिब्बे तथा माल डिब्बे, रनिंग - कर्मचारी - रेल कारें, अन्य व्यय-रेल कारें, विविध व्यय - रेल कारें.

प्रत्येक आमान पर खर्च का सीधे आबंटन किया जाएगा पर किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में उनकी लागत का आबंटन पिछले वर्ष प्रत्येक आमान पर सेवा में लगाए गए सवारी डिब्बों तथा वाहनों की औसत संख्या के आधार पर प्रत्येक आमान को किया जाएगा.

च - 300, 400, 600,920 बिजली इंजन, ई.एम.यू. कर्षण (चल स्टॉक के अलावा) तथा सप्लाई की गई सामान्य बिजली ऊर्जा.

प्रत्येक आमान पर व्यय का सीधे आबंटन किया जाएगा. किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में उनकी लागत का आबंटन प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित उपयुक्त अनुपात में, प्रत्येक आमान को किया जाएगा.

च - 810, 820, 830 रनिंग कर्मचारी-फैरी सेवाएं,अन्य व्यय - फैरी सेवाएं तथा विविध व्यय-फैरी सेवाएं.

इसे उस आमान के साथ आसानी से संयोजित किया जा सकता है जिसके लिए सेवा संयोजन प्रदान किए गए है.

सार - 'छ'
परिचालन व्यय - यातायात

छ - 100 कार्यालयों में स्थापना
छ - 200 स्टेशन परिचालन
(291 तथा 293 को छोड़कर)
छ - 300 यार्ड परिचालन
छ - 400 यानान्तरण तथा पुन: पैकिंग परिचालन

Abstract - 'F'
Operating Expenses - Rolling Stock and Equipment

F - 700 Signalling and Telecommunication

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge in the suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

F - 100, 200, 910 and 930 Steam Locomotives, Diesel Locomotives and receipt from non-Government Railways and other bodies for hire of Rolling Stock.

Since generally separate workshops and sheds are provided for rolling stock of each gauge, the expenditure relating to the gauge concerned shall be allocated to the respective gauge. In case there are any sheds/workshops catering jointly for more than one gauge, the expenditure shall be divided in a suitable ratio, on the basis of the number of Rolling Stock of each gauge allotted at the initial stage and recorded in accounts accordingly.

F - 500, 840, 850 and 860 Carriages and Wagons, Running Staff-Rail Cars, Other Expenses - Rail Cars, Misc. Expenses - Rail Cars.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge on the basis of average number of coaches and vehicles for respective gauges attended to in the preceding year.

F - 300, 400, 600, 920 Electric Locomotives, Electric Multiple Unit Coaches, Traction (Other than Rolling Stock) and General electric energy supplied.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge in a suitable proportion to be fixed by the Railway administration for each such point.

F - 810, 820, 830 Running Staff-Ferry Services,Other Expenses - Ferry Services and Misc. Expenses - Ferry Services.

This can be easily linked with the gauge concerned for which service connections are provided.

Abstract - 'G'
Operating Expenses - Traffic

G - 100 Establishment in offices.
G - 200 Station Operations.
(excluding 291and 293)
G - 300 Yard Operations
G - 400 Transhipment and Repacking Operations.

छ	-	500	गाड़ी परिचालन
छ	-	700	अन्य विविध व्यय
छ	-	900	जमा अथवा वसूलियां

व्यय प्रत्येक आमान को सीधे आबंटित किए जाएंगे . संयुक्त व्यय यदि कोई है, के मामले में इस व्यय को प्रत्येक लेखा यूनिट में विभिन्न आमानों से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से आबंटित किए जाने वाले व्यय के आधार पर वितरित किया जाएगा.

सार - ' ज '

परिचालन व्यय - ईंधन

ज- 100 (ज - 117 को छोड़कर)	भाप कर्षण
ज- 200 (ज - 217 को छोड़कर)	डीजल कर्षण
ज- 900 (ज - 930 को छोड़कर)	जमा अथवा वसूलियां

सामान्यत: प्रत्येक आमान के चल स्टॉक के लिए अलग-अलग कारखाना तथा शेड उपलब्ध कराए जाते है, अत: संबंधित आमान का व्यय प्रत्येक आमान को अलग-अलग आबंटित किया जाएगा . यदि कोई शेड/कारखाना एक से अधिक आमानों के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है, तो व्यय को प्रारंभिक स्थिति में प्रत्येक आमान पर आबंटित चल स्टॉक की संख्या के आधार पर उपयुक्त अनुपात में विभाजित किया जाएगा तथा तदनुसार लेखों में दर्ज किया जाएगा.

ज- 217 डीजल से चलाई जाने वाली रेल कार.

प्रत्येक आमान के खर्च का आबंटन सीधे किया जाएगा. लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक आमान को उनकी लागत का आबंटन पिछले वर्ष में प्रत्येक आमान पर सेवा में लगाए गए सवारी डिब्बों तथा वाहनों की औसत संख्या के आधार पर किया जाएगा.

टिप्पणी : भाप से चलने वाली रेल कारें न होने के कारण, ज - 117 के अन्तर्गत कोई खर्च नहीं होगा.

ज- 300, 930 बिजली कर्षण और अन्य रेलों को सप्लाई की गई बिजली ऊर्जा तथा कर्षण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए जमा.

प्रत्येक आमान को खर्च का आबंटन सीधे किया जाएगा. लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक आमान को उनकी लागत का आबंटन ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले उपयुक्त अनुपात में किया जाएगा.

G - 500	Train Operations.
G - 700	Other Miscellaneous Expenses
G - 900	Credits or recoveries.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge. In case of joint expenditure, if any, the same shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure relating to various gauges in each Accounting Unit.

Abstract - ' H'

Operating Expenses - Fuel

H - 100 (excluding H - 117)	Steam Traction
H - 200 (excluding H - 217)	Diesel Traction
H - 900 (except H - 930)	Credits or recoveries

Since generally separate workshops and sheds are provided for rolling stock of each gauge, the expenditure relating to the gauge concerned shall be directly allocated to the respective gauges. In case there are any sheds/ workshops catering jointly for more than one gauge, the expenditure shall be divided in a suitable ratio, on the basis of the number of Rolling Stock of each gauge allotted at the initial stage and recorded in accounts accordingly.

H - 217 Diesel propelled rail car.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in the case of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge on the basis of average number of coaches and vehicles for respective gauges attended to in the preceding year.

Note : As there are no steam propelled rail cars, there shall be no expenditure under H - 117.

H - 300, 930 Electric Traction and credits for electrical energy supplied to other Railways and for purposes other than traction.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge in a suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

सार - ' ज'

कर्मचारी कल्याण तथा सुविधाऐं

ज - 500 (ज-580 को छोड़कर)	आवासीय तथा कल्याण इमारतें - मरम्मतें तथा अनुरक्षण (पॉवर तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा को छोड़कर)

इन शीर्षो के अन्तर्गत सारे व्यय को संबंधित आमान को सीधे आबंटित किया जाएगा तथा जहाँ प्रभार एक से अधिक आमानों से संबंधित है वहाँ उनका आबंटन किसी विशेष यूनिट के लिए उपयुक्त प्रतिशत के अनुसार लघु लेखा-शीर्ष के लिए आनुपातिक रूप से किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए एक उप-मंडल को इकाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है.

ज-580	पॉवर तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की आपूर्ति

प्रत्येक आमान को व्यय का सीधे आबंटन किया जाएगा लेकिन किसी विशेष स्थान पर कार्यरत संयुक्त कर्मचारियों के मामलों में प्रत्येक आमान को उनकी लागत का आबंटन प्रत्येक स्थान के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त अनुपात में किया जाएगा.

सार - ' ट'

ट - 200 (ट-250 को छोड़कर)	प्रतिपूर्ति दावे

प्रत्येक आमान को व्यय का आबंटन सीधे किया जाएगा. संयुक्त व्यय होने पर, उसका वितरण प्रत्येक लेखा यूनिट में विभिन्न आमानों से संबंधित सीधे आबंटन किए जाने वाले व्यय के आधार पर किया जाएगा.

ऊपरी खर्च

क - 100 से 400	सामान्य प्रबंध सेवाओं, वित्तीय प्रबंध, कार्मिक प्रबंध, सामग्री प्रबंध सहित सामान्य प्रबन्ध.
क - 670	चल स्टॉक प्रबंध के विविध व्यय
ङ- 840, 850, 960, 970	सामान्य विभाग-स्टाफ कारें, अन्य उपस्कर तथा विविध व्यय. राजस्व निर्माण कार्यो (सामान्य विभाग) से जारी की गई सामग्री के लिए जमा तथा रेलवे कोयला सहित रेलवे सामग्री के लिए मालभाड़ा प्रभारों के लिए जमा का हिस्सा.
छ- 600, 291,293	संरक्षा तथा अन्य व्यय.
ज- (ज-500 को छोड़कर)	कर्मचारी कल्याण तथा सुख-सुविधाएं.
ट- (ट-200 को छोड़कर)	विविध संचालन व्यय.

Abstract - ' J '

Staff Welfare and Amenities

J - 500 (excluding J-580)	Residential and Welfare Buildings-Repairs and Maintenance (except supply of energy for power and lighting).

All expenses under these heads shall be directly allocated to gauges concerned and where the charges relate to more than one gauge, these shall be allocated proportionately for each Minor Head of account on a percentage suitable to the particular unit. A sub-division may be adopted as a unit for this purpose.

J - 580	Supply of Energy for power and lighting

The expenditure shall be allocated directly to each gauge but in cases of joint staff working at a particular point, their cost shall be allocated to each gauge in a suitable proportion to be fixed by the Railway Administration for each such point.

Abstract - ' K '

K - 200 (excluding K-250)	Compensation Claims.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge. In cases of joint expenditure, if any, the same shall be distributed on the basis of directly allocable expenditure relating to various gauges in each accounting unit.

Overheads

A -100 to 400	General Management including General Management Services Financial Management, Personnel Management, Materials Management.
A - 670	Miscellaneous Expenses of Rolling Stock Management.
E - 840, 850, 960, 970	General Department-Staff cars & other equipments and miscellaneous expenses. Credits for materials released from Revenue Works (General Deptt.) and share of credits for freight charges on Railway Material including Railway coal.
G - 600, 291, 293	Safety and other expenses.
J - (excluding J-500)	Staff Welfare and amenities.
K - (excluding K-200)	Miscellaneous Working Expenses.

ठ - 700, 800, 920, 990 उपदान तथा भविष्य निधि में विशेष अंशदान, भविष्य निधि मे अंशदान, जमा अथवा वसूलियां - भविष्य निधि तथा अन्य .

ड- 200 पेंशन निधि में विनियोजन.

जहाँ एक आमान के लिए एक लेखा यूनिट काम कर रही है, उनमें व्यय का आबंटन सीधे प्रत्येक आमान को किया जाएगा. अन्य मामलों में, उपर्युक्त शीर्षो के अन्तर्गत व्यय का विभाजन, प्रत्येक लेखा यूनिट के लिए निम्नलिखित सारों के अन्तर्गत प्रत्येक आमान को आबंटित व्यय के अनुपात में किया जाएगा:-

क (क -100 से 400 तथा क - 670 को छोड़कर) ख, ग, घ
ङ (ङ -840, 850, 960 तथा 970 को छोड़कर)
छ (छ -600, 291 तथा 293 को छोड़कर), ज, ञ - 500 तथा ट - 200

सार - ' ड '

ड - 100 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोजन

सार ख, ग, घ, ङ एवं ञ - 500 के अन्तर्गत 'मूल्यह्रास आरक्षित निधि को विनियोजन' से संबंधित व्ययों को वार्षिक लेखों के समाप्त किए जाने के पश्चात् संबंधित वर्ष के दौरान संबंधित सार के लिए प्रत्येक आमान से जुड़े कार्य पर 'मूल्यह्रास आरक्षित निधि' में से किए गए वास्तविक व्यय के अनुपात में विभिन्न आमानों को आबंटित किया जाएगा.

L - 700,800, 920, 990 Gratuities and special contribution to Provident Fund, contributions to provident fund, credits or recoveries, P.F. and others.

M - 200 Appropriation to Pension Fund.

The expenditure shall be allocated directly to each gauge where an accounting unit is working for a single gauge. In other cases, the expenditure under above Heads shall be divided in the ratio of expenditure allocated to each gauge under the following Abstracts for each accounting unit :-

A (excluding A- 100 to 400 and A-670), B,C,D
E (excluding E- 840, 850, 960 and 970)
G (excluding G- 600, 291 and 293), H, J - 500 and K - 200

Abstract - ' M '

M - 100 Appropriation to Depreciation Reserve Fund.

The expenses regarding 'Appropriation to Depreciation Reserve Fund' under Abstracts B,C,D,E & J - 500 shall be allocated to different gauges in the ratio of expenditure actually incurred from 'Depreciation Reserve Fund' on works relating to each gauge for the respective Abstracts during the year concerned after the annual accounts are closed.

.....रेलवे/Railway

विवरण -31
Statement -31

वर्ष के लिए तेल की खपत
Oil Consumption for the year.....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन
Broad Gauge/Metre Gauge/Narrow Gauge

मद Item	ब्यौरा Description	भाप Steam	डीजल/Diesel			बिजली/ Electric		सभी कर्षण का योग Total all Tractions
			बिजली Electric	हाइड्रोलिक और यांत्रिक Hyd. & Mech.	कुल Total	ए.सी. AC	डी.सी. DC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इंजनों में इस्तेमाल होने वाला चिकनाई तेल

Lubricating oil used on engines

31.01 कुल लिटर :
Total litres :
(क) सवारी एवं कुल मिली-जुली
(a) Passenger and total mixed
(ख) माल
(b) Goods
(ग) विभागीय
(c) Departmental
(घ) सभी सेवाएं जिनमें शंटिंग, साइडिंग एवं विभागीय सेवाएं शामिल हों
(d) All services including shunting, siding and departmental

31.02 प्रति 100 इंजन किलोमीटर लिटर :
Litres per 100 engine kilometres :
(क) सवारी एवं कुल मिली-जुली
(a) Passenger and total mixed
(ख) माल
(b) Goods
(ग) विभागीय
(c) Departmental
(घ) सभी सेवाएं जिनमें शंटिंग, साइडिंग एवं विभागीय सेवाएं शामिल हों
(d) All services including shunting, siding and departmental

कोचिंग माल एवं विभागीय वाहनों के इस्तेमाल होने वाला चिकनाई तेल
Lubricating oil used on coaching, goods and departmental vehicles

31.03 कुल लिटर
Total litres

31.04 प्रति 1000 वाहन किलोमीटर लिटर (कोंचिग, माल एवं विभागीय वाहन) चौपहियों में
Litres per 1000 Vehicle kilometres (Coaching, Goods and departmental vehicles) in terms of 4 wheelers.

इस विवरण में, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

विवरण 31–वर्षके लिए तेल की खपत

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष के 15 मई तक पहुँच जाए.

2. सभी मदों के लिए आंकड़े लाइनों द्वारा दिए जाएंगे सिवाय मद 31.01(क) एवं 31.02(क) एवं (ख) छोटी लाइन के लिए संयुक्त आंकड़े दिए जाएंगे.

3. सभी परिणाम दशमलव के ठीक एक स्थान तक निकाले जाएंगे, लेकिन जो दस से कम हैं, उन्हें दशमलव के ठीक दो स्थान तक निकाला जाएगा.

4. विविध प्रकार के रेल इंजनो के लिए आंकड़े अलग से विभिन्न वाहकों में निम्न प्रकार से दर्शाए जाएंगे —

भाप	डीजल			बिजली		कुल
	बिजली	हाइड्रॉलिक तथा यांत्रिक	कुल डीजल	ए.सी.	डी.सी.	

5. मद 31.03 एवं 31.04 के आंकड़े केवल ''सभी कर्षण'' के अंतर्गत दर्शाए जाएंगे.

6. इस विवरण के विविध मदों के आंकड़े, मासिक विवरण 5–ख के तदनुरूपी मदों के लिए वार्षिक आंकड़े होंगे, जैसा कि नीचे कालम 2 में दर्शाया गया है —

Statement 31– Oil Consumption for the Year

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.

2. The figures shall be furnished by gauges for all the items except for items 31.01(a), 31.02(a) & (b) in case of Narrow Gauge, for which combined figures shall be given.

3. All results shall be worked out correct to one place of decimal, but those which are less than ten shall be worked out to two places of decimal.

4. The figures for the various types of locomotives shall be shown separately in different columns as follows —

Steam	Diesel			Electric		Total all
	Electric	Hydraulic & Mechanical	Total	AC.	DC.	traction

5. Figures for items 31.03 and 31.04 shall be shown under 'All tractions' only.

6. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures for the corresponding items of the Monthly Statement 5-B, as shown in Column 2 below –

इस विवरण की मद Item in this statement	मासिक विवरण की तदनुरूपी मद Corresponding item in the Monthly Statement		वार्षिक औसत के संकलन का आधार Basis for compilation of annual averages
1	2		3
31.01(क) 31.01(a)	विवरण 5–ख का 1.01 1.01 of Statement 5-B	छोटी लाइन के लिए संयुक्त	
31.01(ख) 31.01(b)	विवरण 5–ख का 1.03 1.03 of Statement 5-B	Combined for Narrow Gauge	
31.01(ग) 31.01(c)	विवरण 5–ख का 1.05 1.05 of Statement 5-B		
31.01(घ) 31.01(d)	विवरण 5–ख का 1.07 1.07 of Statement 5-B		
31.02(क)	विवरण 5–ख का 1.02	छोटी लाइन* के लिए संयुक्त	31.01(क) × 100* मद 17.01 + 17.03(ग)+ 17.08(ख) + 17.09(घ) तथा वार्षिक विवरण 17 (इकाई में) शामिल मद 17.08(ङ) एवं 17.09(ङ से छ) का मिली–जुली का माल भाग।
31.02(a)	1.02 of Statement 5-B	Combined* for Narrow Gauge	31.01(a) × 100* Items 17.01+17.03(c)+17.08(b)+17.09(d) and goods proportion of mixed included in items 17.08(e) and 17.09(e to g) of Annual St. 17 (In units).

31.02(ख)	विवरण 5-ख का 1.04	छोटी लाइन* के लिए संयुक्त	$\frac{31.01(ख) \times 100}{\text{वार्षिक विवरण 17 (इकाई में) का मिली-जुली का माल भाग को छोड़कर एवं मद 17.02 +17.08(ङ) + 17.09(ङ से छ)}}$
31.02(b)	1.04 of Statement 5-B	Combined* for Narrow Gauge	$\frac{31.01(b) \times 100}{\text{Items 17.02+17.08(e)+17.09(e to g) excluding goods proportion of mixed of Annual St. 17 (In units).}}$
31.02(ग)	विवरण 5-ख का 1.06		$\frac{31.01(ग) \times 100}{\text{वार्षिक विवरण 17 (इकाई में) का मद 17.10 (क+ख(i)+घ)}}$
31.02(c)	1.06 of Statement 5-B		$\frac{31.01(c) \times 100}{\text{Items 17.10(a+b(i)+d) of Annual St. 17 (In units)}}$
31.02(घ)	विवरण 5-ख का 1.08		$\frac{31.01(घ) \times 100}{\text{वार्षिक विवरण 17 (इकाई में) का मद 17.11(ग)}}$
31.02(d)	1.08 of Statement 5-B		$\frac{31.01(d) \times 100}{\text{Items 17.11(c) of Annual St. 17 (In units)}}$
31.03	विवरण 5-ख का 2.01		
31.03	2.01of Statement 5-B		
31.04	विवरण 5-ख का 2.02@		$\frac{31.03 \times 100@}{\text{मद 19(क).03(iv) + 19(क).06(ii)+19(क).07(iv)+ वार्षिक विवरण 19(क) का 19(क).08(iv)}}$
31.04	2.02of Statement 5-B@		$\frac{31.03 \times 100@}{\text{Items 19(a).03 (iv) + 19(a).06(ii) + 19(a).07(iv) + 19(a).08(iv) of Annual Statement 19(a)}}$

*छोटी लाइन के लिए $= \frac{31.01(क) + 31.01(ख) \times 100}{\text{मद 17.06 + 17.08 (ख+ग) का वार्षिक विवरण (इकाई में) का मद 17.09 (घ + ङ + च + छ)}}$

*For N.G. $= \frac{31.01(a) + 31.01(b) \times 100}{\text{Items 17.06 + 17.08(b+c) + 17.09(d+e+f+g) of Annual Statement 17 (In units)}}$

@छोटी लाइन के लिए $= \frac{31.03}{\text{मद 19(क).03(iv) + 19(क).04(ii) + 19(क).05(ii) + 19(क).07(iv) + वार्षिक विवरण 19 (क) का 19 (क).08(iv)}}$

@For N.G. $= \frac{31.03}{\text{Items 19(a).03(iv) + 19(a).04(ii) + 19(a).05(ii) + 19(a).07(iv) + 19(a).08(iv) of Annual Statement 19 (a)}}$

7. इस विवरण के आंकड़ों तथा संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरण 5-ख के तदनुरूपी संचयी आंकड़ों के बीच यदि अंतर हो तो उसकी अलग ज्ञापन द्वारा उचित रूप से व्याख्या की जाए.

8. किसी भी मद को निकालने के लिए जहां कोई विशेष अनुदेश नहीं हों वहां साख्यिकी अनुदेशिका वाल्यूम-I में तदनुरूपी मदों के लिए दिए गए संबंधित अनुदेशों का पालन किया जाए.

7. Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in the Monthly Statement 5-B for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

8. Where no special instructions are given for working out any of the Item, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements, as given in the Manual of Statistical Instructions, Volume-I, shall be followed.

अनुबंध/ANNEXURE

.....रेलवे/Railway

विवरण 31 के परिणाम निकालने के लिए प्रयोग की गई मूल इकाइयां
Fundamental Units used in working out the results of Statement 31

@

31.02(क) खपत किए गए लिटर × 100 / इंजन किलोमीटर (यात्री एवं कुल मिली-जुली)

31.02(a) Litres consumed × 100 / Engine kilometres (Passenger and total mixed)

31.02(ख) खपत किए गए लिटर × 100 / इंजन किलोमीटर (माल)

31.02(b) Litres consumed × 100 / Engine kilometres (Goods)

31.02(ग) खपत किए गए लिटर × 100 / इंजन किलोमीटर (विभागीय)

31.02(c) Litres consumed × 100 / Engine kilometres (Departmental)

31.02(घ) खपत किए गए लिटर × 100 / इंजन किलोमीटर (सभी सेवाएं जिनमें शंटिंग, साइडिंग तथा विभागीय सेवाएं शामिल हों)

31.02(d) Litres consumed × 100 / Engine kilometres (All services including shunting, siding and departmental)

31.04 खपत किए गए लिटर × 1000 / वाहन किलोमीटर (कोचिंग, माल एवं विभागीय सेवाएं)

31.04 Litres consumed × 1000 / Vehicle kilometres (Coaching, goods and departmental services)

@टिप्पणी: छोटी लाइन के लिए, मद 31.02(क) एवं (ख) के संयुक्त आंकड़े दिए जाएं।
@Note: In case of Narrow Gauge, combined figures of items 31.02(a) and (b) shall be given.

यात्री, माल तथा मिली-जुली सेवाओं में खपत किए गए लिटर × 100 / इंजन किलोमीटर (यात्री, माल तथा मिली-जुली सेवाएं)

Litres consumed on passenger mixed and goods services × 100 / Engine kilometres (Passenger, mixed and goods services)

.....रेलवे/Railway

विवरण -32
Statement -32

वर्ष के लिए विद्युत बहु इकाई (ईएमयू), उपनगरीय एवं मेन लाइन विद्युत बहु इकाई (एमईएमयू), डीज़ल हाइड्रॉलिक बहु इकाई (डीएचएमयू) एवं डीज़ल विद्युत बहु इकाई (डीईएमयू) के संबंध में अनुपनगरीय आंकड़े

ब.ला./मी.ला.

Electric Multiple Unit (EMU), Suburban and Main Line Electric Multiple Unit (MEMU), Diesel Hydraulic Multiple Unit (DHMU) & Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) Non-Suburban Statistics for the year.....

B.G./M.G.

मद Item	ब्यौरा Description	चालू वर्ष/Current Year				पिछला वर्ष/ Last Year			
		संख्या/राशि Number/Amount				संख्या/राशि Number/Amount			
		उपनगरीय Suburban	अनुपनगरीय Non-Suburban			उपनगरीय Suburban	अनुपनगरीय Non-Suburban		
		ईएमयू EMU	एमईएमयू MEMU	डीएचएमयू DHMU	डीईएमयू DEMU	ईएमयू EMU	एमईएमयू MEMU	डीएचएमयू DHMU	डीईएमयू DEMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31 मार्च तक के वास्तविक आंकड़े
Physical Statistics as on 31st, March

खुलने की तारीख
Date of Opening

32.01 ई एम यू एवं एम ई एम यू के लिए विद्युतीकृत सेक्शन और डी एच एम यू एवं डी ई एम यू गाड़ियों के लिए गैर-विद्युतीकृत के अंतर्गत आने वाले सेक्शन
Section electrified for EMU & MEMU and section covered under non-electrified for DHMU & DEMU trains.

32.02 मार्ग किलोमीटरेज
Route kilometrage

32.03 रेलपथ किलोमीटरेज (साइडिंगों को छोड़कर)
Track kilometrage (excluding sidings)

32.04 31 मार्च को मौजूद सब-पॉवर स्टेशनों की संख्या
No. of sub-power stations on 31st March

32.05 31 मार्च को मौजूद रेलवे स्टेशनों की संख्या
No. of railway stations on 31st March

32.06 31 मार्च को मौजूद संप्रेषण तार की किलोमीटरेज
Kilometrage of transmission cable on 31st March

चल स्टॉक
Rolling Stock
औसत अधिकृत स्टॉक (यूनिटों में)
Average authorised stock (in units)

32.07 मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
Motor coaches/Driving power cars

32.08 ट्रेलर सवारी डिब्बे
Trailer coaches

विवरण -32 *(जारी)*
Statement -32*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

लाइन पर मौजूद औसत संख्या (यूनिटों में)
Average number on the line (in units)

32.09 मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
Motor coaches/Driving power cars

32.10 ट्रेलर सवारी डिब्बे
Trailer coaches

32.11 ट्रेन यूनिटें
Train units

मरम्मत के लिए या किए जाने की औसत संख्या (यूनिटों में)
Average number under or awaiting repairs (in units)

32.12 मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
Motor coaches/Driving power cars

32.13 मद 32.09 का प्रतिशत
Percentage of item 32.09

32.14 ट्रेलर सवारी डिब्बे
Trailer coaches

32.15 मद 32.10 का प्रतिशत
Percentage of item 32.10

प्रयोग हेतु उपलब्ध औसत संख्या (यूनिटों में)
Average number available for use (in units)

32.16 मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
Motor coaches/Driving power cars

32.17 ट्रेलर सवारी डिब्बे
Trailer coaches

प्रतिदिन प्रयोग में आने वालों की औसत संख्या (यूनिटों में)
Average number in use daily (in units)

32.18 मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
Motor coaches/Driving power cars

32.19 ट्रेलर सवारी डिब्बे
Trailer coaches

32.20 ट्रेन यूनिट
Train units

अच्छी मरम्मत में अतिरिक्त और जमा किए गए की औसत संख्या (यूनिटों में)
Average number spare or stored in good repair (in units)

32.21 मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
Motor coaches/Driving power cars

32.22 ट्रेलर सवारी डिब्बे
Trailer coaches

परिचालन/वाणिज्य सांख्यिकी
Operating/Commercial Statistics

ट्रेन कि.मी. -यात्री
Train Kilometres–Passenger

32.23 कुल यातायात गाड़ियां (जैसे कि गाड़ियां चल रही हैं) (हजारों में)
Total traffic trains (as the trains are run) (in thousands)

विवरण -32 *(जारी)*
Statement -32*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

32.24 कुल यातायात गाड़ियां (इकहरी यूनिट गाड़ियों के अनुसार) (हजारों में)
Total traffic trains (in terms of single unit trains) (in thousands)

32.25 अन्य गाड़ियां (जैसे कि गाड़ियां चल रही हैं) (हजारों में)
Other trains (as the trains are run) (in thousands)

32.26 अन्य गाड़ियां (इकहरी यूनिट के मामले में) (हजारों में)
Other trains (in terms of single unit trains) (in thousands)

घंटे
Hours

32.27 यातायात गाड़ियां
Traffic trains

32.28 अन्य
Other

32.29 कुल
Total

वाहन कि.मी. (हज़ारों में)
Vehicle kilometres (in thousands)

32.30 यातायात गाड़ियां :
Passenger trains :
(क) मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
(a) Motor coaches/Driving Power Cars
(ख) ट्रेलर सवारी डिब्बे
(b) Trailer coaches
(ग) कुल
(c) Total

32.31 अन्य गाड़ियां :
Other trains :
(क) मोटर सवारी डिब्बे/ड्राइविंग पॉवर यान
(a) Motor coaches/Driving Power Cars
(ख) ट्रेलर सवारी डिब्बे
(b) Trailer coaches
(ग) कुल
(c) Total

गाड़ी उपयोग
Train Usages

32.32 उपयोग में आने वाली प्रतिदिन प्रति गाड़ी यूनिट ट्रेन यूनिट कि.मी.
Train unit kilometres per day per train unit in use

32.33 लाइन पर प्रतिदिन प्रति गाड़ी यूनिट ट्रेन यूनिट कि.मी.
Train unit kilometres per day per train unit on the line

32.34 उपयोग में आने वाली प्रतिदिन प्रति गाड़ी यूनिट ट्रेन यूनिट घंटे
Train unit hours per day per train unit in use

32.35 लाइन पर प्रतिदिन प्रति गाड़ी यूनिट ट्रेन यूनिट घंटे
Train unit hours per day per train unit on the line

विवरण -32 *(जारी)*
Statement -32*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वाहन उपयोग								
	Vehicle Usages								
32.36	लाइन पर प्रतिदिन प्रति मोटर कोच/ड्राइविंग पॉवर यान मोटर कोच/ड्राइविंग पॉवर यान कि.मी. (यूनिटों में) Motor coach/Driving power car kilometres per day per motor coach/driving power car unit on the line (in units)								
32.37	लाइन पर प्रतिदिन प्रति ट्रेलर कोच कि.मी. (यूनिटों में) Trailer coach kilometres per day per trailer coach on the line (in units)								
	मोटर कोच/ड्राइविंग पॉवर यान खराबियां								
	Motor coach/Driving power car failures								
32.38	संख्या Number								
32.39	प्रति मोटर कोच/ड्राइंविंग पॉवर यान खराबियां मोटर कोच/ पॉवर यान कि.मी. (यूनिटों में) Motor coach/Driving power car kilometres per motor coach/driving power car failure (in units)								
	पॉवर सप्लाई में खराबियां								
	Power supply failures								
32.40	सप्लाई स्त्रोत पर हुई खराबियां Failures orginated at source of supply								
32.41	छोटे स्टेशनों पर हुई खराबियां Failures orginated at sub-stations								
32.42	शिरोपरि ट्रैक उपस्करों में खराबियां Failures on account of overhead track equipments								
	प्रारंभिक यात्रियों की सं. (हजारों में)								
	Number of passengers originating (in thousands)								
32.43	प्रथम श्रेणी First class								
32.44	द्वितीय श्रेणी Second class								
32.45	कुल Total								
	वहन किए गए यात्रियों की सं. (हजारों में)								
	Number of passengers carried (in thousands)								
32.46	प्रथम श्रेणी First class								
32.47	द्वितीय श्रेणी Second class								
32.48	कुल Total								
	यात्री किलोमीटर (हजारों में)								
	Passengers kilometres (in thousands)								
32.49	प्रथम श्रेणी First class								
32.50	द्वितीय श्रेणी Second class								
32.51	कुल Total								

विवरण -32 *(समाप्त)*
Statement -32*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वहन किए गए यात्रियों से आमदनी (हजारों में)
Earnings from passengers carried (in thousands)

32.52 प्रथम श्रेणी
First class

32.53 द्वितीय श्रेणी
Second class

32.54 कुल
Total

सकल टन कि.मी. (हजारों में)
Gross tonne kilometre (in thousands)

32.55 सकल टन कि.मी. विभागीय सहित (हजारों में)
Gross tonne kilometre including departmental (in thousands)

उपयोग की गई पॉवर/उपभोग किया गया ईधंन
Power used/fuel consumed

32.56 कर्षण के लिए कुल पॉवर/उपभोग किया गया ईधंन और किलोवाट घंटों में गाड़ी प्रकाश व्यवस्था/डीज़ल कर्षण के लिए लीटर में आभोग्य ईधंन
Total power/fuel consumed for traction and train lighting in kilowatt hours/Fuel consumption for diesel traction in litres.

32.57 किलोवाट घंटे/प्रति गाड़ी यूनिट कि.मी. लीटर
Kilowatt hours/Litres per train unit kilometre

32.58 किलोवाट घंटे/प्रति 1000 कुल सकल टन कि.मी. लीटर
Kilowatt hours/Litres per 1,000 gross tonne kilometres

सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया लुब्रीकेटिंग ऑयल (विभागीय सहित)
Lubricating oil used for all purposes (including departmental)

32.59 कुल लीटर
Total litres

32.60 प्रति 1000 वाहन कि.मी. लीटर
Litres per 1000 vehicle kilometres

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए आंकड़े पिछले और चालू वर्ष की मद 32.07 से 32.60 और चालू वर्ष की केवल मद 32.01 से 32.06 के लिए दिए गए हैं।
Note: In this statement, the figures for previous and current years are to be given for item 32.07 to 32.60 and for current year only for items 32.01 to 32.06.

विवरण 32-विद्युत बहु इकाई (ईएमयू) उपनगरीय एवं मेन लाइन विद्युत बहु इकाई (एमईएमयू), डीज़ल हाइड्रॉलिक बहु इकाई (डीएचएमयू) व डीज़ल विद्युत बहु इकाई (डीईएमयू) वर्ष के लिए अनुपनगरीय आंकड़े

Statment 32– Electric Multiple Unit (EMU) Suburban and Main Line Electric Multiple Unit (MEMU), Diesel Hydraulic Multiple Unit (DHMU) & Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) Non-Suburban Statistics for the year.....

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष के 31 अगस्त तक पहुँचे जाए.

2. इस विवरण में विभिन्न मदों के लिए आंकड़े मासिक विवरण सं. 8 के तत्संबंधी मदों के लिए वार्षिक आंकड़े होंगे और यह निम्न कॉलमों में दर्शाए गए अनुसार मार्च के महीने के लिए संचयी आंकड़े होंगे –

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. The figures for the various items in this statement shall be the annual figures for the corresponding items in the Monthly Statement No. 8, cumulative for the month of March as shown in column below –

इस विवरण की मद Item in this Statement	मासिक विवरण सं. 8 का तत्संबंधी मद Corresponding item in Monthly Statement No. 8	इस विवरण की मद Item in this Statement	मासिक विवरण सं. 8 का तत्संबंधी मद Corresponding item in Monthly Statement No. 8
1	2	3	4
32.07	1.01	32.32	10.01
32.08	1.02	32.33	10.02
32.09	2.01	32.34	10.03
32.10	2.02	32.35	10.04
32.11	2.03	32.36	11.01
32.12	3.01	32.37	11.02
32.13	3.02	32.38	12.01
32.14	3.03	32.39	12.02
32.15	3.04	32.40	13.01
32.16	4.01	32.41	13.02
32.17	4.02	32.42	13.03
32.18	5.01	32.43	17.01
32.19	5.02	32.44	17.02
32.20	5.03	32.45	17.03
32.21	6.01	32.46	18.01
32.22	6.02	32.47	18.02
32.23	7.01	32.48	18.03
32.24	7.02	32.49	19.01
32.25	7.03	32.50	19.02
32.26	7.04	32.51	19.03
32.27	8.01	32.52	20.01
32.28	8.02	32.53	20.02
32.29	8.03	32.54	20.03
32.30(क)	9.01(ख)	32.55	14.04
32.30(a)	9.01(b)		
32.30(ख)	9.01(क)	32.56	15.01
32.30(b)	9.01(a)		
32.30(ग)	9.01(ग)	32.57	15.02
32.30(c)	9.01(c)		
32.31(क)	9.02(ख)	32.58	15.03
32.31(a)	9.02(b)		
32.31(ख)	9.02(क)	32.59	16.01
32.31(b)	9.02(a)		
32.31(ग)	9.02(ग)	32.60	16.02
32.31(c)	9.02(c)		

3. मद सं. 32.57, 32.58 एवं 32.60 के लिए परिणामों को दशमलव के ठीक एक स्थान तक परन्तु उन आंकड़ों को, जो कि दस से कम हैं, दशमलव के दो स्थानों तक सही-सही परिकलित किया जाएगा. बची हुई मदों के आंकड़ों को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा.

4. इस विवरण के आंकड़ों और संबंधित वर्ष के मार्च के महीने के मासिक विवरण सं. 8 के आंकड़ों में कोई भी अंतर होने पर उसे एक पृथक ज्ञापन में भली भांति स्पष्ट किया जाएगा.

5. जहां किसी भी मद को परिकलित करने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां सांख्यिकी अनुदेशिका नियमावली वाल्यूम-I में दिए गए अनुसार मासिक विवरण की तत्संबंधी मदों के संबंध में दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा.

गाड़ी उपयोग :

$$\text{मद } 32.32 = \frac{\text{मद } 32.24 + \text{मद } 32.26 \text{ में शामिल गाड़ी कि.मी.-यूनिट}}{\text{मद } 32.20 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

परिणाम को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा.

$$\text{मद } 32.33 = \frac{\text{मद } 32.24 + \text{मद } 32.26 \text{ में शामिल गाड़ी कि.मी.-यूनिट}}{\text{मद } 32.11 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

परिणाम को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा.

$$\text{मद } 32.34 = \frac{\text{मद } 32.29}{\text{मद } 32.20 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

$$\text{मद } 32.35 = \frac{\text{मद } 32.29}{\text{मद } 32.11 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

वाहनों का उपयोग :

$$\text{मद } 32.36 = \frac{\text{मद } 32.30(\text{क}) + 32.31(\text{क})\text{-(यूनिटों में)}}{\text{मद } 32.09 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

$$\text{मद } 32.37 = \frac{\text{मद } 32.30(\text{ख}) + 32.31(\text{ख})\text{-(यूनिटों में)}}{\text{मद } 32.10 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

3. The results for items 32.57, 32.58 and 32.60 shall be worked out correct to one place of decimal but those which are less than ten shall be worked out correct to two places of decimal. For rest of the items the figures shall be rounded off to the nearest whole number.

4. Any difference between the figures in this statement and the corresponding cumulative figures in the monthly Statement No. 8 for the month of March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

5. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statement as given in the Manual of Statistical Instructions Volume-I shall be followed.

Train Usage :

$$\text{Item } 32.32 = \frac{\text{Item } 32.24 + \text{Train kilometers included in Item } 32.26\text{-in unit}}{\text{Item } 32.20 \times \text{No of days in the year}}$$

The result is to be rounded off to the nearest whole number.

$$\text{Item } 32.33 = \frac{\text{Item } 32.24 + \text{Train kilometers included in Item } 32.26\text{-in unit}}{\text{Item } 32.11 \times \text{No of days in the year}}$$

The result is to be rounded off to the nearest whole number.

$$\text{Item } 32.34 = \frac{\text{Item } 32.29}{\text{Item } 32.20 \times \text{No of days in the year}}$$

$$\text{Item } 32.35 = \frac{\text{Item } 32.29}{\text{Item } 32.11 \times \text{No of days in the year}}$$

Vehicle Usage:

$$\text{Item } 32.36 = \frac{\text{Item } 32.30(a) + 32.31(a) \text{ (in units)}}{\text{Item } 32.09 \times \text{No of days in the year}}$$

$$\text{Item } 32.37 = \frac{\text{Item } 32.30(b) + 32.31(b) \text{ (in units)}}{\text{Item } 32.10 \times \text{No of days in the year}}$$

मोटर कोच/ड्राइविंग पावर यान खराबियां

मद 32.38=ई.एम.यू./डी.एम.यू./डी.एच.एम.यू. यूनिट अथवा यूनिटों को तब खराब हुआ माना जाए जबकि स्टाक की किसी यांत्रिक अथवा बिजली संबंधी खराबी अथवा गाड़ी कर्मीदल के कुप्रबंध के कारण –

(क) या तो यूनिट दिन भर अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहे,

अथवा

(ख) दिन भर के लिए निर्धारित कार्य संचालन में शामिल गाड़ियों में से किसी गाड़ी को कम से कम 15 मिनट की देर हो जाए. इसमें सभी मोटर कोच/ड्राइविंग पावर यान की खराबी शामिल की जाए. भले ही वे यातायात सेवा पर चल रहे हों अथवा विभागीय सेवा पर.

$$\text{मद } 32.39 = \frac{\text{मद } 32.30(\text{क}) + 32.31(\text{क}) - (\text{यूनिटों में})}{\text{मद } 32.38}$$

परिणाम को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा।

मद 32.43 से 32.54 –आंकड़ों का संकलन उसी आधार पर किया जाएगा जिस पर कि विवरण 6–क की समान मदों का किया जाता है.

$$\text{मद } 32.57 = \frac{\text{मद } 32.56}{\text{मद } 32.24 + \text{मद } 32.26 \text{ में शामिल गाड़ी कि. मी.}}$$

$$\text{मद } 32.58 = \frac{\text{मद } 32.56 \times 1000}{\text{मद } 32.55}$$

$$\text{मद } 32.60 = \frac{\text{मद } 32.59}{\text{मद } 32.30(\text{ग}) + \text{मद } 32.31(\text{ग})}$$

Motor Coach/Driving Power Car failures

Item 32.38 An EMU/a DEMU/a DHMU unit or units should be considered to have failed. Units should be considered to have failed, when through some mechanical or elecctrical defect in the stock or mismanagement on the part of the train crew —

(a) either unit is unable to complete its booked working throughout the day.

Or

(b) a delay of not less than 15 minutes is caused to any train included in the booked working for the day. Failures of all motor coaches/driving power cars, whether employed on traffic or departmental service, are to be included.

$$\text{Item } 32.39 = \frac{\text{Items } 32.30(a) + 32.31(a) \text{ (in units)}}{32.38}$$

The result is to be rounded off to the nearest whole number.

Items 32.43 to 32.54 — The figures are to be compiled on the same basis as for similar items in St. 6-A.

$$\text{Item } 32.57 = \frac{\text{Item } 32.56}{\text{Item } 32.24 + \text{ Train kilometers Included in Item } 32.26}$$

$$\text{Item } 32.58 = \frac{\text{Item } 32.56 \times 1000}{\text{Item } 32.55}$$

$$\text{Item } 32.60 = \frac{\text{Item } 32.59}{\text{Item } 32.30(c) + \text{Item } 32.31(c)}$$

विवरण-33

Statement-33

वर्ष में रेलकारों/रेल बसों (आंतरिक दहन इंजन से चालित) के निष्पादन का विवरण
Rail Car/Rail Bus (Internal Combustion Engine propelled) performance for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
1	2	3	4	5
	क-रेल कार / A–Rail Cars			
33.01	औसत प्राधिकृत स्टाक (यूनिटों में)- Average authorised stock (in terms of units) – (क) रेल कार (a) Rail Cars (ख) ट्रेलर सवारी डिब्बे (b) Trailer Coaches			
33.02	लाइन पर औसत सं. (यूनिटों में)- Average number on the line (in terms of units) – (क) रेल कार (a) Rail Cars (ख) ट्रेलर सवारी डिब्बे (b) Trailer Coaches			
33.03	कितने किलोमीटर चली - Kilometrage performed - (क) कार किलोमीटर (a) Car kilometres (ख) ट्रेलर सवारी डिब्बा किलोमीटर (b) Trailer Coach kilometres (ग) कुल (क + ख) (c) Total (a + b) (घ) कुल सीट किलोमीटर (कार और ट्रेलर) (d) Total seat kilometres (Cars and Trailers)			
33.04	कार किलोमीटर प्रति कार दिन Car kilometres per car day			
33.05	कार खराबी संख्या Car failure number			
33.06	कार किलोमीटर प्रति खराब कार के हिसाब से Car kilometres per car failure			
33.07	कार वाहन किलोमीटर इंधन की खपत लिटर में* Litres of fuel consumed per car vehicle kilometre*			

विवरण–33 *(जारी)*

Statement-33*(Contd.)*

1	2	3	4	5
	ख –रेल बस / B–Rail Buses			
33.08	औसत प्राधिकृत स्टाक (यूनिटों में)– Average authorised stock (in terms of units) रेल बस Rail Bus			
33.09	लाइन पर औसत सं. (यूनिटों में)– Average number on the line (in terms of units) रेल बस Rail Bus			
33.10	कितने किलोमीटर चली – Kilometrage performed - (क) बस किलोमीटर (a) Bus kilometres (ख) सीट किलोमीटर (बस) (b) Total seat kilometres (Bus)			
33.11	बस किलोमीटर प्रति बस दिन Bus kilometres per bus day			
33.12	बस खराबी संख्या Bus failure number			
33.13	बस किलोमीटर प्रति खराब बस के हिसाब से Bus kilometres per bus failure			
33.14	बस वाहन किलोमीटर इंधन की खपत लिटर में* Litres of fuel consumed per bus vehicle kilometre*			

इस विवरण में, पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए आंकड़े दिए जाएं.

In this statement, the figures for previous and current years are to be given.

* अनुबंध के अनुसार इंकाईयाँ दर्शाना है.

* Fundamental units to be furnished as per 'ANNEXURE'.

विवरण 33–रेलकारों व रेल बसों (अन्तर्दहन इंजन से चालित) के निष्पादन का विवरण

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 मई तक पहुँच जाए.

2. सभी परिणाम दशमलव के ठीक एक स्थान तक निकाले जाएंगे, लेकिन जो दस से कम हैं, उन्हें दशमलव के दो स्थानों तक निकाला जाएगा.

3. इस विवरण में विभिन्न मदों के आंकड़े नीचे कालॅम 2(क) और 2(ख) में दी गयी मदों के अन्तर्गत संबंधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरणों 1–ख, 4–ख, 5–क और 9 भाग-I में दर्शाए गए संचयी आंकड़ों के अनुसार होंगे –

Statement 33-Rail Cars & Rail Buses (Internal Combustion Engine Propelled) performance

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th May of the following financial year.

2. All results shall be worked out correct to one place of decimal, but those which are less than ten shall be worked out correct to two places of decimal.

3. The figures for the various items in this statement shall agree with the cumulative figures shown in the Monthly Statement 1-B, 4-B, 5-A and 9 Part-I for March of the year concerned, against the items given in columns 2(a) and 2(b) below –

मासिक विवरण में तदनुरूपी मद

Corresponding item in the Monthly statement

इस विवरण की मद Item in this statement	ब.ला. और मी. ला. के लिए For B.G. & M.G.	छो.ला.के लिए For N.G.	वार्षिक आंकड़ों के परिकलन के लिए आधार Basis for calculation of annual figures
1	2(a)	2(b)	3
क- रेल कार / A–Rail Cars			
33.02 (क)	विवरण 4–ख का 10.01(क)	विवरण 4–ख का 10.01(क)	
33.02 (a)	10.01 (a) of St.4-B	10.01 (a) of St. 4-B	
33.02 (ख)	विवरण 4–ख का 10.01(ख)	विवरण 4–ख का 10.01(ख)	
33.02 (b)	10.01 (b) of St. 4-B	10.01 (b) of St. 4-B	
33.03 (क)	विवरण 1–ख का 1.07(क)	विवरण 9–भाग I का 2.07(क)	
33.03 (a)	1.07(a) of St. 1-B	2.07(a) of St. 9-Pt. I	
33.03 (ख)	विवरण 1–ख का 1.08	विवरण 9–भाग I का 2.08	
33.03 (b)	1.08 of St. 1-B	2.08 of St. 9-Pt. I	
33.03 (ग)	विवरण 1–ख का 1.09	विवरण 9–भाग I का 2.09	
33.03 (c)	1.09 of St. 1-B	2.09 of St. 9-Pt. I	
33.03 (घ)	विवरण 1–ख का 1.10	विवरण 9–भाग I का 2.10	
33.03 (d)	1.10 of St. 1-B	2.10 of St. 9-Pt. I	
33.04	विवरण 4–ख का 10.02	विवरण 4–ख का 10.02	33.03(क) / 33.02 (क)x वर्ष में दिनों की संख्या
33.04	10.02 of St. 4-B	10.02 of St. 4-B	33.03(a) / 33.02 (a) x No. of days in the year
33.06	विवरण 4–ख का 10.03	विवरण 4–ख का 10.03	33.03(क)
33.06	10.03 of St. 4-B	10.03 of St. 4-B	33.05 / 33.05
33.07	विवरण 5–क का 3(क)	विवरण 5–क का 3(क)	मद 27(ख) 14 वार्षिक विवरण 27(ख) का / Item 27(b) 14 of Annual St. 27(b)
33.07	3(a) of St. 5-A	3(a) of St. 5-A	33.03(ग) / 33.03 (c)

विवरण 33-रेलकारों व रेल बसों (अन्तर्दहन इंजन से चालित) के निष्पादन का विवरण

Statement 33-Rail Cars & Rail Buses (Internal Combustion Engine Propelled) performance

अनुदेश

Instructions

मासिक विवरण में तदनुरूपी मद			Corresponding item in the Monthly statement
इस विवरण की मद Item in this statement	ब.ला. और मी. ला. के लिए For B.G. & M.G.	छो.ला.के लिए For N.G.	वार्षिक आंकड़ों के परिकलन के लिए आधार Basis for calculation of annual figures
1	2(a)	2(b)	3
क- रेल बस / A–Rail Buses			
33.09 33.09	विवरण 4-ख का 10.01 (ग) 10.01 (c) of St.4-B	विवरण 4-ख का 10.01 (ग) 10.01 (c) of St. 4-B	
33.10 (क) 33.10 (a)	विवरण 1-ख का 1.07(ख) 1.07(b) of St. 1-B	विवरण 9-भाग-I का 2.07 (ख) 2.07(b) of St. 9-Pt.-I	
33.10 (ख) 33.10 (b)	विवरण 1-ख का 1.10(ख) 1.10(b) of St. 1-B	विवरण 9-भाग-I का 2.10 (क) 2.10(a) of St. 9-Pt.-I	
33.11 33.11	विवरण 4-ख का 10.04 10.04 of St. 4-B	विवरण 4(ख) का 10.04 10.04 of St. 4-B	33.10(क) / 33.09 x वर्ष में दिनों की संख्या 33.10(a) / 33.09 x No. of days in the year
33.13 33.13	विवरण 4-ख का 10.05 10.05 of St. 4-B	विवरण 4(ख) का 10.05 10.05 of St. 4-B	33.10(क) / 33.12 33.10(a) / 33.12
33.14 33.14	विवरण 5-क का 3(ख) 3(b) of St. 5-A	विवरण 5-क का 3(ख) 3(b) of St. 5-A	

4. इस विवरण और संबधित वर्ष के मार्च माह के मासिक विवरणों के तदनुरूपी आंकड़ों के बीच के किसी अन्तर की एक अलग-अलग ज्ञापन में उपयुक्त रूप से व्याख्या की जाए.

5. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेशन दिए गए हों तो सांख्यिकीय अनुदेशिका वाल्यूम-1 में दिए गए मासिक विवरणों की तदनुरूपी मदों से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.

4. Any difference between the figures in this statement and the corresponding figures in the monthly statements for March of the year concerned shall be suitably explained in a separate memorandum.

5. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions relating to the corresponding items of the monthly statements as given in the Manuals of Statistical Instructions, Volume-I shall be followed.

.....रेलवे/Railway

अनुबंध/ANNEXURE

विवरण 33-के परिणामों को निकालने में प्रयुक्त मौलिक इकाईयां
Fundamental Units used in working out the results of Annual Statement 33

33.07 रेल कारों (आंतरिक दहन इंधन चालित) खपत इंधन लिटर में / कार वाहन किलोमीटर

33.07 Litres of fuel consumed by Rail Cars (Internal Combustion Engine propelled) / Car Vehicle kilometres

33.14 रेल बसों (आंतरिक दहन इंधन चालित) खपत इंधन लिटर में / बस वाहन किलोमीटर

33.14 Litres of fuel consumed by Rail Buses (Internal Combustion Engine propelled) / Bus Vehicle kilometres

.....रेलवे/Railway

विवरण-38(क)

Statement-38(a)

वर्ष के दौरान खरीदे गए भंडार का मूल्य
Value of Stores purchased during the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

क्रम सं. S. No.	ब्यौरा Description	शीर्ष के अंतर्गत शामिल ग्रुप Groups covered under the head	सीधे आयातित भंडारों का मूल्य* Value of stores imported direct*				भारत में खरीदे गये आयातित भंडारों का मूल्य Value of imported stores purchased in India				भारत में निर्मित अथवा देशी भंडारों का मूल्य Value of stores manufactured in India or of indigenous origin			
			स्टाक Stock	नान-स्टाक (राजस्व) Non-stock (Revenue)	निर्माण कार्य Con-struction work	कुल Total	स्टॉक Stock	नान-स्टाक (राजस्व) Non-stock (Revenue)	निर्माण कार्य Con-struction work	कुल Total	स्टाक Stock	नान-स्टाक (राजस्व) Non-stock (Revenue)	निर्माण कार्य Con-struction work	कुल Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	भाप इंजन के पुर्जे एवं फिटिंग Steam loco parts & fittings	00-09												
2.	डीजल इंजन के पुर्जे एवं फिटिंग Diesel loco parts & fittings	10-19												
3.	बिजली इंजन के पुर्जे एवं फिटिंग Electric loco parts & fittings	20-29												
4.	सवारी डिब्बों, माल डिब्बों, ई.एम.यू./ डी.एम.यू./डी.एच.एम.यू. के पुर्जे एवं फिटिंग Carriage, wagon, EMU/DMU/ DHMU parts & fittings	30-39												
5.	बिजली भंडार Electrical stores	40-49												
6.	सिगनल एवं दूर संचार भंडार Signal & Telecommunication stores	50-59												
7.	रेल पथ सामग्री, रेलपथ औजार तथा पुल निर्माण कार्य Permanent Way material, track tools & bridge work	60												
8.	इमारती सामान, संयंत्र और मशीनरी सहित इंजीनियरी भंडार Engineering stores covering building materials, plant and machinery	61-69												
9.	अपघर्षक, औजार, लोहे का सामान आदि Abrasives, tools, hardware etc.	70, 72,73,74												
10.	ब्रुश, ब्रुश - सामान आदि Brushes, brushware etc.	71												
11.	भारतीय रबड़, चमड़ा, कैनवस, आदि India rubber, leather, canvas etc.	75												

विवरण–38(क)– *(जारी)*

Statement-38(a)–*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	इलैक्ट्रोड और वेल्डिंग के उपकरण Electrodes and welding accessories	76												
13.	रंग रोगन, इनैमल और वार्निश Paints, enamels and varnishes	77												
14.	क्राकरी, कटलरी और मेजपोश, तौलिए आदि Crockery, cutlery & napery	78												
15.	कपड़े, वर्दियां और वैयक्तिक सामान Cloth, clothing & personal equipment	79												
16.	ईंधन तेल से भिन्न पैट्रोलियम उत्पाद Petroleum products other than fuel oil	80												
17.	रिफ्रैक्टरी, पैकिंग सामग्री आदि Refractories, packing materials etc.	84												
18.	बाल और रोलर बेयरिंग Ball & roller bearing	85												
19.	एसिड, रसायन, औषधियां, औषध पदार्थ सहित सामान्य भंडार तथा अन्य विविध भंडार जैसे अग्निशमन उपस्कर General stores covering acids, chemicals, drugs, pharmaceuticals, other misc. stores such as fire-fighting equipment	81,82,86												
20.	लेखन सामग्री, फार्म आदि Stationery, forms etc.	83												
21.	धातु : लौह Metal: ferrous	90												
22.	धातु :अलौह Metal: non-ferrous	91												
23.	ईधन : कोयला/कोक आदि Fuel : Coal/Coke etc.	92												
24.	ईंधन : तेल Fuel : Oil	92												
25.	इमारती लकड़ी Timber	93												
26.	रद्दी Scrap	98												
27.	चल स्टॉक–पूर्ण यूनिट Rolling Stock - Complete units	97												
	कुल Total													

* सीमा शुल्क समेत

* including customs charges.

विवरण 38(क)–खरीदे गए भंडार का मूल्य

अनुदेश

1. यह विवरण भारतीय रेल भंडार संहिता, वाल्यूम -II के अध्याय -XXIX/ XXXI में विहित फार्म के अनुसार क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाईयों द्वारा संकलित किया जाएगा और इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को पहुँच जाए.

2. आंकड़े संपूर्ण प्रणाली के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे, आमान–वार नहीं.

3. इस विवरण में सीधे आयातित भंडारों, भारत में खरीदे गए आयातित भंडारों का और भारत में निर्मित अथवा देशी भंडारों के मूल्य को अलग से दर्शाया जाएगा.

4. इस विवरण में, खरीदे गए भंडारों के आंकड़ों में स्टॉक मदों के लिए भंडार विभाग द्वारा खरीदे गए भंडार के मूल्य को शामिल किया जाएगा. इसमें अन्य विभागों के लिए गैर–स्टॉक मांगें एवं निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए भंडार का मूल्य तथा रेलवे बोर्ड द्वारा खरीदे गए और अलग–अलग रेलवे को डेबिट किए गए किन्तु भंडार लेजर में नहीं दर्शाए गए चल स्टाक आदि का मूल्य भी शामिल होगा.

5. स्टॉक मदों के मामले में 'भंडार उचंत' के माध्यम से दिए जाने वाले भंडारों के संबंध में इस विवरण के लिए अपेक्षित आंकड़े वर्ग सारांशों (एस 2615) के वार्षिक सारों से लेखा कार्यालय में संकलित किए जाएंगे. वर्ष के दौरान विभागों के लिए/विभागों द्वारा 'स्टॉक मदों' से भिन्न सीधे की गयी खरीदों को वैसे ही विवरण में वर्ष के दौरान उनके द्वारा खरीदे गए भंडारों के मूल्य को दर्शाते हुए भंडार लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा. इन आंकड़ों को विवरण में दर्शाए जाने के लिए भंडार लेखा कार्यालय द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्शाए गए भंडारों के मूल्य में जोड़ा जाएगा.

6. इस विवरण के साथ एक समीक्षा भी भेजी जाएगी, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा.

7. वर्ष के दौरान ईंधन की दत्त लागत को समूह शीर्ष 23 और 24 के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा.

8. किसी भी मुख्य शीर्ष को न छोड़ते हुए भंडारों की खरीद का मूल्य 27 मुख्य शीर्षों में शामिल किया जाएगा. यदि किसी मुख्य शीर्ष के संबंध में सूचना 'शून्य' हो तो उसे भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

Statement 38(a)-Value of Stores purchased

Instructions

1. This statement shall be compiled by the Zonal Railways and Production Units as per the form prescribed in Chapter-XXIX/XXXI of the Indian Railway Code for the Stores Department , Vol.-II and sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. Figures shall be furnished for the System as a whole and not by gauges.

3. The return shall show separately the value of stores imported direct, the value of imported stores purchased in India and the value of stores of Indian manufacture or of indigenous origin.

4. In this return, the figures of stores purchased shall include the value of stores purchased by Stores Department for stock items. It shall also include the value of stores purchased for other departments, both against non-stock demands as well as for construction works and the value of rolling stock etc. purchased by the Railway Board and debited to the respective Railways but not reflected in the stores ledgers.

5. The figures required for this return shall be compiled in the Accounts Office from the Annual Abstracts of Class Summaries (S 2615) for Stores passing through "Stores Suspense" in case of "Stock items". Purchases made directly for/by departments during the year for other than "Stock items" shall be furnished to the Stores Accounts office by them in a similar return showing the value of stores purchased for them during the year. This figure shall be added to the value of stores shown in the register maintained by the Stores Accounts Office for exhibition in the return.

6. This return shall be accompanied by a review, explaining the causes of important variations under any head compared with the previous year.

7. The cost of fuel paid for during the year shall be reflected under Group Heads 23 and 24.

8. The value of purchases of stores shall be included appropriately in one of the 27 major headings serially, omitting no major heading. If the information is 'nil' against any of the major headings, it shall be so indicated.

.....रेलवे/Railway

विवरण-38(ख)

Statement-38(b)

वर्ष..... के दौरान अलग-अलग एजेंसियों से खरीदे गए
(व विविध कामों में प्रयोग किये गए) भंडारों का विवरण एवं खरीदारी के तरीके
Stores purchased (and used for various functions) through different agencies and modes of procurement, for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	रकम (करोड़ रुपयों में) Amount (Rs. in crores)

38(ख).01 जिस प्रकार खरीदा गया :-

38(b).01 Purchases by modes :-

(क) सीधे आयातित

(a) Imported direct

(ख) भारत में खरीदा गया आयातित भंडार

(b) Imported stores purchased in India

(ग) देशी -

(c) Indigenous :-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
Public Sector Undertakings

(ii) खादी
Khadi

(iii) हथकरघा उत्पादन
Handloom products

(iv) महिला विकास निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (खादी के अलावा), कुटीर एवं लघु उद्योग
Women Development Corporation, @KVIC (other than 'khadi'), Cottage and Small Scale Industries

(v) अन्य
Others

(vi) जोड़ (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)
Total (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)

(घ) सकल जोड़ (क)+(ख)+(ग)(vi)

(d) Grand Total (a)+(b)+(c)(vi)

38(ख).02 किन कार्यों के लिए खरीदा गया

38(b).02 Purchases by functions :-

(क) परिचालन, मरम्मत और अनुरक्षण के लिए भंडार (स्टॉक व गैर-स्टॉक)

(a) Stores for operation, repairs and maintenance (both stock & non-stock):-

(i) ईंधन
Fuel

विवरण-38(ख)-*(जारी)*

Statement-38(b)-*(Contd.)*

मद Item	ब्यौरा Description	रकम (करोड़ रुपयों में) Amount (Rs. in crores)
	(ii) अन्य Others	
	(iii) कुल (i) + (ii) Total (i) + (ii)	
	(ख) निर्माण के लिए भंडार	
	(b) Stores for construction	
	(ग) पूर्ण चल स्टॉक के विनिर्माण के लिए खरीदे गए पुर्जे/भंडार	
	(c) Components/stores purchased for manufacture of complete Rolling Stock	
	(घ) चल स्टॉक की पूर्ण इकाइयां	
	(d) Complete units of Rolling Stock	
	(ङ) जोड़ (क (iii)+ख+ग+घ)	
	(e) Total (a (iii)+b+c+d)	
38(ख).03	**किस स्त्रोत (एजेंसी) द्वारा खरीदा गया :-**	
38(b).03	**Purchases by sources (Agencies) :-**	
	(क) महानिदेशक पूर्ति एवम निपटान (डी जी एस एंड डी) के माध्यम से	
	(a) Through DGS & D @@	
	(ख) रेलवे बोर्ड	
	(b) Railway Board :-	
	(i) आयातित Imported	
	(ii) देशी Indigenous	
	(iii) जोड़ Total (i) + (ii)	
	(ग) (क) और (ख) को छोड़कर, रेलों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सीधी खरीद	
	(c) Direct purchases made by the Railways and other agencies other than (a) and (b)	
	(घ) जोड़ (क)+(ख)(iii) + (ग)	
	(d) Total (a) + (b)(iii) + (c)	

@Khadi & Village Industries Commission.

@@ Director - General, Supplies & Disposals.

विवरण 38(ख)-अलग-अलग एजेंसियों से खरीदे गए (व विविध कामों में प्रयोग किये गये) भंडारों का विवरण एवं खरीदारी के तरीके

अनुदेश

1. यह विवरण क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा इस प्रकार भेजा जाए कि वह आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को पहुँच जाए.

2. आंकड़े सम्पूर्ण प्रणाली के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे, आमान-वार नहीं.

3. आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण, किस प्रकार खरीदा गया (मद 38(ख).01), किन कार्यों के लिए खरीदा गया (मद 38(ख).02) और किन स्त्रोतों द्वारा खरीदा गया (38(ख).03) के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा.

4. मद 38(ख).01 (घ), 38(ख).02(ङ) और 38(ख).03 (घ) के अन्तर्गत दिया गया जोड़ एक दूसरे से और वार्षिक विवरण 38(क) के अनुसार खरीदे गए समूह-वार भंडारों के कुल मूल्य से भी मेल खाता हो.

Statement 38(b)-Stores purchased (and used for various functions) through various agencies and modes of procurement

Instructions

1. This statement shall be sent by Zonal Railways and Production Units so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.

2. Figures shall be furnished for the System as a whole and not by gauges.

3. The summary of stores shall be furnished by modes (item 38(b).01), functions (item 38(b).02) and sources (item 38(b).03).

4. Totals given under items 38(b).01(d), 38(b).02(e) and 38(b).03(d) shall tally with each other as also with the total value of group-wise stores purchased as per Annual Statement 38(a).

.....रेलवे/Railway

विवरण-39(क)

Statement-39(a)

वर्ष..... के दौरान भंडार संबंधी लेन-देन
Stores Transactions during the year.....

(हजार रुपयों में)
(Rs. in thousands)

क्र.सं. S.No.	मुख्य शीर्ष Major heading	शीर्ष के अंतर्गत आने वाले ग्रुप Groups covered under the head	अथ शेष (वर्ष के शुरू में) Opening balance (at the beginning of the year)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां Receipts during the year	वर्ष के दौरान निर्गम Issues during the year	इति शेष (वर्ष के अंत में) Closing balance (at the end of the year)
1	2	3	4	5	6	7
1.	भाप इंजन के पुर्जे एवं फिटिंग Steam loco parts and fittings	00-09				
2.	डीजल इंजन के पुर्जे एवं फिटिंग Diesel loco parts & fittings	10-19				
3.	बिजली इंजन के पुर्जे एवं फिटिंग Electric loco parts and fittings	20-29				
4.	सवारी डिब्बे, माल डिब्बे, ई.एम.यू./डी.एम.यू./डी.एच.एम.यू. के पुर्जे एवं फिटिंग Carriage, wagon, EMU/DMU/DHMU parts & fittings	30-39				
5.	बिजली भंडार Electrical stores	40-49				
6.	सिगनल एवं दूर संचार भंडार Signal & Telecommunication stores	50-59				
7.	रेल पथ सामग्री, रेलपथ औजार तथा पुल निर्माण कार्य P. Way material, track tools & bridge work	60				
8.	भवन सामग्री, संयंत्र और मशीनरी सहित इंजीनियरी भंडार Engineering stores covering building materials, plant and machinery	61-69				
9.	अपघर्षक, औजार, हार्डवेयर आदि Abrasives, tools, hardware etc.	70, 72, 73, 74				
10.	ब्रुश, ब्रुश-सामान आदि Brushes, brushware etc.	71				
11	भारतीय रबड, चमड़ा, कैनवस आदि India rubber, leather, canvas etc.	75				
12.	इलैक्ट्रोड और वेल्डिंग के उपकरण Electrodes and welding accessories	76				
13.	रंग रोगन, इनैमल और वार्निश Paints, enamels and varnishes	77				
14.	क्राकरी, कटलरी और मेजपोश आदि Crockery, cutlery & napery	78				
15.	कपड़े, वर्दियां तथा निजी उपस्कर Cloth, clothing and personal equipment	79				
16.	ईंधन तेल के अलावा पेट्रोलियम उत्पाद Petroleum products other than fuel oil	80				
17.	रिफ्रैक्टरी, पैकिंग सामग्री आदि Refractories, packing materials etc.	84				
18.	बाल और रोलर बेयरिंग Ball & Roller Bearings	85				

विवरण–39(क)– *(जारी)*

Statement-39(a)–*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7
19.	एसिड, रसायन, औषधियां, औषध पदार्थ सहित सामान्य भंडार तथा अन्य विविध भंडार जैसे अग्निशमन उपकरण General Stores covering acids, chemicals, drugs, pharmaceuticals, other miscellaneous stores such as fire fighting equipments	81, 82, 86				
20.	लेखन सामग्री, फार्म आदि Stationery, forms etc.	83				
21.	धातु : लौह Metal : ferrous	90				
22.	धातु : अलौह Metal : non-ferrous	91				
23.	ईंधन : कोयला/कोक आदि Fuel : Coal/coke etc.	92				
24.	ईधन : तेल Fuel : oil	92				
25.	इमारती लकड़ी Timber	93				
26.	रद्दी Scrap	98				
27.	चल स्टॉक के पूर्ण यूनिट और अन्य भंडार Rolling stock complete units and other stores	97				
	कुल Total					
	समायोजन Adjustments					
	विनियोग लेखा के अनुसार कुल जोड़ : Grand Total as per Appropriation Account :					

विवरण 39(क)-भंडार संबंधी लेन-देन

अनुदेश

1. क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों द्वारा यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (भंडार), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए. इसकी एक प्रतिलिपि सचिव (सांख्यिकी), रेलवे बोर्ड को भी भेजी जाये जो उसी तारीख तक पहुँच जाये. यह विवरण रेलवे बोर्ड के भंडार निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया जाएगा और सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को 30 सितम्बर तक उपलब्ध करवाया जाएगा.

2. आंकडें सम्पूर्ण प्रणाली के लिए भेजे जायें, आमान-वार नहीं.

3. कालम 4-इस कालम में आंकड़े पिछले वर्ष के विवरण में कालम 7 (इतिशेष) में दिए गए आंकड़ों से मेल खाते हों.

4. कालम 5 एवं 6- इन कालमों के अंतर्गत दिए गए आंकड़े, भंडार उचंत (कैप 7100) के माध्यम से पास की गई सभी प्राप्तियों तथा निर्गमों को प्रस्तुत करेंगे.

5. ग्रुप शीर्ष 26 के अंतर्गत दिए गये स्क्रैप का मूल्य, रेलों के विनियोग लेखों में भंडार लेखे के विवरण में दिए गये स्क्रैप के मूल्य (साधारण तथा अधिशेष) से मेल खाता हो.

6. भंडार संबंधी लेन-देन 27 मुख्य शीर्षों में से किसी एक शीर्ष में क्रमबद्ध रूप में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा तथा कोई मुख्य शीर्ष नहीं छोड़ा जाएगा. यदि किसी मुख्य शीर्ष में सूचना 'शून्य' हो तो इसे दर्शाया जाए.

7. कालम 4 तथा 7 का कुल जोड़, वर्ष की शुरूआत तथा अंत में विनियोग लेखे (सामान्य किताब) के अनुसार भंडार बकायों की राशि से मेल खाना चाहिए. वर्ष के अंत में कुल भंडार बकायों में शुद्ध वृद्धि अथवा कमी के संबंध में सामान्य टिप्पणी तथा संक्षिप्त व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जानी चाहिए.

Statement 39(a)–Stores Transactions

Instructions

1. This statement shall be sent by Zonal Railways and Production Units so as to reach the Secretary (Stores), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year. A copy thereof may also be endorsed to the Secretary (Statistics), Railway Board so as to reach him by the same date. The statement in the prescribed proforma shall be prepared by the Stores Directorate of the Railway Board and supplied to the Directorate of Statistics & Economics by 30th September.

2. Figures shall be furnished for the System as a whole and not by gauges.

3. Column 4– The figures in this column are to agree with the figures in column 7 (closing balance) given in the last year's statement.

4. Columns 5 & 6 – The figures to be shown under these columns shall represent all receipts and issues passing through Store Suspense (Cap 7100).

5. The value of scrap shown under group heading 26 shall agree with the value of scrap (ordinary and surplus) shown in the Appropriation Account of the Railways in Statement of Stores Accounts.

6. The stores transactions shall be included appropriately in one of the 27 main headings serially, omitting no major heading. If the information is 'nil' against any of the major headings, it shall be so indicated.

7. The grand totals under cols. 4 and 7 shall agree with the amount of stores balances as per Appropriation Account (General Books) at the commencement and at the end of the year respectively. General remarks and a brief explanatory note shall be given regarding net increase or decrease in the total stores balances at the end of the year.

.....रेलवे/Railway

विवरण–39(ख)

Statement-39(b)

वर्ष के दौरान भंडार के लेन–देन का संक्षिप्त विवरण
Summary Statement of Stores Transactions during the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	राशि (हजार रुपयों में) Amount (Rs. in thousands)
1	2	3
39(ख).01 **39(b).01**	**वर्ष के प्रारंभ में अथशेष–** **Opening balance at the beginning of the year-**	
	(i) बिना समायोजन के प्रत्यक्ष शेष (7160) Physical balance without adjustments (7160)	
	(ii) समायोजन (7100) Adjustments (7100)	
	(iii) 7110 से 7150 के अंतर्गत शेष Balance under 7110 to 7150	
	(iv) कुल (7100–7160) Total (7100-7160)	
39(ख).02 **39(b).02**	**वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष स्टॉक का लेन–देन (7160)–** **Transaction of physical stock during the year (7160) –**	
	(i) प्राप्तियां Receipts	
	(ii) निकासी Issues	
39(ख).03 **39(b).03**	**वर्ष के अंत में इतिशेष –** **Closing balance at the end of the year –**	
	(i) बिना समायोजन के प्रत्यक्ष शेष (7160) Physical balance without adjustments (7160)	
	(ii) समायोजन (7100) Adjustments (7100)	
	(iii) 7110 से 7150 के अंतर्गत शेष Balance under 7110 to 7150	
	(iv) कुल (7100–7160) Total (7100-7160)	
39(ख).04 **39(b).04**	**भंडारों के किस्मों द्वारा इतिशेष–** **Closing balance by types of stores –**	
	(i) साधारण Ordinary	
	(ii) अधिशेष– Surplus-	
	(क) चल (a) movable	
	(ख) निष्क्रिय (b) dead	
	(iii) आपातकाल Emergency	
	(iv) विशेष कार्यों के लिए प्राप्त भंडार Stores obtained for special works	
	(v) रद्दी :– Scrap : –	
	(क) साधारण (a) Ordinary	
	(ख) अधिशेष (b) Surplus	
	(vi) कुल Total	

विवरण 39(ख)–भंडार के लेन–देन का संक्षिप्त विवरण

अनुदेश

1. भारतीय रेल भंडार संहिता, वाल्यूम-II के अध्याय XXX में दिए गए अनुदेशों के अनुसार यह विवरण क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा तैयार किया जाएगा और इसको इस प्रकार भेजा जाएगा ताकि यह सचिव (भंडार), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली, तथा एक प्रतिलिपि सचिव (सांख्यिकी), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के पास आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुंच जाए. यह विवरण रेलवे बोर्ड के भंडार निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किया जाएगा और सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को 30 सितम्बर तक उपलब्ध करवाया जाएगा.

2. आंकड़े सम्पूर्ण प्रणाली के लिए भेजे जायें, आमान–वार नहीं.

3. अथशेष–मद 39(ख).01, उप मदें (i) से (iv) तक के आंकड़े, पिछले वर्ष के विवरण 39(ख) के इतिशेष–मद 39(ख).03, उप मदों (i) से (iv) तक के आंकड़ों तथा विनियोग लेखे में भंडार लेखे के अथशेष से मेल खाएंगे.

4. मद 39(ख).02 (i) में शामिल सामान्य भंडार के अंतर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार एक पाद टिप्पणी में दिया जाएगा :

 (क) खरीद के द्वारा प्राप्तियां

 (ख) भंडार में विनिर्माण के द्वारा प्राप्तियां

 (ग) निर्माण कार्यों से लौटाया गया सामान

5. **इतिशेष :** 39(ख).03(iv) के अंतर्गत दिये गये कुल आंकड़े विवरण 39(क), कालम 7 में दिए गए कुल समूहवार संख्या (समायोजनों को करके) के साथ एवं विनियोग लेखे में भंडार लेखे के इतिशेष के साथ मेल खाएंगे.

 मद 39(ख).03 (i) – समायोजन के बिना वास्तविक शेष, पूंजी 7160 के अंतर्गत अप्राप्य शेष के अनुसार ही होगा एवं यह मद {39(ख).01(i) + मद 39(ख).02(i) – मद 39(ख).02(ii)} से मेल खाएगा.

 मद 39(ख).03(ii) – यह, पूंजी 7100 के अंतर्गत शेषों से मेल खाएगा.

 मद 39(ख).03(iii) – यह, पूंजी 7110 से 7150 तक के अंतर्गत शेषों से मेल खाएगा.

 मद 39(ख).03(iv) – यह, पूंजी 7100 से 7160 तक के अंतर्गत शेषों से मेल खाएगा.

6. भंडार की किस्मों के अनुसार इतिशेष (39(ख).04): – मद 39(ख).04(vi), मद 39(ख).03(iv) से मेल खाएगा.

Statement 39(b)–Summary Statement of Stores Transactions

Instructions

1. This statement shall be compiled as per instructions in Chapter XXX in the Indian Railway Code for the Stores Department, Vol-II, by Zonal Railways and Production Units, and sent so as to reach the Secretary (Stores), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, and a copy thereof to the Secretary (Statistics), Railway Board, New Delhi by 31st August of the following financial year. The statement in the prescribed proforma shall be prepared by the Stores Directorate of the Railway Board and supplied to the Directorate of Statistics & Economics by 30th September.

2. Figures shall be furnished for the System as a whole and not by gauges.

3. Figures under opening balance: item 39(b).01, sub-items (i) to (iv) shall tally with the closing balance of the previous year: item 39(b).03, sub-items (i) to (iv), and with the opening balance of Stores Accounts in Appropriation Account.

4. The break-up of receipts under ordinary stores included in item 39(b).02(i), shall be given in a foot-note as under : –

 (a) Receipts by purchases

 (b) Receipts from manufacture into stores

 (c) Materials returned from works

5. **Closing Balance :** Total figures given under 39(b).03(iv) shall tally with the group-wise total figure of balances including adjustments as given in Col. 7 of Statement 39(a) and with the closing balance of Stores Account in Appropriation Account.

 Item 39(b).03(i) – Physical balance without adjustments– shall be as per the outstanding balance under Capital 7160, and shall tally with item {39(b).01(i)+item 39(b).02(i)-item 39(b).02(ii)}.

 Item 39(b).03(ii)–shall tally with balances under Capital 7100.

 Item 39(b).03(iii)–shall tally with balances under Capital 7110 to 7150.

 Item 39(b).03(iv)–shall tally with balances under Capital 7100-7160.

6. Closing balance by types of stores : 39(b).04 –Item 39(b).04(vi) shall tally with 39(b).03(iv).

(i) सामान्य भंडार में उन भंडारों को, जिनकी लगातार मांग के कारण एक नियमित बिक्री होती रहती है, शामिल किया जाएगा.

(ii) अधिशेष भंडार के आंकड़ों को निम्न प्रकार दिखाया जाएगा :

(क) चल वस्तुएं–इसमें भंडार की वे मदें होंगीं जिन्हे 24 महीने से जारी नहीं किया गया है लेकिन जिनकी निकट भविष्य में प्रयुक्त होने की आशा है, और

(ख) निष्क्रिय अधिशेष भंडार–इसमें भंडार की वे मदें होंगी जिन्हें 24 महीने से जारी नहीं किया गया है और जिनके बारे में यह समझा जाता है कि आगामी दो वर्षों के अंदर किसी भी रेलवे द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जाएगा.

(iii) आपातकालीन भंडार में ऐसी वस्तुएं होंगी जो सामान्य तौर पर क्षयित नहीं होती या जिनकी नवीकरण की आवश्यकता नहीं होती लेकिन उन्हें आपात आवश्यकताओं यथा टूट–फूट की अथवा अप्रत्याशित गिरावट आदि की पूर्ति के लिए भंडार में रखा जाना आवश्यक है और ऐसी वस्तुएं जो भारत में फौरन उपलब्ध न हों.

(iv) 'विशेष कार्यों के लिए प्राप्त किए गए भंडार' में निर्माण कार्यों के लिए एवं विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक भंडार शामिल किए जाएंगे यथा प्रचालन अथवा सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए प्रयुक्त भंडार के अलावा, और ऐसा भंडार जिसे भंडार डिपो में रखे बिना ही वहां भेज दिया जाता है जहां उसकी जरूरत हो.

(v) रद्दी–इसमें वह माल शामिल किया जाता है जिसका उस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए वह सामान मूल रूप से प्राप्त किया गया था या खरीदा गया था, के लिए अब कोई उपयोग नहीं रह गया है.

(क) सामान्य रद्दी–इसमें वे वस्तुएं रखी जाती हैं जिनकी कच्चे माल के रूप में नियमित रूप से मांग होती रहती है.

(ख) अधिशेष रद्दी में उपरोक्त (क) में आई वस्तुओं से अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं.

(vi) कुल : 39(ख).04(i) से 39(ख).04(v) तक.

7. मद 39(ख).04 के अनुसार पिछले साल के मुकाबले भंडार अधिशेष में वृद्धि के कारण अथवा मानक, यदि कोई निर्धारित किया गया हो, दिए जाएंगे. निष्क्रिय अधिशेष भंडार के निपटान के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख किया जाएगा.

(i) 'Ordinary' stores will include the stores for which there is a regular turnover caused by a constant demand.

(ii) The figures of 'Surplus' stores shall be shown under –

(a) 'Movable' which comprise items of stores which have not been issued for a period of 24 months but are anticipated to be used in the near future, and

(b) 'Dead' surplus stores which comprise items of stores which have not been issued for 24 months and which, it is considered, are not likely to be utilised on any Railway within the next two years.

(iii) 'Emergency' stores shall comprise items which do not ordinarily wear out or require renewals but which have to be kept in stock to meet emergencies such as that due to breakage or unanticipated deterioration and which are not readily obtainable in India.

(iv) 'Stores obtained for special works' shall comprise stores required for works and other specified purposes, i.e. other than for 'Operation' or 'Ordinary maintenance and repairs' and which are ordinarily despatched directly to the requisitionist without being stocked in stores depot.

(v) Scrap–denotes materials which are no longer useful for the purpose for which they were originally purchased, or obtained–

(a) 'Ordinary' scrap comprises items for which there is a regular demand for use as raw materials etc.

(b) 'Surplus' scrap will comprise items other than those covered under (a) above.

(vi) Total–39(b).04(i) to 39(b).04(v).

7. The reasons for increase in the stores balances as per item 39(b).04 over the previous year or the norm, if fixed, shall be given. Action taken for disposal of 'Dead' surplus stores shall be indicated.

विवरण 40 -कर्मचारी सांख्यिकी

सामान्य अनुदेश

1. प्रत्येक भारतीय सरकारी रेलवे, उत्पादन इकाइयों एवं अन्य रेल कार्यालयों द्वारा यह विवरण, फार्म-I से-VIII तक में पूरा करके प्रस्तुत किया जाएगा. रेल सुरक्षा विशेष बल से संबंधित कर्मचारी सांख्यिकी, महानिरीक्षक (रे.सु.वि.ब.) के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी एवं यह सचिव (सांख्यिकी) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली के पास फार्म-I के मामले में आगामी वित्त वर्ष के 31 जुलाई और फार्म-II से VIII के मामले में 31 अगस्त से पहले पहुंच जानी चाहिए.

2. संपूर्ण प्रणाली के लिए, विवरण की प्रत्येक मद के लिए पृथक-पृथक संख्याएं दी जाएं.

3. लागत, न कि प्रशासनिक नियंत्रण, विभागों के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करने की कसौटी होगी. उदाहरण के लिए मुख्य इंजीनियर के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले बिजली कर्मचारियों को बिजली विभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा न कि सिविल इंजीनियरी विभाग के अंतर्गत.

4. अवैतनिक पदों पर तैनात कर्मचारियों को उस श्रेणी में दिखलाया जाएगा जिसके द्वारा वे स्थाई कर्मचारी हैं, परन्तु जिनके पास किसी स्थाई पद पर कोई लियन नहीं है उन्हें उस पद के संबंध में दिखलाया जाएगा जिस पर वो कार्यरत हैं.

5. (क) परिवीक्षा (प्रोबेशनरी) अधिकारियों को तब तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे संस्वीकृत कैडर पर रखे गये हों अथवा वे सेवा के कैडर में रिक्तियों में नियुक्त किए गए हो. इस प्रकार से शामिल न किए गए हुए व्यक्तियों की संख्या को विवरण में पृथक रूप से पाद-टिप्पणी में दिखाया जाएगा.

 (ख) प्रशिक्षु एवं कारीगर इंजीनियरों को विवरण के मुख्य कलेवर में शामिल नहीं किया जाएगा परंतु पृथक रूप से विवरण में एक पाद-टिप्पणी में उन्हें दर्शाया जाएगा.

 (ग) कारीगरों को तभी शामिल किया जाए जब तक कि वे संस्वीकृत कैडर में रखे गए हों.

6. (क) 31 मार्च को अन्य विभागों/रेलों से (ऋण पर) लिए गए कर्मचारी उस श्रेणी एवं विभाग में शामिल किए जाएंगे जिसमें कि वे इस तिथि को वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हों.

 (ख) 31 मार्च को छुट्टी पर गए कर्मचारियों को उस विभाग, जहां से वो छुट्टी पर गए थे, में उनके मूल ग्रेड के अनुसार शामिल किया जाएगा.

7. कार्मिक विभाग के कर्मचारियों को पृथक रूप से दिखलाया जाएगा तथा 'प्रशासनिक' विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के कर्मचारियों में शामिल नहीं किया जाएगा.

Statement 40 - Staff Statistics

General Instructions

1. This statement shall be completed and submitted in Forms-I to VIII by Indian Government Railways, Production Units and other Railway Offices so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi, not later than 31st July of the following financial year in case of Form-I and 31st August in case of Forms-II to VIII. The Staff Statistics pertaining to Railway Protection Special Force shall be furnished by IG (RPSF).

2. The figures shall be furnished for the entire system, separately for each item of the statement.

3. The incidence of cost and not the administrative control shall be the criterion for determining the classification of staff by departments. For example, electrical staff working under the administrative control of the Chief Engineer shall be classified under Electrical Department and not the Civil Engineering Department.

4. Employees holding honorary ranks shall be shown in the category in which they are permanent, but those having no lien on any permanent post shall be shown against posts they are working.

5. (a) Probationary officers shall not be included unless they are borne against a sanctioned cadre or they are appointed against vacancies in the cadre of service. The number so excluded shall be shown separately in a footnote in the statement.

 (b) Students and apprentice engineers shall be excluded from the main body of the statement but shall be shown separately in a footnote to the statement.

 (c) Apprentices shall be excluded unless borne against the sanctioned cadre.

6. (a) Staff on loan as on 31st March from other departments/Railways shall be included in the category and department in which actually working on that date.

 (b) Staff on leave as on 31st March are to be included according to their substantive grade in the department from which they proceeded on leave.

7. The staff of the Personnel Department shall be shown separately and the staff under 'Administration' Department shall exclude the Personnel Department staff.

8. रेल सुरक्षा बल, मद (I) की संख्याओं को (क) से (ट) तक के विभागों में शामिल नहीं किया जाएगा.

9. फार्म-I में मद (ड॰) = मद (क) से लेकर (ठ) तक का जोड़.

10. चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष दिये गये आंकड़ों और अब दिये गये आंकड़ों में यदि कोई अंतर हो तो उसे पृथक ज्ञापन में दर्शाया जाएगा.

8. Figures for Railway Protection Force vide item (1) shall be excluded from Departments (a) to (k).

9. In Form-I, Item (m) = Total of items (a) to (l).

10. If there is any alteration in the figures for the preceding year as supplied last year and as now furnished, it shall be explained in a separate memorandum.

.....रेलवे/Railway

40-I-*कर्मचारी सांख्यिकी*/40-I –*Staff Statistics*

फार्म-I/FORM-I

31 मार्चकी तुलना में 31 मार्च को रेलवे पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या

Number of staff employed onRailway on 31st March, as compared with 31st March,.....

विभाग Department	वर्ष Year	चालू लाइन/Open Line					निर्माण/Construction					जोड़/Total (चालू लाइन और निर्माण) (Open line & Construction)				
		ग्रुप 'क' Group 'A'	ग्रुप 'ख' Group 'B'	ग्रुप 'ग' Group 'C'	ग्रुप 'घ' Group 'D'	कुल Total	ग्रुप 'क' Group 'A'	ग्रुप 'ख' Group 'B'	ग्रुप 'ग' Group 'C'	ग्रुप 'घ' Group 'D'	कुल Total	ग्रुप 'क' Group 'A'	ग्रुप 'ख' Group 'B'	ग्रुप 'ग' Group 'C'	ग्रुप 'घ' Group 'D'	कुल Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
क. प्रशासन a. Administration	पिछला वर्ष/ Previous year															
ख. कार्मिक b. Personnel	चालू वर्ष/ Current year															
ग. लेखा c. Accounts																
घ. सिविल इंजीनियरी d. Civil Engineering																
ङ. यांत्रिक इंजीनियरी e. Mechanical Engineering																
च. बिजली इंजीनियरी f. Electrical Engineering																
छ. सिगनल एवं दूर संचार g. Signal and Tele-communication																
ज. परिवहन h. Transportation																
झ. वाणिज्य i. Commercial																
ञ. भंडार j. Stores																
ट. चिकित्सा k. Medical																
ठ. रेल सुरक्षा चल l. Railway Protection Force																
ड. कुल m. Total																

विवरण 40-I-कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म -I
31 मार्च....की तुलना में 31 मार्चको.... रेलवे पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या का विवरण

अनुदेश

1. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 31 मार्च को कर्मचारियों की विभाग-वार संख्या, चालू लाइन और निर्माण के लिए उनकी कुल संख्या के साथ अलग से प्रस्तुत की जाए.

2. चालू लाइन पूंजीगत निर्माण कार्य पर नियुक्त कर्मचारियों को 'चालू लाइन' के सामने दर्शाया जाए और स्वतंत्र निर्माण परियोजना पर नियुक्त कर्मचारियों को 'निर्माण' के अंतर्गत शामिल किया जाए.

3. जहां इस फार्म के संकलन के लिए कोई विनिर्दिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए हैं, विवरण 40 के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश लागू होंगे.

Statement 40-I— Staff Statistics
Form-I
Statement of number of staff employed on Railway on 31st March, as compared with 31st March,.....

Instructions

1. Department-wise number of staff as on 31st March compared with the previous year shall be furnished separately for open line, construction together with their total.

2. The staff employed on open line capital works shall be shown against 'open line' and the staff employed on independant construction projects shall be included under 'construction'.

3. Where no specific instructions have been laid down for compilation of this form, General Instructions for compilation of Statement 40 shall apply.

40–II–कर्मचारी सांख्यिकी/40-II –Staff Statistics

फार्म-II/Form-II

.....की तुलना मेंके दौरान रेलवे पर (चालू लाइन और निर्माण प्रभारित कार्य सहित) कर्मचारियों की संख्या एवं वार्षिक लागत

Number and Annual cost of staff (open line and construction and including work charged) onRailway during.... as compared with

| विभाग Department | वर्ष Year | वर्ष के अंतिम दिन को नियुक्त कर्मचारियों की संख्या (यूनिट में) No. of staff employed on the last day of the year (in units) | | | महीने में नियुक्त कर्मचारियों की औसत संख्या (यूनिट में) Average no. of staff employed monthly (In units) | वेतन एवं अवकाश वेतन Pay and leave salary | रनिंग भत्ता Running allowance | समयोपरि भत्ता Overtime allowance | महंगाई भत्ता Dearness allowance | कार्य के क्षेत्र पर अन्य प्रतिकर भत्ते जैसे नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, असम प्रतिकर भत्ता, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता इत्यादि Other compensatory allowances depending upon the area of work such as city compensatory allowance, house rent allowance, bad climate allowance, Assam compensatory allowance, remote locality allowance etc. | कार्य क्षेत्र पर निर्भर न करने वाले अन्य प्रतिकर भत्ते (यात्रा भत्ता को छोड़कर) Other compensatory allowances not depending upon the area of work (exclusive of travelling allowance) | उत्पादकता संबद्ध बोनस Productivity linked bonus | कुल मजदूरी (कालम 5 से 11) Total wages (Col. 5 to 11) | यात्रा भत्ता Travelling allowance | कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर Compensation under Workmen's Compensation Act. | पारितोषिक आदि Rewards etc. | कठोर परिश्रम भत्ता Hard duty allowance | भविष्य निधि अंशदान Provident Fund contribution | उपदान/भविष्य निधि में विशेष अंशदान Gratuity/Special contribution to P.F. | पेंशन सुविधाएं Pensionary benefits | | (लागत हजार रुपयों में) (कालम 5 से 21 के लिए) (Cost in thousands of Rs.) (for columns 5 to 21) प्रति कर्मचारी औसत मजदूरी (इकाई रुपयों में) Average wage per employee (in units of Rs.) | | |
|---|
| | | स्थायी Permanent | अस्थाई Temporary | कुल स्थायी और अस्थाई कर्मचारी (कालम 3(क)+ 3(ख)) Total permanent and temporary staff (cols. 3(a) + 3(b)) | | | | | | | | | | | | | | | | पेंशन Pension | मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति एवं अन्य उपदान (असाधारण) Death-cum-retirement and other (Extra-ordinary) gratuity | जोड़ (कालम 12 से 20) Total (Cols. 12 to 20) | कालम 12 में ली जाने वाली लागत Taking cost in Col. 12 | कालम 21 में ली जाने वाली लागत Taking cost in Col. 21 |
| 1 | 2 | 3(a)/ 3(क) | 3(b)/ 3(ख) | 3(c)/ 3(ग) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

क. प्रशासन
a. Administration
ख. कार्मिक
b. Personnel
ग. लेखा
c. Accounts
घ. सिविल इंजीनियरी
d. Civil Engineering
ङ. यांत्रिक इंजीनियरी
e. Mechanical Engineering
च. बिजली इंजीनियरी
f. Electrical Engineering
छ. सिगनल एवं दूर संचार
g. Signal and Telecommunication

ज. परिवहन
h. Transportation
झ. वाणिज्य
i. Commercial
त्र. भंडार
j. Stores
ट. चिकित्सा
k. Medical
ठ. रेल सुरक्षा बल
l. Railway Protection Force
ड. कुल
m. Total
ढ. बढोतरी (+)
कमी (–)
n. Increase (+)
Decrease (-)
ण. कुल सं. और वार्षिक लागत :
(i) चालू लाइन
(ii) निर्माण
o. Total no. and annual cost :
(i) Open line
(ii) Construction

विवरण 40 –कर्मचारी सांख्यिकी

फार्म -II

31 मार्च....की तुलना में 31 मार्चको रेलवे पर, चालू लाइन एवं निर्माण पर नियुक्त किए गए कार्य प्रभारित सहित कर्मचारियों की संख्या एवं वार्षिक लागत को दिखाने के लिए विवरण

अनुदेश

1. कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक के संबंध में पृथक विवरण दिए जाएंगे :

 (i) वर्ग 'क' अधिकारी
 (ii) वर्ग 'ख' अधिकारी
 (iii) वर्ग 'क' एवं 'ख' अधिकारी [(i) + (ii)]
 (iv) वर्ग 'ग' कर्मचारी :
 (क) वर्कशाप एवं कारीगर कर्मचारी
 (ख) रनिंग कर्मचारी
 (ग) अन्य वर्ग 'ग' कर्मचारी
 (घ) कुल वर्ग 'ग' कर्मचारी [(क) +(ख) + (ग)]
 (v) वर्ग 'घ' कर्मचारी :
 (क) वर्कशाप एवं कारीगर कर्मचारी (अर्द्ध-कुशल, अकुशल तथा अन्य)
 (ख) अन्य वर्ग 'घ' कर्मचारी
 (ग) कुल वर्ग 'घ' कर्मचारी (क) + (ख)
 (vi) कुल वर्कशाप एवं कारीगर कर्मचारी [iv(क) + v(क)]
 (vii) कुल कर्मचारी –जोड़ सभी ग्रुप क, ख, ग, एवं घ [(iii)+iv(घ) + (v)(ग)]

2. 'रनिंग कर्मचारी' के अंतर्गत भारतीय रेल स्थापना नियमावली के अध्याय-IX के पैरा 902 (viii) में परिभाषित कर्मचारी आएगें, यथा:

 रेल इंजन-

 (क) चालक (मोटरमैन एवं रेल कार चालकों को सम्मिलित करते हुए परंतु शंटरों को शामिल न करते हुए)

 (ख) शंटर

 (ग) फायरमैन (विद्युतीकृत खंडों पर सहायक चालकों एवं डीजल इंजनों पर चालक सहायकों सहित).

 (घ) द्वितीय फायरमैन

 यातायात-

 (ङ) गार्ड

 (च) सहायक गार्ड

3. मद ''रनिंग भत्ता'' में भारतीय रेल स्थापना नियमावली के अध्याय-IX के पैरा 902 (vi) में यथा परिभाषित भत्ता आएगा.

Statement 40 - Staff Statistics

Form-II

Statement showing number and annual cost of staff (including work charged) employed on open line and construction onRailway as on 31st March,as compared with 31st March,

Instructions

1. Separate statements shall be furnished in respect of each of the following categories of staff:

 (i) Group 'A' Officers
 (ii) Group 'B' Officers
 (iii) Group 'A' & 'B' Officers [(i) + (ii)]
 (iv) Group 'C' staff :
 (a) Workshop and artisan staff
 (b) Running staff
 (c) Other Group 'C' staff
 (d) Total Group 'C' staff [(a) + (b) + (c)]
 (v) Group 'D' staff :
 (a) Workshop and artisan staff (Semi-skilled, unskilled and others)
 (b) Other Group 'D' staff
 (c) Total Group 'D' staff (a) + (b)
 (vi) Total workshop and artisan staff [iv(a) + v(a)]
 (vii) Total staff – Total all Groups A, B, C & D [(iii) + iv (d) + v (c)]

2. The term 'Running staff' will cover staff as defined in para 902(viii) of Chapter-IX of the Indian Railways Establishment Manual, namely :

 Loco –

 (a) Drivers (including motormen and Rail Car drivers but excluding shunters)

 (b) Shunters

 (c) Firemen (including Assistant Drivers on electrified sections and Driver Assistants on diesel engines)

 (d) Second Firemen

 Traffic –

 (e) Guards

 (f) Assistant Guards

3. The item "Running allowance" will cover the allowances as defined in para 902(vi) of Chapter IX of the Indian Railways Establishment Manual.

4. चालू लाइन पूंजीगत निर्माण कार्यों पर नियुक्त कर्मचारियों को चालू लाइन के संबंध में दर्शाया जाएगा और केवल स्वतंत्र निर्माण परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारियों को निर्माण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

5. लागत, न कि प्रशासनिक नियंत्रण विभागों के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करने की कसौटी होगी. उदाहरण के लिए, मुख्य इंजीनियर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाले बिजली कर्मचारियों को बिजली विभाग के अंतर्गत, वर्गीकृत किया जाएगा, न कि इंजीनियरी विभाग के अंतर्गत.

6. रेल सुरक्षा बल के लिए आंकड़े, मद (ठ) को कालम 1 में दिए गए विभागों (क) से (ट) तक से बाहर रखा जाएगा.

7. मद (ङ) = (क) से लेकर (ठ) तक की मदों का जोड़.

8. मद (ढ) के संबंध में चालू वर्ष (रिपोर्टाधीन वर्ष) एवं पिछले वर्ष को मद (ड) के अंतर्गत कुल जोड़ों से तुलना करते हुए, केवल कालम 3(ग), (4), (12) एवं (21) के अंतर्गत दर्शाई संख्या एवं लागत के संबंध में बढ़ोतरी या घटोतरी दिखाई जाएगी. घटोतरी या बढ़ोतरी का विस्तृत रूप में एक पृथक ज्ञापन में स्पष्टीकरण दिया जाएगा.

9. **कालम 3**- वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन वाले कर्मचारियों का ब्यौरा, पैरा 1 में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, विभागानुसार दिया जाएगा :

 3(क) स्थाई
 3(ख) अस्थाई
 3(ग) जोड़ [3(क)+3(ख)]

10. **कालम 4-नियुक्त कर्मचारियों की औसत संख्या,** चाहे वे स्थाई, स्थानापन्न या अस्थाई हों, संबद्ध वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के प्रत्येक आखिरी दिन को संबद्ध श्रेणी में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों, की संख्या का अर्थगणितीय औसत होगी.

11. कालम 5 से 21 में वार्षिक लागत के आंकड़े, कालम 4 के अंतर्गत शामिल संपूर्ण कर्मचारियों, प्रत्येक श्रेणी में चालू लाइन एवं निर्माण में स्थाई, स्थानापन्न और अस्थाई कर्मचारियों से संबंधित होंगे. चालू लाइन एवं निर्माण कर्मचारियों से संबंधित संख्या और वार्षिक लागत के पृथक आंकड़े क्रमश: मदों (ण) (i) एवं (ण) (ii) के सामने दिखाए जाएंगे और उनका कुल जोड़ मद (ड) के अंतर्गत दी गई संख्या से मेल खाएगा.

12. विभिन्न राजस्व सारों के अंतर्गत बुक किए गए कर्मचारियों की लागत का विभागवार ब्यौरा, पृथक रूप से अनुबंध 'घ' में निम्न के नीचे दिया जाएगा :

 (क) वर्ग 'क' एवं 'ख' -अधिकारी
 (ख) वर्ग 'ग' एवं 'घ'-
 (i) वर्कशाप एवं कारीगर
 (ii) रनिंग (केवल वर्ग 'ग' के मामले में)
 (iii) (i) तथा (ii) को छोड़कर अन्य

4. The staff employed on Open Line Capital Works shall be shown against open line and the staff employed on independent construction projects only shall be included under construction.

5. The incidence of cost and not the administrative control shall be the criterion for determining the classification of staff by departments. For example, electrical staff working under the administrative control of the Chief Engineer shall be classified under Electrical Department and not under Engineering Department.

6. Figures for Railway Protection Force, item (l) shall be excluded from departments (a) to (k) given in Column 1.

7. Item (m) = Total of items (a) to (l).

8. Against item (n) is to be shown the increase or decrease in respect of the number and cost shown under columns 3(c), (4), (12) and (21) only as compared with the totals under item (m) of the current year (year under report) and the previous year. The increase or decrease shall also be explained in detail in a separate memorandum.

9. **Col. 3 –** Break-up of staff as on last day of the financial year shall be given department-wise under various categories listed in para 1:

 3(a) Permanent
 3(b) Temporary
 3(c) Total [3(a) + 3(b)]

10. **Col. 4 – The average number of staff employed,** shall be the arithmetical average of the number of staff, whether permanent, officiating or temporary, actually working in the category concerned on the last day of each of the 12 months of the financial year concerned.

11. The figures of annual cost in columns 5 to 21 shall relate to all staff included under column 4 i.e. permanent, officiating and temporary in each category, open line as well as construction. Separate figures of number and annual cost relating to open line and construction staff shall be given against items (o)(i) and (o)(ii) respectively and their total shall tally with the figures given under item (m).

12. Department-wise break-up of staff costs booked under various Revenue Abstracts is given in Annexure 'D' separately under :

 (a) Groups 'A' and 'B' – Officers
 (b) Groups 'C' and 'D' –
 (i) Workshop & Artisans
 (ii) Running (only in case of Group 'C')
 (iii) Others excluding (i) & (ii)

13. विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कर्मचारी लागतों एवं अन्य लागतों, जैसे कि समान, किराया, विज्ञापन खर्च आदि दोनों को उन्ही शीर्षों के अंतर्गत बुक किया जाता है. केवल खर्च की निम्नलिखित प्राथमिक इकाइयों (उद्देश्यों) के अंतर्गत बुक किए गए कर्मचारियों की लागत को शामिल किया जाएगा :

 1 वेतन एवं मजदूरी
 2 मंहगाई भत्ता
 3 उत्पादकता संबद्ध बोनस
 4 मकान किराया भत्ता
 5 नगर प्रतिपूर्ति भत्ता
 10 किलोमीटर भत्ता
 11 समयोपरि भत्ता
 12 रात्रि डयूटी भत्ता
 13 अन्य भत्ते
 14 शुल्क एवं मानदेय
 15 स्थानांतरण भत्ता
 16 हवाई यात्रा सहित यात्रा खर्च
 17 सुविधा पास के स्थान पर स्वीकृत हवाई यात्रा खर्च
 18 आवधिक ओवर हालिंग एवं अन्य मरम्मतों पर मजदूरी का समायोजन

14. अनुबंध 'घ' में उल्लिखित लेखे के शीर्ष उदाहरणपटक समझे जाएंगे न कि सम्पूर्ण एवं इसके बाद शुरू किए गए या छोड़ दिए गए किसी भी शीर्ष को उपर्युक्त तरीके से वर्गाकृत किया जाएगा.

15. **कालम 5-वेतन एवं अवकाश वेतन** - में मूल वेतन, समुद्रपार वेतन, स्थानापन्न वेतन, विशेष वेतन एवं अवकाश वेतन को अनुबंध 'घ' में दिए गए विभिन्न सारों के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 01 वेतन एवं मजदूरी के अंतर्गत बुक किए गए अनुसार सम्मिलित किया जाएगा.

16. **कालम 6-रनिंग भत्ता** - रनिंग भत्ते जैसा कि उसे विभिन्न सारों के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 10-किलोमीटर भत्ता के अंतर्गत बुक किया गया है, को इस कालम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

17. **कालम 7-समयोपरि भत्ता** - कालम में विभिन्न सारों के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 11 के अंतर्गत बुक किए गए समयोपरि भत्ते को इस कालम में शामिल किया जाएगा.

18. **कालम 8-महंगाई भत्ता** - विभिन्न सारों के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 2 के अंतर्गत बुक किए गए मंहगाई भत्ते को इस कालम में रखा जाएगा.

19. **कालम 9-कार्य के क्षेत्र पर निर्भर अन्य प्रतिकर भत्ते**-भत्तों में नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, पहाड़ी भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, प्रतिकर भत्ता एवं दूरस्थ स्थान भत्ता आदि को शामिल किया जाएगा तथा प्राथमिक इकाईयों 4, 5 एवं 13 के अंतर्गत बुक ऐसे भत्तों को इस कालम में शामिल किया जाएगा.

13. Under certain Heads, both staff costs and other costs such as material, rental, advertising expenses etc., are booked under the same Heads. Only staff costs booked under the following Primary Units (Objectives) of expenditure shall be included :

 1 Salary and Wages
 2 Dearness Allowance
 3 Productivity Linked Bonus
 4 House Rent Allowance
 5 Compensatory City Allowance
 10 Kilometrage Allowance
 11 Overtime Allowance
 12 Night duty Allowance
 13 Other Allowances
 14 Fees & Honoraria
 15 Transfer Allowance
 16 Travelling Expenses including Air Travel
 17 Air Travel expenses sanctioned in lieu of privilege passes
 18 Adjustment of wages on POH and other repairs

14. The Heads of Accounts quoted in Annexure 'D' shall be taken as illustrative and not exhaustive and any Head introduced hereafter or omitted shall be classified in the above manner.

15. **Col. 5–Pay and Leave Salary—**shall include basic pay, overseas pay, officiating pay, special pay and leave salary as booked under Primary Unit 01-Salary and Wages-under various Abstracts as given in Annexure 'D'.

16. **Col. 6–Running Allowance—**Running Allowance as booked under Primary Unit 10–Kilometrage Allowance under various Abstracts shall be included under this column.

17. **Col. 7–Overtime Allowance—**Overtime Allowance booked under Primary Unit 11 under various Abstracts shall be included under this column.

18. **Col. 8–Dearness Allowance—**Dearness Allowance booked under Primary Unit 2 under various Abstracts shall be included under this column.

19. **Col. 9–Other Compensatory Allowances depending on the area of work**—shall include city compensatory allowances, house rent allowance, hill allowance, bad climate allowance, tribal area allowance, Assam compensatory allowance and remote locality allowance etc. and such allowances booked under Primary Units 4, 5 and 13 shall be included under this column.

20. **कालम 10**-यात्रा भत्ते, उत्पादकता संबद्ध बोनस, श्रम साध्य डयूटी भत्ता एवं पुरस्कार आदि को सम्मिलित न करते हुए कार्य के क्षेत्र पर निर्भर न रहने वाले अन्य प्रतिकर भत्तों, को इस शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाएगा जैसा कि उन्हें प्राथमिक इकाइयों 12,13,14,15, एवं 17 के अंतर्गत बुक किया गया है.

21. **कालम 11-उत्पादकता संबद्ध बोनस** - विभिन्न सारों के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 3 के अंतर्गत बुक किए गए उत्पादकता संबद्ध बोनस को इस कालम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

22. **कालम 12**-कालम 5 से 11 तक का जोड़

23. **कालम 13-यात्रा भत्ता** - इस कालम में विभिन्न सारों के अंतर्गत प्राथमिक इकाई 16 के अंतर्गत बुक किए गए यात्रा भत्तों को शामिल किया जाएगा.

24 **कालम 14-कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर** - के-300 के अंतर्गत बुक किए गए खर्चे को शामिल किया जाएगा.

25. **कालम 15**-इस कालम में सराहनीय सेवाओं, वीरता, उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में सुधार आदि के लिए कर्मचारियों को दिए गए पुरस्कारों को सम्मिलित किया जाएगा. उदाहरणार्थ, रे.सु.ब. कर्मचारियों को राष्ट्रपति का पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि सेवा पदक/पुलिस पदक, के-141 के अंतर्गत बुक किए गए रेल कर्मचारियों को मिलने वाले पुरस्कार आदि के कारण देय आर्थिक भत्ते के भुगतान के कारण के-681 के अंतर्गत बुक खर्चा.

26. **कालम 16-श्रम साध्य डयूटी भत्ता** - श्रम साध्य डयूटी भत्ता जैसा कि उसे प्राथमिक इकाई 13 अन्य भत्ते के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है इस मद के नीचे दिखाए जाएंगे.

27. **कालम 17-भविष्य निधि अंशदान** - में केवल संबंधित मदों के प्रति सरकार के अंशदान को सम्मिलित किया जाएगा. यदि कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वास्तविक आंकड़े उपलब्ध न हो या उनका संकलन करना कठिन हो, तो एल-810 के अंतर्गत बुक किए गए वार्षिक कुल अंशदान को, विषयगत श्रेणियों में से प्रत्येक से अप्रैल माह में अदा किया जाने वाले, मार्च माह के लिए वेतन बिलों के माध्यम से वसूली किए जाने वाले वास्तविक शुल्क के अनुपात में बांटा जा सकता है.

28. **कालम 18-उपदान**- ऐसा गैर-पेंशन योग्य कर्मचारियों , जिनकी सेवाएं विषयगत वर्ष के दौरान समाप्त की गई या जो सेवामुक्त हुए, को भविष्य निधि के प्रति विशेष 'अंशदान' अथवा 'उपदान' शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक भुगतान को सम्मिलित किया जायेगा जैसा कि शीर्ष एल-700 के प्रति बुक किया गया है.

29. **कालम 19**-शीर्ष एल-100 से एल-400, एल-630, एल-640 एल-650, एल-660, एल-670 एवं एल-910 के प्रति कुल प्रभारों को शामिल करेगा.

30. **कालम 20-मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान एवं अन्य (असाधारण) उपदान** - में एल-500, एल-610 और एल 620 के अंतर्गत बुक किए प्रभार आएंगे.

20. **Col. 10—**Other compensatory allowances not depending on the area of work excluding travelling allowance, productivity linked bonus, hard duty allowance and rewards etc. – shall be booked under this Head as booked under Primary Units 12, 13, 14, 15 and 17.

21. **Col. 11–Productivity Linked Bonus —** Productivity linked bonus booked under Primary Unit 3 under various Abstracts shall be included under this column.

22. **Col. 12–**Total of columns 5 to 11.

23. **Col. 13–Travelling Allowance**—Travelling allowance booked under Primary Unit 16 under various Abstracts shall be included under this column.

24. **Col. 14–Compensation under Workmen Compensation Act —**shall include expenses booked under K-300.

25. **Col. 15—**Under this column, rewards given to employees for their meritorious services, gallantry, improvement in efficiency and productivity etc., shall be included. For example, expenditure booked under K-141 on account of payment of monetary allowance payable to RPF personnel on the award of President's Police and Fire Services Medal/ Police Medal for Gallantry and Rewards and Prizes to Railway Staff booked under K-681.

26. **Col. 16–Hard Duty Allowance —** Hard duty allowance as included under Primary Unit 13–Other Allowances–shall be shown under this item.

27. **Col. 17–Provident Fund Contribution**—shall include Government's contribution only against the respective items. If actual figures under the various categories of staff are not available or are difficult to compile, the annual total contribution as booked under L-810 may be divided in the proportion of the actual subscription recovered from each of the categories in question through the salary bills for the month of March paid in April.

28. **Col. 18–Gratuity**—shall include the actual payments under the Head 'Gratuity' or 'Special Contribution to Provident Fund' to the non-pensionable staff who retired or whose services were terminated during the year and as booked against the Head L-700.

29. **Col. 19—**shall, include the charges booked against Heads L-100 to L-400, L-630, L-640, L-650, L-660, L-670 and L-910.

30. **Col. 20–Death-cum-Retirement and Other (Extra-ordinary) Gratuity,** shall include charges booked under L-500, L-610 and L-620.

नोट : यदि कालम 18 से 20 तक के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत विभाग वार वास्तविक आंकड़े उपलब्ध न हों या उनका संकलन करना कठिन हो तो, यह प्रत्येक श्रेणी/विभाग के लिए कालम 5 के अंतर्गत वेतन/अवकाश वेतन के अनुपात में विभक्त किया जाएगा.

31. **कालम 21**–कालम 13 से 20 तक का जोड़ है.

32. औसत मजदूरी प्रति कर्मचारी :

$$\text{कालम 22} = \frac{\text{कालम 12 (इकाइयों में ली गई)}}{\text{कालम 4}}$$

$$\text{कालम 23} = \frac{\text{कालम 21 (इकाइयों में ली गई)}}{\text{कालम 4}}$$

33. रेलवे पर नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या को फार्म में दिखलाया जाएगा जैसा कि इस विवरण के अनुबंध 'क' में दिया गया है.

34. पदोन्नत एवं सीधे तौर पर नियुक्त वर्ग 'क' एवं 'ख' अधिकारियों की संख्या को फार्म में दिखलाया जाएगा जैसा कि इस विवरण के अनुबंध 'ख' में दिया गया है.

35. यदि इस वर्ष और पिछले वर्ष के लिए दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन हुआ हो, इसके लिए एक पृथक ज्ञापन में स्पष्टीकरण दिया जाएगा.

36. जहां पर इस फार्म के संकलन के लिए कोई विनिर्दिष्ट अनुदेश न दिए गए हों, विवरण सं. 40 के अंतर्गत दिए गए सामान्य अनुदेश लागू होंगे.

Note: If the actual department-wise figures under various categories of staff for Cols. 18 to 20 are not available or difficult to compile, it shall be distributed in the ratio of Pay/Leave salary under Column 5 for each category/ department.

31. **Col. 21 –** is the total of Columns 13 to 20.

32. Average wage per employee:

$$\text{Col. 22} = \frac{\text{Column 12 (taken in units)}}{\text{Col. 4}}$$

$$\text{Col. 23} = \frac{\text{Column 21 (taken in units)}}{\text{Col. 4}}$$

33. The number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe staff employed on Railways shall be shown in the form as given in Annexure 'A' to this statement.

34. The number of Promoted and Directly Recruited Group 'A' and 'B' Officers shall be shown in the form as given in Annexure 'B' to this statement.

35. If there is any alteration in the figures for the preceding year as supplied last year and as now furnished, it shall be explained in a separate memorandum.

36. Where no specific instructions are laid down for compilation of this form, General Instructions given under Statement No. 40 shall be followed.

अनुबंध – 'क'/ANNEXURE - 'A'

40–II-कर्मचारी सांख्यिकी/40-II –Staff Statistics

फार्म-I/Form-I

31 मार्चको रेलवे पर नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) (चालू लाइन और निर्माण) की विभागवार कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing Department-wise total number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees (permanent & temporary) (open line and construction) employed on Railway as on 31st March.....

कर्मचारियों की श्रेणी Category of staff	विभाग/Department												
	प्रशासन Adminis-tration	कार्मिक Perso-nnel	लेखा Acc-ounts	सिविल इंजीनियरी Civil Engg.	यांत्रिक इंजीनियरी Mech. Engg.	बिजली इंजीनियरी Elec. Engg.	सिगनल एवं दूरसंचार Signal & Telecom	परिवहन Trans-portation	वाणिज्य Comm-ercial	भंडार Sto-res	चिकित्सा Medi-cal	रेल सुरक्षा बल RPF	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. ग्रुप 'क' कर्मचारी : Group 'A' staff : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
2. ग्रुप 'ख' कमर्चारी : Group 'B' staff: S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
3. ग्रुप 'ग' कर्मचारी : Group 'C' staff :													
(i) वर्कशाप एवं कारीगर कर्मचारी : Workshop & Artisan Staff : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
(ii) रनिंग कर्मचारी : Running staff : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
(iii) अन्य : Others : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
(iv) जोड़ – ग्रुप 'ग' कर्मचारी : Total Group 'C' staff : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
4. ग्रुप 'घ' कर्मचारी: Group 'D' staff :													
(i) वर्कशाप एवं कारीगर कर्मचारी : Workshop & Artisan staff : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
(ii) अन्य (सफाईवालों को छोड़कर) : Others (excluding Safaiwalas) : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
(iii) सफाईवाले : Safaiwalas : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा													
(iv) जोड़ – ग्रुप 'घ' कर्मचारी : Total Gruop 'D' staff : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													
5. कुल जोड़ – (सभी ग्रुप): Grand Total - (All Groups) : S.C./अ.जा. S.T./अ.ज.जा.													

अनुबंध – 'ख'/Annexure - 'B'

40–II-कर्मचारी सांख्यिकी/40-II –Staff Statistics

31 मार्च को रेलवे पर पदोन्नत और सीधी भर्त्ती किए गए ग्रुप 'क' और 'ख' अधिकारियों (स्थायी एवं अस्थायी) (चालू लाइन और निर्माण) का विभागवार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण.

Statement showing department-wise total number of Groups 'A' and 'B' Officers (permanent & temporary) (open line and construction) promoted and directly recruited on..... Railway as on 31st March.....

विभाग/Department	वर्ष/Year	सीधी भर्ती/Directly recruited	पदोन्नत/Promoted	जोड़/Total
1	2	3	4	5
क. प्रशासन a. Administration ख. कार्मिक b. Personnel ग. लेखा c. Accounts घ. सिविल इंजीनियरी d. Civil Engg. ङ. यांत्रिक इंजीनियरी e. Mech. Engineering च. बिजली इंजीनियरी f. Elec. Engineering छ. सिगनल एवं दूर संचार g. Signal & Telecom ज. परिवहन h. Transportation झ. वाणिज्य i. Commercial ञ. भंडार j. Stores ट. चिकित्सा k. Medical ठ. रेल सुरक्षा चल l. Railway Protection Force ड. कुल m. Total	पिछला वर्ष/Previous Year चालू वर्ष/Current Year			

टिप्पणी : जोड (कालम–5) के अंतर्गत दिखाए गए आंकड़े जो फार्म 40–II के ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' अधिकारियों से संबंधित कालम 3(ग) में दिए गए से मेल खाने चाहिए.
Note : The figures shown against Total (Col. 5) shall agree with those given in Column 3(c) relating to officers in Form 40-II. - Group 'A' and Group 'B'.

अनुबंध – 'घ'/ANNEXURE - 'D'

40–II–कर्मचारी सांख्यिकी/40-II –Staff Statistics
विभिन्न राजस्व सार के अंतर्गत बुक किए गए कर्मचारियों की लागत का विभागवार ब्यौरा
Statement showing department-wise break up of staff costs booked under various Revenues Abatracts

विभाग Department	ग्रुप 'क' और 'ख' अधिकारी Group 'A' and 'B' Officers	ग्रुप 'ग' एवं 'घ' कर्मचारी Group 'C' & 'D' Staff		
		i) वर्कशाप और कारीगर कर्मचारी Workshop and Artison staff	ii) रनिंग कर्मचारी* Running Staff	iii) अन्य (वर्कशाप और कारीगर कर्मचारी तथा रनिंग कर्मचारियों को छोड़कर) Others (excluding Workshop and artison staff and running staff)
क. प्रशासन a. Administration	ए-111,121,131,141,151,161; A-111,121,131,141,151,161	ई-841,852 E-841,852		ए-112,122,132,142,152,162 A-112,122,132,142,152,162
ख. कार्मिक b. Personnel	ए-311,321,331 A-311,321,331			ए 312, 322, 332; जे-110; के-500, 620 A-312, 322, 332; J-110; K-500, 620
ग. लेखा c. Accounts	ए-211, 221,231, 241; A-211, 221,231, 241			ए-212, 214,222,232,242 A-212, 214,222,232,242
घ. सिविल इंजीनियरी d. Civil Enginearing	ए-511,521,522,523,524,531; बी-111,112,113, 114 A-511,521,522,523,524,531; B-111,112,113,241	ए-526,528; बी-116,118, 128,129; ई-200 A-526,528; B-116, 118, C-128,129; E-200		ए-512,525,527,532; बी-115, 117, 121,122,123,125,126,127,200, 300,400,500,600,700; जे–511,512,551,561,571 A-512,525,527,532; B-115, 117, 121,122,123,125,126,127,200, 300,400,500,600,700; J-511,512,551,561, 571
ङ. यांत्रिक इंजीनियरी e. Mechanical Engineering	ए-611,614,621,624,631,641, 644; सी-111,112; डी-111; एच-141,241 A-611,614,621,624,631,641, 644; C-111,112; D-111; H-141,241	ए-612,615,642; सी-115,125,126,200,300, 600; डी–200, 300; ई–300 A-612,615,642; C-115,125,126,200,300, 600; D–200, 300; E–300	एफ-112,212 810,840 F-112,212 810,840	ए-622,625,632,645; सी-113,114, 121,122,123,124; डी-112,121.122; एफ-111,130,141,211,230, 510,520,820; एच-140,240 A-622,625,632,645; C-113,114 121,122,123,124; D-112,121.122; F-111,130,141,211,230, 510,520,820; H-140,240
च. बिजली इंजीनियरी f. Electrical Engineering	ए-711,721,724,731,741; सी-141,142; डी-141,142,143,144; ई-141,142,144,145,147, 152,154,400 A-711,721,724,731,741; C-141,142;D-141,142,143,144; E-141,142,144,145,147, 152,154,400	ए-722,742; सी-143,151, 153,500; डी-145, 147, 151,153,155,157,400,500 A-722,742; C-143,151, 153,500; D-145, 147, 151,153,155,157,400, 500	एफ-312,412 F-312,412	ए-712,725,732; सी-144, 152, 154; डी-146,148,152,154, 156,158; ई-143,151,153; एफ-311,320,411,420,611, 621,630,660,671; एच-311; जे-513,514,552,562,572 A-712,725,732; C-144, 152, 154; D-146,148,152,154, 156,158. E-143,151,153; F-311,320,411,420,611, 621,630,660,671; H-311; J-513,514,552,562,572

छ.	सिगनल एवं दूर संचार	ए-811,821,831,841; ई-111,112	ए-842; ई-113,121,123, 500, 600		ए-812,822,832; ई-114,122,124; एफ-710, 720
g.	Signal and Telecommunication	A-811,821,831,841; E-111,112	A-842; E-113,121,123, 500, 600		A-812,822,832; E-114,122,124; F-710, 720
ज.	परिवहन	ए-911,931,941,951	ई-810,820,831	जी-510; F-810	ए-912,932,942,952,954; जी-112,132,210,250,260, 300,520,600,711
h.	Transportation	A-911,931,941,951	E-810,820,831	G-510; F-810	A-912,932,942,952,954; G-112,132,210,250,260, 300,520,600,711
झ.	वाणिज्य	ए-921; के-211, 212			ए-922; जी-122, 220, 230, 240, 291, 400,530,540,550,560; के-213, 214, 411,421
i.	Commercial	A-921; K-211, 212			A-922; G-122, 220, 230, 240, 291, 400,530,540,550,560; K-213, 214, 411, 421.
ञ.	भंडार	ए-411,421			ए-412,422,424,425
j.	Stores	A-411,421			A-412,422,424,425
ट.	चिकित्सा	जे–211			जे-213,215,251,311, 351,355
k)	Medical	J–211			J-213,215,251,311, 351,355
ठ.	रेलवे सुरक्षा बल	के-111,121			के-112,113,122,123,141
l.	Railway Protection Force	K-111,121			K-112,113,122,123,141

* केवल ग्रुप 'ग' कर्मचारियों से संबंधित

* Relates to only Group 'C' staff.

टिप्पणी : ऊपर दिए गए लेखा के शीर्ष को स्पष्ट रूप से लिया जाए न कि उल्झाऊ रूप से और उसके बाद आरंभ किए गए या हटाए गए किसी भी शीर्ष को अनुदेशों (फार्म–II) के पैरा 13 में दिखाए गए अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा.

Note : The Heads of Accounts quoted above shall be taken as illustrative and not exhaustive, and any Head introduced hereafter or omitted shall be classified in the manner shown in para 13 of the Instructions (FORM-II)

40–III-कर्मचारी सांख्यिकी/40-III–Staff Statistics

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/सेवा छोड़ गए कर्मचारियों, पेंशन स्थापना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों औरवर्ष के दौरान रेलवे पर अंशदान भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित कर्मचारियों को संदेय पेंशन एवं सरकारी अंशदान के रूप में वितरित राशि दर्शाने वाला विवरण

Statement showing staff retired/left service during the year, staff borne on pension establishment and the amount disbursed as pension and government contribution and special contribution paid to the staff governed by Contributory Provident Fund Rules on Railway during the year.....

क्र.स. S.No.	विवरण Particulars	वर्ष Year	वर्ग 'क' Group A	वर्ग 'ख' Group B	वर्ग 'ग' Group C	वर्ग 'घ' Group D	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सेवानिवृत्त/सेवा छोड़ गए कर्मचारियों की संख्या No. of staff who retired /left service	पिछला वर्ष चालू वर्ष Previous Year Current Year					
2.	सेवानिवृत्त/सेवा छोड़ गए कर्मचारियों को छोड़कर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या : Out of the staff who retired/ left service the number governed by :						
	i) सी.पी.एफ. नियम	–वही–					
	C.P.F. Rules	-do-					
	ii) पेंशनरी नियम	–वही–					
	Pensionary Rules	-do-					
3.	31 मार्च तक पेंशन स्थापना में आने वाले कर्मचारियों की संख्या No of staff borne on pension establishment as on 31st. March	–वही– -do-					
4.	उन कर्मचारियों की संख्या जो अपनी पेंशन लेते हैं पिछले वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित : No. of staff (including staff retired in earlier years) who draw their pension in :						
	i) महानगर	–वही–					
	Metropolitan cities	-do-					
	ii) अन्य शहर	–वही–					
	Other localities	-do-					
5.	के रूप में वितरित कुल राशि : Total amount disbursed as :						
	i) पेंशन	–वही–					
	Pension	-do-					
	ii) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान एवं अन्य (असाधारण) उपदान	–वही–					
	Death cum retirement gratuity & other (extra-ordinary) gratuity	-do-					
6.	सी.पी.एफ. नियमों द्वारा कार्य कर रहे कर्मचारियों को दिया जाने वाला विशेष अंशदान गैर सरकारी अंशदान की कुल राशि : Total amount of Government contribution and special contribution paid to the staff governed by C.P.F. rules :						
	i) भविष्य निधि के अंशदान में सरकारी हिस्सा	–वही–					
	Government share of contribution to provident fund	-do-					
	ii) उपदान या विशेष अंशदान	–वही–					
	Gratuity or special contribution	-do-					

विवरण 40-कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म -III
.....रेलवे पर मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की कमी जैसे कि सेवानिवृत्त/नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

अनुदेश

1. जोड़ सहित ग्रुप क, ख, ग एवं घ के लिए जानकारी की अलग से आवश्यक्ता हैं.
2. मद सं. 1 – कर्मचारियों की संख्या में अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा अन्यथा, त्यागपत्र, सेवामुक्त, नौकरी से निकालना, मृत अथवा चिकित्सिक रूप से अयोग्य या किसी और कारण से नौकरी छोड़ना शामिल होंगे.
3. मद सं. 2 – मद 1 में शामिल कर्मचारियों के लिए अलग से सूचना जो (i) अंशदायी भविष्य निधि नियम एवं (ii) पेंशनरी नियमों द्वारा शासित है, के अंतर्गत भेजी जाएगी.
4. मद सं. 3 – पेंशन स्थापना के अंतर्गत 31 मार्च को पेंशन लेने वाले कर्मचारियों में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा जो उस वर्ष या विगत वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हों या नौकरी छोड़ दी हो और इसमें परिवार पेंशन पाने वाले भी शामिल हैं.
5. मद सं. 4 – मद 3 में सम्मिलित पेंशन पाने वाले कर्मचारी अलग से पेंशन लेने के लिए (i) महानगर शहरों (ii) अन्य इलाके में सम्मिलित किए जाएगें. महानगरों में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एवं चैन्नई शहर आएंगे.
6. मद सं. 5 – मद 3 में शामिल व्यक्तियों में बांटी गई कुल राशि को अलग से पेंशन (i) एल 100 से एल 400, एल 630 एल 640, एल 650 एल 660 एवं एल 670 एवं (ii) उपदान एल 500, एल 610 एवं एल 620 के अंतर्गत बुक उपदानों में शामिल की जाएगी.
7. मद सं. 6 – अंशदायी भविष्य निधि नियमों के द्वारा शासित होने वाले कर्मचारियों को अदा की गई कुल राशि को अलग से जैसे कि एल 810 के अंतर्गत बुक किया गया है, भविष्य निधि के लिए सरकारी अंशदान के रूप में, एवं जैसा कि एल 700 के अंतर्गत बुक किया गया है उपदान एवं विशेष अंशदान के रूप में दिखाया जाएगा.

Statement 40 - Staff Statistics
Form-III
Statement showing staff wastages i.e. group-wise number of staff retired/left service on Railway during the year ending March

Instructions

1. Information is required separately for group A,B, C and D along with total.
2. Item No. 1 – of staff will include number retired on superannuation, voluntarily or otherwise, resigned, discharged, removed, died or medically invalidated or left service due to any cause.
3. Item No. 2 - Separate information for staff included in item I shall be sent under those governed by (i) Contributory Provident Fund Rules and (ii) Pensionary Rules.
4. Item No. 3 - No. of staff borne on pension establishment as on 31st March shall include those retired/left service during the year as well as during the earlier years, including family pension holders.
5. Item No. 4 - The staff drawing pension included in item 3 shall be shown separately for drawing pension in (i) metropolitan cities (ii) other localities. Metropolitan cities shall include the cities of Kolkata, Mumbai, Delhi and Chennai.
6. Item No. 5 - Total amount disbursed to persons included in item 3 shall be shown separately as (i) Pension as booked under L 100 to L 400, L 630, L 640, L 650, L 660 and L670 and (ii) gratuities as booked under L 500, L 610 and L 620.
7. Item No. 6 - Total amount paid to staff governed under Contributory Provident Fund Rules shall be shown separately for Government Contribution to Provident Fund as booked under L 810 and Gratuity or Special Contribution as booked under L 700.

40–IV–कर्मचारी सांख्यिकी/40-IV–Staff Statistics

(क) नीचे दिए गए वेतन एवं उसके तदनुरूपी वेतनमानों के संशोधित वेतनमानों पर 31 मार्च को रेलवे में ग्रुप 'ग' कर्मचारियों (स्थायी व अस्थायी) (चालू लाइन एवं निर्माण) की संख्या दर्शाने वाला विवरण.

(a) Statement showing the number of Group 'C' staff (permanent and temporary) (open line and construction) on Railway as on 31st March on the revised scales of pay as noted below or scales corresponding thereto

(i)कारखाना और शिल्पी कर्मचारी/Workshop and Artisan Staff

विभाग Department	वरिष्ठ तकनीशियन Senior Technician रु./Rs. 5000-8000	सुपरवाइजर (मिस्त्री) Supervisor (Mistry) रु./Rs. 4500-7000 (+ Rs. 100- per month)	तकनीशियन ग्रेड-I Technician Grade-I रु./Rs. 4500-7000	तकनीशियन ग्रेड-II Technician Grade-II रु./Rs. 4000-6000	तकनीशियन ग्रेड-III Technician Grade-III रु./Rs. 3050-4590	अन्य वेतनमान Other scales	जोड़ (कालम 2 से 7) Total (Cols. 2 to 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
क. प्रशासन							
a. Administration							
ख. कार्मिक							
b. Personnel							
ग. लेखा							
c. Accounts							
घ. सिविल इंजीरियरी							
d. Civil Engineering							
ङ. यांत्रिक इजीनियरी							
e. Mech. Engineering							
च. बिजली इजीनियरी							
f. Electrical Engineering							
छ. सिगनल एवं दूर संचार							
g. Sig. & Telecom							
ज. परिवहन							
h. Transportation							
झ. वाणिज्य							
i. Commercial							
ञ. भंडार							
j. Stores							
ट. चिकित्सा							
k. Medical							
ठ. रेल सुरक्षा बल							
l. Rly Protection Force							
ड. कुल							
m. Total							

(ii)रनिंग कर्मचारी/ Running Staff

विभाग Department	रु./Rs. 6000-9800	रु./Rs. 5500-9000	रु./Rs. 5000-8000	रु./Rs. 4500-7000	रु./Rs. 4000-6000	रु./Rs. 3050-4590	रु./Rs. 2750-4400	अन्य वेतनमान Other scales	जोड़ (कालम 9 से 16) Total (Cols. 9 to 16)
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
क. प्रशासन a. Administration									
ख. कार्मिक b. Personnel									
ग. लेखा c. Accounts									
घ. सिविल इंजीरियरी d. Civil Engineering									
ङ. यांत्रिक इंजीनियरी e. Mech. Engineering									
च. बिजली इंजीनियरी f. Electrical Engineering									
छ. सिगनल एवं दूर संचार g. Sig. & Telecom									
ज. परिवहन h. Transportation									
झ. वाणिज्य i. Commercial									
ञ. भंडार j. Stores									
ट. चिकित्सा k. Medical									
ठ. रेल सुरक्षा बल l. Rly Protection Force									
ड. कुल m. Total									

(क) यात्री गार्ड/वरिष्ट माल गार्ड/माल ड्राइवर
(a) Passenger Guard/Senior Goods Guard/Goods Driver
(ख)वरिष्ट शंटर
(b) Senior Shunter
(ग) माल गार्ड
(c) Goods Guard
(घ) वरिष्ठ सहायक गार्ड/वरिष्ठ ब्रेकमैन/वरिष्ठ एफ एम आई/वरिष्ट डीज़ल सहायक/वरिष्ठ बिजली सहायक शंटर
(d) Sr. Astt. Guard/Sr. Brakesman/Sr. FMI/Sr. Diesel Asstt./Sr. Elect. Asstt. Shunter

(iii) अन्य कर्मचारी/ Other Staff

रु./Rs. 7450-11500	रु./Rs. 6500-10500	रु./Rs. 5500-9000	रु./Rs. 5000-8000	रु./Rs. 4500-7000	रु./Rs. 4000-6000	रु./Rs. 3200-4900	रु./Rs. 3050-4590	रु./Rs. 2750-4400	अन्य वेतनमान Other scales	जोड़ (कालम 18 से 27) Total (Cols. 18 to 27)	कुल जोड़ (i), (ii) एवं (iii) (कालम- 8+17+28) Grand total (i), (ii) & (iii) (Cols. 8+17+28)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

40–IV–कर्मचारी सांख्यिकी/40-IV–Staff Statistics
फार्म-IV/Form-IV

(ख) नीचे दिए गये वेतन या उसके तदनुरूपी वेतनमानों पर 31 मार्च को ग्रुप 'घ' कर्मचारियों (स्थाई व अस्थायी) (चालू लाइन एवं निर्माण) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(b) Statement showing the number of Group 'D' staff (permanent and temporary (open line and construction) on Railway as on 31st March on the revised scales of pay as noted below or scales corresponding thereto.

विभाग Department	(i)कारखाना और शिल्पी कर्मचारी/Workshop and artisan staff			अन्य वेतनमान Other scales	जोड़ (कालम 2 से 5) Total (Cols. 2 to 5)
	अर्ध–कुशल Semi-skilled	अकुशल Unskilled			
	रु./Rs. 2650-4000	रु./Rs. 2610-3540	रु./Rs. 2550-3200		
1	2	3	4	5	6
क. प्रशासन					
a. Administration					
ख. कार्मिक					
b. Personnel					
ग. लेखा					
c. Accounts					
घ. सिविल इंजीनियरी					
d. Civil Engineering					
ङ. यांत्रिक इंजीनियरी					
e. Mech. Engineering					
च. बिजली इंजीनियरी					
f. Electrical Engineering					
छ. सिगनल एवं दूर संचार					
g. Sig. & Telecom					
ज. परिवहन					
h. Transportation					
झ. वाणिज्य					
i. Commercial					
ञ. भंडार					
j. Stores					
ट. चिकित्सा					
k. Medical					
ठ. रेल सुरक्षा बल					
l. Rly. Protection Force					
ड. कुल					
m. Total					

40–IV–कर्मचारी सांख्यिकी/40-IV–Staff Statistics

फार्म-IV/Form-IV

(ख) नीचे दिए गये वेतन या उसके तदनुरूपी वेतनमानों पर 31 मार्च को ग्रुप 'घ' कर्मचारियों (स्थाई व अस्थायी) (चालू लाइन एवं निर्माण) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(b) Statement showing the number of Group 'D' staff (permanent and temporary (open line and construction) on Railway as on 31st March on the revised scales of pay as noted below or scales corresponding thereto.

(ii) अन्य कर्मचारी/Other Staff					
रु./Rs. 2650-4000	रु./Rs. 2610-3540	रु./Rs. 2550-3200	अन्य वेतनमान Other scales	जोड़ (कालम 7 से 10) Total (Cols. 7 to 10)	कुल जोड़ (i) + (ii) (कालम 6+11) Grand Total (i)+(ii) (Cols. 6+11)
7	8	9	10	11	12

विवरण 40–IV कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म-IV
संशोधित वेतनमानों पर या उसके तदनुरूपी वेतनमानों पर 31 मार्च.....को... रेलवे पर श्रेणी 'ग' एवं श्रेणी 'घ' कर्मचारियों (स्थाई और अस्थाई) (चालू लाइन एवं निर्माण) की संख्या को वेतनमान-वार दिखाने वाला विवरण

अनुदेश

1. श्रेणी ग एवं श्रेणी घ कर्मचारी, स्थाई एवं अस्थाई और इसके साथ-साथ चालू लाइन एवं निर्माण के संबंध में फार्म-IV(क) और IV(ख) में अलग-अलग विवरण दिए जाएंगे.
2. लागत, न कि प्रशासनिक नियंत्रण, विभागों के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करने की कसौटी होगी, उदाहरण के लिए, मुख्य इंजीनियर के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले बिजली कर्मचारियों को बिजली विभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा न कि सिविल इंजीनियरी विभाग के अंतर्गत.
3. मद (ड) = (क) से लेकर (ठ) तक सभी मदों का जोड़.
4. श्रेणी 'ग' कर्मचारियों से संबंधित फार्म-IV(क) के संकलन के लिए निम्न अनुदेश लागू होंगे :
 (i) कालम 8, कालम 2 से 7 तक का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं, श्रेणी-ग-कारखाना और शिल्पी कर्मचारियों से संबंधित फार्म-II के कालम 3(ग) में दिखाई गई संख्याओं के जोड़ के बराबर होगी.
 (ii) कालम 17, कालम 9 से 16 तक का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं, श्रेणी-ग-रनिंग कर्मचारियों से संबंधित फार्म-II के कालम 3(ग) में दर्शायी गयी संख्याओं के जोड़ के बराबर होगी.
 (iii) कालम 28, कालम 18 से 27 तक का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं, श्रेणी-ग-अन्य कर्मचारियों से संबंधित फार्म-II के कालम 3(ग) में दर्शायी गयी संख्याओं के जोड़ के बराबर होगी.
 (iv) कालम 29, कालम 8, 17 और 28 का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं, कुल श्रेणी -ग कर्मचारियों से संबंधित फार्म II के कालम 3(ग) में दर्शाई गई तदनुरूपी संख्याओं के बराबर होगी.
5. वर्ग - घ कर्मचारियों से संबंधित फार्म-IV (ख) के संकलन के लिए निम्न, अनुदेश लागू होंगे :
 (i) कालम 6 कालम 2 से 5 का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं वर्ग 'घ' -वर्कशाप एवं कारीगर कर्मचारियों से संबंधित फार्म-II के कालम 3(ग) में दर्शाई गई संख्याओं के जोड़ के बराबर होंगी.
 (ii) कालम 11, कालम 7 से 10 तक का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं, वर्ग 'घ'-अन्य कर्मचारियों से संबद्ध फार्म-II के कालम 3 (ग) में दर्शाई गई संख्याओं के जोड़ के बराबर होंगी.
 (iii) कालम 12, कालम 6 और 11 का जोड़ है. इस कालम की संख्याएं कुल वर्ग 'घ' कर्मचारियों से संबद्ध फार्म II के कालम 3(ग) में दर्शाई गई संख्याओं के जोड़ के बारबर होंगी.
6. जहां इस फार्म के संकलन के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश न दिए गए हों, विवरण सं. 40 के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश लागू होंगे.

Statement 40 - IV Staff Statistics
Form-IV
Statement showing scale-wise number of Group 'C' and Group 'D' staff (permanent and temporary) (open line and construction) onRailway as on 31st March,on the revised scales of pay or on scales corresponding thereto

Instructions

1. Separate statements in Forms IV(a) & IV(b) shall be furnished in respect of Group C and Group D staff permanent and temporary as well as open line and construction.
2. The incidence of cost and not the administrative control shall be the criterion for determining the classification of staff by departments. For example, electrical staff working under the administrative control of the Chief Engineer shall be classified under Electrical Department and not under Civil Engineering Department.
3. Item (m) = total of items (a) to (l)
4. The following instructions shall apply for compilation of Form-IV(a) relating to Group C staff:
 (i) Col. 8 is the total of cols. 2 to 7. The figures in this column shall agree with the total of figures shown in column 3(c) of Form-II relating to Group C-Workshop and Artisan Staff.
 (ii) Col. 17 is the total of cols. 9 to 16. The figures in this col. shall agree with the total of figures shown in col 3(c) of Form-II relating to Group C-Running staff.
 (iii) Col. 28 is the total of cols. 18 to 27. The figures in this Col. shall agree with the total of figures shown in col. 3(c) of Form-II relating to Group C–Other staff.
 (iv) Col. 29 is the total of cols. 8 , 17 and 28. The figures in this Col. shall agree with the corresponding total figures shown in col. 3(c) of Form-II relating to total Group C staff.
5. The following instructions shall apply for compilation of Form-IV(b) relating to Group D staff :
 (i) Col. 6 is the total of cols. 2 to 5. The figures in this col. shall agree with the total of figures shown in Col. 3(c) of Form-II relating to group 'D' – Workshop and Artisan staff.
 (ii) Col. 11 is the total of cols. 7 to 10. The figures in this column shall agree with the total of figures shown in col. 3(c) of Form-II relating to Group D-Other Staff.
 (iii) Col. 12 is the total of cols. 6 and 11. The figures in this column shall agree with the total of figures shown in col. 3(c) of Form-II relating to total Group D staff.
6. Where no specific instructions are laid down for compilation of this form, General Instructions for compilation of Statement No. 40 shall apply.

40–V कर्मचारी सांख्यिकी/40-V Staff Statistics

फार्म-V/Form-V

वर्ष के अंत मेंरेलवे पर बीमारी, श्रम समस्या और जन उपद्रव के कारण ग्रुप ग और घ कर्मचारियों के कार्य दिवस में कमी दर्शाने वाला विवरण

Statement showing man-days lost by Groups C and D staff due to sickness, labour trouble and civil disturbances on Railways during the year ending.....

कर्मचारियों की हड़ताल Employees strikes			हड़ताल/तालाबंदी आदि के कारण कार्य दिवस में कमी Man-days lost due to strikes/lock out etc.			कर्मचारियों की बीमारी के कारण कार्य दिवस में कमी Man-days lost due to sickness of staff		कार्य दिवस में कुल कमी (कलम 4+6) Total
			तालाबंदी Lock-outs	जन उपद्रव Civil disturbances	जोड़ (कालम 1 से 3) Total (Cols. 1 to 3)	व्यवसायिक (बीमारी) Occupational sickness	अन्य बीमारियों सहित कुल Total including other sickness	Mandays lost (Cols. 4 + 6)
सामान्य हड़ताल@ General strike	अन्य हड़ताल@@ Other strikes	जोड़ Total						
1(क)/1(a)	1(ख)/1(b)	1	2	3	4	5	6	7

@ पंजीकृत व्यापार संघों के वाद पर
At the instance of recognised trade unions

@@ स्थानीय प्रवृत्ति जैसे 'नियमानुसार काम', 'औजार–रखना' आदि की हड़तालें
Strikes of local nature like 'Work to rule' , 'Tool-down' etc. strikes

विवरण 40–V कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म -V
बीमारी, श्रमिक एवं जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के कारण रेलवे के ग्रुप 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों द्वारा खोए गए कार्य दिवसों को दिखाने वाला विवरण

अनुदेश

1. ग्रुप ग एवं घ कर्मचारी, स्थाई एवं अस्थाई दोनों के साथ-साथ चालू लाइन और निर्माण के संबंध में एक ही विवरण दिया जाएगा.

2. (क) इस विवरण के संकलन के प्रयोजन के लिए अन्य रेलों से उधार लिये गए कर्मचारी या फिर विशेष ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाएगा.
 (ख) उच्चतर ग्रुपों में स्थापन्न ग्रुप 'ग' कर्मचारियों को इस विवरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा.
 (ग) यदि वे स्वीकृत कैडर में शामिल न हों तो प्रशिक्षुओं को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा.

3. कालम 5 के अंतर्गत संख्या में निम्नलिखित अधिसूचित बीमारियों के कारण व्यावसायिक बीमारियों की वजह से खोए गए कार्यदिवसों की कुल संख्या सम्मिलित की जाएगी :
 (i) सीसे की विषाक्तता जिसमें ज़िस्ते के यौगिक या उसके परिणामी प्रभाव द्वारा उत्पन्न विषाक्तता भी शामिल है.
 (ii) सीसा-टैट्रा इथाइल विषाक्तता.
 (iii) फास्फोरस विषाक्तता या इसके परिणामी प्रभाव.
 (iv) पारा विषाक्तता या इसके परिणामी प्रभाव.
 (v) मैंग्नीज़ विषाक्तता या इसके परिणामी प्रभाव.
 (vi) आसैनिक विषाक्तता या इसके परिणामी प्रभाव.
 (vii) नाइट्रस धूम के द्वारा विषाक्तता.
 (viii) कार्बन बाईसल्फाईड विषाक्तता.
 (ix) बेंजीन विषाक्तता, इसमें इसके किसी के होमोलोगस, उसके नाइटर या एमिडों डेरिवेटिव या इसके किसी परिणामों यौगिक द्वारा उत्पन्न विषाक्तता सम्मिलित है.
 (x) क्रोम अल्सरेशन अथवा इसके परिणामी प्रभाव.
 (xi) एन्थ्राक्स.
 (xii) सिलिकोसिस.
 (xiii) हेलोजन अथवा स्लाइफेटिक श्रृंखला के हाइड्रो-कार्बन के डेरिवेटिव हेलोजन के द्वारा विषाक्तता.
 (xiv) रोगात्मक प्रकटोकरण के कारण :
 (क) रेडियम अथवा अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ.
 (ख) एक्सरे.
 (xv) त्वचा का प्राथमिक एपिथेलो ओमेटस कैंसर.
 (xvi) टॉक्सिक रक्ताल्पता.
 (xvii) जहरीले पदार्थों के कारण टॉक्सिक पीलिया.

Statement 40 - V Staff Statistics
Form-V
Statement showing man-days lost by Group 'C' and 'D' staff due to sickness, labour trouble and civil disturbances on Railways

Instructions

1. One statement shall be furnished in respect of Groups C and D staff, both permanent and temporary as well as open line and construction.

2. (a) Staff on loan from other Railways or on special duty shall also be included for the purpose of this statement.
 (b) Group 'C' staff officiating in higher groups shall be excluded from this statement.
 (c) Apprentices shall be excluded unless borne against the sanctioned cadre.

3. Figures under col. 5 shall include the total number of man days lost due to occupational sickness caused by the following notifiable diseases :
 (i) Lead poisoning, including poisoning by any preparation of compound of lead or their sequelae.
 (ii) Lead tetra-ethyl poisoning.
 (iii) Phosphorous poisoning or its sequelae.
 (iv) Mercury poisoning or its sequelae.
 (v) Manganese poisoning or its sequelae.
 (vi) Arsenic poisoning or its sequelae.
 (vii) Poisoning by nitrous fumes.
 (viii) Carbon bisulphide poisoning.
 (ix) Benzene poisoning, including poisoning by any of its homologues, their nitre or amido derivatives or its sequelae.
 (x) Chrome ulceration or its sequelae.
 (xi) Antharx.
 (xii) Silicosis.
 (xiii) Poisoning by halogens or halogen derivatives of the hydrocarbone of sliphatic series.
 (xiv) Pathological manifestations due to :
 (a) Radium or other radio-active substances.
 (b) X-rays.
 (xv) Primary epitheliomatous cancer of the skin.
 (xvi) Toxic anaemia.
 (xvii) Toxic jaundice due to poisonous substances.

4. कालम 6 के अंतर्गत संख्याओं में कर्मचारियों की बीमारी के कारण (इसमें कालम 5 में दिखाई गई व्यावसायिक बीमारियां सम्मिलित हैं) खोए गए कुल कार्यदिवस शामिल होंगे.

5. कालम 5 व 6 के प्रयोजन के लिए सभी खोए हुए कार्यदिवस दिखाए जाएंगे चाहे बीमारी व तत्पश्चात स्वास्थ्य लाभ की अवधि जिसे किसी रेलवे चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है अथवा किसी निजी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रमाणपत्र रेलवे द्वारा तत्पश्चात स्वीकार किया जाता है. लेकिन इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर बीमारी के कारण वेतन सहित या वेतन के बिना दी गई एक या दो दिन की छुट्टी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा.

6. बीमारी के दिनों में बीमारी प्रमाणपत्र एवं स्वस्थता प्रमाणपत्र दिए जाने के बीच की कुल अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, छुट्टी के किसी भाग में तत्पश्चात् जो परिवर्तन किया जाता है, उससे बीमारी के कारण खोए गए कार्य दिवसों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा. वे कर्मचारी जिन्हें चिकित्सा प्रमाणपत्र पर बीमारी की छुट्टी दी जाती है परंतु जिनकी बीमारी की पराकाष्ठा मृत्यु अथवा अशक्तता में होती है और तत्पश्चात् छुट्टी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, उनके मामले में बीमारी के दिनों की गणना बीमारी प्रमाणपत्र से लेकर मृत्यु या अशक्तता की तिथि तक की जाएगी.

7. कालम 1 से 4 में निम्न को शामिल किया जाएगा–हड़ताल चाहे वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार कानूनी हों अथवा गैरकानूनी, तालाबंदी एवं अन्य नागरिक उपद्रवों आदि के कारण खोए गए कार्य दिवस. कर्मचारियों की हड़ताल में सामान्य हड़ताल (पंजीकृत व्यापार संघों के वाद पर) या स्थानीय प्रवृति जैसे 'नियमानुसार काम', 'औजार रखना' आदि हड़तालें अन्य हड़तालें शामिल होंगी.

8. कालम 4, 1 से 3 तक के कालमों का जोड़ है और कालम 7 कालम 4 एवं 5 का जोड़ है.

9. जहां पर इस फार्म के संकलन के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए हों, विवरण सं. 40 के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश लागू होंगे.

4. Figures under column 6 shall include the total man-days lost due to any sickness of staff including those due to occupational sickness shown in column 5.

5. For the purpose of columns 5 and 6, all man-days lost shall be shown whether the period of sickness and subsequent convalescence is covered by a railway medical certificate or a private registered medical practioner's certificate subsequently accepted by the Railway. But leave granted with or without pay for one or two days on memo submitted by the staff due to sickness shall not be included for this purpose.

6. The number of sick days shall comprise the total period between the granting of a sick certificate and sick discharge certificate; subsequent conversion of any portion of leave shall not change the figure of days lost on account of sickness. In cases of employees who are allowed sick leave on medical certificate but whose illness culminated in either death or invalidation and consequently no discharge certificates are issued, sick days will be counted from the date of sick certificate to the date of death or invalidation.

7. Columns 1 to 4 shall include the man-days lost due to strikes, whether legal or illegal under the Industrial Disputes Act, lock-outs and other civil disturbances etc. Employees' strikes may be general strikes (at the instance of recognised trade unions) or other strikes of local nature like 'work to rule', 'Tool-down' etc. strikes.

8. Column 4 is the total of columns 1 to 3 and column 7 the total of columns 4 and 6.

9. Where no specific instruction are laid down for compilation or this form, General Instructions for compilation of statement 40 shall apply.

40–VI कर्मचारी सांख्यिकी/40-VI Staff Statistics

फार्म -VI(क)/Form-VI(a)

मार्च.....के अंत में..... रेलवे पर विभिन्न बीमारियों के आक्रमण और उनसे हुई मृत्यु की संख्या दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the number of attacks and deaths due to various diseases on Railway during the year ending March.....

क्रम सं. S.No.	बीमारी का नाम Name of disease	वर्ष Year	आक्रमणों की संख्या No. of attacks	मृतकों की संख्या No. of deaths
1	2	3	4	5
1.	मलेरिया Malaria	चालू वर्ष Current year		
2.	तपेदिक Tuberculosis	–वही– -do-		
3.	एच आई वी पोजिटिव HIV positive	–वही– -do-		
4.	हैपिटाइट्स बी पोजिटिव Hepatitis B positive	–वही– -do-		
5.	पोलियो Polio	–वही– -do-		
6.	डिपथीरिया Diphtheria	–वही– -do-		
7.	काली खांसी Whooping cough	–वही– -do-		
8.	खसरा Measles	–वही– -do-		
9.	टैटनस Tetanus	–वही– -do-		

40–फार्म VI-(ख) कर्मचारी सांख्यिकी/40-VI –Staff Statistics
फार्म-VI(ख) /Form-VI(b)

मार्च.....को समाप्त होने वाले वर्ष में..... रेलवे के चिकित्सा विभाग की अव-संरचना एवं निष्पादान के मानदंड दर्शाने वाला विवरण

Statement showing the infrastructure and performance parameters of Medical Department on Railway during the year ending March.....

क्रम सं. S.No.	मद Items	संख्या No.
1	2	3
1.	(i) अस्पतालों की संख्या No. of hospitals	
	(ii) स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या No. of health units	
	(iii) बंद औषधालय No. of lock up dispensaries	
	(iv) दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्करों की संख्या, श्रेणी-I No. of Accident Relief Medical Equipment, Scale-I	
	(v) दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्करों की संख्या, श्रेणी-II No. of Accident Relief Medical Equipment, Scale-II	
2.	(i) ओ पी डी (बहिरंग रोगी विभाग) में देखे गए मरीजों की संख्या No. of patients treated in OPD	
	(ii) अन्तरंग विभाग में दाखिल मरीजों की संख्या No. of admissions in indoor	
	(iii) की गई कुल जांचों की संख्या Total No. of investigations done	
	(iv) की गई शल्य चिकित्साओं की संख्या No. of surgical operations done	
3.	(i) अस्पतालों में मृत्यु दर का प्रतिशत Percentage of mortality in hospitals	
	(ii) बिस्तर अधिभोग अनुपात Bed Occupancy Ratio	
	(iii) मरीजों के अस्पताल में ठहरने की सामान्य समय सीमा Average length of stay of patients in hospitals	
4.	काम पर घायल के मामलों की संख्या: No. of cases of injured on duty :	
	(i) कारखानों में In workshops	
	(ii) अन्य Others	
5.	व्यावसायिक बीमारियों की संख्या No. of cases of occupational diseases	
6.	(i) एकत्रित किए गए खाद्य नमूनों की संख्या No. of samples collected	
	(ii) सही पाए गए नमूनों का प्रतिशत Percentage of samples found fit	

1	2	3
7.	(i) जीवाणु संबंधी परीक्षण के लिए, लिए गए पानी के नमूनों की संख्या No. of water samples tested for bacteriological examination	
	(ii) जीवाणु संबंधी जांच में सही पाए गए नमूनों का प्रतिशत Percentage found fit bacteriologically	
	(iii) अवशिष्ट क्लोरीन के लिए जांचे गए पानी के नमूनों की संख्या No. of water samples tested for Residual Chlorine	
	(iv) अवशिष्ट क्लोरीन जांच में सही पाई गई प्रतिशत Percentage found fit for Residual Chlorine	
8.	परिवार कल्याण निष्पादन : Family welfare performance :	
	(i) बन्ध्यीकरणों की संख्या No. of sterilisations	
	(ii) लगाए गए इंट्रा यूट्रिन डिवाइस (आई यू डी) Intra Uterine Devices inserted	
	(iii) मुख से खाई जाने वाली गोलियां (ओरल पिल्स) Oral pills acceptors	
9.	गैर-रेलवे आमदनी Non-Railway earnings	
10.	(i) वर्ष के दौरान रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य सेवा में लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या No. of RELHS beneficiaries registered during the year	
	(ii) रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य सेवा में लाभ उठाने वाले लाभभोगियों का संचयी जोड़ Cumulative total of RELHS beneficiaries	

विवरण 40–VI कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म -VI (क)
विभिन्न बीमारियों के कारण आक्रान्त एवं मृत कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण
फार्म -VI (ख)
चिकित्सा विभाग के अव संरचना एवं निष्पादन मानदंड (पैरामीटर) दर्शाने वाला विवरण

अनुदेश

1. ग्रुप (क, ख, ग एवं घ) दोनों स्थायी एवं अस्थायी के साथ-साथ चालू लाइन एवं निर्माण कर्मचारियों के संबंध में एक विवरण तैयार किया जाएगा.

2. इस विवरण में दिए गये आंकड़ों और रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय को दिए गये आंकड़ों में समानता होनी चाहिए.

3. जहां पर इस फार्म के संकलन के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश न दिए गए हों, विवरण सं. 40 के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश लागू होंगे.

Statement 40 - VI Staff Statistics
Form-VI(a)
Statement showing number of attacks and deaths due to various diseases
Form-VI(b)
Statement showing infrastructure and performance parameters of Medical Department

Instructions

1. One statement shall be furnished in respect of all staff (Groups A, B, C and D), both permanent and temporary as well as open line and construction.

2. The figures given in this statement shall be in conformity with those furnished to the Health Directorates of the Railway Board.

3. Where no specific instructions are laid down for compilation of this form, General Instructions for compilation of Statement No. 40 shall apply.

40 – VII कर्मचारी सांख्यिकी/40-VII Staff Statistics

फार्म -VII/Form-VII

31 मार्चको..... रेलवे पर स्थाई एवं अस्थाई (चालू लाइन और निर्माण) महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का विभागवार विवरण

Statement showing department-wise total number of female employees (permanent and temporary) (open line and construction) employed on Railway as on 31st March,

विभाग Department	ग्रुप क और ख अधिकारी Officer Groups A & B		ग्रुप ग कर्मचारी/Group C Staff कारखाना और कारीगर कर्मचारियों से इतर Other than workshop and Artisan staff						ग्रुप घ कर्मचारी Group D Staff		जोड़ (कालम 2 से 11) Total (Cols. 2 to 11)
	ग्रुप क/Group A	ग्रुप ख/Group B	कारखाना एवं कारीगर कर्मचारी Workshop & Artisan staff	क्लर्क /Clerks	स्टैनोग्राफर/Stenographers	नर्स/Nurses	टीचर/Teachers	अन्य/Others	कारखाना एवं कारीगर कर्मचारी Workshop & Artisan staff	कारखाना और कारीगर कर्मचारियों से इतर Other than workshop and Artisan staff	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

क. प्रशासन
a. Administration
ख. कार्मिक
b. Personnel
ग. लेखा
c. Accounts
घ. सिविल इंजीरियरी
d. Civil Engineering
ङ. यांत्रिक इंजीनियरी
e. Mech. Engineering
च. बिजली इंजीनियरी
f. Electrical Engineering
छ. सिगनल एवं दूर संचार
g. Signal & Telecom
ज. परिवहन
h. Transportation
झ. वाणिज्य
i. Commercial
ञ. भंडार
j. Stores
ट. चिकित्सा
k. Medical
ठ. रेल सुरक्षा बल
l. Rly Protection Force
ड. कुल
m) Total

विवरण 40–VII- कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म -VII
31 मार्च.....कोरेलवे पर नियुक्त की गई महिला कर्मचारियों की कुल संख्या का विभागवार विवरण (स्थायी एवं अस्थायी, चालू लाइन और निर्माण)

अनुदेश

1. स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों तथा चालू लाइन एवं निर्माण के सभी कर्मचारियों के बारे में एक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा.

2. लागत, न कि प्रशासनिक नियंत्रण, विभागों के अनुसार कर्मचारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करने की कसौटी होगी. उदाहरण के लिए मुख्य इंजीनियर के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले बिजली कर्मचारियों को बिजली विभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, न कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत.

3. जहां पर इस फार्म के संकलन के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं दिए गए हों, विवरण सं. 40 के संकलन के लिए सामान्य अनुदेश लागू होंगे.

Statement 40 –VII - Staff Statistics
Form-VII
Statement showing department-wise total number of female employees (permanent and temporary, open line and construction) employed onRailway on 31st March.....

Instructions

1. One statement shall be furnished in respect of all staff, both permanent and temporary as well as open line and construction.

2. The incidence of cost and not the administrative control, shall be the criterion for determining the classification of staff by departments. For example, electrical staff working under the administrative control of the Chief Engineer shall be classified under Electrical Department and not under Civil Engineering Department.

3. Where no specific instructions have been laid down for compilation of this form, General Instructions for compilation of Statement No. 40 shall apply.

40–VIII कर्मचारी सांख्यिकी/40-VIII Staff Statistics

फार्म -VIII(क)/Form-VIII (a)

VIII(क) 31 मार्च, को..... रेलों पर कार्यरत ग्रुप 'ग' कर्मचारियों का विवरण

VIII (a)-Statement showing Group 'C' Staff Housed on Railway as on 31st March.....

ग्रुप 'ग' के कर्मचारियों की कुल संख्या Total number of Group 'C' Staff				वग 'ग' के क्वार्टरधारियों की कुल संख्या Total number of Group 'C' Staff housed				क्वार्टरधारियों का कुल कर्मचारियों से प्रतिशत Percentage of housed to total staff			
अनिवार्य/Essential		गौण Non-essential	कुल Total	अनिवार्य/Essential		गौण Non-essential	कुल Total	अनिवार्य/Essential		गौण Non-essential	कुल Total
रनिंग कर्मचारी Running staff	रनिंग कर्मचारियों से इतर Other than running staff			रनिंग कर्मचारी Running staff	रनिंग कर्मचारियों से इतर Other than running staff			रनिंग कर्मचारी Running staff	रनिंग कर्मचारियों से इतर Other than running staff		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

40–VIII कर्मचारी सांख्यिकी/40-VIII Staff Statistics

फार्म -VIII(ख) /Form-VIII (b)

VIII(ख)–31 मार्च, को..... रेलों पर कार्यरत ग्रुप 'घ' कर्मचारियों का विवरण

VIII (b)-Statement showing Group 'D' Staff Housed on Railway as on 31st March.....

ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों की कुल संख्या Total number of Group 'D' Staff			ग्रुप 'घ' के क्वार्टरधारियों की कुल संख्या Total number of Group 'D' Staff housed			क्वार्टरधारियों का कुल कर्मचारियों से प्रतिशत Percentage of housed to total staff		
अनिवार्य/Essential	गौण Non-essential	कुल Total	अनिवार्य/Essential	गौण Non-essential	कुल Total	अनिवार्य/Essential	गौण Non-essential	कुल Total
रनिंग कर्मचारियों से इतर Other than running staff			रनिंग कर्मचारियों से इतर Other than running staff			रनिंग कर्मचारियों से इतर Other than running staff		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 40–VIII कर्मचारी सांख्यिकी
फार्म -VIII(क) एवं (ख)
31 मार्च, को क्षेत्रीय रेलों पर कार्यरत ग्रुप ग और घ कर्मचारियों से संबंधित विवरण

अनुदेश

1. (क) ग्रुप ग और (ख) ग्रुप घ कर्मचारियों के लिए अलग–अलग आंकड़े प्रस्तुत किये जाएंगे.
2. अनिवार्य श्रेणी ग्रुप ग कर्मचारी के अंतर्गत आंकड़े रनिंग कर्मचारियों और रनिंग कर्मचारियों से इतर के अंतर्गत विभाजित किये जाएंगे.
3. रनिंग कर्मचारियों की परिभाषा हेतु फार्म–II में दिये गये अनुदेश इस फार्म के लिए सूचना संकलित करते समय लागू होंगे.
4. रनिंग ग्रुप ग के अर्तगत कर्मचारी एवं ग्रुप ग एवं ग्रुप घ कर्मचारियों की कुल संख्या फार्म–II में दिए गए तदनुरूपी आंकड़ों से मेल खायेगी.
5. फार्म VIII(क)के कालम 9 से 12 एवं फार्म–VIII(ख) के कालम 7 से 9 के अंतर्गत प्रतिशत नीचे दिये अनुसार निकटतम पूर्ण संख्या तक संकलित किये जाएंगे.

फार्म- VIII (क)

कालम 9 = कालम 5×100/कालम 1
कालम 10 = कालम 6×100/कालम 2
कालम 11 = कालम 7×100/कालम 3
कालम 12 = कालम 8×100/कालम 4

फार्म- VIII (ख)

कालम 7 = कालम 4×100/कालम 1
कालम 8 = कालम 5×100/कालम 2
कालम 9 = कालम 6×100/कालम 3

Statement 40–VIII Staff Statistics
Form-VIII (a) & (b)
Statement showing Group C & Group D Staff housed on Zonal Railways as on 31st March.....

Instructions

1. The data shall be furnised separately for (a) Group C & (b) Group D staff.
2. Under Essential category of Group C staff data shall be bifurcated under Running and Other Running staff.
3. For definition of Running staff, the instructions as given in Form-II shall apply for compiling information for this form.
4. The Running staff under Group C and total No. of Group C & Group D staff shall tally with corresponding figures given in form-II.
5. The percentage under Cols. 9 to 12 of form-VIII (a) and Cols. 7 to 9 of Form-VIII (b) shall be worked out as under, rounding off to the nearest whole number.

Form - VIII (a)

Col. 9 = col. 5×100/col. 1
Col. 10 = col. 6×100/col. 2
Col. 11 = col. 7×100/col. 3
Col. 12 = col. 8×100/col. 4

Form - VIII (b)

Col. 7 = col. 4×100/col. 1
Col. 8 = col. 5×100/col. 2
Col. 9 = col. 6×100/col. 3

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन/सभी आमान
B.G./M.G./N.G./Whole System

विवरण-41
Statement-41

दुर्घटनाओं, रेल उपस्करों की विफलताओं तथा असामान्य घटनाओं का विवरण
Statement of Accidents, Failures of Railway Equipment and Un-Usual Occurrences

तालिका 1..... को समाप्त वर्ष के दौरान गाड़ियों की दुर्घटनाओं और उनमें हताहतों की संख्या, क्षति की लागत आदि
Table 1 – Number of train accidents, casualties, cost of damage etc. during the year ending.....

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of accidents under various causes.	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants				अन्य Others				हताहतों की कुल संख्या Total all classes				क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to		सीधी संचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted.
					Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल					
	भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 113 के अंतर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनाएं/उपस्कर विफलता Accidents/Equipment Failures reported to Local Govt. under Sec. 113 of the Railway Act., 1989 (24 of 1989)	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की गई दुर्घटनाएं Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर)/Total (including other accidents)	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) /Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) /Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) /Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) /Minor (Simple)	जोड़/Total	रु. चल स्टाक/Rs. Rolling Stock	रु. रेल पथ/Rs. Track	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. टक्करें **Collisions**																						
1.01 सवारी गाड़ियों के बीच टक्करें (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से - **Collisions between passenger trains (to include all) due to –**																						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती (a) Failure of station staff																						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय - Reception of a train -																						

(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना
Incorrect setting of points

(ii) लाइन का घिरा होना
Line being occupied

(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना
Signals taken off for a train not put back to 'ON'

(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear

(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट
Obstruction of line during shunting

(vi) जोड़
Total

(2) गाड़ी को रवाना करते समय –
Despatch of a train –

(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना
Incorrect setting of points

(ii) अवरूद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना
By sending it into a blocked section

(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear

(iv) शंटिंग के दौरान रूकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना
Obstruction during shunting or bumping against train going away

(v) जोड़
Total

(ख) ड्राइवर की गलती –

(b) Driver's failure –

(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर –
On sections equipped with automatic signals –

(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना
Non-observance of rules while passing signal at 'ON'

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red.	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(2)	स्वचल सिगनल-व्यवस्था रहित खंडों पर - On sections not equipped with automatic signals -																							
(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						

(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना
Absolute disregard of signal showing red.

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना
Over-shooting

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

(iv) जोड़
Total

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*

(c) Other staff failures*

(घ) उपस्करों की खराबी –

(d) Failure of equipment –

(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power

(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side

* ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि.

* Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लास का टूटना Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, e.g. bursting of gauge glass																						
(iv) जोड़ Total																						
(ङ) ब्लाक सेक्शन में या स्टेशन पर से वाहन का निकल भागना (e) Vehicles escaping into block section or at the station																						
(च) गाड़ी की तोड़ फोड़ (f) Train wrecking																						
(छ) मोटर ट्राली (लागू नहीं) (g) Motor trolleys (Not applicable)																						
(ज) लारी (लागू नहीं) (h) Lorries (Not applicable)																						
(झ) समीपवर्ती रेल पथ पर अवरोधन द्वारा रुकावट (i) Infringement by obstruction on the adjacent track																						
(ञ) विविध कारण (j) Misc. causes																						
(ट) कारणों का अंतिम रूप से निर्धारण न हो सकना (k) Causes not finalised																						
(ठ) जोड़ (क – ट) (l) Total (a to k)																						
1.02 सवारी गाड़ियों और दूसरी गाड़ियों या वाहनों या डिब्बों या इंजनों में टक्करें (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से – **Collisions between passenger trains and other trains or vehicles/wagons or engines (to include all) due to –**																						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती – (a) Failure of station staff –																						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय – Reception of a train –																						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना Incorrect setting of points																						

(ii) लाइन का घिरा होना
Line being occupied

(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना
Signal taken off for a train not put back to 'ON'

(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear

(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट
Obstruction of line during shunting

(vi) जोड़
Total

(2) गाड़ी को रवाना करते समय –
Despatch of a train –

(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना
Incorrect setting of points

(ii) अवरूद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना
By sending it into a blocked section

(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना
Fouling mark not clear

(iv) शंटिंग के दौरान रूकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना
Obstruction during shunting or bumping against train going away

(v) जोड़
Total

(ख) ड्राइवर की गलती –

(b) Driver's failure –

(1) स्वचल सिगनल–व्यवस्था वाले खंडों पर –
On sections equipped with automatic signals –

(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(2)	स्वचल सिगनल–व्यवस्था रहित खंडों पर – On sections not equipped with automatic signals –																							
(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						

(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना
Absolute disregard of signal showing red

भाप Steam
डीजल Diesel
बिजली Electric
जोड़ Total

(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना
Over-shooting

भाप Steam
डीजल Diesel
बिजली Electric
जोड़ Total

(iv) जोड़
Total

भाप Steam
डीजल Diesel
बिजली Electric
जोड़ Total

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*
(c) Other staff failures*
(घ) उपस्करों की खराबी –
(d) Failure of equipment –
(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लास का टूटना
Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, e.g., bursting of gauge glass
(iv) जोड़
Total

* ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी , सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि.
* Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ङ) ब्लाक सेक्शन में या स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना (e) Vehicles escaping into block section or at the station (च) गाड़ी में तोड़ फोड़ (f) Train wrecking (छ) मोटर ट्रालियां (g) Motor trolleys (ज) लारियां (h) Lorries (झ) समीपवर्ती रेलपथ पर अवरोधन द्वारा रुकावट (i) Infringement by obstruction on the adjacent track (ञ) विविध कारण (j) Misc. causes (ट) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना (k) Causes not finalised (ठ) जोड़ (क से ट) (l) Total (a to k)																						
1.03 सवारी गाड़ियों और बफर रोकों (बफर स्टाप) में टक्करें (सभी को सम्मिलित करना है), निम्नलिखित कारणों से - **Collisions between passenger trains and buffer stops(to include all) due to -** (क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती - (a) Failure of station staff - (1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय - Reception of a train - (i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना Incorrect setting of points (ii) लाइन का घिरा होना (लागू नहीं) Line being occupied (Not applicable) (iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना (लागू नहीं) Signals taken off for a train not put back to 'ON' (Not applicable) (iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना (लागू नहीं) Fouling mark not clear (Not applicable) (v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट (लागू नहीं) Obstruction of line during shunting (Not applicable) (vi) जोड़ Total																						

(2) गाड़ी को रवाना करते समय –
Despatch of a train –

(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना
Incorrect setting of points

(ii) अवरूद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना (लागू नहीं)
By sending it into a blocked section (Not applicable)

(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना (लागू नहीं)
Fouling mark not clear (Not applicable)

(iv) शंटिंग के दौरान रूकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना (लागू नहीं)
Obstruction during shunting or bumping against train going away (Not applicable)

(v) जोड़
Total

(ख) ड्राइवर की गलती –

(b) Driver's failure –

(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर –
On sections equipped with automatic signals –

(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना
Non-observance of rules while passing signal at 'ON'

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना
Absolute disregard of signal showing red

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना
Over-shooting

भाप
Steam
डीजल
Diesel
बिजली
Electric
जोड़
Total

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(2)	स्वचल सिगनल-व्यवस्था रहित खंडों पर - On sections not equipped with automatic signals -																							
(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						

(iv) जोड़ / Total — भाप / Steam; डीजल / Diesel; बिजली / Electric; जोड़ / Total

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*

(c) Other staff failures*

(घ) उपस्करों की खराबी –

(d) Failure of equipment –

(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power

(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरण की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side

(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर हो जाना, जैसे गेज ग्लास का टूटना
Defects in locomotive causing distraction of the driver resulting in a collision, e.g., bursting of gauge glass

(iv) जोड़
Total

(ङ) ब्लाक सेक्शन में या स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना (लागू नहीं)

(e) Vehicles escaping into block section or at the station (Not applicable)

(च) गाड़ी में तोड़ फोड़ (लागू नहीं)

(f) Train wrecking (Not applicable)

(छ) मोटर ट्रालियां (लागू नहीं)

(g) Motor trolleys (Not applicable)

(ज) लारियां (लागू नहीं)

(h) Lorries (Not applicable)

(झ) समीपवर्ती रेलपथ पर अवरोधन द्वारा रुकावट (लागू नहीं)

(i) Infringement by obstruction on the adjacent track (Not applicable)

(ञ) विविध कारण

(j) Misc. causes

(ट) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना

(k) Causes not finalised

(ठ) जोड़ (क से ट)

(l) Total (a to k)

* ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी , सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि.

* Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.04 माल गाड़ियों और यात्री गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियों अथवा वाहनों/माल डिब्बों अथवा इंजनों के बीच टक्करें (शंटिंग के दौरान मामूली टक्करें, जिनमें हुई क्षति का मूल्य 5000 रुपये से कम हो, को छोड़कर सभी को सम्मिलित करना है), निम्नलिखित कारणों से – **Collisions between goods trains and other than passenger trains or vehicles/ wagons or engines (to include all except light collisions in the course of shunting where the value of the damage done amounts to less than Rs. 5000/-) due to –** (क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती – (a) Failure of station staff – (1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय – Reception of a train – (i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना Incorrect setting of points (ii) लाइन का घिरा होना Line being occupied (iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना Signals taken off for a train not put back to 'ON' (iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना Fouling mark not clear (v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट Obstruction of line during shunting (vi) जोड़ Total (2) गाड़ी को रवाना करते समय – Despatch of a train – (i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना Incorrect setting of points (ii) अवरूद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना By sending it into a blocked section (iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना Fouling mark not clear (iv) शंटिंग के दौरान रूकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना Obstruction during shunting or bumping against train going away (v) जोड़ Total																						

(ख) ड्राइवर की गलती –

(b) Driver's failure –

(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर –

On sections equipped with automatic signals –

(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(2)	स्वचल सिगनल-व्यवस्था रहित खंडों पर - On sections not equipped with automatic signals -																							
	(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signal at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
	(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
	(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
	(iv) जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*

(c) Other staff failures*

(घ) उपस्करों की खराबी –

(d) Failure of equipment –

(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power

(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side

(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लास का टूटना
Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, e.g., bursting of gauge glass

(iv) जोड़
Total

(ङ) ब्लाक सेक्शन में या स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना

(e) Vehicles escaping into block section or at the station

(च) गाड़ी में तोड़ फोड़

(f) Train wrecking

(छ) मोटर ट्रालियां

(g) Motor trolleys

(ज) लारियां

(h) Lorries

(झ) समीपवर्ती रेलपथ पर अवरोधन द्वारा रुकावट

(i) Infringement by obstruction on the adjacent track

(ञ) विविध कारण

(j) Misc. causes

(ट) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना

(k) Causes not finalised

(ठ) जोड़ (क से ट)

(l) Total (a to k)

1.05 माल गाड़ियों और बफर रोकों (बफर स्टाप) के बीच टक्करें (तभी सम्मिलित करना है जब कि चल स्टाक पटरी से उतर गया हो, अथवा किसी व्यक्ति या माल की गम्भीर क्षति हो गयी हो जो कि 20,000 रु. से अधिक की हो) निम्नलिखित कारणों से –
Collisions between goods trains and buffer stops (to be included when the rolling stock is derailed or

* ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी , सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि.

* Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
there is serious damage done to persons or property i.e., in excess of Rs. 20,000) due to –																						
(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती –																						
(a) Failure of station staff –																						
(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय –																						
Reception of a train –																						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना																						
Incorrect setting of points																						
(ii) लाइन का घिरा होना (लागू नहीं)																						
Line being occupied (Not applicable)																						
(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना (लागू नहीं)																						
Signals taken off for a train not put back to 'ON' (Not applicable)																						
(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना (लागू नहीं)																						
Fouling mark not clear (Not applicable)																						
(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट (लागू नहीं)																						
Obstruction of line during shunting (Not applicable)																						
(vi) जोड़																						
Total																						
(2) गाड़ी को रवाना करते समय –																						
Despatch of a train –																						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना																						
Incorrect setting of points																						
(ii) अवरुद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजना (लागू नहीं)																						
By sending it into a blocked section (Not applicable)																						
(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना (लागू नहीं)																						
Fouling mark not clear (Not applicable)																						
(iv) शंटिंग के दौरान रूकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना (लागू नहीं)																						
Obstruction during shunting or bumping against train going away (Not applicable)																						
(v) जोड़																						
Total																						

(ख) ड्राइवर की गलती –

(b) Driver's failure –

(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर –

On sections equipped with automatic signals –

(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(2)	स्वचल सिगनल–व्यवस्था रहित खंडों पर – On sections not equipped with automatic signals –																							
	(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
	(ii) सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
	(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						
	(iv) जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total																						

(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*

(c) Other staff failures*

(घ) उपस्करों की खराबी –

(d) Failure of equipment –

(i) ब्रेक शक्ति की खराबी
Failure of brake power

(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी
Failure of signalling apparatus on the unsafe side

(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर होना, जैसे गेज ग्लास का टूटना
Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, i.e., bursting of gauge glass

(iv) जोड़
Total

(ङ) ब्लाक सेक्शन या स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना (लागू नहीं)

(e) Vehicles escaping into block section or at the station (Not applicable)

(च) गाड़ी में तोड़ फोड़ (लागू नहीं)

(f) Train wrecking (Not applicable)

(छ) मोटर ट्रालियां (लागू नहीं)

(g) Motor trolleys (Not applicable)

(ज) लारियां (लागू नहीं)

(h) Lorries (Not applicable)

(झ) समीपवर्ती रेलपथ पर अवरोधन द्वारा रुकावट

(i) Infringement by obstruction on the adjacent track

(ञ) विविध कारण

(j) Misc. causes

(ट) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना

(k) Causes not finalised

(ठ) जोड़ (क से ट)

(l) Total (a to k)

1.06 गाड़ियों की कुल टक्करें (मद 1.01 से 1.05) निम्नलिखित कारणों से –

Total train collisions (Item 1.01 to 1.05) due to –

(क) स्टेशन कर्मचारियों की गलती –

(a) Failure of station staff –

(1) गाड़ी को स्टेशन पर लेते समय –
Reception of a train –

(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना
Incorrect setting of points

* ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि

* Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ii) लाइन का घिरा होना Line being occupied																						
(iii) किसी गाड़ी के लिए 'आफ' किए गए सिगनल को फिर से 'आन' न किया जाना Signals taken off for a train not put back to 'ON'																						
(iv) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना Fouling mark not clear																						
(v) शंटिंग के दौरान लाइन की रुकावट Obstruction of line during shunting																						
(vi) जोड़ Total																						
(2) गाड़ी को रवाना करते समय – Despatch of a train –																						
(i) कांटों का ठीक तरह से न बैठाना Incorrect setting of points.																						
(ii) अवरुद्ध ब्लाक सेक्शनों में भेजना By sending it into a blocked section																						
(iii) जाम पट्टी (फाउलिंग मार्क) का साफ न होना Fouling mark not clear																						
(iv) शंटिंग के दौरान रूकावट या जाती हुई गाड़ी से टक्कर खाना Obstruction during shunting or bumping against train going away																						
(v) जोड़ Total																						
(ख) ड्राइवर की गलती – (b) Driver's failure –																						
(1) स्वचल सिगनलों की व्यवस्था वाले खंडों पर – On sections equipped with automatic signals –																						
(i) 'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam																					
	डीजल Diesel																					
	बिजली Electric																					
	जोड़ Total																					

(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iii)	'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(iv)	जोड़ Total	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

(2) स्वचल सिगनल-व्यवस्था रहित खंडों पर -
On sections not equipped with automatic signals -

(i)	'आन' अवस्था में सिगनल से गुजरते समय नियमों का पालन न करना Non-observance of rules while passing signals at 'ON'	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total
(ii)	सिगनल के लाल दिखाई देने पर भी उसकी नितांत अवहेलना Absolute disregard of signal showing red	भाप Steam डीजल Diesel बिजली Electric जोड़ Total

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	(iii) 'आन' सिगनल से आगे निकल जाना Over-shooting	भाप Steam																						
		डीजल Diesel																						
		बिजली Electric																						
		जोड़ Total																						
	(iv) जोड़ Total	भाप Steam																						
		डीजल Diesel																						
		बिजली Electric																						
		जोड़ Total																						
(ग) अन्य कर्मचारियों की गलती*																								
(c) Other staff failures*																								
(घ) उपस्करों की खराबी -																								
(d) Failure of equipment -																								
(i) ब्रेक शक्ति की खराबी Failure of brake power																								
(ii) असुरक्षित स्थिति में सिगनल के उपकरणों की खराबी Failure of signalling apparatus on the unsafe side																								
(iii) इंजन में खराबी होने के कारण ड्राइवर का ध्यान भंग होने के फलस्वरूप टक्कर हो जाना, जैसे गेज ग्लास का टूटना, आदि Defects in locomotive causing distraction of the driver, resulting in a collision, i.e., bursting of gauge glass																								
(iv) जोड़ Total																								

* ड्राइवर से भिन्न इंजन कर्मीदल, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, सिगनल व अंतर्पाश कर्मचारी, सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी, इंजन अनुरक्षण कर्मचारी, आदि.
* Engine crew other than driver, guard, permanent way staff, signalling and interlocking staff, carriage and wagon staff, loco-maintenance staff, etc.

(ङ) ब्लाक सेक्शन या स्टेशनों पर से वाहन का निकल भागना
(e) Vehicles escaping into block section or at the station
(च) गाड़ी में तोड़-फोड़
(f) Train wrecking
(छ) मोटर ट्रालियां
(g) Motor trolleys
(ज) लारियां
(h) Lorries
(झ) समीपवर्ती रेलपथ पर अवरोधन द्वारा रुकावट
(i) Infringement by obstruction on the adjacent track
(ञ) विविध कारण
(j) Misc. causes
(ट) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना
(k) Causes not finalised
(ठ) जोड़ (क से ट)
(l) Total (a to k)

1.07 प्रति दस लाख गाड़ी कि.मी. के हिसाब से गाड़ियों की टक्करों की संख्या -
Number of train collisions per million train kms. -

(i) सवारी गाड़ियां**
Passenger trains**
(ii) अन्य गाड़ियां***
Other trains***
(iii) सभी गाड़ियां†
All trains†

1.08 प्रति दस लाख ढोये गये यात्रियों @ के हिसाब से गाड़ी की टक्करों के कारण मृतक और घायल यात्रियों की संख्या -
Number of passengers killed/injured due to train collisions per million passengers carried@ -

** मद 1.01(ठ)+1.02(ठ)+1.03(ठ)÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सब कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर, जिनमें ई.एम्.यू. (जैसी कि गाड़ियां चल रही हों) और रेलकारें/रेलबसें के किलोमीटर सम्मलित हैं.
* *Items 1.01(l) + 1.02(l) + 1.03(l) ÷ Train kilometres of all tractions relating to all passengers and mixed trains, including EMU (As the trains are run) and rail cars/rail buses but excluding departmental trains..
*** मद 1.04(ठ) और 1.05(ठ)÷ मद 1.07(i) के लिए सम्मिलित गाड़ी कि.मी. को छोड़कर सभी कर्षणों की सभी गाड़ियों के किलोमीटर.
* **Items 1.04(l) and 1.05(l) ÷ Train kilometres of all tractions other than those included for item 1.07(i).
@ $\frac{\text{मद 1.06(ठ) x 1,000,000}}{\text{ढोये गए यात्री}}$, ढोये गये यात्रियों से आशय प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर, जैसा भी संदर्भ हो, कुल ढोये गए यात्रियों की संख्या से हैं.

@ $\frac{\text{Item 1.06(l) x 1,000,000}}{\text{Passengers carried}}$ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

† मद सं. 1.06(ठ) ÷ मद 1.07 (i) और 1.07 (ii) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर की गणना की जाए.
† Item 1.06(l) ÷ Train kilometres of all tractions taken into account for items 1.07(i) & 1.07(ii).

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2. पटरी से उतरना **Derailments**																						
2.01(अ) सवारी गाड़ियों का सेक्शन के बीच में पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से –																						
(A) Derailments of passenger trains in mid-section (to include all) due to –																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती –																						
(a) Failure of Railway staff –																						
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती Failure of station staff																						
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती Failure of guards																						
(iv) वाणिज्य कर्मचारियों की गलती – Failure of commercial staff –																						
(क) असम लदान (a) Uneven loading																						
(ख) अधिक लदान (b) Over-loading																						
(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना (c) Improper securing of loads																						
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल (d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions																						
(ङ) जोड़ (e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती – Failure of other staff –																						
(क) रेलपथ कर्मचारी (a) Permanent way staff																						
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी (b) Carriage and wagon staff																						

(ग) सिगनल कर्मचारी
(c) Signalling staff
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी
(d) Loco maintenance staff
(ङ) अन्य कर्मचारी
(e) Other staff
(च) जोड़
(f) Total

(vi) जोड़ (i से v)
Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती –

(b) Failure of persons other than railway staff –

(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़
Tampering with track

(ii) अन्य विविध गलतियां
Other miscellaneous failures

(ग) तकनीकी खराबी –

(c) Technical failures –

(i) इंजन की खराबी
Loco defects

(ii) ई.एम.यू. गाड़ी की खराबी
E.M.U. defects

(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी
Carriage and wagon defects

(iv) रेलपथ की खराबी
Track defects

(v) बिजली के उपकरणों की खराबी
Electrical defects

(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects

(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures

(viii) जोड़ (ग)
Total (c)

(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन

(d) Train wrecking/sabotage

(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना

(e) Cattle run over

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना																						
(f) Boulders rolling down on the track, etc.																						
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय																						
(g) By combination of factors																						
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना																						
(h) Cause could not be established																						
(झ) विविध कारण																						
(i) Miscellaneous causes																						
(ञ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना																						
(j) Causes not finalised																						
(ट) जोड़ (क) से (ञ)																						
(k) Total (a to j)																						
2.01(ब) सवारी गाड़ियों का स्टेशन सीमाओं के अंदर पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से –																						
(B) Derailments of passenger trains within station limits (to include all) due to –																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती –																						
(a) Failure of Railway staff –																						
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती																						
Failure of station staff																						
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती																						
Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती																						
Failure of guards																						
(iv) वाणिज्य कर्मचारियों की गलती –																						
Failure of commercial staff –																						
(क) असम लदान																						
(a) Uneven loading																						
(ख) अधिक लदान																						
(b) Over-loading																						
(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना																						
(c) Improper securing of loads																						
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लघन करता हुआ माल																						

(d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions

(ङ) जोड़

(e) Total

(v) अन्य कर्मचारियों की गलती –

Failure of other staff –

(क) रेलपथ कर्मचारी

(a) Permanent way staff

(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी

(b) Carriage and wagon staff

(ग) सिगनल कर्मचारी

(c) Signalling staff

(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी

(d) Loco maintenance staff

(ङ) अन्य कर्मचारी

(e) Other staff

(च) जोड़

(f) Total

(vi) जोड़ (i से v)

Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती –

(b) Failure of persons other than railway staff –

(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़

Tampering with track

(ii) अन्य विविध गलतियां

Other miscellaneous failures

(ग) तकनीकी खराबी –

(c) Technical failures –

(i) इंजन की खराबी

Loco defects

(ii) ई.एम.यू. गाड़ी की खराबी

E.M.U. defects

(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी

Carriage and wagon defects

(iv) रेलपथ की खराबी

Track defects

(v) बिजली के उपकरणों की खराबी

Electrical defects

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी Signalling apparatus defects																						
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी Defects in other structures																						
(viii) जोड़ (ग) Total (c)																						
(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन (d) Train wrecking/sabotage																						
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना (e) Cattle run over																						
(च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना (f) Boulders rolling down on the track, etc.																						
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय (g) By combination of factors																						
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना (h) Cause could not be established																						
(झ) विविध कारण (i) Miscellaneous causes																						
(ञ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना (j) Causes not finalised																						
(ट) जोड़ (क से ञ) (k) Total (a to j)																						
2.02 (अ) सवारी गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियों का सेक्शन के बीच में पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से - **2.02 (A) Derailments of other than passenger trains in mid-section (to include all) due to -**																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती - Failure of Railway staff -																						
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती Failure of station staff																						
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती Failure of guards																						

(iv) वाणिज्य कर्मचारियों की गलती –

Failure of commercial staff –

(क) असम लदान

(a) Uneven loading

(ख) अधिक लदान

(b) Over-loading

(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना

(c) Improper securing of loads

(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल

(d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions

(ङ) जोड़

(e) Total

(v) अन्य कर्मचारियों की गलती –

Failure of other staff –

(क) रेलपथ कर्मचारी

(a) Permanent way staff

(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी

(b) Carriage and wagon staff

(ग) सिगनल कर्मचारी

(c) Signalling staff

(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी

(d) Loco maintenance staff

(ङ) अन्य कर्मचारी

(e) Other staff

(च) जोड़

(f) Total

(vi) जोड़ (i से v)

Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती –

(b) Failure of persons other than railway staff –

(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़

Tampering with track

(ii) अन्य विविध गलतियां

Other miscellaneous failures

(ग) तकनीकी खराबी –

(c) Technical failures –

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(i) इंजन की खराबी Loco defects																						
(ii) ई.एम.यू. गाड़ी की खराबी E.M.U. defects																						
(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी Carriage and wagon defects																						
(iv) रेलपथ की खराबी Track defects																						
(v) बिजली के उपकरणों की खराबी Electrical defects																						
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी Signalling apparatus defects																						
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी Defects in other structures																						
(viii) जोड़ (ग) Total (c)																						
(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन (d) Train wrecking/sabotage																						
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना (e) Cattle run over																						
(च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना (f) Boulders rolling down on the track, etc.																						
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय (g) By combination of factors																						
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना (h) Cause could not be established																						
(झ) विविध कारण (i) Miscellaneous causes																						
(ञ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना (j) Causes not finalised																						
(ट) जोड़ (क) से (ञ) (k) Total (a to j)																						

2.02(ब) सवारी गाड़ियों के अलावा अन्य गाड़ियों का स्टेशन सीमा के अंदर पटरी से उतर जाना (सभी को सम्मिलित करना है) निम्नलिखित कारणों से –

(B) Derailments of other than passenger trains within station limits (to include all) due to –

(क) रेल कर्मचारियों की गलती –

(a) Failure of Railway staff –

(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती
Failure of station staff

(ii) इंजन कर्मीदल की गलती
Failure of engine crew

(iii) गार्डों की गलती
Failure of guards

(iv) वाणिज्य कर्मचारियों की गलती –
Failure of commercial staff –

(क) असम लदान
(a) Uneven loading

(ख) अधिक लदान
(b) Over-loading

(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना
(c) Improper securing of loads

(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल
(d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions

(ङ) जोड़
(e) Total

(v) अन्य कर्मचारियों की गलती –
Failure of other staff –

(क) रेलपथ कर्मचारी
(a) Permanent way staff

(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी
(b) Carriage and wagon staff

(ग) सिगनल कर्मचारी
(c) Signalling staff

(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी
(d) Loco maintenance staff

(ङ) अन्य कर्मचारी
(e) Other staff

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(च) जोड़ (f) Total (vi) जोड़ (i से v) Total (i to v) (ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती - (b) Failure of persons other than railway staff - (i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़ Tampering with track (ii) अन्य विविध गलतियां Other miscellaneous failures (ग) तकनीकी खराबी - (c) Technical failures - (i) इंजन की खराबी Loco defects (ii) ई.एम.यू. गाड़ी की खराबी (लागू नहीं) E.M.U. defects (Not applicable) (iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी Carriage and wagon defects (iv) रेलपथ की खराबी Track defects (v) बिजली के उपकरणों की खराबी Electrical defects (vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी Signalling apparatus defects (vii) अन्य संरचनाओं की खराबी Defects in other structures (viii) जोड़ (ग) Total (c) (घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन (d) Train wrecking/sabotage (ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना (e) Cattle run over (च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना (f) Boulders rolling down on the track, etc. (छ) कई निमित्तों का समुच्चय (g) By combination of factors																						

(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established
(झ) विविध कारण
(i) Miscellaneous causes
(ञ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना
(j) Causes not finalised
(ट) जोड़ (क) से (ञ)
(k) Total (a to j)

2.03(अ) गाड़ियों का सेक्शन के बीच में पटरी से उतरने की कुल संख्या [मद 2.01(अ) + 2.02(अ)] निम्नलिखित कारणों से –

(A) Total train derailments in mid-section [Items 2.01(A) + 2.02(A)] due to –

(क) कर्मचारियों की गलती –
(a) Failure of Railway staff –
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती
Failure of station staff
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती
Failure of engine crew
(iii) गार्डों की गलती
Failure of guards
(iv) वाणिज्य कर्मचारियों की गलती –
Failure of commercial staff –
(क) असम लदान
(a) Uneven loading
(ख) अधिक लदान
(b) Over-loading
(ग) माल का सुरक्षित ढंग से न लादना
(c) Improper securing of loads
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल
(d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions
(ङ) जोड़
(e) Total
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती –
Failure of other staff –
(क) रेलपथ कर्मचारी
(a) Permanent way staff

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी																						
(b) Carriage and wagon staff																						
(ग) सिगनल कर्मचारी																						
(c) Signalling staff																						
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी																						
(d) Loco maintenance staff																						
(ङ) अन्य कर्मचारी																						
(e) Other staff																						
(च) जोड़																						
(f) Total																						
(vi) जोड़ (i से v)																						
Total (i to v)																						
(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती –																						
(b) Failure of persons other than railway staff –																						
(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़																						
Tampering with track																						
(ii) अन्य विविध गलतियां																						
Other miscellaneous failures																						
(ग) तकनीकी खराबी –																						
(c) Technical failures –																						
(i) इंजन की खराबी																						
Loco defects																						
(ii) ई.एम.यू. गाड़ी की खराबी																						
E.M.U. defects																						
(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी																						
Carriage and wagon defects																						
(iv) रेलपथ की खराबी																						
Track defects																						
(v) बिजली के उपकरणों की खराबी																						
Electrical defects																						
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी																						
Signalling apparatus defects																						
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी																						
Defects in other structures																						
(viii) जोड़ (ग)																						
Total (c)																						

(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना
(h) Cause could not be established
(झ) विविध कारण
(i) Miscellaneous causes
(ञ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना
(j) Causes not finalised
(ट) जोड़ (क) से (ञ)
(k) Total (a to j)

2.04(अ) प्रति दस लाख गाड़ी कि.मी. के हिसाब से गाड़ियों के, सेक्शन के बीच में पटरी से उतर जाने की संख्या –

(A) No. of train derailments in mid-section per million train kilometres –

(i) सवारी गाड़ियां**
Passenger trains**

(ii) अन्य गाड़ियां***
Other trains***

(iii) सभी गाड़िया†
All trains†

2.05(अ) प्रति दस लाख ले जाए गये यात्रियों @ के हिसाब से गाड़ियों के सेक्शन के बीच में पटरी से उतरने के कारण मृतक और घायल यात्रियों की संख्या –

(A) No. of passengers killed/injured due to derailments in mid-section per million passengers carried @–

** मद 2.01 (अ)(ट) ÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़ कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सब कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर जिनमें ई०एम०यू० (जैसी कि गाड़ियों चल रही हो) और रेल कारों/रेल बसों के किलोमीटर सम्मिलित है.

** Item 2.01 (A) (K) ÷ Train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains, including EMU (as the trains are run) and rail cars/rail buses, but excluding departmental trains.

*** मद 2.02 (अ) (ट) ÷ मद 2.04 अ (i) के लिये सम्मिलित गाड़ी कि०मी० को छोड़कर समस्त कर्षणों की सभी गाड़ियों के किलोमीटर.

*** Item 2.02 (A) (K) ÷ Train kilometres of all tractions other than those included for item 2.04 (A)(i).

† मद 2.03(अ)(ट) ÷ मद 2.04 (अ)(i)+2.04(अ)(ii) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर की गणना की जाए.

† Item 2.03 (A)(K) ÷ Train kilometres of all tractions taken into account for items 2.04 (A)(i) + 2.04 (A)(ii).

@ $\frac{\text{मद 2.03(अ)(ट) x 1,000,000}}{\text{ढोये गए यात्री}}$ ढोए गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है.

@ $\frac{\text{Item 2.03 (A) (K) x 1,000,000}}{\text{Passengers carried}}$ Passenger carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.03(ब) गाड़ियों के स्टेशन सीमा के अन्दर पटरी से उतरने की कुल संख्या [मद 2.01(ब) + 2.02(ब)] निम्नलिखित कारणों से –																						
(B) Total train derailments within station limits [Items 2.01(B) + 2.02(B)] due to –																						
(क) कर्मचारियों की गलती –																						
(a) Failure of Railway staff –																						
(i) स्टेशन कर्मचारियों की गलती Failure of station staff																						
(ii) इंजन कर्मीदल की गलती Failure of engine crew																						
(iii) गार्डों की गलती Failure of guards																						
(iv) वाणिज्य कर्मचारियों की गलती – Failure of commercial staff –																						
(क) असम लादन (a) Uneven loading																						
(ख) अधिक लादन (b) Over-loading																						
(ग) माल को सुरक्षित ढंग से न लादना (c) Improper securing of loads																						
(घ) खुले डिब्बों में असुरक्षित ढंग से किनारों या सिरों के बाहर निकला हुआ माल अथवा अधिकतम चालन आयाम का उल्लंघन करता हुआ माल (d) Load projecting to an unsafe extent beyond the ends or sides of a truck or load infringing the maximum moving dimensions																						
(ङ) जोड़ (e) Total																						
(v) अन्य कर्मचारियों की गलती– Failure of other staff –																						
(क) रेलपथ कर्मचारी (a) Permanent way staff																						
(ख) सवारी और मालडिब्बा कर्मचारी (b) Carriage and wagon staff																						
(ग) सिगनल कर्मचारी																						

(c) Signalling staff
(घ) इंजन अनुरक्षण कर्मचारी
(d) Loco maintenance staff
(ङ) अन्य कर्मचारी
(e) Other staff
(च) जोड़
(f) Total
(vi) जोड़ (i से v)
Total (i to v)

(ख) रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की गलती –
(b) Failure of persons other than railway staff –
(i) रेलपथ के साथ छेड़छाड़
Tampering with track
(ii) अन्य विविध गलतियां
Other miscellaneous failures

(ग) तकनीकी खराबी –
(c) Technical failures –
(i) इंजन की खराबी
Loco defects
(ii) ई.एम.यू. गाड़ी की खराबी
E.M.U. defects
(iii) सवारी और मालडिब्बों की खराबी
Carriage and wagon defects
(iv) रेलपथ की खराबी
Track defects
(v) बिजली के उपकरणों की खराबी
Electrical defects
(vi) सिगनल के उपकरणों की खराबी
Signalling apparatus defects
(vii) अन्य संरचनाओं की खराबी
Defects in other structures
(viii) जोड़ (ग)
Total (c)

(घ) गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन
(d) Train wrecking/sabotage
(ङ) पशुओं का गाड़ी से कट जाना
(e) Cattle run over
(च) शिलाखण्ड आदि का रेलपथ पर लुढ़क कर आ जाना
(f) Boulders rolling down on the track, etc.
(छ) कई निमित्तों का समुच्चय
(g) By combination of factors

विवरण-41 तालिका-1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(ज) कारणों का निर्धारण न हो सकना (h) Causes could not be established (झ) विविध कारण (i) Miscellaneous causes (ञ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना (j) Causes not finalised (ट) जोड़ (क) से (ञ) (k) Total (a to j)																						
2.04 (ब) प्रति दस लाख गाड़ी कि.मी. के हिसाब से गाड़ियों के, स्टेशन सीमा के अन्दर पटरी से उतर जाने की संख्या – **(B) No. of train derailments within station limits per million train kilometres –** (i) सवारी गाड़ियां ** Passenger trains** (ii) अन्य गाड़ियां *** Other trains*** (iii) सभी गाड़ियां † All trains†																						
2.05 (ब) प्रति दस लाख ले जाए गये यात्रियों @ के हिसाब से गाड़ियों के स्टेशन सीमा में पटरी से उतरने के कारण मृतक और घायल यात्रियों की संख्या – **(B) No. of passengers killed/injured due to derailments within station limits per million passengers carried @–**																						
3. गाड़ियों में आग लगना – **Fire in trains–**																						
3.01 सवारी और मिश्रित गाड़ियों में ई.एम.यू. गाड़ियों को छोड़कर, आग लगना (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या घायल हुआ हो या संपत्ति की क्षति 5000 रुपये और उससे अधिक मूल्य की हो. जिन मामलों में संपत्ति की क्षति 5000 रुपये से कम की हो उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा) निम्नलिखित कारणों से – **Fires in passenger and mixed trains other than E.M.U. (To include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 5000 and above. Cases involving damages of less than Rs. 5000 will be accounted for under item 5 of Table 3) due to –**																						

(क) बिजली की खराबियां (बिजली के उपस्करों में खराबी या उनका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना)

(a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short circuiting of electrical wires)

(ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुये टुकड़ों को लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और मालडिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना आदि)

(b) Negligence of passengers and other outsiders (i.e., bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflammable goods, etc.)

(ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी, जैसे विस्फोटक, खतरनाक, या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना, गलत विन्यास, आदि

(c) Negligence of railway staff, e.g. improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc.

(i) ज्वलनशील माल
Inflammable goods

(ii) विस्फोटक और खतरनाक माल
Explosives and dangerous goods

(घ) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, प्वाइन्टों का अधिक गर्म हो जाना आदि

(d) Accidental, e.g. wire contacts due to pilferage of fittings, over-heating of points, etc.

(ड) इंजन से चिनगारियां

(e) Sparks from engine

(च) कारणों का निश्चित न होना

(f) Causes not determined

(छ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना

(g) Causes not finalised

(ज) जोड़ (क से छ)

(h) Total (a to g)

** मद सं. 2.01 (ब)(ट) ÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़ कर, सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सभी कर्षण के गाड़ी किलोमीटर, जिनमें ई.एम.यू. (जैसा कि गाड़ियां चल रही हों) और रेलकारों/रेल बसों के किलोमीटर शामिल है.

** Item 2.01 (B) (k) ÷ Train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains, including EMU (as the trains are run) and rail cars/rail buses, but excluding departmental trains.

*** मद 2.02 (ब) (ट) ÷ मद 2.04 (ब) (i) के लिये सम्मिलित गाड़ी कि.मी. को छोड़कर समस्त कर्षणों की सभी गाड़ियों के किलोमीटर.

*** Item 2.02 (B) (k) ÷ Train kilometres of all tractions other than those included for item 2.04 (B)(i).

† मद 2.03(ब)(ट) ÷ मद 2.04 (ब)(i) + 2.04(ब)(ii) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर की गणना की जाए.

† Item 2.03 (B)(k) ÷ Train kilometres of all tractions taken into account for items 2.04 (B)(i) + 2.04 (B)(ii).

@ $\frac{\text{मद 2.03(ब)(ट) x 1,000,000}}{\text{ढोये गए यात्री}}$ ढोए गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है.

@ $\frac{\text{Item 2.03 (B) (k) x 1,000,000}}{\text{Passengers carried}}$ Passenger carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.02 ई० एम० यू० गाड़ियों में आग लगना (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या कोई घायल हुआ हो या संपत्ति की क्षति 5000 रुपये और उससे अधिक मूल्य की हो. उन मामलों को जिनमें संपत्ति की क्षति 5000 रुपये से कम की हो तालिका 3 की मद 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा. ऐसे मामले जिनमें आग ई०एम०यू० गाड़ी के निम्न/उच्च टेंशन डिब्बों तक ही सीमित रहे बिजली या डीजल इंजन में आग का मामला समझा जाएगा और उसे तालिका 2 की मद 1.05 में शामिल किया जाएगा) निम्ननिखित कारणों से – **Fires in E.M.U trains (To include all cases where the fires spread out to passenger carrying portions resulting in death or injury or damage to property amounting to Rs. 5000/- and above. Cases involving damages of less than Rs. 5000/- shall be accounted for under item 5 of Table 3. Cases where the fires confine to low/high tension compartments of E.M.U. Stock shall be treated as fires in diesel or electric engine and be included under item 1.05 of Table 2) due to** – (क) बिजली की खराबियां (बिजली के उपस्करों में खराबी या उनका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना) (लागू नहीं) (a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short circuiting of electrical wires (Not applicable) (ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों का लापरवाही से फैंक दिया जाना, सवारी ओर मालडिब्बों में आग जलाना, ज्वलशील माल ले जाना, आदि) (b) Negligence of passengers and other outsiders (i.e. bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflammable goods, etc.) (ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी, जैसे विस्फोटक, खतरनाक या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना व गलत विन्यास, आदि (c) Negligence of railway staff, e.g. improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc. (i) ज्वलनशील माल Inflammable goods (ii) विस्फोटक एवं खतरनाक माल Explosives and dangerous goods (घ) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, प्वाइंटों आदि का अधिक गर्म हो जाना (d) Accidental e.g. wire contacts due to pilferage of fittings, overheating of points etc. (ड.) इंजन से चिनगारियां (लागू नहीं) (e) Sparks from engine (Not applicable) (घ) कारण निश्चित न होना																						

(f) Causes not determined
(छ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना
(g) Causes not finalised
(ज) जोड़ (क से छ)
(h) Total (a to g)

3.03 अन्य गाड़ियों में आग लगना (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या घायल हुआ हो या संपत्ति की क्षति 5000 रुपये या उससे अधिक मूल्य की हो. उन मामलों को जिनमें संपत्ति की क्षति 5000 रुपये से कम की हो उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा) निम्नलिखित कारणों से –

Fires in other trains. (To include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 5000/- and above. Cases involving damages of less than Rs. 5000/- will be accounted for under item 5 of Table 3) due to –

(क) बिजली की खराबियां (बिजली के उपस्कर में खराबी या उसका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना)
(a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short circuiting of electrical wires)
(ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों का लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और मालडिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना आदि)
(b) Negligence of passengers and other outsiders (i.e. bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflanmable goods. etc.)
(ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी, जैसे विस्फोटक, खतरनाक या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना व गलत विन्यास, आदि
(c) Negligence of railway staff, e.g. improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling etc.
 (i) ज्वलनशील माल
 Inflammable goods
 (ii) विस्फोटक ओर खतरनाक माल
 Explosives and dangerous goods
(घ) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना, प्वाईटों का गर्म हो जाना, आदि.
(d) Accidental, e.g. wire contacts due to pilferage of fittings, overheating of points, etc.
(ङ.) इंजन से चिनगारियां
(e) Sparks from engines
(च) कारण निश्चित न हो सकना
(f) Causes not determined
(छ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना
(g) Causes not finalised
(ज) जोड़ (क से छ)
(h) Total (a to g)

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.04 गाड़ियों में आग लगने की कुल घटनाएं (3.01 से 3.03) (उन सभी मामलों को सम्मिलित करना है जिनमें मृत्यु हुई हो या घायल हुआ हो या सम्पत्ति की क्षति 5000 रुपये या उससे अधिक मूल्य की हो. उन मामलों को जिनमें सम्मत्ति की क्षति 5000 रुपये से कम की हो उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा) निम्नलिखित कारणों से – **Total fires in trains (3.01 to 3.03) (To include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 5000/- and above. Cases involving damages of less than Rs. 5000/- will be accounted for under item 5 of table 3) due to –** (क) बिजली की खराबियां (बिजली के उपस्कर में खराबी या उसका फेल हो जाना अथवा बिजली के तारों का शार्ट सर्किटिंग हो जाना) (a) Electrical defects (defects in or failure of electrical equipment or short circuiting of electrical wires) (ख) यात्रियों और अन्य बाहरी लोगों की असावधानी (जैसे बीड़ी और सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों का लापरवाही से फेंक दिया जाना, सवारी और मालडिब्बों में आग जलाना, ज्वलनशील माल ले जाना, आदि) (b) Negligence of passengers and other outsiders (i.e. bidi and cigarette ends thrown carelessly, lighting of fires in coaches and wagons, carrying of inflanmable goods, etc.) (ग) रेल कर्मचारियों की असावधानी, जैसे विस्फोटक, खतरनाक या ज्वलनशील माल के लदान की सही ढंग से जांच न करना, ठीक से शंटिंग न करना व गलत विन्यास आदि (c) Negligence of railway staff, e.g. improper examination of loading of explosives, dangerous or inflammable goods, rough shunting, wrong marshalling, etc. (i) ज्वलनशील माल Inflammable goods (ii) विस्फोटक ओर खतरनाक माल Explosives and dangerous goods (घ) आकस्मिक, उदाहरण के लिए फिटिंग की उठाईगीरी के कारण तारों का संपर्क में आ जाना जैसे प्वांईटों का गर्म हो जाना आदि (d) Accidental e.g. wire contacts due to pilferage of fittings, overheating of points, etc. (ड) इंजन से चिनगारियां (e) Sparks from engine (च) कारण निश्चित न होना (f) Causes not determined (छ) कारणों का अंतिम निर्धारण न हो सकना (g) Causes not finalised (ज) जोड़ (क से छ) (h) Total (a to g)																						

3.05 प्रति दस लाख गाड़ी कि.मी. के हिसाब से गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं की संख्या –
Number of fires in trains per million train kilometres –

(i) यात्री गाड़ियां *
Passenger trains *

(ii) बिजली की गाड़ियां **
E.M.U. trains **

(iii) अन्य गाड़ियां ***
Other trains ***

(iv) सभी गाड़ियां †
All trains †

3.06 प्रति दस लाख ले जाये गये यात्रियों @ के हिसाब से गाड़ियों में आग लग जाने के कारण मृतक/घायल यात्रियों की संख्या –
Number of passengers killed/injured due to fires in trains per million passengers carried @ –

* मद सं. 3.01(ज) ÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़ कर सभी सवारी गाड़ियां तथा मिश्रित गाड़ियों, ई.एम.यू. गाड़ियों को छोड़कर संबंधित सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर, जिसमें रेल कारें/रेल बसें शामिल हैं.

* Item 3.01(h) ÷ Train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains, other than E.M.U. trains including rail cars/rail buses but excluding departmental.

** मद 3.02 (ज) ÷ बिजली गाड़ियां (जैसे कि गाड़ियां चल रही हैं) के गाड़ी किलोमीटर.

** Item 3.02 (h) ÷ EMU (as the trains are run) train kilometres.

*** मद 3.03(ज)÷ मद (i) और (ii) में सम्मिलित गाड़ी किलोमीटरों को छोड़कर सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर.

*** Item 3.03 (h) ÷ Train kilometres of all tractions, other than those included for items (i) and (ii).

† मद 3.04(ज)÷ 3.05(i) से (iii) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी कि.मी. की गणना की जाए.

† Item 3.04 (h) ÷ Train kilometres of all tractions taken into account for items 3.05(i) to (iii).

@ $\frac{\text{मद } 3.04(\text{ज}) \times 1{,}000{,}000}{\text{ढोये गए यात्री}}$ ढोए गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है.

@ $\frac{\text{Item } 3.04 \text{ (h)} \times 1{,}000{,}000}{\text{Passengers carried}}$ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

विवरण–41 तालिका–1 *(जारी)*
Statement-41 Table-1 *(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4. समपारों पर हुई रेल गाड़ी की दुर्घटनाएं इसमें समपारों पर हुई वे सभी दुर्घटनायें जिनमें गाड़ियां सड़क यातायात वाहनों से टकराई हों और/या सड़क यातायात के वाहन गाड़ियों से टकराये हों, सम्मिलित करनी है. समपारों पर हुई वे दुर्घटनाएं जिनमें गाड़ियां सम्मिलित न हों, तालिका 3 की मद 11 के अंतर्गत गिनी जायेंगी – **Accidents involving trains at level crossings (To include all trains running into road traffic and/or road traffic running into trains at level crossings. Accidents at level crossings not involving trains will be accounted for under item 11 of Table 3) –**																						
4.01 सवारी गाड़ियां – **Passenger trains –**																						
(अ) समपार जहां फाटक वाला हो –																						
(A) Manned level crossings –																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती –																						
(a) Failure of railway staff –																						
(i) गाड़ी कर्मीदल Train crew																						
(ii) फाटकवाला Gatemen																						
(iii) अन्य कर्मचारी Other staff																						
(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती																						
(b) Failure of road users																						
(ग) जोड़																						
(c) Total																						
(ब) समपार जहां फाटक वाला न हो –																						
(B) Unmanned level crossings –																						
(क) रेल कर्मचारियों की गलती																						
(a) Failure of Railway staff																						
(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती																						
(b) Failure of road users																						
(ग) जोड़																						
(c) Total																						
(स) जोड़ (4.01)																						
(C) Total (4.01)																						
4.02 अन्य गाड़ियां – **Other trains –**																						
(अ) समपार जहां फाटक वाला हो –																						
(A) Manned level crossings –																						

(क) रेल कर्मचारियों की गलती -
(a) Failure of railway staff -
(i) गाड़ी कर्मीदल
Train crew
(ii) फाटकवाला
Gatemen
(iii) अन्य कर्मचारी
Other staff
(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती
(b) Failure of road users
(ग) जोड़
(c) Total

(ब) समपार जहां फाटक वाला न हो –
(B) Unmanned level crossings –
(क) रेल कर्मचारियों की गलती
(a) Failure of Railway staff
(ख) सड़क उपयोगकर्ताओं की गलती
(b) Failure of road users
(ग) जोड़
(c) Total

(स) जोड़ (4.02)
(C) Total (4.02)

4.03 समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या (4.01 + 4.02)
Total Number of accidents at level crossings (4.01 + 4.02)

4.04 प्रति दस लाख गाड़ी किमी. के हिसाब से समपारों पर हुई गाड़ी की दुर्घटनाओं की संख्या –
Number of accidents at level crossings per million train kilometres –
(i) सवारी गाड़ियां **
Passenger trains**
(ii) अन्य गाड़ियां ***
Other trains ***
(iii) सभी गाड़ियां †
All trains †

4.05 प्रति दस लाख की दर से ले जाये गये यात्रियों @ के हिसाब से समपारों पर हुई दुर्घटनाओं के कारण मृत/घायल यात्रियों की संख्या
Number of passengers killed/injured due to accidents at level crossings per million passengers carried @

** मद 4.01(स) ÷ विभागीय गाड़ियों को छोड़ कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर, जिनमें ई.एम.यू. (जैसी कि गाड़ियां चल रही हैं) और रेल कारों/रेल बसों के किलोमीटर सम्मिलित है.
** Item 4.01(C) ÷ Train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains, including EMU (as the trains are run) and rail cars/rail buses, but excluding departmental trains.
*** मद 4.02 (स) ÷ मद 4.04(i) में सम्मिलित गाड़ी कि.मी. को छोड़कर समस्त कर्षणों की सभी गाड़ियों के किलोमीटर.
*** Item 4.02 (C) ÷ Train kilometres of all tractions, other than those included for items 4.04 (i).
† मद 4.03 ÷ मद 4.01(ग) + 4.02(ग) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी कि.मी. की गणना की जाए.
† Item 4.03 ÷ Train kilometres of all tractions taken into account for items 4.01(c) + 4.02(c).
@ $\frac{\text{मद 4.03} \times 1{,}000{,}000}{\text{ढोये गए यात्री}}$ ढोए गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है.
@ $\frac{\text{Item 4.03} \times 1{,}000{,}000}{\text{Passengers carried}}$ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

विवरण-41 तालिका-1 *(समाप्त)*
Statement-41 Table-1 *(Concld.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5. विविध (यात्री तथा अन्य गाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या अलग-अलग दिये जाएं) **Miscellaneous (Accidents in respect of passenger trains and other trains shall be given separately)**																						
5.01 गाड़ियां की कुल दुर्घटनाएं (मद 1 से 5) **Total train accidents (Item 1 to 5)**																						
5.02 प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या (यात्री गाड़ियों और अन्य गाड़ियों के लिये अलग-अलग गाड़ी किलोमीटर हजारों में बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन या समस्त प्रणाली (जैसे भी हो) (कोष्ठों में दिखाए जायें) **Number of train accidents per million train kilometres (Train kilometres for the BG/ MG/NG or the system as a whole (as the case may be) indicated in thousands in brackets separately of passengers and others)** (i) सवारी गाड़ियां †† Passenger trains†† (ii) अन्य गाड़ियां ††† Other trains††† (iii) जोड़ @@ Total@@																						
5.03 प्रति दस लाख के हिसाब से ले जाये गये यात्रियों @@@ के हिसाब से गाड़ी दुर्घनाओं में मृत/घायल यात्रियों की संख्या (ले जाए गए कुल यात्रियों की संख्या कोष्ठक में दिखाएं) **5.03 Number of passengers killed/injured in train accidents per million passengers carried @@@ (Total No. of passengers carried to be shown in brackets)**																						

†† मदें 1.01 से 1.03 + 2.01अ+ 2.01ब+3.01+3.02+4.01 स ÷ विभागीय गाडियों को छोड़कर सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर, जिनमें ई०एम०यू० (जैसी कि गाड़ियां चल रही है) और रेल कारों/रेल बसों के किलोमीटर सम्मिलित हैं.

†† Items 1.01 to 1.03 + 2.01A+2.01B+3.01+3.02+4.01C ÷ Train kms. of all tractions relating to all passenger and mixed trains including E.M.U. (as the trains are run) and rail-cars/rail buses but excluding departmental trains.

††† मदें 1.04+1.05+2.02अ+2.02ब+3.03+4.02स ÷ मद 5.02 (i) के लिए सम्मिलित की गाड़ी किलोमीटरों को छोड़कर समस्त कर्षणों सभी गाड़ियों के गाड़ी किलोमीटर.

††† Items 1.04+1.05+2.02A+2.02B+3.03+4.02C ÷ Train kms. of all traction other than those included for item 5.02 (i).

@@ मद 1.06(ट)÷ 2.04(क)(iii) + 2.04(ख)(iii) + 3.04(ज) + 4.03 + 5 ÷ 5.02(i) + 5.02(ii) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी कि.मी. की गणना की जाए.

@@ Item 1.06(k) ÷ 2.04(a)(iii) + 2.04(b)(iii) + 3.04(h) + 4.03 + 5 ÷ train kilometres of all tractions taken into account for items 5.02(i) + 5.02(ii).

@@@ $\frac{\text{मद } 5.01 \times 1{,}000{,}000}{\text{ढोये गए यात्री}}$ ढोए गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा संपूर्ण प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है.

@@@ $\frac{\text{Item } 5.01 \times 1{,}000{,}000}{\text{Passengers carried}}$ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

.....रेलवे/Railway

विवरण-41
Statement-41

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन/सभी आमान
B.G./M.G../N.G../Whole System

तालिका 2..... को समाप्त वर्ष के दौरान रेल उपस्करों की खराबी के कारण हुई हताहतों की संख्या, क्षति की लागत आदि
Table 2 - Number of failures of Railway equipment, casualties, cost of damage etc. during the year ending.....

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of accidents under various causes	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants				अन्य Others				हताहतों की कुल संख्या Total all classes				क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to		सीधी संचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted	
	भारतीयरेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 113 के अंतर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई खराबियां Failures reported to Local Govt. under Sec. 113 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की गई खराबियां Failures enquired into by commissioner of Railway Safety	जोड़ (अन्य खराबियां को मिलाकर)/Total (including other failures)		Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल				रु. चल स्टाक/Rs. Rolling Stock	रु. रेल पथ/Rs. Track	
				मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

1. चल स्टाक की खराबी –
Rolling stock failures –

1.01 यांत्रिक विभाग के दोषपूर्ण अभिकल्प, सामग्री या कारीगरी के कारण भाप इंजनों में खराबी –
Failures of steam engines due to faulty design, material or workmanship in the mechanical department -

(क) वायलर और टयूब (जबकि इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल करनी है जिसमें सम्पत्ति को 20000 रुपये से अधिक की गम्भीर क्षति हुई हो, अथवा किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा कोई घायल हो गया हो, अन्यथा नहीं. पानी की कमी या

विवरण-41 तालिका-2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
अत्यधिक गर्मी के कारण फायर बार के गलने और राखदान में गिरने की वजह से इंजन में जो खराबियां आयेगी उन्हें इस शीर्षक में शामिल नहीं किया जायेगा बल्कि उन्हें मद 1.02(ख)(ii) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जायेगा – (a) Boilers and tubes (To include all failures when the engine is working a train and when there is serious damage done to property i.e., in excess of Rs. 20,000/- or loss of life or injury; not otherwise. Failure of engines due to want of water or to fire bars melting and dropping in the ash-pan owing to excessive heat are not to be inluded under this head but shall be classified under item 1.02 (b) (ii) – (i) समय पर न पहुंचना (जैसे गाड़ियां ले जाने के लिए लगे हुए इंजनों का खराब हो जाना जिस के कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या उससे अधिक का बिलम्ब हो. यार्डों में केवल शंटिंग के दौरान हुई खराबी को शामिल नहीं किया जाना है) Time failures (i.e., failures of engines on trains when the delay to trains is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included). (ii) अन्य खराबियां Other failures (ख) मशीन, स्प्रिंग आदि – (b) Machinery, springs etc. – (i) समय पर न पहुंचना (जैसे गाड़ियां ले जाने के लिए लगे हुए इंजनों का खराब होना जिसके कारण गाड़ियों के पंहुचने में एक घन्टा या इससे अधिक का बिलम्ब हो. यार्डों में केवल शंटिंग के दौरान हुई खराबी को शामिल नहीं किया जाना है) Time failures (i.e., failures of engines on trains when the delay to trains is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included). (ii) अन्य खराबियां Other failures **1.02 रनिंग कर्मचारियों के गलत ढंग से चलाने के कारण भाप इंजनों में खराबी-** **Failures of steam engines due to operation arising from the working of running staff –** (क) वायलर और टयूव (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियाँ शामिल करनी है जिसमें सम्पत्ति को 20000 रूपये से अधिक की गम्भीर क्षति हुई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो अथवा कोई घायल हो गया हो अन्यथा नहीं) –	

(a) Boilers and tubes (To include all failures when the engine is working a train or proceeding to work a train and when there is serious damage done to property, i.e., in excess of Rs. 20,000/- or loss of life or injury; not othewise) –

(i) समय पर न पहुंचना (जैसे गाड़ियां ले जाने के लिए लगे हुए इंजनों का खराब हो जाना जिस के कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या इससे अधिक बिलम्ब हो.यार्ड में केवल शंटिंग करते समय हुई खराबियों को शामिल नहीं किया जाना है)
Time failures (i.e., failures of engines on trains when the delay to trains is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included).

(ii) अन्य खराबियां
Other failures

(ख) अन्य कारण (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल करनी है जिनके कारण गाड़ियों को पहुंचने में एक घण्टा या इससे अधिक का बिलम्ब हो)

(b) Other causes (To include all failures of engines on trains or when proceeding to work a train when the delay to trains is one hour or over)

(i) समय पर न पहुंचना (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो तो उस समय हुई वे खराबियां शामिल करनी है जिनके कारण गाड़ियों के पहुंचने में एक घन्टा या इससे अधिक विलम्ब हो. केवल यार्ड में शंटिग करते समय हुई खराबियों को शामिल नहीं किया जाना है)
Time failures (i.e., Failures of engines on trains when the delay is one hour or over. Failures when merely shunting in yards are not to be included)

(ii) अन्य खराबियां (पानी की कमी के कारण अथवा अत्यधिक गर्मी की वजह से अग्नि छड़ों के पिघलने और राखदान में गिरने के कारण इंजन में हुई खराबियों को इनमें शामिल किया जायेगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें क्षति 5000 रु० से कम की हुई हो)
Other failures (Including the cases of engine failures due to want of water or fire bars melting and dropping in the ash-pan owing to excessive heat except those where damage done amounts to less than Rs. 5000/-)

1.03 यांत्रिक विभाग के दोषपूर्ण अभिकल्प, सामग्री या कारीगरी के कारण बिजली और डीजल इंजनों का खराब होना –

Failure of electric and diesel locos due to faulty design, material or workmanship in the mechanical department –

क. समय परक खराबियां (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां

विवरण–41 तालिका–2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
शामिल करनी है जिनके कारण सवारी गाड़ियों को पहुंचने में 30 मिनट या उससे अधिक तथा माल गाड़ियों के मामले में एक घंटे या उससे अधिक विलम्ब हुआ हो)– A. Time failures (To include all failures of engines on trains or when proceeding to work a train when the delay to train is 30 minutes or more in case of passenger train and 1 hour or more in case of freight trains) – (क) डीजल इंजन – (a) Diesel locomotives – (i) दोषपूर्ण अभिकल्प Faulty design (ii) खराब सामग्री Faulty material (iii) गलत कारीगरी Bad workmanship (iv) अन्य Others (v) जोड़ Total (ख) बिजली के इंजन – (b) Electric locomotives – (i) दोषपूर्ण अभिकल्प Faulty design (ii) खराब सामग्री Faulty material (iii) गलत कारीगरी Bad workmanship (iv) अन्य Others (v) जोड़ Total ख. अन्य खराबियां – B. Other failures – (क) डीजल इंजन (a) Diesel locomotives (ख) बिजली के इंजन (b) Electric locomotives	

1.04 रनिंग कर्मचारियों के गलत ढंग से चलाने के कारण बिजली और डीजल इंजनों में खराबी–
Failure of electric and diesel locos due to operation arising from the working of running staff –

क. समय परक खराबियां (जब इंजन गाड़ी चलाने के लिए लग चुका हो या गाड़ी पर लगने के लिए जा रहा हो तो उस समय हुई वे सभी खराबियां शामिल है जिनके कारण सवारी गाड़ियों के पहुंचने में 30 मिनट या इससे अधिक का विलंब तथा माल गाड़ियों के मामले में एक घंटे या इससे अधिक विलम्ब हुआ हो)–

A. Time failures (To include all failures of engines on trains or when proceeding to work a train when the delay to train is 30 minutes or more in case of passenger trains and 1 hour or more in case of freight trains)–

(क) डीजल इंजन
(a) Diesel locomotives
(ख) बिजली के इंजन
(b) Electric locomotives

ख. अन्य खराबियां –

B. Other failures –

(क) डीजल इंजन
(a) Diesel locomotives
(ख) बिजली इंजन
(b) Electric locomotives

1.05 इंजनों में आग लगने के कारण खराबी –
Failures due to fires in locomotives –

(क) डीजल
(a) Diesel
(ख) बिजली
(b) Electric

1.06 इंजनों की कुल खराबियां –
Total engine failures –

(क) भाप (1.01 + 1.02)
(a) Steam(1.01 + 1.02)
(ख) डीजल [1.03 क और ख का (क)+1.04 क और ख का (क)+1.05 का (क)]
(b) Diesel [(a) of 1.03 A and B + (a) of 1.04A and B + (a) of 1.05]
(ग) बिजली [1.03 क और ख का (ख)+1.04 क और ख का (ख)+1.05 का (ख)]
(c) Electric [(b) of 1.03A and B +(b) of 1.04A and B + (b) of 1.05]
(घ) (क) + (ख) + (ग)
(d) (a) + (b) + (c)

2.01 टायरों की खराबी (तब ही सम्मिलित करनी है जब स्टाक चल रही गाड़ियों में लगा हो या खराबी के फलस्वरूप सम्पत्ति को 20,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो) -

विवरण–41 तालिका–2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Failures of tyres (To be included only when the rolling stock is attached to running trains & the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 20.000/- or loss of life or injury to persons) –																						
(क) भाप कर्षण –																						
(a) Steam traction –																						
(i) इंजन Engines																						
(ii) सवारी डिब्बे Coaches																						
(iii) माल डिब्बे Wagons																						
(iv) जोड़ Total																						
(ख) डीजल कर्षण –																						
(b) Diesel traction –																						
(i) इंजन Engines																						
(ii) सवारी डिब्बे Coaches																						
(iii) माल डिब्बे Wagons																						
(iv) जोड़ Total																						
(ग) बिजली कर्षण –																						
(c) Electric traction –																						
(i) इंजन Engines																						
(ii) सवारी डिब्बे Coaches																						
(iii) माल डिब्बे Wagons																						
(iv) जोड़ Total																						
2.02 पहियों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित करनी है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों में लगा हो, या खराबी के कारण सम्पत्ति को 20,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो) –																						
Failures of wheels (To be included only when the rolling stock is attached to running trains & the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 20.000/- or loss of life or injury to persons) –																						

(क) भाप कर्षण –

(a) Steam traction –

(i) इंजन
Engines

(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

(iii) माल डिब्बे
Wagons

(iv) जोड़
Total

(ख) डीजल कर्षण –

(b) Diesel traction –

(i) इंजन
Engines

(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

(iii) माल डिब्बे
Wagons

(iv) जोड़
Total

(ग) बिजली कर्षण –

(c) Electric traction –

(i) इंजन
Engines

(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

(iii) माल डिब्बे
Wagons

(iv) जोड़
Total

2.03 धुरों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित करनी है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों के साथ लगा हुआ हो या खराबी के कारण सम्पत्ति को 20,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो. बियरिंग के गर्म हो जाने के परिणामस्वरूप चलती हुई गाड़ियों से चल स्टाक के अलग किए जाने के मामले को तब तक शामिल नहीं किया जाना है जब तक कि धुरे में खराबी न हो) –

Failures of axles (To be included only when the rolling stock is attached to running trains & the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 20.000/- or loss of life or injury to persons. Cases of hot bearings resulting in detachment of rolling stock from running trains are not to be included unless failure of the axle takes place) –

विवरण–41 तालिका–2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(क) भाप कर्षण – (a) Steam traction – (i) इंजन Engines (ii) सवारी डिब्बे Coaches (iii) माल डिब्बे Wagons (iv) जोड़ Total (ख) डीजल कर्षण – (b) Diesel traction – (i) इंजन Engines (ii) सवारी डिब्बे Coaches (iii) माल डिब्बे Wagons (iv) जोड़ Total (ग) बिजली कर्षण – (c) Electric traction – (i) इंजन Engines (ii) सवारी डिब्बे Coaches (iii) माल डिब्बे Wagons (iv) जोड़ Total																						
2.04 ब्रेक उपकरणों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित किया जाना है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों में लगा हो, या खराबी के फलस्वरूप सम्पत्ति को 20,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो) – **Failures of brake apparatus (To be included only when the rolling stock is attached to running trains & the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 20.000/- or loss of life or injury to persons) –**																						

(क) भाप कर्षण –

(a) Steam traction –

(i) इंजन
Engines

(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

(iii) माल डिब्बे
Wagons

(iv) जोड़
Total

(ख) डीजल कर्षण –

(b) Diesel traction –

(i) इंजन
Engines

(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

(iii) माल डिब्बे
Wagons

(iv) जोड़
Total

(ग) बिजली कर्षण –

(c) Electric traction–

(i) इंजन
Engines

(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

(iii) माल डिब्बे
Wagons

(iv) जोड़
Total

2.05 कप्लिंग और ड्राफ्ट गियरों की खराबी (केवल तब ही सम्मिलित करनी है जब चल स्टाक चल रही गाड़ियों के साथ लगा हुआ हो या खराबी के कारण सम्पत्ति को 20,000/- रुपये से अधिक की गंभीर क्षति हुई हो या कोई व्यक्ति मर गया हो अथवा घायल हो गया हो) –

Failures of couplings and draft gear (train partings) (To be included only when the rolling stock is attached to running trains & the failure results in serious damage to property, i.e., in excess of Rs. 20.000/- or loss of life or injury to persons) –

विवरण–41 तालिका–2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(i) सवारी और मिश्रित गाड़ियां – Passenger and mixed trains – (क) भाप कर्षण – (a) Steam traction – (I) इंजन Engines (II) सवारी डिब्बे Coaches (III) माल डिब्बे – Wagons – (1) स्क्रु कप्लिंग Screw Coupling (2) स्ट्रेट सी.बी.सी. Straight C.B.C. (3) ट्राँजिशन सी.बी.सी. Transition C.B.C. (4) एलाएंस कपलर्स Alliance Couplers (5) ए.बी.सी. (एम.जी.) A.B. C. (M.G.) (6) जोड़ (1) से (5) Total (1) to (5) (IV) जोड़ Total (ख) डीजल कर्षण – (b) Diesel traction – (I) इंजन Engines (II) सवारी डिब्बे Coaches (III) माल डिब्बे – Wagons – (1) स्क्रु कप्लिंग Screw Coupling (2) स्ट्रेट सी.बी.सी. Straight C.B.C. (3) ट्राँजिशन सी.बी.सी. Transition C.B.C.																						

(4) एलाएंस कपलर्स
Alliance Couplers
(5) ए.बी.सी. (एम.जी.)
A.B. C. (M.G.)
(6) जोड़ (1) से (5)
Total (1) to (5)

(IV) जोड़
Total

(ग) बिजली कर्षण –

(c) Electric traction –

(I) इंजन
Engines

(II) सवारी डिब्बे
Coaches

(III) माल डिब्बे –
Wagons –

(1) स्क्रु कप्लिंग
Screw Coupling
(2) स्ट्रेट सी.बी.सी.
Straight C.B.C.
(3) ट्राँजिशन सी.बी.सी.
Transition C.B.C.
(4) एलाएंस कपलार्स
Alliance Couplers
(5) ए.बी.सी. (एम.जी.)
A.B. C. (M.G.)
(6) जोड़ (1) से (5)
Total (1) to (5)

(IV) जोड़
Total

(ii) अन्य गाड़ियां –
Other trains –

(क) भाप कर्षण –

(a) Steam traction –

(I) इंजन
Engines

(II) सवारी डिब्बे
Coaches

(III) माल डिब्बे –
Wagons –

विवरण–41 तालिका–2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(1) स्क्रु कप्लिंग Screw Coupling																						
(2) स्ट्रेट सी.बी.सी. Straight C.B.C.																						
(3) ट्राँजिशन सी.बी.सी. Transition C.B.C.																						
(4) एलाएंस कपलर्स Alliance Couplers																						
(5) ए.बी.सी. (एम.जी.) A.B. C. (M.G.)																						
(6) जोड़ (1) से (5) Total (1) to (5)																						
(IV) जोड़ Total																						
(ख) डीजल कर्षण – (b) Diesel traction–																						
(I) इंजन Engines																						
(II) सवारी डिब्बे Coaches																						
(III) माल डिब्बे – Wagons –																						
(1) स्क्रु कप्लिंग Screw Coupling																						
(2) स्ट्रेट सी.बी.सी. Straight C.B.C.																						
(3) ट्राँजिशन सी.बी.सी. Transition C.B.C.																						
(4) एलाएंस कपलर्स Alliance Couplers																						
(5) ए.बी.सी. (एम.जी.) A.B. C. (M.G.)																						
(6) जोड़ (1) से (5) Total (1) to (5)																						
(IV) जोड़ Total																						

(ग) बिजली कर्षण –
(c) Electric traction –
(I) इंजन
Engines
(II) सवारी डिब्बे
Coaches
(III) माल डिब्बे –
Wagons –
(1) स्क्रु कप्लिंग
Screw Coupling
(2) स्ट्रेट सी.बी.सी.
Straight C.B.C.
(3) ट्राँजिशन सी.बी.सी.
Transition C.B.C.
(4) एलाएंस कपलर्स
Alliance Couplers
(5) ए.बी.सी. (एम.जी.)
A.B. C. (M.G.)
(6) जोड़ (1) से (5)
Total (1) to (5)
(IV) जोड़
Total

2.06 अन्य चल स्टाक की खराबी (इसमें चल स्टाक की खराबी के वे सभी मामले सम्मिलित करने हैं जो कि उक्त उप-मद 1.01 से 1.05 और 2.01 से 2.05 के अंतर्गत नहीं आते किन्तु उस प्रकार के मामले जिनका उल्लेख उन मदों की तल टिप्पणी में किया गया है, को भी सम्मिलित नही किया जाना है. बियरिंग के गर्म हो जाने के परिणामस्वरूप चलती हुई गाड़ियों से चल स्टाक के अलग किये जाने वाले मामलों को शामिल नहीं करना है) –

Other rolling stock failures (To include all failures of rolling stock which are not covered by sub-items 1.01 to 1.05 and 2.01 to 2.05 above but those of the nature referred to in foot-notes under those items are not to be included. Cases of hot bearing resulting in detachment of rolling stock from running trains, are not to be included) –

(क) भाप कर्षण –
(a) Steam traction –
(i) इंजन
Engines
(ii) सवारी डिब्बे
Coaches

विवरण-41 तालिका-2 *(जारी)*
Statement-41 Table-2*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(iii) माल डिब्बे Wagons																						
(iv) जोड़ Total																						
(ख) डीजल कर्षण –																						
(b) Diesel traction –																						
(i) इंजन Engines																						
(ii) सवारी डिब्बे Coaches																						
(iii) माल डिब्बे Wagons																						
(iv) जोड़ Total																						
(ग) बिजली कर्षण –																						
(c) Electric traction –																						
(i) इंजन Engines																						
(ii) सवारी डिब्बे Coaches																						
(iii) माल डिब्बे Wagons																						
(iv) जोड़ Total																						
3. चल स्टाक की कुल खराबियां – **Rolling stock failures –**																						
जोड़ [मद 1.06 (घ) और 2.01 से 2.06] Total [Item 1.06(d) and 2.01 to 2.06]																						
(क) भाप (a) Steam																						
(ख) डीजल (b) Diesel																						
(ग) बिजली (c) Electric																						
(घ) जोड़ (d) Total																						

4. **इंजन किलोमीटर प्रति इंजन खराबी (इस मद के आंकड़े निकालने के लिए, कर्षण-वार इंजन किलोमीटर को 1.06 में दिखाई गई अलग-अलग कर्षण की इंजन खराबियों की संख्या से विभाजित किया जायेगा) - (बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन या समस्त प्रणाली (जैसा भी संदर्भ हो) के कर्षणवार इंजन किलोमीटर हजारों में कोष्ठकों में दिखाया जाना है) –**

Engine kilometres per engine failure (For deriving the figures of this item, traction-wise engine kilometres shall be divided by the number of engine failures of respective traction shown against item 1.06) – (Tractionwise engine kilometres on BG/MG/NG or the system as a whole, as the case may be, in thousands be shown in brackets)

(क) भाप

(a) Steam

(ख) डीजल

(b) Diesel

(ग) बिजली

(c) Electric

(घ) जोड़

(d) Total

5. **(मद 5 हटा दिया गया है)**

(Item 5 has been deleted)

6. **रेलपथ खराबियां (इसमें सभी खराबियां शामिल की जायेगी, सिवाय उनके कि जो रनिंग लाइनों के यार्डों में न होकर अन्य यार्डों में हुई हों) -**

Permanent way failures (To include all cases except failures occurring in yards other than those on running lines) –

6.01 रनिंग लाइनों पर रेलपथ का टेढ़ा-मेढ़ा होना
Buckling of track on running lines

6.02 रनिंग लाइनों पर आमान का फैलाव
Spread of gauge on running lines

6.03 रनिंग लाइनों पर रेल-पथ का धंसना
Sinkage of track on running lines

6.04 टूटी हुई पटरियां (इसमें वह टूट-फूट शामिल नहीं की जायेगी जिसका पता सामान्य अनुरक्षण के दौरान रेलपथ कर्मचारियों को चला हो)
Broken rails (To exclude running fractures detected by permanent way staff during normal maintenance)

6.05 सुरंगों, पुलों, उतारों, पुलियों आदि की खराबियां
Failures of tunnels, bridges, viaducts, culverts, etc.

6.06 रेलपथ के भागों पर बाढ़ का पानी आना (यदि क्षति 5000/- रुपये से कम की है और सवारी गाड़ी और मिश्रित गाड़ियों के यातायात में 3 घंटे से कम का अवरोध और माल गाड़ियों के मामले में 6 घंटे से कम का अवरोध हो तो शामिल नहीं करना है. एक ही दिन में एक ही कारण से उसी ब्लाक खंड में बाढ़ के कारण हुई विभिन्न दरारों के फलस्वरूप यातायात में हुई बाधाओं को एक ही खराबी गिना जाना है)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Flooding of portions of permanent way (To be excluded if damage done amounts to less than Rs. 5000/-, and if interruption to traffic is less than 3 hours in case of passenger and mixed trains and six hours in case of goods trains. Interruption to traffic owing to several breaches on the same block section caused by floods occurring on the same day and from same cause, shall be treated as one failure).																						
6.07 तटों या कटावों की फिसलन (यदि क्षति की राशि 5000/– रुपये से कम हो और सवारी गाड़ी और मिश्रित गाड़ियों के यातायात में 3 घंटे से कम का विलम्ब और माल गाड़ियों के मामले में 6 घंटे से कम का विलम्ब हो तो वह शामिल नहीं किया जाना है) Slips in cuttings or embankments (To be excluded if damage done amounts to less than Rs. 5000/-, and if the interruption to traffic is less than three hours in cases of passenger and mixed trains and six hours in case of goods trains).																						
6.08 रेलपथ की कुल खराबियां –(मद 6.01 से 6.07) Permanent way failures–Total (Items 6.01 to 6.07).																						
7. ऊपरी तारों की खराबी (इसमें ऊपरी उपस्कर की खराबी के कारण तारों का अलग हो जाना शामिल करना है. जिन मामलों में ऊपरी संरचना, आदि के कारण तारें नीचे आ गई हों तथा पटरी से उतरे हुए वाहनों से लिपट कर खिंच गई हो तो उन्हें तारों के अलग होने वाली श्रेणी में नहीं रखा जायेगा क्योंकि वे अन्य दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हैं) **Failures of overhead wires (To include dewirements from failures of overhead equipment. Incidence in which the wire is brought down as a result of overhead structure, etc., being carried away by derailed vehicles, are not to be regarded as dewirements, since they are incidental to other accidents).**																						
8. सिगनल उपस्कर की खराबियां –(यदि किसी अन्य शीर्षक में वर्गीकृत न किया गया हो) **Failures of signalling apparatus–(If not classified in any other head).**																						
8.01 मार्ग अन्तर्पाशन की खराबी जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रुका रहा हो. Failure of route relay interlocking causing detention to traffic for more than one hour.																						
8.02 केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की खराबी जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रुका रहा हो. Failure of centralised traffic control causing detention to traffic for more than one hour.																						

8.03 स्वचालित सिगनल व्यवस्था की खराबी जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रुका रहा हो.

Failure of automatic signalling causing detention to traffic for more than one hour.

8.04 संचार–व्यवस्था का पूर्ण अवरोध जिससे गाड़ियों के चालन पर दुष्प्रभाव पड़ा हो.

Total interruption of communication affecting running of trains for more than one hour.

8.05 सिगनल उपस्कर की कोई खराबी जिससे खतरा हो. जिसके कारण यातायात एक घंटे से अधिक रूका रहा हो.

Any failure of signalling apparatus on the unsafe side causing detention to traffic for more than one hour.

8.06 जोड़ (मद 8.01 से 8.05)

Total (items 8.01 to 8.05)

9. रेल उपस्करों की कुल खराबियां –(मद 3 +6.08 + 7 + 8.06)

Total failures of railway equipment–(Items 3 + 6.08 + 7 + 8.06)

विवरण-41
Statement-41

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन/ सभी आमान
B.G./M.G./N.G./Whole System

तालिका-3 को समाप्त वर्ष के दौरान विविध दुर्घटनाओं (यार्ड दुर्घटनाओं सहित) और उनमें हताहतों की संख्या, क्षति की लागत आदि

Table-3–Number of miscellaneous accidents (including yard accidents), casualties, cost of damage etc. during the year ending.....

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of Accidents under various causes.	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly. servants				अन्य Others				हताहतों की कुल संख्या Total all classes				क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to			
					Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल						
	भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 113 के अंतर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनाएं Accidents reported to Local Govt. under Sec. 113 of the Railways Act. 1989 (24 of 1989)	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की गई दुर्घटनाएं Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर) Total (including other accidents)	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	रु. चल स्टाक Rolling Stock Rs.	रु. रेल पथ Track Rs.	सीधी संचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

विविध दुर्घटनायें (यार्ड दुर्घटनाओं सहित)-
Miscellaneous Accidents (including yard accidents) –

1. लाइन पर पशुओं का गाड़ी से कट जाना किन्तु गाड़ी का पटरी से न उतरना (गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटना को तालिका 1 की मद 2 के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए)
 Trains running over cattle on the line but not derailed (in case of derailment, the accident should be accounted for under item 2 of Table 1)
2. गाड़ियों में तोड़-फोड़ के लिए किया गया प्रयास –
 Attempted train wreckings –

2.01 गाड़ी के प्रभावित होने से पहले पता लग जाना और उपचार कर लिया जाना.
Detected and remedied before a train is affected.

2.02 गाड़ी के गुजर जाने के बाद पता लगना परन्तु वास्तव में किसी दुर्घटना का न होना (इसमें तभी सम्मिलित करना है जब कि रेलपथ के विरचन, संरचना अथवा उपस्कर को विकृत करने या जान बूझकर अवरोधन करने वाले मामलों का पता चला हो और यदि उनका उपचार न किये जाने के फलस्वरूप किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो, किन्तु वास्तव में दुर्घटना न हुई हो. जहां जान बूझ-कर अवरोधन उत्पन्न करने के फलस्वरूप एक गाड़ी या गाड़ी का एक भाग पटरी से उतर गया हो तो, ऐसी दुर्घटना की गणना तालिका 1 की मद 1 या 2 के अन्तर्गत संबंधित शीर्षकों में करनी चाहिये.

Detected after a train has passed but no accident actually occures (When wilful obstruction or tampering with permanent way, formation, structure or equipment is detected, which if not remedied, is likely to have resulted in an accident to a train, but no accident has actually occurred. Where, however, a train or portion of a train is derailed or seriously damaged as a result of such wilful obstacle, the accident should be accounted for under the respective head under items 1 or 2 of Table 1).

3. गाड़ियों का अवरोधनों पर से गुजर जाना परन्तु पटरी से न उतरना अर्थात् ऐसे मामले जो कि तालिका 1 की मद 4 और उपरोक्त मद-1 और 2 में उल्लिखित स्थितियों के अन्तर्गत न आते हों (इसमें तभी सम्मिलित किया जाना है जब कि ऐसी बाधाएं जान-बूझ कर रेलपथ पर उपस्थित न की गई हों, उदाहरणार्थ गिरा हुआ पेड़ या तार का खम्भा. इसमें शरारत के कारण रेलपथ पर उपस्थित की गयी वे मामूली बाधाएं भी सम्मिलित करनी हैं जिनके फलस्वरूप न तो कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हो और न होने की संभावना हो सामान्य रूप से काम करते समय संयोगवश रेलवे के औजारों के गलत ढंग से रखे जाने के अतिरिक्त स्लीपर, पटरी, पत्थर आदि के लाइन पर रखे जाने से उपस्थित बाधाओं पर से गुजरने से होने वाली दुर्घटना ही इसके अंतर्गत लेनी है. स्काच ब्लाक पर गाड़ी जाने या रेलवे के औजारों के गलत ढंग से रखे जाने या खण्डित या अलग हुए प्वाइन्ट पर जाने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप टक्करें या पटरी से उतरने के मामले तालिका 1 की मद 1 और 2 में सम्मिलित करने हैं).

Trains running over obstructions but not derailed i.e., those not covered by circumstances mentioned in items 4 of Table 1 and 1 & 2 above (When such obstructions have not been wilfully placed on the track, e.g., fallen tree or telegraph post. This includes also petty obstructions mischievously placed on the track which have not resulted or are not likely to have resulted, in an accident to a train. Such accidents shall be entered as are caused by trains running over obstructions (e.g., sleepers, rails or stones etc., placed on the line) other than those caused by accidental misplacement of railway appliances in the ordinary course of working. Accidents due to trains mounting scotch blocks or other misplaced railway appliances, or travelling over split or trailing points, and resulting in derailments or collisions shall be shown under the respective heads of items 1 and 2 of Table 1).

4. यात्री गाड़ियों का कांटों पर से गलत दिशा में जाना परन्तु पटरी से न उतरना (इसमें सभी यात्री गाड़ियां शामिल होंगी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Passenger trains travelling in the wrong direction through points but not derailed (To include all).

5. गाड़ियों में आग लगना (उन मामलों को छोड़कर जहां वाहन स्टेशन पर खड़े हैं) जबकि हुई क्षति की रकम 5000/– रुपये से कम हो.
Fires in trains (except cases where vehicles are standing at a station) when the amount of damage done is less than Rs. 5,000/-.

6. ठेला ट्रालियों और गाड़ियों के बीच टक्करें –
Collisions between trains and push trolleys –
 (i) सवारी और मिश्रित गाड़ियां
 Passenger and mixed trains
 (ii) अन्य गाड़ियां
 Other trains

7. अकेले इंजनों या/और वाहनों या/और मालडिब्बों या/और ट्रालियों के बीच टक्करें (इसमें इंजन यार्डों में हुई गाड़ी रहित इंजनों की टक्करों जिनमें किसी की मृत्यु न हुई हो, कोई गंभीर रूप से घायल न हुआ हो या सम्पत्ति को 20000/– रुपये से अधिक की गंभीर क्षति न हुई हो, को छोड़कर सभी को शामिल करना है) –
Collisions between light engines or/and vehicles or/and wagons or/and trolleys (to include all except collisions occurring in locomotive yards, unconnected with trains in which there is no loss of life or serious injury or serious damage to property, that is to say, in excess of Rs. 20,000/-) –
 (i) खाली इंजन
 Light engines
 (ii) मोटर ट्रालियां
 Motor trolleys
 (iii) लारियां
 Lorries
 (iv) ट्रालियां
 Trolleys
 (v) अन्य
 Others
 (vi) जोड़
 Total

8. अन्य टक्करे अर्थात तालिका 1 की मद सं. 1.01 से 1.05 तक और उक्त 6 और 7 मदों में उल्लिखित मामलों के अतिरिक्त तालिका 1 की मद 1.01 से 1.05 तक और उपयुक्त मदें 6 और 7 के अन्तर्गत टिप्पणी में संदर्भित विशिष्ट प्रकार के मामलों, को भी शामिल नहीं किया जाना है.
Other collisions i.e., besides those specified in items 1.01 to 1.05 of Tables

1 and 6 and 7 above and also those of the nature referred to in notes under items 1.01 to 1.05 of Tables 1 and 6 and 7 above, are not to be included.

9. खाली इंजनों, ट्रालियों, वाहनों और मालडिब्बों का पटरी से उतरना (विन्यास यार्डों, शंटिंग यार्डों, इंजन यार्डों और साइडिंग आदि में पटरी से उतर जाने के उन सभी मामलों को शामिल करना है जिनमें 5,000/- रुपये से कम की हानि न हो, बशर्ते कि किसी गाड़ी या गाड़ी का कोई भाग शामिल न हो) –
Derailments of light engines, trolleys, vehicles and wagons (To include all derailments in marshalling yards, shunting yards, loco yards and sidings, etc., costing not less than Rs. 5000/-, provided that no train or a part of a train is involved) –
(i) खाली इंजन
Light engines
(ii) ट्रालियां
Trolleys
(iii) वाहन
Vehicles
(iv) मालडिब्बे
Wagons
(v) जोड़
Total

10. स्टेशनों पर आग लगना या ऐसे मामले जिनमें पुलों या उतारों को नुकसान पहुंचा हो (वे सभी मामले शामिल किये जाने हैं जहां क्षति की रकम 5,000/- रुपये से कम हो)
Fires at stations or those involving injury to bridges or viaducts (To include all except those where damage done amounts to less than Rs. 5,000/-).

11. शंटिंग कार्य आदि के दौरान समपारों पर हुई दुर्घटनाएं जिनमें गाड़ी की दुर्घटनायें शामिल नहीं हैं (जैसे समपारों पर खाली इंजनों, शंटिंग इंजनों या शेड को जा रहे इंजनों आदि का, अथवा वाहनों या मालडिब्बों का फाटक से टकरा जाना और/या सड़क यातायात से टकरा जाना या विलोमत) –
Accidents at level crossings not involving trains (such as light engines, shunting engines or engines going to sheds etc., vehicles or wagons running into gates and/or road traffic or vice-versa at level crossing) during shunting operations etc.–
(क) चौकीदार वाले समपार –
(a) Manned level crossings –
(i) खाली इंजन
Light engines
(ii) अन्य इंजन
Other engines
(iii) वाहन
Vehicles
(iv) माल डिब्बे
Wagons
(v) जोड़ [(i) से (iv)]
Total [(i) to (iv)]

विवरण–41 तालिका–3 *(जारी)*
Statement-41 Table-3*(Contd.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(ख) बिना चौकीदार वाले समपार –
(b) Un-manned level crossings –
((i) खाली इंजन
Light engines
(ii) अन्य इंजन
Other engines
(iii) वाहन
Vehicles
(iv) माल डिब्बे
Wagons
(v) जोड़ [(i) से (iv)]
Total [(i) to (iv)]

12. अन्य विविध दुर्घटनायें
Other miscellaneous accidents

13. कुल विविध दुर्घटनायें (यार्ड दुर्घटनाओं सहित) (मद 1 से 12)
Total miscellaneous accidents (including yard accidents)
(Items 1 to 12).

.....रेलवे/Railway

विवरण–41
Statement-41

..... को समाप्त वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं तथा रेल उपस्करों की खराबियां और हताहतों की कुल संख्या, क्षति की लागत आदि (तालिका 1, 2 और 3 का जोड़)
Total number of accidents, failures of railway equipment, casualties, cost of damage, etc. (Total of Tables 1, 2, & 3) during the year ending....

बड़ी लाइन/मीटर लाइन/छोटी लाइन/सभी आमान
B.G./M.G./N.G./Whole System

विभिन्न कारणों के अनुसार दुर्घटनाओं की श्रेणी Class of Accidents/failures of railway equipment under various causes.	संख्या Number			यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की संख्या No. of Rly servants				अन्य Others				हताहतों की कुल संख्या Total all classes				क्षति की अनुमानित लागत Approximate cost of damage to			
					Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल						
	भारतीय रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 113 के अंतर्गत स्थानीय सरकार को सूचित की गई दुर्घटनाएं Accidents Reported to Local Govt. under Sec. 113 of the Railways Act. 1989 (24 of 1989)	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की गई दुर्घटनाएं Accidents enquired into by Commissioner of Railway Safety	जोड़ (अन्य दुर्घटनाओं/खराबियां को मिलाकर) Total (including other accidents/failures)	मृत / Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	मृत/Killed	गंभीर (गहरी चोट)/Serious (Grievous)	मामूली (साधारण)/Minor (Simple)	जोड़/Total	रु. क. चल स्टाक/Rolling Stock Rs.	रु. क. रेल पथ/Track Rs.	सीधी संचार व्यवस्था में कुल कितने घंटे व्यवधान रहा Total number of hours during which through communication remained interrupted.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

कुल जोड़ – गाड़ी दुर्घटनायें, रेलवे उपस्कर की खराबियां और विविध दुर्घटनायें (यार्ड दुर्घटनाओं सहित) (तालिका 1 की मद 5.01, तालिका 2 की मद 9 तथा सारणी 3 की मद 13) –

Grand Total – Train accidents, failures of railway equipment and miscellaneous accidents (including yard accidents) (Item 5.01 of Table 1+9 of Table 2+13 of Table 3) –

(i) कुल संख्या
Total Number

(ii) प्रति दस लाख गाड़ी किलोमीटर के हिसाब से दुर्घटनाओं तथा उपस्कर फेल होने की संख्या
Number of accidents & failures of Railway equipment per million train kilometres

विवरण–41 तालिका–3 *(समाप्त)*
Statement-41 Table-3*(Concld.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(क) सवारी गाड़ियां** (a) Passenger trains** (ख) अन्य गाड़ियां *** (b) Other trains*** (ग) जोड़ † (c) Total † (iii) ढोये गये प्रति दस लाख यात्रियों @ के हिसाब से मृत/घायल यात्रियों की संख्या Number of passengers killed/injured per million passengers carried @.																						

** तालिका 1, 2 और 3 में दिखायी गयी यात्री गाड़ियों को सभी दुर्घटनायें/उपस्कर फेल होने ÷ सभी सवारी और मिश्रित गाड़ियों से संबंधित सभी कर्षणों के गाड़ी किलोमीटर जिनमें ई०एम०यू० (जैसा कि गाड़ियां चल रही है) तथा रेल कारों/रेल बसों के कि०मी० सम्मिलित हैं परन्तु विभागीय गाड़ियों के किलोमीटर छोड़कर.

** All accidents/failures pertaining to passenger trains shown in Table 1, 2 and 3 ÷ Train kilometres of all tractions relating to all passenger and mixed trains including E.M.U. (as the trains are run) and rail cars /rail buses but excluding departmental train.

*** तालिका 1,2 और 3 में दिखायी गयी अन्य गाड़ियों से संबंधित सभी दुर्घटनायें ÷ मद (i) में सम्मिलित को छोड़कर सभी कर्षणों के समस्त गाड़ी किलोमीटर.

*** All accidents/failures pertaining to other trains shown in Tables 1, 2 and 3 ÷ Train kilometres of all tractions other than those included for item (i).

@ $\frac{\text{कुल जोड़ (i)} \times 1{,}000{,}000}{\text{ढोये गए यात्री}}$ ढोए गये यात्रियों से आशय, प्रत्येक आमान अथवा समस्त प्रणाली पर जैसा भी संदर्भ में हो, ढोये गये यात्रियों की संख्या से है.

@ $\frac{\text{Grand total (i)} \times 1{,}000{,}000}{\text{Passengers carried}}$ Passengers carried refer to the number carried on each gauge or the system as a whole, as the case may be.

टिप्पणी – प्रत्येक आमान और समस्त प्रणाली के अलग–अलग विवरण भेजने हैं.

Note : Separate statements for each gauge and whole system should be submitted.

† कुल जोड़ (i) ÷उपमदों कुल जोड़ (ii)(क) तथा (ii)(ख) के लिए सभी कर्षणों के गाड़ी कि.मी. की गणना की जाए.

† Grand Total (i) ÷for train kms of all tractions taken into account for sub-items grand total (ii)(a) and (ii)(b).

.....रेलवे/Railway

विवरण-41
Statement-41

तालिका 4 को समाप्त वर्ष के दौरान गाड़ियों और रेलवे वाहनों के संचलन से हुई असामान्य घटनाओं में मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या तालिका 1 से 3 में उल्लिखित दुर्घटनाओं/उपस्करों की खराबियां को छोड़कर

Table 4 – Number of persons killed and injured in un-usual occurrences caused by the movement of trains and railway vehicles (exclusive of accidents/failures of railway equipment covered by Table 1 to 3) during the year ending...

	मृत Killed	घायल Injured		
		गम्भीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total
1	2	3	4	5
I. यात्री Passengers				
1. गाड़ियों और प्लेटफार्मों के बीच गिरने से. From falling between trains and platforms.				
2. गाड़ियों में चढ़ते और उतरते समय प्लेटफार्मों, गिट्टी आदि पर गिरने से. Falling on to platforms, ballast, etc., when getting into or out of trains.				
3. स्टेशनों पर लाइन पार करते समय. While crossing the line at stations.				
4. सवारी गाड़ियों के दरवाजे खोलने या बन्द करने से. By opening or closing of carriage doors.				
5. चलती गाड़ी में डिब्बे से गिरने या बाहर कूदने से. Falling or jumping out of carriage during the travelling of trains.				
6. अन्य दुर्घटनायें. Other accidents.				
7. कुल यात्री (मद 1 से 6) Total passengers (Item 1 to 6 Total)				

विवरण–41 तालिका–4 *(जारी)*
Statement-41 Table-4 *(Contd.)*

1	2	3	4	5
II. रेल कर्मचारी **Railway Servants**				
(क) वाहनों या इंजनों की शंटिंग के दौरान हुई रेल कर्मचारियों की असामान्य घटनाएं (केवल शटिंग से ही सम्बधित दुर्घटनाओं को मद 1–8 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना है. कपलिंग के टूटने और छिटक जाने के कारण हुई हताहतों की घटनाओं को संचलन दुर्घटनाओं के रूप में दर्ज किया जाना है भले ही उस समय वाहन खड़ा हो) (a) Un-usual occurrences to railway servants which occurred during shunting of vehicles or engines (only accidents peculiar to shunting are classified under Items 1-8. Casualties during coupling, braking and spragging are recorded as movement accidents although vehicles may at the time be stationary).				
1. वाहन/इंजन जिस समय जोड़े या काटे जा रहे हों. Whilst coupling or uncoupling vehicles/engines.				
2. शंटिंग के दौरान वाहनों/इंजनों पर बैठे होने पर साथ वाली लाइन पर खड़े वाहनों/इंजनों से टकरा जाना. By coming in contact whilst riding on vehicles/engines during shunting with other vehicles/engines etc. standing on adjacent lines.				
3. शंटिंग के दौरान बफर पर खड़े हुये या बफर पर गुजरते समय. Whilst passing over or standing upon buffers during shunting.				
4. शंटिंग के दौरान इंजनों, मालडिब्बों आदि पर चढ़ते या उतरते समय गिरने से. When getting on or off or falling off engines, wagons, etc. during shunting.				
5. पहियों को ब्रेक लगाते, काष्टरोधित या अवरोधित करते समय.* Whilst braking, spragging or chocking wheels.*				
6. ग्राउंड़ प्वांइट, विन्यास होती हुई गाड़ियों आदि पर काम करते समय. Whilst attending to ground points, marshalling trains, etc.,				
7. शंटिंग के दौरान केपसटन्स, टर्न टेबुल प्राप्स आदि द्वारा वाहनों को घुमाते समय (इसमें हाथ से चलाये जाने वाले वाहन भी शामिल हैं). Whilst moving vehicles by capstans, turn table props. etc., during shunting (includes vehicles being man-handled).				
8. शंटिंग के दौरान हुई दूसरी असामान्य घटना से जो कि उक्त मदों में सम्मिलित न हो. By other un-usual occurrences during shunting operations not included in the preceding.				
9. जोड़ (मद 1 से 8) Total (Items 1 to 8)				

(ख) अन्य असामान्य घटनाएं

(b) Other un-usual occurrences

10. चलती हुई गाड़ियों में इंजनों आदि से गिरने से.
From falling off engines, etc., during the travelling of trains.

11. चलती हुई गाड़ियों में लाइन के किनारे की संरचनाओं और ऊपरी-पुलों के सम्पर्क में आने से.
By coming in contact with over-bridges or erections on the sides of the line during the travelling of trains.

12. चलती हुई गाड़ियों में इंजनों, वाहनों, आदि पर चढ़ते या उतरते समय.
When getting on or off engines, vans, etc. during the travelling of trains.

13. कार्यरत इंजनों की मशीन आदि की खराबी से अथवा उनकी देखभाल करते समय.
Whilst attending to or by the failure of machinery etc., of engines in steam.

14. रेलपथ, साईडिंगों आदि पर कार्य करते समय -
Whilst working on permanent-way, sidings, etc. -

(क) गाड़ी की ठोकर लग जाने से

(a) Being struck by trains

(ख) अन्य कारणों से

(b) Other causes.

15. समपारों के फाटकों की देखभाल करते समय (इसमें केवल रेलपथ के अनुरक्षण के लिए काम पर तैनात सम्बन्धित कर्मचारी आते हैं और इसमें बत्तियों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनका वर्गीकरण मद (16) के अंतर्गत किया गया है. लाइन पर चल रहे गेंगर के मामले को कार्य-रत मामला माना जायेगा. गाड़ियों में रेलपथ ट्रालियां भी शामिल होनी चाहियें जिस समय वे लाइन पर चल रहीं हो).
Whilst attending to gates at level crossings. (Only concerned staff engaged in maintenance of permanent-way and does not include staff on lamping duties which is classified under item (16). A ganger walking his length to be regarded as working case. Trains should include permanent way trolleys whilst being moved on rails).

16. ड्यूटी के समय लाइन पर चलने, या खड़े होने या लाइन पार करने से (इसमें साइडिंग भी शामिल है जब तक कि व्यक्ति शंटिंग के काम पर तेनात न हो).
While walking, crossing or standing on the main line on duty (includes sidings unless a man is engaged on shunting)

17. वाहनों के बीच में कस जाने से (इसमें शंटिंग करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं)
From being caught between vehicles, (Does not include staff engaged on shunting)

* इसमें नियंत्रण करना तथा ब्रेक गिराना सम्मिलित हैं.

* Including cases of controlling and pinning down.

विवरण–41 तालिका–4 *(जारी)*
Statement-41 Table-4 *(Contd.)*

1	2	3	4	5
18. गाड़ियों और प्लेटफार्मों की दीवारों आदि के बीच गिरने या फंसने के कारण (इसमें यात्री और माल स्टेशन शामिल है) From falling or being caught between train and platform walls etc. (Includes passenger and goods stations)				
19. घर जाते समय या काम पर जाते समय लाइन पर चलने आदि के कारण Whilst walking etc., on the line on the way home or on to work.				
20. विविध Miscellaneous.				
21. जोड़ (मद 10 से 20) Total (Item 10-20)				
22. कुल रेलवे कर्मचारी (मद 9 + 21) Total Railway servant (item 9 + 21)				
III अन्य **Others**				
1. समपारों पर रेल लाइन पार करते समय Whilst passing over the railway line at level crossings.				
2. अनाधिकार प्रवेश करने वाले Trespassers				
3. आत्महत्या Suicides				
4. विविध Miscellaneous				
5. जोड़–अन्य (1 से 4) Total Other (Items 1-4)				
6. सभी श्रेणी का जोड़ Total All Classes				

विवरण-41
Statement-41

तालिका 5 को समाप्त वर्ष के दौरान असामान्य घटनाओं मे मृत या घायल व्यक्तियों की विवरणी जिसका रेलवे वाहनों के संचलन से सम्बन्ध नहीं हो

Table 5 - Number of persons killed or injured in un-usual occurrences in which the movement of railway vehicles was not concerned for the year ending.....

	यात्रियों की संख्या No. of passengers				रेल कर्मचारियों की सख्या No. of Railway servants				अन्य Others				जोड़ Total-All classes			
		Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल				Injured/घायल		
	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गंभीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. स्टेशनों पर सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय. While ascending or descending steps at stations.																
2. प्लेटफार्मों पर ठेलों से टकरा कर, पैकेजों आदि पर गिर जाने से. By being struck by barrows, by falling over packages, etc. on platforms.																
3. प्लेटफार्मों से गिर जाने पर. From falling off platforms.																
4. मालडिब्बों पर सामान लादने, उतारने या उनको बन्द करते समय - (माल के गिरने के कारण चोटें आना जब कि वह इस काम पर लगा हो, शामिल नहीं है (मद 7 देखें), लेकिन इस शीर्षक के अन्तर्गत कोयला आदि के लादने के समय लगी सभी चोटें शामिल हैं). Whilst loading, unloading or sheeting wagons– (Injuries due to falling of goods whilst engaged on this work are not included (See item 7). All injuries suffered whilst loading etc. of coal are included, however, under this heading).																
5. स्टेशनों आदि पर समान उठाते या ले जाते समय. Whilst moving or carrying goods at stations, etc.																
6. केप्सटनों या क्रेनों पर काम करते समय (इसमें क्रेनों की मरम्मत करते समय घायल होने वाले कर्मचारी शामिल नहीं है).																

विवरण-41 तालिका-5 *(समाप्त)*
Statement-41 Table-5*(Concld.)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Whilst working at cranes or capstans. (Does not include staff injured whilst repairing cranes)																
7. मालडिब्बों के दरवाजे, बत्तियों, माल की गाठों आदि के गिरने से. By the falling of wagon doors, lamps, bales of goods, etc.																
8. खड़े हुए इंजनों या वाहनों में चढ़ते या उतरते समय या उनसे गिर जाने से. (इसमें दरवाजा खोलते या बन्द करते समय कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं) (मद 12 देखें) From falling off or when getting on or off stationary engines or vehicles. (Does not include accidents to staff opening or closing doors (see item 12).																
9. प्लेटफार्मों, सीढ़ियों, पाड़ों आदि से गिरने से. From falling off platforms, ladders, scaffolds, etc.																
10. प्लेटफार्मों या लाइन पर चलते समय लड़खड़ा जाने के कारण (इसमें साइडिंग की लाइनों और शेड की सड़कों पर चलते हुए इंजनों के आगे या घुमकर गड्ढे में गिर जाने से लगने वाली चोटें शामिल है. By stumbling whilst walking on the line or platforms. (includes lines in sidings and injuries caused by falling into engines or turntable pits whilst walking along shed roads).																
11. शेडों में खड़ें इंजनों की देख-भाल करते हुए. Whilst attending to stationary engines in sheds.																
12. रेल वाहनों के दरवाजे खोलने और बन्द करते समय (इसमें यात्री और माल वाहन शामिल है). Whilst opening and closing doors of railway vehicles (includes passenger and goods vehicles).																
13. लाइन पर या साइडिंगों में काम करते समय. Whilst working on the line or in sidings.																
14. स्टेशनों या साइडिंगों पर काम करते समय. On business at stations or sidings.																
15. विविध. Miscellaneous.																
16. जोड़ (मद 1 से 15). Total (Item 1 to 15).																

विवरण-41
Statement-41

तालिका-6 को समाप्त वर्ष के दौरान रेल कारखानों, लाइन/कार्य जिस पर निर्माण-कार्य हो रहा हो या जो जन यातायात के लिए खोला न गया हो, स्टीमर या फ्लैट्स आदि में हुई दुर्घटनाएं

Table-6 Accidents occuring in railway workshops, lines/works under construction or not opened for public traffic, steamers or flats etc. during the year.....

	दुर्घटनाओं की संख्या Number of accidents	रेलवे कर्मचारी Railway servants				अन्य Others			
			घायल/Injured				घायल/Injured		
		मृत Killed	गम्भीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण चोट) Minor (Simple)	जोड़ Total	मृत Killed	गम्भीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण चोट) Minor (Simple)	जोड़ Total
1. रेल कर्मशालाओं में (मामूली चोटें या खरोचें) जो कि व्यक्ति को उसकी सामान्य डयूटी करते समय आ जाना स्वाभाविक है, दर्ज नहीं करनी है. In railway workshops (slight abrasions or bruises) which are incidental to a man's ordinary duties need not be entered.									
2. नये निर्माण कार्यों पर जिन्हें यातायात के लिए खोला नहीं गया. On new works not opened for traffic.									
3. निर्माणाधीन लाइनों पर. On lines under construction.									
4. उन लाइनों पर जिन्हें यात्रियों, जानवरों और माल की ढुलाई के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता. On lines not used for the public carriage of passengers, animals and goods.									
5. वे स्टीमर या फ्लेट जो रेलों के लिए कार्य कर रहे हों. To steamers or flats working in connection with the railways.									
6. जोड़ (मद 1 से 5). Total (Items 1-5).									

विवरण-41
Statement-41 **तालिका-7 को समाप्त वर्ष के दौरान में चालू लाइनों में रेल गाड़ियों और वाहनों के आवागमन के फलस्वरूप विभिन्न कारणों में वर्गीकृत तालिका 1 से 3 में उल्लेखित दुर्घटनाओं/रेल उपस्करों की खराबी से भिन्न असामान्य घटनाओं में रेल कर्मचारियों का दुर्घटनाग्रस्त होना**

Table-7 Un-usual occurrences to railway servants caused by movement of trains and railway vehicles on open line (exclusive of accidents/failures of railway equipment covered by tables 1 to 3) classified under various causes during the year ending.....

कारण Cause	संचालन के मामले Movement cases					
	मृत/Killed		घायल/Injured			
	संख्या Number	कुल का प्रतिशत Percentage of total	संख्या/Number			कुल का प्रतिशत Percentage of total
			गम्भीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)	जोड Total	
1. दुस्साहस अथवा संयोग Misadventure or accidental						
2. सावधान न रहना अथवा घायल व्यक्ति का कदाचार Want of caution or misconduct on the part of the injured person						
3. घायल व्यक्ति से भिन्न रेल कर्मचारियों का सावधान न रहना या उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन आदि Want of caution or breach of rules, etc., on the part of servant other than the persons injured						
4. दोषपूर्ण कार्य प्रणाली, खतरनाक स्थल, काम की खतरनाक स्थितियां या कार्य प्रणाली अथवा कार्य सम्बंधी नियमों का अभाव Defective systems of working, dangerous place, dangerous conditions or work or want of rules or systems of working						
5. दोषपूर्ण उपकरण, औजार आदि या पर्याप्त औजारों, सुरक्षा आदि का अभाव Defective apparatus, appliances, etc., or want of sufficient appliances, safe-guard, etc.						
6. जोड़ (मद 1 से 5) Total (Item 1-5)						

Note. : The total number of casualties reported in this Table shall tally with item 22 of Table 4
नोट : इस तालिका में दी गई हताहतों की कुल संख्या सारणी 4 की मद 22 में दी गई संख्या के अनुरूप है.

अनुबन्ध – 'क'
Annexure - 'A'

.....रेलवे/Railway

विवरण–41
Statement-41

..... को समाप्त वर्ष में हताहत हुए रेल कर्मचारियों का कर्मशालावार विवरण

Statement showing the workshop-wise details of the casualties to railway employees during the year ending.....

क्रम सं. S.No.	कर्मशाला का नाम Name of Workshop	रेल कर्मचारियों की संख्या No. of railway employees			नवीनतम वित्त वर्ष के अंतिम दिन विवरणियां भेजते समय तक के उपलब्ध आंकड़े संबंधित कर्मशाला की उपस्थिति पंजी में कर्मचारियों की कुल संख्या Total No. of employees on rolls in the concerned wokshops as on the last day of the latest financial year for which data has become available till the time of submission of return.	उपस्थिति पंजी में 1000 कर्मचारियों के हिसाब से हताहत रेल कर्मचारी Casualties to railway employees rated against per 1000 employees on rolls		
		मृत Killed	घायल/Injured			मृत Killed	घायल/Injured	
			गम्भीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)			गम्भीर (गहरी चोट) Serious (Grievous)	मामूली (साधारण) Minor (Simple)

टिप्पणी – उपर्युक्त अनुबंध में कर्मशालावार बताये गये हताहतों की कुल संख्या तालिका 6 से मद 1 में दिखाये गये आंकड़ों से मेल खानी चाहिए.

Note - The total No. of casualties, workshop-wise reported in the above annexure should tally with the figures of casualties shown against item 1 of Table No. 6.

विवरण 41– दुर्घटनाएं, रेलवे उपस्कर की खराबियां और असामान्य घटनाएं

अनुदेश

1. रेलों द्वारा ये विवरणियां संलग्न फॉर्मों में तैयार की जानी चाहिए जिन पर क्रमश: तालिका 1 से 7 अंकित हो. ये विवरणियां चाहे हस्तलिखित हों या मुद्रित हों, कागज़ के केवल एक ही ओर अंकित की जानी चाहिए.

2. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष के 25 मई तक प्राप्त हो जाए, सिवाय ढोये गए यात्रियों की संख्या तथा प्रति दस लाख ढोये गए यात्रियों के हिसाब से गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत/घायल यात्रियों की संख्या को छोड़कर, ढोये गए यात्रियों की संख्या तथा प्रति दस लाख ढोये गए यात्रियों के हिसाब से गाड़ी दुर्घटनाओं में मृत/घायल यात्रियों की संख्या से संबंधित सूचना आगामी वित्त वर्ष के 31 अगस्त तक प्राप्त हो जाए. यदि इस अवधि के दौरान कोई दूर्घटना न हुई हो तो निर्धारित फार्म में ''कोई नहीं'' विवरणियां भेजी जाएं.

3. (i) रेल संचालन के प्रयोजनार्थ दुर्घटना, रेलवे संचालन में एक ऐसी घटना है, जिससे रेलवे की सुरक्षा, इंजन, अन्य चलस्टॉक, रेलपथ और निर्माण, स्थायी प्रतिष्ठापन, यात्री या रेल सेवक अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं या हो सकते हैं अथवा जिससे गाड़ी में विलंब या रेलवे को क्षति होती है या हो सकती है.

(ii) संबंधित विवरणियों में केवल उन्हीं दुर्घटनाओं, रेलवे उपस्कर की खराबियों/असामान्य घटनाओं को शामिल किया जाएगा जो विवरणियों से संबंधित अवधि के दौरान घटित हुई हों. जिन दुर्घटनाओं/रेलवे उपस्कर की खराबियों/असामान्य घटनाओं का ब्यौरा किसी कारण से विवरणियां भेजने के समय उपलब्ध न हों, उन दुर्घटनाओं/रेलवे उपस्कर की खराबियों/असामान्य घटनाओं को विवरण में इस स्पष्ट संकेत के साथ शामिल किया जाए कि और ब्यौरा बाद में भेजा जाएगा.

4. गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं को छोड़कर, मामूली किस्म की दुर्घटनाएं/रेलवे उपस्कर की खराबियां/असामान्य घटनाएं जैसे शंटिंग में छोटी–मोटी दुर्घटनाएं, स्प्रिंगों का फेल होना, गाड़ियों द्वारा कांटों का टूटना लेकिन उसके फलस्वरूप कोई और नुकसान न होना, भूस्खलन, जिस से यात्री गाड़ियों और मिश्रित गाड़ियों के संबंध में यातायात में 3 घंटे और माल गाड़ियों के संबंध में 6 घंटे से अधिक बाधा न पड़े या 5000 रुपए से कम की हानि हो, को विवरिणयों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. गाड़ियों में आग लगने के जिन मामलों में हुई हानि की रकम 5000/– रुपए से कम हो, उन्हें तालिका 3 की मद 5 के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए.

Statment 41– Accidents, Failures of Railway Equipment and un-usual occurrences

Instructions

1. The returns shall be prepared by the Railways in the forms marked Tables 1 to 7. Whether submitted in manuscript, or in print, these shall be set-forth on one side of the paper only.

2. The return shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 25th May of the following financial year except for items relating to number of passengers carried and number of passengers killed/injured per million passengers carried, which shall be sent by 31st August of the following financial year. 'Nil' returns in the prescribed forms shall be submitted even if no reportable accident occurred during the year.

3. (i) For the purpose of Railway working, accident is an occurrence in the course of working of a Railway which does or may affect the safety of the Railway, its engine, other rolling stock, permanent way and works, fixed installation, passengers or railway servants or other persons or which does or may cause delay to train or loss to the Railway.

(ii) Only those accidents/failures of railway equipment/un-usual occurrences which occurred during the period to which the returns relate, shall be included in the relevant returns. In regard to accidents/failures of railway equipment/ un-usual occurrences where details are not available at the time of forwarding the returns for any reason, such accidents/failures of railway equipment/un-usual occurrences shall be included in the statement with a clear indication that further details will follow.

4. Accidents/failures of railway equipment/un-usual occurrences which are of a trivial nature such as petty accidents in shunting, failure of springs, bursting open of points by trains resulting in no further damage or consequence, land slips not interrupting traffic for beyond 3 hours in the case of passenger and mixed trains and 6 hours in the case of goods trains or causing any damage less than Rs. 5000 shall not be included in the returns except in the case of 'fires in trains'. The cases of 'fires in trains' in which the amount of damage caused is less than Rs. 5000, shall be included under item 5 of Table 3.

5. इन आंकड़ों के प्रयोजन के लिए शामिल की जाने वाली दुर्घटनाएं/रेलवे उपस्कर की खराबियां/असामान्य घटनाएं इस प्रकार हैं –

(i) रेलों के संचालन से संबंधित कारणों के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु या शरीर के अंग को पहुंचने वाली चोट के मामले.

(ii) रेलपथ, स्टॉक या निर्माण–कार्यों को पहुंचने वाली क्षति चाहे उसमें मृत्यु हुई हो या शरीर को चोट पहुंची हो, या नहीं, बशर्ते यह क्षति उपर्युक्त मद 4 में दी हुई आर्थिक सीमा के अंतर्गत हो.

(iii) बिना अपवाद के वे सभी मामले जिनमें मवेशी लाइन से बाहर फेंक दिए गए हों या गाड़ी के नीचे आ गए हों अर्थात् चलती गाड़ियों के साथ मवेशियों के संपर्क में आने के सभी मामले.

(iv) दुर्घटनाओं/रेलवे उपस्कर की खराबी/असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट देते समय, उनकी संख्या अवश्य दी जाए, भले ही उनमें से प्रत्येक दुर्घटना/रेलवे उपस्कर की खराबी/असामान्य घटनाओं में हताहत होने वाले व्यक्तियों या मवेशियों की संख्या जिसे अलग से बताया जाए, कुछ भी हो. इसी प्रकार, टक्कर या पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या दी जाए, भले ही उनमें क्षतिग्रस्त होने वाले या पटरी से उतरने वाले वाहनों की संख्या कुछ भी हो. प्रत्येक दुर्घटना केवल एक बार दिखाई जानी चाहिए और यदि कोई दुर्घटना/रेलवे उपस्कर की खराबी/असामान्य घटनाएं एक से अधिक कोटि की हो तो उसे दुर्घटना की जो सब से ऊंची कोटि हो उसी कोटि की समझी जानी चाहिए.

(v) मार्शलिंग यार्डों, साइडिंगों आदि में होने वाले परिचालन, जो कि यहाँ परिभाषित गाड़ी–परिचालन से भिन्न है, के दौरान हुई टक्करों/पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं को गाड़ी दुर्घटनाओं से अलग करके ''अन्य टक्करें/पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं'' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए.

6. गाड़ी की परिभाषा

(i) गाड़ी रेल इंजन द्वारा चालित खाली या लदे हुए वाहनों के सैट को, या किसी स्वचालित यूनिट को लाइट इंजन सहित या रेल मोटर वाहनों को, या इकहरे रेल मोटर वाहन को, कहते हैं जो खाली या यात्री, पशुधन, पार्सल या माल को लेकर जिन्हें तत्परतापूर्वक पटरी से नहीं उठाया जा सकता और एक खास नंबर और नाम के साथ, एक निश्चित प्रस्थान–स्थल से एक निश्चित गंतव्य स्थल को जा रहा हो. इन परिभाषाओं, वर्गीकरण और आंकड़ों के प्रयोजन के लिए गाड़ी के भाग को भी गाड़ी समझा जाएगा. गाड़ी इंजन या अन्य कोई वाहन एक बार गाड़ी में लगा देने के बाद तब तक गाड़ी का अंग बना रहेगा जब तक उस स्टेशन पर न पहुंच जाए जिसके बाद उसे उसी गाड़ी में लगाया जाना अपेक्षित न हो. ऐसे स्टेशनों पर, इंजन या अन्य कोई वाहन गाड़ी से हटाए जाने के बाद उस गाड़ी का अंग नहीं रह जाते.

5. Accidents/failures of railway equipment/un-usual occurrences which shall be included for the purpose of these statistics are –

(i) Cases of loss of, or injury to, life or limb from causes connected with the working of railways.

(ii) All cases of damage to the permanent way, stock or works, whether attended or not by injury to life or limb, subject to the monetary limit put under item 4 above.

(iii) All cases, without exception, of cattle being thrown off the line or run over, i.e., all cases of cattle coming in contact with running trains.

(iv) While reporting the number of accidents/failures of railway equipment/un-usual occurrences, the figures shall be given irrespective of the number of casualties of persons or cattle caused by each particular accidents/failures of railway equipment/un-usual occurrences, which shall be separately stated. Similarly, the number of collisions and derailments shall be shown irrespective of the vehicles damaged or derailed by such collisions or derailments. Each accident shall be shown only once and in the event of an accident/failure of railway equipment and unusual occurrences falling in more than one category, it shall be treated as an accident in the higher category.

(v) Collisions/derailments in the course of operations other than the operation of trains, as herein defined, in marshalling yards, sidings, etc., shall be separated from the train accidents and recorded under the heads 'Other' collisions/derailments.

6. Definition of train

(i) A train is a set of vehicles, empty or loaded, worked by locomotive or any other self-propelled unit including light engine, or rail-motor vehicle or a single rail-motor vehicle, empty or conveying passengers, live stock, parcels or goods which cannot be readily lifted off the track, and running under a particular number or a distinct name, from a fixed point of departure to a fixed destination. Part of a train shall also be treated as a train for the purpose of these definitions, classification and statistics. The train engine or any other vehicle, once put on the train, continues to be a part of the train until the station is reached beyond which it is not required to go on the same train. At such stations, the moment the train engine or any other vehicle is cut off the load, it ceases to be a part of the train.

(ii) कांटे बदलते या शंटिंग आदि करते समय जब कोई आने-जाने वाली गाड़ी या अन्य गाड़ी जिसमें सेक्शनल सवारी डिब्बा आदि शामिल है, पटरी से उतर जाए या बंपिंग हो तो ''गाड़ी का पटरी से उतरना'' तभी समझा जाएगा, जब गाड़ी इंजन या वाहन, जो उस समय भी गाड़ी का अंग हो पटरी से उतर जाए या बंपिंग के कारण मृत्यु (चोट सहित) हो, रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचे, शंटिंग चाहे गाड़ी इंजन द्वारा को जा रही हो या शंटिंग इंजन द्वारा. लेकिन यदि पटरी से उतरा हुआ वाहन/उतरे हुए वाहन किसी गाड़ी का अंग न हो/हों तो पटरी से उतरने की दुर्घटना का वर्गीकरण ''पटरी से उतरने की अन्य दुर्घटना'' के रूप में किया जाएगा भले ही शंटिंग गाड़ी इंजन द्वारा की जा रही हो या शंटिंग इंजन द्वारा.

(iii) जो गाड़ी पूर्णत: या अंशत: यात्रियों के परिवहन के लिए हो वह सवारी गाड़ी समझी जाएगी. कर्मकार गाड़ी या गिट्टी गाड़ी या सामग्री गाड़ी या दुर्घटना राहत गाड़ी अथवा टॉवर माल डिब्बा या कर्मकारों को ले जाने वाली ऐसी अन्य गाड़ी या पशु स्पेशल/मिलिट्री स्पेशल जो प्राधिकृत मार्गरक्षी ले कर जा रही हो या इसी प्रकार की अन्य गाड़ी को पैसेंजर (यात्री) गाड़ी ही माना जाएगा. अन्य सभी गाड़ियां, अन्य गाड़ियों की कोटी के अंतर्गत आएंगी.

(iv) गाड़ी की दुर्घटना उस रेलवे की मानी जाएगी जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना स्थल हो. बहरहाल, इंजन की खराबी उस रेलवे की समझी जाएगी जिसका इंजन होगा.

7. **चोट की परिभाषा**

(i) रेल कर्मचारी तभी ''घायल'' व्यक्ति समझा जाएगा जब वह किसी दुर्घटना/रेलवे उपस्कर की खराबी/असामान्य घटनाओं में घायल हुआ हो और दुर्घटना के बाद 48 घंटे के दौरान काम पर वापस आने से रोका गया हो.

(ii) जनता का कोई व्यक्ति ''घायल'' नहीं समझा जाएगा यदि उसे आई हुई चोटें मामूली रगड़ या खरोंच हो या ऐसी हो जिसके कारण रिपोर्ट देने वाले अधिकारी की राय में घायल व्यक्ति अपने दैनिक कार्य या जीवन यापन में दो दिनों से अधिक असमर्थ न हो. यह नियम उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनका वर्गीकरण ''यात्री'' या ''अनाधिकार'' प्रवेश करने वाला के रूप में किया गया हो.

(iii) चोट के आंकड़े निम्न रूप से अलग-अलग दिखाए जाने चाहिए -

(क) गंभीर (गहरी चोट)

(ख) मामूली (साधारण)

इन आंकड़ों के लिए ''गंभीर (गहरी चोट)'' उसी को समझा जाएगा जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में यथा परिभाषित

(ii) Derailment of bumping during reversing or shunting operation, etc. on an incoming, outgoing or any other load, including a sectional carriage etc., shall be deemed to be a train derailment only when the train engine or vehicle still forming part of the train, derails or as a result of bumping, casualty (including injury) or loss to railway property takes place, irrespective of whether the shunting was being done by the train engine or by a shunting engine. If, however, the derailed vehicles/vehicle do(es) not form part of a train, the derailment shall be classified as 'other derailment', whether shunting etc. was being done by the train engine or by a shunting engine.

(iii) A train intended solely or partly for the carriage of passengers shall be treated as passenger train. A workmen's train or a ballast train or a material or an Accident Relief Train or a Tower Wagon or such other train carrying workmen, or a Cattle special/Military special carrying authorised escorts or similar such train shall be treated as a passenger train. All other trains shall come under the category of 'other trains'.

(iv) Accidents to trains shall be accounted for by the Railway which exercises jurisdiction over the site of accident. However, engine failures shall be accounted for by the Railway owning the engines.

7. **Definition of Injuries**

(i) A railway servant shall be considered as an 'injured' person when injured in an accident/failures of railway equipment/un-usual occurrences and prevented from returning to work during 48 hours after the occurrence of the accident/failures of railway equipment/un-usual occurrences.

(ii) A member of the public shall not be considered an 'injured' person if the injuries received are only petty abrasions or bruises or injuries which, in the opinion of the reporting officer, shall not incapacitate the injured person from following the customary vocation or mode of life for a period of more than two days. This rule shall also apply to employees classed as 'passengers' or 'trespassers.'

(iii) The statistics of injuries shall be stated separately as under -

(a) Serious (Grievous)

(b) Minor (Simple)

'Serious' (Grievous) injuries for purpose of these statistics shall be taken as injuries resulting in

''गहरी चोट'' लगी हो. तत्काल हवाले के लिए उसे नीचे उद्धृत किया जाता है –

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 320.

केवल निम्न प्रकार की चोट ही ''गहरी'' मानी जाती है –

(i) पुंसत्वहरण.

(ii) किसी एक आंख की दृष्टि से स्थायी रूप से वंचित हो जाना.

(iii) किसी एक कान से सुनने से स्थायी रूप से वंचित हो जाना.

(iv) किसी अंग या जोड़ से वंचित हो जाना.

(v) किसी अंग या जोड़ की शक्ति नष्ट हो जाना या स्थायी रूप से शक्ति-हीन हो जाना.

(vi) सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत हो जाना.

(vii) हड्डी या दांत टूट जाना या हट जाना.

(viii) किसी प्रकार की चोट जिससे जान खतरे में हो, या जिससे 20 दिन तक पीड़ित के शरीर में बहुत पीड़ा रहे या वह सामान्य कार्य करने में असमर्थ रहे.

इन नियमों के लिए ''मामूली'' साधारण चोट के अंतर्गत छोटी-मोटी चोट या रगड़ या खरोंच आदि, दुर्घटना/रेलवे उपस्कर की खराबी/असामान्य घटनाओं के बाद 48 घंटे तक घायल व्यक्ति अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ न हो सके, शामिल नहीं होगी.

8. विवरणियों में शामिल की जाने वाली रेल कर्मचारियों की श्रेणियां –

(i) स्टेशनों पर नियोजित सभी व्यक्ति (पुलिस सहित).

(ii) रेलपथ और निर्माण के अनुरक्षण के लिए नियोजित सभी व्यक्ति; इसमें विशेष निर्माण कार्यों के लिए लगाए गए व्यक्ति शामिल नहीं हैं, अर्थात् रेलवे के उन निर्माण कार्यों के लिए लगे व्यक्ति जिन्हें गाड़ी संचालन से कोई खतरा न हो. उदाहरणार्थ – नदी में ठोकरों का निर्माण जिसके लिए रेल कार्य वाले लोग नियोजित किए जाते हैं.

(iii) गाड़ियों या रनिंग इंजनों पर नियोजित सभी व्यक्ति और सभी फाटक वाले.

(iv) लोको यार्ड और शेडों में काम करने वाले सभी व्यक्ति.

9. (i) अवरोध को समीपवर्ती स्टेशन से उस सेक्शन की प्रभावित लाइन पर पहली गाड़ी के परिचालन के लिए दुर्घटना के समय से लाइन क्लीयर होने पर चलाने तक के समय को अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है.

'grievous hurt' as defined in Section 320 of Indian Penal Code reproduced below for ready reference –

Section 320, Indian Penal Code (45 of 1860)

The following kinds of hurt only are designated as 'grievous' –

(i) Emasculation.

(ii) Permanent privation of the sight of either eye.

(iii) Permanent privation of the hearing of either ear.

(iv) Privations of any membrane or joint.

(v) Destruction or permanent impairing of the powers of any membrane or joint.

(vi) Permanent disfiguration of the head or face.

(vii) Fracture or dislocation of a bone or tooth.

(viii) Any hurt which endangers life, or which causes the sufferer to be, during the space of twenty days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuits.

'Minor (Simple)' injuries for the purpose of these rules shall exclude trivial injuries or abrasions or bruises etc., which would not incapacitate the injured person to follow his customary vocation during 48 hours after the occurrence of the accident/failures of railway equipment/un-usual occurrences.

8. Classes of railway servants to be included in the returns–

(i) All persons (including police) employed at stations.

(ii) All persons employed in the maintenance of way and works exclusive of person, detailed for special works, i.e., for railway works involving no risk from the working of trains, e.g., the construction of spurs in a river on which railway work-people are employed.

(iii) All persons employed on trains or running engine and all gatekeepers.

(iv) All persons working in loco yards and sheds.

9. (i) Interruption is defined as duration from the time of accident till starting of first train on line clear from adjacent station for movement over the affected line in that section.

(ii) पिछले कार्यक्रम अथवा जांच की तारीख को ध्यान में रखे बिना उपस्कर की खराबी में सभी खराबियां शामिल होंगी.

(iii) आग के आंकड़ों में वस्तुत: आग लगने अथवा धुंआ निकलने की वे सभी घटनाएं शामिल होंगीं जिनके परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हो जाए अथवा कोई घायल हो जाए अथवा संपत्ति की 5000/– रु. और उससे अधिक की हानि हुई हो.

10. 1 से 7 तक की तालिकाओं के संकलन के विषय में मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सामान्य अनुदेश दिए जाते हैं –

(i) तालिका 1 से 3 तक के अंतर्गत भेजी जाने वाली दुर्घटनाओं और रेलवे उपस्कर की खराबियों को प्रत्येक आमान और संपूर्ण रेल प्रणाली के अलग–अलग विवरणों में दिखाया जाएगा.

(ii) फॉर्म में चिहिनत तालिका 1 से 3 में शामिल दुर्घटनाओं/रेलवे उपस्कर की खराबियों में से निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं/रेलवे उपस्कर की खराबियों, जिनकी भारतीय रेल अधिनियम 1989(1989 का 24) की धारा 113 के अंतर्गत राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जाती है, फॉर्म के कॉलम 2, जिसका शीर्षक ''स्थानीय सरकार को सूचित दुर्घटनाएं'' हैं, में शामिल की जाएंगी –

(क) ऐसी दुर्घटना, जिसमें मानव जीवन और गहरी चोट की क्षति शामिल हो.

(ख) गाड़ियों में टक्कर, जिनमें से एक यात्री गाड़ी हो.

(ग) यात्रियों को ले जाने वाली किसी भी गाड़ी का पटरी से उतर जाना या ऐसी गाड़ी के एक भाग का पटरी से उतर जाना.

(घ) दुर्घटनाएं, जिनमें यात्री गाड़ियों में तोड़–फोड़ अथवा तोड़–फोड़ करने के प्रयासों के कारण मानव जीवन की हानि हुई हो, लाइन पर रखे गए अवरोध पर से गाड़ियों के गुजर जाने के मामले, गाड़ियों से यात्रियों के गिर जाने के मामले अथवा गाड़ियों में आग लग जाने अथवा भारतीय दंड संहिता में यथा–विनिर्दिष्ट गंभीर रूप से घायल होने के मामले अथवा 25 लाख रुपए से अधिक की रेलवे संपत्ति की गंभीर हानि, जो वास्तव में नहीं हुई है, परंतु दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए शायद ऐसा होने की संभावना हो सकती है और भूस्खलन अथवा बारिशों अथवा बाढ़ के कारण दरार पड़ने के मामले, जिनके कारण 24 घंटों तक कोई संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण थ्रू–लाइन अवरुद्ध हुई हो.

(iii) तालिका 1 – इसमें चालू लाइन पर गाड़ियों की दुर्घटनाओं की संख्या और उसके परिणाम शमिल किए जाएंगे. गाड़ियों की दुर्घटनाओं में गाड़ियों की टक्करें, गाड़ियों का पटरी से उतरना, गाड़ियों में आग (विस्फोट शामिल है) और समपारों पर हुई दुर्घटनाएं और विविध जिनमें गाड़ियां सम्मिलित हों, शामिल होंगी. गाड़ियों और ठेला ट्रालियों में टक्करों के मामले इस तालिका में शामिल नहीं होंगे. इन्हें

(ii) An equipment failure shall include all failures irrespective of the date of last schedule or examination.

(iii) The statistics of fire shall include all cases of physical fire or smoke emission resulting in death or injury or damage to property amounting to Rs. 5000/- and above.

10. For guidance in the matter of compilation of Tables 1 to 7, the following general instructions shall be followed –

(i) The accidents and failures of railway equipment in Table 1 to 3 shall be given separately for each gauge as well as for the system as a whole.

(ii) Of the accidents/failures of railway equipment included in the forms marked Tables 1 to 3, the accident/failures of railway equipment of the following description, which are reportable to the State Government, shall be included under Col. 2 thereof titled 'Accidents reported to Local Governments under section 113 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)' –

(a) Any accident attended with loss of any human life or with grievous hurt.

(b) Any collision between trains, of which one is a train carrying passengers.

(c) A derailment of any train carrying passengers, or of any part of such train.

(d) Accidents which are attended by loss of human life in passenger trains involving train wrecking or attempted train wrecking, cases of running over obstructions placed on the line, of passengers falling out of trains or fires in trains or involving grievous hurt as defined in the Indian Penal Code or serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 25 lakhs, which have not actually occurred but which by the nature of the accidents, might reasonably have been expected to occur, and also cases of land-slides or of breaches by rains or floods which cause interruption of any important through line of communication for at least 24 hours.

(iii) Table 1-shall include the number and outcome of train accidents on open lines. Train accident shall constitute train collisions, train derailments, fires (including explosions) in trains, train accidents at level crossings and miscellaneous. The cases of collisions between trains and push trolleys shall not be included under

तालिका 3 की मद 6 में दिखाया जाएगा. मध्यवर्ती खंडों में और स्टेशन सीमा में गाड़ियों के पटरी से उतरने के संबंध में आंकड़े अलग-अलग देने चाहिए. गाड़ियों की तोड़-फोड़ के कारण अर्थात् रेलपथ बनावट, संरचना अथवा उपस्कर के साथ छेड़छाड़ या जानबूझ कर अवरोध उत्पन्न करने के कारण गाड़ी के पटरी से उतरने या गाड़ियों की गंभीर क्षति होने के मामलों को अलग-अलग मद संख्या 2.01(अ)(घ), 2.01(ब)(घ), 2.02(अ)(घ) और 2.02(ब)(घ) ''गाड़ियों की तोड़-फोड़/अवरोधन'' शीर्षक के अंतर्गत दिखाना चाहिए. ऐसे मामलों को जहां जानबूझ कर तोड़-फोड़ की भावना न हो, 2.01(अ)(ख), 2.01(ब)(ख), 2.02(अ)(ख) और 2.02(ब)(ख) के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए, इस तालिका में गाड़ियों में आग के आंकड़े देते समय उन सभी मामलों को शामिल किया जाएगा जिसमें कोई मरा हो या घायल हुआ हो या रेल संपत्ति को 5000/- रुपए और अधिक की क्षति हुई हो. 5000/- रुपए से कम क्षति के मामले तालिका 3 में ''विविध दुर्घटना'' (यार्ड दुर्घटनाओं सहित) के अंतर्गत दिखाने चाहिए. ''गाड़ियों में आग'' के मामलों के संबंध में सवारी और मिश्रित गाड़ियों के लिए रिपोर्ट अलग-अलग देनी चाहिए. ई.एम.यू. में आग के अंतर्गत केवल वही मामले दर्ज किए जाएंगें जिनमें ई.एम.यू. के यात्री डिब्बे में आग लग जाए. लेकिन यदि ऐसी आग निम्न/उच्च टेंशन डिब्बों तक ही सीमित रहे तो उसे बिजली/डीजल इंजनों में आग का मामला समझाा जाएगा और उसे तालिका 2 की मद 1.05 में शामिल किया जाएगा. समपारों पर गाड़ी दुर्घटना को कोटि में समपारों पर सड़क यातायात से गाड़ी का टकराना और/या सड़क यातायात का गाड़ी से टकराना सम्मिलित होगा. समपारों पर खाली इंजनों के साथ हुई दुर्घटनाओं को समपार को ऐसी दुर्घटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जिनमें गाड़ियां शरीक न हों और उन्हें तालिका 3 की मद 11 (क) और 11(ख) में शामिल किया जाना चाहिए. सवारी और अन्य चौकीदार वाले समपारों के लिए अलग-अलग आंकड़े देने चाहिए.

this table . These shall be shown against item 6 of Table 3. The data on train derailments shall be given separately in respect of derailments in the mid-sections and derailments within station limits. Train derailments or serious damage to trains occurring due to train wrecking, i.e., as a result of wilful obstruction or tampering with permanent way, formations structures or equipment shall be shown separately against sub- items 2.01A(d), 2.01B(d), 2.02A(d) and 2.02B(d) - 'Train wrecking/sabotage'. Cases, where there was no intention of sabotage, shall be reported against items 2.01A(b), 2.01B(b), 2.02 A(b) and 2.02 B(b). The statistics of fire in trains reported under this table shall include all cases where it results in death or injury or damage to property amounting to Rs. 5000 and above. Cases involving damages less than Rs. 5,000 shall be accounted for under 'Miscellaneous accidents' (including yard accidents) in Table 3. The cases of fires in trains shall be reported separately for 'Passenger and mixed trains', 'EMU stock' and Other trains. Under items Fires in 'EMU stock', only those cases shall be lodged where the fires spread out to passenger compartments of EMU stock. If, however, such fires confine to low/ high tension compartment only, they shall be treated as cases of fires in electric/diesel engines and shall be included against item 1.05 in Table 2. The category of accidents involving trains at level crossings shall include trains running into road traffic and/or road traffic running into trains at level crossings. The accidents at level crossings involving light engines shall be classified as accidents at level crossings not involving trains and included against items 11(a) and 11(b) of Table 3. Separate figures shall be given for manned and un-manned level crossings for passenger and other trains.

(iv) तालिका 2 — रेल उपस्करों की खराबी को चल स्टॉक, रेल पथ, बिजली के ऊपरी तार और सिगनल उपस्कर की खराबी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा. इंजनों की खराबी की संख्या को दो कोटियों में बांटना चाहिये- ''समय परक'' (अर्थात गाड़ियों पर इंजन की खराबी जबकि गाड़ियों को विलंब, भाप इंजन के मामले में 60 मिनट या अधिक हो और डीजल तथा बिजली इंजनों के मामले में यात्री गाड़ियों के लिए विलंब 30 मिनट या अधिक हो और माल गाड़ियों के लिये 60 मिनट या अधिक हो) और ''अन्य खराबियां'' (यार्ड में शटिंग इंजन की खराबियां शामिल नहीं की जाएंगी). इस संबंध में सांख्यिकीय अनुदेशिका के मासिक विवरण 4-ए की मद 13.0 को देखें. भाप, डीजल और बिजली रेल इंजनों की खराबी के मामले अलग-अलग दिखाये जाएंगे. आग के कारण डीजल/बिजली रेल इंजनों की खराबियां इस तालिका की मद 1.05 में दिखाई जायेंगी.

(iv) Table II - failure of railway equipment shall be classified under rolling stock, permanent way, electric over-head wire and signalling apparatus failures. The number of failures of engine shall be further split up into two categories – time failures (i.e., failures of engines on train when the delay to trains is 60 minutes or over in case of steam loco and 30 minutes and over for passenger trains and 60 minutes or over for freight trains in case of diesel and electric loco) and other failures (failures of shunting engines in yards are not to be included). In this connection, item 13.0 of Monthly Statement 4-A of Manual of Statistical Instructions, Volume-I may also be referred to. The cases of failures of steam, diesel and electric locomotives shall be shown separately. Failure due

(v) यार्डों में घटने वाली खराबी के मामलों को (चालू लाइनों पर खराबी के मामलों को छोड़कर) मद 6.01, 6.02 और 6.03 में रेलपथ की खराबी के मामलों को रिर्पोट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. इसी प्रकार रेलपथ कर्मचारियों द्वारा सामान्य अनुरक्षण के दौरान पटरी की टूट-फूट के जो मामले पकड़ में आयें, उन्हें मद 6.04 मे टूटी हुई पटरियों के मामलों की रिपोर्ट में शामिल नहीं करना चाहिए.

(vi) तालिका 3 - विविध दुर्घटनाएं (यार्ड दुर्घटनाओं सहित) - इसमें गाड़ियों को निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं के साथ-साथ अन्य दुर्घटनाएं जिनमें गाड़ियां सम्मिलित न हों, शामिल की जाएंगी-

(क) लाइन पर मवेशी के ऊपर से गाड़ी का गुजर जाना लेकिन पटरी से न उतरना.

(ख) गाड़ी में तोड़-फोड़ करने के लिए किया गया प्रयास.

(ग) अवरोधों के ऊपर से गाड़ी का गुजर जाना लेकिन पटरी से न उतरना (वे दुर्घटनाएं जो उपर्युक्त स्थितियों में नहीं आती या समपार गाड़ी दुर्घटनाओं की कोटियों में नहीं आती).

(घ) सवारी गाड़ियों का कांटों से गलत दिशा की ओर चले जाना लेकिन पटरी से न उतरना.

(ङ) गाड़ियों में आग, जिसमें विस्फोट भी शामिल है, के ऐसे मामले जिनमें हुई क्षति 5000/- रुपए से कम की हो.

(च) खाली इंजनों या/और वाहनों या/और मालडिब्बों के बीच या खाली इंजनों और ठेला ट्रालियों के बीच टक्करों और पटरी से उतर जाने के मामले.

(vii) तालिका 4- इसमें, तालिका 1 से 3 तक में उल्लेखित दुर्घटनाओं/ रेलवे उपस्कर की खराबियों को छोड़कर, चालू लाइन पर गाड़ियों और रेल वाहनों के संचालन के कारण असामान्य दुर्घटनाओं में मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या तीन भागों में शामिल होंगीं अर्थात् I-यात्री, II-रेल कर्मचारी और III-अन्य.

(viii) तालिका 5- इसमें रेलवे की चालू लाइन पर असामान्य दुर्घटनाओं में मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या शामिल होंगी जो तालिका 1 से 4 तक प्रोफॉर्मा के किसी भी वर्गीकृत शीर्षक के अंतर्गत न आती हों अर्थात् उन दुर्घटनाओं में जिनका संबंध वाहनों के संचालन से न हो.

(ix) रेल संचालन से संबंध कारणों से हताहत, जैसे प्राकृतिक कारणों से डिब्बों में या स्टेशनों पर यात्रियों की मृत्यु या स्टेशन की सीमा के अंदर कुओं में गिरने या कुओं अथवा तालाबों में डूबने से अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के मामले इस विवरणी की तालिका 5 में शामिल नहीं किए जाएंगे. साथ ही इस तालिका में मामूली रगड़ें या खरोंच,

to fires in diesel and electric locomotive shall be shown against item 1.05 of this table.

(v) The cases of failure occurring in yards except those on running lines shall be excluded while reporting the cases of failures of permanent way against items 6.01, 6.0 2 and 6.03. Similarly the cases of rail fractures detected by permanent way staff during normal maintenance shall be excluded while reporting the cases of broken rails against item 6.04.

(vi) Table 3- Miscellaneous accidents (including yard accidents) - shall include the following category of accidents to trains, in addition to other accidents not involving trains –

(a) Trains running over cattle on the line but not derailed.

(b) Attempted train wrecking.

(c) Trains running over obstructions but not derailed (which are not covered under the above circumstances or under the train accidents at level crossings).

(d) Passenger trains running in wrong directions through points but not derailed.

(e) Fires, including explosions, in trains when the amount of damage done is less than Rs. 5000.

(f) Collisions and derailments between light engines or/and vehicles or/and wagons or those between light engines and push trolleys.

(vii) Table 4 - shall include the number of persons killed and injured in un-usual occurrences caused by the movement of trains and railway vehicles (on open line) (exclusive of accidents/failures of railway equipment covered by Tables 1 to 3) in three parts viz.,1-Passengers, II-Railway servants and III - Others.

(viii) Table 5 - shall include the number of persons killed or injured on open line of railways by causes not coming under any of the classified heads in the proformae of Tables 1 to 4 i.e., in un-usual occurrences in which the movement of railway vehicles was not concerned.

(ix) Casualties from causes unconnected with railway working, such as death of passengers in carriages or at stations, from natural causes, or to other persons, such as cases of falling into wells or of drowning in wells or ponds, within the station limits of a railway,

जो किसी व्यक्ति के सामान्य कार्य–निर्वाह करते समय लगती है, शामिल नहीं की जाएंगी, इस प्रकार की दुर्घटनाओं को इन विवरणियों में बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा.

(x) तालिका 6 – इसमें निम्न प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल होंगी –

(क) रेल वर्कशॉपों में; (अनुबंध–अ भी देखें),

(ख) नए निर्माण कार्यों पर जो यातायात के लिए न खुला हो; या

(ग) निर्माणधीन लाइनों पर; या

(घ) उन लाइनों पर जिनका उपयोग सार्वजनिक यात्रियों, मवेशियों या माल के ढोने के लिए नहीं किया जाता; या

(ङ) रेलों के काम से संबंधित स्टीमरों या फ्लैटों पर हुई दुर्घटनाएं.

(xi) तालिका 7– इसमें वाहनों या इंजनों की शंटिंग तथा विभिन्न कारणों से असामान्य घटनाओं (तालिका 4 में शामिल) के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, मृत या घायल रेल कर्मचारियों की संख्या शामिल होगी. इस तालिका की मद 1 से 5 तक का जोड़ तालिका 4 में दिखाए गए रेल कर्मचारियों की हताहत संख्या से मेल खानी चाहिए.

shall not be included in Table 5 of the return, nor shall slight abrasions or bruises which are incidental to man's ordinary duties, be included in the said table. Such type of incidents shall not figure at all in these returns.

(x) Table 6 - shall include the following type of accidents-

(a) in railway workshops (also see Annexure-A);

(b) on new works not opened for traffic; or

(c) on lines under construction; or

(d) on lines not used for the public carriage of passengers, animals or goods; or

(e) to steamers or flats working in connection with railways.

(xi) Table 7 - shall include the number of railway servants killed or injured in un-usual occurrences during shunting of vehicles or engines and other un-usual occurrences (included in Table 4) under various causes. The total of items 1 to 5 of this table shall tally with the number of casualties to railway servants given in Table 4.

.....रेलवे/Railway

विवरण–43

Statement-43

वर्ष में पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल की लागत
Cost of Police Force and Railway Protection Force for the year.....

मद Item	ब्यौरा Description	रकम (हजार रुपयों में) Amount (Rs. in thousands)
1	2	3
	पुलिस बल की लागत – **Cost of the Police Force –**	
43.01	आर्डर पुलिस के लिए राज्य सरकारों को अंशदान Contribution to State Governments for order Police	
	रेलवे सुरक्षा बल की लागत – **Cost of Railway Protection Force –**	
43.02	रेलवे सुरक्षा बल Railway Protection Force	
43.03	रेलवे सुरक्षा विशेष बल Railway Protection Special Force	
43.04	आकस्मिकताएं Contingencies	
43.05	कुल (43.02 से 43.04) Total (43.02 to 43.04)	
43.06	रेलवे की कुल लागत Total Cost to the Railway	
	कुल लागत – (रुपयों में) **Total Cost - (in Rupees)**	
43.07	प्रति मार्ग किलोमीटर Per route kilometre	
43.08	प्रति गाड़ी किलोमीटर Per train kilometre	
43.09	प्रति हजार यातायात इकाई (शुद्ध टन किलोमीटर जमा यात्री किलोमीटर) Per 1000 traffic units (NTKms plus Passenger Kms.)	

विवरण 43- पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल की लागत

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 15 अगस्त तक पहुँच जाए.

2. आंकड़े संपूर्ण प्रणाली के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे.

3. मद संख्या 43.01, 43.02, 43.03 और 43.04 के सामने दर्शाए गए आंकड़े व्यय और आय लेखा के वर्गीकरण के सार ट से मेल खाते होंगे, जैसा नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है –

 मद 43.01– उप शीर्ष ट 130 के अधीन आंकड़े

 मद 43.02– ब्यौरेवार शीर्ष ट 111 से ट 115 के अधीन आंकड़े

 मद 43.03– ब्यौरेवार शीर्ष ट 121 से ट 125 के अधीन आंकड़े

 मद 43.04– ब्यौरेवार शीर्ष ट 116 और ट 126 के अधीन आंकड़े

 मद 43.06– उप शीर्ष ट 110, ट 120, ट 130 और ट 140 के अधीन आंकड़े

उपशीर्ष ट 140–'विविध व्यय' के अधीन बुक की गई रकम जो इस मद में शामिल है, एक पाद टिप्पणी में दर्शायी जाएगी.

4. $$\text{मद } 43.07 = \frac{\text{मद } 43.06 \times 1000}{\text{वार्षिक विवरण 8 का कालम 6 (सभी आमान)}}$$

5. $$\text{मद } 43.08 = \frac{\text{मद } 43.06}{\{\text{वार्षिक विवरण 17 (सभी आमान) की मद } 17.06 + 17.07(\text{घ}) + \text{वार्षिक विवरण 32 की मदें } 32.23 + 32.25 + \text{वार्षिक विवरण 33 की मद } \frac{33.03(\text{क})}{3} + \frac{33.10(\text{क})}{3}\} \times 1000}$$

6. $$\text{मद } 43.09 = \frac{\text{मद } 43.06 \times 1000}{\text{वार्षिक विवरण 13 के अनुसार राजस्व एवं गैर राजस्व शुद्ध टन कि.मी + वार्षिक विवरण 12 के मद } 12.05(\text{xi}) \text{ के अनुसार यात्री कि.मी. (सभी आमानों का जोड़)}}$$

Statement 43 - Cost of Police Force and Railway Protection Force

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 15th August of the following financial year.

2. Figures shall be furnished for the entire System.

3. The figures shown against Item nos. 43.01, 43.02, 43.03 and 43.04 shall agree with those in Abstract K of the Classification of Accounts of Expenditure and Earnings, as indicated below :-

 Item 43.01 - Figures under Sub-Head K 130

 Item 43.02 - Figures under Detailed Heads K111 to K115

 Item 43.03 - Figures under Detailed Heads K121 to K125

 Item 43.04 - Figures under Detailed Heads K116 & K126

 Item 43.06 - Figures under Sub-Heads K110, K120, K130 & K140

The amount booked under Sub-Head K140-'miscellaneous expenses' included in this item shall be given in a foot-note.

4. $$\text{Item } 43.07 = \frac{\text{Item } 43.06 \times 1000}{\text{Col. 6 of Annual Statement 8 (All gauges)}}$$

5. $$\text{Item } 43.08 = \frac{\text{Item } 43.06}{\{\text{Items } 17.06 + 17.07(\text{d}) \text{ of the Annual Statement 17 (All gauges) + Items } 32.23 + 32.25 \text{ of Annual Statement 32} + \text{Items } \frac{33.03(\text{a})}{3} + \frac{33.10(\text{a})}{3} \text{ of Annual Statement 33}\} \times 1000}$$

6. $$\text{Item } 43.09 = \frac{\text{Item } 43.06 \times 1000}{\text{Total NTKms. for revenue and non-revenue traffic as per Annual Statement 13 + Passenger Kms. as per item } 12.05(\text{xi}) \text{ of Annual Statement 12 (for all gauges combined)}}$$

.....रेलवे/Railway

विवरण–44
Statement-44

वर्ष..... में अवमानक स्टाफ क्वार्टर
Sub-standard Staff Quarters for the year.....

क्वार्टर का टाइप Type of quarter	उन क्वार्टरों की संख्या, जिनमें बुनियादी सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई हो जैसे, रसोईघर, स्नानघर, बरामदा और शौचालय No. of quarters not provided with basic amenities such as kitchen, bathroom, verandah and latrine	उन क्वार्टरों की संख्या, जिनमें सर्विस/ड्राई टाइप शौचालय की व्यवस्था की गई हो No. of quarters provided with service/dry type latrines	उन क्वार्टरों की संख्या, जिनमें सुधार के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी हो No. of quarters already sanctioned for improvement		उन क्वार्टरों की संख्या, जिन्हें सुधार के लिए अगले वर्ष के बजट में शामिल किया गया हो No. of quarters included in next year's Budget for improvement	
1	2	3	4*	5@	6*	7@
टाइप–I Type-I						
टाइप–II Type-II						
टाइप–III Type-III						
टाइप–IV Type-IV						

टिप्पणी/Note:

1. *कालम 4 और 6 में कालम 2 में दी गयी संख्या के बारे में सूचना देनी है.
 *Cols. 4 & 6 shall contain information in respect of number mentioned in Col. 2.

2. @कालम 5 और 7 में कालम 3 में दी गयी संख्या के बारे में सूचना देनी है.
 @Cols. 5 & 7 shall contain information in respect of number mentioned in Col. 3.

विवरण 44 - अवमानक स्टाफ क्वार्टर

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक पहुँच जाए.

2. यह सूचना उन क्वार्टरों की संख्या दर्शाने के लिए बनायी जाएगी, जिनमें बुनियादी सुख सुविधाएं जैसे स्नानघर, रसोईघर, बरामदा आदि नहीं हैं.

3. यह सूचना टाइप-वार क्वार्टरों की संकलित की जाएगी जैसे टाइप-I, टाइप-II आदि.

4. यह सूचना संपूर्ण प्रणाली के लिए कुल मिलाकर भेजी जाएगी, आमान-वार नहीं.

5. यह सूचना एक वर्ष अर्थात् संदर्भाधीन वर्ष के लिए दी जाएगी.

Statement 44–Sub-standard Staff Quarters

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.

2. The information shall be maintained to show the number of quarters which are deficient in basic amenities like bathrooms, kitchen, verandah etc.

3. The information shall be compiled by type-wise quarters e.g. Type-I, Type-II etc.

4. The information shall be furnished for the System as a whole and not by gauges.

5. The information shall be given for one year i.e., the year under reference.

.....रेलवे/Railway

विवरण–45
Statement-45

वर्ष के लिए मैट्रो रेलवे, कोलकाता का कार्य-निष्पादन
Preformance of Metro Railway, Kolkata for the year.....

मद Item	विवरण Description		पिछला वर्ष Last Year	चालू वर्ष Current Year
	किलोमीटर – **Kilometrage -**	**खंड** **Section**	**कि.मी.** **Kilometrage**	**चालू करने की तारीख** **Date of opening**
45.01	(i) 31 मार्च को यातायात के लिए खुला हुआ मार्ग कि.मी. Route Kilometrage open for traffic as on 31st March			
	(ii) रनिंग रेलपथ कि.मी. Running track kms.			
	(iii) कुल रेलपथ कि.मी. Total track kms.			
	31 मार्च को सेवारत सवारी डिब्बों की संख्या **Number of coaches in service as on 31st March**			
45.02	मोटर कोच– Motor coaches –			
	(i) संख्या Number			
	(ii) श्रेणी Class			
	(iii) बैठने की क्षमता जिसमें खड़ा होने का स्थान शामिल है। Seating capacity including standing accommodation			
45.03	ट्रेलर कोच – Trailer coaches –			
	(i) संख्या Number			
	(ii) श्रेणी Class			
	(iii) बैठने की क्षमता जिसमें खड़ा होने का स्थान शामिल है। Seating capacity including standing accommodation			
	चल स्टाक (इकाइयों में) **Rolling stock (In units) -** औसत प्राधिकृत स्टॉक Average authorised stock			
			पिछला वर्ष **Last Year**	**चालू वर्ष** **Current Year**
45.04	मोटर कोच Motor coaches			
45.05	ट्रेलर कोच Trailer coaches			

विवरण–45 (जारी)
Statement-45 *(Contd.)*

मद Item	विवरण Description	पिछला वर्ष Last Year	चालू वर्ष Current Year
	चालू कोचों की औसत संख्या – Average number on line –		
45.06	मोटर कोच Motor coaches		
45.07	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
	मरम्मताधीन अथवा मरम्मत के लिए पड़े कोचों की औसत संख्या – **Average number under or awating repairs –**		
45.08	मोटर कोच Motor coaches		
45.09	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
	मरम्मत हो चुके कोचों की औसत संख्या – Average number stored in good repair –		
45.10	मोटर कोच Motor coaches		
45.11	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
	उपयोग हेतु उपलब्ध कोचों की औसत संख्या – Average number available for use –		
45.12	मोटर कोच Motor coaches		
45.13	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
	फालतू पड़े कोचों की औसत संख्या – Average number spare –		
45.14	मोटर कोच Motor coaches		
45.15	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
	उपयोग में औसत संख्या – Average number in use –		
45.16	मोटर कोच Motor coaches		
45.17	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
	गाड़ी कि.मी. (जैसे गाड़ियां चलती हैं) – **Train kilometres (as the trains are run) –**		
45.18	यातायात गाड़ियां Traffic trains		
45.19	अन्य गाड़ियां Other trains		

विवरण–45 (जारी)
Statement-45 *(Contd.)*

मद Item	विवरण Description	पिछला वर्ष Last Year	चालू वर्ष Current Year
	गाड़ी घंटे (जैसे गाड़ियां चलती हैं) –		
	Train hours (as the trains are run) –		
45.20	यातायात गाड़ियां Traffic trains		
45.21	अन्य गाड़ियां Other trains		
	गाड़ियों की औसत गति (गाड़ी कि.मी. प्रति इंजन घंटा) –		
	Average speed of trains (Train kms per train engine hour) –		
45.22	यातायात गाड़ियां Traffic trains		
	वाहन कि.मी. (चौपहियों में)–		
	Vehicle Kms (In 4 - wheelers) -		
	(i) यात्री गाड़ियाँ Passenger trains		
45.23	मोटर कोच Motor coaches		
45.24	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
45.25	कुल Total		
	(ii) अन्य गाड़ियां Other trains		
45.26	मोटर कोच Motor coaches		
45.27	ट्रेलर कोच Trailer coaches		
45.28	कुल Total		
	वाहन उपयोगिता –		
	Vehicle usage –		
45.29	चालू मोटर कोच किलोमीटर प्रतिदिन प्रति मोटर कोच (चौपहियों के हिसाब से) Motor coach kilometres per day per motor coach on line (in terms of 4 - wheelers)		
45.30	चालू ट्रेलर कोच किलोमीटर प्रतिदिन प्रति ट्रेलर कोच (चौपहियों के हिसाब से) Trailer coach kilometres per day per trailer coach on line (in terms of 4 - wheelers)		
	कर्षण और गाड़ी में प्रकाश के लिए उपयोग की गई बिजली –		
	Power consumed for traction and train lighting –		
45.31	मात्रा (किलोवाट घंटे) Quantity (Kilowatt hours)		
45.32	प्रति गाड़ी किलोमीटर घंटे) Kilowatt hours per train kilometre		
45.33	प्रति 1000 सकल टन किलोमीटर किलोवाट घंटे Kilowatt hours per 1000 gross tonne kilometres		

विवरण–45 (समाप्त)
Statement-45 *(Concld.)*

मद Item	विवरण Description	पिछला वर्ष Last Year	चालू वर्ष Current Year
	(विभागीय सहित) सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया लोच प्रदान करने वाला तेल –		
	Lubricating oil used for all purposes (including departmental) –		
45.34	मात्रा (लिटर)		
	Quantity (Litres)		
45.35	प्रति 1000 वाहन किलोमीटर लिटर		
	Liters per 1000 vehicle kilometres		
	मोटर कोच खराबी –		
	Motor coach failures –		
45.36	संख्या		
	Number		
45.37	प्रति मोटर कोच खराबी मोटर कोच किलोमीटर (यूनिटों में)		
	Motor coach kilometres per motor coach failure (In units)		
	बिजली सप्लाई खराबी –		
	Power supply failure –		
45.38	सप्लाई के स्त्रोत पर हुई खराबी		
	Failure originating at source of supply		
	(क)संख्या		
	(a) Number		
	(ख) औसत अवधि (घंटे)		
	(b) Average duration (Hours)		
45.39	सब–स्टेशनों पर हुई खराबी		
	Failure originating at sub-stations:		
	(क)संख्या		
	(a) Number		
	(ख) औसत अवधि (घंटे)		
	(b) Average duration (Hours)		
45.40	शिरोपरि रेलपथ उपस्करों के कारण हुई खराबी –		
	Failure on account of overhead track equipments –		
	(क)संख्या		
	(a) Number		
	(ख) औसत अवधि (घंटे)		
	(b) Average duration (Hours)		
	यात्री राजस्व (दूसरा दर्जा) (000) –		
	Passenger traffic of (2nd class) (000) –		
45.41	संख्या		
	Number		
45.42	किलोमीटर		
	Kilometres		
45.43	ढोये गये यात्रियों से आय		
	Earnigns from passengers carried		
45.44	फुटकर आय		
	Sundry earnings		
45.45	सकल टन किलोमीटर (विभागीय सहित) (000)		
	Gross tome kilometres (including departmental) (000)		

इस विवरण में पिछले और चालू वर्षों के लिए मद सं. 45.04 से 45.45 के आंकड़े देते हैं और केवल चालू वर्ष के लिए मद सं. 45.01 से 45.03 के आंकड़े देते हैं.
In this statement, the figures for previous and current years are to be given for items 45.04 to 45.45 and for current year only for item 45.01 to 45.03.

विवरण 45 – वर्ष के लिए मैट्रो रेलवे, कोलकाता का कार्य – निष्पादन

अनुदेश

1. इस विवरण को इस प्रकार भेजा जाए कि यह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 31 अगस्त तक पहुँच जाए.
2. मद 45.22, 45.32, 45.33 और 45.35 के लिए परिणामों को दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध गणना की जाएगी और वे जो कि दस से कम हैं उनकी गणना दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध की जाएगी. बाकी मदों के लिए अंक को निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा.
3. मार्ग किलोमीटर (मद 45.01(i)) इस मद से आंकड़ों में दोहरी लाइन या दोहरी लाइन से अधिक के लिए एक किलोमीटर लेते हुए मूल बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी शामिल होगी. टर्मिनल स्टेशन के केंद्र से मुख्यालय स्टाप तक रेल-पथ को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा.
4. रनिंग ट्रेक किलोमीटर (मद 45.01(ii)) – इसमें मार्ग किलोमीटर के अलावा दोहरी लाइन की या, दोहरी लाइन से अधिक अतिरिक्त किलोमीटर को सम्मिलित किया जाएगा.
5. कुल ट्रैक किलोमीटर (मद 45.01 (iii)) – इसमें साइडिंग में स्थित रेलपथ स्टेंशनों और शेंडों पर पारों को रनिंग टैक किलोमीटर के अतिरिक्ति शामिल किया जाएगा. क्रांसिंग लूप एवं अन्य साइडिंग के मामले में, दूसरे कोने के स्थित के पाद से लूप की लंबाई की गणना की जाएगी. डेड एंड साईडिंग के मामले में यह साइडिंग में स्विच से लेकर बफर स्टॉक तक की जाएगी.
6. 31 मार्च को सेवारत सवारी डिब्बों की संख्या (मद 45.02 एवं 45.03) लाइन पर वास्तविक रूप से स्थित सारे स्टॉक को सम्मिलित करते हुए इसमें उस स्टाक को भी शामिल किया जाएगा जिसे प्रतिस्थापित किया गया है परंतु जो वह अभी भी काम में लाया जा रहा है. या उसे फालतू के रूप में एक ओर रख दिया गया है. बैठने के स्थान की क्षमता में खड़े होने के स्थान को भी शामिल किया जाएगा और इसे भी एक पाद-टिप्पणी में अलग से दिखाया जाएगा.
7. चल स्टाक औसत प्राधिकृत स्टाक (मद 45.04 और 45.05) – यह स्टॉक को स्वीकृत संगठन को दर्शाएगा. इसमें उस स्टाक को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसे यातायात के लिए मंगाया गया हो अथवा निर्माणाधीन हो परंतु उसे अभी यातायात को सौंपा न गया हो वह स्टाक जिसे बेच दिया गया हो अथवा जिसे तोड़ दिया गया हो लेकिन जिसे अभी प्राधिकृत स्टॉक से हटाया या प्रतिस्थापित न किया गया हो. ऐसा प्रतिस्थापित स्टाक, जो अभी चल रहा हो, इसमें शामिल नहीं किया जाता.

Statement 45 - Performance of Metro Railway Kolkata for the year.....

Instructions

1. This statement be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 31st August of the following financial year.
2. The results for item 45.22, 45.32, 45.33 and 45.35 shall be worked out correct to one place of decimal, but those which are less than ten, shall be worked out correct to two places of decimal. For rest of the items, the figures shall be rounded off to the nearest whole number.
3. Route kilometrage (item 45.01 (i)) - Shall include the distance between the originating and terminating points, taking single kilometres for the double line or more than double line. The track from the centre of a terminal station to the end of the mainline buffer stop shall be excluded.
4. Running track kilometrage (item 45.01 (ii)) - shall include the extra kilometrage of double or more than double lines, in addition to route kilometrage.
5. Total track kilometrage (item 45.01 (iii) - shall include the track in sidings, crossings at stations and sheds, in addtion to the running track kilometrage. In case of crossing loops and other sidings, the length of the loops from the toe of the switch of the other end shall be taken. In the case of a dead end siding, it shall be from the switch of a siding to the buffer stop.
6. Number of coaches in service as on 31st March (items 45.02 and 45.03) - shall include all stock actually on line including those replaced but still running or laid aside as spare. The seating capactity shall include the standing accommodation which shall also be shown separately in a foot-note.
7. Rolling Stock - Average authorised stock (items 45.04 and 45.05) shall represent the sanctioned allotment of stock including stock ordered for or under construction but not handed over to traffic. Stock sold or broken but not replaced or removed from authorised stock is included. Stock replaced but till running is not included.

8. लाइन पर औसत संख्या (मद 45.06 एंव 45.07) – वह उस स्टाक का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविक रूप से लाइन पर हो वह स्टाक जिसे प्रतिस्थापित किया जा चुका है परंतु अभी चल रहा है और ऐसा स्टाक जिसे ''फालतू'' की तरह एक तरफ रख दिया गया है. इन दोनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. यातायात से निकाला जा चुका अनुपयोगी स्टाक का फिर पैरा 239 एफ के अनुसार समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के पश्चात मरम्मत के लिए अलाभकर घोषित किया गया स्टाक इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. इसमें इस बात का विचार नहीं किया जाएगा कि अनुपयोगी घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नहीं.

8. Average number on line (item 45.06 and 4.07) shall represent number of stock actually on line including those replaced but still running or laid aside as spare. It shall not include the stock condemned and withdrawn from traffic or which, after inspection by proper authority are declared to be uneconomic to repair in terms of para 239-F, irrespective of whether the sanction for condemnation of the competant authority has been received or not.

9. औसत संख्या (मद 45.04 से 45.07 तक) को निम्न प्रकार से निकाला जाएगा.

अगर रेलवे के पास 1 अप्रैल को 600 इकाईयां हो और 11 अप्रैल को यह इसमें 15 इकाइयां और जोड़ देता है तो अप्रैल के लिए औसत 600 + 15×20 ÷ 30 = 610 होगा. इस प्रकार प्राप्त की गई मासिक औसतों को 12 से विभाजित करके वार्षिक औसत प्राप्त की जाएगी.

9. The avarage number (items 45.04 to 45.07) –shall be worked out as under -

If the Railway has 600 units on Ist of April and adds 15 units on 11th of April, the average for April shall be 600 + 15 x 20 ÷ 30 = 610.

The monthly average derived as above, shall be divided by 12 to arrive at the yearly average.

10. मरम्मत हो रहे तथा मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे डिब्बे (मद 45.08 एवं 45.09 इसमें मरम्मत हो रहे या मरम्मत की प्रतीक्षा कर रहे मोटर डिब्बे और ट्रेलर डिब्बे जिन्हें यातायात के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा रहा अथवा फालतू की तरह रख दिया गया हो अथवा दिन के दौरान जिन्हें मरम्मत में दिया जाता हो.

मोटर डिब्बे (मद 45.08) = 45.06–45.10–45.14–45.16

ट्रेलर डिब्बे (मद 45.09) = 45.07–45.11–45.15–45.17

10. Coaches under or awaiting repairs (items 45.08 & 45.09) - shall include motor coaches and trailer coaches under or awaiting repairs and not used for traffic or kept as spare or stored in goods repair during the day. It shall be equivalent to :-

Motor coaches (Item 45.08) = 45.06-45.10-45.14-45.16

Trailer coaches (Item 45.09) = 45.07-45.11-45.15-45.17

11. अच्छी मरम्मत में भंडार की गई औसत संख्या (मद 45.10 एंव 45.11) वे डिब्बे जिन्हें मरम्मत नहीं किया जा रहा है अथवा वे मरम्मत के लिए प्रतीक्षारत भी न हों और जिन्हें जरूरत से अधिक होने के कारण पूरे कैलेण्डर मास के लिए फालतू की तरह रख दिया गया हो.

11. Average number stored in good repair (items 45.10 & 45.11) shall include coaches which are not under or awaiting repairs and are laid aside as spare for full calender month, being in excess of requirement.

12. प्रयोग के लिए उपलब्ध औसत संख्या :-

मोटर डिब्बे (मद45.12) = 45.06–45.08–45.10

ट्रेलर डिब्बे (मद 45.13) = 45.07–45.09–45.11

12. Average number available for use :-

Motor coaches (Item 45.12) = 45.06-45.08-45.10

Trailer coaches (Item 45.13) = 45.07-45.09-45.11

13. फालतू औसत संख्या (मद 45.14 एवं 45.15) वे डिब्बे जो मरम्मत के अधीन नहीं है और न ही वे मरम्मत के लिए प्रतीक्षारत है और जिन्हें फालतू के रूप में एक और रख दिया जाता है जब छुट्टी आदि या किसी अन्य कारण से रेल की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती और इस प्रकार से आवश्यकता से अधिशेष हो जाते हैं.

13. Average number spare (items 45.14 & 45.15) - shall include coaches which are not under or awaiting repairs and are laid aside as spare from day-to-day due to surplus to requirement because of non-running of train services due to holidays etc. and other causes.

14. प्रयुक्त हो रही औसत संख्या (मद 45.16 एवं 45.17) – अधिक व्यस्तता की अवधि के दौरान किसी दिन प्रयोग किए जा रहे डिब्बों की अधिकतम संख्या मात्रा को ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा.

14. Average number in use (items 45.16 & 45.17) - shall include only the maximum number of coaches in use on a day during the peak period.

15. औसत अंक (मद 45.08 एवं 45.17 तक) – एक महीने के लिए दैनिक अंकों का पूर्णयोग करके संबंध महीने के दिनों की संख्या से भाग करके

15. Average figures (items 45.08 to 45.17) - Monthly average shall be worked out by aggregating the daily figures for a

मासिक औसत निकाला जाएगा. वार्षिक औसत के लिए मासिक औसतों का पूर्णयोग करके 12 से विभाजित कर दिया जाएगा.

16. गाड़ी की औसत गति (गाड़ी किलोमीटर प्रति गाड़ी इंजन घंटा)

मद 45.22=45.18÷45.20

17. वाहन किलोमीटर (मद 45.23 से 45.28 तक) – चौपहिया वाहनों के अनुसार इसकी गणना करने के लिए एक वाहन को दो चौपहिया वाहनों की तरह माना जाएगा.

18. वाहन प्रयोग –

$$\text{मद } 45.29 = \text{मद } \frac{45.23 + 45.26}{45.06\times 2 \times \text{वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

$$\text{मद } 45.30 = \text{मद } \frac{45.24 + 45.27}{45.07\times 2\times \text{ वर्ष में दिनों की संख्या}}$$

19. किलोवाट घंटे प्रति रेलगाड़ी किलोमीटर -

$$\text{मद } 45.32 = \text{मद } \frac{45.31}{45.18 + 45.19}$$

20. किलोवाट घंटे प्रति रेलगाड़ी किलोमीटर –

$$\text{मद } 45.33 = \text{मद } \frac{45.31}{45.45}$$

21. स्नेहक तेल की खपत–लिटर प्रति 1000 वाहन किलोमीटर -

$$\text{मद } 45.35 = \text{मद } \frac{45.34 \times 1000}{45.25+45.28}$$

22. मोटर डिब्बा के खराब हो जाने (मद 45.36) - किसी मोटर डिब्बे को उस समय खराब हुआ माना जाएगा जब स्टाक में किसी यांत्रिक अथवा विद्युत दोष के कारण अथवा गाड़ी के कर्मीदल के द्वारा किसी कुप्रबंध के कारण.

(क) जब इकाई पूरे दिन में भी इसके लिए किए हुए कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो.

(ख) जब यह दिन के लिए बुक किए हुए कार्य के दौरान किसी भी फेरे पर 15 मिनट से अधिक विलंब से पहुंचे हों.

सभी मोटर डिब्बों चाहे उन्हें यातायात पर लगाया गया हो अथवा किसी विभागीय सेवाओं पर, की खराबी को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा.

month divided by number of days in the month concerned. For yearly average the aggregate of the monthly averages shall be divided by 12.

16. Average speed of trains (train kilometres per train engine hour):-

Item 45.22 = 45.18 ÷ 45.20

17. Vehicle kilomeres (item 45.23 to 45.28) - shall be worked out in terms of four - wheelers, taking one velhicle as two four wheelers.

18. Vehicle usage -

$$\text{Item } 45.29 = \text{Items } \frac{45.23 + 45.26}{45.06 \times 2 \times \text{Number of days in the year}}$$

$$\text{Item } 45.30 = \text{Items } \frac{45.24 + 45.27}{45.07\times 2\times \text{ Number of days in the year}}$$

19. Kilowatt hours per train kilometre -

$$\text{Item } 45.32 = \text{Items } \frac{45.31}{45.18+45.19}$$

20. Kilowatt hours per 1000 gross tonne kilometres -

$$\text{Item } 45.33 = \text{Items } \frac{45.31}{45.45}$$

21. Consumption of lubricating oil - Litres per 1000 vehicle kilometres -

$$\text{Item } 45.35 = \text{Items } \frac{45.34 \times 1000}{45.25+45.28}$$

22. Motor coach failure (item 45.36) - A motor coach shall be considered to have failed when, through some mechanical or electrical defect in the stock or mismanagerment on the part of train crew.

(a) either the unit is unable to complete its booked working throughout the day or

(b) It suffers a delay of more than 15 minutes in any of the trips during the booked working for the day.

Failures of all motor coaches, whether employed on traffic or departmental services shall be included under this head.

23. मोटर डिब्बा किलोमीटर प्रति मोटर डिब्बा विफलता –

$$\text{मद } 45.37 = \text{मद } \frac{(45.23 + 45.26) \div 2}{45.36}$$

24. जब किसी भी मद को निकालने के लिए कोई भी विशेष अनुदेश/ परिभाषाए न दी गई हों, तो सांख्यिकी अनुदेश की नियमावली वाल्यूम– I में दी गई अनुदेशों/परिभाषाओं का अनुसरण किया जाएगा.

23. Motor coach kilometres per motor coach failure -

$$\text{Item } 45.37 = \text{Items } \frac{(45.23 + 45.26) \div 2}{45.36}$$

24. Where no special instructions/definitions are given for working out any of the items, the instructions/definitions as given in the Manual of Statistical Instructions - Vol. I shall be followed.

